गौरवमयी
GLORIOUS
44 वर्ष years

वार्षिक रिपोर्ट 2019–20
ANNUAL REPORT 2019-20

अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के साथ गुणवत्ता सम्पन्न अवसंरचना का निर्माण

Creating **Quality Infrastructure,** Marking **International Presence**

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
IRCON INTERNATIONAL LIMITED

विषय सूची

कॉर्पोरेट विवरण

इरकॉन की एक झलक	02
हमारे पथप्रदर्शक	03
कॉर्पोरेट सूचना	03
अध्यक्ष का संबोधन	04
निदेशक मंडल	08
वरिष्ठ कार्यपालक	12
समाचारों में इरकॉन	13
प्रमुख निष्पादन संकेतक (स्टेंडएलोन)	14
वित्तीय हाइलाइट (स्टेंडएलोन)	15
हमारे पुरस्कार एवं मान्यताएं	16
हमारे व्यवसाय का विहंगावलोकन	18
हमारे मूल्य उत्पति के मॉडल	22
हम कैसे अन्यों से भिन्न हैं?	24

प्रबंधन रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण	36
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट	56
व्यवसाय उत्तरदेयत्ता रिपोर्ट	81
निदेशक मंडल की रिपोर्ट	94
निगमित शासन रिपोर्ट	122
फार्म सं. एमआर–3 सचिविय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	163
लाभांश वितरण नीति	167

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	170
स्टेंडएलोन तुलन पत्र	180
स्टेंडएलोन लाभ और हानि विवरण	182
रोकड़ प्रवाह स्टेंडएलोन विवरण	183
इक्विटी परिवर्तन का स्टेंडएलोन विवरण	185
स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट	187

समेकित वित्तीय विवरण

सहायक कंपनियों/संबद्व कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताए (फॉर्म एओसी–1)	254
स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	256
समेकित तुलन पत्र	263
समेकित लाभ और हानि विवरण	265
समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण	266
समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरण	268
समेकित वित्तीय विवरणों के नोट	270
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	343

ऑनलाइन वार्षिक रिपोर्ट 2020 देखने के लिए
https:/www.ircon.org पर जाएं

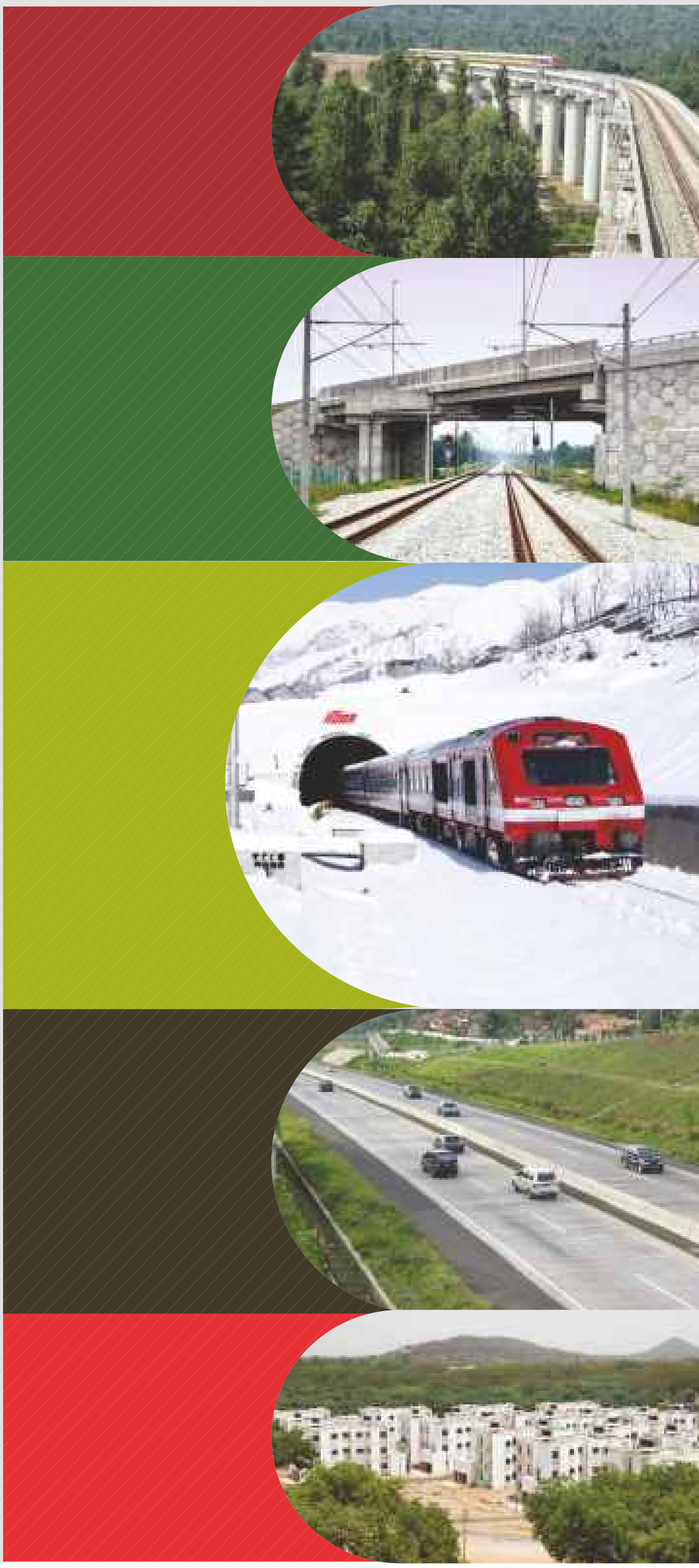

अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के साथ गुणवत्ता सम्पन्न अवसंरचना का निर्माण

प्रारंभ से ही इरकॉन द्वारा परिवर्तनकारी अवसंचना परिसम्पतियों के निर्माण में प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया गया है। यह भारत के लिए आधुनिक एवं उन्नत अर्थव्यवस्था की सक्षमता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित सामाजीय प्रगति के माध्यम हैं। हम सरकार के साथ मिलकर देश की समृद्धि के समान लक्ष्य के साथ कार्य कर रहे हैं जिससे हमें एक ऐसी अग्रणी अवसंरचना का निर्माण करने की प्रेरणा प्राप्त हो रही है जो भारत के आर्थिक विकास एवं विश्व मानचित्र पर भारत को सुदृढ़ता की प्राप्ति में सहायक होगी।

इरकॉन में हम सदैव विवेकशील एवं अनुदार व्यापार अभिमुखता का अनुसरण करते हैं। हमारा प्रमुख ध्यान तुलन पत्र एवं संवहनीय व्यवसाय मॉडल को सुदृढ़ता प्रदान करना है जो पिछले अनेक वर्षों से हमारी सफलता का प्रेरक बल है। हमारी यह मान्यता है कि अपने प्रमाणित नेतृत्व, आंतरिक प्रतिभा के भंडार, सुदृढ़ साझेदारियों, तथा नए अवसरों का मूल्यांकन करने की अपनी क्षमता के बल पर हमें उद्योग में नेतृत्व की स्थिति प्राप्त हुई है। हमें गर्व है कि हम देश की ऐसी सर्वश्रेष्ठ कम्पनियों में से एक हैं जो देश के विकास में अपना योगदान देने के साथ साथ स्थलों और व्यक्तियों के मध्य सम्पर्कता स्थापित करने के कार्य कर रही है।

यकायक उत्पन्न अप्रत्याशित बाधाओं के इस परीक्षा काल में भी हम सहकार्यता एवं संवहनीयता के निर्माण से आगे बढ़ रहे हैं और अवसंरचना निर्माण के कार्यों में हमने संतुलन स्थापित कर दिया है। ऐसा करते हुए, हमारा लक्ष्य अपने ग्राहकों, अपने कर्मचारियों, अपने शेयरधारकों एवं प्रमुख रूप से समाज की प्रत्याशाओं को प्राथमिकता प्रदान करना एवं अपनी अनुरूपता सिद्ध करना है। आगे बढ़ते हुए, हमें अनिवार्य अवसंरचना उद्योग में गुणवत्ता पूर्ण अवसंरचना के निर्माण एवं अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के संबंध में हमारे कंधों पर एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होने का भान है।

इरकॉन की एक झलक

इरकॉन प्रमुख अवसंरचना सेक्टरों में विशेषज्ञता प्राप्त तीव्रतर विकासशील एकीकृत इंजीनियरिंग एवं निर्माण कम्पनी है।

सूचीबद्धता
2018

कर्मचारी
1369

देश
25

परियोजनाएं
390+
भारत में

25 अन्य देशों में
128+

सेवाएं

परियोजना प्रबंधन परामर्श

इंजीनियरिंग, प्रापण एवं निर्माण

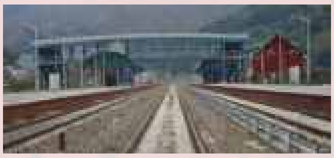
सार्वजनिक निजी भागीदारी

स्थावर सम्पदा

सेवित उद्योग सेक्टर

- » रेलवे
- » राजमार्ग
- » पुल एवं फ्लाईओवर
- » भवन
- » इलैक्ट्रिक्ल
- » सिग्नलिंग एवं दूरसंचार
- » मैकेनिकल
- » कोच फैक्टरी
- » स्टेशन भवन
- » एम.एफ.सी.
- » विमानन

सूचना प्रौद्योगिकी

मोबाइल एप्प:
इरकॉन टेंडर्स
इरकॉन सीएसआर
इरकॉन रोजगार

एसएपी ईसीसी
आधारित ईआरपी

एसएपी व्यापार लक्ष्य

एनआईसी की
GePNIC के
माध्यम से प्रापण

हमारे पथप्रदर्शक:

संकल्पना :
जिससे **प्रेरित** होकर हमारी

एक ऐसे निर्माण संगठन के रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान निर्मित्त हुई है जिसकी तुलना अवसंरचना सेक्टर में निर्माण क्रियाकलापों एवं सेवाओं के समग्र विस्तार क्रम के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ संगठन से की जा सकती है।

लक्ष्य :
हमारा **लक्ष्य** क्या है

हमारा लक्ष्य कम्पनी को ऐसी स्थिति में स्थापित करना है जिससे यह भारत एवं विश्व के बदलते हुए आर्थिक परिवेश में अवसंरचना विकास की निर्माण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। हम उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद एवं सेवाओं की समय पर एवं सर्वोत्तम इंजीनियरिंग व्यवहारों के अनुरूप पूर्ति करके विश्व में अपनी पहचान स्थापित करना चाहते हैं।

मूल्य :
हम अपने **कार्य** कैसे करते हैं

1. रचनात्मक अभिमुखता
2. टीम वर्क
3. निष्पादन उत्कृटता
4. कार्य एवं संव्यवहार में सत्यनिष्ठा
5. उत्तरदेयता एवं जवाबदेही

कार्पोरेट सूचना

पंजीकृत कार्यालय
सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली–110017
दूरभाषः 91–11–29565666
फैक्सः 91–11–26522000 / 26854000
ई–मेलः info@ircon.org
वेबसाइट: www.ircon.org
सीआईएनःL45203DL1976GOI008171

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सुश्री रितु अरोड़ा

सांविधिक लेखापरीक्षक
मैसर्स के.जी.सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

लागत लेखापरीक्षक
मेसर्स आर.एम.बंसल एंड कंपनी
लागत लेखाकार

सचिवीय लेखापरीक्षक
मैसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव

बैंकर
इंडियन ओवरसीज बैंक,
येस बैंक,
एचडीएफसी बैंक,
भारतीय स्टेट बैंक
इंडसेंड बैंक तथा
आईसीआईसीआई बैंक।

रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट
केफिन टैक्नॉलोजिस प्राइवेट लिमिटेड
कारवी सेलेनियम टावर–बी, प्लाट सं. 31 व 32, गचिबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, ननक्रऊगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद–500032, तेलंगाना
वेबसाइटः www.kfintech.com
ई–मेल : einwards.ris@kfintech.com
दूरभाषः +91 40 6716 2222, 7961 1000

शेयर सूचीबद्ध
बीएसई लिमिटेड (बीएसई)
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)

डिपोजिटरी
नेशनल सिक्योरिटीस डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)

स्क्रिप्ट कोड
बीएसईः 541956
एनएसईः IRCON

आईएसआईएन नम्बर
INE962Y01021

हमारा लक्ष्य अपने लाभ मार्जिन को सुदृढ़ बनाने एवं अपनी नकदी स्थिति को सुविधाजनक बनाने के साथ साथ सेक्टरों एवं भौगोलिक क्षेत्रों में विविधता स्थापित करना है, जिससे हमारे परिचालनात्मक निष्पादन में योगदान प्राप्त हो सकेगा

एस.के.चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अध्यक्ष का संबोधन

प्रिय शेयरधारकों,

आपकी कंपनी की 44वीं वार्षिक रिपोर्ट को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

मैं सगर्व आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि आपकी कम्पनी संतुलन के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है तथा कम्पनी द्वारा भारत में औद्योगिक औसत से अधिक निष्पादन किए जा रहे हैं। वर्ष 1985 से हम सेक्टरल एवं भौगोलिक कवरेज दोनों के अर्थों में विविधतायुक्त कम्पनी बनने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। हमने निर्माण क्रियाकलापों एवं अवसंरचना सेवाओं के सम्पूर्ण विस्तार की क्रियाओं में क्रमिक रूप से विविधता की प्राप्ति की है। हमारे पग अडिग हैं और इन्हीं पगों से हमने विश्व भर में अनेक चुनौतिपूर्ण परियोजनाओं का सम्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। अब तक हम विश्व में 25 देशों के लिए 128 परियोजनाओं तथा भारत में 390 से अधिक परियोजनाओं का निष्पादन कर चुके हैं। यूएसए के इंजीनियरिंग न्यू रिकार्ड (ईएनआर) के 2020 अंक के अनुसार इरकॉन ही एकमात्र भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसका नाम सर्वोच्च 250 अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदारों की सूची में दर्ज है।

हमारा परिचालनात्मक निष्पादन एवं उपलब्धियां

वर्ष 2020 के दौरान हमारे राजस्व में रेलवे सेक्टर से 80.98 प्रतिशत का योगदान प्राप्त हुआ है। रेलवे सेक्टर के संबंध में हमारा मूलभूत केन्द्रबिन्दु एवं शक्तियां काफी गहरी हैं। तथापि, हम हमारे राजमार्ग व्यवसाय की ओर भी ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं, तथा इस वर्ष कुल राजस्व में इसका योगदान पिछले वर्ष के 12.56 प्रतिशत के अंश भाग से बढ़कर लगभग 18.32 प्रतिशत हो गया है तथा इलैक्ट्रिल, भवन एवं अन्य कार्यों में राजस्व का भाग लगभग 0.70 प्रतिशत है।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार हमारी आर्डर बुक

₹30,713 करोड़ रूपए है।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार इरकॉन की आर्डर बुक 30,713 करोड़ रूपए है जिसमें 26,064 करोड़ रूपए मूल्य के कार्य रेलवे सेक्टर से प्रतिस्पर्धी एवं नामांकन आधार पर प्राप्त किए गए हैं। घरेलू बाजार में हमने रेलवे ट्रैकिंग, राजमार्ग, पुल एवं फ्लाईओवर, इलैक्ट्रिकल, सिग्नलिंग एवं दूरसंचार के क्षेत्र से संबंधित अनेक परियोजनाओं को पूरा किया है। हम विदेश में नई परियोजनाओं में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं जिनमें से बांग्लादेश, अल्जीरिया, श्रीलंका, नेपाल तथा म्यांमार में हमारी परियोजनाओं के कार्य चल रहे हैं। अपने व्यापार एवं भौगोलिक ध्यान केन्द्रण में विविधता के साथ हम अपने व्यवसाय के आकार एवं लाभ मार्जिन को बढ़ाने के उद्देश्य से हम बड़ी रेंज की परियोजनाओं की और प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान हमें एक्जिम बैंक की एलओसी योजना के अंतर्गत परिवहन एवं नागर विमानन मंत्रालय, श्रीलंका सरकार के अध्याधीन श्रीलंका रेलवे से लगभग 637.22 करोड़ रूपए मूल्य के अनुबंध प्राप्त हुए हैं। इस अनुबंध के अंतर्गत श्रीलंका में उत्तरी रेलवे की 128 किलोमीटर लम्बी लाइन का उन्नयन तथा उससे सम्बद्ध माहो–ओमनथाई से सम्पर्कता के कार्य किए जाने हैं। हमारी टीम थाईलैंड, टर्की, घाना, मोजाम्बिक, रवांडा, यू.ए.ई, मलेशिया, ओमान तथा गुआना में भी परियोजनाओं के अनुबंध प्राप्त करने के प्रयास कर रही है। इन सब के अलावा, हम धीरे धीरे स्थानीय कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करके वैयक्तिक परियोजनाओं पर सहकार्य परियोजनाओं के अंतर्गत कार्य करने की व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि इस रणनीति से हम संवहनीय आधार पर अधिक राजस्व उत्पति कर सकेंगें।

वित्तीय वर्ष 2020 में हमारा निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान हमारी आय का कुल योग 5,442 करोड़ रूपए है जो पिछले वित्तीय वर्ष में 4,680 करोड़ रूपए की आय की तुलना में अब तक की उच्चतर आय है। वर्ष के दौरान हमारी टर्नओवर पिछले वित्तीय वर्ष में 4,415 करोड़ रूपए की तुलना में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 5202 करोड़ रूपए आंकी गई है। हमारी कुल आय में से लगभग 95.60 प्रतिशत की प्राप्ति हमारे परिचालनात्मक क्रियाकलापों से प्राप्त हुई रिकार्ड की गई है। हमारी कुल आय में से 8.75 प्रतिशत (476 करोड़ रूपए) की प्राप्ति अंतराष्ट्रीय परियोजनाओं से हुई है।

समेकित आधार पर हमने पिछले वित्तीय वर्ष में 4,990 करोड़ रूपए की तुलना में 5,540 करोड़ रूपए की कुल आय रिकार्ड की है जिसमें से पिछले वर्ष में अर्जित 450 करोड़ रूपए के लाभ की तुलना में समेकित निवल लाभ 485 करोड़ रूपए है।

वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान अर्जित लाभ में से निदेशक मंडल द्वारा 96.87 करोड़ रूपए के लाभांश के अनुसार 2/– रूपए के अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 2.06/– रूपए का अंतिम लाभांश की अनुशंसा की गई है। इससे वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान कुल लाभांश का योग 223.38 करोड़ रूपए (लगभग) (अर्थात 94.05 करोड़ रूपए की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 237.50 प्रतिशत) हो जाएगी, जिसमें अंतरिम लाभांश की 126.50 करोड़ रूपए की राशि शामिल है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कर पश्चात लाभ के प्रति कुल लाभांश 45.60 प्रतिशत तथा निवल सम्पति पर 5.37 प्रतिशत आंका गया है।

इसके अलावा, मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के प्रति किसी प्रकार की अर्हता अथवा टिप्पणी (केवल कुछ सुझावों के अलावा) नहीं की गई है, तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) से वित्तीय वर्ष 2020 के संबंध में टिप्पणियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

सहायक कम्पनियां एवं संयुक्त उद्यम कम्पनियां

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली पांच सहायक कम्पनियां हैं जिनमें से चार विशेष उद्देश्य वाहक (एसपीवी) कम्पनियां हैं जिनका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं के लिए किया गया है। इरकॉन की 50 प्रतिशत शेयरधारिता दो संयुक्त उद्यम कम्पनियों (जेवी) में भी है तथा 26 प्रतिशत शेयरधारिता पांच संयुक्त उद्यम कम्पनियों में है जिनका निगम मुख्यतः छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उड़ीसा राज्यों में कोयले की सम्पर्कता वाली परियोजनाओं के लिए किया गया है। इन सभी सहायक कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यम कम्पनियों का विवरण निदेशक रिपोर्ट में दिया गया है।

मान्यताएं

रेल मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत वर्ष 2018–19 के लिए कम्पनी की रेटिंग वर्ष 2017–18 के अनुसार ही 'उत्कृष्ट' आंकी गई है। कम्पनी को वर्ष 2019–20 के लिए भी 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त होने की आशा है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इरकॉनियंस द्वारा किए जा रहे चिरस्थायी प्रयासों से हम संवर्धित लक्ष्यबद्ध निष्पादन पूरे कर सकेंगे। इन मान्यताओं के अलावा आपकी कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है जिनका विस्तृत विवरण निदेशक रिपोर्ट में दिया गया है।

प्रतिक्रिया एवं उत्तरदायित्व

वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान अप्रत्याशित वैश्विक महामारी कोविड–19 का प्रकोप हुआ है जिससे विश्व की सुदृढ़ अर्थव्यवस्थाओं के सम्मुख अनेक चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। इस मानवीय त्रासदी के परिणामस्वरूप अनेक लोगों की मृत्यु हुई है तथा विश्व भर में अनेक व्यवसाय इसकी चपेट में आ गए हैं। इस महामारी के प्रति प्रतिक्रिया करते हुए हमने हमारे व्यवसाय के सम्मुख चुनौतियों के नकारात्मक प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए अनेक आवश्यक उपाय किए हैं। हमारे संगठन की दीर्घकालिक प्राथमिकताएं अडिग हैं, कोविड–19 के कारण हमारे परिचालनों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को विचार में हम अपनी आपूर्ति श्रृंखला, नकदी को संरक्षित रखने तथा नियत लागतों का नियंत्रण करने की कड़ी मॉनीटरिंग कर रहे हैं। तथापि, हम महत्वपूर्ण विकास क्षेत्रों की खोज एवं उसमें निवेश की अपनी प्रक्रियाओं को जारी रखेंगे।

इसी के साथ साथ, समाज पर इससे हुए प्रभाव के प्रति भी कम्पनी अपने दायित्वों को समझती है, हमने इस महामारी से बचाव के लिए वित्तीय, चिकित्सा एवं सामुदायिक सहायता प्रदान करने के लिए अनेक प्रक्रियाएं की हैं। प्रधान मंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति बचाव निधि (पीएम केयर्स फंड) में हमने 20.50 करोड़ रूपए का आर्थिक योगदान दिया है। इसके अलावा, हमनें समाज के वंचित वर्ग के विकास एवं उत्थान की दिशा में अपने महत्वपूर्ण प्रयासों को जारी रखा है। ऐसी प्रकियाएं हम कार्पोरेट सामाजिक दायित्व कियाकलापों के माध्यम से कर रहे हैं जो भारत के वंचित वर्ग के जीवन में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाए जाने के लिए हैं।

कार्पोरेट शासन

कम्पनी द्वारा कार्पोरेट शासन के सिद्धांतों का पूर्ण निष्ठा के साथ कार्यान्वयन किया जा रहा है। आपकी कम्पनी अपने परिचालनों के प्रत्येक पक्ष में पारदर्शिता, उत्तरदेयता एवं समानता को सबसे अधिक महत्व देती है। आपकी कम्पनी सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा लोक उद्यम विभाग के कार्पोरेट शासन दिशानिर्देश, 2010 के प्रावधानों तथा अन्य लागू विनियामक अपेक्षाओं का पूर्ण रूप से पालन कर रही है।

सेबी विनियम एवं कार्पोरेट शासन से संबंधित लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अंतर्गत कार्पोरेट शासन के उपबंधों के अनुपालन का प्रमाण पत्र निदेशक रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

लोक केन्द्रित संगठन की दिशा में अग्रसर

हम अपने कर्मचारियों को अपनी अत्यंत मूल्यवान सम्पति मानते आए हैं। तदनुसार, हम उनके विकास एवं उनकी समृद्धि के लिए निरंतर क्रियाएं करते हैं। हम संलिप्त एवं सक्षम कर्मचारियों से युक्त उत्तम कार्य संस्कृति का निर्माण एवं उसका अनुरक्षण करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हमारे मूल्य, हमारे अग्रक व्यवहार, एवं प्रबंधन के मध्य संयुक्त परामर्श से निर्मित्त सहकार्यता युक्त कार्य संस्कृति अत्यंत प्रबल है। हम अपने कार्यबल में नवोपाय एवं विकास के कार्यों में सक्षम नए प्रतिभाशाली व्यक्तियों को जोड़कर कार्यबल का नियमित विस्तार करने में विश्वास रखते हैं। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार हमारे मानव संसाधन में कुल जनशक्ति 1369 है। नए नियोजित किए गए कर्मचारियों की संख्या 64 है।

इसके अलावा, हम अपने कर्मचारियों के विकास एवं व्यावसायिक प्रगति पर भी बल देते हैं। प्रबंधन दल द्वारा नियमित रूप से ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जो सुधार एवं उत्पादकता के लिए निर्देशित हैं। अपने ऐसे सभी प्रयासों से हमारा लक्ष्य इरकॉन को एक लोक–केन्द्रित एवं लोक–चालित संगठन का स्वरूप प्रदान करना है।

सूचना प्रौद्योगिकी

पारदर्शिता पर बल देते हुए वर्ष के दौरान अनेक प्रयास करके फाइलों का रखरखाव भौतिक रूप से करने के स्थान पर फाइलों एवं नोट शीटों की मूवमेंट एवं अनुमोदन की व्यवस्था राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) अर्थात इलैक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के पेपर मुक्त, ई–ऑफिस सिस्टम को अपनाकर की गई है। कई पहलों को क्रियान्वित किया गया है। रिक्त पदों, भर्तियों, ई–प्रापण एवं निविदाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं से संबंधित सम्पूर्ण ब्यौरा कर्मचारियों के उपयोग हेतु, कर्मचारी सेवा पोर्टल, निरीक्षण कॉल पंजीकरण और स्थिति आदि सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अपने कार्य कौशल में सुधार लाने तथा संगठन में प्रापण की प्रकिया में पारदर्शिता लाने के लिए ई–प्रापण प्लेटफार्म को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा विकसित जीईपीएनआईसी में स्थानांतरित किया गया है। वर्तमान में कम्पनी संगठन में एंड टू एंड व्यावसायिक प्रकियों को कवर करने के लिए एसएपी एस/4 एचएएनए के कार्यान्वयन की प्रकिया कर रही है।

भविष्य के प्रति दृष्टिकोण

आगे बढ़ते हुए, हम अपनी शक्तियों एवं अवसरों को प्रबल बनाकर बाजार नेतृत्व की अपनी स्थिति को बनाए रखने एवं इसे पोषित करने के लक्ष्य को अपने साथ लेकर बढ़ रहे हैं। अपने अनुभवी प्रबंधन दल एवं अपनी कुशल जनशक्ति की सहायता के साथ हमें पूर्ण विश्वास है कि हम भारतीय एवं विदेशी बाजारों में उच्च गुणवत्ता वाली परियोजनाओं का निष्पादन सफलतापूर्वक कर सकेंगे। हमारी मंशा उद्योग घटकों में विविधता को बनाए रखने तथा विदेश से और अधिक आर्डर प्राप्त करने की अपनी रणनीति को जारी रखने की है। हमारा लक्ष्य अपने लाभ मार्जिन को सुदृढ़ बनाने एवं अपनी नकदी स्थिति को सुविधाजनक बनाने के साथ साथ सेक्टरों एवं भौगोलिक क्षेत्रों में विविधता स्थापित करना है, जिससे हमारे परिचालनात्मक निष्पादन में योगदान प्राप्त हो सकेगा इसके अलावा, हमारी मंशा, अपनी सभी प्रक्रियाओं एवं सिस्टम में सुदृढ़ ईएसजी (पर्यावरणीय, सामाजिक एवं शासन) संस्कृति का अनुरक्षण करने एवं वैश्विक उत्तम व्यवहारों को अंगीकार करने की है। इरकॉन ने नेशनल इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड (एनआईआईएफएल) के साथ इरकॉन की विद्यमान एवं भावी परियोजनाओं में सहकार्यता के लिए समझौता ज्ञापन किए हैं। एक समझौता ज्ञापन नेशनल इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड (एनआईआईएफएल) एवं आयना रिन्युएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड (एवाईएएनए) के साथ भी सौर ऊर्जा सेक्टर में अवसरों के अंवेषण तथा सहकार्यता के लिए भी किया गया है। कम्पनी ने भारत तथा विदेश में पोर्टों, बंदरगाहों, पुल सुरंगों, मैट्रो रेल जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक लाभकारी व्यवसाय अवसरों में सहकार्यता एवं संयुक्त निष्पादन के लिए लार्सन एंड टूब्रो (एल एंड टी) के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इरकॉन ने बीईएमएल लिमिटेड के साथ बीईएमएल द्वारा निर्मित रोलिंग स्टॉक की ऐसे देशों में आपूर्ति एवं अनुरक्षण के लिए, जहां बीईएमएल एवं इरकॉन समान हित हैं तथा उपस्थिति है, सहित रेलवे परियोजनाओं के निर्वाह के लिए भी सहकार्यता के लिए समझौता ज्ञापन किया गया है। रेल मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं, जिनमें उच्च गुणवत्ता वाली सरकारी परियोजनाओं के सम्पादन के अपार अवसर उपलब्ध हैं, के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा, कम्पनी सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन एवं मैट्रो रेल जैसी प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के अनुकूलन के लिए अतिरिक्त अवसंरचना विकास अवसरों का अंवेषण कर रही है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के माध्यम से ग्रामीण सड़कों को आबादियों से जोड़ने की भारतीय राज्यों की राजमार्ग परियोजनाओं, रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के कार्यों में भी अवसरों की खोज की जा रही है। साथ ही साथ कम्पनी द्वारा नए व्यावसायिक अवसरों के अंवेषण के लिए विभिन्न रणनीतिक समझौता ज्ञापन किए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पर इरकॉन बांग्लादेश तथा श्रीलंका जैसे देशों में अपनी अवसंरचना परियोजनाओं के कार्य तीव्र गति से कर रही है। कम्पनी अफ्रीकी देशों की रेलवे एवं राजमार्ग परियोजनाओं के कार्य भी कर रही है। इरकॉन द्वारा आरजैडडी इंटरनेशनल, जो रूसी रेलवे कम्पनी के स्वामित्व की सरकारी कम्पनी है, के साथ एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमेरिका में रेलवे एवं अवसंरचना परियोजनाओं के संयुक्त विकास के लिए अवसर तलाश करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। मलेशिया की रेलवे, राजमार्ग एवं भवन परियोजनाओं में व्याप्त अवसरों का दोहन करने के लिए मैसर्स एपेक्स कम्युनिकेशन बेरहाद, मलेशिया के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है।

आभारोक्ति

अंत में, मैं निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा स्टेकधारकों उनके अनवरत सहयोग एवं इरकॉन में उनकी निष्ठा के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं अन्य अनिवार्य सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों के साथ साथ डाक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, नगरपालिका के अधिकारियों/ कर्मचारियों, सेना एवं पुलिस, का भी हृदय से आभार करना चाहूंगा। मैं मुक्त हृदय से भारत सरकार, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों एवं विभागों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी), सांविधिक लेखापरीक्षकों, लागत लेखापरीक्षकों एवं साचिविय लेखापरीक्षकों के प्रति भी उनसे प्राप्त सहायता के लिए धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। मैं कम्पनी में प्रत्येक स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा किए गए उत्तम कार्य की प्रशंसा करते हुए उनकी प्रतिबद्धता एवं कड़ी मेहनत के लिए आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि इसी के बलबूते पर हमारी कम्पनी को एक और वर्ष मे सफलता हासिल हुई है।

शुभकामनाओं सहित,

ह/–

(एस.के.चौधरी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनांक : 31.08.2020

स्थान : नई दिल्ली

निदेशक मंडल

श्री सुनील कुमार चौधरी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री सुनील कुमार चौधरी (डीआईएनः00515672) हमारी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से विज्ञान (सिविल इंजीनियरिंग) विषय में स्नातक शिक्षा एवं भारतीय प्रौद्योगिकी विभाग, दिल्ली से प्रौद्योगिकी विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। उनके पास भारतीय विधि संस्थान से प्राप्त वैकल्पिक विवाद समाधान विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है।

उन्हें 38 वर्ष का अनुभव प्राप्त है। पूर्वकाल में वे राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (इंडिया) लिमिटेड तथा आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड जैसी कम्पनियों के निदेशक मंडल के सदस्य रहे हैं। उन्हें परियोजना के विभिन्न घटकों अर्थात परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी), ईपीसी अनुबंध एवं स्थावर सम्पदा बाजार की परियोजनाओं के कार्यान्वयन / निष्पादन एवं मॉनीटरिंग के क्रियाकलापों का अनुभव होने के साथ साथ सिविल निर्माण की परियोजनाओं में नई प्रौद्योगिकियों की कमीशनिंग, प्रवर्तन एवं समावेशन प्रचालन एवं अनुरक्षण, भारतीय एवं विदेशी बाजारों में व्यवसाय विकास, परियोजना वित्तीयन, आवास एवं अवसंरचना परियोजनाओं की मॉनीटरिंग का अनुभव प्राप्त है। उन्होंने रेलवे, हवाईअड्डे, फ्लाईओवर एवं पुलों इत्यादि जैसी अवसंरचना परियोजनाओं का संचालन भी किया है। इरकॉन के निदेशक मंडल में वे 29 अक्तूबर, 2016 से है तथा कम्पनी के समग्र परिचालनों में उनकी भूमिका अग्रणी है।

उन्हें दिल्ली कालेज ऑफ इंजीनियरिंग की डीसीई–डीटीयू अलुमनी एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2017 में ''डिस्टिंग्युशड अलुमनी'' का पुरस्कार, वर्ष 2018 में उद्योग रत्न पुरस्कार, इंस्टीट्यूट ऑफ इकॉनोमि स्टडीज (आईईएस) अवार्ड, श्रीलंका, ईटी नाव : स्टार ऑफ इंडस्ट्री अवार्ड, ईटी नावः वर्ल्ड कांग्रेज अवार्ड एवं वर्ष 2019–20 में पीएसयू गवर्नेंस नाव अवार्ड प्राप्त है।

हमारी सफलता हमारी सुदृढ़ प्रतिबद्धता एवं निदेशक मंडल से अनवरत प्राप्त दिशानिर्देशन का प्रतिफल है।

श्री मुकेश कुमार सिंह

निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी

श्री मुकेश कुमार सिंह (डीआईएन:06607392) हमारी कम्पनी में निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) हैं। वे कला (आनर्स – गणित) विषय में स्नातक, कला (गणित) विषय में दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री प्राप्त, इग्नु से एम.फिल (गणित) तथा वित्त प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त हैं। वे भारतीय रेलवे लेखा सेवा (आईआरएएस) के 1990 बैच के अधिकारी हैं।

इरकॉन में सेवा प्रारम्भ करने से पूर्व वे पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर में एफए एवं मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर तैनात थे। उन्होंने रेल विकास निगम लिमिटेड (प्रतिनियुक्ति पर) में महाप्रबंधक (वित्त) के पद पर लगभग 4 वर्ष कार्य किया है। उन्हें रेलवे, व्यय, निर्माण संगठन, सांविधिक लेखापरीक्षकों से संव्यवहार (सी एंड एजी) इत्यादि जैसे लेखांकन एवं वित्त मामलों की देखरेख का अनुभव प्राप्त है। इसके अलावा पैन–इंडिया आनलाइन एकाउंटिंग पैकेज सिस्टम एवं रेलवे की वित्त एवं लेखा के कम्प्युटराइजेशन की दो प्रमुख टीमों में सदस्य के रूप में कार्य करने के साथ साथ रेलवे व्यवस्था के जोनल मुख्यालय एवं डिवीजनों के अन्य रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम (आरडीबीएमएस) लेखांकन पैकेजों का अनुभव प्राप्त है। वे इरकॉन के निदेशक मंडल में 1 मई, 2016 से हैं। वे रेल मंत्रालय पुरस्कार (1998 में), महाप्रबंधक पुरस्कार (2004) इत्यादि जैसे विभिन्न पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं।

श्री योगेश कुमार मिश्रा

निदेशक (कार्य)

श्री योगेश कुमार मिश्रा (डीआईएन : 07654014) हमारी कम्पनी में निदेशक (कार्य) हैं। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली से बी.टैक, सिविल इंजीनियरिंग हैं।

वे 1987 बैच के भारतीय रेलवे इंजीनियर्स सेवा (आईआरएसई) अधिकारी हैं तथा हमारी कम्पनी में सेवा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने रेलवे में 31 वर्ष तक कार्य करके समृद्ध एवं विभिन्न अनुभव प्राप्त किए हैं। उन्हें टर्नकी रेलवे एवं राजमार्ग परियोजनाओं में परियोजना विकास एवं परामर्श का अनुभव प्राप्त है जिसके अंतर्गत विस्तृत सर्वेक्षण, डिजाइन संरेखन, सुरंगें, पुल इत्यादि के कार्य किए जाते हैं। इरकॉन में उन्होंने पूर्वकाल में कार्यपालक निदेशक (कार्य) के पद पर कार्य किया है। इरकॉन के निदेशक मंडल में वे 28 दिसम्बर, 2018 से सदस्य हैं।

श्री श्याम लाल गुप्ता

निदेशक (परियोजना)

श्री श्याम लाल गुप्ता (डीआईएन : 07598920) हमारी कम्पनी में निदेशक (परियोजना) हैं। वे रूड़की विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री प्राप्त हैं तथा उन्होंने स्कूल ऑफ प्रोफेशनल एंड एक्जीक्यूटिव एजुकेशन (एसपीईईडी), एशिया ई यूनिवर्सिटी से परियोजना प्रबंधन विज्ञान में एक्जीक्यूटिव मास्टर पूरी की है।

इरकॉन में वे वर्ष 2006 से कार्य कर रहे हैं तथा इससे पूर्व उन्होंने भारतीय रेलवे में 28 वर्ष सेवा की है। उन्हें अवसंरचना सेक्टर का अनुभव प्राप्त है तथा उन्होंने भारतीय रेलवे में विभिन्न पदों पर कार्य किए हैं। वे निदेशक (परियोजना) के पद पर नियुक्ति से पूर्व इरकॉन में कार्यपालक निदेशक (सामान्य) थे। उनके सुपरवीजन में श्रीलंका में अनेक परियोजनाएं समय पर पूरी की जा चुकी हैं। इरकॉन के निदेशक मंडल में वे 1 नवम्बर, 2019 से सदस्य हैं।

श्री अशोक कुमार गंजु

स्वतंत्र निदेशक

श्री अशोक कुमार गंजु (डीआईएन : 07014589) हमारी कम्पनी में स्वतंत्र निदेशक हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से विज्ञान (सिविल इंजीनियरिंग) विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त की है तथा वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से प्राप्त प्रौद्योगिकी (जल संसाधन) विषय पर मास्टर डिग्री के धारक हैं। उन्होंने आईएचई डेल्फ़्ट इंस्टीट्यूट फार वाटर एजुकेशन, नीदरलैंड से हाइड्रोलिक के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी प्राप्त किया है।

वर्तमान में वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जल संसाधन विकास की परियोजनाओं में परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वे भारत सरकार में पदेन अपर सचिव थे तथा वर्ष 2012 में वे केन्द्रीय जल आयोग में सदस्य, डिजाइन एवं अनुसंधान के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वे पटना में मई, 2010 से अगस्त 2011 तक अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के पद पर कार्य कर चुके हैं। उन्हें जल संसाधनों के विकास, बाढ़ प्रबंधन, हाइड्रो एवं थर्मल परियोजनाओं, परियोजना प्राधिकारियों एवं ठेकेदारों के मध्य विवादों के समाधान तथा निर्माण से जुड़ी समस्याओं पर परामर्श का अनुभव प्राप्त है। इरकॉन के निदेशक मंडल में सदस्य के पद पर वे 8 मार्च, 2018 से सेवाएं दे रहे हैं।

डा. नरिन्द्र सिंह रैना

स्वतंत्र निदेशक

डा. नरिन्द्र सिंह रैना (डीआईएन:07968391) हमारी कम्पनी में स्वतंत्र निदेशक हैं। वे डा. यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टिकल्चर एवं फोरेस्ट्री से विज्ञान (वानिकी) विषय में स्नातक डिग्री के धारक हैं। उन्हें डा. यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टिकल्चर एवं फोरेस्ट्री से डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी (वानिकी) की मास्टर डिग्री भी प्राप्त है। वे जम्मू व कश्मीर के वन विभाग में ग्रेड 1 रेंज अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे हैं तथा उसके पश्चात वे शेर–ए–कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीक्लचर साइंसेज एंड टैक्नोलॉजी में एग्रोफोरेस्ट्री विषय के सहायक प्रोफेसर रहे हैं। इरकॉन के निदेशक मंडल में वे सदस्य के रूप में 17 अक्तूबर, 2017 से सेवाएं दे रहे हैं।

श्री आशुतोश गंगल

सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री आशुतोष गंगल (डीआईएन:07057313) को इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलैक्ट्रिल इंजीनियर्स, जमालपुर (आईआरआईएमईई) से मैकेनिकल एवं इलैक्ट्रिक्ल इंजीनियरिंग की स्नातक डिग्री प्राप्त है तथा वे भारतीय रेलवे इंजीनियर्स सेवा में 1983 बैच के अधिकारी हैं। रेलवे में कार्य का उन्हें 35 वर्ष का समृद्ध एवं विविध अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वे रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार में परामर्शदाता (योजना) के पद पर कार्य करते हुए वे निवेश एवं निष्पादन को प्राथमिकता दिए जाने सहित रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं के लिए योजना एवं बजट के कार्य देख रहे हैं। वे रेलवे बोर्ड की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजनाओं के समन्वयक भी हैं। उनके द्वारा किए गए पूर्व कार्यों में पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर में प्रधान मुख्य मैकेनिकल इंजीनियर; मध्य रेलवे, मुम्बई में वरिष्ठ उप महाप्रबंधक तथा वडोदरा में मंडलीय रेलवे प्रबंधक; कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में लगभग चार वर्ष की अवधि की प्रतिनियुक्ति का सीमित कार्यकाल इंटीग्रल कोच फैक्टरी, चैन्ने की फर्निशिग डिवीजन के प्रभारी के रूप में मुख्य कार्यशाला इंजीयर के पद के कार्य हैं। उन्होंनें आरडीएसओ, लखनऊ की व्हीकल डायनामिक्स ग्रुप एंड रिसर्च डायरेक्टेट में भी कार्य किया है। इरकॉन के निदेशक मंडल में वे 27 अगस्त, 2020 से हैं।

श्री हरि मोहन गुप्ता

सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री हरि मोहन गुप्ता (डीआईएन : 08453476) को रूड़की विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त है तथा वे भारतीय रेलवे इंजीनियर्स सेवा में 1989 बैच के अधिकारी हैं।

वर्तमान में वे रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार में कार्यपालक निदेशक (कार्य) के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें सामान्य प्रशासन एवं मानव संसाधन प्रबंधन के अलावा ट्रैक अनुरक्षण, ट्रैक मशीन परिचालन, भंडार निविदा व्यवस्था का गहन अनुभव प्राप्त है। अपने वर्तमान कार्यभार से पूर्व वे डेडीकेटिड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) में मुख्य परियोजना प्रबंधक, नोएडा के पद पर प्रतिनियुक्ति के कार्य करते हुए पश्चिम मालभाड़ा कॉरीडोर के रिवाड़ी, दादरी, डेटोर खंडों के कार्यों का उत्तरदायित्व सम्हाल रहे थे। इरकॉन के निदेशक मंडल में वे 15 मई, 2019 से हैं।

डा. सी. बी. वेंकटारमन

स्वतंत्र निदेशक

डा. सी.बी. वेंकटारमन (डीआईएन : 03179171) हमारी कम्पनी में स्वतंत्र निदेशक हैं। वे श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी से वाणिज्य विषय में मास्टर डिग्री, मद्रास विश्वविद्यालय से कला (अर्थशास्त्र) विषय में मास्टर डिग्री तथा जॉन हॉप्किंस स्कूल ऑफ हाइजिन एंड पब्लिक हैल्थ, बाल्टीमोर, एमडी, यूएसए से पब्लिक हैल्थ विषय में मास्टर डिग्री के धारक हैं। उन्होंने शिकागो, यूएसए से यूनिवर्सिटी ऑफ इल्लीनॉयस से पब्लिक हैल्थ विषय में डाक्टरेट भी की है।

वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उन्हें लोक सेवा सेक्टर में कार्य का अनुभव प्राप्त है। इरकॉन के निदेशक मंडल में वे 28 सितम्बर, 2017 से हैं।

वरिष्ठ कार्यपालक

श्री ए.के. गोयल
कार्यपालक निदेशक (परियोजना)

श्री आर.एस. यादव,
कार्यपालक निदेशक (सामान्य)

डा. सुभाष चन्द
कार्यपालक निदेशक (इलैक्ट्रीक्ल)

श्री रामगोपाल
परियोजना निदेशक (मुम्बई)

श्री प्रमोद कुमार सिंह
परियोजना निदेशक (पटना)

श्री शैलेश कुमार सिन्हा
परियोजना निदेशक (कटनी)

समाचारों में इरकॉन

IRCON, NIIFL, Ayana sign solar energy MoU

IRCON INTERNATIONAL, a mini-ratna public sector enterprise, has signed a memorandum of understanding (MoU) with National Investment and Infrastructure Fund (NIIFL) and Ayana Renewable Power (AYANA), an NIIF platform company, to explore and collaborate on opportunities in the solar energy sector. According to the MoU, NIIFL and Ircon will evaluate strategic partnerships across infrastructure projects and have agreed in-principle to identify, bid and execute solar energy projects through joint ventures/consortium arrangements.

IRCON supported Multi Skill Development Training Centre in Khora Colony (Ghaziabad) since 2018-19

The certificate distribution program held on 22.02.20 at S.M.S Public School, Khora Colony, Ghaziabad, showcased the vibrant CSR partnership between Ircon International Limited, Bisnouli Sarvodaya Gramodyog Sewa Sansthan (BSGSS) and the District Administration in skilling and empowering the marginalised women in Khora through sustainable livelihood projects. It is a remarkable achievement that with Ircon's generous support, BSGSS enabled over 88% of the previous batches of beneficiaries to become self-reliant either by job placement or setting up micro-enterprises of their own post completion of training in trades like Cutting and Tailoring, Beauty Culture, Computer Operation and English Speaking.

IRCON and RZD International sign MoU for joint development of Infra projects

Ircon International Ltd has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with RZD International LLC, to explore opportunities for joint development of railways and other infrastructure projects in Asia, Africa and Latin America. According to MoU both parties have agreed to form a joint Indian – Russian working group. This group will look into ways of developing strong partnership to coordinate, plan and subsequently implement projects in field of railways and other infrastructure not only in India but also in countries of mutual interest. Commenting on the MOU S. K. Chaudhary, Chairman & MD, IRCON, said, "IRCON has been constantly looking to establish strong partnership with the companies, wherein we can mutually benefit from our expertise. This MOU is a step towards building a long term business relationship which will help us to enhance our presence in different geographies".

IRCON contributes Rs 20.5 crore to PM Cares Fund

Ircon International Ltd (IRCON) has come forward to provide an additional financial assistance of Rs. 15.5 crore to Prime Minister Cares Fund for fighting COVID-19. This amount is in addition to Rs 5 crore assistance announced earlier. Company's total contribution to PM-CARES Fund now amounts to Rs 20.5 crore, including contribution of Rs 51 lakh by the employees. S. K. Chaudhary, Chairman & Managing Director, IRCON said that the Covid-19 is one of the biggest challenges that our country is facing and it has been unprecedented in its severity. We at IRCON, has always been at the forefront in times of need for the country." IRCON employees have also come forward and supported company's endeavor by donating their one day's salary for this COVID-19 fund. Total amount of Rs 51 lakh was contributed by all employee of Ircon International Ltd.

Ircon International posts 16% rise in March qtr profit

STATE-OWNED ENGINEERING AND construction firm Ircon International on Friday reported a 15.73% rise in its consolidated net profit to ₹115.40 crore for the quarter ended March 31, 2020. Consolidated net profit was ₹99.71 crore in the corresponding period a year ago.

प्रमुख निष्पादन संकेत (स्टेंडएलोन)

पीएटी / ईबीआईटीडीए (रुपए करोड़ में)

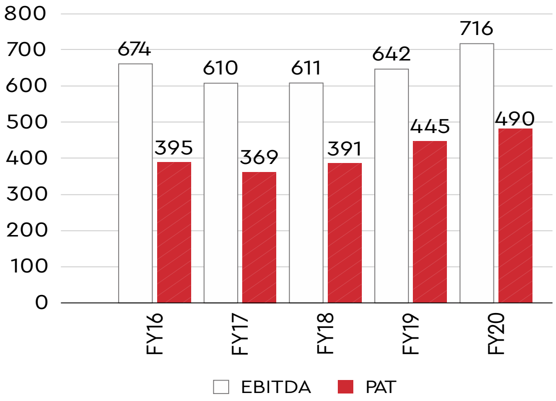

निवल सम्पति (रुपए करोड़ में)

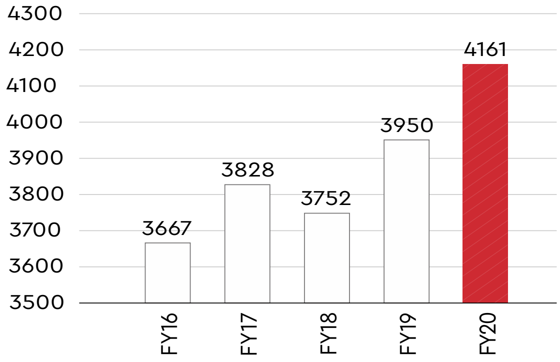

लाभांश (रुपए करोड़ में)

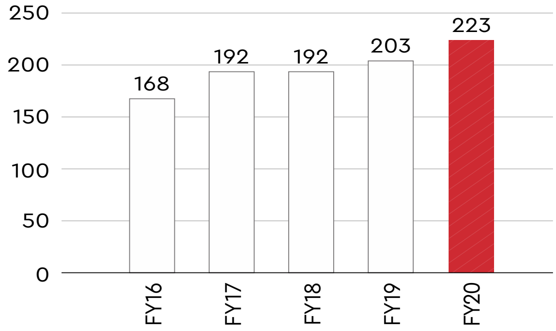

परिचालन राजस्व (रुपए करोड़ में)

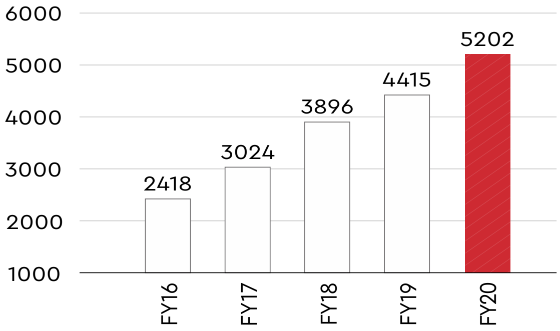

घटक राजस्व (रुपए करोड़ में)

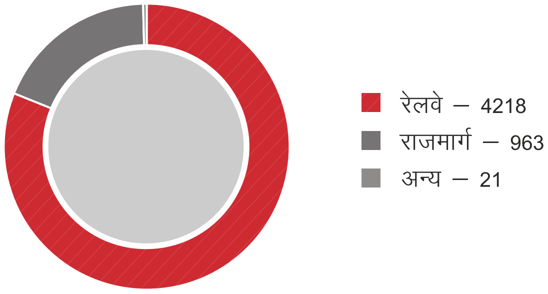

हमारा समनुरूपी विकास हमारी विधिवत निर्मित व्यापार रणनीतियों एवं हमारे निष्पादन में सुधार के प्रयासों के द्योतक हैं।

वित्तीय हाइलाइट (स्टेंडएलोन)

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं..	विवरण	इंड एएस					आईजीएएपी				
		2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
1	परिचालन आय	5,202	4408	3870	2,934	2,418	2,950	4,067	4,232	3,601	3,182
2	जोड़े/घटाएं: एकीकृत संयुक्त उद्यमों की टर्नओवर में कम्पनी का अंशभाग	-	7	26	90	-	89	(9)	(13)	(23)	(7)
3	जोड़ें: एकीकृत संयुक्त उद्यमों की लाभ/(हानि) में कम्पनी का अंशभाग		-	-	-	-	2	(1)	1	2	7
4	**निवल परिचालन आय**	**5,202**	**4,415**	**3,896**	**3,024**	**2,418**	**2,864**	**4,057**	**4,220**	**3,580**	**3,182**
5	अन्य आय	240	264	227	230	442	258	250	251	181	72
6	**आय योग**	**5,442**	**4,679**	**4,123**	**3,254**	**2,860**	**3,122**	**4,307**	**4,471**	**3,761**	**3,254**
7	व्यय (स्टॉक में बढ़त/घटत सहित)	4,735	4,048	3577	2,766	2,222	2,267	3,024	3,412	3,102	2,816
8	परिचालन मार्जिन (पीबीडीआईटी)	707	631	546	488	638	854	1,283	1,059	659	438
9	ब्याज आय	18	4	-	12	8	-	-	-	-	-
10	मूल्यह्रास	16	12	13	18	28	10	34	44	57	37
11	अपरिहार्य मदें	-	-	-	(74)	-	-	-	-	-	-
12	**कर पूर्व लाभ**	**673**	**615**	**533**	**532**	**602**	**844**	**1,249**	**1,015**	**602**	**401**
13	**कर पश्चात लाभ**	**490**	**445**	**391**	**369**	**395**	**579**	**907**	**730**	**470**	**241**
14	वर्ष में लाभांश '	223	203	192	192	168	182	182	148	94	49
15	सामान्य रिजर्व	3,334	3,334	3334	3,334	3,334	3,334	2,971	2,277	1,733	1,372
16	धारित आय	733	517	311	390	318	-	-	-	-	-
17	अन्य व्यापक आय	(4)	(0.32)	9	5	(5)	-	-		-	-
18	विदेश परियोजना राजस्व		-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	अन्य रिजर्व	5	5	4	-	-	-	2	3	-	-
20	योग रिजर्व एवं अतिरिक्त	4,067	3,856	3,658	3,729	3,647	3,334	2,973	2,280	1,733	1,372
21	निवल अचल परिसम्पतियां	271	128	134	137	149	163	170	180	196	244
22	मालसूचियां	321	332	141	139	141	114	119	125	135	165
23	विदेशी मुद्रा आय (निवल)	15	33	64	24	59	418	1,042	822	444	428
24	शेयर पूंजी	94.05	94.05	94.05	98.980	19.796	19.796	19.796	19.796	9.898	9.898
25	नियोजित पूंजी	6,007	6,510	6,952	3,828	3,667	3,354	2,993	2,300	1,743	1,382
26	सरकारी निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	**निवल सम्पति**	**4,161**	**3,950**	**3,752**	**3,828**	**3,667**	**3,354**	**2,993**	**2,300**	**1,743**	**1,382**
28	नियोजित पूंजी में कर पूर्व लाभ (%)	11	9	8	14	16	25	42	44	35	29
29	नियोजित पूंजी में परिचालन मार्जिन (%)	12	10	8	13	17	26	43	46	38	32
30	शेयर पूंजी पर कर पश्चात लाभ (%)	521	473	416	373	1,995	2,924	4,578	3,687	4,747	2,429
31	आय पर व्यय (%)	87	87	87	85	78	73	70	76	82	87
32	कर्मचारियों की संख्या (संख्या)	1,369	1,576	1,622	1,496	1,499	1,472	1,579	1,704	1,703	1,678
33	प्रति कर्मचारी आय	3.98	2.97	2.54	2.18	1.91	2.12	2.73	2.62	2.21	1.94
34	प्रति कर्मचारी विदेशी मुद्रा आय	0.01	0.02	0.04	0.02	0.04	0.28	0.66	0.48	0.26	0.25
35	चालू अनुपात	1.15	1.32	1.66	2.02	1.99	1.72	1.81	1.61	1.47	1.53
36	नामे/इक्विटी अनुपात	0.44	0.65	0.85	-	-	-	-	-	-	-
37	निवेश	1,469	1,314	1,201	1,223	743	737	494	295	208	185

टिप्पणी :

** 28 से 31 प्रतिशत में उल्लिखित हैं

*** 32,35 एवं 36 करोड़ रूपए में उल्लिखित नहीं हैं।

हमारे पुरस्कार एवं मान्यताएं

गोल्डन पिकॉक अवार्ड
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए

7वां पीएसयू गवर्नेंस नॉव अवार्ड
इंक्रीजिंग जियो–स्ट्रैटेजिक रीच अवार्ड

7वां फिक्की क्वालिटी सिस्टम एक्सीलेंस अवार्ड फार इंडस्ट्री
गुणवत्ता सिस्टम में उत्तम व्यवहार के लिए

इंस्टीट्यूट ऑफ ईकोनॉमी स्टडीज अवार्ड (आईईएस), श्रीलंका
इरकॉन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को उत्कृष्ट वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार

गोल्डन पिकॉक अवार्ड
जोखिम प्रबंधन के लिए

16वां आईसीएमएआई नेशनल अवार्ड फार एक्सीलेंस इन कास्ट मैनेजमेंट
अवसंरचना एवं निर्माण सेवाएं (प्रथम स्थिति)

ईटी नॉव : स्टार ऑफ इंडस्ट्री अवार्ड

टेलेंट लीडरशिप अवार्ड – फार एक्सीलेंस इन एचआर (आर्गेनाइजेशनल अवार्ड)

इरकॉन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सीईओ विद एचआर ओरिएंटेशन अवार्ड

> हमारे निष्पादन के प्रति अनेक विख्यात संस्थानों द्वारा अवार्ड एवं सराहनाओं के माध्यम से मान्यता प्रदान की गई है।

7वां पीएसयू गवर्नेंस नॉव अवार्ड

सीएमडी इरकॉन को पीएसयू नेतृत्व पुरस्कार

स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट

क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए (एचआरएम)

ईटी नॉव : वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार

सीएमडी इरकॉन को व्यवसाय नेतृत्व पुरस्कार

स्कॉच ऑफ आर्डर मेरिट

एनटीसी मशीन से पटरी बिछाने की प्रक्रिया के अनुरक्षण के लिए

ईटी नॉव : वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस पुरस्कार

राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार

स्कॉच ऑफ आर्डर मेरिट

शिवपुरी –गुना राजमार्ग परियोजना के लिए

हमारे व्यवसाय का विहंगावलोकन

आखिर इरकॉन की सुदृढ़ता साध्यात्मकता क्यों है?

हमारा परिचय

हम एकीकृत इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी हैं, जिसे रेलवे, राजमार्गों, पुलों, फ्लाईओवर, सुरंगों, विमान अनुरक्षण हैंगर, रनवे, ईएचवी सबस्टेशन, विद्युत और यांत्रिक कार्यों, वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास व अन्य, आधारभूत अवसंरचना के क्षेत्रों सहित प्रमुख अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्तव है। हम विभिन्न आधारभूति अवसंरचना परियोजनाओं के लिए निश्चित राशि के आधार पर और साथ ही मद–दर आधार पर ईपीसी सेवाएं प्रदान करते हैं। इरकॉन भावी आमदनियों को बनाए रखने के लिए कंपनी की वित्तीय सुदृढता का लाभ प्राप्त करके निर्माण, प्रचालन और अंतरण (बीओटी) / हाइब्रिड एन्युटी मोड (एचएएम) परियोजनाओं पर भी कार्य करती है।

मार्गदर्शक के रूप में इरकॉन

इरकॉन ही एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धा बोली, लागत प्रभाव्यता के मंत्र का उपयोग कर रहा है। रेलवे परियोजनाओं का टर्नकी आधार अथवा अन्यथा रूप से निष्पादन करने की विशेषज्ञता के साथ हम देश की सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कम्पनियों परिवहन क्षेत्र में नेतृत्व की दीर्घकालिक साख हमें प्राप्त है। हम निष्पादन में गुणवत्ता पूर्ण समाधानों, प्रतिबद्धताओं एवं अनुकूलता के लिए जाने जाते हैं।

हमारा इतिहास

हमने पिछले 44 वर्षों के दौरान अंतर्देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उल्लेखनीय निर्माण परियोजनाओं का निष्पादन किया है।

कम्पनी द्वारा सेक्टर एवं भौगोलिक कवरेज के दोनों क्षेत्रों के संदर्भ में विविधतायुक्त अवसंरचना कम्पनी का स्वरूप धारण करने की ओर सक्रिय रूप से कार्य किए जा रहे हैं। रेलवे निर्माण कम्पनी के व्यवसाय प्रारंभ करने के पश्चात से कम्पनी निर्माण क्रियाकलापों एवं अवसंरचना सेवाओं के पूर्ण विस्तार में वर्ष 1985 से क्रमिक रूप से विविधता स्थापित कर रही है; तथापि कम्पनी की प्रमुख रूचि एवं इसकी शक्ति अभी भी रेलवे सेक्टर के कार्यों में गहरी बनी हुई है।

जब प्रौद्योगिकी जटिल होती है और परियोजनाएं किसी दूर दराज के क्षेत्र में की जाने होती है तो इरकॉन इसके लिए सबसे आगे है – वर्ष 1983 में हमने इराक में एक परियोजना का निष्पादन किया था; स्वतंत्रता के पश्चात कपूरथला में पहली वर्कशाप, आधुनिक भारत में आज की सिवोक रंगपो जैसे अनेक परियोजनाओं का निष्पादन किया है। हम न केवल राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित हुए अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 25 देशों में अपने कार्य का विस्तार किया है।

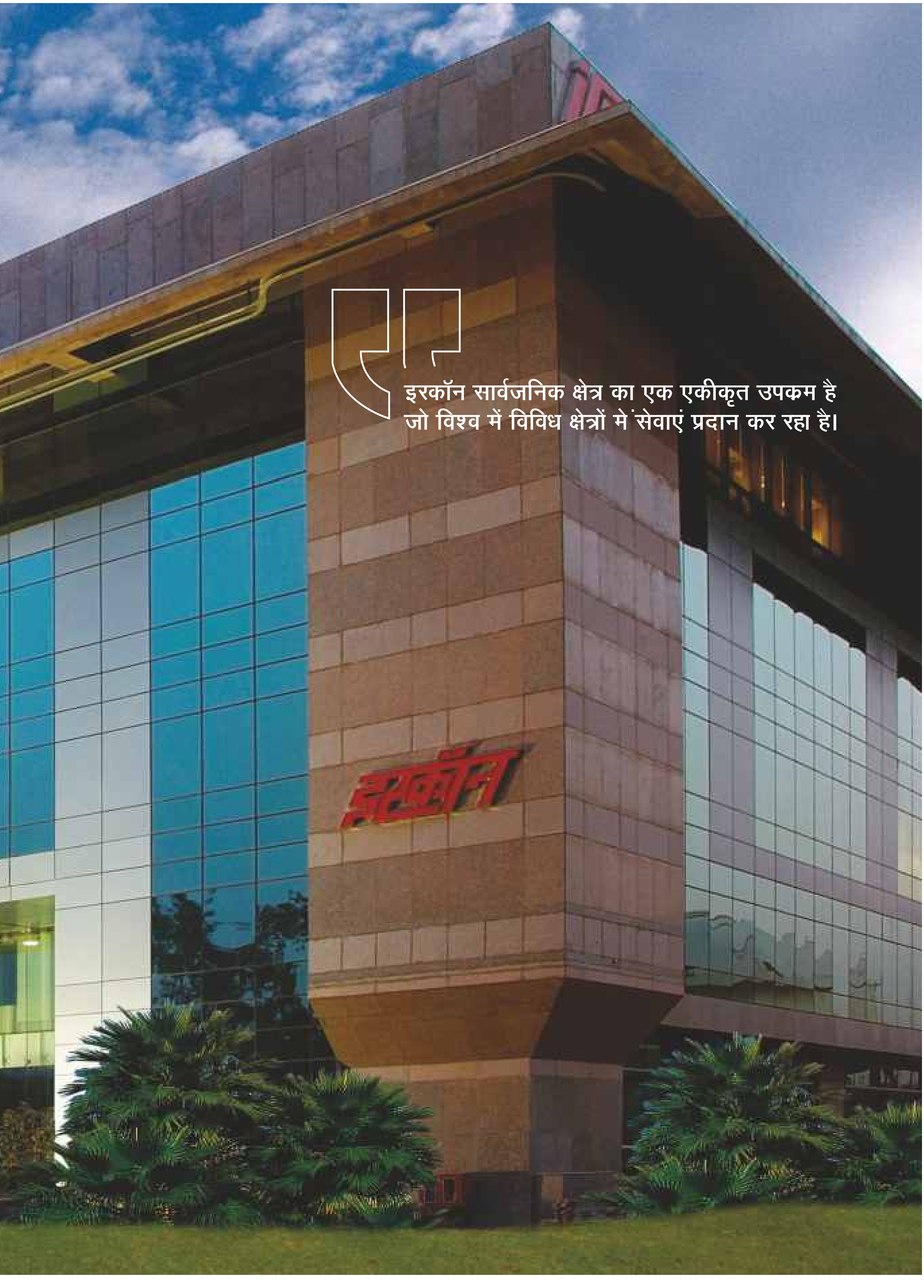

इरकॉन सार्वजनिक क्षेत्र का एक एकीकृत उपक्रम है जो विश्व में विविध क्षेत्रों मे ंसेवाएं प्रदान कर रहा है।

हमारे व्यवसाय का विंहगावलोकन

हमारा सेवा पोर्टफोलियो

इंजीनियरिंग, प्रापण एवं निर्माण (ईपीसी)

हम ईपीसी परियोजनाओं के पूर्ण विस्तार में संकल्पना से कमीशनिंग तक पूर्ण रेंज वाली सेवाएं प्रदान करते हैं। हमारे द्वारा रेलवे, राजमार्गों, सुरंगों, रोड ओवर ब्रिज, प्रमुख नदियों के ऊपर रेल एवं सड़क पुल, हवाईअड्डा हैंगर एवं रनवे, मैट्रो, भवन, अत्यधिक उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन वाली लाइनें तथा ग्रिड सब–स्टेशन, औद्योगिक विद्युतिकरण, सिग्नलिंग एवं दूरसंचार व्यवस्थाएं एवं अन्य अनेक ऐसी परियोजनाओं का निष्पादन किया गया है जिसमें अत्यधिक जटिलता एवं परिष्करण से कार्य किए जाने अपेक्षित थे।

निष्पादन के चरण से लेकर सफलतापूर्वक कमीशनिंग तक हम डिजाइन, इंजीनियर्स, तकनीकी स्टाफ, परियोजना प्रबंधन कार्मिक एवं अपने उपकरणों के विशाल बेड़े के साथ सेवाएं प्रदान करते हैं।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)

हम रेलवे सेक्टर की सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं की श्रेणी में संयुक्त उद्यम मॉडल के अंतर्गत राज्य सरकार तथा अन्य स्टेकधारकों के साथ डीबीएफओटी पैटर्न के अनुसार टोल, वार्षिक व्यवस्था, एवं मिश्रित वार्षिक व्यवस्था के आधार पर सेवाएं प्रदान करते हैं। इस प्रकार की परियोजनाओं के निष्पादन एवं समय पर इन्हें पूरा करने के लिए हमारे पास वित्तीय क्षमता के साथ साथ अनुभवी डिजाइनरों, तकनीकी कार्मिकों एवं कुशल परियोजना प्रबंधन व्यावसायिकों के समूह उपलब्ध है।

परियोजना प्रबंधन एवं परामर्श (पीएमसी)

हम परियोजना की योजना से कमीशनिंग तक के पूर्ण विस्तार में परियोजना, प्रबंधन एवं परामर्श की वृहद रेंज की व्यापक सेवाएं प्रदान करते हैं। परियोजना, प्रबंधन एवं परामर्श की ये सेवाएं रेलवे साइडिंग, राजमार्गों, रेलवे, एवं रोड ओवर ब्रिज्स, भवन सहित अन्य कार्य या तो हम स्वयं करते हैं या ये सेवाएं हमारे पूर्ण स्वामित्व वाली 'इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉनआईएसएल) के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। परियोजना प्रबंधन, गुणवत्ता प्रबंधन एवं अनुबंध प्रबंधन की हमारी समर्पित टीमों के विशेषज्ञ अवसंरचना सेक्टर के पीएमसी कार्यों का संपादन करते हैं।

स्थावर सम्पदा (आरई)

हम विकास, निर्माण एवं कार्यालय के स्थावर स्थल के पट्टे एवं वाणिज्यिक स्थावर सम्पति के विकास कार्य करते हैं।

हमारे प्रमाणन

हम गुणवत्ता, पर्यावरण, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था के लिए मान्यताप्राप्त आईएसओ, अनुसूची 'क' एवं मिनी रत्न वर्ग में सार्वजनिक क्षेत्र की सूचीबद्ध कम्पनी हैं। केयर रेटिंग द्वारा इरकॉन के लिए दीर्घकालिक बैंक सुविधा के संबंध में केयर एएए; स्टेबल/केयरए1+ होने की पुष्टि की गई है।

हमारे मूल्य उत्पति मॉडल

इरकॉन में हम अपनी प्रारंभिक प्रक्रियाओं में मूल्यवान संसाधनों तथा अपने प्रचालनों एवं प्रमाणित अनुभव के उपयोग से हम आउटपुट की उत्पति करते हैं जिससे स्टेकधारकों एवं समाज के लिए मूल्यों की उत्पति हो पाती है।

हमारे संसाधन

हम विश्व श्रेणी की परियोजनाओं की डिलीवरी के लिए उत्तम गुणवत्ता वाले संसाधनों का उपयोग करते हैं।

मानव पूंजी

1,369 कार्यबल शक्ति
68 महिला कर्मचारी
9.9% संघर्शण दर

वित्तीय शक्ति

₹5,202 करोड़ परिचालन राजस्व वित्तीय वर्ष 2020 के लिए
₹769.04 करोड़ रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य
17.83% वर्ष की तुलना में वर्ष में राजस्व वृद्धि
9% कर पश्चात लाभ मार्जिन

कच्चा सामान एवं उपकरण

हम शीर्ष स्तर के उप–ठेकेदारों को नियुक्त करते हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि कच्चा समान कड़ाई के साथ विशिष्टताओं के अनुरूप हो! हम निर्माण की कुशलता और तीव्र समापन हेतु आधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं!

विभिन्न उप ठेकेदार

1,424 मशीनरी

प्रोद्योगिकी एवं नवोपाय

हम स्वयं को अद्यतन औद्योगिक विकास के प्रति अद्यतन रखते हैं। हम नवीनतम डिजीटल नवोपायों का उपयोग भी कर रहे हैं।

प्राकृतिक साधन

हमने उत्तम पर्यावरणीय एवं संवहनीय व्यवहारों को अंगीकार किया है। विकास के लिए यूएन एसडीजी के साथ हमने संरेखन किया है।

हमारे विकास वाहक

हमारे विकास की उत्प्रेरण अनेक कारकों से हुई है जो हमें बाजार के नेतृत्व की शक्ति देते हैं।

विविधतायुक्त सेक्टर एवं वैश्विक उपस्थिति

हम विविध अवसंरचना सेक्टरों में विविधता सम्पन्न हैं। हम विभिन्न उद्योगों को निर्माण एवं अवसंरचना विकास की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। भौगोलिक कवरेज के अनुसार हमने 25 देशों में परियोजनाएं निष्पादित की हैं।

वित्तीय निष्पादन एवं क्रेडिट प्रोफाइल

हमारा क्रेडिट प्रोफाइल अत्यंत सुदृढ़ है जिसमें गैर–निधि आधारित स्टैंडबाई बैंक सीमा ₹ 3,850 करोड़ है। हमारी वित्तीय स्थिति की विशिष्टता हमारे अच्छे लाभ मार्जिन एवं श्रेयस्कर रोकड़ स्थिति से आंकी जा सकती है।

आर्डर बुक एवं निष्पादन

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार हमारी आर्डर बुक ₹ 30,713 करोड़ थी जो हमारे कुल परिचालन राजस्व से लगभग 6 गुणा है। परियोजनाओं के तीव्रता निष्पादन एवं समय पर आपूर्तियों से अपने ग्राहकों के लिए हम पसंदीदा अवसंरचना पार्टनर बन गए हैं।

विषेशज्ञों का पुल

हमारा कार्य कुशल प्रतिभाशाली पुल एवं हमारा प्रमाणित प्रबंधन दर हमारे आधार स्तम्भ हैं जिससे हमें संगठनात्मक सफलता प्राप्त हुई है।

निष्पादन एवं लाभप्रदत्ता

अब तक इरकॉन द्वारा 518 परियोजनाओं की सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई है। ₹30,713 करोड़ मूल्य की आर्डर बुक के साथ हमारी 40 परियोजनाएं आन–गोइंग हैं। 80 प्रतिशत से अधिक हमारा राजस्व रेल उद्योग से उत्पन्न होता है।

इरकॉन के वित्तीय निष्पादन के बारे में और जानकारी के लिए पृष्ठ 43 देखें।

कार्यबल

एक प्रगतिशील संगठन के रूप में इरकॉन अपने कार्य बल को अपनी अत्यधिक महत्वपूर्ण सम्पति अर्थात मानव पूंजी मानता है। हमारा मानव संसाधन प्रबंधन हमारे कर्मचारियों से संबंधित नीतियों एवं व्यवस्थाओं की ओर प्रमुख रूप से ध्यान देता है। हमारी नीतियों एवं प्रयासों का निर्माण संगठनात्मक रणनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कर्मचारी निष्पादन में संवर्धन के विचार से किया गया है।

इरकॉन की मानव पूंजी के बारे में और जानकारी के लिए पृष्ठ 30 देखें।

समुदाय

पर्यावरणीय एवं सामुदायिक विकास के प्रति अपना योगदान प्रदान करने का इरकॉन का अपना एक इतिहास है। हम कार्पोरेट सामाजिक दायित्वों एवं संवहनीयता के लिए वर्ष 2010–11 से निरंतर योगदान दे रहे हैं। हमारा सामाजिक दृष्टिकोण हमारे कार्पोरेट सामाजिक दायित्वों का निष्पादन सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता के माध्यम से अपने व्यवसाय संचलित करने की नीति के अनुसार विभिन्न क्रियाकलापों पर ध्यान केन्द्रित करके अपने प्रमुख स्टेकधारकों की आवश्यकताओं एवं प्रत्याशाओं के अनुसार किया जाता है।

इरकॉन की मानव पूंजी के बारे में और जानकारी के लिए पृष्ठ 34 देखें।

सेवा एवं विषेशज्ञता

हमारा ग्राहक आधार

वर्तमान में हमारे 44 ग्राहक हैं जिनमें से 14 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तथा 30 भारतीय बाजारों में हैं।

हमारी आउटपुट

अपने संसाधनों एवं अपने विकास के साथ हम नई अपेक्षाओं के फल प्राप्त करते हैं।

निष्पादन एवं लाभप्रदत्ता

हमारे पोर्टफोलियों में 128 सफल परियोजनाएं, 40 आन–गोइंग परियोजनाएं है।

वृद्धितर लाभप्रदत्ता मार्जिन एवं परिवर्धित परिचालन एवं सेगमेंट राजस्व उन्नत प्रौद्योगिकी

एवं कार्य कुशल प्रगति उन्मुख निर्माण विधियों से हमें प्रतिस्पर्धी स्थिति प्राप्त है।

कार्य बल

समर्पित, कौशल युक्त एवं उच्चतर सक्षम कर्मचारी, रोजगार संवर्धन को प्रोत्साहित करके लोगों

के जीवन एवं संरक्षित वातावरण का निर्माण

समुदाय

पर्यावरण संरक्षण एवं ऊर्जा का संवहनीय संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन एवं उन्नत गुणवत्ता

शिक्षा तथा कौशल विकास, वंचित वर्ग के समूहों का उन्नयन, सफाई एवं स्वच्छता के लिए

कार्पोरेट शासन दायित्व कियाकलापों पर **₹10.04** करोड़ का व्यय

हमारे नियंत्रण एवं सिस्टम

सुदृढ़ अनुबंध प्रबंधन

हमारे पास एक विधिवत स्थापित डायानामिक अनुबंध प्रबंधन व्यवस्था है जो सक्रिय होकर आपूर्तियोग्य कार्यों का ट्रैक एवं प्रबंधन करता है तथा अनुबंध की शर्तों एवं नियमों के निश्चित अनुपालन का सुनिश्चय करता हैं। ग्राहक संतुष्टि में सुधार के लिए हम अपने ग्राहकों को समय पर प्रतिक्रिया एवं समाधान उपलब्ध करते हैं।

कार्यकुशल योजना एवं योजना प्रबंधन

हमारे पास सुदृढ़ प्रबंधन एवं निष्पादन विशेषज्ञता एवं अंतर्देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं, दोनों, के निर्बाध परिचालन की क्षमता से युक्त समर्पित परियोजना प्रबंधन टीमें हैं। हमारी मान्यता अच्छा ट्रैक रिकार्ड रखने तथा समय पर कार्य करके अपनी साख निर्मित्त करने एवं भारतीय अवसंरचना सेगमेंट में अपनी स्थिति को मजबूत तथा स्वयं के लिए अंतर्देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, दोनों, बड़े आकार के अनुबंधों में से उचित भाग प्राप्त करने के प्रति है।

उन्नत प्रौद्योगिकी एवं नवोपाय

हम अग्रसक्रिय होकर आधुनिक निर्माण विधियों, प्रौद्योगिकी एवं उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं जो बाजार के प्रचलित मानकों के अनुरूप है। हम निरंतर सहकार्यता एवं श्रेष्ठ परामर्श तथा नवोपाय युक्त निर्माण एवं विकासोन्मुख विधियों के उपयोग से उच्चतर कार्य कुशलता एवं समय पर निष्पादन के प्रयास करते हैं।

हम कैसे अन्यों से भिन्न हैं?

इरकॉन की सुदृढ़ निवेश थीसिस का वर्णन

विविधता युक्त वैश्विक अवसंरचना पीएसयू

इरकॉन एक अग्रणी एकीकृत इंजीनियरिंग एवं निर्माण क्षेत्र का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसे रेलवे,, राजमार्ग, पुल, फ्लाईओवर, सुरंगों, विमान अनुरक्षण हैंगरों, मैट्रो, एस एंड टी, रनवे, ईएचवी सब–स्टेशन, इलैक्ट्रिक्ल एवं मैकेनिकल कार्यों, वाणिज्यिक एवं आवासीय सम्पतियों, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के साथ साथ अन्य अवसंरचना कियाकलापों के लिए विशाल एवं जटिल प्रौद्योगिकी की अवसंरचना परियोजनाओं में कार्य की विशेषज्ञता प्राप्त है।

यू.एस.ए. के इंजीनियरिंग न्यूज रिकार्ड (ईएनआर) के 2020 अंक के अनुसार हम इसमें 250 सूचीबद्ध सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदारों की सूची में एकमात्र भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम हैं। देश के अग्रणी अवसंरचना कम्पनी होने के नाते इरकॉन भारत सरकार द्वारा घोषित प्रीमियम परियोजनाओं के एक प्रमुख साझेदार के रूप में सेवाएं प्रदान कर रही है।

कम्पनी का पोर्टफोलियो विविधता युक्त है तथा इसके द्वारा अंतर्देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, दोनों, में सेवाएं प्रदान की जाती है। इसका ट्रैक रिकार्ड 25 देशों में प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की डिलीवरी करने का है।

हमारे व्यवसाय के बारे में और जानकारी के लिए पृष्ठ 26 देखें।

विश्वसनीय व्यावसायिक सुदृढ़ता

इरकॉन का प्रमाणित ट्रैक रिकार्ड उच्च गुणवत्ता से युक्त परियोजनाओं की डिलीवरी समय पर करने का रहा है। इसकी निष्पादन क्षमताओं एवं इसके कार्यबल की विशेज्ञता ही इसकी निरंतर सफलता का प्रेरक बल है।

वर्ष प्रति वर्ष निरंतर प्रचालनात्मक लाभ एवं विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के प्रवाह स्तरों को बनाए रखने में हम सफल रहे हैं। हमारे उद्योग नेतृत्व से हमारी परिचालनात्मक इतिहास, औद्योगिक ज्ञान एवं सिविल तथा अन्य अवसंरचना निर्माण परियोजनाओं के प्रति हमारी गहरी सूझ बूझ की झलक साफ दिखाई देती है। हमारी विशिष्टताओं की प्रस्तुति सावधानी पूर्वक निर्मित अनुबंध प्रबंधन व्यवस्था से युक्त हमारी भौगोलिक एवं सेक्टरल विविधता में देखी जा सकती है।

हमारी और अधिक भिन्नताएं हमारी गुणवत्ता सम्पन्न परियोजनाओं की डिलीवरी की परीक्षित परम्परा है। हमारे व्यवसाय की लोचकता से भी हमारी रणनीतिक विविधता युक्त परिचालनों में संलिप्तता हुई है जिससे हमें किसी उद्योग विशेष से संबंधित जोखिमों का प्रतिरोध करने की क्षमता प्राप्त होती है। हमारा ऐसा मानना है कि अपनी वित्तीय सुदृढ़ता एवं परिचालनात्मक कार्य कुशलता के मिश्रण से युक्त निर्माण सेक्टर में हमारी उपस्थिति ने हमें अवसंरचना क्षेत्र में अग्रणी बनाया है।

हमारी शक्तियों के बारे में और जानकारी के लिए पृष्ठ 28 देखें।

पूर्ण अर्हता प्राप्त एवं अनुभवी मानव पूंजी

हम अपने कर्मचारियों को अपनी अत्यंत मूल्यवान सम्पति मानते आए हैं। तदनुसार, हम उनके विकास एवं उनकी समृद्धि के लिए निरंतर कियाएं करते हैं। हमारी व्यवस्थाएं संलिप्त एवं सक्षम कर्मचारियों से युक्त उत्तम कार्य संस्कृति का निर्माण एवं उसका अनुरक्षण करने के प्रति केन्द्रित हैं। इन सबमें महत्वपूर्ण यह है कि हम नियमित मॉनीटर करके हमारे कार्य बल के लिए संरक्षित एवं सुखद वातावरण के निर्माण का सुनिश्चय करते हैं।

हमारे विकास में हमारे प्रबंधन दल द्वारा भी ऊर्जा प्रदान की गई है जिनकी विशेषज्ञता ने हमें अपने व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम बनाया है। कम्पनी की सफलता के प्रति उनकी प्रतिबद्धताएं ने हमें सफलता प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान के साथ साथ बाजार में नेतृत्व की स्थिति प्राप्त करने में हमें सहायता दी है।

अपने कार्यबल की उत्पादन क्षमता में संवर्धन के लिए हम विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उनका समग्र विकास करते हैं।

हमें परियोजनाओं की समय पर, यहां तक कि चुनौतिपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में भी, के कौशल से युक्त प्रतिबद्ध कामगारों का एक संगठन होने का गौरव प्राप्त है।

मानव पूंजी के बारे में और जानकारी के लिए पृष्ठ 30 देखें।

प्रेरणाप्रद विकास रणनीतियां

सार्वजनिक क्षेत्र के एक ऐसे उपक्रम होने के नाते – जो तुलनात्मक रूप से प्रगति कर रहा है, हम सदैव अपना ध्यान प्रभावकारी विकास रणनीतियों से प्राप्त सफलता को रिकार्ड करने की ओर केन्द्रित करते हैं। हमारी सक्रिय उपस्थिति अंतर्देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, दोनों, में है। इससे हमें अपने पोर्टफोलियों में उच्च गुणवत्ता से युक्त वैश्विक परियोजना के निष्पादन को जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है।

लाभकारी मार्जिन प्राप्त करने के लिए हम अनुभव एवं तुलन पत्र की सुदृढ़ता से प्राप्त बाजार की अपनी लाभकारी स्थिति का पूंजीयन करना चाहते हैं। हमारी व्यावसायिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक निर्माण कम्पनी का कायाकल्प बीओटी, डीबीएफओटी, एवं एचएएम परियोजनाओं के पोर्टफोलियो के साथ पूर्णतः विविधता सम्पन्न संगठन के रूप में करना है। इसके अलावा, हम सक्रिय होकर संयुक्त उद्यमों एवं विशेष उद्देश्य वाहक कम्पनियों के माध्यम से सहकार्यता वाली परियोजनाओं का निर्माण करने के अवसर खंगोल रहे हैं।

इसी के साथ–साथ, हमारी मंशा सेवाओं के अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार अग्रसक्रिय होकर गुणवत्ता युक्त परियोजनाओं से जुड़कर करने की है और हम परिचालन की नई विधियां ज्ञात कर रहे हैं।

विकास रणनीतियों के बारे में और जानकारी के लिए पृष्ठ 32 देखें।

पर्यावरणीयता, सामाजिकता एवं सुशासन को सशक्त करना (ईएसजी)

हमारी पर्यावरणीयता, सामाजिकता एवं सुशासन को सशक्त करने की तंत्रव्यवस्था हमारे व्यावसायिक परिचालनों के साथ एकीकृत है। हम उन विकास नीतियों एवं सिद्धांतों का पालन सावधानीपूर्वक करते हैं जो हमारी व्यवसाय व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का संचालन करती है। हम नियमित रूप से पारदर्शिता, विश्वास एवं सत्यनिष्ठा, निष्पादन उन्मुखता, उत्तरदेयता, सामाजिक जवाबदेही एवं अपनी प्रक्रियाओं उत्तम मानकों के अनुरूप नीतिपरक व्यवसाय व्यवहारों की नियमित अनुरूपता का सुनिश्चय करते हैं।

हमारे कार्पोरेट शासन की रूपरेखा हमारे व्यवसाय का एक अभिन्न अंग है। इसका समावेश हमारे इस सुदृढ़ विश्वास के साथ किया गया है कि स्टेकधारकों के साथ विश्वास का अनुरक्षण करने के साथ साथ किसी कम्पनी के संवहनीय मूल्यों की उत्पति के लिए उत्तम शासन व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

हम पर्यावरण एवं अपने आसपास व्याप्त समुदायों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को स्वीकार करते हुए नतमस्तक हैं। तदनुसार, हमने समाज के उन्नयन एवं विकास पर केन्द्रित अनेक कार्य किए हैं।

ईसीजी फ्रेमवर्क के बारे में और जानकारी के लिए पृष्ठ 34 देखें।

अवसंरचना क्षेत्र में अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम :

विविधता सम्पन्न

इरकॉन को अंतर्देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विविधता सम्पन्न परियोजनाओं के निष्पादन के लिए अवसंरचना उद्योग में अग्रणी की स्थिति प्राप्त है।

हम एक अग्रणी अवसंरचना कम्पनी है जिसे विविध सेक्टरों की अवसंरचना परियोजनाओं में विषेशज्ञता प्राप्त है। अंतर्देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रमुख परियोजनाओं के निष्पादन का हमारा इतिहास प्रमाणित है।

अपनी स्थापना के प्रारंभ काल से ही हमने विभिन्न अवसंरचना सेक्टरों में विविधता प्राप्त कर थी। अपने प्रयासों से वर्षों से हम एक ऐसी कम्पनी के रूप में स्थापित हैं जो विशेषतः रेलवे एवं राजमार्ग के निर्माण के क्षेत्र में कार्य कर रही है। सेवाओं की अपनी वृहद रेंज में हमने अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार वाणिज्यिक एवं आवासीय परिसरों, पावर ट्रांसमिशन लाइनों, औद्योगिक लाइटिंग, पुलों एवं फ्लाईओवरों, सुरंगों, वाणिज्यिक, आवासीय एवं रिटेल सम्पतियों, इलैक्ट्रिक्ल एवं मैकेनिकल कार्यों, मैट्रो सिग्नलिंग एवं दूरसंचार, कोच फैक्टरी, स्टेशन भवन, मल्टी फंक्शन काम्प्लेक्स एवं विमानन जैसे क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति की है।

अब तक हमने 518 परियोजनाओं का निष्पादन किया है तथा 40 आन–गोइंग परियोजनाएं हैं। हमारी निष्पादित परियोजनाओं की रेंज से हमें अपने निर्माण व्यवसाय में विविधता लाने एवं किसी सेक्टर विशेष पर अपनी निर्भरता को कम करने में सहायता मिली है। हमारा यह मानना है कि विविधता युक्त परियोजना पोर्टफोलियों ही हमारी प्रमुख शक्ति है जो गतिबोधक बाजार स्थितियों में हमारे प्रचालनों के निर्वाह के साथ साथ हमारी भिन्नता को प्रमाणित करने का कारक है। इसके अलावा, विस्तारित भौगोलिक क्षेत्रों में हमारे प्रवेश से भी हम धीरे धीरे निर्माण कम्पनी से बीओटी, डीबीएफओटी, ईपीसी एवं एचएएम परियोजनाओं के विविधता युक्त कम्पनी के रूप में उन्नयन प्राप्ति के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इससे हमें संयुक्त उद्यम एवं सहायक कम्पनियों के रूप में सृजित विशेष उद्देश्य वाहकों के माध्यम से उच्चतर परियोजना विकास करने एवं परिचालनात्मक क्षमताएं प्राप्त करने में भी सहायता मिली है।

एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के तौर पर उच्चतर गुणवत्ता वाली परियोजनाओं को निष्पादित करने के हमारे इतिहास के कारण परियोजनाओं की वृद्धितर कड़ी पूर्व अर्हताओं के बावजूद भी नए अवसर प्राप्त करने के महत्वपूर्ण लाभ हमें प्राप्त हैं। प्रत्याशित बाजार विकास का पूंजीयन करने के लिए हम भारतीय बाजार में अपने उद्यम के माध्यम से राजस्व के संवर्धन की ओर ध्यान केन्द्रित करने के साथ साथ स्थानीय एवं वैश्विक बाजारों में परियोजना आधारित लक्ष्य खोजते हैं।

हमारा ऐसा मानना है कि आज हमारे अविकल प्रयासों ने हमारे विकास में अंगीकार करने योग्य बेहतर शासन एवं पूंजी निर्धारण के प्रति पारम्परिक अभिमुखता स्थापित हो सकी है तथा हमें विशिष्ट बाजार नेतृत्व गुणवत्ता के साथ एक विख्यात अवसंरचना कम्पनी के रूप में स्थापित होने में सहायता की है। हमें पूर्ण विश्वास है कि यही विशिष्टताएं आगे भी इसी प्रकार इरकॉन के उद्‌यीमान भविष्य के निर्माण में सहायक होंगी।

> पिछले अनेक वर्षों से अब हम अपने प्रयासों से एक ऐसी कम्पनी के रूप में स्थापित हैं जो विशेषतः रेलवे एवं राजमार्ग के निर्माण के क्षेत्र में कार्य कर रही है।

> हमारा यह मानना है कि विविधता युक्त परियोजना पोर्टफोलियों ही हमारी प्रमुख शक्ति है जो गतिबोधक बाजार स्थितियों में हमारे प्रचालनों के निर्वाह के साथ साथ हमारी भिन्नता को प्रमाणित करने का कारक है।

अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक

14+

कुल डिलीवर की गई परियोजनाएं

518+

अंतर्देशीय ग्राहक

30+

बाजार नेतृत्व की उपलब्धिः

शक्ति

हमारी उद्योग उत्कृष्टता की छवि हमारी विश्वसनीय निष्पादन क्षमताओं एवं परियोजनाओं की समय पर डिलीवरी में प्रतिबिंबित होती है।

> **इरकॉन द्वारा अपना सुदृढ़ उद्योग नेतृत्व अपने परिचालन इतिहास, उद्योग ज्ञान, अनुभव एवं सिविल तथा अन्य अवसंरचना निर्माण परियोजनाओं की समझ से प्राप्त किया गया है।**

हमारी व्यावसायिक सुदृढ़ता को अनेक कारकों से सम्बद्ध किया जा सकता है। औचित्यपरक रूप से सशक्त हमारे तुलन पत्र तथा अवसंरचना क्षेत्र में निविदाओं की बिडिंग एवं प्राप्ति के प्रति हमारी अग्रसक्रियता ने हमें बाजार में भिन्न स्थान प्रदान किया है। परियोजनाओं को प्राप्त करने, निष्पादित करने और समय पर डिलीवरी करने का हमारा ट्रैक रिकार्ड सकारात्मक है, जिससे भविष्य में हमें उल्लेखनीय परियोजनाओं को अर्जित करने के लिए प्रतिष्ठा और साख प्राप्त हुई है। विवेकपूर्ण लागत मूल्यांकन के साथ हमारे तुलन पत्र का बल हमें बड़ी परियोजनाओं को बोली लगाने और अनुबंध प्राप्त करने में सहायता मिलती है। समय पर और गुणवत्ता परियोजना के पूरा होने के हमारे सिद्ध संकेत ने हमें एक मजबूत प्रतिष्ठा विकसित करने और प्रीमियम निविदाओं को प्राप्त करने के हमारे अवसरों को बढ़ाने में मदद की है।

इरकॉन द्वारा अपना सुदृढ़ उद्योग नेतृत्व अपने परिचालन इतिहास, उद्योग ज्ञान, अनुभव एवं सिविल तथा अन्य अवसंरचना निर्माण परियोजनाओं की समझ से प्राप्त किया गया है।

वर्षों से निष्पादित अपने परिचालनों से हमने अच्छी तरह से परीक्षण किए गए सिस्टम और नियंत्रणों को स्थापित किया है जिसमें मजबूत अनुबंध प्रबंधनय कुशल परियोजना प्रबंधनय डिजाइन नवोपाय और उन्नत प्रौद्योगिकी शामिल है। ये सिस्टम हमारी कंपनी के लिए अद्वितीय विक्रय बिंदुओं के रूप में कार्य कर रहे है। हम मानते हैं कि ऑर्डर बुक परियोजनाओं के सफल निष्पादन के फलस्वरूप बढ़ी है, और इसने हमें सफलतापूर्वक नए अनुबंधों की बोली लगाने और प्राप्त की क्षमता दी है। हमारे ऑर्डर बुक में वृद्धि, परिवहन, इंजीनियरिंग और भवन निर्माण में हमारी विविध व्यावसायिक गतिविधियों के साथ–साथ एक विशेष उद्योग से जुड़े जोखिमों को परिभाषित करती है, साथ ही साथ विविध व्यावसायिक क्षेत्रों में परिचालन की सहक्रियाओं से लाभ उठाने में हमारी मदद करती है। इसके अतिरिक्त, समय–सीमा की माँगों के भीतर परियोजनाओं को वितरित करने की हमारी क्षमता ने हमें लागतों को कम करने में सक्षम बनाया है।

निस्संदेह, प्रत्येक निर्माण फर्म का सामना ठेकेदारी, प्रशासनिक और वित्तीय चुनौतियों से होता है, जो कभी–कभी किसी परियोजना को पूरा करने की प्रतिबद्धता के महत्व को कम कर देती हैं, लेकिन हमारे 44साल के विशिष्ट कैरियर में परियोजनाओं को पूरा करने का रिकॉर्ड 100 प्रतिशत है।

हमारे ग्राहकों की बढ़ती पूर्व योग्यता आवश्यकताओं को पूरा करने के हमारे सफल प्रयासों के साथ हमारी मजबूत वित्तीय स्थिति ने हमारे लक्षित बाजार में हमारी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया है। इसने हमें अपनी ऑर्डर बुक की को विकास के अनुरूप बनाए रखने में सफलता मिली है।

आगे बढ़ने के साथ साथ हमारा प्रमुख ध्यान अपने सभी ग्राहकों के लिए सबसे पसंदीदा अवसंरचना कंपनी के रूप में बने रहना है। हम एक निर्धारित समय सीमा में सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए विश्व स्तरीय परियोजनाओं को वितरित करने का प्रयास करते हैं। हम मानते हैं कि हमारी वित्तीय ताकत और परिचालन क्षमता ने हमें बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अग्रणी बनाया है।

वित्तीय वर्ष 2020 में रिकार्ड किया गया प्रचालन राजस्व

₹5,202

जारी प्रोजेक्ट

40

हमारे ऑर्डर बुक में वृद्धि, परिवहन, इंजीनियरिंग और भवन निर्माण में हमारी विविध व्यावसायिक गतिविधियों के साथ–साथ एक विशेष उद्योग से जुड़े जोखिमों को परिभाषित करती है, साथ ही साथ विविध व्यावसायिक क्षेत्रों में परिचालन की सहक्रियाओं से लाभ उठाने में हमारी मदद करती है।

हमारी अत्यंत मूल्यवान पूंजी का पोषणः

कार्यबल

हमारी आधारभूत प्राथमिकता हमारी टीम है, जो हमारी सफलता एवं हमारे वृहद ग्राहक आधार की आवश्यकताओं की पूर्ति की हमारी क्षमता है।

"इरकॉन में हमारे कर्मचारियों द्वारा संगठन की सफलता के लिए निभाई गई भूमिका की सराहना करते है। हमारा यह मानना है कि कोई कम्पनी तभी सुदृढ़ हो सकती है जब उसके लोग भी सुदृढ़ हों। तदनुसार हम कर्मचारियों के विकास एवं उनकी समृद्धि के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं।

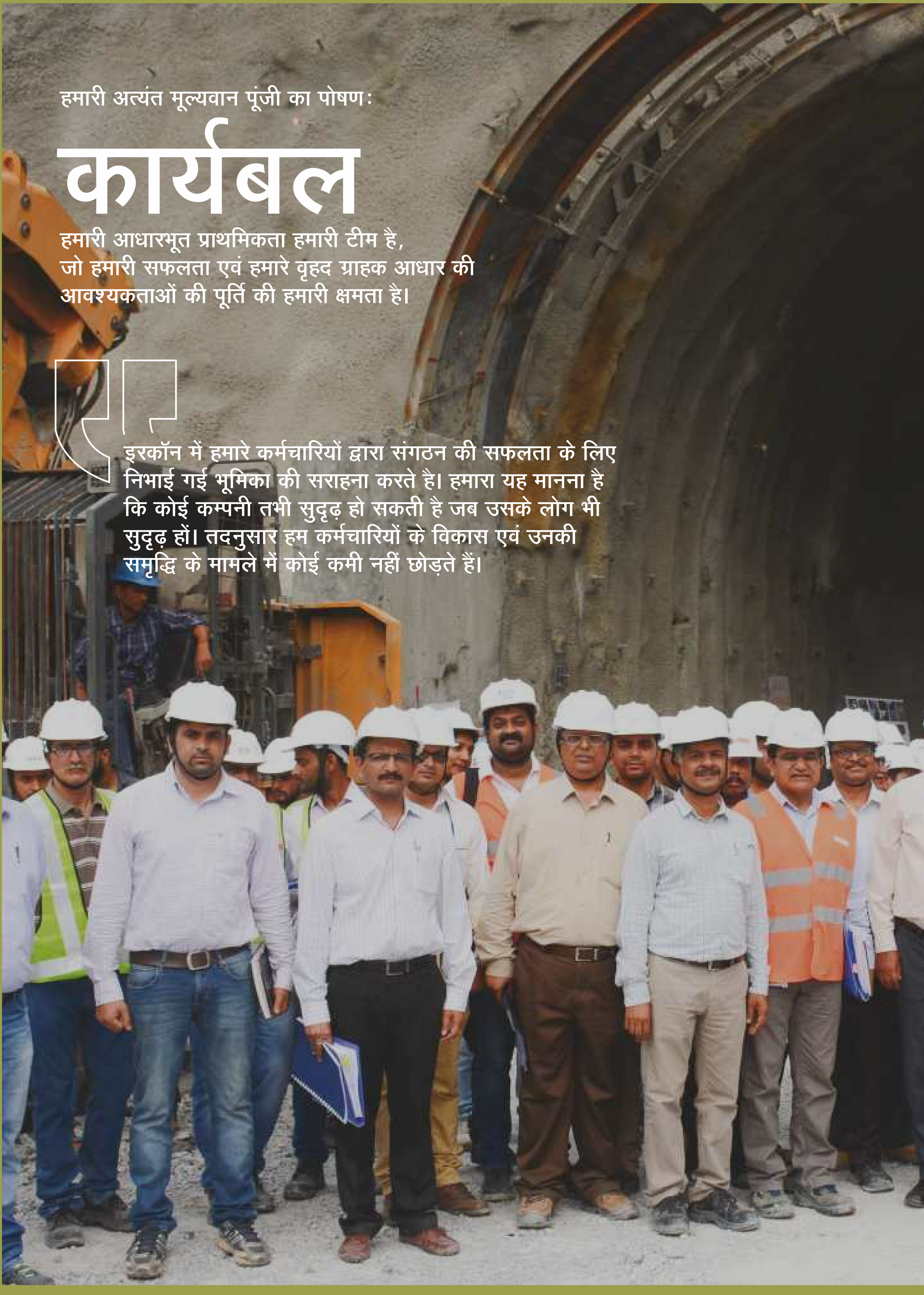

हमें प्रतिभावान कार्यदल के साथ एक ऐसा संगठन होने पर गर्व है, जो सार्वधिक दुर्गम क्षेत्रों में भी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में सक्षम है।

हम निरंतर उत्पादकता एवं सकारात्मक कार्य वातावरण से युक्त एक ऐसे कार्यस्थल के निर्माण की ओर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिससे विविधता और मिलजुल कर काम करने का मुक्त भाव उत्पन्न हो सके तथा जिसके उपयोग से संगठनात्मक सफलता के पारस्परिक लक्ष्य साझा हो सके।

हमारे पास एक योग्य और प्रशिक्षित कार्यबल है जो बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को क्रियान्वित करता है। हमें कर्मचारियों की एक प्रतिभाशाली टीम से युक्त संगठनों में से एक होने पर गर्व है जो सबसे कठिन भौगोलिक इलाकों में भी समय पर परियोजनाएं निष्पादित कर सकते हैं। हमारे कर्मचारियों का विविध और उल्लेखनीय कौशल मेल हमें अपने ग्राहकों की जरूरतों और उन परियोजनाओं की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुकूल होने का लाभ प्रदान करता है। हम अपने लोगों को अपने सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में पहचानते हैं। हम आधुनिक निर्माण उपकरणों को संचालित करने, हमारी जटिल परियोजनाओं पर विभिन्न कार्यों को पूरा करने और हमारे ग्राहकों के लिए गुणवत्ता कू कार्यों की प्रस्तुति कठिन समय में भी करने के लिए सदैव उन पर भरोसा करते हैं।

संगठन के विकास को और आगे बढ़ाने के लिए निर्माण एवं अवसंरचना विकास में अर्हता एवं अनुभव प्राप्त विशेषज्ञ नेतृत्व टीम की आवश्यकता होती है। यह उनकी उत्कृष्ट बौद्धिक शक्ति और गुणवत्ता का उपकरण है जिसके उपयोग से हम वर्षों से अपनी व्यावसायिक रणनीतियों का कार्यान्वयन कर रहे हैं। हमारे प्रमुख प्रबंधन कार्मिक संगठन के साथ 9 वर्ष की औसत सम्बद्धता के साथ औसतन 27 वर्षों के व्यावसायिक अनुभव के धारक है। उनकी अटूट प्रतिबद्धता और समर्पण से हमारा संगठन निर्बाध गति से विकास के पथ की ओर अग्रसर है।

एक ऐसी कंपनी के रूप में जो मुख्यतः अपनी मानव पूंजी के विकास पर केंद्रित है, हम नियमित रूप से नौकरी–रोजगार कौशल विकास कार्यक्रमों और प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कार्यबल को मजबूत करने में निरंतर निवेश करते हैं। हमारी नियमित कार्यशालाओं और सेमिनारों के अलावा, हमने व्यावसायिक डिग्री, डिप्लोमा पाठ्यक्रम और शैक्षिक पुरस्कार में प्रवेश के लिए विभिन्न योजनाओं जैसे शैक्षिक छात्रवृत्ति, एकमुश्त शैक्षिक अनुदान भी लॉन्च किया है

महिला कर्मचारियों के लिए सौहार्दपुर्ण कार्य वातावरण का निर्माण एवं अनुरक्षण करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।

अब कई वर्षों से, हम अपनी महिला कर्मचारियों के लिए एक संरक्षित कार्यस्थल बनाने के महत्व को संज्ञान में ले रहे हैं। उन्हें सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसे सुनिश्चित करने के लिए, हमारे पास कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति है।

जैसे–जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारा लक्ष्य उनकी वृद्धि पर लगातार ध्यान केंद्रित करके हमारी मानव पूंजी को मजबूत करना है। हम अपने विस्तार को संतुलित करने के लिए अपेक्षाकृत कम कर्मचारी दर को बनाए रखने और कुशल कर्मचारियों का धारण करते रहने की आकांक्षा रखते हैं । हम इसकी प्राप्ति गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के आयोजन, सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी वातावरण के में निर्माण में निवेश करके करना चाहते हैं।

हमारी कार्य बल भाक्ति

1,369

महिला कर्मचारी

68

हमारी व्यावसायिक रणनीति विकास क्रियाओं को जारी रखना है :

भविष्य के प्रति संभावनाएं

हमारी दूरदर्शी व्यवसाय विकास रणनीतियां हमारे अनुरूपी सुदृढ़ निष्पादन का वाहक बल है।

> **वर्ष प्रति वर्ष हमारे लक्ष्य दूरदर्शी रणनीतियों के प्रति केन्द्रित रहे हैं जिनसे हमें अस्थिर आर्थिक वातावरण में भी उत्कृष्ट विकास करने में सहायता प्राप्त हुई है।**

हमने क्षेत्र और भौगोलिक कवरेज दोनों के संदर्भ में एक विविधता सम्पन्न कम्पनी बनने पर सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित किया है। हमने परिवहन इंजीनियरिंग, सिविल और औद्योगिक निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अपनी विशेषज्ञता बढ़ाई है। इसके अतिरिक्त, भारतीय बाजार में अपनी स्थापित उपस्थिति के साथ, हम आगे देश के भीतर अनन्वेषित क्षेत्रों को कवर करना चाहते हैं। हमारा मानना है कि इससे एवं भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं से हमारे पोर्टफोलियो संवर्धित हो सकेगा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हमारी स्थिति को और मजबूत करेगा।

परिवहन अवसंरचना उद्योग के नेतृत्व की हमारी दीर्घकालिक साख को हमने रेलवे परियोजनाओं में विशेषज्ञता से सिद्ध किया है जिससे हमारे व्यवसाय का एक बड़ा भाग सरकारी एजेंसियों द्वारा सीधे प्रदान की गई परियोजनाओं से संचालित है। सार्वजनिक क्षेत्र में हमारी प्रतिष्ठा को बनाए रखने और बेहतर लाभ मार्जिन का निर्माण करने के लिए, हम अपनी विशेषज्ञता और वित्तीय स्थिति दोनों के संदर्भ में बाजार में अपनी लाभप्रद स्थिति को भुनाने का इरादा रखते हैं। हमें विश्वास है कि भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न अवसंरचना विकास के कार्य हमारा भावी विकास करने में सहायक होंगे। हम मानते हैं कि हम अपनी मजबूत तकनीकी क्षमताओं और वित्तीय स्थिति के कारण इन तरीकों के तहत परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए अच्छी तरह से मुस्तैद हैं।

आगे बढ़ते हुए हम विकास के नए माध्यमों से उद्योग क्षेत्रों में विविधता लाने की अपनी रणनीति तैयार करने की योजना बना रहे हैं। हम इन परियोजनाओं द्वारा पेश किए गए स्वस्थ लाभ मार्जिन प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में परियोजनाओं के साथ अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा, जब हम रेलवे क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखते हैं, तो पोर्टफोलियो विविधीकरण के माध्यम से, हम विशेष क्षेत्रों या परियोजनाओं में जोखिम से बचाव करना चाहते हैं और विशेष रूप से उद्योग क्षेत्रों और सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापार एकाग्रता से उत्पन्न बाजार विविधताओं के प्रति कंपनी की रक्षा करते हैं। ध्वनि विशेषज्ञता और ठोस प्रदर्शन के साथ, हम अपने व्यवसाय में निरंतर वृद्धि को देखने की उम्मीद करते हैं, जो कि हमारे द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि के साथ होगा।

हम उच्च परियोजनाओं के लिए सक्रिय रूप से बिडिंग करके और संचालन के नए तरीकों की खोज करके सेवाओं के अपने दायरे को व्यापक बनाना चाहते हैं।

हमें विश्वास है कि हमारी विश्वसनीय व्यापार रणनीतियों के साथ तुलन पत्र सुदृढ़ होकर भविष्य में हमें विशिष्ट प्रकार के व्यापार के अवसर प्रदान करता रहेगा।

> हमारा ऐसा मानना है कि हम अपनी सुदृढ़ प्रौद्योगिकी क्षमताओं एवं स्वस्थ वित्तीय स्थिति के बल पर संयुक्त उद्यम एवं एसपीवी के माध्यम से परियोजनाओं का निष्पादन करने के लिए काफी अच्छी स्थिति में हैं।

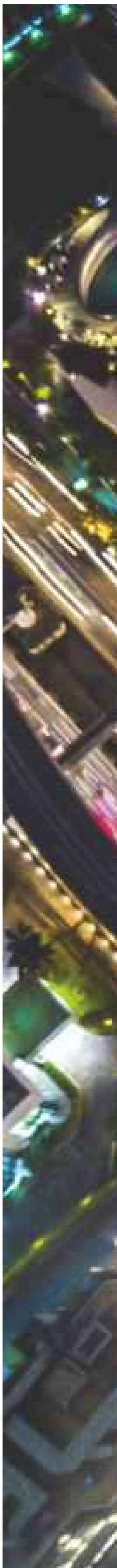

हमारा प्रयास अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की परियोजनाओं से अपने पोर्टफोलियो को संवर्धित करके ऐसी परियोजनाओं से अच्छा लाभ अर्जित करने का है।

इरकॉन की सुदृढ़ ईएसजी संस्कृति :

उत्तरदायित्व

हमने अपना समग्र विकास एक उद्देश्यपरक संस्कृति में किया है जो ईएसजी प्रयासों का संचलन करने की हमारी धारणाओं के साथ संरेखित है।

प्रारंभ से ही हम समाज के प्रति अपने कर्त्तव्यों के लिए उत्तरदायी कम्पनी के रूप में जाने जाते हैं तथा हमने सदैव सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा उच्चतर बैंचमार्क स्थापित किए हैं। हम अपने व्यवसाय में समुदायों के प्रति अपनी चुनौतिपूर्ण भूमिका के निर्वाह के संबंध में पूर्णतः सक्षम हैं।

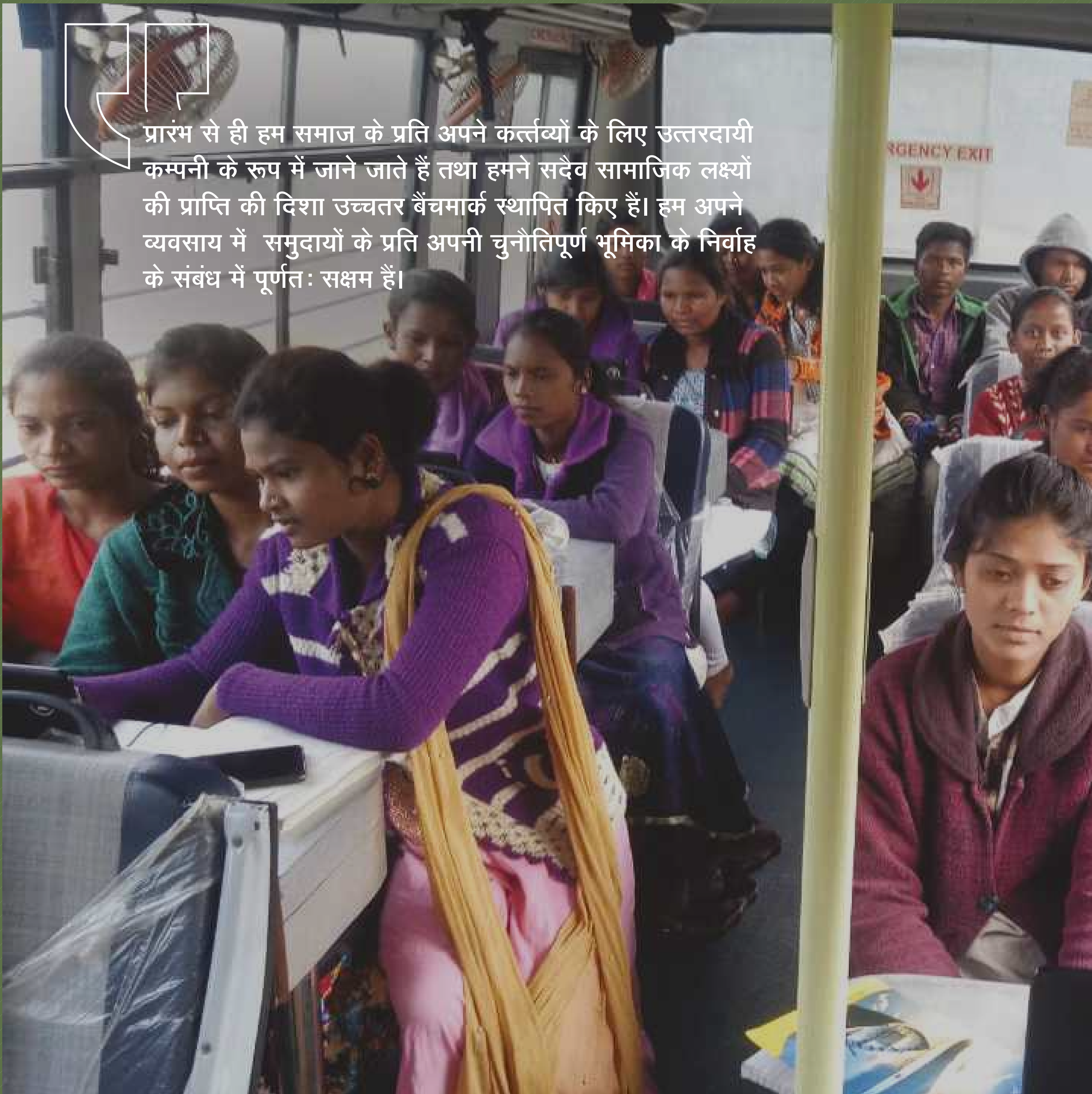

इरकॉन में, हमारे पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) की रूपरेखा को हमारे व्यापारिक परिचालनों के साथ एकीकृत किया गया है। हमारे ईएसजी प्रयासों को हमारी नीतियों और सिद्धांतों में परिलक्षित किया जाता है जो हमारे संगठन को संचालन की विधि बताते हैं। हमारा ईएसजी प्रबंधन एक विचारशील संरचना है जिसमें पारदर्शी शासन प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण कारक; हमारे कर्मचारियों में निवेश और एक विविध कार्यस्थल का पोषण; हमारे ग्राहकों को उच्च मूल्य की परियोजनाएं प्रदान करना; और उन समुदायों को सशक्त बनाना जिनमें हम काम करते हैं, शामिल हैं।

हम एक स्थापित कॉर्पोरेट शासन संरचना के साथ एक 'मिनी–रत्न–श्रेणी –1' संगठन हैं। हम अपने सभी हितधारकों के साथ मूल्यवान संबंधों को बनाए रखने के लिए उच्चतर प्रतिबद्धता के महत्व को समझते हैं। इसके लिए, हम पारदर्शिता, टीम वर्क, विश्वास और सत्यनिष्ठा, निष्पादन अभिमुखता, जवाबदेही, सामाजिक जवाबदेही और नैतिक व्यापार प्रथाओं के व्यवहार में सर्वोत्तम मानकों का अनुसरण सुनिश्चित करते हैं जिससे हमारे आंतरिक और बाहरी स्टेकधारकों के मध्य विश्वास निर्मित्त हो सके। अब कई वर्षों के लिए, हमारा कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचा हमारे व्यवसाय का एक मूलभूत अंग है। यह हमारे दृढ़ विश्वास से उत्पन्न होता है कि हमारी कंपनी के लिए स्थायी मूल्य के निर्माण के उद्देश्य से सुदृढ़ शासन अत्यावश्यक है।

हमारी व्यावसायिक रणनीति का उद्देश्य निरंतर विकास करना है, जो संवहनीय होने के साथ ही उत्तरदायी भी हो। जिम्मेदार व्यवसाय के लिए अपनी प्रतिबद्धता के भाव में, हम एक मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन नीति और आचार संहिता को अपनाकर नैतिक व्यापार संचालन और सर्वोत्तम प्रथाओं के उच्चतम मानकों का पालन करते हैं। ये नीतियां पारदर्शिता, जवाबदेही, अनुपालन, प्रकटीकरण, नैतिक आचरण, और सभी स्टेकधारकों के हितों को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी के मूल सिद्धांतों द्वारा संचालित प्रणालियों की अनुशंसा करती हैं। इसके अतिरिक्त, हमारा उद्देश्य एक उत्पादक कार्यस्थल का निर्माण करना भी है जहाँ हमारे कर्मचारी काम कर सकें और उन्नति कर सकें। इसलिए, हम विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उनके कौशल विकास में निरंतर निवेश करते हैं। हमारी मानव संसाधन टीम उत्पादकता में बेहतर बेंचमार्क बनाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाती है और नवोपाय करती है। इसके अतिरिक्त, टीम अपने कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण कल्याणकारी और सहभागिता योजनाएँ विकसित करती है, जिसका उद्देश्य उन्हें प्रेरित रखना है।

हम उन समुदायों पर लगातार सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं जिनमें हम काम करते हैं। हमने भूख, गरीबी, शिक्षा, आर्थिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में ध्यानमग्न प्रयास किए है। अपने प्रयासों को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए, हम हमारे साथ सामाजिक लाभ का एक पारस्परिक लक्ष्य साझा करने वाले अनेक गैर–लाभकारी संगठनों के साथ कार्य करते हैं । इसके अलावा, हमारे पास एक मजबूत और विश्वसनीय सीएसआर और संवहनीयता समिति है जो विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से समुदायों के साथ नियमित रूप से सम्पर्क करते हुए सक्रिय रूप से आवश्यक प्रक्रियाएं करती है।

44 वर्षों के हमारे व्यावसायिक इतिहास में, हमने महत्वपूर्ण भूमिका को संज्ञान में ले लिया है कि हमारी जैसी कंपनी सामाजिक विकास लाने के लिए कौन सी भूमिका निभा सकती है। हम पारदर्शी शासन के महत्व को भी समझते हैं जो हमारे स्टेकधारकों में विश्वास कायम करता है। आगे बढ़ते हुए, हमारा लक्ष्य है कि हम प्रभावी प्रशासन को बनाए रखने के लिए वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना जारी रखें जो टिकाऊ और जिम्मेदार विकास दोनों को बढ़ाते हैं।

हम विभिन्न कल्याणकारी पहलों के माध्यम से अपने समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालने का निरंतर प्रयास करते हैं, जो कि सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए सोच–समझकर तैयार किए गए हैं।

एक उत्तरदायी व्यवसाय संगठन के रूप में हम अपने स्टेकधारकों में विश्वास का भाव निर्मित करने के लिए अपने व्यावसायिक परिचालनों में उच्चतर नीतिपरक मानकों एवं उत्तम वैश्विक व्यवहारों का अनुपालन कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2020 के लिए सीएसआर पर हमारा व्यय

₹10.04 करोड़

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

कोविड–19 महामारी के अत्यधिक प्रकोप से विश्व की अर्थव्यवस्था पर घातक प्रभाव होने की संभावना व्यक्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक (अप्रैल 2020) के अनुसार इस महामारी के परिणामस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था 3 प्रतिशत तक सिकुड़ने की संभावना व्यक्त की गई है जो कि 2008–09 के वित्तीय संकट से भी अत्यंत खराब है। आईएचएस मार्किट द्वारा प्रकाशित जेपी मोर्गन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पर्चेचिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) के अनुसार मई 2020 में यह 42.4 से सुधर कर जून 2020 में 47.8 हो गया है जबकि ग्लोबल सर्विज पीएमआई मई, 2020 में 35.1 से बढ़कर जून 2020 में 48.0 हो गई है। इस सुधार को व्यावसायिक सकारात्मकता के साथ साथ अनेक देशों में कोविड–19 के प्रतिबंधों के प्रति प्रदान की गई छूट से भी संबद्ध किया जा सकता है।

वैश्विक स्तर पर जून 2020 में ब्याज दरें लगभग शून्य के स्तर पर पहुंच गई थी तथा कुछ देशों में नकारात्मक दरें थी। विश्व के सेन्ट्रल बैंकों द्वारा त्वरित कार्रवाई करके प्रमुख नीतिगत दरों को कम कर दिया था जिससे अर्थव्यवस्था मे सुधार आया। विश्व की अर्थव्यवस्था में दो अत्यधिक व्यापार वाली कमोडिटिज कच्चे तेल एवं सोने में हुए महत्वपूर्ण मूल्य संचलन से भी प्रभाव पड़ा है। कच्चे तेल के मूल्य 18 वर्ष के निचले स्तर पर गिरकर अमेरिकी डालर 23 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे। इसी प्रकार सोने के मूल्य आकाश की ऊंचाइयों को छूते हुए 2,000 अमेरिकी डालर प्रति औंस तक पहुंच गए थे।

भारतीय अर्थव्यवस्था

वित्तीय वर्ष 2020 की शुरुआत नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस ने आम चुनावों में जीत दर्ज करके की, जो केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों में निरंतरता के संकेत हैं। तथापि, भारतीय अर्थव्यवस्था में गैर–बैंकिंग वित्तीय क्षेत्रों में गिरावट, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच वैश्विक व्यापार युद्ध और घरेलू मांग में तुलनात्मक तेज गिरावट के कारण निरंतर देखी गई।

वित्त वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 4.2 प्रतिशत की हल्की वृद्धि हुई, जो प्रमुख रूप से घरेलू खपत की मांग में आई गिरावट और कोविड–19 के प्रकोप के कारण हुई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 0.7 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई, जबकि उपभोक्ता टिकाऊ और उपभोक्ता गैर–टिकाऊ वस्तुओं के खंड में वित्त वर्ष 2020 में 5.5 प्रतिशत और 4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के सुविधा जोन में मुद्रास्फीति बनी रही। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति क्रमश प्रतिशत 4.78 प्रतिशत और 3.24 प्रतिशत थी।

मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा रिजर्व

US$470 मिलियन

> **अवसंरचना सेक्टर में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास इंजन बनने की अपार संभावनाएं हैं तथा यह देश के समग्र विकास में अत्यधिक उपयोग है।**

रेंज–बद्ध मुद्रास्फीति में सदैव दर कटौती की गुंजाइश होती है। वित्तीय वर्ष 2020 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने 185 बीपीएस की कुल रेपो दर में कटौती करके अपनी मौद्रिक नीति में ढील दी। इसके अतिरिक्त, यह मुद्रास्फीति को कम करने और मार्च 2020 में रेपो दर को 75 बीपीएस घटाकर समायोजित करने के लिए बाध्य है। 30 जून, 2020 तक रेपो दर 4.0 प्रतिशत पर ही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी की स्थिति को बढ़ाने के लिए उपायों की एक श्रृंखला शुरू की है, जैसे कि 100 बीपीएस की सीआरआर कटौती, परिणामस्वरूप 3 प्रतिशत सीआरआर दर टीएलटीआरओ (लक्षित दीर्घकालिक प्रत्यावर्तन रेपो परिचालन) के माध्यम से सिस्टम में नकदी की स्थिति इंजेक्ट करती है।

मई, 2020 में, भारत ने आत्मानिभर भारत योजना के तहत 20.97 लाख करोड़ रूपए (अमेरिकी डालर 26.6 बिलियन) के बड़े आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का अनावरण किया। पूरे पैकेज को छह खंडों में वर्गीकृत किया गया है और इससे अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की आशाएं है।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2020 तक 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 के लिए अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 3.3 प्रतिशत से संशोधित कर 3.8 प्रतिशत कर दिया और वित्त वर्ष 2021 के लिए यह 3.5 प्रतिशत पर आ गया।

वित्तीय वर्ष 2020 में, कोविड–19 का अर्थव्यवस्था पर अवांछित प्रभाव पड़ा। नकारात्मकता और अराजकता के बीच, भारत में कच्चे तेल की कीमतों में कमी, जीएसटी संग्रह, एक अनुकूल जनसांख्यिकीय लाभांश, टिकाऊ आर्थिक नीतियों के साथ–साथ अन्य में आशा की किरण देखी गई है।

उद्योग परिदृश्य

अवसंरचना क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण विकास इंजन बनने की संभावनाएं है। यह उद्योग भारत के समग्र विकास में सहायक है और नीतियों को लागू करने के लिए एक मजबूत नीतिगत प्रभाव डाल रहा है जो देश की विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण समय पर करना सुनिश्चित करेगा। इस क्षेत्र में बिजली, पुल, बांध, सड़क, रेलवे, सुरंग और शहरी अवसंरचना विकास शामिल हैं। अवसंरचना विकास के

क्षेत्र में 2025 तक यूएस डालर 5 ट्रिलियन (लगभग 373.38 लाख करोड़ रुपए) के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावनाएं है जो इसकी लक्ष्य प्राप्ति की आशा का एक महत्वपूर्ण कारक है। नए अवसंरचना का निर्माण करना और मौजूदा संरचनाओं को उन्नत करना भारत की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया 'कार्यक्रम की सफलता में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त, अवसंरचना क्षेत्र श्रम–गहनता का क्षेत्र है और अर्थव्यवस्था में रोजगार और आय सृजन में सुधार करने में मदद करता है, जो घरेलू मांग को और अधिक प्रबल करता है।

वैश्विक महामारी कोविड–19 ने अवसंरचना क्षेत्र को प्रभावित किया है। इस उद्योग को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जैसे श्रम प्रवास, नकदी की कमी, के साथ साथ लॉजिस्टिक चुनौतियां इत्यादि। परिचालन परिसंपत्तियों और निर्माणाधीन परिसंपत्तियों दोनों के लिए मानव पूंजी की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, भुगतान या ऋण पुनर्गठन पर किसी भी चूक को रोकने के लिए रोकड़ द्रव्यता आवश्यक है। कच्चे माल की आपूर्ति भी चुनौतीपूर्ण है, यह देखते हुए कि कुछ निश्चित बाधाएं हैं। अवसंरचना क्षेत्र को परिचालन शुरू करने के लिए आगे बढ़ाया गया है, लेकिन उद्योग को अन्य सभी चुनौतियों से पार पाने की जरूरत है।

भारत सरकार ने अवसंरचना क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए पहल की है। भारतमाला परियोजना, रेलवे पटरियों के विद्युतीकरण, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी), मेट्रो और हाई–स्पीड ट्रेनों पर ध्यान केंद्रित करने, सागरमाला परियोजना, सड़कों और राजमार्गों के निर्माण, जैसे अन्य उल्लेखनीय विकास शुरू किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2020–21 में कुछ घोषणाएँ की गई थीं :

1. भारत ने अगले पांच वर्षों में अवसंरचना पर अमेरिकी डालर 1.4 ट्रिलियन (लगभग 104.55 लाख करोड़ के समतुल्य) के व्यय करने की योजना बनाई है।
2. सरकार द्वारा परिवहन अवसंरचना के लिए 1,69,637 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।
3. भारतीय रेल को 72,216 करोड़ रुपए का निर्धारण प्राप्त हुआ है।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) द्वारा वित्त वर्ष 2020–25 के दौरान 111 ट्रिलियन रुपए के अवसंरचना विकास का आउटलेट संभावित किया गया है। एनआईपी ग्रीन फाइनेंस को बढ़ावा देने, बॉन्ड और क्रेडिट मार्केट को पुनर्जीवित करने, भूमि बेचने और गैर–परिचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) परिसंपत्तियों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना चाहता है। इसके अतिरिक्त, एनआईपी अन्य उपायों जैसे टोल ऑपरेट ट्रांसफर (टीओटी) विमुद्रीकरण, इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (इनवीआईटी) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (रिट्स), नगर निगम के बॉन्ड बाजारों के विस्तार और इन्फ्रा लोन एसेट्स के सिक्योरिटाइजेशन जैसे अन्य उपायों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में बैंकों का दबदबा है, लेकिन पेंशन और इंश्योरेंस फंड से सेक्टर को फंड के आवंटन की आवश्यकता है। एशियाई विकास बैंक से अमेरिकी डालर 100 मिलियन (लगभग 747.43 करोड़ रुपए समतुल्य) निवेश की उम्मीद है

> **नई अवसंरचनाओं के निर्माण और विद्यमान संरचनाओं के उन्नयन से भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बल प्रदान करने एवं 'मेक इन इंडिया' एवं 'आत्मनिर्भरता' प्रयास से इसकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने की प्रमुख कियाओं की संभावना है।**

भारत के राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) में एशिया विकास बैंक का निवेश दीर्घकालिक विकास वित्तपोषण की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करेगा।

रेलवे सेक्टर

भारतीय रेलवे 1,23,236 किलोमीटर तक फैले नेटवर्क के साथ दुनिया की सबसे बड़ी रेल प्रणाली में से एक है, जिसमें 13,452 यात्री गाडियां और 7,349 स्टेशनों से सेवाएं प्रदान करने वाली 9,141 मालवाहक गाडियां हैं, जो 23 मिलियन यात्रियों और 3 मिलियन टन प्रति दिन माल ढुलाई करती हैं। ये कनेक्टिविटी, गतिशीलता, और वाणिज्यिक गतिविधियों के माध्यम से देश के आर्थिक और सामाजिक विकास का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

रेल बाजार का आकार सीधे रेल मंत्रालय के बजट से निर्धारित होता है। यह दो श्रेणियों के अंतर्गत आता है – नई लाइनें, डबलिंग, गेज रूपांतरण, ट्रैक नवीकरण, सिग्नलिंग सुधार, रेलवे विद्युतीकरण और अन्य सहित नया रोलिंग स्टॉक खरीदने के लिए पूंजीगत व्यय।

भारतीय रेल का नेटवर्क

1,23,236 किलोमीटर

[1]https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/adb-to-invest-100-million-in-niif-fund-of-funds/articleshow/74883240.cms

भारतीय रेलवे ने अपना ध्यान बाधाओं को दूर करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई परियोजनाओं पर केंद्रित किया है। कुछ उपायों के अंतर्गत पुलों का पुनर्निर्माण, पुलों का निर्माण / सुदृढ़ीकरण, फुटओवर पुलों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण, यार्ड पुनः मॉडलिंग, डबलिंग की कमीशनिंग और विद्युतीकरण आदि कार्य किए जा रहे है। जून 2020 तक, वाराणसी मंडल, पूर्वोत्तर रेलवे में विद्युतीकरण के साथ डबलिंग की दो परियोजनाएँ 13 जून को पूरी हुई हैं। इनमें से एक परियोजना कछवा रोड से माधोसिंह खंड और दूसरी मंडुआडीह से प्रयागराज खंड तक 16 किमी है। इसके परिणामस्वरूप पूर्व – पश्चिम मार्गों पर भीड़भाड़ कम हुई है और माल ढुलाई की सुविधा शुरू हो गई।

केंद्र सरकार अपने नेटवर्क का विस्तार करने और पूंजीगत व्यय में निवेश करने के लिए रेलवे को सहायता प्रदान करती है। 2019–20 में, केंद्र सरकार का सकल बजटीय समर्थन 66,105 करोड़ रूपए था। यह 2018–19 (53,060 करोड़ रूपए) के संशोधित अनुमानों से 25 प्रतिशत अधिक है। केंद्रीय बजट 2020–21 के अनुसार, रेल मंत्रालय को 72,216 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। रेलवे के खर्च में पिछले कुछ वर्षों में तेज उछाल आया है। पिछले कुछ वर्षों में खर्च में लगातार वृद्धि हुई है, 2020–21 के लिए भारतीय रेलवे का पूंजी व्यय एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर 1,61,042 करोड़ रूपए आंका गया है।

भारतीय रेलवे की अत्यधिक विशाल अवसंरचना से इस क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है।

वर्ष 2019–20 के लिए
सरकार से सकल बजट सहायता

₹66,105 करोड़ रूपए

बजट में भारतीय रेल के लिए पूंजी निवेश (रूपए करोड़ में)

बजट 2020–21 में रेलवे से संबंधित की गई प्रमुख घोषणाएं एवं प्रस्ताव

» चालू बजट में रेल सुधारों से संवर्धित ग्राहक सेवा एवं तीव्रता व समय पर मालभाड़ा, उच्च गति के रेल कॉरीडोर, मल्टी – रोड परिवहन नेटवर्क, विक्रेता पंजीकरण सिस्टम सहित अनेक समस्याओं का निवारण किया गया है।

» रेल ट्रैक के साथ साथ रेलवे के स्वामित्व वाली भूमि पर विशाल सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना

» चार स्टेशनों के पुनर्विकास की परियोजनाएं तथा 150 यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से किया जाना। निजी प्रतिभागिता की प्रक्रिया की जा रही है।

» मुम्बई से अहमदाबाद के बीच उच्च गति की ट्रेन के कार्य सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना।

रेल अवसंरचना एवं विकास के लिए सरकार के प्रयास

बेहतर एवं प्रदूषण मुक्त भविष्य के लिए रेलवे का निरंतर विद्युतिकरण किया जा रहा है। कुल 5,782 मार्ग किलोमीटर का रेलवे विद्युतिकरण कार्य पूरा हो चुका है जिसमें से 4,378 मार्ग किलोमीटर वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान इलैक्ट्रिक ट्रैक्शन पर प्रारंभ कर दिया गया है। नई लाइनें, डबलिंग एवं गेज परिवर्तन की कमीशनिंग से वर्ष 2019–20 में 2,226 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है जोकि वित्तीय वर्ष 2009–14 के दौरान की गई वार्षिक कमीशनिंग की औसत (1,520 किलोमीटर/वर्ष) से लगभग 50 प्रतिशत से भी अधिक है। सभी उपायों तथा नीतिगत कार्रवाईयों का निर्वाह भारतीय रेल को अर्थव्यवस्था का "विकास इंजन" बनाने के लिए किया गया है।

सड़क सेक्टर

भारत में विश्व का दूसरा सबसे विशाल सड़क नेटवर्क है जिसका विस्तार 5.89 मिलियन किलोमीटर में है। इस सड़क नेटवर्क से देश के 64.5 प्रतिशत माल का परिवहन किया जाता है, और भारत का कुल 80 प्रतिशत यात्री यातायात सड़क नेटवर्क का उपयोग करता है। देश के शहरों, कस्बों और गांवों के बीच बेहतर संपर्क के साथ, सड़क परिवहन धीरे–धीरे बढ़ा है।

सरकार का उद्देश्य क्षेत्र में कॉर्पोरेट निवेश को बेहतर बनाने के साथ ही उत्पादकता को सफल परियोजना निष्पादन के साथ जोड़ने के लिए व्यवसाय के अनुकूल नीतियां लागू करना है । सड़कों के लिए बजटीय आवंटन में 83,016 करोड़ रूपए से 11 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2020–21 में 91,823 करोड़ रूपए हो गया है।

सड़कों के लिए बजट परिव्यय (रुपए करोड़ में)

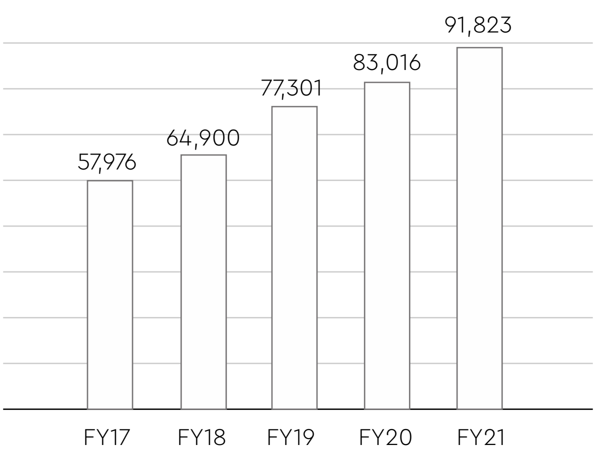

वित्तीय वर्ष 2020 में भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण

10,237 किलोमीटर

सरकार ने सड़क क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की अनुमति दी है। कई विदेशी कंपनियों ने सेक्टर के विकास का लाभ उठाने के लिए भारतीय कम्पनियों के साथ साझेदारी की है। सरकार का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं जैसे भारतमाला योजना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सड़क क्षेत्र में सार्वजनिक–निजी निवेश को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई सामाजिक–आर्थिक लाभ हैं। केंद्रीय बजट 2020–21 में, सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,500 करोड़ रूपए आवंटित किए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें ग्रीन टेक्नोलॉजी, अपशिष्ट प्लास्टिक और कोल्ड मिक्स तकनीक का उपयोग करके बनाई जानी थीं, जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम हो। योजना के तहत अब तक कुल 6,25,973 किलोमीटर सड़क की लंबाई का निर्माण किया गया है। भारत का राजमार्ग निर्माण वर्षों से मजबूत गति से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2019 में 10,885 किलोमीटर की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान 10,237 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण पूरा किया गया था। प्रति दिन निर्मित सड़क की औसत लंबाई वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान 28 किमी थी।

रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयास

राजमार्ग निर्माण (किलोमीटर)

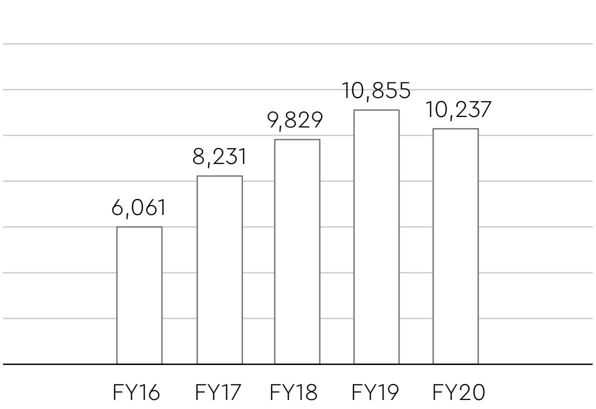

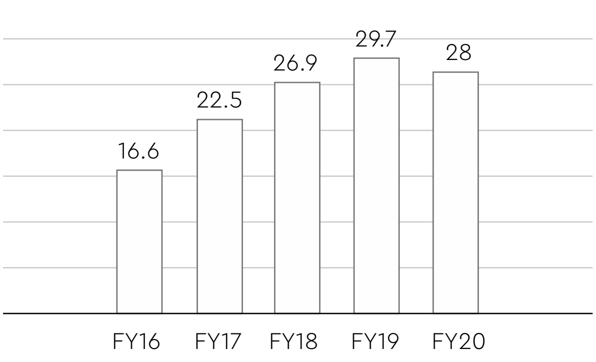

[3] https://www.hindustantimes.com/india-news/railways-says-key-projects-doubled-since-2009-14-lists-28-imp-works-finished-in-2029-20/story-Ezq7XKd8cOvr8b6ZgMETZK.html

[4] IBEF
[5] Ministry of Road Transport & Highways
[6] Ministry of Road Transport & Highways

आउटलुक

विकास की प्रक्रिया में अवसंरचना सेक्टर का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा भी अवसंरचना सेक्टर के प्रति अपनी रूचि व्यक्त की गई है। एनआईपी के अनुसार अवसंरचना विजन 2025 में ''प्रत्याशाओं की पूर्ति, विकास में तीव्रता एवं जीवन शैली को सुगम बनाने'' की ओर ध्यान दिया गया है। एनआईपी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–2025 के दौरान सड़क के लिए कुल 19.6 लाख करोड़ रूपए के निवेश की आवश्यकता आंकी गई है। इरकॉन इस अवसर को प्राप्त करने तथा इस सेक्टर का नेतृत्व करने के लिए तत्पर है। इसी प्रकार, रेलवे सेक्टर के लिए कुल अनुमानित निवेश 13.7लाख करोड़ रूपए आंका गया है। विजन 2025 में विद्यमान रेल नेटवर्क का 100 प्रतिशत विद्युतिकरण करने तथा उच्च घनत्व वाले कारीडोरों के खंड में डबलिंग / ट्रिपलिंग के कार्य शामिल किए गए हैं।

कंपनी का विहंगावलोकन

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन/कंपनी) एकीकृत इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है जिसकी विशेषज्ञता प्रमुख अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में है और इन क्षेत्रों में रेलवे, राजमार्ग, पुल, फ्लाइओवर, सुरंग, विमान अनुरक्षण हैंगर, रनवे, ईएचवी उपस्टेशन, विद्युत एवं यांत्रिक कार्य, वाणिज्यिक और अवसंरचनात्मक गतिविधियां शामिल हैं। इरकॉन विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए नियत टर्नकी आधार पर तथा मद दर आधार पर ईपीसी सेवाएं प्रदान करता है। इरकॉन भावी अर्जनों को बनाए रखने के लिए कंपनी की वित्तीय शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्माण, प्रचालन और अंतरण (बीओटी) आधार पर भी परियोजनाओं का निष्पादन करता है।

आपकी कंपनी की टर्नकी आधार पर और अन्यथा रेलवे परियोजनाओं के निष्पादन में विशेषज्ञता के साथ देश में सार्वजनिक क्षेत्रक निर्माण कम्पनियों में परिवहन के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में एक निरंतर लंबी प्रतिष्ठा विद्यमान है। इरकॉन अपने कार्यनिष्पादन की दृष्टि से अपनी गुणवत्ता, प्रतिबद्धता और निरंतरता के लिए जानी जाती है।

आपकी कंपनी ने पिछले 44 वर्षों से देश और विदेश, दोनों में महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं का निष्पादन किया है। इसने क्षेत्र तथा भौगोलिक कवरेज दोनों ही दृष्टिकोणों से विविध अवसंरचनात्मक प्रचालक बनने के लिए सक्रीय रूप से कार्य किया है। वर्ष 1976 में रेलवे निर्माण कम्पनी के रूप में व्यवसाय शुरू करने के पश्चात वर्ष 1985 से इसने उत्तरोतर निर्माण गतिविधियों तथा अवसंरचनात्मक सेवाओं के सम्पूर्ण आयाम में विविधता प्राप्त की है। इसके बावजूद भी इसका मुख्य केन्द्र तथा शक्ति अभी भी रेल क्षेत्र से संबंधित है।

इरकॉन सार्वजनिक क्षेत्र की उन कुछेक निर्माण कंपनियों में से एक है जिसने देश के लिए व्यापक स्तर पर विदेशी विनिमय अर्जित किया है और प्रत्येक वर्ष निरंतर लाभांश का भुगतान किया है।

इन वर्षों में कंपनी ने अल्जीरिया, अफगानिस्तान बांग्लादेश, भूटान, ब्राजील, इंडोनेशिया ईरान, इराक, लीबिया, मलेशिया, मोजांबीक, म्यामार, नेपाल, नाइजीरिया, साउदी अरब, श्रीलंका, तुर्की, यूके और जांबिया जैसे देशों सहित अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक अपने प्रचालन का विस्तार किया है। कंपनी ने विश्वभर में अब तक 25 से अधिक देशों में 128 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया है तथा भारत में 390 परियोजनाएं पूरी की हैं। भारत में विशेष रूप से यह दुर्गम और अशांत क्षेत्रों में भी परियोनजाओं को निष्पादित कर रही है और राष्ट्र निर्माण की परियोजनाओं में सक्रीय रूप से भाग ले रही है। हालांकि कम्पनी पहले ही भारत के अनेक राज्यों में परियोजनाएं निष्पादित कर चुकी है, यह अपने व्यवसाय विकास मॉडल के भाग के रूप में भारतवर्ष में अपने घरेलू प्रचालनों का विस्तार करना चाहती है।

हमारी प्रमुख शक्तियां

[7] http://omms.nic.in/
[8] Ministry of Road Transport & Highways
[9] Ministry of Road Transport & Highways
[10] NIP
[11] NIP

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

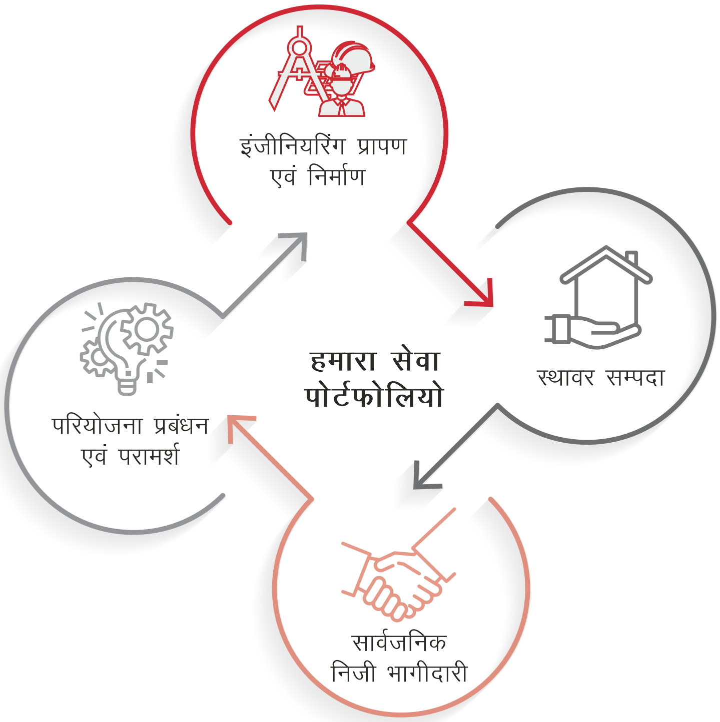

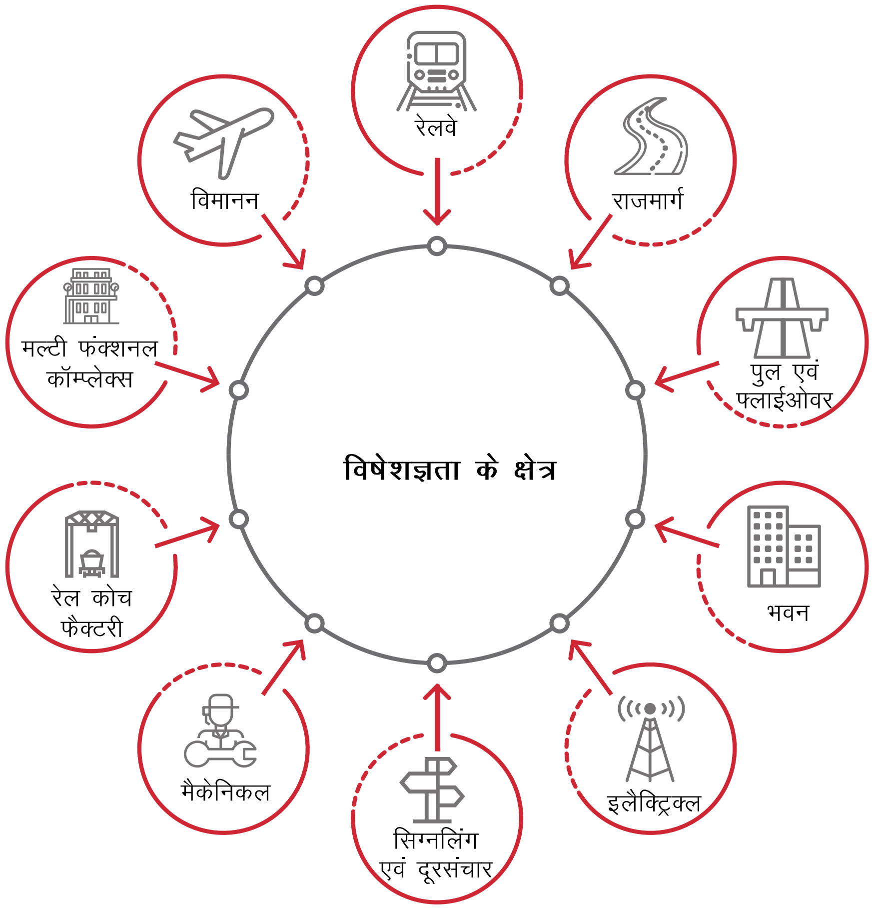

गुणवत्ता मानक

इरकॉन गुणवत्ता, पर्यावरण एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था के लिए आईएसओ प्रमाणित अनुसूची 'क' एवं मिनी रत्न – श्रेणी 1 में सार्वजनिक क्षेत्र की सूचीबद्ध कम्पनी है। वित्तीय वर्ष 2020 में कम्पनी द्वारा आईएसओ 9001–2015 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन सिस्टम का कार्यान्वयन कर लिया गया है। इसने आईएसओ 14001:2015 के अनुसार भी पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को भी क्रियान्वित किया है। इसके अलावा, केयर ने इरकॉन को दीर्घकालिक बैंक सुविधा के लिए 'केयर AAA; स्थिर/केयर A1+' की पुष्टि प्रदान की है।

वैधानिक स्थिति तथा स्वायत्ता

इरकॉन, सरकार से एक पृथक वैधानिक निकाय है, जिसे वैधिक, कार्यात्मक तथा वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त है और एक स्वतंत्र वाणिज्यिक उद्यम के रूप में निगमित कानूनों के अंतर्गत प्रचालन कर रही है, सरकार से किसी प्रकार की बजटीय या वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करती है और न ही यह सरकार पर आश्रित एजेंसी है। बहरहाल, रेल मंत्रालय तथा भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रम विभाग के माध्यम से भारत सरकार सभी सरकारी कंपनियों के संबंध में संसद के प्रति जवाबदेही के भाग के रूप में प्रत्येक वर्ष प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों के संबंध में समझौता ज्ञापन (एमओयू) की प्रणाली के माध्यम से इसकी मानीटरिंग करती है। सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी के रूप में कंपनी की कार्यप्रणाली को विनियमित करने तथा कुछ समरूपता लाने के लिए सरकार दिशा–निर्देश जारी कर सकती है और जारी करती भी है। बहरहाल, सरकार के किसी भी विभाग को इस कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का पर्यवेक्षण का अधिकार या प्रभाव या नियंत्रण का प्रयोग करने की क्षमता नहीं है तथा यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इसके निदेशक मंडल के अधीक्षण, नियंत्रण तथा निदेशों के अंतर्गत प्रबंधित तथा प्रचालित की जाती है।

वर्ष 2019 के दौरान, सरकार ने 31 मार्च 2019 को आरंभिक पब्लिक ऑफर और पब्लिक शेयरधारिता द्वारा प्रदत्त शेयर पूंजी के 10.53 प्रतिशत का विनिवेश किया है जो अब 10.82 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, इरकॉन को सूचीबद्ध कंपनियों के लिए प्रतिभूति संविदा विनियम नियम, 1957 के अंतर्गत निरंतर सूचीबद्धता अपेक्षा के रूप में निर्धारित न्यूनतम जन शेयरधारण (एमपीएस) मापदंडों के भाग के रूप में दिनांक 02 अगस्त 2020 तक कम से कम 25 प्रतिशत की जन शेयरधारिता को बढाना होगा, जो भारत सरकार द्वारा जनसाधारण को अपनी 14.18 प्रतिशत की धारिता को बेच कर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) के माध्यम से इरकॉन के इक्विटी शेयरों के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि, दिनांक 14 मई, 2020 को सेबी के परिपत्र की विचाराधीन व्यापार और बाजार की स्थितियों के मद्देनजर सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए छूट दी गई है, जिनके लिए एमपीएस आवश्यकताओं का अनुपालन करने की समयसीमा दिनांक 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक की अवधि के बीच है, और सलाह दी गई है दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 के परिपत्र के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज किसी भी दंडात्मक कार्रवाई को न करें।

इरकॉन द्वारा पिछले 44 वर्षों के दौरान विश्व में अनेक लैंडमार्क परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। कम्पनी सेक्टर एवं भौगोलिक कवरेज के संदर्भ में विविधता युक्त अवसंरचना कम्पनी बनने के प्रति सक्रिय रूप से ध्यान केन्द्रित कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2020 में इरकॉन का परिचालन टर्नओवर

₹5,202 करोड़ रूपए

यूएसए के इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड (ईएनआर) के 2020 संस्करण के अनुसार, शीर्ष 250 अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदारों की सूची में जगह बनाने वाला इरकॉन एकमात्र भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रक कंपनी है।

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, आधारभूत अवसंरचना के विकास के लिए बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में अवसर मौजूद हैं।

वित्तीय निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान कम्पनी की कुल आय पिछले वित्तीय वर्ष में 4,680 करोड़ रूपए की तुलना में 5,442 करोड़ रूपए है जो कि इरकॉन की स्थापना के पश्चात से सबसे उच्चतर है। लगभग 95.60 प्रतिशत कम्पनी की कुल आय, जो कि 5,202.45 करोड़ है, परिचालनों से प्राप्त हुई है। परिचालनों की कुल राशि में से 8.52 प्रतिशत, जो कि 443 करोड़ रूपए है, अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं से प्राप्त किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान, इरकॉन ने 5,202 करोड़ रुपये का परिचालन टर्नओवर दर्ज किया है, जो कि 4,415 करोड़ रुपये की तुलना 17.83 प्रतिशत बढ़ा है। घरेलू परियोजनाओं से परिचालन टर्नओवर 91.48 प्रतिशत है तथा अंतर्राष्ट्रीय

परियोजनाओं से 8.52 प्रतिशत है) तथापि, विदेशी परियोजना से लाभ 36.49 प्रतिशत है (घरेलू परियोजनाओं से 63.51 प्रतिशत की तुलना में)। अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं से परिचालन आय में 24.28 प्रतिशत की कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के टर्नओवर में कमी पिछले वर्ष दक्षिण अफ्रीका में परियोजना के पूरा होने के पश्चात परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत श्रीलंका रेलवे द्वारा 2019–20 की शुरुआत में श्रीलंका सरकार से यूएस डॉलर 91.27 मिलियन (लगभग 637.22 करोड़ रुपये के बराबर) के मूल्य के दिए गए आर्डर, जो कि अपने प्रारंभिक चरण में है और निकट भविष्य में इस परियोजना से कारोबार बढ़ेगा, को छोड़कर कोई नया आर्डर प्राप्त न होना है।

लाभ पूर्व कर (पीबीटी) और कर उपरांत लाभ (पीएटी) में क्रमशः 9.33 प्रतिशत और 10.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह क्रमशः 673 करोड़ रुपये और 490 करोड़ रुपये है।

चुकता अंतरिम लाभांश तथा आगामी वार्षिक आमसभा में शेयरधारकों द्वारा विचार एवं घोषणा के लिए प्रस्तावित लाभांश का विवरण निदेशक रिपोर्ट में "वित्तीय हाइलाइट" के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

महत्वपूर्ण परिवर्तनों का ब्यौरा अर्थात प्रमुख वित्तीय अनुपातों में वित्तीय वर्ष 2019 की तुलना में 25 प्रतिशत या उससे अधिक का परिवर्तन और इससे संबंधित विस्तृत स्पष्टीकरण नीचे दिए गए हैं।

क्र. सं.	अनुपात का नाम	फार्मूला	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2019–20 से तुलना के अनुसार प्रतिशत परिवर्तन	टिप्पणियां
1	देनदार टर्नओवर	परिचालनों से राजस्व/औसत लेखा प्राप्य	9.77	7.53	29.75 प्रतिशत	पिछले वर्ष की तुलना में औसत लेखा प्राप्य कम हुए हैं तथा परिचालनों से राजस्व बढ़ा है।
2	मालसूचिया टर्नओवर	परिचालन व्यय/ औसत मालसूची	13.55	15.81	-14.29 प्रतिशत	–
3	ब्याज कवरेज	ईबीआईटी/ब्याज व्यय	37.55	139.87	-73.15 प्रतिशत	ब्याज आय में पिछले वर्ष की तुलना में हुई वृद्धि 4.43 करोड़ रूपए से बढ़कर 18.40 करोड़ रूपए है
4	चालू अनुपात	चालू परिसम्पतियां/ चालू देयताएं	1.15	1.32	-12.88 प्रतिशत	–
5	परिचालन लाभ मार्जिन	(पीबीटी –अन्य आय)/टर्नओवर	0.083	0.079	5.06 प्रतिशत	–
6	निवल लाभ मार्जिन	निवल लाभ/योग आय	0.090	0.095	-5.26 प्रतिशत	–
7	निवल सम्पति पर लाभ	निवल लाभ/औसत निवल सम्पति	0.121	0.116	4.31 प्रतिशत	यह लाभ में वृद्धि के कारण है।
8	ऋण इक्विटी	नामे/योग शेयरधारक इक्विटी	0.44	0.65	-32.31 प्रतिशत	ऋण की किश्तों का भुगतान करने से ऋण कम हुआ है तथा निवल सम्पति में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है।

वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों का निर्माण लेखांकन मानकों के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया है तथा वित्तीय सूचना की रिपोर्टिंग में किसी प्रकार का कोई व्युतक्रम नहीं किया गया है।

परिचालनात्मक निष्पादन

सेक्टर निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान इरकॉन को 80.98 प्रतिशत से अधिक राजस्व योगदान रेलवे सेक्टर से प्राप्त हुआ है। इरकॉन के व्यापार का मुख्य ध्यान केन्द्रण क्षेत्र रेलवे है, तथापि कम्पनी राजमार्ग व्यवसाय की ओर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है जहां से लगभग 18.32 प्रतिशत का राजस्व प्राप्त हुआ है तथा शेष 0.70 प्रतिशत राजस्व इलैक्ट्रिक एवं भवन कार्यों से प्राप्त हुआ है।

पिछले तीन वर्षों का सेक्टर–वार तुलनात्मक स्थिति विवरण नीचे प्रस्तुत हैः–

(रुपए करोड़ में)

सेक्टर	वि. वर्ष 2020		वि. वर्ष 2019		वि. वर्ष 2018	
	परिचालन आय	प्रतिशत	परिचालन आय	प्रतिशत	परिचालन आय	प्रतिशत
रेलवे	4212.93	80.98	3,741.01	84.73	2,904	74.63
राजमार्ग	953.17	18.32	554.62	12.56	844	21.70
इलैक्ट्रिक्ल	17.69	0.34	97.35	2.20	89	2.29
भवन	1.08	0.02	5.26	0.12	48	1.23
अन्य	17.48	0.34	16.86	0.38	6	0.15
योग	**5202.45**	**100**	**4,415.10**	**100**	**3,981**	**100**

सेगमेंट वार निष्पादन :

(रुपए करोड़ में)

सेक्टर	वि. वर्ष 2020		वि. वर्ष 2019		वि. वर्ष 2018	
	कुल आय	प्रतिशत	कुल आय	प्रतिशत	कुल आय	प्रतिशत
विदेश	476.31	8.75	605	13	622	15
घरेलू	4965.41	91.25	4,075	87	3,499	85
योग	**5441.72**	**100**	**4,680**	**100**	**4,121**	**100**

वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान प्रारंभ की गई परियोजनाएं

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार इरकॉन की आर्डर बुक 30,713 करोड़ रूपए है जिसमें से 26,064 करोड़ रूपए के कार्य रेलवे खंड से नामांकन एवं प्रतिस्पर्धा आधार पर हैं।

वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा घरेलू बाजारों में 3 परियोजनाएं पूरी की गई हैं जिसका विवरण निदेशक रिपोर्ट में दिया गया है।

आगामी परियोजनाएं

इरकॉन के पोर्टफोलियों में लगभग 40 आनगोइंग परियोजनाएं है। जिनमें से चार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए अल्जीरिया, बांग्लादेश, नेपाल तथा श्रीलंका में हैं तथा शेष परियोजनाएं घरेलू बाजार में हैं।

शक्तियां

दूरदर्शिता एवं विविधता युक्त व्यवसाय : अपनी स्थापना के पश्चात से ही इरकॉन ने अपने व्यवसाय परिचालन विविधता सम्पन्न व्यवसाय क्षेत्रों में है। कंपनी रेलवे और राजमार्ग निर्माण के क्षेत्र में एक स्थापित कम्पनी है। इसके अलावा, यह वाणिज्यिक और आवासीय परिसरों, बिजली ट्रांसमिशन लाइनों, औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था, पुलों और फ्लाईओवर के अतिरिक्त क्षेत्रों में अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति कर रही है। इरकॉन ने अपने ऑन–टाइम और उच्च–गुणवत्ता वाली परियोजनाओं को पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड बनाए रखा है। इन विशेषताओं ने कंपनी को एक मजबूत प्रतिष्ठा विकसित करने में मदद की है जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख कंपनियों के लिए बोली लगाने के अवसर बढ़े हैं।

स्थापित ट्रैक रिकार्ड एवं सिद्ध परियोजना निष्पादन क्षमताएं : भारत सरकार की इरकॉन में 89.18 प्रतिशत

हिस्सेदारी है। कंपनी 1998 से एक मिनी रत्न श्रेणी –1 का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसने रेलवे निर्माण कंपनी के रूप में परिचालन प्रारंभ किए थे और साथ ही अन्य निर्माण गतिविधियों में विविधता स्थापित की थी। तथापि, रेलवे और राजमार्ग कंपनी के मुख्य परिचालन क्षेत्र हैं, जो समीक्षाधीन वर्ष के दौरान क्रमशः राजस्व में लगभग 80.98 प्रतिशत और 18.32 प्रतिशत योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा, इरकॉन ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में बड़े परिमाण के परियोजना निष्पादन में असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन किया है।

सुदृढ़ वित्तीय निष्पादन एवं क्रेडिट प्रोफाइल : इरकॉन का एक मजबूत क्रेडिट प्रोफाइल है जिसमें 3,850 करोड़ रुपये की गैर–निधि आधारित अतिरिक्त बैंक सीमाएं शामिल हैं, जिनमें से 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार लगभग 2,142 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। 31 मार्च, 2020 तक, कंपनी की वित्तीय प्रोफाइल में स्वस्थ लाभप्रदता मार्जिन और सौम्य रोकड़ प्रवाह की स्थिति है। प्रस्तावित लाभांश के अनुमोदन और भुगतान के बाद, शेयरधारकों को दिया जाने वाला संचयी लाभांश 1,918.32 करोड़ रुपये है जो लगभग 4.94 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के मुकाबले है। आमतौर पर, कंपनी के स्थिर व्यापार मॉडल ने अपनी वित्तीय ताकत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपनी परियोजनाओं के लिए इरकॉन की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता मुख्य रूप से ग्राहक अग्रिमों के साथ–साथ आंतरिक अभिवृद्धि से पूरी होती है, जो मुख्य रूप से कठिन क्षेत्रों और क्षेत्रों में बड़ी और जटिल परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए अपनी व्यावसायिक वृद्धि और क्षमता द्वारा समर्थित है।

तथापि, दुनिया भर में कोविड–19 महामारी से व्यावसायिक गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं, लेकिन कंपनी का मानना है कि इस प्रकार, कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर कोविड–19 महामारी का कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं है क्योंकि राजस्व और लाभप्रदता के मामले में कंपनी ने अपने बजटीय राजस्व को दर्ज किया है।

कंपनी लगातार अपने परिचालन की समीक्षा कर रही है और महामारी के कारण व्यर्थ हुए समय के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तथापि प्रबंधन को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2021 में राजस्व और लाभप्रदता में कमी होगी, लॉकडाउन व्यवधान के प्रभाव का समय–समय पर मूल्यांकन किया जाएगा।

संतुलित निष्पादन एवं सुदृढ़ आर्डर बुक : इरकॉन घरेलू के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सेवाएं प्रदान करके प्रतिस्पर्धी बोली और नामांकन के माध्यम से अपनी ऑर्डर बुक प्राप्त करता है। रेलवे खंड में प्राप्त अधिकांश आर्डर नामांकन के आधार पर हैं जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए, यह प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से है। कंपनी के ग्राहक आधार में मुख्य रूप

इरकॉन की भौगोलिक कवरेज

25 देश

इरकॉन ने अपनी विशेषज्ञता और पेशेवर दृष्टिकोण के साथ विभिन्न सेक्टरों में परियोजना निष्पादन एवं रणनीतिक विविधता के प्रति अपने काम के क्षितिज को विस्तारित किया है।

से केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रमों जैसे कि रेल मंत्रालय, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शामिल हैं, जो काफी हद तक प्रतिपक्ष जोखिम कम हो जाता है।

प्रक्रियाएं एवं विधियां : इरकॉन ने सबसे चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं पर संकुचित शैड्यूल को पूरा करते हुए किफायती समाधान और गुणवत्ता आउटपुट प्रदान करने के लिए उद्योग में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली की स्थापना की है। विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में कंपनी के विविधीकरण, परियोजना निष्पादन के लिए अपनी विशेषज्ञता और पेशेवर दृष्टिकोण के साथ, इरकॉन ने न केवल अपने काम के क्षितिज को विस्तारित किया है, बल्कि किसी एक क्षेत्र या परियोजना के प्रकार पर निर्भरता को कम किया है, और साथ ही स्वयं को भौतिक सीमाओं को पार करने के लिए भी प्रेरित किया है।

भौगोलिक कवरेज : इरकॉन के पास व्यापक भौगोलिक फुटप्रिंट है जिसने कंपनी को विभिन्न अनुबंधों जैसे डीबीएफओटी, ईपीसी, एचएएम, वार्षिकी का अंवेषण करने और विविधता लाने में सहायता मिली है। इसने संयुक्त उद्यम और विशेष उद्देश्य वाहक जैसी रणनीतिक व्यावसायिक व्यवस्थाओं के माध्यम से परियोजनाएं भी विकसित की हैं। वित्तीय वर्ष 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने 25 देशों और भारत के 24 राज्यों में परियोजनाएं विकसित की हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान श्रीलंका में अवसंरचना परियोजना भी हासिल की है।

अनुभव प्राप्त मानव पूंजी एवं सिद्ध प्रबंधन दल : इरकॉन की शक्ति प्रशिक्षित और अनुभवी जनशक्ति की अपनी टीम में निहित है। टीम के पास रेलवे और राजमार्ग, डिजाइन और निष्पादन इंजीनियरों और व्यवसाय विकास प्रबंधकों की विशेषज्ञता से युक्त व्यावसायिकों का एक असाधारण प्रतिभा पूल है। वे ईपीसी, डीबीएफओटी और एचएएम मॉडल पर आधारित उच्च–मूल्य की परियोजनाओं पर काम करते हैं। इसके अतिरिक्त, अपने कर्मचारियों के कौशल सेट कंपनी को अपने ग्राहकों की जरूरतों और उन्हें पूरा करने वाली विभिन्न परियोजनाओं की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुकूल होने की

सुविधा देते हैं। इसके अलावा, इरकॉन कंपनी या प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित नियमित तकनीकी सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से अपने कर्मचारियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें एक प्रबंधन टीम है जो निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास में योग्य और अनुभवी है।

कार्य क्षेत्र एवं अवसर

आर्थिक एवं सेक्टर प्रयास : सरकार द्वारा अवसंरचना क्षेत्र के विकास में अपनी रूचि पुनः दिखाते हुए आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए विभिन्न आर्थिक और औद्योगिक पहल की गई हैं। कोविड–19 के उद्भव के कारण अर्थव्यवस्था के सम्मुख व्याप्त संकट के बावजूद, रेलवे क्षेत्र के लिए आवंटित बजट में सरकार ने कोई समझौता नहीं किया है। इसके अलावा, रेल मंत्रालय ने महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इस विकास से उच्च गुणवत्ता वाली सरकारी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए इरकॉन को और अधिक अवसर प्राप्त हो सकते है। कंपनी सरकार की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं जैसे स्मार्ट सिटी मिशन और मेट्रो रेल के साथ अतिरिक्त अवसंरचना के विकास के अवसरों की तलाश कर रही है। यह भारतीय राज्यों में राजमार्ग परियोजनाओं में अवसरों का अनुगमन प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के माध्यम से ग्रामीण सड़कों के साथ बस्तियों को जोड़ने, रेलवे स्टेशनों का पुनः विकास करने के कार्यों के लिए कर रही है। रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास के लिए इरकॉन की संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम के पास 400 क्लास–ए स्टेशनों के निर्माण का दायित्व है, जो कंपनी के लिए उच्च–गुणवत्ता वाले रेलवे स्टेशनों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं : गुणवत्ता सम्पन्न अंतर्राष्ट्रीय

परियोजनाओं के अपने पोर्टफोलियो के कारण इरकॉन की बॉटम लाइन निरंतर स्वस्थ स्थिति में बनी हुई है। कंपनी ने एजेंटों की नियुक्ति के लिए अपनी नीति तैयार की है जो वैश्विक बाजारों में व्यापार के अवसर प्राप्त करने में मदद करेगी। इरकॉन अति महत्वाकांक्षा के साथ बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में अवसंरचना परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। इसके अतिरिक्त, कंपनी रेलवे और राजमार्ग परियोजनाओं के लिए अफ्रीकी देशों में कार्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं करेगी। इरकॉन ने आर जे डी इंटरनेशनल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जो कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में रेलवे और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं के संयुक्त विकास के अवसरों का पता लगाने के लिए एक सरकारी स्वामित्व वाली रूसी रेलवे कंपनी है। समझौता ज्ञापन के अनुसार, दोनों टीमें एक संयुक्त भारतीय–रूसी कार्य समूह बनाने पर सहमत हुए हैं। यह समूह न केवल भारत में, बल्कि परस्पर हित के देशों में रेलवे और अन्य अवसंरचना के क्षेत्र में परियोजनाओं के समन्वय, योजना और बाद में मजबूत भागीदारी विकसित करने के लिए मजबूत भागीदारी के तरीकों पर ध्यान देगा।

रणनीतिक समझौता ज्ञापन एवं गठबंधन

नए व्यवसाय अवसरों का पता लगाने के लिए इरकॉन द्वारा रणनीतिक समझौता ज्ञापन किए गए है। इरकॉन की मौजूदा और भविष्य की परियोजनाओं में इक्विटी भागीदारी में सहयोग के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष लिमिटेड (एनआईएफएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने और सहयोग के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष लिमिटेड (एनआईएफएल) और आयना अक्षय ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड (एवाईएएनए) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इरकॉन और आयना को संयुक्त उद्यम /कंसोर्टियम बनाने के लिए, इरकॉन भारतीय रेलवे की उपभोग आवश्यकताओं के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन के अवसरों की पहचान करेगा। इरकॉन ने माल और यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए आधुनिक रेलवे नेटवर्क और संबद्ध अवसंरचना को विकसित करने के लिए रेल विकास मंत्रालय, घाना गणराज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है।

कंपनी ने लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एलएंडटी) के साथ भारत और विदेशों में बंदरगाहों, बंदरगाह, पुलों की सुरंगों, मेट्रो रेल जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार के अवसरों को संयुक्त रूप से निष्पादित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इरकॉन ने बीईएमएल लिमिटेड के साथ सहकार्यता की है,जो बीईएमएल द्वारा निर्मित और रोलिंग स्टॉक को बनाए रखने और जिन देशों में बीईएमएल और इरकॉन का व्यवसाय हित और उपस्थिति है, सहित रेलवे

डिलीवर की गई
परियोजनाओं की कुल संख्या

518+

> **इरकॉन ने प्रौद्योगिकी एवं निर्माण की उस विधि को अंगीकार किया है जिससे प्रतिस्पर्धियों से बेहतर होने का सुनिश्चय होने के साथ साथ कम्पनी की कार्य कुशलता में भी सुधार होता है।**

परियोजनाओं को शुरू करने के लिए है। कंपनी ने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विभिन्न क्षेत्रों में नए व्यापार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक सामान्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मलेशिया में रेलवे, राजमार्ग और निर्माण परियोजनाओं में संभावित अवसरों को ज्ञात करने के लिए, मैसर्स एपेक्स कम्युनिकेशन बेरहाद, मलेशिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

परियोजना मॉडलः ईपीसी, डीबीएफओटी, एचएएम और वार्षिकी के आधार पर राजमार्ग क्षेत्र में कई उच्च–मूल्य की परियोजनाएँ संभावित हैं। इरकॉन ने बीओटी, डीबीएफओटी और एचएएम आधार पर परियोजनाओं के निष्पादन के लिए एसपीवी के रूप में चार पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना की है और भारत के तीन राज्यों में कोयला कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए गठित संयुक्त उद्यम कंपनियों में रणनीतिक हिस्सेदारी की है। कंपनी ईपीसी, एचएएम और वार्षिकी आधार सहित कई परियोजना निष्पादन मॉडल के तहत टर्नकी परियोजनाओं का संचालन करने के लिए तैयार है।

प्रौद्योगिकी उन्नयनः कंपनी ने उन्नत प्रौद्योगिकी और निर्माण पद्धति को अपनाया है जिससे प्रतियोगियों पर बढ़त सुनिश्चित हो पाती है। इससे परिचालन क्षमता और बेहतर बनती है, विश्वसनीयता स्थापित होती है, ऑर्डर बुक वैल्यू बढ़ती है और ग्राहकों की संतुष्टि मिलती है। इसके अलावा, इरकॉन का लक्ष्य अपने कर्मचारियों को प्रचलित प्रौद्योगिकियों से परिचित होने के लिए प्रशिक्षित करने और ऐसी अवसंरचना परियोजनाओं का अंवेषण करना है जिनमें नवीनतम तकनीक की आवश्यकता है।

प्रमुख विचारणीय क्षेत्र

बाजार में कड़ी प्रतियोगिताः इरकॉन एक प्रतिस्पर्धी माहौल में काम कर रही है और इसकी प्रतिस्पर्धा विभिन्न घरेलू और विदेशी इंजीनियरिंग, निर्माण और अवसंरचना कंपनियों के साथ है। जिस उद्योग में इरकॉन कार्य कर रहा है, वह परियोजनाओं के अधिग्रहण और बोली के लिए गहन मूल्य प्रतियोगिता के अध्याधीन है। इसकी प्रतियोगिता परियोजना के आकार, प्रकृति,

जटिलता और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भिन्न होती है। इसके अतिरिक्त, यह अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बढ़ाने के लिए अपने वित्तीय संसाधनों के साथ–साथ उद्योग विशेषज्ञता का लाभ उठाने का प्रयास करता है। जबकि सेवा की गुणवत्ता, तकनीकी क्षमता और प्रदर्शन, कार्यबल और प्रतिष्ठा के स्वास्थ्य और सुरक्षा रिकॉर्ड ग्राहकों के निर्णयों में आवश्यक विचार का कारक होते हैं, प्रतिस्पर्धी मूल्य भी एक महत्वपूर्ण कारक है।

रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में एक प्रमुख कम्पनी होने और राजमार्ग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उद्यमी के रूप में इरकॉन, कंपनी के लिए पूर्वकाल में व्यापार का एक उचित भाग सुरक्षित करने में सक्षम रहा है। तथापि, अन्य कम्पनियों के साथ भारी प्रतिस्पर्धा ने कंपनी के लिए आइटम दर अनुबंधों में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल बना दिया है। इसके अलावा, नियोक्ताओं द्वारा योग्यता की आवश्यकता को कम करने के साथ, एक बड़ी संख्या में ठेकेदार रेलवे खंड में विविधता ला रहे हैं जिससे कंपनी के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।

अवसंरचना क्षेत्र के नए संगठनों में से अधिकांश उच्च जोखिम लेने और कम मुनाफे पर काम करने के लिए अपनी ऑर्डर बुक की स्थिति बढ़ाने और बाजार में व्यापक हिस्सेदारी पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं। इससे उद्योग में इरकॉन के लिए प्रतिस्पर्धा और बढ़ जाती है।

तथापि, प्रत्येक संगठन को एक निश्चित कानूनी रूपरेखा के दायरे में काम करना पड़ता है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में इरकॉन को अपेक्षाकृत अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो निजी इंजीनियरिंग कंपनियों पर लागू नहीं होती हैं। यह इरकॉन के लिए प्रतियोगी बाजार में एक असुविधाजनक स्थिति है। अनुबंधों को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद इरकॉन को वे अनुबंध प्राप्त होते हैं जिनमें कंपनी निर्धारित पूर्व–योग्यता मानदंडों को पूरा कर रही है। कंपनी की प्रतियोगिता परियोजना के उस आकार, प्रकृति और जटिलता और भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर करती है जिसमें परियोजना को निष्पादित किया जाना है।

कंपनी निर्माण उद्योग के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और मूल्य में कटौती के वातावरण में काम कर रही है जहां परिचालन के पारंपरिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण लाभ मार्जिन घट रहा है।

कंपनी को उच्च प्रौद्योगिकी और उच्च गति वाली रेलवे परियोजनाओं और पीपीपी निवेश परियोजनाओं जैसे उच्च मूल्य परियोजनाओं में पहुंच का विस्तार करने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा।

काम रुकने और श्रमिकों की कमी: इरकॉन का व्यवसाय परिचालन श्रम गहन हैं, जिसमें उप–ठेकेदारों द्वारा विशिष्ट परियोजनाओं के लिए काम पर रखे गए अनुबंध कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। तथापि, कोविड–19 महामारी ने हजारों श्रमिकों की बड़े पैमाने पर घर वापसी हुई है। इसके परिणामस्वरूप श्रम की कमी और निर्माण रुक जाएगा, जो कुछ परियोजनाओं के पूरा होने और उनकी डिलीवरी में देरी करेगा। इसके अलावा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और बेहतरी के लिए उप–ठेकेदार की बढ़ी हुई लागत महामारी के दौरान परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ–साथ नए कानून और नियामक अनुपालन को ध्यान में रखते हुए लागत में वृद्धि होगी।

मुद्रा विनिमय दर में उतार–चढ़ाव: इरकॉन ने अपने परिचालन श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, इथोपिया और

मोजाम्बिक जैसे नए भौगोलिक क्षेत्रों में किए हैं। वर्तमान में, कंपनी अल्जीरिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में कार्य कर रही है।

भारत के बाहर स्थित परियोजनाओं के लिए, भुगतान की शर्तों को विदेशी मुद्राओं में दर्शाया जाता है और कंपनी को इस तरह के अनुबंधों के अनुसार प्रतिकूल विनिमय दर के प्रभाव की लागत वहन करनी पड़ता है। तदनुसार, इन मुद्राओं के प्रति रुपये के मूल्य में किसी भी उतार–चढ़ाव का प्रभाव उन दायित्वों को पूरा करने और जारी रखने के लिए रुपये की लागत पर होगा, जो इरकॉन को वहन करना होता है। यह कारक कंपनी विनिमय दर जोखिम है जिससे इसके परिचालन और वित्तीय स्थिति के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

कोविड–19 के प्रति प्रतिक्रिया

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने 11 मार्च 2020 को नए कोरोना वायरस (कोविड–19) के प्रकोप को एक वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने 24 मार्च, 2020 को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी और अस्थायी रूप से गैर–आवश्यक व्यवसायों को बंद करने का आदेश दिया, माल और सेवाओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए, और यात्रा सहित अन्य अनेक प्रतिबंध लगाए गए ।

इरकॉन द्वारा निष्पादित किए जाने वाले व्यवसाय की प्रकृति, गैर–आवश्यक श्रेणी के अंतर्गत आती है, कंपनी ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी लॉकडाउन निर्देशों के अनुपालन में सभी चल रही परियोजनाओं में अस्थायी रूप से परिचालन निलंबित कर दिए थे। इन राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन प्रतिबंधों ने 24 मार्च, 2020 के बाद से लॉकडाउन की अवधि के दौरान परियोजना निष्पादन, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और कर्मियों की अनुपलब्धता के साथ कंपनी के सामान्य परिचालनों को प्रभावित किया है।

केंद्र और राज्य सरकार ने लॉकडाउन को समाप्त करने के लिए उपाय किए गए हैं और कंपनी ने तदनुसार उनका पालन करते हुए अपने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू किया है। कंपनी मई की शुरुआत से क्रमिक तरीके से विभिन्न परियोजना स्थलों पर परिचालन फिर से शुरू कर पाई है। इसने अपने सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानी बरती है और केंद्र और राज्य सरकारों के अनुसार कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया और सभी दिशानिर्देशों को भी लागू किया है। इरकॉन को यह संभावना प्रतीत हो रही है कि लॉकडाउन के बाद स्थिति सामान्य होने पर प्रवासी मजदूर धीरे–धीरे काम करना शुरू कर देंगे और निर्माण गतिविधियां फिर से अपने इष्टतम स्तर पर स्थापित हो जाएंगी। इस बीच, कंपनी निर्माण की गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में संवर्धन की विधि खोज रही है।

इरकॉन की सुदृढ़ आर्डर बुक

₹30,713

> **देश में इरकॉन की बढ़ती हुई भौगोलिक कवरेज से कम्पनी को भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए महत्व प्राप्त होने तथा उद्योग में अपनी स्थिति को समेकित करने की संभावना है।**

वित्तीय निष्पादन पर प्रभाव

इरकॉन का मानना है कि इस प्रकार, राजस्व और लाभप्रदता के मामले में कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर कोविड–19 महामारी का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है क्योंकि इसने वित्त वर्ष 2020 के लिए अपने बजट राजस्व को दर्ज किया है।

रोकड़ प्रवाह

इरकॉन के पास अपने परिचालनों के लिए पर्याप्त रोकड़ प्रवाह है। कंपनी का अल्पकालिक निवेश ऐसे साधनों में है, जिन्हें जरूरत के आधार पर नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा, कंपनी के पास 30,700 करोड़ रुपये से अधिक की मजबूत ऑर्डर बुक है, जो पर्याप्त रोकड़ प्रवाह प्रदान करती है।

कंपनी को वर्तमान आर्थिक स्थिति के आधार पर उपलब्ध सूचना के अनुसार अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, उपयोग अधिकार वाली अमूर्त परिसम्पतियों, मालसूची, अग्रिम, व्यापार प्राप्य, आस्थगित कर, अन्य वित्तीय और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों से युक्त अपनी संपत्ति की वहन राशि की वसूली की संभावना है।

निर्बाध व्यवसाय संचालन के लिए आवश्यक कदम

इस लॉकडाउन अवधि के दौरान, इरकॉन ने कोविड –19 लॉकडाउन के पश्चात व्यवसाय के लिए नए सामान्य की स्थापना की दिशा में किए जाने वालों उपायों पर विचार किया है। सरकारी प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी ने गैर–जोखिम वाले स्थानों का निर्धारण करने के साथ साथ घर से कार्य करने के मानदंड एवं कर्मचारियों के रोस्टर तैयार किए गए हैं। इसके अलावा, कंपनी द्वारा निम्नलिखित सुनिश्चित करने के लिए कोविड –19 के लिए कड़ी निगरानी प्रक्रियाओं को उपयोग में लाया जा रहा है:

» सभी कर्मचारियों और आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग
» नियमित रूप से परिसर और वाहनों को सेनिटाइज करना
» सभी कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का रखरखाव

- मास्क पहनना और हाथों की नियमित सफाई करना
- सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों के नियमित स्वास्थ्य अपडेट
- अपने सभी कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना

कोविड –19 से भविष्य पर होने वाले प्रभाव के अनुमान

परियोजना स्थलों पर काम शुरू होने के साथ, इरकॉन लगातार अपने परिचालनों की समीक्षा कर रहा है और महामारी के कारण व्यर्थ हुए समय की अनुकूलता के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2021 में राजस्व और लाभप्रदता में कमी की संभावनाएं हैं, परन्तु इसके लिए चालू वर्ष के दौरान प्रगति करते हुए लॉकडाउन व्यवधान के प्रभाव का समय–समय पर मूल्यांकन एवं उसके सजग होना अपेक्षित है। राज्य और केंद्र सरकारों और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न महामारी रोकथाम प्रयासों की सफलता पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए, इस स्तर पर विश्वसनीयता के साथ भविष्य के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाने संभव नहीं हैं।

वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का वास्तविक प्रभाव लगाए गए अनुमानों से भिन्न हो सकता है, क्योंकि कोविड 19 का प्रसार भारत और विश्व स्तर पर हो रहा है। तथापि, कंपनी भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

व्यापारिक रणनीतियां

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भौगोलिक उपस्थिति का विस्तारः

इरकॉन आक्रामक रूप से सेक्टरल एवं भौगोलिक कवरेज, दोनों, के साथ विविधता अवसरंचना कम्पनी बनने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है । कंपनी ने परिवहन इंजीनियरिंग, सिविल और औद्योगिक निर्माण, और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं में अपने अवसंरचना कार्य विशेषज्ञता में विविधता का समावेश करके किए है। इसके अतिरिक्त, भारत में अपनी व्यापक उपस्थिति के साथ, यह अपने व्यवसाय मॉडल के लिए पर्याप्त अवसरों की खोज करके घरेलू स्तर पर अपने परिचालनों को और अधिक विस्तारित करने का मंशा रखता है। अपनी भौगोलिक कवरेज का विस्तार करने और देश के भीतर नए क्षेत्रों में भूमिका बढ़ने से, इरकॉन भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिक परियोजनाओं को लेने में सक्षम होगा और अवसंरचना के क्षेत्र में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। इसके अलावा, जबकि यह रेलवे क्षेत्र में अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा, पोर्टफोलियो विविधीकरण के माध्यम से, इसे विशिष्ट क्षेत्रों या परियोजनाओं में जोखिम के खिलाफ बचाव करने की संभावना है, और विशेष रूप से उद्योग क्षेत्रों और ६ या सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापार एकाग्रता से उत्पन्न बाजार विविधताओं से स्वयं का बचाव कर सकता है। । बढ़ते अनुभव और सफलता के साथ, कंपनी को उम्मीद है कि निर्माण उद्योग में सर्वश्रेष्ठ या उससे बेहतर विस्तार की दर के साथ अपने व्यवसाय में लगातार वृद्धि देखी जा सकती है।

इसके अलावा, कंपनी का लक्ष्य उद्योग क्षेत्रों में विविधता लाने की अपनी रणनीति को जारी रखते हुए घरेलू परियोजनाओं की तुलना में अच्छे लाभ मार्जिन वाली परियोजनाओं को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से अधिक ऑर्डर प्राप्त करना है।

राजस्व उत्पति के माध्यमः इरकॉन धीरे–धीरे केवल अपनी परियोजनाओं के माध्यम से आय अर्जित करने के स्थान पर नियमित रूप से अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवी) के माध्यम से राजस्व और लाभ उत्पन्न करने की प्रक्रिया कर रहा है। मौजूदा परियोजनाओं और नई परियोजनाओं के निरंतर संचालन के कारण इरकॉन की सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों में संधारणीय आधार पर राजस्व और लाभ उत्पन्न करने की संभावनाएं व्याप्त हैं। कंपनी का लक्ष्य बीओटी, डीबीएफओटी, ईपीसी और अन्य परियोजना विकास कार्य करने के अपने एवं अपनी सहायक कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यम कम्पनियों के माध्यम से करने के साथ एक निर्माण कम्पनी के स्थान पर एक विविधता सम्पन्न पोर्टफोलियों पोर्टफोलियो वाली कम्पनी का स्वरूप धारण करना है।

नई परियोजनाओं के लिए सक्रिय होकर बोलीः इरकॉन की व्यावसायिक वृद्धि को मुख्य रूप से सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली बड़ी परियोजनाओं में अधिक कार्य सक्रियता से सम्बद्ध किया जाता है। टर्नकी आधार पर रेलवे की परियोजनाओं के निष्पादन में कंपनी की लंबे समय से चली आ रही प्रतिष्ठा और विशेषज्ञता के साथ, इसके व्यवसाय का एक बड़ा हिस्सा परियोजनाओं द्वारा संचालित है, जो सीधे सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इरकॉन का लक्ष्य अपने प्रतिद्वंद्वियों के प्रति अपनी लाभकारी स्थिति को भुनाकर अपनी प्रवीणता और वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास द्वारा संचालित बड़ी–उच्च गुणवत्ता वाली परियोजनाओं को शुरू करना है। भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों से कंपनी के लिए विकास की गति को जारी रखने में मदद मिलेगी।

कंपनी अन्य प्रमुख निजी कम्पनियों के साथ घरेलू और विदेशी बाजारों में रणनीतिक गठजोड़ तैयार करने और व्यापार के अवसरों के अपने कार्यों का और विस्तार करने के लिए आक्रामक तरीके से बोलियों में भाग लेने का भी प्रयास करती है।

अनुकूल वित्तीय जोखिम प्रोफाइलः इरकॉन का वित्तीय प्रोफाइल बेहतर लाभप्रदता मार्जिन और अपने परिचालनों में योगदान देने वाले सुगम रोकड़ प्रवाह की स्थिति को इंगित करता है, । कंपनी की मंशा है कि ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों और परियोजनाओं के प्रति कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए आंतरिक अभिवृद्धि द्वारा न्यूनतम ऋण के साथ अपनी सकारात्मक पूंजी संरचना को बनाए रखा जाए। इसके अलावा, उच्च लाभ प्राप्त करने के लिए इरकॉन अपने तुलन पत्र पर पड़ने वाले अधिक भार अथवा इसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालने वाली परियोजनाओं से बचकर उच्चतर लाभ प्राप्त करना चाहता है।

सरकार द्वारा किए गए सेक्टरल प्रयासः वर्षों से, भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए विभिन्न मैक्रो–स्तरीय और क्षेत्रीय प्रयास किए जा रहे हैं। अवसंरचना क्षेत्र, विशेषकर रेलवे क्षेत्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। अवसंरचना क्षेत्र को विकसित करने के लिए सरकार के बढ़ते प्रयासों के साथ, इरकॉन अपने व्यवसाय के लिए कई अवसर प्राप्त करने में सक्षम रहा है। कंपनी का लक्ष्य अपने स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड का लाभ उठाकर और परिवहन इंजीनियरिंग, नागरिक और औद्योगिक निर्माण और अन्य अवसंरचना परियोजनाओं में अपनी अवसंरचनात्मक विविधता प्रदान करके इन अवसरों को भुनाना है।

प्रतिभा पूल को आकर्षित करना एवं धारण करनाः इरकॉन अपने प्रतिभाशाली कर्मचारियों के महत्व और कंपनी की सफलता में उनकी भूमिका को पहचानता है। यह आधुनिक निर्माण उपकरणों को संचालित करने, इसकी जटिल निर्माण परियोजनाओं पर विभिन्न कार्यों को पूरा करने और मांग के अनुकूल समय पर अपने ग्राहकों को गुणवत्ता प्रदान करने के लिए उन पर निर्भर है। एक कुशल मानव संसाधन प्रणाली के साथ, इरकॉन अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह नियमित रूप से कार्य सम्बद्ध कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कार्यबल को आगे बढ़ाने का इरादा रखता है। इसके अतिरिक्त, इरकॉन का लक्ष्य अपनी महिला कर्मचारियों को एक सहज और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कंपनी के पास एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) है। यह विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के लिए कार्यशालाओं की व्यवस्था करता है, जो आत्मरक्षा, स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित क्षेत्रों को कवर करता है। यह दिल्ली पुलिस और वरिष्ठ डॉक्टरों के सहयोग से किया जाता है। इन प्रयासों के अलावा, इरकॉन का इरादा अपेक्षाकृत कर्मचारी संघर्षण दर को कम रखना है और अपने भविष्य के विस्तार के लिए अपने अधिक कुशल कर्मचारियों को बनाए रखना है। यह बेहतर समग्र लाभ पैकेज और सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी वातावरण प्रदान करके किया जाता है।

जोखिम प्रबंधनः

कंपनी में एक वृहत उपक्रम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) फ्रेमवर्क विद्यमान है। ईआरएम फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन के भाग के रूप में तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम,

इरकॉन की जोखिम प्रबंधन समिति जोखिमों का संज्ञान एवं समीक्षा करती है तथा जोखिमों के निवारण के लिए कार्रवाई योजना तैयार करती है। समिति कम्पनी द्वारा जोखिम प्रबंधन के लिए अंगीकार किए गए फ्रेमवर्क की पर्याप्तता की भी निगरानी करती है।

2015 की शर्तों के अनुसार, इरकॉन में बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) विद्यमान है जो जोखिम तत्वों, उनके निवारण योजनाओं आदि के संबंध में बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करती है। आरएमसी को जोखिमों की पहचान करने और उनकी समीक्षा करने, तथा जोखिम निवारण के लिए कार्य योजनाओं और नीतियों को तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। आरएमसी का मुख्य कार्य विभिन्न जोखिमों की मॉनीटरिंग करना और कंपनी द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन नीति और पद्धतियों की उपयुक्तता की जांच करना और कंपनी के प्रचालनों और अन्य प्रमुख कार्यौत्मक क्षेत्रों में उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए कार्रवाई आरंभ करना भी शामिल है।

ईआरएम के अनुसार इरकॉन में कार्यपालक निदेशक (बोर्ड स्तर से नीचे) तथा मुख्य महाप्रबंधक स्तरों, व्यवसाय समूह, तथा आंतरिक लेखापरीक्षा के स्तर पर त्वरित कार्यदल विद्यमान है, जो इसके कार्यौन्वयन को सुनिश्चित करता है। इस फ्रेमवर्क के अनुसार जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं तथा जोखिम प्रबंधन पर एम आई एस रिपोर्टों सहित एमआईएस रिपोर्ट फार्मेट तैयार किए गए हैं जिनकी लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है। त्वरित कार्यदल तथा आंतरिक लेखापरीक्षा से प्राप्त रिपोर्टों को जोखिम प्रबंधन समिति के माध्यम से लेखापरीक्षा समिति को समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

परियोजना प्रबंधन जोखिम

भारत में परियोजनाओं के निष्पादन में मुख्य चिन्ता का विषय दायित्वों से मुक्त भूमि की गैर उपलब्धता और आरेखणों और अनुमानों के अनुमोदन में विलंब है जिसके कारण समय तथा लागत के बढ़ जाने का जोखिम रहता है, जिसे कई बार क्लाइंटों द्वारा पूरा किया जाता है। परियोजनाओं से सृजित होने वाले राजस्व का पूर्वानुमान कठिन है और इसमें विभिन्न कारकों के कारण परिवर्तन की संभावना रहती है।

कोषीय जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के बीएएसईएल–।। मापदंडों के आधार पर वर्ष 2008–09 के दौरान क्रेडिट एनेलेसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (सीएआरई) द्वारा दीर्घकालीन गैर–निधि आधारित बैंक सुविधाओं के लिए ''सीएआरई एएए'' रेटिंग तथा अल्पकालीन गैर निधि आधारित बैंक सुविधाओं के लिए ''ए1+'' रेटिंग प्रदान की गई है। सीएआरई द्वारा अक्टूबर, 2019 में वार्षिक निगरानी समीक्षा द्वारा इन रेटिंगों की पुनःपुष्टि की गई है। इसके अतिरिक्त, इरकॉन विभिन्न देशों में अपने व्यवसाय को प्रचालित कर रहा है और, इसलिए, उसे विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करना पड़ता है। विदेशों में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए विदेशी बैंकों में कुछ निधियों का निवेश किए जाने की आवश्यकता होती है ताकि अस्थाई रोकड़ प्रवाह अंतर के कारण उत्पन्न किसी आकस्मिकता से निपटा जा सके। तथापि, विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करने से विदेशी विनिमय जोखिम बना रहता है और मुद्रा के विनिमय किए जाने से पूर्व विनिमय मुद्रा में प्रतिकूल परिवर्तन हो सकते हैं। विदेशी मुद्रा जोखिम को न्यूनतम बनाने या समाप्त करने के लिए इन विनिमय दर उच्चावचनों की निरंतर मॉनीटरिंग की जाती है और उपयुक्त समय में तथा नियमों के अनुसार सरप्लस निधियों को विनियमित/भारत में लाया जाता है। विभिन्न विदेशी परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा इनफ्लो तथा आऊटफ्लो में समानता स्थापित करके प्राकृतिक समतुल्य स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, उचित तथा पारदर्शी रूप से विदेशी बैंकों में निधियों के स्थापन को सुनिश्चित करने के लिए विदेशी परियोजनाओं के लिए निवेश दिशा–निदेश निर्धारित किए गए हैं।

इरकॉन की जोखिम प्रबंधन समिति जोखिमों की पहचान करती है और उनकी समीक्षा करती है, तथा जोखिम को कम करने के लिए कार्य योजनाएं तैयार करती है। समिति कंपनी क्षरा स्वीकार की गई जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की उपयुक्तता की निगरानी भी करती है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इसकी उपयुक्तता

प्रचालन तथा वित्तीय आंतरिक नियंत्रण की एक सुव्यवस्थित अभिकल्पित तथा निरंतर सुदृढ़ प्रणाली से कंपनी के निदेशक मंडल तथा प्रबंधन को अपने संसाधनों को सुरक्षित रखने, विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टों को प्रस्तुत करने, तथा नियमों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। प्रभावपूण आंतरिक नियंत्रण महत्वपूर्ण त्रुटियों और अनियमितताओं की संभावना को कम करता है और इनके प्रस्तुत होने पर समय पर इनके संसूचना में सहायता करती है। इरकॉन के पास उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा विद्यमान है, जो इसके आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है।

कंपनी में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विद्यमान हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इन नियंत्रणों को इस प्रकार अभिकल्पित किया गया है ताकि उचित लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके, तथा कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजियों और त्रुटियों का निवारण एवं संसूचन, वित्तीय और प्रचालनिक सूचना की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के संबंध में आश्वासन उपलब्ध कराया जा सके। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों सहित की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है और परिवर्तनशील व्यवसाय अपेक्षाओं के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं।

प्रबंधन कंपनी के संबंध में वित्तीय स्थिति और प्रचालनों को उचित रूप से समझने के लिए आवश्यक सभी वित्तीय और बजटीय तथा कार्यक्रम संबंधी सूचनाओं का प्रकटन करता है। कंपनी में एक संरचनात्मक संगठनात्मक चार्ट तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक प्रणाली विद्यमान है। इसके साथ व्यापक आंतरिक एमआईएस प्रणालियां, उपयुक्त सूचनाओं के प्रवाह को सुनिश्चित करती हैं ताकि प्रभावपूर्ण मॉनीटरिंग की जा सके। इन प्रक्रियाओं के अनुपालन की मॉनीटरिंग आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति, जो तिमाही से अर्धवार्षिक होती है, प्रत्येक परियोजना के टर्नओवर और समापन के प्रतिशत पर निर्भर करती है।

आंतरिक लेखापरीक्षा फ्रेमवर्क आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराता है, जो निविदा प्रकिया से लेकर सांविधिक अनुपालनों तक के क्षेत्रों को शामिल करता है। क्रियान्वयन हेतु इन्हें आंतरिक लेखापरीक्षकों को जारी किया जाता है ताकि आंतरिक लेखापरीक्षक प्रणाली को अधिक कुशल और परियोजना विशिष्ट बनाया जा सके इन–हाऊस पेशेवरों द्वारा विभागीय निरीक्षणों के अतिरिक्त ऑनलाइन/ऑफलाइन रिपोर्टिंग फार्मेट के माध्यम से परियोजनाओं की गहन मानीटरिंग की जाती है और मासिक आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रमुख कार्य निष्पादन सूचकांकों की मानीटरिंग की जा रही है।

कंपनी के पास आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षकों को उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विद्यमानता पर टिप्पणी करनी होती है और उचित जोखिम आंकलन तथा अल्पीकरण तंत्र के अस्तित्व पर विचार व्यक्त करने के अतिरिक्त इसके अनुपालन पर भी टिप्पणी करनी होती है। आंतरिक लेखापरीक्षक अनुभवी सनदी लेखाकार फर्म होते हैं, जिनकी नियुक्ति एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से होती है और वे सीधे प्रबंधन को रिपोर्ट करते हैं। यह उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है और अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है, और आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा अनुपालनों सहित लेखापरीक्षा रिपोर्टों के सार–संग्रह को लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

कंपनी में वित्तीय–नियंत्रण मॉड्यूल आधारित एसएपी ईसीसी 6.0 विद्यमान है, इसमें प्रविष्टियां किए जाने के पश्चात किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाती है। उन्नत पारदर्शिता और वित्तीय नियंत्रण तथा सभी परियोजनाओं के लिए एमआईएस, लाभ और हानि तथा स्थिर परिसंपत्तियों व लेखा बहियों के अनुरक्षण के लिए एसएपी ईआरपी एफआई–सीओ मॉड्यूल का संवर्धन किया गया है। वर्ष के दौरान, ऑनलाइन ''व्यू पीएफ स्टेटमेंट'', ''व्यू पे–स्लिप'' तथा ''व्यू एटेंडेंस'' प्रणाली को विकसित और आरंभ किया गया है।

जहां कहीं निरंतर सुधार के भाग के रूप में इनकी आवश्यकता होती है वहां आंतरिक नियंत्रण तथा लेखपरीक्षा प्रणाली के प्रबंधन व लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है तथा निरन्तर सुधार की प्रक्रिया के रूप में कदम उठाए जाते हैं, जहां कही सतत सुधार के भाग के रूप में इसकी आवश्यकता होती है। वर्ष 2017 में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) को सुदृढ बनाने के लिए व्यावसायिक एजेंसी को नियुक्त किया गया था और एंजेंसी द्वारा दी गई अधिकतर सिफारिशों को कंपनी द्वारा क्रियान्वित किया गया है। आईएफसी को और अधिक सुदृढ बनाने के लिए इरकॉन ने आईएफसी प्रणाली की और समीक्षा करने के लिए अन्य पेशेवर एजेंसी को नियुक्त किया और जून 2020 में प्राप्त आईएफसी की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी इसकी अधिकतर सिफारिशों का अनुपालन कर रही है, जिनका ईपीआर –एसएपी हाना के क्रियान्वयन पूर्व अनुपालन किया जा रहा था। प्रत्येक व्यवसाय कार्य के लिए जोखिम नियंत्रण मेट्रिक्स (आरसीएम) भी तैयार किया गया है और संबंधित कार्य और अनुपालन प्रबंधन प्रणाली के साथ उनकी मैपिंग की जा रही है। इस रिपोर्ट की अधिकतर सिफारिशों का कार्यान्वयन कर दिया गया है और शेष का किया जा रहा है ताकि आंतरित वित्तीय नियंत्रण को सुदृढ बनाने के लिए किया जाएगा। ई–शिकायतों को गोपनीय बनाए रखने की सुविधा सहित निदेशक मंडल द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत संरचनात्मक जालसाजी निवारण, निर्धारण तथा नियंत्रण नीति (एफपीडीसी नीति) तथा विसल ब्लोवर नीति विद्यमान है।

इरकॉन प्रत्येक स्तर के सक्षम कर्मचारियों के समूह के निर्माण के साथ क्षमता आधारित फ्रेमवर्क के निर्माण की प्रक्रिया कर रहा है।

मानव संसाधन

इरकॉन एक ऐसे संगठन का स्वरूप धारण करना चाहता है जिसका ध्यान अपने कर्मचारियों की समृद्धि और समग्र विकास पर केन्द्रित हो। यह अपने मानव संसाधन में निवेश करके अपने संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने में विश्वास रखता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी के पास अपने व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने की क्षमता है। इरकॉन के मानव संसाधन विकास प्रयास उद्योग के प्रचलित मानकों के साथ संरेखित हैं। कंपनी सकारात्मक कार्यस्थल के महत्व को समझती है, और इसे बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करती है। इरकॉन का लक्ष्य एक प्रेरक और संतोषजनक कार्यशील वातावरण बनाना है, जहाँ कर्मचारी कंपनी में अधिक योगदान देते हैं।

इरकॉन एक समान अवसर नियोक्ता है जो सभी रूपों में विविधता को स्वीकार करता है जैसे कि अन्यों सहित जाति, धर्म, लिंग, आयु, जातीय मूल और शारीरिक क्षमता। कंपनी का लक्ष्य संगठन के लिए सही आकार और सही मिश्रण प्राप्त करना है। अन्य सार्वजनिक उपक्रमों, अनुबंध, और सेवा अनुबंध के आधार पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती करके इस पर ध्यान दिया जाता है। कंपनी ने अपनी भर्ती रणनीतियों का पुनर्निमाण कंपनी के व्यापक लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के लिए किया है।

वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान इरकॉन द्वारा प्रशिक्षित कर्मचारी

3,001 श्रम दिवस

कर्मचारी लाभ के अंतर्गत इरकॉन एक चिकित्सा ट्रस्ट के माध्यम से अंशदायी भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, और सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ के बाद के सेवानिवृत्ति के विशेषाधिकार प्रदान करता है।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कुल जनशक्ति 1369 कर्मचारी हैं। वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान 111 कर्मचारियों द्वारा सेवा त्याग किए जाने के साथ साथ कर्मचारी की संघर्षण दर 9.9 प्रतिशत थी।

वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान, 37 कर्मचारियों को पूर्णकालिक आधार पर भर्ती किया गया, जबकि 16 को अनुबंध के आधार पर सेवा अनुबंध सहित भर्ती किया गया। इसके अतिरिक्त, 3,001 श्रम दिवस प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें लगभग 848 कर्मचारी शामिल थे, जिसमें इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग (आईआरआईसीईएन) पुणे में विशेष पाठ्यक्रम जैसे कार्यक्रम शामिल थे, सीमेंस बेंगलुरु में सीमेंस के इलेक्ट्रिकल इंटरलाकिंग पर प्रशिक्षण, प्रबंधन विकास कार्यक्रम प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई) गुरुग्राम और कई अन्य व्यवहार, तकनीकी, गैर–तकनीकी आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाएं आयोजित की गईं। कंपनी ने अगले कुछ वर्षों के लिए मानव संसाधन के लिए एक महत्वाकांक्षी विकास योजना की संकल्पना की है, और 3–5 दिनों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, विशेष रूप से भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान से वरिष्ठ प्रबंधन के लिए, डिजाइन किए गए हैं। इसलिए, हमारी मानव पूंजी को मजबूत करना हमारे कार्यों के लिए आवश्यक है। इरकॉन कर्मचारियों को जीविका संवर्धन में सहायता करने के लिए अनेक प्रयास करता है। कनिष्ठ कर्मचारियों के लिए परामर्शदाता और कौशल विकास कार्यक्रम, और वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए विशेष नेतृत्व विकास कार्यक्रम जैसी प्रगतिशील नीतियां, कार्यस्थल को अधिक कर्मचारी–अनुकूल बनाने के लिए की गई हैं।

विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) 2019 के अंतर्गत कार्यकारी श्रेणी में कुल 104 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया था, और गैर–कार्यकारी श्रेणी में 32 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया था।

इरकॉन द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रेरित रखने के लिए परिसर में कई मजेदार और आनंदपूर्ण गतिविधियाँ की गई हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी चौथी अंर्त–परियोजना प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया था जिसमें परियोजनाओं से कुल 25 टीमों ने भाग लिया। इसमें से पांच टीमों ने सेमीफाइनल और 3 ने फाइनल राउंड में जगह बनाई। इसके अलावा, इरकॉन ने दिवाली के दौरान रंगोली प्रतियोगिता की मेजबानी की जिसमें कुल आठ टीमों ने भाग लिया था। कंपनी ने नई दिल्ली में सीएमडी–11 तथा डायरेक्टर –11 टीम के बीच तीन क्रिकेट मैचों की एक श्रृंखला आयोजित की थी। कर्मचारियों के परिवार भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा, इरकॉन ने कार्यालय परिसर में शिवरात्रि पूजन का आयोजन किया था। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य लाभ के लिए 21 जून 2019 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया है।

इरकॉन सभी स्तरों पर कर्मचारियों के योग्यता पूल के निर्माण के उद्देश्य से एक योग्यता–आधारित फ्रेमवर्क के निर्माण की प्रक्रिया कर रहा है। क्षमता मैपिंग के परिणाम के अनुसार वरिष्ठ और मध्यम स्तर के प्रबंधन के लिए वैयक्तिक विकास योजनाएं तैयार की जाती हैं। इसके आधार पर, प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान की जाती है और अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल ने पीपुल कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल (पीसीएमएम) को स्तर –3 तक अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए इरकॉन ने मेसर्स क्यूएआई लिमिटेड को ट्रांजिशन पार्टनर के रूप में शामिल किया है। इरकॉन ने पीसीएमएम के स्तर –2 के अनुसार अंतराल पहले ही पूरे कर लिए है और अब पीसीएमएम के स्तर –3 के अंतराल पूरे करने के लिए परामर्शदाता के साथ कार्य किया जा रहा है।

कंपनी की सक्सेशन नियोजन नीति वर्तमान और अनुमानित व्यावसायिक उद्देश्य के साथ कर्मचारियों की पहचान करने, विकसित करने और बनाए रखने के लिए एकीकृत और व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रदान करती है। कंपनी की सक्सेशन नियोजन नीति के तहत, ई7 से ई9 के स्तर के 48 कर्मचारियों को भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संभावित नेतृत्व का सक्सेशन पूल माना जाता था। संभावित नेतृत्व के इस पूल को तैयार करने के लिए, भारत में प्रतिष्ठित संस्थानों में नेतृत्व और प्रबंधन विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

चेतावनी विवरण

कंपनी के उद्देश्यों, पूर्वानुमानों, अनुमानों, संभावनाओं का वर्णन करने वाले प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट में दिए गए विवरण कंपनी के प्रबंधन के मतानुसार लागू नियमों और विनियमों के भीतर अग्रणी विवरण हो सकते हैं। ऐसे विवरण भावी घटनाओं के संबंध में कंपनी के वर्तमान दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं और यह जोखिमों और अनिश्चितताओं के मद्देनजर हो सकते हैं। कई कारक इस रिपोर्ट के पूर्वानुमान से सामग्रीगत रूप से भिन्न परिणाम प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनमें, अन्यों के साथ–साथ शामिल हैं, कंपनी के प्रचालन के क्षेत्र को प्रभावित करने वाली सामान्य आर्थिक और व्यवसायिक परिस्थितियां, व्यवसाय नीति में परिवर्तन, ब्याज की दरों मुद्रास्फीति, मुद्रा अवनति, विदेशी मुद्रा दरों तथा उद्योग में प्रतिस्पर्धा में परिवर्तन, सरकारी विनियमों, कर नियमों तथा अन्य सांविधिक और अन्य आकस्मिक कारकों में परिवर्तन। कंपनी किसी भावी विवरणों के सार्वजनिक उद्यतन के किसी दायित्व को स्वीकार नहीं करती है, वह चाहे नई सूचना, भावी घटना या अन्यथा हो।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षर/
(एस.के.चौधरी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएनः 00515672)

दिनांक : 25.8.2020
स्थल : नई दिल्ली

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट

विश्व को निवास के लिए बेहतर बनाने का प्रयास

इरकॉन ने अपनी व्यवसाय नीति में सामाजिक दायित्व को अभिन्न अंग के रूप काफी पहले ही स्वीकृति दे दी थी। हमारा ऐसा मानना है कि किसी सुदृढ़ व्यवसाय एवं स्वस्थ समाज के मध्य निश्चित ही कोई परिभाषित सम्पर्क है। ये एक दूसरे से परस्पर भिन्न नहीं हैं, तथा आज, यह पहले से भी ज्यादा आवश्यक हो गया है कि हम इस आवश्यकता का संज्ञान में लें और एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्थाओं एवं संस्कृतियों तथा विस्तारित अवसरों को प्रत्येक के लिए समावेशी आकार प्रदान करें।

संस्थापन
1976

2010
से इरकॉन के जारी प्रयास

वि.व. 2020 में का.सा.दा. व्यय
₹10.04 करोड़

3 वर्षों का औसत लाभ
₹494 करोड़

हमारे ध्यानाकर्षण क्षेत्र
शिक्षा, रोजगार एवं कौशल विकास
स्वास्थ्य एवं पोषण
स्वच्छ जल एवं स्वच्छता
घर एवं आश्रय स्थल
पर्यावरण
संस्कृति एवं धरोहर
खेल
प्रधान मंत्री केयर निधि
ग्राम कायाकल्प

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व रिपोर्ट के बारे में

यह इरकॉन की वर्ष 2019–20 से संबंधित कार्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट है। इसमें हमारे द्वारा ध्यानाकर्षित कुछ क्षेत्रों में हमारी प्राथमिकताओं, क्रियाकलापों एवं उपलब्धियों का प्रकटीकरण किया गया है। यह सूचना 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि की हमारी रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई है।

हमारे कार्पोरेट सामाजिक दायित्व प्रयासों में हमारा कौन सहायक है?

रणनीति

हम समुदायों के प्रति अधिक विचारशीलता के साथ सुदृढ़ एवं सुविचारित प्रयास करते हैं। हमारे व्यवसाय परिचालनों एवं हमारे शेयरधारकों के साथ सहक्रिया के लिए एकीकृत सामाजिक एवं पर्यावरणीय दायित्वों का समेकन हम सावधानी पूर्वक करते हैं। हमारे कार्पोरेट सामाजिक दायित्व अन्य क्रियाकलापों के साथ साथ कौशल विकास, शिक्षा, आर्थिक कल्याण, एवं पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में विस्तारित हैं।

साझेदारियां

सफल कार्पोरेट सामाजिक दायित्वों की पूर्ति साझेदारी से की जा सकती है। हमने अपने क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए सही साझेदारों के साथ सुदृढ़ संबंध बनाए हैं। हमारा ऐसा मानना है कि अपने साझेदारों के लक्ष्य साझा करने से वे सही ढंग सामाजिक परिर्वतन से कायाकल्प कर सकते हैं।

आंतरिक शक्ति

हमारी सीएसआर समिति हमारी सुपरिभाषित सीएसआर नीति के अनुसार सक्रीय रूप से विभिन्न गतिविधियों को निष्पादित करती है। यह समिति ऐसी संस्कृति को संवर्धित करती है जो निगमित शासन उत्तरदायित्वों पर बल देती है और उच्च मानक स्थापित करती है। इसके अतिरिक्त, दल आवधिक रूप में किए गए प्रयासों की प्रगति का मॉनीटरिंग करता है।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट जारी

इरकॉन का योगदान :

हमारे कार्पोरेट सामाजिक दायित्वों की पृष्ठभूमि

भारत में इरकॉन कार्पोरेट सामाजिक दायित्व में अग्रणी भूमिका का निर्वाह करता आया है। हमारे कार्पोरेट सामाजिक दायित्व प्रयासों का विकास सामाजिक दायित्व के प्रति परिधीय विकास से संरचित कार्पोरेट सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के रूप में हुआ है। इरकॉन की कार्पोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीयता की क्रियाओं में वर्ष 2010–11 से ही रूचि रही है। कंपनी की सामाजिक दृष्टि एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके से व्यवसाय करने की अपनी नीति के अनुरूप अपनी कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पहलों का संचालन करना है। यह विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से प्रमुख हितधारकों की जरूरतों और अपेक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है। इरकॉन ने क्षमता निर्माण, समुदायों के सशक्तिकरण, समावेशी सामाजिक–आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित और ऊर्जा–कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने, पिछड़े क्षेत्रों के विकास और उत्थान के संदर्भ में देश के दूरस्थ क्षेत्रों के विकास में बहुत योगदान दिया है। समाज के हाशिए पर और कम–विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों, स्वच्छ भारत प्रयास जैसी अनेक प्रक्रियाओं से इसने संकट के काल में सरकारी कोष में योगदान देकर अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है।

हमारे कार्पोरेट सामाजिक दायित्व प्रयासों की पहुंच

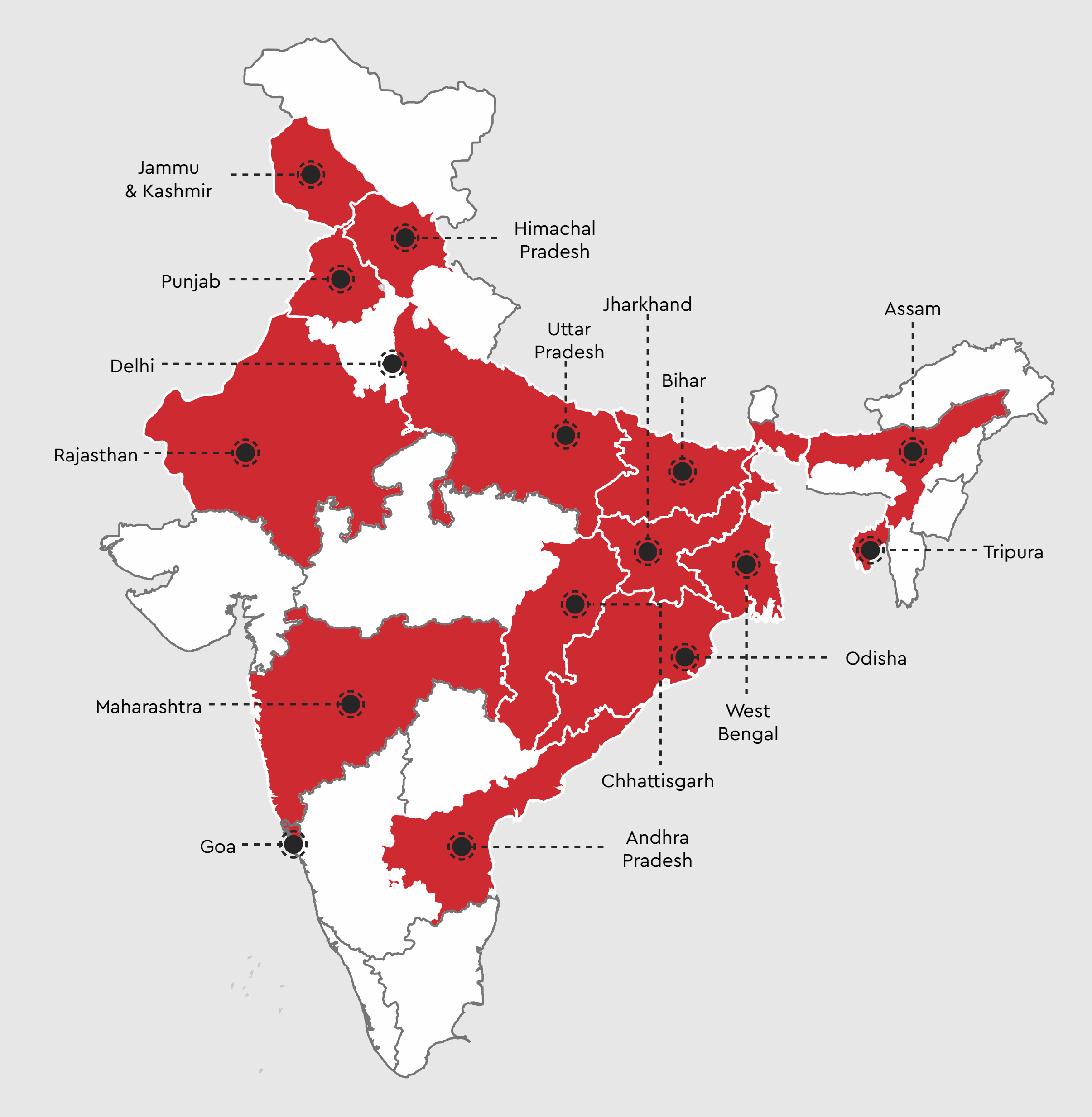

हमारे कार्पोरेट सामाजिक दायित्व प्रयासों में जीवन स्तर के मानकों में सुधार लाने के अवसर देने के साथ साथ इनके प्रभाव देश के नागरिकों तक पहुंचाने की है।

अध्यक्ष महोदय का नोट

प्रिय शेयरधारको,

इरकॉन में अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए हमें यह ज्ञात है कि आर्थिक प्रगति उन समुदायों के विकास के साथ साथ होती है जिसमें हम निवास करते हैं और काम करते हैं। हमारी कंपनी उद्योग में एक अग्रणी अवसंरचना कम्पनी है जिसका घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उल्लेखनीय परियोजनाओं को निष्पादित करने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन समाज को लाभ न होने पर ऐसी सफलता के कोई मायने नहीं हो सकते हैं। इसलिए, बहुत पहले से ही, हमने अपने समुदायों के साथ एक पारस्परिक लक्ष्य साझा करने में विश्वास किया है।

इरकॉन के कार्पोरेट सामाजिक दायित्व प्रयासों में जीवन स्तर के मानकों में सुधार के अवसर प्रदान करते हुए देश में कई लोगों के जीवन को प्रभावित करने के लिए अपनी पहुंच का विस्तार करने पर जोर दिया। एक जिम्मेदार कंपनी के रूप में, हम उस विशाल समाज के साथ काम करते हैं जिसका हम स्वयं एक भाग हैं। हम अपने लोगों को विश्वसनीय नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और समुदाय की बेहतरी की दिशा में अपना काम करते हैं। मुझे अपने कर्मचारियों की प्रतिबद्धता से गर्व हुआ है, जो हमारी सीएसआर गतिविधियों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अपनी ओर से अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास एक कुशल सीएसआर और संधारणीयता समिति है जो विशेष ध्यान दिए जाने योग्य विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वच्छता, स्वच्छता और रोजगार के क्षेत्र में विभिन्न कार्य कर रही है। इसके अलावा, यह हमारी सभी गतिविधियों के कार्यान्वयन और परिणामों की निगरानी भी कर रही है। हमने देश में विभिन्न गैर–लाभकारी संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारी भी बनाई है। यह इन संगठनों की वजह से है कि इरकॉन भारत के सबसे दूर के इलाकों तक पहुंच कर उनके जीवन में उनके जीवन स्तर को कोई आकार दे सकता है जहां लोग अल्पसेवित अथवा वंचित हैं।

वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान, इरकॉन की सीएसआर शाखा ने अपनी कई पहलों के माध्यम से सैकड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। अप्रत्याशित महामारी कोविड –19 'का उद्‌भव एक मानवीय त्रासदी के रूप में हुआ है जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने के साथ साथ सैकड़ों और हजारों लोगों को प्रभावित किया है। अन्य देशों की तरह, भारत ने भी सक्रिय उपायों और सहायक नीतियों के माध्यम से महामारी से निपटने के लिए कमर कस ली है। भागीदारी की एकीकृत भावना में, इरकॉन ने भी कोरोनो वायरस प्रकोप से राहत प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रधान मंत्री केयर फंड में 2019–20 के दौरान 4.50 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। वर्ष 2020–21 में भी इरकॉन ने प्रधान मंत्री केयर निधि में 15.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का योगदान दिया है।

हमारे 44 साल के इतिहास ने हमें सिखाया है कि समाज में परिवर्तन और सुधार लाना व्यापार और अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास के लिए अत्याधिक आधारभूत तत्व है। हमारे लिए, सीएसआर केवल मात्र एक बयान नहीं है, बल्कि हमारी कंपनी का अभिन्न अंग है। मुझे इस संगठन का हिस्सा होने पर गर्व है जहां लोग रहते हैं और इस तरह के विश्वास का प्रचार करते हैं। मुझे विश्वास है कि इरकॉन समुदाय के साथ–साथ अपने सीएसआर प्रयासों की पहुँच और यथासंभव अधिक से अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित करने के लिए काम करना जारी रखेगा।

सादर,

श्री एस.के. चौधरी

(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट जारी

इरकॉन में संधारणीय विकास

संधारणीय विकास के प्रति हमारी रणनीति का संरेखण संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित संधारणीय विकास लक्ष्यों के साथ किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्यों के साथ हमारे संधारणीय विकास ही सम्बद्धता	
1 NO POVERTY	वर्ष 2030 तक गरीबी के प्रत्येक स्वरूप एवं उसके प्रत्येक आयाम का उन्मूलन
2 ZERO HUNGER	यह लक्ष्य भूख के उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा की प्राप्ति तथा उन्नत पोषण एवं संधारणीय कृषि प्रोत्साहन के लिए है।
3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING	यह लक्ष्य स्वस्थ जीवन एवं प्रत्येक आयु के समूहों की आरोग्यता के लिए लक्ष्यबद्ध है।
4 QUALITY EDUCATION	यह लक्ष्य समावेशी एवं उचित गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के सुनिश्चय तथा प्रत्येक के लिए जीवन पर्यंत सीखने के अवसर प्रोत्साहित करने के लिए लक्ष्यबद्ध है।
5 GENDER EQUALITY	इस लक्ष्य के अंतर्गत लैंगिक समानता प्राप्त करने एवं सभी महिलाओं एवं कन्याओं का सशक्तीकरण लक्ष्यबद्ध किया गया है।
6 CLEAN WATER AND SANITATION	यह लक्ष्य प्रत्येक के लिए जल की उपलब्धि एवं संधारणीय प्रबंधन के सुनिश्य के लिए लक्ष्यबद्ध है!
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH	यह लक्ष्य प्रत्येक के लिए चिरस्थायी, समावेशी एवं संधारणीय आर्थिक विकास, पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार एवं उपयुक्त कार्य के लिए लक्ष्यबद्ध है।
9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE	यह लक्ष्य विश्व में लोचक अवसंरचना, समावेशन के प्रोत्साहन तथा संधारणीय औद्योगिकीकरण एवं नवोपायों के पोषण के लिए लक्ष्यबद्ध है।
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES	यह लक्ष्य सभी नगरों तथा मानव के निवास स्थलों को समावेशी, सुरक्षित, लोचक एवं संवहनीय बनाने के लिए है।
15 LIFE ON LAND	यह लक्ष्य भौमिक पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण, व्यवस्थापन एवं संवहनीय उपयोग के प्रोत्साहन के लिए है। इसके अलावा, इसमें वनों के प्रबंधन, मरूस्थलीकरण से निपटने, रिवर्स जैवनिम्नीकरण का सुनिश्चय करने तथा जैव–विविधता की क्षति को रोकने के लिए लक्ष्यबद्ध है।

शिक्षा, रोजगार एवं कौशल विकास

हमने शिक्षा को एक अति अनिवार्य घटक के रूप में स्वीकृति दी है क्योंकि इससे जीवन की गुणवत्ता एवं मुख्यत: समाज को लाभ प्राप्त होते हैं। इसके अलावा, हमारा ऐसा मानना है कि रोजगार के उत्तम अवसर आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय विकास में योगदान देते हैं। कार्पोरेट सामाजिक दायित्वों के अंतर्गत हमारे कार्य स्कोप में भी कौशल विकास को विस्तारित करने एवं इसे शामिल करने की व्यवस्था है क्योंकि यह एक ऐसा उपकरण है जो व्यक्तियों को सशक्त करता है जिससे समाज में उनकी स्वीकृति में सुधार आता है।

दिव्यांग उम्मीदवारो को दिया गया कौशल विकास प्रशिक्षण

100

भुवनेश्वर में प्रशिक्षित किए जनजातिय विद्यार्थी

150

वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान लाभ प्राप्त करने वाले एकल विद्यालय

700

हमारे शिक्षा, रोजगार एवं कौशल विकास प्रयासों के अंतर्गत वर्ष के दौरान :

कम्प्यूटर साक्षरता

हमने छत्तीसगढ़ में मोबाइल कम्प्यूटर लैब के माध्यम से एकल विद्यालय में कम्प्यूटर साक्षरता कार्य आयोजित किए हैं। हमने एक कम्प्यूटर लैब का निर्माण भी किया है तथा छत्तीसगढ़ के नवगांव ग्राम के लिए कम्प्यूटर उपलब्ध करवाए हैं।

अंग्रेजी साक्षरता :

हमने अंग्रेजी साक्षरता के लिए सहक्रियात्मक मल्टीमीडिया स्रोत रोजगार योग्य विषयों के लिए मैसर्स एसएनडीटी वुमैन यूनिवर्सिटी के साथ सहकार्यता करके उपलब्ध करवाए हैं।

गोधुली

गोधुली स्कूल में शिक्षण अधिक व्यावहारिक रूप से व्यावहारिक तरीकों का उपयोग करके किया जाता है। छात्र उत्साह के साथ विभिन्न विचारों के विषयों से परिचय प्राप्त करते हुए सीखते हैं। उनकी सीखने की भूख बढ़ जाती है, जिससे बेहतर सीखने के लिए एक अच्छी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है।

हमारा मूल उद्देश्य प्रत्येक छात्र में उसकी विलुप्त क्षमताओं को खोजने में मदद करना है। प्रत्येक और प्रत्येक छात्र को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे स्वयं समस्याओं का समाधान खोजें। उन्हें ब्लैक बोर्ड मोड़ पर समाधान लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे विषयों को सीखते हुए और साक्षरता का मार्ग प्रशस्त करते हुए आत्मविश्वास का विकास करें। छात्रों और उनके माता–पिता को उनके जीवन में शिक्षा के मूल्य के बारे में जानकारी दी जाती है। यह उन्हें आगे की शिक्षा के लिए भी प्रेरित करता है अर्थात् हमारे संस्थान में बिताए गए वर्षों से भी आगे......

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व
एवं संधारणीयता रिपोर्ट जारी

कौशल विकास

हमने जम्मू–कश्मीर में खारी में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कौशल विकास के कार्य किए हैं। इसके अतिरिक्त, हमने खोरा गाजियाबाद में रोजगार अवसरों की उत्पति के उद्देश्य से विकास कौशल में प्रशिक्षण विस्तार किया है । यह मैसर्स बिसनौली सर्वोदय ग्रामोद्योगसेवास्थान (बीएसजीएसएस) के साथ हमारा संयुक्त प्रयास था ।

महिला सशक्तीकरण :

हमने पंजाब के पठानकोट शहर और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में मैसर्स बीएसजीएसएस के साथ भागीदारी में महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किए हैं। हमने मैसर्स लक्ष्यम के साथ संयुक्त रूप से 60 वंचित वर्ग की महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में भी समर्थन दिया है । कार्यक्रम के अंतर्गत सिलाई और सिलाई के क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया।

ग्रामीण रोजगार :

हमने राजस्थान के धौलपुर शहर में स्वच्छता और लागत प्रभावी सैनिटरी नैपकिन मशीनों के लिए एक प्रावधान स्थापित करके ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं । पहल मेसर्स वात्सल्य फाउंडेशन के साथ साझेदारी में की गई थी। झारखंड के नूपाड़ा, ओडिशा और रांची में भी ऐसा ही प्रयास किया गया है ।

पीडब्ल्यूडी के लिए कार्यक्रम

हमने मैसर्स नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ तीन महीने के लिए दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के साथ 100 व्यक्तियों के कौशल विकास प्रशिक्षण का प्रावधान किया है।

गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा :

हमने मैसर्स कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सहयोग से भुवनेश्वर में पांचवीं कक्षा के 100 आदिवासी छात्रों के लिए शिक्षा प्रायोजित की है। हमने इस सुविधा को भुवनेश्वर में स्थापित आवासीय में रहने वाले अतिरिक्त 150 आदिवासी छात्रों को भी दिया है।

अध्ययन केन्द्र :

हमने मेसर्स दीपस्तंभ फाउंडेशन के सहयोग से अलग–अलग और दुर्बल युवाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश की है । इसके अतिरिक्त, हमने अल्पपोषित बच्चों के लिए एक मिनी साइंस सेंटर की स्थापना में भी योगदान दिया है ।

सहायता :

हमने मैसर्स उमंग बाल विकास के साथ हमारी साझेदारी के माध्यम से पटना में विशेष रूप से विकलांग बच्चों को श्रवण यंत्र और अन्य प्रासंगिक उपकरण प्रदान किए हैं।

हमें योगदान देने वाले :

हमने छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश के रायगढ़ और कोरबा जिलों में प्रत्येक 100 एकल विद्यालय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 600 एकल विद्यालयों को अपना समर्थन दिया है। हमने शिक्षा के महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए एक प्रचार पहल 'नॉलेज ऑन व्हील्स 'भी शुरू की है। इसके अलावा, हमने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 76 सरकारी स्कूलों में विकास कार्य भी किए हैं।

स्वास्थ्य एवं पोषण

स्वास्थ्य और पोषण मानव जाति और एक स्वस्थ समाज के विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। कुपोषण और उचित पोषण की कमी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। इरकॉन में, हमने वंचित वर्ग को बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं, पोषण और जीवन शैली का समर्थन प्रदान करके उत्थान की दिशा में अपनी सीएसआर गतिविधियों को निर्देशित किया है।

वर्ष के दौरान हमारे स्वास्थ्य एवं पोषक प्रयास :

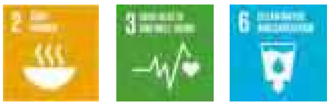

रजोधर्म स्वच्छता कार्यक्रम :

हमने मैसर्स वात्सल्य फाउंडेशन और मैसर्स सेवासमर्पण संस्थान के सहयोग से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर शहर में मासिक धर्म स्वच्छता प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से महिला सशक्तीकरण में योगदान दिया।

जीविका एवं चिकित्सा सहायता :

हमने समुदाय आधारित आजीविका सुरक्षा और जम्मू और कश्मीर की युद्ध विधवाओं को समर्थन दिया है। हम 80 चिकित्सा शिविर भी आयोजित कर रहे हैं और मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

दिव्यांग विद्यार्थियों का सशक्तीकरण :

हम आसान पहुंच के लिए परिसर के भीतर छात्रों के लिए मोटर चालित व्हीलचेयर प्रदान करके विकलांग छात्रों के उत्थान की दिशा में योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा, हम भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (अल्मिको) के साथ साझेदारी में कृत्रिम अंगों के लिए दिव्यांगजन का समर्थन कर रहे हैं।

वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम :

हमने मैसर्स अनादि सेवा प्रकल्प के साथ संयुक्त रूप से बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके 23 वर्ष से अधिक आयु वयस्कों का समर्थन किया है, जो ओल्ड एज होम में रहते हैं।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व
एवं संधारणीयता रिपोर्ट जारी

आयोजित चिकित्सा कैम्प

80

बच्चों एवं वयस्कों के लिए प्रायोजित क्लेफ्ट सर्जरी

100

स्वच्छता एवं साफ सफाई

हमने जम्मू और कश्मीर के बारामुला शहर में रेलवे परियोजना क्षेत्रों में बायोडिग्रेडेबल सेनेटरी नैपकिन के लिए एक विनिर्माण इकाई स्थापित करके स्वच्छता और स्वच्छता को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। हमने इसे मैसर्स दीपांजन ट्रस्ट के सहयोग से शुरू किया। इसके अलावा, हमने दक्षिण दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मालदह, बीरभूम, नादिया, सिलीगुड़ी और कोलकाता जैसे जिलों में बच्चों और युवा वयस्कों के लिए 100 क्लेफ्ट फांक सर्जरी प्रायोजित की हैं। जिसका कार्य प्रगति पर है।

स्वास्थ्य एवं पोषण प्रयास :

हमने मैसर्स एनडीडीबी, जो पोषण के लिए एक फाउंडेशन है, के साथ साझेदारी में ओडिशा के मलकानगिरी शहर के सरकारी स्कूल में छात्रों के लिए 'गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम' के माध्यम से स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा दिया है।

कैंसर रोगियों के लिए सुख सुविधाएं

हम गोवा में मैसर्स संजीवनी के माध्यम से संयुक्त रूप से कैंसर रोगियों को परामर्श एवं हैंडहोल्ड करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अस्पतालों में उपचार कर रहे रोगियों को अपना उपचार पूरा करने के लिए प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना है और उपचार के साथ–साथ जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है।

अन्य प्रयास

हमने जम्मू और कश्मीर में बनिहाल में स्वास्थ्य इकाई के संचालन और रखरखाव लागत की दिशा में मदद की है। इसके अतिरिक्त, हमने पोलियो और विकलांगता से पीड़ित 250 बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

निर्मल जल एवं स्वच्छता

इरकॉन में, हम पानी के महत्व को समझते हैं, जो एक बुनियादी आवश्यकता है और जीवन को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सुरक्षित जल की गुणवत्ता में गिरावट मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र को समग्र रूप से खतरे में डालती है। इसलिए, हम मानते हैं कि स्वस्थ ग्रह को बनाए रखने के लिए स्वच्छ जल, स्वच्छ वातावरण और स्वच्छता तक पहुंच आवश्यक है।

गाजीपुर में संस्थापित हैंड पम्प

50

वर्ष के दौरान हमारे निर्मल जल एवं स्वच्छता प्रयास :

हैंड पम्पों के लिए प्रावधान :

वर्ष के दौरान, हमने जल निगम के माध्यम से गाजीपुर के गांवों में स्वच्छ और सुरक्षित पानी तक पहुंच प्रदान करने के लिए 50 हैंड पंप स्थापित किए।

पेय जल :

हमने केन्द्रीय विद्यालय में छात्रों के लिए सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था की। इसके अतिरिक्त, हमने पश्चिम बंगाल में कालिम्पोंग के इलाकों में पीने के पानी की सुविधा सुनिश्चित की है। कार्य प्रगति पर है।

घर एवं शेल्टर्स

भारत में अच्छे घरों और आश्रयों का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम समाज में पर्याप्त आवास और सुरक्षा की आवश्यकता को समझते हैं। अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से, हम वंचित वर्गों को आश्रय सुविधाएं प्रदान करके एक सुरक्षित और स्थिर समाज की दिशा में योगदान करने का प्रयास कर रहे हैं।

निराश्रित बच्चों के विकास में योगदान

₹5.45 लाख

वर्ष के दौरान हमारे घर एवं शेल्टर प्रयास :

अल्पकालिक शेल्टर्स :

हमने मैसर्स प्रयास के माध्यम से रेलवे स्टेशनों पर निराश्रित और भगोड़े बच्चों के लिए एक अल्पावधि प्रवास आश्रय और चाइल्ड हेल्प डेस्क शुरू करने के लिए सहायता की पेशकश की है।

निराश्रित बच्चों की सहायता :

हमने फर्नीचर संपत्ति प्रदान करके तमिलनाडु के कोयम्बतुर जिले में विकलांग बच्चों के लिए एक अनाथालय की मदद की है। यह विकलांगों के लिए मैसर्स द यूनाइटेड ऑरफेंज फार द डिसेबल्ड के साथ हमारी साझेदारी के माध्यम से किया गया था।

अन्य प्रयास :

हमने त्रिपुरा राज्य में 300 लोगों की क्षमता वाले एक बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण की प्रकिया की है। कार्य प्रगति पर है।

पर्यावरण

इरकॉन ने सदैव पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पहचाना है। इरकॉन ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सोची समझी रणनीति और पहल की है। हम जिम्मेदार निर्णय लेने का प्रयास करते हैं जो पर्यावरण पर हमारे संचालन के नकारात्मक प्रभावों को कम करेगा।

वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान वृक्षारोपण के लिए योगदान के रूप में दी गई राशि

₹4.68 लाख

वर्ष के दौरान हमारे पर्यावरण प्रयास :

अपशिष्ट प्रबंधन :

पर्यावरणीय संवहनीयता हासिल करने के लिए, महाराष्ट्र में मैसर्स केशव सृष्टि के अंतर्गत माई ग्रीन सोसाइटी इनिशिएटिव के सहयोग से तीर्थयात्रियों द्वारा उत्पादित फूलों और अन्य कचरे से निर्मित गीला अपशिष्ट खाद की उपलब्धि।

बॉयोगैस संयंत्र :

हमने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में मैसर्स भागीरथ ग्राम विकास प्रतिष्ठान के सहयोग से 500 सीमांत किसानों के समर्थन के लिए बायोगैस संयंत्र के उपयोग को लागू किया है।

स्वच्छता :

स्वच्छता के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए, हमने विशाखापट्टनम में मैसर्स लाया के सहयोग से आदिवासी समुदायों में स्थित स्कूल रसोई के लिए एक पहल 'अपशिष्ट से ऊर्जा 'को बढ़ावा दिया है।

स्वच्छ भारत अभियान :

हमने भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत यात्री सुविधाओं के प्रावधान में सक्रिय योगदान दिया है। हमने इस्तेमाल की हुई प्लास्टिक बोतलों के स्मार्ट निपटान के लिए बॉटल क्रशिंग मशीन लगाई है। इसके अलावा, हमने उधमपुर में शौचालय का निर्माण किया है।

वृक्षारोपण :

हमने रियासी, जम्मू और कश्मीर में वृक्षारोपण के माध्यम से जैव विविधता को बढ़ावा दिया है।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व **एवं संधारणीयता रिपोर्ट** जारी

संस्कृति एवं धरोहर

हम मानते हैं कि किसी देश की संस्कृति और विरासत का बहुत उच्च मूल्य है। यह हमारे राष्ट्रीय को परिभाषित करते हुए मूल्यों, मान्यताओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है। हमारे सीएसआर प्रयासों के अंतर्गत, हम इस क्षेत्र में कई पहल करके समुदाय में संस्कृति और विरासत की रक्षा और बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं।

दक्षिण भारतीय परम्पराओं में योगदान

₹23.75 लाख

वर्ष के दौरान हमारे संस्कृति एवं धरोहर प्रयास :

रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यकरण

हमने रेलवे स्टेशनों की दीवारों पर सौंदर्यीकरण का काम करके संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने का समर्थन किया है। इसके लिए, हमने इन दीवारों पर भित्ति चित्र बनाया है जो दक्षिण भारत की संस्कृति को दर्शाती है। दक्षिण भारतीय परम्पराओं में योगदान

खेल

वर्षों से, खेल देश में सामाजिक–आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरा है। खेल–संबंधी गतिविधियों में लोगों की सक्रिय भागीदारी सामुदायिक स्वास्थ्य में सुधार करती है, महान नेतृत्व उत्पन्न करती है और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ाती है।

वर्ष के दौरान हमारे खेल प्रोत्साहन प्रयास :

प्रौन्नति एवं विकास :

हमने अवसंरचना विकास में महत्वपूर्ण निवेश के माध्यम से खेलों की उन्नति में योगदान दिया है, जैसे कि असम में नूरुएल अमीन स्टेडियम और नोवगोंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन। इसका काम आंशिक रूप से धीमा हुआ है और प्रगति पर है।

खेल अवसंरचना विकास के प्रति योगदान

₹19.25 लाख

प्रधान मंत्री केयर निधि

इरकॉन ने सदैव आवश्यकता आने पर सरकारी प्रयासों में अपना योगदान देने के दायित्व को स्वीकार किया है। जनवरी 2020 में, कोविड–19 महामारी मानवता और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती बनकर उभरी है। इस महामारी के कारण हुआ प्रकोप एक खतरनाक स्वास्थ्य आपातकाल प्रस्तुत करता है जो आज दुनिया झेल रही है। मानव प्रभाव के अलावा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव भी महसूस किया जा रहा है। वायरस से निपटने के लिए भारत सरकार ने कई पहल की हैं। प्रधान मंत्री केयर फंड एक ऐसा उपाय है जिसका उद्देश्य इस चुनौतीपूर्ण स्थिति का प्रतिकार करना है। कोष का उपयोग कोरोना वायरस प्रकोप के खिलाफ मुकाबला करने, रोकथाम और राहत के प्रयासों और भविष्य में ऐसी ही महामारी जैसी स्थितियों के लिए किया जाएगा। वर्ष के दौरान इस पहल की ओर, इरकॉन ने 2018–19 के दौरान 5.01 करोड़ रुपये (कर्मचारियों का 51 लाख रुपये का योगदान सहित) और इस वर्ष की समाप्ति पर 15.5 करोड़ रुपये का योगदान दिया है, जो सरकार की रणनीति के समर्थन के लिए है।

प्रधान मंत्री केयर निधि में योगदान

₹20.50 करोड़

ग्राम पुनर्रूद्धार

इरकॉन में कार्य करते हुए, हम ग्रामीण भारत के विकास और परिवर्तन के महत्व को समझते हैं, क्योंकि इसे समझना इसकी वृद्धि देश की समग्र प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। हम भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की दिशा में सार्थक प्रयास कर रहे हैं। हमारी पहल का उद्देश्य ग्रामीण आबादी को आवश्यकताएं प्रदान करके भारत में हाशिए के समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

वर्ष के दौरान हमारे ग्राम पुनरूद्धार प्रयास :

जल संरक्षण :

हमने बिहार के शेखपुर जिले के ग्रामीणों के लिए ग्रामीण विकास और बेहतर जल सुविधाओं के माध्यम से पानी के संरक्षण की दिशा में योगदान दिया है।

सामुदायिक केन्द्र :

हमने बिहार के बेगूसराय जिले में एक सामुदायिक केंद्र के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण उन्नति को बढ़ावा दिया है। काम अपने शुरुआती चरण में है।

जल संरक्षण में योगदान

₹26.73 लाख

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट जारी

इरकॉन के कार्पोरेट सामाजिक दायित्वों एवं संवहनीयता की संक्षिप्त रूपरेखा सहित निष्पादित की जा रही परियोजनाएं अथवा कार्यकम एवं उनके वेबलिंक

कंपनी अधिनियम, 2013 (धारा 135) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा उल्लिखित संबंधित दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, इरकॉन ने अपनी कार्पोरेट सामाजिक दायित्व और संवहनीयता नीति तैयार की है। इस नीति में प्रमुख ध्यान रणनीतिक रूप से समाज और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव बनाने के लिए पहल और गतिविधियों को विकसित करना है।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति कंपनी के कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पहलों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करती है। यह एक समुदाय की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के इरादे से सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अवसरों की खोज करता है। इसके अतिरिक्त, यह अपने कार्पोरेट सामाजिक दायित्व प्रयासों के माध्यम से समुदाय में सामाजिक सुरक्षा के साथ–साथ एक स्वस्थ और स्वस्थ आजीविका को बढ़ावा देता है। कार्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति, कंपनी की निर्माण गतिविधियों से प्रभावित होने वाले समुदायों की समस्याओं को पूरा करने के साथ साथ इरकॉन के परियोजना स्थलों पर और उसके आसपास सामाजिक कल्याण गतिविधियों को जारी रखती है। ये गतिविधियां स्थानीय लोगों को लाभान्वित करती हैं और अधिक से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए बेहतर निष्पादन और संचालन के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों की पेशकश करती हैं।

कंपनी का मानना है कि कार्पोरेट सामाजिक दायित्व और संवहनीयता के दर्शन और भाव को सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा समझा और जाना जाना चाहिए। इस दिशा में, इरकॉन अपने लोगों के बीच व्यवसाय संचालन के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के एकीकरण के बारे में जागरूकता पैदा करता है।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व और स्थिरता नीति का विवरण कंपनी की वेबसाइट : https://www.incon.org/images/file/cosecy/2019-20/CSR-Policy-Jan-2020-min.pdf पर उपलब्ध है।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन

इरकॉन में एक कार्पोरेट सामाजिक दायित्व और स्थिरता समिति है, जिसकी अगुवाई संगठन के कार्पोरेट सामाजिक दायित्व एजेंडा के कार्यान्वयन और देखरेख के लिए एक स्वतंत्र निदेशक करते हैं। समिति को मुख्य महाप्रबंधक और उससे ऊपर के रैंक के एक अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है और उनकी टीम कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पहल और गतिविधियों के चयन, अनुमोदन और प्रबंधन जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं में समिति की सहायता करती है।

इरकॉन की कार्पोरेट सामाजिक दायित्व और स्थिरता समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 और कार्पोरेट सामाजिक दायित्व संवहनीयता पर लोक उद्यम विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए जारी दिशानिर्देश, 2014 के अनुपालन में किया गया है। समिति के गठन पर एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि, इसके शासनादेश और वित्तीय वर्ष 2020 में आयोजित बैठकों का विवरण, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट का प्रकटीकरण किया गया है। वर्तमान में, समिति का नेतृत्व श्री अशोक कुमार गंजू, अध्यक्ष (स्वतंत्र निदेशक) कर रहे हैं एवं इसके सदस्य डॉ. नरिंदर सिंह रैना, स्वतंत्र निदेशक (अंशकालिक गैर–सरकारी), श्री श्याम लाल गुप्ता, निदेशक (परियोजना) हैं।

वर्तमान में, समिति को अधिकारियों की टीम के साथ नोडल अधिकारी के रूप में कार्यकारी निदेशक (इलेक्ट्रिकल्स) डॉ. सुभाष चंद द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2020 के संबंध कार्पोरेट सामाजिक दायित्व विवरण

पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अपनी भारतीय परियोजनाओं से कंपनी का औसत शुद्ध लाभ 494 करोड़ रुपये था।

वित्त वर्ष 2020 के लिए कार्पोरेट सामाजिक दायित्व का बजट 9.88 करोड़ रुपये था, जो कि पिछले तीन निकटतम वित्तीय वर्षों से पहले की अवधि में कंपनी द्वारा अपनी भारतीय परियोजनाओं से प्राप्त किए गए औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत है।

वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान, इरकॉन ने अपनी कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पहल पर 10.04 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

इरकॉन की कार्पोरेट सामाजिक दायित्व और संवहनीयता समिति इस आशय की पुष्टि करती है कि कार्पोरेट सामाजिक दायित्व और संवहनीयता नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कार्पोरेट सामाजिक दायित्व उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुपालन में हो रहा है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना/ संज्ञान की गई प्रकिया	परियोजना किस सेक्टर में कवर होती है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य तथा जिला जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम किया गया	राशि आउटले कार्यक्रम वार बजट अनुमान		वर्ष 2019–20 के दौरान परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि			2019–20 तक संचित व्यय	व्यय की गई राशि (डायरेक्ट अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से)
				योग	वर्ष 2019–20 के दौरान	(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर डायरेक्ट व्यय	(2) ओवर हैड	(3) योग		
1	माई ग्रीन सोसाइटी इनिशिएटिव द्वारा महाराष्ट्र में तीर्थयात्राओं द्वारा फूलों, कचरे आदि से गीला कचरा के माध्यम से उत्पादित खाद से पर्यावरणीय संवहनीयता	स्वच्छ भारत {क्र.सं. 7 की सं.(1)}	(1) स्थानीय (2) मुम्बई महाराष्ट्र	40	3.75	3.75	-	3.75	40	मैसर्स केशव सृष्टि के माध्यम से
2	महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में 500 मार्जिनल किसानों को समर्थन देने के लिए बायोगैस संयंत्र के उपयोग के माध्यम से पर्यावरण संवहनीयता को बढ़ावा देना (3 वर्ष)	स्वच्छ भारत {क्र.सं. 7 की सं.(1)}	(1) अन्य (2) सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र	30	10.05	10.05	-	10.05	18.60	मैसर्स भगीरथा ग्राव विकास प्रतिष्ठान के माध्यम से
3	विशाखापट्टनम में आदिवासी समुदायों में स्कूल रसोई के लिए अपशिष्ट–से–ऊर्जा के माध्यम से स्वच्छता को बढ़ावा देना (2 वर्ष)	पर्यावरण {क्र.सं. 4 अनुसूची 7}	(1) स्थानीय (2) विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	35.20	5.10	5.10	-	5.10	33.50	मैसर्स लावा के माध्यम से
4	रियासी, जम्मू और कश्मीर (5 साल) में वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संवहनीयता	पर्यावरण {क्र.सं. 4 अनुसूची 7}	(1) स्थानीय (2) रियासी, जम्मू	43.70	4.68	4.68	-	4.68	32.25	डायरेक्ट
5	गाजीपुर में गांवों के विकास के लिए 50 हैंड पंपों का प्रावधान	पेय जल {क्र.सं. 7 की सं.(1)}	(1) अन्य (2) गाजीपुर, उत्तर प्रदेश	21.80	-	-	-	-	19.62	जल निगम, गाजीपुर के माध्यम से
6	कौशल विकास, खारी में रोजगार के अवसर उत्पति के कार्य	रोजगार वर्धन {क्र.सं. 7 की सं.(2)}	(1) स्थानीय (2) खारी, जम्मू	14.89	1.49	1.49	-	1.49	14.89	क्षेत्रीय उद्यमिता परिषद केन्द्र के माध्यम से

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट जारी

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना/ संज्ञान की गई प्रकिया	परियोजना किस सेक्टर में कवर होती है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य तथा जिला जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम किया गया	राशि आउटले कार्यक्रम वार बजट अनुमान		वर्ष 2019–20 के दौरान परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि			2019–20 तक संचित व्यय	व्यय की गई राशि (डायरेक्ट अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से)
				योग	वर्ष 2019–20 के दौरान	(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर डायरेक्ट व्यय	(2) ओवर हैड	(3) योग		
7	पठानकोट, पंजाब में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण	रोजगार वर्धन शिक्षा {क्र.सं. 7 की सं.(2)}	(1) अन्य (2) पठानकोट पंजाब	31.32	5.92	5.92	-	5.92	31.32	मैसर्स बिसनौली सर्वोदय ग्राम सेवा संस्था (बीएस जीएसएस) के माध्यम से
8	यूपी के गाजियाबाद में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण	रोजगार वर्धन शिक्षा {क्र.सं. 7 की सं.(2)}	(1) स्थानीय (1) गाजीपुर खोरा उ.प्र.	31.32	10.36	10.36	-	10.36	31.32	मैसर्स बीजीजीएसएस के माध्यम से
9	नुरूल अमीन स्टेडियम, नौगांव, असम में अवसंरचना विकास के लिए योगदान के माध्यम से खेल को बढ़ावा देना	खेल {क्र.सं. 7 की सं.(5)}	(1) अन्य (2) नौगांव असम	77.00	-	-	-	-	19.25	नौगांव स्पोर्टस एसोसिएशन के माध्यम से
10	60 वंचित महिलाओं को कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करना (एसएचजी के लिए लड़कियों और महिलाओं के लिए सिलाई और सिलाई में व्यावसायिक प्रशिक्षण)	कौशल विकास {क्र.सं. 7 की सं.(2)}	(1) स्थानीय (2) शिवपुरी – गुना, मध्य प्रदेश	12.66	10.17	10.17	-	10.17	10.17	मैसर्स लक्ष्यम के माध्यम से
11	माई ग्रीन सोसाइटी इनिशिएटिव द्वारा महाराष्ट्र में तीर्थयात्राओं द्वारा फूलों, कचरे आदि से गीला कचरा के माध्यम से उत्पादित खाद से पर्यावरणीय संवहनीयता	कौशल विकास {क्र.सं. 7 की सं.(2)}	(1) स्थानीय (2) खारी जम्मू	11.77	11.77	11.77	-	11.77	11.77	क्षेत्रीय उद्यमिता परिषद केन्द्र के माध्यम से

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना/ संज्ञान की गई प्रकिया	परियोजना किस सेक्टर में कवर होती है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य तथा जिला जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम किया गया	राशि आउटले कार्यक्रम वार बजट अनुमान: योग	राशि आउटले कार्यक्रम वार बजट अनुमान: वर्ष 2019–20 के दौरान	वर्ष 2019–20 के दौरान परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि: (1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर डायरेक्ट व्यय	(2) ओवर हैड	(3) योग	2019–20 तक संचित व्यय	व्यय की गई राशि (डायरेक्ट अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से)
12	महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में 500 मार्जिनल किसानों को समर्थन देने के लिए बायोगैस संयंत्र के उपयोग के माध्यम से पर्यावरण संवहनीयता को बढ़ावा देना (3 वर्ष)	घर और शैल्टर स्थापित करना {क्र.सं. 3 अनुसूची 7}	(1) स्थानीय (2) गुवाहाटी असम	5.00	2.50	2.50	-	2.50	2.50	मैसर्स प्रयास के माध्यम से
13	विशाखापट्टनम में आदिवासी समुदायों में स्कूल रसोई के लिए अपशिष्ट–से–ऊर्जा के माध्यम से स्वच्छता को बढ़ावा देना (2 वर्ष)	कौशल विकास {क्र.सं. 7 की सं.(2)}	(1) स्थानीय (4) लोहारदागा झारखंड	28.18	8.45	8.45	-	8.45	8.45	राष्ट्रीय हथकरघा वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से
14	स्वच्छ भारत अभियन के अंतर्गत यात्री सुविधाओं का प्रावधान (स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्लास्टिक बोतल नष्ट करने की बोतल क्रशिंग	स्वच्छ भारत {अनुसूची 7 का क्र.सं. (1)}	(1) स्थानीय (2) बरेली नगर/ इज्जतनगर एवं मथुरा मशीन का संस्थापन) कैंट, उत्तर प्रदेश	9.00	9-00	9.00	-	9.00	9.00	डायरेक्ट
15.	केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के निर्मल जल के प्रावधान	पेय जल {अनुसूची 7 का क्र.सं. (1)}	(1) स्थानीय (2) विशाखापत्तनम	7.90	6.68	6.68	-	6.68	6.68	राष्ट्रीय हथकरक्षा एवं वित्त विकास निगम, मध्य प्रदेश के माध्यम से
16	स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत उधमपुर में शौचलयों का निर्मा	स्वच्छता {अनुसूची 7 का क्र.सं. (1)}	(1) स्थानीय (2) उद्यमपुर, जम्मू	52.00	-	-	-	-	-	डायरेक्ट
17.	खोरा, जिला गाजियाबाद में कौशल विकास केन्द्र के विस्तार का अनुरोध	कौशल विकास {अनुसूची 7 का क्र.सं. (2)}	(1) स्थानीय (2) गाजियाबाद– खोरा, उत्तर प्रदेश	21.42	8.37	8.37	.	8.37	8.37	मैसर्स बीजीजीएसएस के माध्यम से

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट जारी

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना/ संज्ञान की गई प्रक्रिया	परियोजना किस सेक्टर में कवर होती है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य तथा जिला जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम किया गया	राशि आउटले कार्यक्रम वार बजट अनुमान		वर्ष 2019–20 के दौरान परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि			2019–20 तक संचित व्यय	व्यय की गई राशि (डायरेक्ट अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से)
				योग	वर्ष 2019–20 के दौरान	(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर डायरेक्ट व्यय	(2) ओवर हैड	(3) योग		
18	निशक्त जनों के लिए तमिलनाडु के कोयम्बतूर जिले में फर्नीचर परिसंपत्ति के प्रावधान हेतु निशक्त जनों के लिए सहायता	होम तथा शेल्टरों की स्थापना {अनुसूची 7 का क्र.सं. (3)}	(1) स्थानीय (2) कोयम्बतूर, तमिलनाडु	5.50	5.45	5.45	-	5.45	5.45	मैसर्स यूनाइटेड ऑपोनेज फॉर दि डिसेबल्ड के माध्यम से
19	संस्कृति एवं परंपरा को प्रोत्साहन (2) बंगलौर, कर्नाटक रेलवे की दीवारों पर भित्ती चित्रकला के उपयोग से दक्षिण भारतीय संस्कृति की प्रस्तुति	कला एवं संस्कृति {अनुसूची 7 की क्र. सं. (5) }	(1) स्थानीय (2) बंगलुरू, कर्नाटक	25.00	23.75	23.75	-	23.75	23.75	डायरेक्ट
20	कलिमपॉग, पश्चिम बंगाल के स्थानीय निवासियों के लिए पेय जल सुविधा (जुरेलीखोला से भालुखोला के लिए पेय जल योजना)	पेय जल {अनुसूची 7 की क्र.सं. (1)}	(1) स्थानीय (2) कलिमपोंग, पश्चिम बंगाल	37.65	12.74	12.74	-	12.74	12.74	डायरेक्ट
21	ग्राम विकास के माध्यम से जल संरक्षण तथा बिहार के शेखपुर जिले के ग्रामवासियों के लिए बेहतर जल सुविधाएं प्रदान करना	ग्रामीण विकास {अनुसूची 7 की क्र.सं. (10)}	(1) स्थानीय (2) शेखपुरा, बिहार	29.93	26.73	26.73	-	26.73	26.73	डायरेक्ट
22	त्रिपुरा में बहुउद्देशीय हाल (300 क्षमता) का निर्माण	घर एवं शैल्टरों की स्थापना { अनुसूची 7 की क्र.सं. (3)}	(1) स्थानीय (2) त्रिपुरा	78.00	-	-	-	-	-	डायरेक्ट
23	पूर्वोत्तर राज्यों में युवाओं में भारतीय संस्कृति एवं कला का प्रोत्साहन	कला एवं संस्कृति {अनुसूची 7 की क्र. सं. (5) }	(1) अन्य (2) पूर्वोत्तर	35.00	-	-	-	-	-	मैसर्स एसईआईएल (स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस इन इंटर स्टेट लिविंग) के माध्यम से

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना/ संज्ञान की गई प्रकिया	परियोजना किस सेक्टर में कवर होती है	परियोजना अथवा कार्यकम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य तथा जिला जहां परियोजना अथवा कार्यकम किया गया	राशि आउटले कार्यक्रम वार बजट अनुमान		वर्ष 2019–20 के दौरान परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि			2019–20 तक संचित व्यय	व्यय की गई राशि (डायरेक्ट अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से)
				योग	वर्ष 2019–20 के दौरान	(1) परियोजनाओं अथवा कार्यकमों पर डायरेक्ट व्यय	(2) ओवर हैड	(3) योग		
24	बेगुसराय, बिहार में ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सामुदायिक केन्द्र का निर्माण	ग्रामीण विकास {अनुसूची 7 की क्र.सं. (10)}	(1) स्थानीय (2) बेगुसराय, बिहार	15.00	-	-	-	-	-	डायरेक्ट
25	चंडीगढ़ में मोबाइल कम्प्यूटर लैब के माध्यम से एकल विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता उपलब्ध करवाना	शिक्षा {अनुसूची 7 का कम संख्या (2)}	(1) स्थानीय (2) रायगढ़, छत्तीसगढ़	26.62	-	-	-	-	24.97	एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के माध्यम से
26	नौगांव, छत्तीसगढ़ में कम्प्यूटर लैब का निर्माण तथा कम्प्यूटरों का प्रावधान	शिक्षा {अनुसूची 7 का कम संख्या (2)}	(1) स्थानीय (2) नौगांव, छत्तीसगढ़	18.15	1.28	1.28	-	1.28	10.40	डायरेक्ट
27	रोजगार सम्बद्ध कौशल के लिए अंग्रेजी साक्षरता हेतु इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया	शिक्षा {अनुसूची 7 का कम संख्या (2)}	(1) स्थानीय (2) मुम्बई, महाराष्ट्र	25.00	5.00	5.00	-	5.00	21.25	मैसर्स एसएनडीडी महिला यूनिवर्सिटी के माध्यम से
28	गाजीपुर उ.प्र. में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए माहवारी स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यकम	स्वास्थ्य {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (1)}	(1) अन्य	17.14	-	-	-	-	16.58	मैसर्स वात्सल्य फांउडेशन एवं मैसर्स सेवा समर्पण संस्थान के माध्यम से
29	दिल्ली में गलियों में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन हेतु गोधुली में योगदान	शिक्षा {अनुसूची 7 का कम संख्या (2)}	(1) स्थानीय	5.40	0.54	0.54	-	0.54	5.40	मैसर्स गोधुली के माध्यम से
30	छत्तीसगढ़ के रायगढ़ तथा कोरबा जिलों के 100 एकल विद्यालयों के लिए योगदान	शिक्षा {अनुसूची 7 का कम संख्या (2)}	(1) स्थानीय (2) रायगढ़, छत्तीसगढ़	20.00	2.00	2.00	-	2.00	20.00	भारत लोक शिक्षा परिषद के माध्यम से
31	झारखंड के 100 एकल विद्यालयों के लिए योगदान	शिक्षा {अनुसूची 7 का कम संख्या (2)}	(1) स्थानीय (2) गिरिध, झारखंड	20.00	2.00	2.00	-	2.00	20.00	भारत लोक शिक्षा परिषद के माध्यम से

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना/ संज्ञान की गई प्रकिया	परियोजना किस सेक्टर में कवर होती है	परियोजना अथवा कार्यकम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य तथा जिला जहां परियोजना अथवा कार्यकम किया गया	राशि आउटले कार्यक्रम वार बजट अनुमान		वर्ष 2019–20 के दौरान परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि			2019–20 तक संचित व्यय	व्यय की गई राशि (डायरेक्ट अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से)
				योग	वर्ष 2019–20 के दौरान	(1) परियोजनाओं अथवा कार्यकमों पर डायरेक्ट व्यय	(2) ओवर हैड	(3) योग		
32	हिमाचल प्रदेश के 100 एकल विद्यालयों के लिए योगदान	शिक्षा {अनुसूची 7 का कम संख्या (2)}	(1) अन्य (2) डेरा (कांगड़ा) हिमाचल प्रदेश	20.00	2.00	2.00	-	2.00	20.00	भारत लोक शिक्षा परिषद के माध्यम से
33	वृद्धाश्रम में रहने वाले 23 वृद्ध व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति	स्वास्थ्य {अनुसूची 7 का कम संख्या (1)}	(1) स्थानीय (2) फरीदाबाद, हरियाणा	3.00	2.70	2.70	-	2.70	2.70	अनादि सेवा प्रकल्प के माध्यम से
34	वित्तीय वर्ष 2019–20 में दिल्ली में गलियों में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन हेतु गोधुली में योगदान	शिक्षा {अनुसूची 7 का कम संख्या (2)}	(1) स्थानीय (2) दिल्ली	6.00	5.40	5.40	-	5.40	5.40	मैसर्स गोधुली के माध्यम से
35	बनिहाल जम्मू एवं कश्मीर में विद्यमान स्वास्थ्य यूनिट का संचलन एवं अनुरक्षण	स्वास्थ्य {अनुसूची 7 का कम संख्या (1)}	(1) स्थानीय (2) बनिहाल, जम्मू	8.50	4.07	4.07	-	4.07	4.07	डायरेक्ट
36	बीपीएल उम्मीदवारों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण (कार्य उन्मुख कौशल विकास 20 बीपीएल को पंचकर्मा प्रशिक्षण)	शिक्षा {अनुसूची 7 का कम संख्या (2)}	(1) स्थानीय (2) दिल्ली	18.60	14.59	14.59	-	14.59	14.59	संथिगिरी आश्रम के माध्यम से
37	भुवनेश्वर में विद्यार्थियों के लिए गुणवत्ता सम्पन्न शिक्षा के लिए योगदान (आवासीय विद्यालयों में रहने वाले 5वीं कक्षा के 100 आदिवासी बच्चों का प्रायोजन)	शिक्षा {अनुसूची 7 का कम संख्या (2)}	(1) स्थानीय (2) भुवनेश्वर, डड़ीसा	30.00	27.00	27.00	-	27.00	27.00	कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के माध्यम से

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना/ संज्ञान की गई प्रकिया	परियोजना किस सेक्टर में कवर होती है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य तथा जिला जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम किया गया	राशि आउटले कार्यक्रम वार बजट अनुमान		वर्ष 2019–20 के दौरान परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि			2019–20 तक संचित व्यय	व्यय की गई राशि (डायरेक्ट अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से)
				योग	वर्ष 2019–20 के दौरान	(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर डायरेक्ट व्यय	(2) ओवर हैड	(3) योग		
38	मैसर्स ब्लाइंड आर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से स्कूलों/कालेजों में विद्यार्थियों की सहायता के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित मदों की आपूर्ति (स्कूल बैग,नोट बुक,पुस्तकें, स्टेशनरी 1325 निर्धन बच्चों की सहायता के लिए नेत्रहीन बच्चों की वित्तीय सहायता)	शिक्षा {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (2)}	(1) स्थानीय (2) मुम्बई, महाराष्ट्र	4.87	4.87	4.87	-	4.87	4.87	मैसर्स ब्लाइंड आर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से
39	धोलपुर में किफायती स्वच्छ नैपकिन मशीनों की व्यवस्था करके ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के साधन (एसएचजी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार उत्पति हेतु सैनेटरी नेपकिन निर्माण यूनिट की स्थापना तथा स्कूल /कॉलेजों में कन्यायों को वितरण)	स्वास्थ्य {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (1)}	(1) स्थानीय (2) धौलपुर, राजस्थान	4.65	3.72	3.72	-	3.72	3.72	मैसर्स वात्सल्य फांउडेशन के माध्यम से
40	जम्मू कश्मीर में युद्ध विधवाओं की आजीविका सुरक्षा एवं सशक्तीकरण पर समुदाय आधारित प्रस्ताव (80 आरोग्य चिकित्सा कैम्प तथा दवाओं के साथ मुफ्त चिकित्सा सेवा)	स्वास्थ्य {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (1)}	(1) स्थानीय (2) जम्मू व कश्मीर, कारगिल तथा लेह लद्दाख	27.00	13.50	13.50	-	13.50	13.50	मैसर्स आरोग्य फाउंडेशन के माध्यम से
41	मोटरयुक्त व्हीलचेयरों की व्यवस्था से विकलांग विद्यार्थियों का सशक्तीकरण। 1.60 लाख रुपए प्रति यूनिट की दर से कैम्पस में दिव्यांग विद्यार्थियों के उपयोग के लिए 4 मोटरयुक्त व्हीलचेयरों के प्रावधान	स्वास्थ्य {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (1)}	(1) अन्य (2) भोपाल मध्य प्रदेश	3.20	2.88	2.88	-	2.88	2.88	डायरेक्ट

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना/ संज्ञान की गई प्रकिया	परियोजना किस सेक्टर में कवर होती है	परियोजना अथवा कार्यकम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य तथा जिला जहां परियोजना अथवा कार्यकम किया गया	राशि आउटले कार्यक्रम वार बजट अनुमान		वर्ष 2019–20 के दौरान परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि			2019–20 तक संचित व्यय	व्यय की गई राशि (डायरेक्ट अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से)
				योग	वर्ष 2019–20 के दौरान	(1) परियोजनाओं अथवा कार्यकमों पर डायरेक्ट व्यय	(2) ओवर हैड	(3) योग		
42	कृत्रिम अंग निर्माण के सहयोग से वित्तीय वर्ष 19–20 के दौरान दिव्यांग जनों के लिए कृत्रिम अंग	स्वास्थ्य {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (1)}	(1) स्थानीय (2) (मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) तथा कटनी (मध्य प्रदेश)	40.00	10.00	10.00	-	10.00	10.00	मैसर्स अल्मिको के माध्यम से
43	झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में प्रत्येक 50 एकल विद्यालयों के लिए योगदान का विस्तार	शिक्षा {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (2)}	(1) स्थानीय (2) रायगढ़ (छत्तीसगढ एवं पश्चिम सिंधुभूम, (झारखंड)	20.00	19.00	19.00	-	19.00	19.00	मैसर्स भारत लोक शिक्षा परिषद के माध्यम से
44	पटना में विशेष सक्षम बच्चों को श्रवण सहायक एवं अन्य उपकरण उपलब्ध करवाना	शिक्षा {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (2)}	(1) स्थानीय (2) पटना, बिहार	2.48	2.48	2.48	-	2.48	2.48	मैसर्स उमंग बाल विकास के माध्यम से
45	नुपाडा, उड़ीसा में किफायती स्वच्छ नैपकिन मशीनों की व्यवस्था करके ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के साधन	स्वास्थ्य {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (1)}	(1) स्थानीय (2) पुपाडा उडीसा	6.77	5.42	5.42	-	5.42	5.42	मैसर्स वात्सल्य फांउडेशन के माध्यम से
46	रांची, झारखंड में किफायती स्वच्छ नैपकिन मशीनों की व्यवस्था करके ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के साधन	स्वास्थ्य {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (1)}	(1) स्थानीय (2) रांउची झारखंड	6.77	5.42	5.42	-	5.42	5.42	मैसर्स वात्सल्य फांउडेशन के माध्यम से
47	250 पोलियो एवं जन्म से अपंग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता	स्वास्थ्य {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (1)}	(1) अन्य (2) उदयपुर राजस्थान	13.00	13.00	13.00	-	13.00	13.00	मैसर्स नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से
48	जैसलमेर राजस्थान के एस्पायरेशल जिले के 30 विद्यालयों में नेत्र जांच कैम्प	स्वास्थ्य {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (1)}	(1) अन्य (2) जैसलमेर, राजस्थान	27.87	13.94	13.94	-	13.94	13.94	मैसर्स पीसीबी ट्रस्ट के माध्यम से

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना/ संज्ञान की गई प्रकिया	परियोजना किस सेक्टर में कवर होती है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य तथा जिला जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम किया गया	राशि आउटले कार्यक्रम वार बजट अनुमान		वर्ष 2019–20 के दौरान परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि			2019–20 तक संचित व्यय	व्यय की गई राशि (डायरेक्ट अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से)
				योग	वर्ष 2019–20 के दौरान	(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर डायरेक्ट व्यय	(2) ओवर हैड	(3) योग		
49	बारामुला, जम्मू व कश्मीर के रेलवे क्षेत्रों में बॉयोग्रेड योग्य सैनेटरी नैपकिन की निर्माण यूनिट की स्थापना से स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को प्रोत्साहन	स्वास्थ्य {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (1)}	(1) स्थानीय (2) बारामुला कश्मीर	29.44	8.28	8.28	-	8.28	8.28	मैसर्स दीपांजन ट्रस्ट के माध्यम से
50	दक्षिण दीनापुर, मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम, नादिया एवं अन्य; पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी एवं कोलकाता जैसे प्रमुख जिलों के एस्पायरेशनल जिलों में 100 बच्चों एवं युवाओं की क्लेफ्ट सर्जरी के लिए स्वास्थ्य प्रोत्साहन	स्वास्थ्य {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (1)}	(1) स्थानीय (2) दक्षिण दीनापुर, मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम, नादिया एवं अन्य; पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी एवं कोलकाता जैसे प्रमुख जिले	28.00	16.80	16.80	-	16.80	16.80	मैसर्स मिशन स्माइल के माध्यम से
51	मलकानगिरी, नबरंगपुर, उड़ीसा के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए 'गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम' के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण को प्रोत्साहन	पोषण {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (1)}	(1) स्थानीय (2) मलकानगिरी, नबरंगपुर, उड़ीसा	40.00	20.00	20.00	-	20.00	20.00	मैसर्स एनडीडीबी के माध्यम से
52	गोवा में कैंसर रोगियों के लिए परामर्श एवं हैंडहैंडलिंग का कार्यक्रम	स्वास्थ्य {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (1)}	(1) अन्य (2) गोवा	14.66	7.33	7.33	-	7.33	7.33	मैसर्स संजीवनी के माध्यम से
53	वंचित विद्यार्थियों के लिए मिनी साइंग सेंटर खोलने का प्रस्ताव	शिक्षा {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (2)}	(1) स्थानीय (2) रायगढ़, छत्तीसगढ़	9.43	4.72	4.72	-	4.72	4.72	मैसर्स सद्भावना के माध्यम से
54	भुवनेश्वर में एक आवासीय सेटअप में निवास कर रहे 150 आदिवासी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन का प्रायोजन	शिक्षा {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (2)}	(1) स्थानीय (2) भुवनश्वर, उड़ीसा	45.00	22.50	22.50	-	22.50	22.50	मैसर्स कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के माध्यम से

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना/ संज्ञान की गई प्रकिया	परियोजना किस सेक्टर में कवर होती है	परियोजना अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य (2) राज्य तथा जिला जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम किया गया	राशि आउटले कार्यक्रम वार बजट अनुमान		वर्ष 2019–20 के दौरान परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि			2019–20 तक संचित व्यय	व्यय की गई राशि (डायरेक्ट अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से)
				योग	वर्ष 2019–20 के दौरान	(1) परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर डायरेक्ट व्यय	(2) ओवर हैड	(3) योग		
55	''नोलेज आन व्हील्स'' कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा का प्रोत्साहन	शिक्षा {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (2)}	(1) स्थानीय (2) पालघर जिला, महाराष्ट्र	32.84	19.70	19.70	-	19.70	19.70	मैसर्स केशव सृष्टि के माध्यम से
56	शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए 600 एकल विद्यालयों को सहायता	शिक्षा {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (2)}	(1) स्थानीय (2) बारामुला, कश्मीर	132.00	66.00	66.00	-	66.00	66.00	मैसर्स एकल विद्यालय फाउंडेशन आफ इंडिया के माध्यम से
57	विशेष समक्ष एवं गरीब युवाओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना	शिक्षा {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (2)}	(1) अन्य (2) जलगांव, महाराष्ट्र	40.00	16.00	16.00	-	16.00	16.00	मैसर्स दीपस्तंभ फाउंडेशन के माध्यम से
58	प्रयागराज, उ.प्र. में 76 सरकारी स्कूलों के कार्य विकास	शिक्षा {अनुसूची 7 का क्रम संख्या (2)}	(1) अन्य (2) प्रयागराज, उ.प्र.	40.00	34.30	34.30	-	34.30	34.30	डायरेक्ट
59	प्रधान मंत्री केयर निधि	निधि योगदान	प्रधान मंत्री केयर निधि	450.00	450.00	450.00	-	450.00	450.00	डायरेक्ट
60	वित्तीय वर्ष 2016–17 के सीएसआर कार्यों का मूल्यांकन तथा सर्वेक्षण, मुद्रण, शुद्धिपत्र इत्यदि	स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, कौशल विकास एवं प्रशासन लागत इत्यादि	लागू नहीं	49.00	10.63	-	10.63	10.63	10.63	डायरेक्ट
योग			**1,984.63**	**1,004.01**	**993.39**	**10.63**	**1,004.01**	**1,329.19**		

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षर
(एस.एल.गुप्ता)
निदेशक परियोजना एवं सदस्य, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संवहनीयता समिति
(डीआईएन 07598920)

हस्ताक्षर
(श्री अशोक कुमार गंजु)
अध्यक्ष, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संवहनीयता समिति
(डीआईएन 07014589)

हस्ताक्षर
(श्री एस.के. चौधरी)
अध्यक्ष, एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00515672)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.08.2020

व्यापार उत्तरदेयत्ता रिपोर्ट

प्रस्तावना

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) की वित्त वर्ष 2019–20 की व्यापार उत्तरदेयता रिपोर्ट, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामाजिक, पर्यावरण एवं व्यापार के आर्थिक उत्तरदायित्वों के संबंध में जारी राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश (एनवीजी) के अनुरूप है।

इरकॉन , कॉरपोरेट गवर्नेस की नीतियों और आचार संहिता को अपनाकर कॉर्पोरेट प्रशासन सिद्धांतों और सर्वोत्तम व्यवहारों के उच्चतम मानकों का पालन करता है। इन नीतियों में पारदर्शिता, जवाबदेही, अनुपालन, प्रकटीकरण, नैतिक आचरण और सभी स्टेकधारकों के हितों को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी के मूल सिद्धांतों द्वारा संचालित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के एक समूह की अनुशंसा की गई हैं। हमारे स्टेकधारकों की आवश्यकताओं के लिए उनकी प्रासंगिकता, प्रभावशीलता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीतियों और संहिता का समय–समय पर मूल्यांकन किया जाता है।

हमारी व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट में सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं), विनियम 2015 के विनियम 34 (2) (एफ) द्वारा परिभाषित हमारे व्यवहारों और प्रस्तुति के सिद्धांतों के साथ साथ गवर्नेस, पर्यावरण, एवं स्टेकधारक सम्बद्धों के विषय के प्रश्नों के प्रति प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है।

राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश एवं सेबी विनियमों के अनुसार सिद्धांत

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी एनवीजी सिद्धांत, भारत के सामाजिक–आर्थिक संदर्भ और प्राथमिकताओं के साथ–साथ वैश्विक आर्थिक व्यवहारों के अनुसार निर्मित्त किए गए हैं। एनवीजी में नौ परस्पर संबंधित और परस्पर सिद्धांत और संबंधित मूल तत्व शामिल हैं और व्यापारिक जिम्मेदारी के लिए ये एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं।

नीति1: नैतिकता, पारदर्शिता और उत्तरदेयता
व्यापार का संचलन नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए

नीति 2: उत्पाद उपयोज्यता चक्र संवहनीयता
व्यापार में वे माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हैं और अपने पूरे उपयोज्यता चक्र में संवहनीयता में योगदान करती हैं

नीति 3: कर्मचारियों की सुख सुविधा
व्यापार में सभी कर्मचारियों की सुख सुविधा प्रोत्साहित करनी चाहिए।

नीति 4: स्टेकधारक सम्बद्धता
व्यापार में प्रत्येक के हितों का सम्मान होना चाहिए तथा यह प्रत्येक स्टेकधारक विशेषतः वे जो सुविधाहीन, असुरक्षित एवं अधिकारों से वंचित हैं, के प्रति प्रतिक्रियात्मक होना चाहिए।

नीति 5: मानवाधिकार
व्यापार में मानवाधिकारों का सम्मान और बढ़ावा देना चाहिए

नीति 6: पर्यावरण
व्यापार के अंतर्गत पर्यावरण के सम्मान, संरक्षण एवं पुनः बहाली के प्रयास किए जाने चाहिए।

नीति 7: नीतिगत समर्थन
व्यापार के अंतर्गत जन सम्पर्क कार्य एवं विनियामक का निर्वाह उत्तरदायी स्वरूप में किया जाना चाहिए।

नीति 8: समावेशी विकास
व्यापार के अंतर्गत समावेशी विकास एवं न्यायोचित विकास का समर्थन होना चाहिए।

नीति 9: ग्राहक मूल्य
व्यापार के अंतर्गत अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को महत्व देने के साथ उनसे उत्तरदायी स्वरूप में व्यवहार किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट–1

खंड क: कंपनी के संबंध में सामान्य सूचना

1.	**कंपनी का निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)**	L45203DL1976GOI008171
2.	**कंपनी का नाम**	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन)
3.	**पंजीकृत कार्यालय**	सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली– 110017
4.	**वेबसाइट**	www.ircon.org
5.	**ई–मेल आईडी**	cosecy@ircon.org
6.	**रिपोर्टिंग का वित्तीय वर्ष**	2019–20
7.	**क्षेत्र जिनमें कंपनी कार्य कर रही है (कोडवार औद्योगिक गतिविधियां)**	सड़कों और रेलों का निर्माण (एनआईसी कोड – 4210)
8.	**तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की सूची जिनका कंपनी द्वारा विनिर्माण/उपलब्ध कराई जाती हैं (तुलन पत्र के अनुसार)**	इरकॉन एक एकीकृत भारतीय इंजीनियरिंग एवं निर्माण कंपनी है। इसे अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में विशेषज्ञता प्राप्त है। कंपनी द्वारा सेवित प्रमुख क्षेत्र निम्नानुसार हैः क. रेलवे, राजमार्ग एवं पुल ख. विद्युतीय ग. सिग्नलिंग और दूरसंचार (एस एंड टी) घ. वर्कशॉप एवं अन्य भवन
9.	**स्थलों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यावसायिक गतिविधियां निष्पादित की गई हैं:** **(क) अंतरराष्ट्रीय स्थलों की संख्या (प्रमुख 5 का ब्यौरा उपलब्ध कराएं)** **(ख) राष्ट्रीय स्थलों की संख्या**	(क) अंतरराष्ट्रीय स्थलों की संख्या इरकॉन पांच प्रमुख विदेशी स्थलों (यथा श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, साउथ अफ्रीका तथा अल्जीरिया) से अपनी व्यवसायिक गतिविधियां निष्पादित कर रहा है। (ख) राष्ट्रीय स्थलों की संख्या इरकॉन का मुख्यालय साकेत, नई दिल्ली, भारत में है और सम्पूर्ण भारत में व्यवसायिक प्रचालनों के प्रबंधन के लिए इनके 21 परियोजना कार्यालय और पांच क्षेत्रीय कार्यालय है।
10.	**कंपनी द्वारा सेवित बाजार – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय**	इरकॉन स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय बाजार को सेवित करता है।

खंड ख: कंपनी के वित्तीय विवरण (2019–20)

1.	**प्रदत्त पूंजी (रूपए करोड़ में)**	94.05 करोड़ रूपए
2.	**कुल टर्नओवर (रूपए करोड़ में)**	5442 करोड़ रूपए
3.	**कर पश्चात कुल लाभ (रूपए करोड़ में)**	490 करोड़ रूपए
4.	**कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय (%)**	2.05 प्रतिशत
5.	**गतिविधियों की सूची जिनमें उपर्युक्त 4 के व्यय किए गए हैं**	निदेशक की रिपोर्ट में संलग्न सीएसआर और धारणीयत रिपोर्ट का संदर्भ लें।

खंड ग: अन्य जानकारी

1. **क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां है।**

जी हां। दिनांक 31 मार्च 2020 को इरकॉन की पांच सहायक कंपनियां हैं यथा–

(क) इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल)

(ख) इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल)

(ग) इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल)

(घ) इरकॉन देवनगिरी हवेरी हाइवे लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल)

(ड.) इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटड (इरकॉन वीकेईएल)

2. **क्या सहायक कंपनी/कंपनियां पेरेंट कंपनी के बीआर पहलों में भाग लेते हैं? यदि हां तो ऐसी सहायक कंपनी (कंपनियों) की संख्या बताएं?**

पांच सहायक कंपनियों में से चार कंपनियां यथा इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल, इरकॉन डीएचएचएल तथा इरकॉन वीकेईएल स्पेशल परपस व्हीकल हैं, जिनका गठन एनएलएआई द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार परियोजनाओं के निष्पादन के लिए किया गया है, इसलिए ये स्पेशल परपस व्हीकल अप्रत्यक्ष रूप से इरकॉन के बीआर पहलों में भाग लेती हैं। एक सहायक कंपनी यथा इरकॉन आईएसएल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (सीपीएसई) है और इसे समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

3. **क्या कोई अन्य निकाय (उदाहरण के लिए आपूर्तिकर्ता, डिस्ट्रिब्यूटर आदि), जिनके साथ कंपनी व्यवसाय कर रही है, कंपनी के बीआर पहलों में भाग ले रहे हैं? यदि हां, तो ऐसे निकाय/निकायों के प्रतिशत को दर्शाएं? (30 प्रतिशत से कम, 30 से 60 प्रतिशत, 60 प्रतिशत से अधिक)।**

अधिकतम मामलों में बीआर पहल सीधे इरकॉन द्वारा की जाती है। कंपनी के सभी स्टेकधारक, जिनका कंपनी के साथ औपचारिक व्यवसाय व्यवस्था है जैसे सरकार, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार तथा अन्य अप्रत्यक्ष रूप से बीआर पहलों में भाग लेते हैं। तथापि, बीआर पहलों में उनके सहयोग के स्तर का निर्धारण करना कठिन है।

खंड– घ बीआर सूचना

1. **बीआर हेतु उत्तरदायित्व निदेशक/निदेशकों का विवरण**

(क) निदेशक/निदेशक पद का ब्यौरा और बीआर नीति/नीतियों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायित्व

क.सं	विवरण	ब्यौरा
1	डिन नम्बर	07654014
2	नाम	श्री योगेश कुमार मिश्रा
3	पदनाम	निदेशक (कार्य)

(ख) बीआर प्रमुख का ब्यौरा

क.सं	विवरण	ब्यौरा
1	डिन नम्बर	लागू नहीं
2	नाम	श्री बसंत कुमार
3	पदनाम	कार्यपालक निदेशक (निगमित समन्वय)
4	दूरभाष सं.	011–26545470
5	ई–मेल आईडी	basant@ircon.org

2. **व्यावसायिक उत्तरदायित्व से संबंधित शासन**

(क) निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ द्वारा कंपनी के बीआर निष्पादन के आकलीन की आवृत्ति दर्शाएं। 3 महीने में, 3–6 महीने, वार्षिक रूप से, 1 वर्ष से अधिक।

बीआर निष्पादन के विभिन्न सिद्धांत कंपनी के दिन–प्रति–दिन के प्रचालनों का अभिन्न अंग हैं और बोर्ड/बोर्ड स्तरीय समिति (समितियों) द्वारा संबंधित व्यवसाय के अभिन्न मद के रूप में समीक्षा की जाती है। वर्ष 2019–20 के दौरान, इरकॉन में सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति की तीन बैठकें हुई, जबकि निदेशक मंडल की नौ बैठकें हुई।

(ख) क्या कंपनी बीआर या धारणीयता रिपोर्ट को प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसके प्रकाशन की आवृत्ति क्या है?

इरकॉन दिनांक 28 सितंबर 2018 को सूचीबद्ध हुआ है और दिनांक 31 मार्च 2020 को बाजार पूंजीकरण के आधार पर, इरकॉन शीर्ष 500 कंपनियों की सूची में है। इसलिए, व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट पहली बार अनिवार्य हुई है। इसलिए कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 के भाग के रूप में पहली बार अपनी बीआर रिपोर्ट को प्रकाशित कर रही है। आगे से इसे वार्षिक आधार पर किया जाएगा। वर्ष 2019–20 की बीआर रिपोर्ट को कंपनी की वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अपलोड किया जाएगा और यह निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध होगी:

http://www.ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=430&lang= en

कंपनी की स्थिरता रिपोर्टें वार्षिक रूप से प्रकाशित होती हैं और यह निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं: http://www.ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=424&lang=en

अनुपालन का ब्यौरा

सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1	क्या आपके पास इस संबंध में नीति/नीतियां हैं.	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
2	क्या नीति को संगत हितधारकों के परामर्श से तैयार किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	–	हां	हां
3	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां तो स्पष्ट करें? (50 शब्द)	हां कंपनी की सारी नीतियां भारत सरकार द्वारा जारी लागू सांविधियों/दिशानिर्देशों/नियमों/नीतियों आदि के अनुरूप हैं। इन नीतियों को उद्योग की पद्धतियों और मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।	हां	हां	हां	हां	हां	–	हां	हां
4	क्या इस नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? यदि हां तो क्या इसे एमडी/ओनर/सीईओ/उपयुक्त निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।	हां कंपनी की नीतियों को बोर्ड की प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार बोर्ड/सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है।	हां	हां	हां	हां	हां	–	हां	हां
5	क्या कंपनी में इस नीति के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड/निदेशक/कार्मिक की विशिष्ट समिति है।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	–	हां	हां
6	इन नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक बताएं।	कंपनी की नीतियां नीचे उल्लिखित कंपनी की वेबसाइट में उपलब्ध लिंक पर हैः https://www.ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=212&Itemid=606&lang=en								
7	क्या इस नीति को औपचारिक रूप से सभी संगत आंतरिक और बाहरी हितधारकों को भेजा गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	–	हां	हां
8	क्या कंपनी में इस नीति/नीतियों के क्रियान्वयन के लिए इन–हाउस संरचना है।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	–	हां	हां
9	क्या कंपनी में इस नीति/नीतियों से संबंधित स्टेकधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए इन नीति/नीतियों से संबंधित कोई शिकायत निवारण तंत्र विद्यमान है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	–	हां	हां
10	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा इस नीति की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र संपरीक्षा/मूल्यांकन कराया है?	स्वतंत्र लेखापरीक्षा के माध्यम से विनियामक/व्यवसाय /पर्यावरणीय अपेक्षाओं के अनुसार समय–समय पर नीतियों में संशोधन किया जाता है/इन नीतियों का मूल्यांकन आंतरिक या बाहरी एजेंसियों से नहीं कराया जाता है।								

यदि किसी सिद्धांत में क्रम.संख्या 1 पर प्रश्न का उत्तर ''नहीं'' है तो, वर्णन करें क्यों :–

नीति एडवोकेसी से संबंधित सिद्धांत–7 के संबंध में, इस विषय पर कंपनी में कोई विशिष्ट नीति नहीं है क्योंकि यह कंपनी पर लागू नहीं है।

खंड ड.: सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन

सिद्धांत 1: व्यवसायों को नैतिकता, पारदर्शी तथा जवाबदेह रूप से संचालित तथा शासित किया जाएगा।

1. **क्या नैतिकता, घूसखोरी तथा भ्रष्टाचार से संबंधित यह नीति केवल कंपनी को कवर करती है? हां/नहीं। क्या यह समूह/संयुक्त उपक्रमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्यों पर भी लागू है?**

   इरकॉन सूचीबद्ध (लिस्टिड) सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम होने के कारण, सेबी विनियमों, कंपनी अधिनियम तथा लोक उपक्रम विभाग(डीपीई) के दिशानिर्देशों और समय–समय पर लागू भारत सरकार की अन्य नीतियों के अनुसार नैतिकतापूर्ण, पारदर्शी और जवाबदेही रूप में आचरण और शासन करती है। कंपनी में सुनिर्धारित सतर्कता विभाग है जो संगठन की कार्यप्रणाली में पारदर्शी, कुशलता, सत्यनिष्ठा और सर्वोत्तम निगमित पद्धतियों को प्रेरित करती है। कंपनी में कर्मचारियों के लिए व्हीसल ब्लोवर नीति विद्यमान है ताकि संगठन के भीतर नैतिकता के मुद्दे को उठाया जा सके। इरकॉन के कर्मचारियों और वेंडरों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, सेवा प्रदाताओं और इरकॉन के साथ किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने वाली किसी अन्य बाहरी एजेंसी (एजेंसियों) के प्रतिनिधियों की संलिप्तता वाली किसी जालसाजी या संभावित जालसाजी के लिए जालसाजी निवारण एवं संसूचन नीति विद्यमान है।

   इसके अतिरिक्त, कंपनी में सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन एवं पूर्णकालीन निदेशकों के लिए आचार सहिंता भी स्वीकार की है।

   ये सभी नीतियां कंपनी और इसके सभी कर्मचारियों को शामिल करती है तथा यह प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से इसके सहायक कंपनियों पर भी लागू होती हैं, जबकि संयुक्त उपक्रम कंपनियों के अपने स्वयं के सिद्धांत और प्रक्रियाएं हैं जो व्यापक रूप से कंपनी की नीतियों की तर्ज पर हैं।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों को संतोषजनक रूप से निपटाया गया है? यदि हां तो 50 या अधिक शब्दों में इसका विवरण प्रस्तुत करें।**

   सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं और कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 178 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी में हितधारक संबंध समिति विद्यमान है जो विशेष रूप से शेयरधारकों के हितों के विभिन्न पहलुओं को देखती है। जैसा कि केफिन टैक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में कारवी फिनटैक प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी का रजिस्ट्रार और ट्रांस्फर एजेंट) द्वारा रिपोर्ट किया गया है, वर्ष 2019–20 के दौरान शेयरधारकों से 83 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, (पिछले वर्ष की 16 लंबित शिकायतों को छोड़कर) और सभी शिकायतों का समाधान दिनांक 31 मार्च 2020 तक कर दिया गया है।

   इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019–20 के दौरान केन्द्रीयकृत जन शिकायत निवारण एवं मॉनीटरिंग योजना के अंतर्गत जनसाधारण से कुल 18 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन सभी शिकायतों का निपटान 60 दिनों की निर्धारित अवधि को भीतर कर दिया गया था।

   वर्ष 2019–20 के दौरान, सतर्कता विभाग को कुल 15 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें से 08 शिकायतों का निपटान कर लिया गया था और 31 मार्च 2020 को 07 शिकायतें शेष हैं।

   इस वर्ष के दौरान व्हीसल ब्लोवर और यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

   वर्ष 2019–20 के दौरान एमएसई द्वारा दायर किए गए 27 मामले एमएसएमई समाधान –विलंबित भुगतान निगरानी प्रणाली से संबंधित हैं, जिनमें से दिनांक 31 मार्च 2020 तक 6 मामले लंबित हैं

सिद्धांत 2: व्यवसायों द्वारा ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए जो सुरक्षित हैं और अपने सम्पूर्ण जीवन काल के दौरान संधारणीयता में अंशदान करे।

1. **अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची प्रस्तुत करें, जिन्हें सामाजिक, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, जोखिम तथा/या अवसरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।**

   इरकॉन उन परियोजनाओं का निष्पादन करता है जो मुख्य रूप से सामाजिक अवसंरचना के विकास से संबंधित हैं जैसे सड़क, हाइवे, रेल आदि। इन परियोजनाओं को ग्राहकों की विशिष्टताओं के अनुसार डिजाइन किया जाता है और इन परियोजनाओं में धारणीयता विशेषताओं को शामिल करने का विकल्प इरकॉन के पास नहीं होता है, तथापि कंपनी ऐसी गतिविधियों का ध्यान रखती है जब वह स्वयं परियोजनाओं का डिजाइन तैयार करती है।

   सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण, अवसरों से संबंधित प्रमुख सेवाएं निम्नानुसार हैं:

   (क) प्रमुख पर्यावरण संरक्षण पहल के लिए, मथुरा – पूर्वोत्तर रेलवे में इज्जत नगर डिवीजन के कासगंज – कल्याणपुर सेक्शन में 338 मार्ग किमी के लिए डीजल ट्रैक्शन के साथ डीजल ट्रैक्शन का निष्क्रीय किया गया है और पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर डिवीजन में कटनी – सिंगरौली सेक्शन के लिए 248 मार्ग किमी को निष्क्रीय किया गया है। ऊर्जा प्रबंधन के लिए, ट्रैक्शन सब–स्टेशन में कैपेसिटर बैंक प्रदान किए गए हैं और पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण प्रणाली (एससीएडीए) भी स्थापित किए गए हैं।

(ख) इरकॉन ने छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक और कोयला खदान क्षेत्र में 44 किलोमीटर की विद्युतीकृत नई लाइन चालू की है। यह रेलवे लिंक अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के माध्यम से कोयला रेक की आवाजाही को पूरा कर रहा है और बड़ी संख्या में भारी डीजल इंजन वाले ट्रकों के माध्यम से कोयले की आवाजाही की जगह ले रहा है। इससे भारी प्रदूषित क्षेत्रों में कुशल और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली विकसित हुई है। यह कार्बन फुटप्रिंट को भी बचाएगा और तेल की आयात निर्भरता को सुरक्षित करेगा।

(ग) कंपनी राउरकेला में इलेक्ट्रिक कुशल एलईडी लाइट्स और बिजली के संरक्षण के लिए शेड रूफ टॉप के लिए पारदर्शी शीट्स के साथ इलेक्ट्रिक लोको शेड का निर्माण कर रही है।

(घ) कंपनी ने प्रयागराज में 13 स्कूलों के क्लास रूम में सोलर आरओ सहित पेयजल की सुविधा और सोलर पैनल्स प्रदान करने के काम पूरा किया है।

(ड.) कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजी निवेश किया है अर्थात सौर फोटोवोल्टिक विद्युत उत्पादन संयंत्र।

(च) इरकॉन ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य में रेलवे परियोजना के संगदलन कार्यालय भवन में 110 किलोवाट के एक ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र को पर्यावरण के अनुकूल हरित ऊर्जा के प्रमुख के रूप में कमीशन किया है।

(छ) कंपनी उर्जा प्रबंधन के लिए सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम (एससीएडीए) को सुनिश्चित किया गया है, जिसे रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली में प्रचालनिक बनाया गया है। कंपनी नवीनतम ऊर्जा–कुशल और पर्यावरण के अनुकूल दिशानिर्देशों के साथ निर्माण करना जारी रखती है, जिसमें एलईडी लाइट्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल शामिल हैं। बिजली और पानी के संरक्षण के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय में एलईडी लाइट्स, सेंसर लाइट्स और सेंसर नल का उपयोग किया जा रहा है। अपशिष्ट जल को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्यालय में पुनःप्रयुक्त किया जाता है, और इसका उपयोग बागवानी कार्यों के लिए किया जाता है।इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा निष्पादित की जाने वाली सभी भारतीय और विदेशी परियोजनाओं में सुरक्षा और धारणीयता संबंधी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सांविधिक नियमों का अनुपालन किया जाता है।

2. प्रत्येक ऐसे उत्पाद के लिए संसाधन प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करें (ऊर्जा, जल, कच्चा सामान आदि) उत्पादन की प्रति इकाई (वैकल्पिक):

(क) सम्पूर्ण वेल्यू चेन के दौरान पिछले वर्ष में सोर्सिंग/उत्पादन/संवितरण के दौरान इसमें कमी की गई है?

(ख) पिछले वर्ष से इसके उपभोग (ऊर्जा, जल) में कमी हुई है?

वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी में सम्पूर्ण भारत में निष्पादित की जा रही अपनी सभी परियोजनाओं में जल, ऊर्जा और कच्चे माल के प्रयोग को मापा नहीं है, क्योंकि इरकॉन सेवाओं को उपलब्ध कराने के व्यवसाय में है और वह किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता है। तथापि, कंपनी प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा बचत के वैकल्पिक संसाधनों के प्रयोग के प्रसार के लिए अपने परियोजना स्थलों में सक्रीय रूप से कार्य कर रही है।

3. क्या कंपनी के पास धारणीय सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए कोई प्रक्रिया विद्यमान हैं?

(क) यदि हां, तो आपके इनपुट का कितना प्रतिशत धारणीय रूप से सोर्स किया जाता है? इसका ब्यौरा भी 50 या अधिक शब्दों में प्रस्तुत करें।

सरकारी कंपनी होने के कारण इरकॉन को सूक्ष्म एवं लघु उपक्रम (एमएसई) के माध्यम से स्रोतों के प्रापण की अपेक्षा का अनुपालन करना होता है। कंपनी में एक वृहत क्रय अधिमान नीति विद्यमान है जो सुक्ष्म लधु एवं मध्यम उपक्रम विकस अधिनियम, 2006 के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत सूक्ष्म लधु तथा मध्यम उपक्रम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा अधिसूचित सूक्ष्म और लघु (एमएसई) आदेश, 2012 के लिए पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी की तर्ज पर है। ई–प्रापण पोर्टल यथा सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल (https://etenders.gov.in/eprocure/app) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट सांविधिक निकायों के साथ पंजीकृत एमएसई फर्मो के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराता है और वे निविदा शुल्क और बयाना राशि के भुगतान से छूट का लाभ प्राप्त करके ई–निविदा में भाग ले सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी ने सामग्री और दुकानों के लिए 466.32 करोड़ के मूल्य के व्यय के प्रति एमएसई विक्रेता से 178.90 करोड़ की मदें खरीदी हैं, जिसमें से एमएसई विक्रेताओं की मात्रा और क्षमता से परे वस्तुओं का मूल्य 244.75 करोड़ रूपए है। इसलिए, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अनुपालन में एमएसई के दायरे और क्षमता से परे वस्तुओं के मूल्य को छोड़कर एमएसई से 221.76 करोड़ का शुद्ध खरीद मूल्य जो 81 प्रतिशत है, को प्राप्त किया है।

कंपनी सुरक्षित और धारणीय रूप से अपने व्यवसाय की गतिविधियों को निष्पादित करता है। सभी कार्य प्रक्रियाएं, पद्धतियां और उत्पादन सरकार तथा संगत निकायों द्वारा निर्धारित औद्योगिक मापदंडों के अनुसार सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के मानकों का अनुपालन करता है। कंपनी संगठन के लिए गुणवत्ता प्रबंधन

प्रणाली (1996 से), पर्यावरण प्रणाली प्रबंधन (2011 से), तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (2012 से प्रमाणित) हेतु आईएसओ प्रमाणित कंपनी है। कंपनी ने अब व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए मानकों को स्वीकार कर लिया है यथा आईएसओ 45001:2018.

वर्तमान में, कंपनी में इस विशिष्ट मापदंड को प्रतिशत में नापने की प्रक्रिया विद्यमान नही है।

4. **क्या कंपनी ने अपने कार्य स्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं के प्रापण के लिए कोई कदम उठाए हैं:**

(क) **यदि हां तो स्थानीय और छोटे वेंडरों की क्षमता और सक्षमताओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हें।**

जी हां, सीपीएसई होने के कारण कंपनी की प्रापण नीति और पद्धितियां सीवीसी के दिशानिर्देशों सहित सरकार की नीतियों और पद्धतियों द्वारा निर्धारित होती हैं। ये पारदर्शी प्रापण तंत्र के आधार पर हैं और वह भी स्थानीय तथा लघु उत्पादकों तथा आपूर्तिकर्ताओं को प्रमोट करता है।

इरकॉन जन प्रापण नीति, 2012 के अनसार एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं का प्रापण कर रहा है। तदनुसार, क्रय वरियता कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य बैंड के भीतर अपना मूल्य कोट करने वाले छोटे उत्पादकों की दी जाती है। कंपनी ने भारतीय बोलीदाताओं और आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उचित, न्यायसंगत तथा पारदर्शी निविदा प्रक्रियाओं को अपनाया है। कंपनी द्वारा एमएसीई के लिए वेंडर विकास कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था ताकि एमएसई में जागरुकता उत्पन्न की जा सके और उनकी भागीदारी को बढाया जा सके। वर्ष 2019–20 के दौरान, दिनांक 19 फरवरी को कंपनी ने अधिक जागरूकता उत्पन्न करने और एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं के अधिक प्रापण के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्‌मियों सहित एमएसई के लिए निगमित कार्यालय में विशेष वेंडर विकास कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय (नीति एवं संवर्धन विभाग) की अधिसूचना के अनुसार कंपनी ने स्टार्ट–अप के लिए जन प्रापण में पूर्व अनुभव और टर्नओवर के मापदंड की शर्तों में रियायत प्रदान की है।

सीपीएसई होने के कारण इरकॉन अपनी प्रापण नीति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित करके वस्तुओं और सेवाओं का प्रापण करता है। कंपनी विदेशों में अवसंरचना निर्माण के व्यवसाय में भी है। हालांकि इन परियोजनाओं में प्रापण की संभावना सीमित होती है किन्तु कंपनी भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं में 65 प्रतिशत से 75 प्रतिशत वस्तुएं और सेवाएं भारती कंपनी से प्राप्त करती है।

वस्तुओं और सेवाओं के प्रापण के लिए, सामान्य रूप से, खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। स्थानीय और छोटे वेंडरों की क्षमता और सक्षमताओं में सुधार करने के लिए, इरकॉन द्वारा कतिपय कदम उठाए गए हैं जैसे व्यवसाय करने में परिवहन की लागत को कम करने के लिए छोटे और स्थानीय वेंडरों को रियायतें/लाभ प्रदान किए जाते हैं, बयाना राशि के भुगतान से छूट तथा पारदर्शिता लाने के लिए ई–प्रापण को अपनाना आदि। इसके अतिरिक्त, एमएसई की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए हमने टीआरईडीए प्लेटफार्म 25 जनवरी 2018 से सफलतापूर्वक लागू कर दिया है।

कुशल गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से निर्माण व्यवसाय में उत्कृष्टता प्राप्त करने व बनाए रखने के लिए तथा गुणवत्ता के साथ और निर्धारित समयसीमा के भीतर परियोजनाओं को सौंपकर ग्राहक संतोष प्राप्त करने हेतु गुणवत्ता नीति अपनाई गई है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने उपर्युक्त नीतियों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं और इस दिशा में कंपनी के निरंतर प्रयासों के कारण छोटे और स्थानीय पक्षों की भागीदारी में सुधार तथा प्रचालन के स्थलों के आसपास के समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास में सुधार हुआ है।

5. **क्या कंपनी में उत्पादों और अपशिष्ट के रीसाइकल करने का काई मकैनिजम विद्यमान है? यदि हां तो उत्पादों और अपशिष्ट के रीसाइकल का क्या प्रतिशत है? (<5%, 5-10%, >10% पृथक रूप से) इसके अतिरिक्त इसके संबंध में 50 या अधिक शब्दों में ब्यौरा प्रस्तुत करें।**

इरकॉन एक विशेषज्ञता प्राप्त निर्माण संगठन है, जिसमें अवसंरचना क्षेत्र की निर्माण गतिविधियों और सेवाओं का सम्पर्ण आयाम शामिल है और इसकी कोई निर्माण इकाई नहीं है। तथापि, कंपनी स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों और कुछ परियोजनाओं जैसे रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली में अपशिष्ट के रीसाइकल हेतु कतिपय पद्धतियों का अनुसरण किया जा रहा है, जैसे नोएडा, गुरुग्राम तथा एमएफसी भवनों में सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) के माध्यम से अपशिष्ट जल का उपचार किया जा रहा है। बिजली और पानी के संरक्षण के लिए निगमित कार्यालय (कॉर्पोरेट ऑफिस) में एलईडी प्रकाश, संसर प्रकाश और संसर नलों का प्रयोग किया जा रहा है।

सिद्धांत 3: व्यवसायों को सभी कर्मचारियों के कल्याण का संवर्धन करना चाहिए (दिनांक 31.03.2020 के अनुसार विवरण)।

1. **कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।**

   31 मार्च 2020 को कर्मचारियों की कुल संख्या – 1369

2. **कृपया अस्थायी/संविदागत/अनियमित आधार पर लगाए गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।**

   वर्ष 2019–20 के दौरान, इरकॉन ने संविदागत आधार पर 16 कर्मचारियों (सेवा संविदा सहित) को लगाया है। कंपनी अस्थायी/अनियमित आधार पर कर्मचारियों को हायर नहीं करती है। तथापि, कंपनी परियोजना कार्य की आवश्यकता के अनुसार अपनी विभिन्न परियोजनाओं में ठेकेदारों को जॉब और कार्य संबंधी ठेके प्रदान करती है। ठेकेदारों के कर्मचारियों की संख्या समय–समय पर बदलती रहती है।

3. **कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

   दिनांक 31 मार्च 2020 को स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या – 68 है।

4. **कृपया दिव्यांगता वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

   दिनांक 31 मार्च 2020 को दिव्यांगता वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या – 12 है।

5. **क्या आपके यहां कर्मचारी संघ है, जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।**

   हमारे यहां कर्मचारी संघ नहीं है जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

6. **स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत माध्यताप्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं।**

   लागू नहीं।

7. **कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल मजदूरी, बलित श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न की प्राप्त शिकायतों की संख्या बताएं और वित्तीय वर्ष के अंत तक कितनी शिकायते लंबित हैं।**

क्र. सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल मजदूरी, बलित श्रम, अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2	यौन शोषण	शून्य	शून्य
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8. **नीचे उल्लिखित कर्मचारियों के कितने प्रतिशत को पिछले वर्ष सुरक्षा तथा कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया था?**

   कंपनी में सभी स्तरों के कर्मचारियों (निगमित कार्यालय और परियोजना स्थल) के प्रशिक्षण के लिए विस्तृत वार्षिक योजना विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, आवश्यकता के अनुसार संगत क्षेत्र के लिए विशिष्ट ज्ञान क्षेत्र में प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाती है।
   स्थायी कर्मचारी : 42.2 प्रतिशत
   स्थायी महिला कर्मचारी : 45.5 प्रतिशत
   नेमेतिक/अस्थायी/संविदागत कर्मचारी : 0.81 प्रतिशत
   दिव्यांग कर्मचारी : शून्य

सिद्धांत 4: व्यवसायों को सभी स्टेकधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, विशेष रूप से उनके प्रति सुविधाहीन, असहाय और सीमांत हैं।

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी स्टेकधारकों का निर्धारण किया है? हां/नहीं।**

   जी हां। कंपनी ने अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों, वेंडरों/ठेकेदारों और समाज को स्टेकधारक के रूप में समाज का चिह्नन किया है और वह अपने विभिन्न स्टेकधारकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझती है।

2. **उपर्युक्त में से क्या कंपनी ने सुविधाहीन, कमजोर तथा सीमांत स्टेकधारकों को चिह्नित किया है।**

   कंपनी ने सुविधाहीन, कमजोर तथा सीमांत स्टेकधारकों के रूप में पीडब्ल्यूडी, अ.जा, अ.ज.जा, अ.पि.व, महिलाओं और स्टार्ट अप को चिह्नित किया है और समय–समय पर लागू सरकारी नीतियों के अनुसार इनकी समस्याओं का समाधान किया जाताा है।

   कंपनी नियमित रूप से वेंडरों के लिए बैठकों का आयोजन करती हैं ताकि अजा/अजजा तथा महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई वेंडरों सहित एमएसई वेंडरों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। कंपनी ने लोक प्रापण नीति, आदेश 2012 की शर्तों के अनुसार प्रापण लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और कंपनी में भारत में स्टार्टअप के लिए सकारात्मक वातावरण के निर्माण के लिए भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत स्टार्टअप से पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी विद्यमान है। अवसंरचना परियोजनाओं को विकसित करते समय, कंपनी शारीरिक रूप से दिव्यांग जनों के लिए सहिष्णु संरचनाओं को सुनिश्चित करती है।

   कंपनी में सुसंरचित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता नीति (सीएसआर नीति) विद्यमान है, जो विभिन्न

स्टेकधारकों की धारणीयता आवश्यकताओं को शामिल करती है जिसमें सामाजिक आर्थिक विकास सहित समुदायों की क्षमता निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, हरित और ऊर्जा कुशल तकनीकों का संवर्धन, पिछड़े वर्गों का विकास तथा समाज के सीमांत और साधनविहीन, का उत्थान, विरक्त और कमजोर वर्गों का विकास जिसमें अजा, अजजा, अपिव, अल्पसंख्यक, बीपीएल परिवार वयोवृद्ध, शिशु, महिलाएं/कन्याएं दिव्यांग जन आदि शामिल हैं।

3. **क्या सुविधाहीन, कमजोर तथा सीमांत स्टेकधारकों के साथ कार्य करने के लिए कंपनी द्वारा कोई विशेष उपाय किए गए हैं। यदि हां तो 50 या अधिक शब्दों में ब्यौरा प्रस्तुत करें।**

इरकॉन सदैव ही सुविधाहीन, कमजोर तथा सीमांत स्टेकधारकों की आवश्यकताओं के प्रति सदैव संवेदनशील रहते हैं। भर्ती नियमों के अनुसार, कंपनी समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार अज/अजज/अपिव, पूर्व सेनानियों तथा दिव्यांग जनों के लिए पदों में आरक्षण को सुनिश्चित करती है।

कंपनी ने सीएसआर नीति स्वीकार की है जिसका उद्देश्य समाज के सुविधाहीन, कमजोर तथा सीमांत वर्ग के विकास करना भी है। इस क्षेत्र में किए गए उपायों में शामिल हैं – ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा प्रकार, स्वः सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार तथा सेनेटरी नेपकिन डिस्पोसल मशीनों का प्रावधान, समाज के बेरोजगार युवाओं/अजा/अजज/अपिव, महिलाओं तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन।

कंपनी एमएसई से जन प्रापण नीति, 2012 के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का प्रापण कर रही है और यह एमएसई में अधिक जागरुकता उत्पन्न करने के लिए स्थानीय वेंडरों सहित वेंडर विकास कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है ताकि उनकी भागीदारी को बढाया जा सके।

इसके अतिरिक्त कंपनी में कार्यस्थल पर यौन शोषण के निवारण, निषेध और समाधान की नीति विद्यमान है ताकि महिला कर्मचारियों के लिए अनुकूल व सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

सिद्धांत 5 : व्यवसायों द्वारा मानवाधिकारों का सम्मान एवं संवर्धन करना चाहिए।

1. **क्या कंपनी की मानवाधिकार की नीति केवल कंपनी को ही कवर करती है या यह समूह/संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्यों पर भी लागू है।**

इरकॉन की एचआर नीतियां व्यवसाय की मानक पद्धतियों और मानवाधिकार के अनुरूप हैं तथा कंपनी के विभिन्न स्टेशनों, परियोजनाओं, कार्यालयों, संयुक्त उपक्रमों तथा सहायक कंपनियों में तैनात सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है।

मानवाधिकार के प्रावधान हमारे आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों सहित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया आधार पर ठेकों/कार्यों के लिए के लिए बोली दस्तावेजों में भी प्रावधान किया गया है।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में स्टेकधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का निवारण संतोषजनक रूप से किया गया है?**

वर्ष 2019–20 के दौरान मानवाधिकार के उल्लंघनों से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सिद्धांत 6 : व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान, सुरक्षा करनी चाहिए और इसके संरक्षण के प्रयास करने चाहिए।

1. **क्या सिद्धांत 6 : से संबंधित नीति केवल कंपनी को ही कवर करती है या इसमें समूह/संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/एनजीओ/अन्य पर भी लागू होती है।**

कंपनी में सीएसआर तथा धारणीयता नीति विद्यमान है जो हर समय सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय धारणीयता के रूप में कार्य करती है तथा कंपनी में पर्यावरणीय नियमावली विद्यमान है जिसमें सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय नीति (एसएचई नीति) शामिल है ताकि गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के कार्मिकों, कार्यों और परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसका उद्देश्य स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।

कंपनी के पास सुरक्षा पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और व्यावसायिक स्वस्थ और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए क्रमशः आईएसओ 14001–2015 तथा आईएसओ:45001–2018 प्रमाणन प्राप्त किया है।

इरकॉन की एसएचई नीति में कंपनी, सामान्य रूप से इसकी सहायक कंपनियां और संविदा शर्तों के माध्यम से वेंडरों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों से संबंधित संबद्ध पहलू शामिल हैं।

2. **क्या कंपनी में वैश्विक पर्यावरणीय विषय जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि के समाधान के लिए नीतियां/पहल किए हैं। यदि हां तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंग प्रस्तुत करें।**

इरकॉन एक जिम्मेदार निगमित कंपनी है जो प्रदूषण निवारण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण द्वारा पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी अपने स्थलों और कार्यालयों में पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को क्रियान्वित कर रही है। वैश्विक स्तर पर उत्पादन की तुलना में ऊर्जा की मांग बढ रही है इसलिए ऊर्जा कुशलता, जलवायु परिवर्तन, मानव जीवन में गुणवत्ता के संरक्षण और सरकारी

पहलों को पूरा करने के लिए धारणीय पद्धतियों को अपनाने की तत्काल आवश्यकता है।

इरकॉन निगमित कार्यालय तथा अपने परियोजना कार्यालयों में हरित भवन निर्माण की समान विशेषताओं को उपलब्ध करा रहा है, और इस प्रकार जल, सामग्री, अपशिष्ट, ऊर्जा कार्बन उत्सर्जन से पर्यावरणीय प्रभावों को कम कर रही है और समाज के लिए गुणवत्तापूर्ण व आरामदायक जीवन सुनिश्चित कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, पर्यावरण सहिष्णु उपकरण जैसे सौर पैनलों को भी विभिन्न कार्यालयों/परियोनाओं में संस्थापित किया जा रहा है। निगमित कार्यालय में सीवेज उपचार संयंत्र के माध्यम से अपशिष्ट जल का रीसाइकल किया जा रहा है और बागवानी के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। एसटीपी का नोएडा, गुरुग्राम, तथा एमएफसी भवनों में भी निर्माण किया जा रहा है। बिजली और जल के संरक्षण के लिए निगमित कार्यालय में एलईडी प्रकाश, सेंसर प्रकाश और सेंसर नलों का प्रयोग किया जा रहा है। विभिन्न पर्यावरणीय सहिष्णु कदम उठाए हैं जैसे मिट्टी की ईंटों के स्थान पर फ्लाइ ऐश की ईंटें, वर्षा जल संरक्षण व्यवस्थाएं, सेंसर नियंत्रित क्रामियम प्लेट फिटिंग, भवन को धारणीय बनाने के लिए फेसिड ग्लास के अद्यतन वर्जन का प्रयोग आदि को कंपनी के विभिन्न कार्यालयों/परियोजनाओं में प्रयोग किया जा रहा है। विभिन्न निर्माण स्थलों पर जल के प्रयोग अपशिष्ट जल, वायु गुणवत्ता और ध्वनी गुणवत्ता की मॉनीटरिंग की जा रही है। कंपनी निगमित कार्यालय भवन में बाहरी वायु गुणवत्ता की मॉनीटरिंग द्वारा स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने पर बल दे रही है। निगमित कार्यालय और परियोजना कार्यालयों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया है।

3. **क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आंकलन कर रही है? हां/नहीं।**

जी हां। कंपनी में निर्माण कार्य के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए फ्रेमवर्क उपलब्ध है, जो इसके स्थलों और परियोजना कार्यालयों में निर्माण गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय विषयों का आंकलन करता है। परियोजनाओं से पर्यावरण पर होने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव आंकलन में प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलू शामिल हैं। यह निर्माण गतिविधियों का पर्यावरण पर होने वाले महत्वपूर्ण प्रभावों की पहचान करता है। इसके पश्चात, पर्यावरण पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रभावों को कम करने के लिए कंपनी द्वारा नियंत्रण उपाय अपनाए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, कंपनी परियोजना स्थलों पर निर्माण गतिविधियों को आरंभ करने से पूर्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरणीय क्लियरेंस सहित सभी अनिवार्य क्लियरेंस प्राप्त करती है। कतिपय प्रकार के संयंत्रों जैसे क्रशर संयंत्र, कंक्रीट मिक्स संयंत्र, हॉट मिक्स संयंत्र आदि के लिए संबंधित प्राधिकरणों से स्थापना और प्रचालन की अनुमति प्राप्त की गई है।

4. **क्या कंपनी में कोई परियोजना संबंधित स्वच्छ विकास तंत्र विद्यमान है? यदि हां, तो 50 या अधिक शब्दों में ब्यौरा प्रस्तुत करें। यदि हां तो क्या पर्यावरण क्लियरेंस रिपोर्ट दायर की गई है।**

इरकॉन स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित दिशानिर्देशों की तर्ज पर कार्य करता है। कंपनी समग्र रूप से वर्ष 2011 से पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ प्रमाणन को बनाए हुए है। वर्तमान में, इरकॉन के पास आईएसओ 14001–2015 प्रमाणन है। पीयूसीसी को हमारे सभी संयंत्रों और आंतरिक कंबशन इंजनों वाले संयंत्रों और मशीनरी के लिए अनिवार्य है। कार्यालयों में ऊर्जा विफलता के मामले में डीजी ऊर्जा के स्थान पर सौर ऊर्जा या बैटरी बैक–अप का प्रयोग किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, एक जिम्मेदार निकाय के रूप में कंपनी स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ गंगा कोष में अंशदान के माध्यम से राष्ट्रीय अभियानों में सक्रीय रूप से योगदान कर रही है ताकि राष्ट्र का विकास हो सके और सीएसआर गतिविधियों के भाग के रूप में रेलपथ क्लिनिंग मशीनों की खरीद की है।

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी, ऊर्जा कुशलता अक्षय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहली की है। हां/नहीं। यदि हां तो कृपया वेब पेज के लिए हाइपरलिंक प्रस्तुत करें।**

इरकॉन वर्ष 1996, 2011 तथा 2012 से क्रमशः क्यूएमएस, ईएमएस तथा ओएचएसएएस के लिए आईएसओ प्रमाणित संगठन है। कंपनी निगमित कार्यालय/परियोजना कार्यालय में सौरा ऊजा, सीवेज संयंत्रों के संस्थापन, एलईडी प्रकाशन के प्रयोग, भवन कॉरीडोरों में सेंसर फिटिड लाइटों के प्रयोग द्वारा स्वच्छ वातावरण के प्रति योगदान कर रहा है।

6. **क्या कंपनी द्वारा सृजित किया जा रहा उत्सर्जन/अपशिष्ट इस उक्त वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमा के भीतर है?**

जी हां, कंपनी द्वारा उत्सर्जन मापदंडों सहित सभी विधि मापदंडों का अनुपालन किया जा रहा है।

7. **वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीएसबी/एसपीसीबी बोर्ड से प्राप्त कितने कारण बताओ नोटिस/विधिक नोटिस लंबित हैं (यथा संतोषजनक स्तर पर समाधान नहीं हो पाया)।**

वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीएसबी/एसपीसीबी बोर्ड से प्राप्त कोई भी कारण बताओ नोटिस/विधिक नोटिस लंबित नहीं हैं।

सिद्धांत 7: व्यवसाय जब जनसाधारण तथा विनियामक नीति को प्रभावित करने का कार्य करें तो इसे उत्तरदायी रूप से किया जाना चाहिए।

1. **क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड तथा चैंबर या संघ की**

सदस्य है? यदि हां तो केवल उन प्रमुख के नाम बताएं जिनके साथ आपके व्यावसायिक संबंध हैं।

जी हां। कंपनी अनेक ट्रेड चेम्बरों और संघों से संबद्ध है जैसे स्टेंडिंग फांनफरेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइसिसि (स्कोप), फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई), कनफिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीस (सीआईआई), इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ईईपीसी), इंडियन रोड कांग्रेस (आईआरसी), प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (पीईपीसी), फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (एफआईईओ), पीएचडी चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई), नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (एनएआरईडीसीओ), इंस्टीट्यूट ऑफ पी वे इंजीनियर्स इंडिया (आईपीडब्ल्यूएवाईईआई), एशियन (अरबन) इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट (एआईटीडी), इंडिया हेबिटेट सेंटर (आईएचसी)।

2. **क्या आपने कभी सार्वजनिक कल्याण की प्रगति और सुधार के लिए उपर्युक्त संघों से चर्चा /सहयोग प्राप्त किया है। हां/ना। यदि हां तो व्यापक स्तर पर क्षेत्रों का उल्लेख करें (ड्रॉप बॉक्स : शासन एवं प्रशासन, आर्थिक सुधार, समेकित विकास नीतियां, ऊर्जा संरक्षण, जल, खाद्य सुरक्षा, धारणीय व्यवसाय सिद्धांत, अन्य)**

कंपनी के हितों का प्रकटन सरकारी प्रश्नों, ज्ञान साझेदारी, औद्योगिक आवश्यकताओं पर सर्वेक्षणों, प्रतिक्रियाओं, सरकारी नीति के सृजन जैसे जीएसटी, कंपनी नियम, औद्योगिक नीति, प्रापण नीति आदि के आधार पर होता है। कंपनी सरकारी निकायों जैसे रेल मंत्रालय, डीपीई, नीति आयोग के साथ संव्यवहार करती है और विभिन्न नीति निर्माण प्रक्रियाओं जैसे सीपीएसई के विकास के लिए रोड मैप, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि में भाग लेती है। कंपनी देश में अवसंरचना के विकास के लिए संगत मंचों पर जिम्मेदार रूप से निष्पक्ष पद प्रस्तुत करती है और सामान्य रूप से समाज हित प्रक्रिया में सुधार के लिए धारणीय विकास और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति मत प्रस्तुत करती है।

सिद्धांत 8: व्यवसायों को समेकित विकास और न्यायोचित विकास का समर्थन करना चाहिए।

1. **क्या कंपनी का सिद्धांत–8 सं संबंधित नीति के अनुसरण में कोई विशिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं? यदि हां तो कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करें।**

कंपनी की सकारात्मक नीतियां जो भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुपालन में है, विविधता, समानता का संवर्धन करती है और लोगों की जाति, वर्ग, धर्म, रंग, पैत्रिक परम्परा, वैवाहिक स्थिति, लिंग, आयु और राष्ट्रीयता को ध्यान में रखे बिना उनके गुणों और कौशलों के आधार पर मान्यता प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी में एक सुसंरचित सीएसआर तथा धारणीयता नीति विद्यमान है। इसके दृष्टिगत कंपनी में सामाजिक विकास की विभिन्न परियोजनाएं हैं, जिनका उद्देश्य स्वास्थ्य संवर्धन, स्वच्छता प्रदान करना, तथा लोगों के लिए जीविका का सृजन करना है विशेष रूप से समाज के सुविधाविहीन वर्ग के लिए। सीएसआर नीति के अंर्तगत परियोजनाओं का ब्यौरा और सीएसआर बजट के सांकेतिक आवंटन का ब्यौरा राष्ट्रीय विकास कार्यसूची के प्रति तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

(i) स्वच्छ भारत, स्वच्छ गंगा, पर्यावरणीय स्थिरता, जल संरक्षण, स्वच्छता (रेलवे, राजमार्गों की ओर उन्मुखीकरण के साथ गतिविधियाँ) या इस नीति के तहत सीएसआर समिति/बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य विविध गतिविधि पर 30 प्रतिशत।

(ii) 70 प्रतिशत स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी एजेंसी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा वित्त पोषित और सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में योगदान हेतु, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और स्वायत्त निकायों (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएसी), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन), विभाग के तत्वावधान में स्थापित विज्ञान और प्रौद्योगिकी (डीएसटी), इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में अनुसंधान करने में कार्यरत है।

(iii) उपरोक्त श्रेणियों के तहत परियोजनाओं की सूची सीएसआर में संलग्न है और स्थिरता रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट में संलग्न है।

(iv) ऊपर उल्लिखित श्रेणियों के अंतर्गत परियोजनाओं की सूची निदेशक की रिपोर्ट के साथ संलग्न सीएसआर एवं धारणीयता रिपोर्ट में उपलब्ध है।

(v) कंपनी के पास अपनी परियोजनाओं के स्थल के संबंध में सीमित विकल्प होता है, क्योंकि वह सरकार तथा अन्य एजेंसियों के लिए संविदाकार के रूप में कार्य करती है। तथापि, कंपनी एमएसई की अपनी नीति के अनुसार परियोजनाओं को प्राप्त करने में समान विकास के प्रति अग्रसर रहती है।

2. **क्या कार्यक्रमों/परियोजनाओं को इन–आउस दलों/स्वयं के आधार/बाहरी एनजीओ/सरकारी**

संरचनाओं / किसी अन्य संगठन के माध्यम से निष्पादित किया जाता है?

कंपनी की सीएसआर नीति के क्रियान्वयन के लिए एक पृथक सीएसआर विभाग विद्यमान है और जहां कंपनी के पास इन–हाउस विशेषज्ञता नहीं होती है, वहां विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों की सेवाएं ली जाती हैं जैसे एनजीओ, संस्थान / शैक्षिक संगठन, सरकारी, अर्ध–सरकारी, स्वायत्त निकाय, निर्माण कार्य हेतु संविदागत एजेंसियां, पेशेवर परामर्शदाता संगठन पंजीकृत ट्रस्ट या सोसाइटी, इरकॉन की सहायक कंपनियो।

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसई अपने कर्मचारियों / स्टाफ के माध्यम से परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं कर सकती है।

3. **क्या आपने अपने प्रयासों का कोई प्रभाव आंकलन कराया है?**

इरकॉन पूरे किए गए सीएसआर कार्यों के लिए प्रतिवर्ष तीसरा पक्ष आंकलन कराता है।

4. **सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष अंशदान क्या है – राशि रूपए में और परियोजनाओं का विवरण।**

सीएसआर परियोजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास परियोजनाओं के प्रति अंशदान का ब्यौरा निदेशक रिपोर्ट में संलग्न सीएसआर तथा धारणीयता रिपोर्ट में प्रस्तुत है।

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए हैं कि इस सामुदायिक विकास पहल को समाज ने सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया है? कृपया 50 या अधिक शब्दों में स्पष्ट करें।**

इरकॉन किसी सीएसआर गतिविधि को निष्पादित करने से पूर्व समग्र रूप से इसकी धारणीयता और इसके लाभार्थियों और समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की पुष्टि के लिए कदम उठाता है। इसमें क्रियान्वयन एजेंसियों की विश्वसनीयता और साफ ट्रैक रिकार्ड का सत्यापन, सीएसआर नीति की तर्ज पर परियोजना की पहुंच और उद्देश्यों तथा परियोजना स्थल के स्थानीय प्रशासन से इसकी आवश्यकता, फील्ड सत्यापन और अनुपालन जांच, धारणीय कारकों आदि पर ध्यान दिया जाता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सीएसआर विभाग और परियोजना कार्यालयों में सामुदायिक भागीदारी और इसकी स्वीकृति को सुनिश्चित करने के लिए सीएसआर विभाग और परियोजना कार्यालय में इन–हाउस मॉनीटरिंग तंत्र विद्यमान है, जिसमें शामिल हैं:–

मोनीटरिंग तंत्रः प्रत्येक परियोजना में परियोजना क्षेत्रों के समीपवर्ती क्षेत्रों में परियोजनाओं की मॉनीटरिंग के लिए परियोजना स्तरीय समितियों की स्थापना की गई है। प्रत्येक सीएसआर परियोजना के लिए स्थानीय प्रशासन और समुदाय आदि से आवधिक परियोजना रिपोर्ट, फील्ड दौरा रिपोर्ट, भौतिक प्रगति रिपोर्ट, सामुदायिक संव्यवहार रिपोर्ट, प्रतिक्रिया रिपोर्ट नोडल अधिकारी को भेजी जाती है, जो इन रिपोर्टों को समेकित करता हैं और इसकी प्रगति रिपोर्ट समीक्षा के लिए सीएसआर समिति / निदेशक मंडल को भेजता है।

स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकनः सीएसआर परियोजना के पूरा होने पर, क्रियान्वयन के प्रभाव और सफलता का आंकलन करने के लिए स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाता है।

रिपोर्टिंगः स्टेकधारकों के बीच जागरुकता उत्पन्न करने के लिए सीएसआर नीति, सीएसआर गतिविधियों और नियमित अद्यतनों को इरकॉन की वेबसाइट पर डाला जाता है। प्रमुख गतिविधियों के क्रियान्वयन को समय–समय पर मीडिया में भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त, सीएआर के संबंध में एक पृथक खंड को वार्षिक रिपोर्ट में भी शामिल किया गया है।

सिद्धांत 9 : व्यवसायों को अपने ग्राहकों को मूल्यवान सेवाएं प्रदान करनी चाहिए तथा ग्राहकों के साथ उत्तरदायी रूप से व्यवहार करना चाहिए।

1. **वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ग्राहकों की शिकायतों / उपभोक्ता मामलों के कितने प्रतिशत मामले लंबित हैं।**

इरकॉन के सम्पूर्ण व्यवसाय में रेलवे और राजमार्ग का अंशदान 99.30 प्रतिशत है। घरेलू क्षेत्रों में इरकॉन को अधिकतर परियोजनाएं / कार्य रेलवे, नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा अन्य सरकारी प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

परियोजना के निष्पादन में उनके समक्ष उपस्थित उनकी समस्याओं / मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए परियोजना स्थलों / कार्यालयों में वेंडरों / आपूर्तिकर्ताओं के साथ नियमित रूप से बठकों का आयोजन किया जाता है।

2. **क्या कंपनी अपने उत्पादों के लेबल में उत्पादों की सूचना प्रदर्शित करते हैं जो कि स्थानीय नियमों के अनुसार अनिवार्य हैं? हां / नहीं / लागू नहीं / टिप्पणियां (अतिरिक्त सूचना)।**

लागू नहीं।

3. **क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनैतिक व्यापार पद्धति, अनियमित विज्ञापन तथा / या प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई मामला दायर किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है। यदि हां तो इसका ब्यौरा 50 या अधिक शब्दों में प्रस्तुत करें।**

जी नहीं।

4. क्या आपकी कंपनी ने कोई ग्राहक सर्वेक्षण/ ग्राहक संतोष रुझानों का सर्वेक्षण किया है?

घरेलू क्षेत्र में इरकॉन के अधिकतर परियोजनाएं/ कार्य रेलवे, नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा अन्य सरकारी प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, इसलिए, हम प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्तिगत ग्राहकों से संबंधित नहीं हैं।

कंपनी अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार में सक्रीय है। परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान, समस्याओं और कठिनाइयों के समाधान के लिए प्रायः नियमित और निर्धारित बैठकों, प्रगति समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाता है ताकि, तत्काल इनका समाधान किया जा सके और इनकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। निर्माण के दौरान किसी प्रकार की कमी/खामी को तत्काल देखा व उसका समाधान किया जाता है। इस परिदृश्य से ग्राहक/क्लाइंट संतोष का स्तर बढा है, जो प्रायः पुनः आर्डरों के रूप में प्रदर्शित होता है।

वर्ष के दौरान, कंपनी को ग्राहकों/ठेकेदारों से कोई असंतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/–

(एस.के.चौधरी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00515672)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.08.2020

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यो,

आपकी कम्पनी के निदेशक मंडल को कम्पनी के व्यापार एवं परिचालनों की 44वीं वार्षिक रिपोर्ट 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय विवरणों के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

क. वित्तीय परिणाम

(रुपए करोड़ में)

विवरण	स्टैंडएलोन			समेकित		
	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19	प्रतिशत परिवर्तन	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19	प्रतिशत परिवर्तन
वित्तीय परिणामः						
कुल आय / टर्नओवर	5,442	4,680	16 प्रतिशत	5,540	4,990	11 प्रतिशत
कुल प्रचालन आय / टर्नओवर	5,202	4,415	18 प्रतिशत	5,392	4,798	12 प्रतिशत
विदेशी परियोजनाओं से प्रचालन आय	443	586	-24 प्रतिशत	450	593	-24 प्रतिशत
भारतीय परियोजनाओं से प्रचालनिक आय	4,759	3,829	24 प्रतिशत	4,942	4,206	17 प्रतिशत
कर पूर्व लाभ	673	615	9 प्रतिशत	672	624	8 प्रतिशत
कर पश्चात लाभ	490	445	10 प्रतिशत	485	450	8 प्रतिशत
निवल सम्पत्ति	4,161	3,950	5 प्रतिशत	4,171	3,964	5 प्रतिशत
विनियोजनः						
लाभांश (अंतिम और अंतरिम)	223*	202.63				
लाभांश संवितरण कर	26	41.66				
प्रति शेयर आमदनी (रूपए)	52.08	47.28				

नोट :

' अंतिम प्रस्तावित लाभांश (आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों के अनुमोदन के आधार पर)।

वित्तीय आकर्षण

वित्तीय वर्ष 2019–2020 के दौरान कम्पनी की कुल आय पिछले वित्तीय वर्ष 2018–19 में 4,680 करोड़ रूपए की तुलना में 5,442 करोड़ रूपए है, जो कि इरकॉन की स्थापना के पश्चात से सबसे उच्चतर है। लगभग 95.60 प्रतिशत कम्पनी की कुल आय, जो कि 5,202 करोड़ है, परिचालनों से प्राप्त हुई है। परिचालनों की कुल राशि में से 18 प्रतिशत, जो कि 4415 करोड़ रूपए है, अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं से प्राप्त किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2018–19 में कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 615 करोड़ रुपए से 9 प्रतिशत की अनुवर्ती वृद्धि के साथ बढ़कर वित्त वर्ष 2019–20 में 673 करोड़ रुपये हो गया है। वित्त वर्ष 2018–19 में 445 करोड़ रूपए के कर पश्चात लाभ में 10 प्रतिशत की बढ़त के साथ वित्तीय वर्ष 2019–20 में 490 करोड़ रूपए का लाभ हुआ है।

वर्ष के दौरान निवल सम्पति में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और वित्त वर्ष 2018–19 में 47.28 रूपए की प्रति शेयर आय 10 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2019–20 में 52.08 रूपए हो गई है।

लाभांश

कंपनी शेयरधारक मूल्य को बढ़ाने पर केंद्रित करती है और कम्पनी का वित्त वर्ष 1980–81 के बाद से लगातार लाभांश का भुगतान करने का ट्रैक रिकॉर्ड है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए फरवरी, 2020 में निदेशक मंडल ने प्रति इक्विटी शेयर (10 / – प्रत्येक के अंकित मूल्य पर) 13.45 रूपए का अंतरिम लाभांश (अर्थात कुल 94.05 करोड़ रूपए की चुकता पूंजी पर 134.50 प्रतिशत) जिसकी कुल राशि 126.50 करोड़ रूपए (लगभग) है, घोषित किया गया था। इस लाभांश का भुगतानसभी शेयरधारकों को 2 मार्च, 2020 को कर दिया गया था।

इसके अलावा, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 में अर्जित लाभ में से 2 / – रूपए प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर 2.06 रूपए (अर्थात 94.05 करोड़ रूपए की चुकता पूंजी पर 103 प्रतिशत), कुल राशि 96.87 करोड़ रूपए, का अंतिम लाभांश चुकता किए जाने की सिफारिश की गई थी जो शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने की शर्त पर थी। वित्त अधिनियम, 2020 में किए गए संशोधनों के अनुसरण में प्रस्तावित अंतिम लाभांश लागू दरों के अनुसार स्रोत पर कर कटौती की शर्त पर है।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल लाभांश की राशि का योग 223.38 करोड़ रूपए (अनुमानित) (अर्थात 94.05 करोड़ रूपए की चुकता पूंजी पर 237.50 प्रतिशत) है, जो कर पश्चात लाभ का 45.60 प्रतिशत तथा 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की निवल सम्पति का 5.37 प्रतिशत है। अनुमोदन और भुगतान के पश्चात वित्तीय वर्ष 2019–20 तक शेयरधारकों को चुकता किए गए संचयी लाभांश का योग 1918.32 करोड़ रूपए (लगभग) हो जाएगा।

लाभांश की घोषणा लाभांश वितरण नीति के अनुसार की गई है जिसकी रूपरेखा भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015, यथा संशोधित (सूचीकरण विनियम) तथा निवेश एवं लोक सम्पति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा ''केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों की पूंजी पुनःसंरचना'' से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था।

शेयर पूंजी / डिमैटियरलाइजेशन

वर्ष 2019–20 के दौरान कम्पनी के सदस्यों द्वारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से 10 / – रूपए के अंकित मूल्य प्रत्येक के एक (1) इक्विटी शेयर को 2 / – रूपए अंकित मूल्य प्रत्येक के पांच (5) शेयरों में विभाजित करने का अनुमोदन प्रदान किया गया था तथा इसके परिणामस्वरूप कम्पनी संगम अनुच्छेद के पूंजी खंड में संशोधन किए गए थे। शेयर के अंकित मूल्य में परिवर्तन किए जाने का प्रभाव उन स्टाक एक्सचेंजों में शेयर के मूल्य पर हुआ था जहां कम्पनी 2 / – रूपए अंकित मूल्य प्रत्येक के शेयरों के लिए 3 अप्रैल,2020 से सूचीबद्ध (बीएसई तथा एनएससी) है तथा शेयर के 2 / – रूपए प्रत्येक अंकित मूल्य के संबंध में कार्पोरेट कार्रवाई 8 अप्रैल, 2020 को पूरी कर ली गई थी क्योंकि इसके उद्देश्य से रिकार्ड तिथि 7 अप्रैल, 2020 थी। तदनुसार कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी को 2 / – रूपए मूल्य प्रत्येक के 200 करोड़ शेयरों के प्रति 400 रूपए के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था तथा कम्पनी की जारी एवं चुकता शेयर पूंजी 2 / – रूपए मूल्य प्रत्येक 470,257,870 इक्विटी शेयरों के प्रति 94.05 करोड़ रूपए है।

30 जून, 2020 की स्थिति के अनुसार सभी शेयर (भौतिक रूप में धारित 410 शेयरों के अलावा) डिमैटियरलाइज स्वरूप में धारण किए गए हैं तथा शेयरों के डिमैटियरलाइजेशन का विवरण कार्पोरेट शासन रिपोर्ट में दिया गया है।

आईपीओ / एफपीओ के माध्यम से विनिवेश

भारत सरकार द्वारा कम्पनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में से 10.53 प्रतिशत विनिवेश आईपीओ के माध्यम से किया गया था। कम्पनी के शेयर बीएसई तथा एनएसई में सूचीबद्ध हैं तथा आईपीओ के पश्चात भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित कम्पनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का भाग 89.18 प्रतिशत है।

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार बाजार मूल्य के आधार पर इरकॉन इंटरनेशल लिमिटेड (इरकॉन) 500 सर्वोच्च सूचीबद्ध कम्पनियों में शामिल है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार इसका बाजार पूंजी भाग 3,584 करोड़ रूपए था।

इसके अलावा, 'सूचीकरण विनियमों' के अंतर्गत इरकॉन से एक सूचीबद्ध इकाई के रूप में प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियमावली, 1957 के नियम 19(1) तथा 19(2) के अंतर्गत न्यूनतम पब्लिक शेयरधारित (एमपीएस) अपेक्षाओं का अनुपालन करने की अपेक्षा की गई है। सेबी ने इस एमपीएस अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए अगस्त, 2020 तक के लिए अनुमति प्रदान की है। इस प्रकार एमपीएस की 25 प्रतिशत अपेक्षाओं को पूरा करने सरकार से अपनी शेयरधारिता का कम से कम 14.18 प्रतिशत फर्दर पब्लिक ऑफर (एफपीओ) से बिक्री की जानी अपेक्षित है। तथापि, सेबी ने दिनांक 14 मई, 2020 के परिपत्र के अंतर्गत प्रचलित व्यापार एवं बाजार स्थितियों को विचार में लेकर ऐसी सूचीबद्ध कम्पनियों के संबंध में एमपीएस की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के प्रति छूट प्रदान की गई है जिनकी निर्धारित तिथि

1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 के दायरे में आती है तथा स्टॉक एक्सचेंजों को सेबी के दिनांक 10 अक्तूबर, 2017 के परिपत्र में संकल्पित शास्ति कार्रवाई न करने का निदेश दिया गया है।

निवेश एवं लोक सम्पति विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा आईटीआई कैपिटल्स लिमिटेड को मर्चेंट बैंकर तथा क्राफर्ड बेयले एंड कंपनी को इरकॉन के इक्विटी शेयरों के विनिवेश के लिए विधि परामर्शदाता के रूप में स्टाक एक्सचेंज तंत्रव्यवस्था के माध्यम से प्रोमोटर द्वारा ऑफर फार सेल (ओएफएस) के माध्यम से करने के लिए नियुक्त किया गया है।

रिजर्व का अंतरण

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2019—20 के लाभ में से 96.87 करोड़ रूपए के लाभांश के वितरण के पश्चात 240.41 करोड़ रूपए की राशि धारित करने का निर्णय लिया गया है।

पूंजीगत व्यय एवं नकदी स्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा समेकित आधार पर मुख्यतः अंतर्देशीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की पूंजी परियोजनाओं पर 137.11 करोड़ रूपए का व्यय किया गया है जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी के लिए 55.76 करोड़ रूपए भवन निर्माण के लिए 68.92 करोड़ रूपए तथा एसएपी ईआरपी के लिए 9.79 करोड़ का व्यय शामिल है। इतने विशाल व्यय के बावजूद भी कम्पनी अपने सकल नामे स्तर को वर्ष के दौरान स्थिर रखने में सफल रही है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 2500.88 करोड़ रूपए के साथ सुदृढ़ बनी हुई है जिनमें से 769.04 करोड़ रूपए नकद तथा नकद समतुल्य हैं एवं 1,731.84 करोड़ रूपए अन्य बैंक शेष हैं जिनमें ग्राहक निधि की 1825.89 करोड़ रूपए भी शामिल हैं।

विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018—19 में अजिर्त 639.62 करोड़ रूपए मूल्य की विदेशी मुद्रा की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019—20 के दौरान 540.62 करोड़ रूपए मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है। वित्तीय वर्ष 2018—19 के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय 607.6 करोड़ रूपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019—20 के दौरान 525.67 करोड़ रूपए हुआ है। इस प्रकार निवल विदेशी मुद्रा आय में 53.30 प्रतिशत अर्थात वित्तीय वर्ष 2018—19 में 32.01 करोड़ रूपए तथा वित्तीय वर्ष 2019—20 में 14.95 करोड़ रूपए की कमी है जो कि विदेशी परियोजनाओं से प्रचालनात्मक टर्नओवर घटने के कारण है।

कोविड— 19 का प्रभाव

कोविड—19 महामारी हमारे समय के वैश्विक स्वास्थ्य संकट को परिभाषित कर रही है और पूरे महाद्वीप में बहुत तेजी से फैल गई है। लेकिन यह स्वास्थ्य संकट से भी कहीं बहुत अधिक है और दुनिया भर के लोगों और अर्थव्यवस्थाओं पर इसका अभूतपूर्व प्रभाव पड़ रहा है। 24 मार्च, 2020 से भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के परिणामस्वरूप कोविड—19 महामारी और परिणाम के मद्देनजर, समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इसलिए, कंपनी के परिचालन भी अछूते नहीं रहे हैं।

कोविड—19 के प्रकोप के कारण, कंपनी ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी लॉकडाउन निर्देशों के अनुपालन में सभी चल रही परियोजनाओं में अस्थायी रूप से परिचालन निलंबित कर दिए थे। इन राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन प्रतिबंधों ने परियोजना के निष्पादन, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और लॉकडाउन अवधि के दौरान कर्मियों की अनुपलब्धता के कारण कंपनी के सामान्य संचालन को प्रभावित किया था। अब ज्यादातर परियोजनाओं पर निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं, कंपनी सभी आवश्यक उपायों के संदर्भ में कदम उठा रही है। व्यवसाय में आने वाली चुनौतियों के प्रभाव को कम करना तथापि कंपनी की दीर्घकालिक दिशात्मक प्राथमिकता है जो कोविड—19 के कारण है और परिचालन वातावरण पर इसका अपेक्षित प्रभाव पड़ता है, कंपनी की प्रमुख प्राथमिकताएं आपूर्ति श्रृंखला की बारीकी से निगरानी करना, नकदी का संरक्षण करना और निर्धारित लागतों को नियंत्रित करना होगा। जबकि कुछ विकास क्षेत्रों में निवेश जारी है।

कंपनी के कामकाज को सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार कर्मचारियों के लिए घर से कार्य करने और रोस्टर के साथ सुव्यवस्थित किया गया है। इसके अलावा, तेजी से काम करने के लिए अधिकारियों के बीच ई—ऑफिस को प्रोत्साहित किया जा रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से बैठकें सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जा रही हैं। इसके अलावा, कंपनी ने कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप मानक परिचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) स्थापित की हैं।

कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर कोविड—19 के प्रभाव के बारे में अधिक जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में प्रदान की गई है।

परियोजनाओं पर काम शुरू होने के साथ, कंपनी लगातार अपने परिचालनों की समीक्षा कर रही है और महामारी के कारण व्यर्थ गए समय के समायोजन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तथापि, प्रबंधन को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2020—21 में राजस्व और लाभप्रदता में कमी होगी, लॉकडाउन व्यवधान के प्रभाव का समय—समय पर आकलन किया जाएगा और चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रगति के रूप में सूचित किया जाएगा। कुछ लागत में कमी के उपाय, जैसे यात्रा और दौरे के खर्च में कमी, खर्च और कार्यालय के खर्च आदि को पहले ही लागू कर दिया गया है। राज्य और केंद्र सरकारों और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न महामारी रोकथाम प्रयासों की सफलता पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए यह इस स्तर पर विश्वसनीयता के साथ भविष्य के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाने के लिए समय से पहले है। वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का वास्तविक प्रभाव इससे भिन्न हो सकता है, जिसका अनुमान लगाया गया है, क्योंकि कोविड—19 स्थिति भारत और विश्व स्तर पर विकसित होती है। हालांकि, कंपनी भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों के लिए किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

कंपनी ने महामारी से निपटने के लिए सभी एहतियाती उपायों को लागू करने की दिशा में कई पहल की हैं। इसमें प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि (पीएम केयर फंड) में राहत के लिए 20.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता शामिल है। वित्त वर्ष

2019—20 के दौरान 5.01 करोड़ रुपये का योगदान है जिसमें कर्मचारियों द्वारा 51 लाख का योगदान और वर्ष के समापन के बाद 15.5 करोड़ रुपये का योगदान शामिल है।

वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले सामग्रीगत परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं

वित्तीय वर्ष के दौरान तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात इस रिपोर्ट की तिथि तक केवल कोविड—19 के प्रभाव के अलावा कोई अन्य सामग्रीगत परिवर्तन अथवा प्रतिबद्धताएं कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित नहीं कर रही हैं।

ख. वित्तीय विवरण (स्टेंडएलोन तथा समेकित) और हरित पहल :

कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 10 जुलाई 2020 को आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 2019—20 के लिए वित्तीय विवरणों (स्टेंडएलोन तथा समेकित) को अनुमोदित किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 129(3) के प्रावधानों के अनुसार आपकी कंपनी ने (लाइन विधि के अनुसार) पांच सहायक कंपनियों यथा इरकॉन आईएसएल, इरकॉन पीबीटीएल, इरकॉन एसजीटीएल, इरकॉन डीएचएचएल तथा इरकॉन वीकेईएल (दिनांक 16.05.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि हेतु); और (इक्विटी विधि के अनुसार) सात संयुक्त उद्यम कंपनियों यथा आईआरएसडीसी, आईएसटीपीएल, सीईआरएल, सीईडब्ल्यूआरएल, एमसीआरएल, जेसीआरएल तथा बीआरपीएल के साथ अपने समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार किया है। गैर—निगमित संयुक्त उद्यमों के लेखों को वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिए स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है।

कंपनी इरकॉन के लेखों (स्टैंडएलोन तथा समेकित) तथा इसकी सहायक कंपनियों (इरकॉन आईएसएल, इरकॉन पीबीटीएल इरकॉन एसजीटीएल इरकॉन डीएचएचएल तथा इरकॉन वीकेईएल) के वित्तीय विवरणों को अपनी वेबसाइट (www.ircon.org) पर उपलब्ध कराएगी। इसके अतिरिक्त, फॉर्म एओसी—1 में पांच सहायक कंपनियों और सात संयुक्त उपक्रम कंपनियों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं वाला विवरण वित्तीय विवरणों में संलग्न है।

वर्तमान कोविड—19 महामारी के मद्देनजर वित्तीय विवरणों की भौतिक प्रतियों (नोटिस, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट या संलग्न किए जाने के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों सहित) को भेजने के कारण, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निर्धारित किया है कि इस तरह के विवरण केवल उन सदस्यों को ई—मेल के माध्यम से भेजे जाएंगे, जिनके ईमेल कंपनी के साथ या डिपॉजिटरी प्रतिभागी/ डिपॉजिटरी और अन्य सभी व्यक्तियों के लिए पंजीकृत हैं, जो इसके लिए पात्र हैं।

उपर्युक्त रियायत और हरित पहलों के भाग के रूप में, उन शेयरधारकों को वार्षिक साधारण बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की इलैक्ट्रानिक सुपुर्दगी प्रदान की गई है, जिनका ई—मेल आईडी संबंधित डिपॉजिटरी भागीदारों के पास पहले से पंजीकृत है और जिन्होंने भौतिक रूप में वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने का विकल्प नहीं दिया है। इन अभिलेखों को कंपनी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सजेंचों यथा बीएसई और एनएसई में उपलब्ध कराया गया है।

ग प्रबंधन और विश्लेषण

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट की प्रस्तुति सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची 5 और लोक उद्यम विभाग दिशानिर्देशों के साथ पठनीय विनियम 34 के अंतर्गत अपेक्षित है जो रिपोर्ट (पृष्ठ 36) में संलग्न है और यह संदर्भ और स्वरूप के अंतर्गत रिपोर्ट का एक अभिन्न भाग है। यह वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था, उद्योग और भविष्य के दृष्टिकोण, कंपनी के मामले, इसकी गुणवत्ता के मानक, इसकी कानूनी स्थिति और स्वायत्तता, वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन, वित्त वर्ष 2020 में शुरू की गई परियोजनाएं और आगामी परियोजनाएं, शक्तियां, कार्य स्कोप और अवसर, प्रमुख चिंता के क्षेत्र, कोविड—19 के प्रति प्रतिक्रिया, व्यापार रणनीतियों, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता के साथ—साथ मानव संसाधन में सामग्रीगत विकास का विहंगावलोकन प्रस्तुत करते है।

घ. बाह्य पर्यावरणीय समष्टि अर्थव्यवस्था स्थितियां

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा जनवरी 2020 में विश्व आर्थिक आउटलुक में 2019 में 2.9 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ 2020 में 3.3 प्रतिशत और 2021 में 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। वैश्विक वृद्धि के लिए अनुमानित रिकवरी के प्रति अनिश्चितता बनी रही क्योंकि इसे उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में तनावग्रस्त और कमजोर होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में सुधार को विचार में लेकर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि से वर्तमान स्तरों के करीब स्थिर होने की संभावना थी।

तथापि, वित्त वर्ष 2019—20 के आखिरी तीन महीनों में कोरोना वायरस (कोविड—19) महामारी के कारण विश्व में नाटकीय रूप से बदलाव आया है जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में मानव जीवन की क्षति हुई है। जैसा कि देशों ने महामारी को रोकने के लिए आवश्यक संगरोध और सोशल डिस्टेंटिंग व्यवहारों को लागू किया है, जिससे सम्पूर्ण विश्व लॉकडाउन हो गया है। क्रियाकलापों में पतन की तीव्रता एवं इसकी गति हमारे जीवनकाल में अनुभव की गई किन्हीं भी स्थितियों से पूर्णत भिन्न हैं।

यह वास्तव में एक वैश्विक संकट है क्योंकि कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। पर्यटन, यात्रा, आतिथ्य और उनके विकास के लिए मनोरंजन पर निर्भर देश विशेष रूप से बड़े व्यवधानों का सामना कर रहे हैं। उभरते हुए बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को पूंजी जोखिम में अभूतपूर्व उलटफेर के साथ अपनी कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से जूझने के साथ साथ बढ़ते हुए वैश्विक जोखिमों एवं मुद्रा बाध्यताओं के कारण, सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध सीमित धन के साथ अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, कई अर्थव्यवस्थाओं को धीमे विकास और उच्च ऋण स्तर के साथ कमजोर स्थिति में इस संकट का मुकाबला करना पड़ा है।

अनेक देशों के सम्मुख अनेक प्रकार के संकट — स्वास्थ्य संकट, वित्तीय संकट, और कमोडिटी की कीमतों में गिरावट, जो जटिल

परिस्थितियों में प्रक्रिया करती हैं, व्याप्त हैं। नीति निर्धारक घरों, फर्मों और वित्तीय बाजारों को अभूतपूर्व सहायता प्रदान कर रहे हैं और जबकि यह एक मजबूत रिकवरी के लिए महत्वपूर्ण है, परन्तु साथ ही यह अनिश्चितता भी है कि जब हम इस लॉकडाउन से उभरेंगे तो आर्थिक परिदृश्य कैसा दिखेगा।

आर्थिक दृष्टिकोण

जैसे–जैसे प्रतिबंधों में छूट दी जाती है, आर्थिक सुधार का मार्ग संक्रमणों के बाद की लहर के लिए अत्यधिक अनिश्चित और असुरक्षित रहता है। इस वर्ष व्यापक रूप से उपलब्ध होने वाली इसकी दवा की थोड़ी संभावना और अभूतपूर्व अनिश्चितता का सामना करने के साथ, ओईसीडी ने जून 2020 के दृष्टिकोण में दो समान रूप से संभावित परिदृश्य प्रस्तुत करने का असामान्य कदम उठाया है जिसमें वायरस को नियंत्रण में लाया जा सकता है, जिसमें से एक के अंत से पहले एक दूसरा वैश्विक प्रकोप होने से पूर्व इस संकट से उबरने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यदि किसी दूसरे ऐसे प्रकोप से लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न होती है तो विश्व आर्थिक उत्पादन के बारे में इस वर्ष के लिए लगाए गए अनुमान 7.6 प्रतिशत की गिरावट झेलने के पश्चात 2021 में 2.8 प्रतिशत ही रिकवरी कर पाएंगे। इस चरमावस्था की स्थिति में , ओईसीडी अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी दर इस प्रकोप की स्थिति से पहले की तुलना में दोगुनी से अधिक होगी। यदि संक्रमण की दूसरी लहर से बचा जाता है, तो 2020 में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में 6 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है और ओईसीडी बेरोजगारी 2019 में 5.4 प्रतिशत से बढ़कर 9.2 प्रतिशत हो सकती है।

दोनों परिदृश्यों में, रिकवरी के लिए तेजी से बहाली के बाद, उत्पादन को पूर्व–महामारी के स्तर पर वापस लाने में लंबा समय लगेगा, और संकट लंबे समय तक चलने वाले निशान छोड़ देगा – जीवन स्तर में गिरावट, उच्च बेरोजगारी और कमजोर निवेश। पर्यटन, आतिथ्य और मनोरंजन जैसे सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में नौकरी की हानि, विशेष रूप से कम कुशल, युवा और अनौपचारिक श्रमिकों को प्रभावित करेगी।

वैश्विक अर्थव्यवस्था अब सरकारों के लिए एक स्वतः तेज उछाल आने की संभावना के साथ यह एक दयनीय स्थिति है। कोरोना वायरस और इससे उत्पन्न आर्थिक प्रभाव को दूर करने के लिए सरकारों को तेजी से और बल लगाकर काम करने की आवश्यकता है। सहायक समष्टि अर्थव्यवस्था नीतियां आत्मविश्वास को बहाल करने और वायरस के प्रकोप मांग की वसूली में सहायता की स्थिति की रिकवरी में सहायक हो सकती हैं।

ड. इंजीनियरिंग एवं निर्माण उद्योग – वैश्विक इंजीनियरिंग एवं निर्माण उद्योग

अवसंरचना किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण वाहक है। बिजली, सड़क, पानी की व्यवस्था, सार्वजनिक उपयोगिताओं, हवाई अड्डों, रेलवे, और दूरसंचार आवश्यक सेवाएं हैं जो व्यापार और गतिशीलता को नियंत्रित करके आर्थिक क्रियाकलाप आगे बढ़ाते हैं।

इंजीनियरिंग और निर्माण उद्योग के एक भाग में अवसंरचना पर खर्च में वृद्धि, आगे और पिछड़े दोनों लिंकेज की वजह से समग्र आर्थिक विकास पर गुणक प्रभाव डालती है, क्योंकि इससे औद्योगिक विकास और विनिर्माण की मांग की पूर्ति होती है। बदले में यह, जीवन शैली की स्थिति में सुधार लाकर सामूहिक मांग को तीव्रता प्रदान करता है।

सरकारों और व्यवसायों के बीच व्यापक सहमति अवसंरचना की गुणवत्ता में वृद्धि आर्थिक विकास के लिए एक अनिवार्यता है, लेकिन औसतन देशों में कम निवेश किया जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार, अवसंरचना में 2040 तक विश्व भर में निवेश अमेरिकी डालर 79 ट्रिलियन होने की उम्मीद है। तथापि, वास्तविक वैश्विक निवेश की आवश्यकता अमेरिकी डालर 97 ट्रिलियन के करीब है। अमेरिकी डालर 18 ट्रिलियन के इस अंतर को पूरा करने के लिए, औसत वार्षिक वैश्विक अवसंरचना निवेश को प्रति वर्ष लगभग 23 प्रतिशत बढ़ाना होगा। इस अंतर के लिए सड़क और बिजली क्षेत्रों में अपर्याप्त निवेश को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

2019 के दौरान, इंजीनियरिंग और निर्माण उद्योग ने एक मजबूत वर्ष का अनुभव किया, और क्षेत्र में संगठनों को स्मार्ट, कनेक्टेड भविष्य के निर्माण में सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में तैनात किया गया है। जबकि राजस्व लगातार बढ़ रहा है, नीचे की रेखाएं अभी भी काफी दबाव में हैं। उन चुनौतियों के बीच, जो उद्योग के सामने आने वाली लागत के दबावों, निरंतर श्रम की कमी है जो उत्पादकता को प्रभावित करती हैं, और निश्चित बोली परियोजनाओं की ओर रुझान जो अक्सर मूल्य निर्धारण और संचालन परिशुद्धता के स्तर की मांग करते हैं जो पारंपरिक प्रणालियों के साथ प्राप्त करना मुश्किल है। हालांकि उद्योग अभी भी व्यापक डिजिटल अंगीकार करने की दिशा में परिपक्व हो रहा है, डिजिटल प्रौद्योगिकियों को जारी रखने से इनमें से कुछ मुद्दों को फिर भी दूर किया जा सकता है।

उद्योग परिदृश्य

उपर्युक्त चुनौतियों के बावजूद, इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनियां उद्योग में कई महत्वपूर्ण अवसरों से संभावित लाभ के लिए तैयार हैं। 21 वीं सदी में उभरती प्रौद्योगिकियां और मेगाट्रेंड जैसे शहरीकरण व्यवसाय की प्रेरक ताकत हैं, और वे आज इंजीनियरिंग और निर्माण उद्योग के लिए अवसर प्रदान करते हैं। जो कंपनियाँ अपने व्यवसायों में डिजिटल इकोसिस्टम को एम्बेड करने की रणनीति का सफलतापूर्वक निर्माण और क्रियान्वयन करती हैं, वे संभावित रूप से वर्तमान में उद्योग का सामना करने वाले लागत दबाव और श्रम की कमी से बचे रहने के लिए बेहतर स्थिति में होंगी। इन कंपनियों को स्मार्ट शहरों के उदय का समर्थन करने के लिए अच्छी तरह से रखा जाएगा, और आगे आने वाले साल इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनियों के प्रमुखों के लिए अवसर लाएंगे।

2020 की पहली छमाही में अवसंरचना के वित्तपोषण की अत्यधिक संभावना हो सकती है। कोविड–19 की समस्या से निपटने के तत्काल पश्चात, संकट प्रबंधन से ध्यान हटाने की आवश्यकता होगी ताकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को विकास के लिए पर्याप्त अवसंरचना में निवेश करने में और भविष्य के प्रकोपों के प्रभाव को रोकने और कम करने के लिए सहायता मिल सके।

च. आर्डर बुक

कंपनी जिस उद्योग से संबंधित है, उसमें ऑर्डर बुक को भविष्य का एक संकेतक माना जाता है क्योंकि यह प्रत्याशित भविष्य के राजस्व के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज, दोनों, में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है और रेलवे मंत्रालय द्वारा नामांकन के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली–प्रक्रिया दोनों पर आदेश प्राप्त करती है , जबकि, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परियोजनाएँ आवंटित करने पर रेल मंत्रालय ने अपनी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। उन्होंने रेलवे के कार्यों के निष्पादन के लिए पात्र सार्वजनिक उपक्रमों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाने की एक प्रणाली शुरू की है, जिसका उद्देश्य है। इरकॉन को ऐसी बोली प्रक्रिया में सफल होने की उम्मीद है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी ने 633.48 करोड़ रुपये के कार्यों को सुरक्षित किया है। 31 मार्च, 2020 तक की ऑर्डर बुक 31 मार्च, 2019 में 33,901 करोड़ रुपये (लगभग) की तुलना में 30,713 करोड़ रुपये (लगभग) थी। 30.06.2020 की स्थिति के अनुसार आर्डर बुक 30,263 करोड़ रुपये (लगभग) थी।

छ. इरकॉन समूह निष्पादन के संदर्भ में परिचालन एवं निष्पादन

पिछले वर्ष की तुलना में 12.36 प्रतिशत की वृद्धि के साथ समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, इरकॉन ('समूह')) ने 5391.51 करोड़ रुपये (पिछले वर्षः 4798.43 करोड़ रुपये) का कारोबार किया है। यह वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू परियोजनाओं के कारोबार में वृद्धि के कारण है।

चालू वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान समूह ब्याज,आय, मूल्यह्रास एवं परिशोधन से पूर्व आय (ईबीआईटीडीए) 773.58 करोड़ रुपये (पिछले वर्षः 678.96 करोड़ रुपये) थी जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.94 प्रतिशत की वृद्धि थी। ब्याज,आय, मूल्यह्रास एवं परिशोधन से पूर्व आय (ईबीआईटीडीए) मुख्य रूप से कर पूर्व लाभ में वृद्धि, ब्याज लागत और परिशोधन खर्चों के कारण बढ़ा है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, समूह ने 485.31 करोड़ रुपये (पिछले वर्षः 450.07 करोड़ रुपये) के कर के बाद एक समेकित लाभ को प्राप्त किया है, जो प्रति शेयर 51.60 (पिछले वर्ष 47.85) की मूल आय है।

पिछले वर्ष की तुलना में 35.24 करोड़ रुपये लाभ अधिक था।

घरेलू परियोजनाएं

निगमन के बाद से, कंपनी ने विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों में विविधता ला दी है और यह अब रेलवे और राजमार्ग निर्माण के क्षेत्र में एक स्थापित खिलाड़ी है। इसके अलावा, यह वाणिज्यिक और आवासीय परिसरों, बिजली पारेषण लाइनों, औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था, पुल और फ्लाईओवर, सुरंगों, बिजली और यांत्रिक कार्य, सिग्नलिंग और दूरसंचार, कोच फैक्ट्री, स्टेशन भवन, मल्टी फंक्शन कॉम्प्लेक्स और हवाईअड्डों के निर्माण जैसे कई अन्य क्षेत्रों में ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करता है। विभिन्न क्षेत्रों में परियोजना पोर्टफोलियो के विविधीकरण ने हमें निर्माण व्यवसाय को खत्म करने और किसी भी क्षेत्र या परियोजना के प्रकार पर हमारी निर्भरता को कम करने में मदद की है।

पूर्ण परियोजनाएं

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, भारत में निम्नलिखित परियोजनाएं पूरी की गई हैंः

1. रेल मंत्रालय के लिए 2,605 करोड़ रुपये के मूल्य पर अतिरिक्त कार्यों सहित रायबरेली में नए रेल कोच कारखाने की स्थापना।
2. 671 करोड़ रुपये के मूल्य पर बिहार सरकार के रेल मंत्रालय के लिए बिहार राज्य में रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण।
3. 649 करोड़ रुपये के मूल्य पर राजस्थान सरकार के रेल मंत्रालय के लिए राजस्थान राज्य में आरओबी का निर्माण।

जारी परियोजनाएं :

पश्चिम एक्सप्रेस राजमार्ग, बांद्रा पूर्व, मुम्बई में 99 वर्ष के लिए 4.3 हेक्टेयर रेलवे भूमि का वाणिज्यिक विकास

कंपनी ने 26 मार्च, 2018 को एक समझौता ज्ञापन किया है , जिसमें भूखंडों के वाणिज्यिक विकास के लिए इरकॉन को पट्टे के अधिकार के हस्तांतरण के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण के साथ 4.3 (चार प्वांइट तीन) माप के भूखंड के वाणिज्यिक विकास के लिए बांद्रा पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र के लिए पट्टे के प्रीमियम के अधिकार के प्रति इरकॉन को पट्टे के अधिकार अंतरित किए गए हैं। अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, इरकॉन रेल भूमि विकास प्राधिकरण से अपफ्रंट लीज प्रीमियम के कुल 3 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) के बराबर शुल्क स्वरूप राशि प्राप्त करने का हकदार है, जिसके लिए इरकॉन, रेल भूमि विकास प्राधिकरण तथा भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड द्वारा एक त्रिपक्षीय ऋण समझौता क्रियान्वित किया गया था।

भारत में चल रही प्रमुख परियोजनाओं की एक सूची परिशिष्ट–क में दी गई है।

भावी परियोजनाएं

आने वाले समय में, इरकॉन रेलवे, राजमार्ग और सुरंग आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण घरेलू परियोजनाएँ शुरू करने के लिए तत्पर है। इनमें मुंबई – अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का कार्यान्वयन शामिल है जो जापान से निधियन के साथ किया जाना है, बीओटी, ईपीसी और एचओसी आधार पर राजमार्ग परियोजनाएं, परामर्शी कार्य, सुरंग परियोजनाएं और प्रतिस्पर्धी बोली पर रेलवे कार्य शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएंः

कुल राजस्व में विदेशी परियोजनाओं का अंशदान वित्तीय वर्ष 2018 में लगभग 12.92 प्रतिशत से कम होकर वित्तीय वर्ष 2020 में 8.75 प्रतिशत हो गया है। विदेशी परियोजना आय में कमी दक्षिण अफ्रीका में विदेशी परियोजना के समाप्त होने के कारण है और वर्ष 2019–20 के आरंभ में श्रीलंका रेलवे प्राप्त नई परियोजना के अतिरिक्त कोई अन्य आर्डर प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बावजूद, विदेशों में परियोजनाओं के राजस्व में कमी को घरेलू बाजार में हमारे अच्छे निष्पादन द्वारा आंशिक रूप से पूरा किया गया है, और हम बांग्लादेश, अल्जीरिया और श्रीलंका में चालू परियोजनाओं सहित विदेश में नई

परियोजनओं में सक्रीय रूप से भाग ले रहे हैं। अपने व्यवसाय में विविधता और भौगोलिक विशिष्टता को जारी रखकर, कंपनी अपने व्यवसाय की मात्रा और लाभ मार्जिनों को अधिकतम बनाने के लिए व्यापक शृंखला में परियोजनाएं प्राप्त करने के प्रति अग्रसर है।

चालू परियोजनाएंः

कंपनी विदेश में निम्नलिखित तीन परियोजनाओं को निष्पादित कर रही हैः

1. बांग्लादेश

911 करोड़ रूपए (148.82 मिलियन अमरीकी डालर) और संशोधित लागत 175.75 मिलियन अमरीकी डालर (1338 करोड़ रूपए) के मूल्य पर बांग्लादेश रेलवे के लिए खुलना–मोंगला पोर्ट रेल लाइन के निर्माण परियोजना के अंतर्गत पैकेज डब्ल्यूडी–1 के प्रति इम्बार्कमेंट, रेलपथ, सभी सिविल कार्य, प्रमुख और गौंण पुल (रूपशा को छोड़कर) तथा पुलिया के निर्माण और ईएमपी के क्रियान्वयन कार्य। मार्च 2020 तक भौतिक प्रगति 52.42 प्रतिशत है। यह कार्य मार्च 2016 में आरंभ हुआ और इस कार्य के सितंबर 2020 तक पूरा होने की संभावना है।

हालांकि, यह वर्तमान स्वास्थ्य महामारी के कारण और आगे बढ़ सकता है।

प्रारंभिक चरण में, संबंधित इंजीनियर बांग्लादेश रेलवे द्वारा पुलों और इमारतों के संरेखण (एल–सेक्शन और एक्स–सेक्शन) के लिए चित्र जारी करने, एन्कम्ब्रेंस फ्री लैंड को सौंपने में देरी के कारण परियोजना धीरे–धीरे आगे बढ़ी। हालाँकि, अब यह परियोजना कोविड–19 महामारी के कारण प्रतिबंधों में ढील के बाद सभी मोर्चों पर पूरे जोरों पर है।

2. अल्जीरिया

अल्जीरिया में कंपनी को 1628 करोड़ अल्जीरियन दिनार (भारतीय रूपए में परिवर्तित 1003 करोड़ रूपए) मूल्य की 93 कि.मी. परियोजना प्राप्त हुई है। यह परियोजना एएनईएस आरआईसी, परिवहन मंत्रालय, अल्जीरिया सरकार द्वारा प्रदान की गई है। इस परियोजना में अल्जीरियर रेलवे के अल्गेर–ओरान खंड में ओयड स्लाय तथा येल्लेल तक 10 किमी के मार्ग परिवर्तन सहित मौजूदा लाइन के स्तरोन्नयन और दूसरी लाइन का निर्माण कार्य शामिल है। दोहरी लाइन को प्रचालनिक बनाने के अतिरिक्त कार्य सहित संविदा के मूल्य को संशोधित करके 3268 करोड़ अल्जीरिया दिनार (2248 करोड़ रूपए परिवर्तित) किया गया है।

इस परियोजना के जून, 2022 में पूरा होने की संभावना है। कार्य में विलंब के मुख्य कारण हैं कार्य क्षेत्र में वृद्धि, परियोजना के लिए निधियों के गैर आवंटन के कारण भुगतान में विलंब, संशोधनों के अनुमोदन में अतिरिक्त विलंब, आरेखणों के अनुमोदन और अवरोधों के समाधान में विलंब और भुगतानों के माध्यम में विसंगति के समाधान में विलंब आदि।

रोकड़ प्रवाह समस्याओं, जिसके कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हो रही है, विशेष रूप से उप–ठेकेदारों को प्रदान किए गए संरचनात्मक कार्यों के बावजूद ग्राहकों को 72 किमी नए रेलपथ का कार्य सौंप दिया गया है। 77 किमी में से 32 किमी के प्रथम भाग में मौजूदा लाइन का कार्य भी आरंभ कर दिया गया है और 7 स्टेशन भवनों में से 6 भवन सौंपे जाने के लिए तैयार हैं और समय पर भुगतान किए जाने के आश्वासन के साथ पुल निर्माण के कार्य में तेजी आई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेलों की कीमतों में वृद्धि के कारण ग्राहकों ने निर्बाध भुगतान का आश्वासन दिया है, जिससे कार्य की प्रगति में सुधार होगा और इसके जून 2022 तक पूरा होने की संभावना है।

3. श्रीलंकाः

कंपनी ने श्रीलंका में एक परियोजना प्राप्त की है यथा 91.27 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 637.22 करोड़ रूपए के समतुल्य) की मूल्य पर परिवहन एवं नागर विमानन मंत्रालय, श्रीलंका सरकार के अंतर्गत श्रीलंका रेलवे द्वारा प्रदान की गई भारतीय ऋण रेल, के अंतर्गत माहो से ओमांथई तक रेल लाइन के स्तरोन्नयन के लिए रेलपथ पुनर्स्थापन और अनुषंगी कार्य। इस परियोजना के अंतर्गत, इरकॉन संबद्ध अवसंरचनात्मक कार्यों सहित लगभग 128 किमी लंबे माहो–ओमनथई तक एकल लाइन गेज रेलपथ का स्तरोन्नयन करेगी। यह कार्य अप्रैल 2019 के अंत में प्रदान किया गया था और यह 36 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना को भारतीय ऋण तर्ज पर भारतीय एक्जिम बैंक के माध्यम से वित्तपोषित किया गया है।

भावी परियोजनाएं

कंपनी का प्रयास है कि उद्योग क्षेत्रों में विविधता लाने की अपनी रणनीति को जारी रखा जाए और घरेलू परियोजनाओं की तुलना में इन परियोजनाओं द्वारा प्राप्त बेहतर लाभ मार्जिन पर कब्जा करने के लिए विदेशों से ऑर्डर बढ़ाए जाएं। बांग्लादेश, थाईलैंड, तुर्की, घाना, श्रीलंका, मोजाम्बिक, रवांडा, यूएई, मलेशिया, ओमान और गिनी में सुरक्षित ठेके प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

स्थावर सम्पदा क्षेत्र

कॉर्पोरेट प्लान के संदर्भ में, इरकॉन ने इस क्षेत्र में उपलब्ध अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, चयनात्मक विविधीकरण के लिए स्थावर सम्पदा क्षेत्र को संज्ञान में लिया है। तदनुसार, इरकॉन ने वर्ष 2014 में नोएडा में विभिन्न क्षेत्रों में 90 वर्षों के लिए लीजहोल्ड के आधार पर वाणिज्यिक बिल्डर भूखंडों–। (परियोजना संख्या 2013–14) के आवंटन के लिए खुली निविदाओं में भाग लिया है। इरकॉन को सेक्टर 1 में 8 में भूखंड आवंटित किए गए हैं। सेक्टर 43 (4 प्लॉट्स क्लब), सेक्टर 48 (2 प्लॉट्स क्लब) और सेक्टर 125 नोएडा (यूपी) में। इन भूखंडों के वाणिज्यिक विकास के लिए व्यापक व्यापार योजना तैयार करने के लिए रियल एस्टेट कंसल्टेंट की नियुक्ति की गई और इन संपत्तियों का विकास किया गया।

नोएडा में सेक्टर 1 वाणिज्यिक परिसर को कोविड–19 की स्थिति सामान्य होने के बाद पट्टे पर दिया जाएगा, जिसमें पांच मंजिलों में से तीन मंजिलों का उपयोग इरकॉन के क्षेत्रीय कार्यालय आदि के रूप में किया जाएगा। सेक्टर 48 में व्यावसायिक भवन को पट्टे पर देने के लिए नोएडा में प्रक्रिया चल रही है। हालाँकि, बोली प्रस्तुत

करने की तारीखों को कोविड–19 से उत्पन्न अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण स्थानांतरित कर दिया गया है। नोएडा के सेक्टर 43 में रिटेल मॉल के पट्टे को अंतिम रूप दे दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन के कारण देरी के कारण 6 महीने के विस्तार को पूर्व शर्त को पूरा करने और समझौते में प्रवेश करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की गई है।

कंपनी हरियाणा के शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) से सेक्टर 32, गुरुग्राम, हरियाणा में खरीदे गए प्लॉट पर संपत्ति भी विकसित कर रही है जो कि पूरा होने के उन्नत चरण में है। संपत्ति 34,000 वर्ग मीटर में है और इसे 'इरकॉन इंटरनेशनल टॉवर' के रूप में पंजीकृत किया गया है। इसमें 250 सीटर ऑडिटोरियम के साथ भूतल 13 और भूतल 5 के दो टावर शामिल हैं और लगभग 96 करोड़ रुपये की लागत के साथ प्रशिक्षण केंद्र और छात्रावास के रूप में विकसित किया जा रहा है (लगभग भूमि की लागत सहित। 5.8 करोड़ रुपये)। भवन को पट्टे पर देने या बेचने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी।

उपरोक्त संपत्तियों और देश भर में वितरित कंपनी की अन्य अचल संपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने विशेष रूप से इरकॉन के रियल एस्टेट कारोबार की देखभाल करने के लिए एक अलग एस्टेट प्रबंधन विभाग की स्थापना की है। कोविड–19 स्थिति के बाद, इस अभूतपूर्व स्थिति से उत्पन्न होने वाली विभिन्न आवश्यकताओं की देखभाल के लिए अचल संपत्ति के विकास की रणनीति पर फिर से गौर करने की आवश्यकता है।

ज. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम कंपनियां, और संबद्ध कंपनियां

अपनी वित्तीय और प्रदर्शन के साथ–साथ सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि परिशिष्ट–ख में दी गई है।

झ. राष्ट्रपति के निदेशों का अनुपालन

आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए समय–समय पर जारी किए गए अध्यक्षीय निर्देश जैसे कि आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति, रोजगार में अजा / अजजा रोस्टर, वेतनमान 2017 में संशोधन आदि का अनुपालन किया गया है।

राजभाषा

कंपनी कार्यालय में हिंदी के व्यापक उपयोग के लिए विभिन्न उपाय और उत्साहजनक पहल कर रही है। उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया हैं:

क. सभी कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम सोमवार को पूरी तरह से हिंदी में काम करने की शपथ।

ख. कॉर्पोरेट कार्यालय में तिमाही आधार पर राजभाषा संगोष्ठी का संचालन किया जा रहा है।

ग. विभिन्न विभागों द्वारा रोटेशनल आधार पर योगदान के रूप में एक विचार और एक शब्द, जन्मदिन की शुभकामनाएं, प्रसिद्ध कवियों की कविता आदि को स्वागत कक्ष में हिंदी में प्रदर्शित किया जा रहा है।

हिंदी में काम करने में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए हर तीसरे महीने में कॉर्पोरेट विभाग में किसी एक विभाग के साथ हिंदी विभाग द्वारा एक बैठक आयोजित की जाती है। इसके अलावा, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित त्रैमासिक बैठकें और यूनिकोड प्रणाली और कार्यालयीन भाषा के प्रभावी उपयोग के लिए त्रैमासिक कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कंपनी के अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर सिस्टम और मोबाइल फोन के लिए द्विभाषी सुविधा शुरू की गई है। कर्मचारियों द्वारा उपयोग के लिए द्विभाषी प्रारूप को इरकॉन की आंतरिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :

सूचना का अधिकार अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार अपील प्राधिकारी, केन्द्रीय जन–सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी तथा राज्य स्तरीय जन सूचना अधिकारियों के नामों सहित आवश्यक अद्यतन सूचना कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है ।

प्राप्त शिकायतों का उत्तर निर्धारित समय–सीमा के भीतर दिया जाता है। शिकायतें मुख्य रूप से सेवा संबंधी विषयों/भर्ती, वित्त, संविदा और परियोजनाओं से संबंधित होती हैं। आरटीआई मामलों का ब्यौरा तिमाही आधार पर तथा वार्षिक आधार पर केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वेबसाइट में प्रकाशित किया जाता है और इसकी प्रति सूचनार्थ रेल मंत्रालय को अग्रेषित की जाती है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, 190 आवेदन तथा 29 प्रथम अपीलें प्राप्त हुई थीं और वर्ष के आरंभ में 04 अपील और 01 आवेदन (वर्ष के दौरान कुल 194 अपील और 30 आवेदन) निर्धारित अनुमत समयसीमा में निपटान हेतु प्रक्रियाधीन थीं। इसमें से 185 आवेदन तथा 28 प्रथम अपीलों पर कार्यवाही की गई/उन्हें निटाए गया था। 31 मार्च 2020 को 09 आवेदनों और 02 अपील पर निर्धारित समयसीमा के भीतर निपटान हेतु कार्रवाई की जा रही थी।

प्रापण वरियता नीति के क्रियान्वयन के लिए एमएसएमई दिशानिर्देशों का अनुपालनः

आपकी कंपनी में वृहत क्रय वरियता नीति विद्यमान है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के खंड–11 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सूक्षम और लघु उद्यम हेतु लोक प्रापण नीति (एमएसई) आदेश, 2012 की तर्ज पर है। इरकॉन का ई–प्रापण पोर्टल एमएसएमई मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी सांविधिक निकाय के साथ पंजीकृत एमएसएमई फर्मों के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराता है, और वे निविदा शुल्क और बयाना राशि के भुगतान से छूट की सुविधा उपलब्ध करते हुए ई–निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आपकी कंपनी ने सामग्री और भंडारण के प्रति 466.32 करोड़ रूपए के मूल्य के व्यय के प्रति

एमएसई वेंडर से 178.90 करोड़ रूपए मूल्य की वस्तुओं का प्रापण किया है। एमएसई वेंडरों के कार्यक्षेत्र /क्षमता से परे की वस्तुओं का मूल्य 244.75 करोड़ रूपए है। इसलिए, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान प्रापण नीति के अनुपालन में एमएसई के कार्यक्षेत्र/क्षमता से परे की वस्तुओं के मूल्य को छोड़ने के पश्चात एमएसई से 221.57 करोड रूपए मूल्य निवल प्रापण के 81 प्रतिशत प्रापण प्राप्त किया है। आपकी कंपनी ने 19 फरवरी, 2020 को अ.जा/अ.ज.जा के उद्यमियों सहित एमएसई के लिए निगमित कार्यालय में विशेष राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम आयोजित किया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के खंड 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने अनुदेश जारी किए कि 500 करोड़ रूपए से अधिक के टर्नओवर सहित कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत सभी कंपनियां और सभी सीपीएसई के लिए यह अपेक्षित है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक का अधिसूचना के अनुसार स्थापित व्यापार प्राप्य रियायत प्रणाली (टीआरईडीएस) के अंतर्गत स्वयं को लाए। प्रत्येक राज्य में कंपनी के रजिस्ट्रार (आरओसी) सीपीएसई द्वारा ऐसे अनुदेशों के अनुपालन की मॉनीटरिंग के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे और भारत सरकार को लोक उपक्रम विभाग सीपीएसई द्वारा ऐसे अनुदेशों के अनुपालन की मॉनीटरिंग के लिए सक्षम प्राधिकरण होगा। उपर्युक्त अनुदेश के अनुपालन में, एमएसई के व्यापार प्राप्यों के वित्तपोषण को सुलभ बनाने के लिए दिनांक 25 जनवरी 2018 से टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म पर आ गया है ताकि देय तिथि से पूर्व एमएसई को उनका भुगतान प्राप्त हो सके।

ट. मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन प्रारंभ से ही इरकॉन का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। कंपनी भविष्य के लिए वितरित करने के लिए एक व्यस्त और सक्षम कार्यबल के लिए एक आदर्श कार्य संस्कृति बनाने और बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे पास मजबूत मूल्य, अग्रणी प्रथाओं, प्रबंधन के बीच संयुक्त परामर्श के माध्यम से एक साथ काम करने की संस्कृति और सामुदायिक विकास के लिए बहुत मजबूत प्रतिबद्धता है। हमारे लोगों का व्यवहार सदैव कर्मचारी कल्याण और कल्याण के आसपास केंद्रित रही है, जिससे सहयोग और संबंध का माहौल बना है।

इरकॉन के मानव संसाधन प्रबंधन मुख्य रूप से संगठन के भीतर लोगों के प्रबंधन, नीतियों और प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने से संबंधित है। रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारी प्रदर्शन को अधिकतम करने के लिए एचआरएम में इरकॉन को डिजाइन किया गया है। संगठन के लिए आवश्यक व्यावसायिक उद्देश्यों और क्षमता निर्माण को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने अपनी मानव संसाधन रणनीति एवं साथ ही सिस्टम और प्रक्रियाओं को अपनाया और संरेखित किया है। मानव संसाधन कार्यनीति उन कर्मचारियों के लिए एक प्रेरक कारक के रूप में कार्य करती है जो कंपनी की भविष्य की जरूरतों और व्यक्तिगत कर्मचारियों की आकांक्षाओं के बीच एक मैच बनाने के लिए संगठन की मुख्य क्षमता में योगदान करते हैं।

इरकॉन के मानव संसाधन दर्शन को उनकी क्षमता को साकार करने, नवोन्मेषी विचारों और पुरस्कारों के उचित वितरण को प्रोत्साहित करके कर्मचारियों के सशक्तिकरण, विकास और विकास को प्रोत्साहित करने में निहित है। इसकी कार्य संस्कृति खुली और गतिशील है, कर्मचारियों को शीर्ष प्रबंधन के सक्रिय समर्थन के साथ नौकरियों में पहल करने में सक्षम बनाती है। यह पसंद का नियोक्ता है और संगठन के विकास और विकास के लिए आवश्यक कौशल सेट के साथ सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिभा को आकर्षित करता है।

कर्मचारियों का सही प्लेसमेंट और परिशोधन, इंडक्शन के बाद का प्राथमिक कार्य है, जिसके द्वारा कंपनी व्यक्तिगत प्रदर्शन और लक्ष्यों को संरेखित लक्ष्य के साथ बनाए रखती है। कर्मचारियों को उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए पर्याप्त देखभाल की जाती है।

कंपनी की एक प्रदर्शन उन्मुख संस्कृति है जिसमें संगठन के लिए प्रत्येक कर्मचारी के योगदान को मापा जाता है और उपयुक्त रूप से पुरस्कृत किया जाता है। इरकॉन में एक ध्वनि और परिणाम –उन्मुख है

जनशक्ति बल

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार इरकॉन की कुल जनशक्ति संख्या 1,369 थी, (पिछले वर्ष 1576) जिनमें 1,119 नियमित कर्मचारी, प्रतिनियुक्ति पर 30 कर्मचारी, अनुबंध पर 216 (सेवा अनुबंध सहित) और निश्चित कार्यकाल के आधार पर 04 शामिल थे। कंपनी के कुल 1,369 कर्मचारियों में से 1,310 भारतीय परियोजनाओं पर और 59 अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं पर तैनात किए गए हैं। 1369 कर्मचारियों में, 1,005 तकनीकी रूप से और व्यावसायिक रूप से योग्य हैं। वर्ष के अंत में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 68 थी। पिछले वर्ष की तुलना में कुल श्रमशक्ति कम हो गई है, क्योंकि कंपनी द्वारा लागतों को इष्टतम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष के दौरान, कुल नए नियोजित कार्यरत कर्मचारी 64 थे, जिसमें 37 नियमित कर्मचारी शामिल थे,

प्रतिनियुक्ति पर 11 कर्मचारी, और अनुबंध (सेवा अनुबंध सहित) पर 16 कर्मचारी है ।

रोजगार में आरक्षण

कंपनी अनुसूचित जाति (अ.जा)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा)/अन्य पिछड़े वर्ग (अ.पि.व) तथा दिव्यांग जनों की श्रेणियों के उम्मीदवारों को रोजगार में आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर भारत सरकार की नीतियों और निदेशों के क्रियान्वयन से संबंधित विषय में भारत सरकार की नीतियों और निदेशों के क्रियान्वयन को सर्वाधिक महत्व देती है। दिनांक 31 मार्च 2020 को कंपनी में कुल 556 अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व तथा दिव्यांगजनों कर्मचारी हैं।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019–20 के दौरान, 37 कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्त किया गया था, जिनमें से 12 कार्मिक अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व तथा दिव्यांगजनों श्रेणी से हैं। इसी प्रकार 07 कर्मचारियों की नियुक्ति संविदागत आधार पर की गई है, जिनमें से 02 कर्मचारी, अ.जा, अ.ज.ज., अन्य पिछडे वर्ग और दिव्यांगजन श्रेणी से हैं।

वर्ष 2019–20 में 848 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिनमें से 317 कर्मचारी इन श्रेणियों से हैं। इन श्रेणी के कर्मचारियों के कल्याण के लिए, कंपनी ने अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व तथा दिव्यांगजनों कर्मचारियों के लिए सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति की है।

कंपनी की अवसंरचना दिव्यांगजन कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार सुनिर्मित है।

प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

इरकॉन कर्मचारियों के विकास और केरियर प्रोग्रेशन पर व्यापक बल देता है। वर्षभर कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। प्रतिष्ठित तथा विख्यात संस्थानों/ एजेंसियों द्वारा आयोजित किए जाने वाले पेशेवर कार्यक्रमों, कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों का इरकॉन की व्यावसायिक आवश्यकता की तर्ज पर ध्यानपूर्वक पहचान की गई और ऐसे कार्यक्रमों में उपयुक्त अधिकारियों को नामित किया गया था।

आपकी कंपनी कार्योत्मक तथा सामान्य प्रबंधन क्षेत्रों, संविदा एवं मध्यस्थता, नेतृत्व, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सुगम कौशलों के क्षेत्र में प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन क्षमताओं के निर्माण के लिए निरंतर कदम उठा रही है। जहां कहीं आवश्यक हुआ, बाहरी फैकल्टी को आमंत्रित किया जाता है और कार्मिकों को कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों आदि में भेजा जाता है। कर्मचारी विकास सदैव कम्पनी की प्राथमिकता रही है और समय–समय पर विभिन्न प्रशिक्षण और विकास योजनाओं का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2019–20 के दौरान, कुल 3001 श्रम दिवस के लिए कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और सम्मेलनों आदि के माध्यम से इरकॉन के कार्मिकों को बाहरी संस्थानों तथा इन–हाऊस प्रशिक्षण, आदि प्रदान किया गया है।

कर्मचारी कल्याण

कर्मचारियों के कल्याण के लिए कंपनी के पास पर्याप्त और मजबूत योजनाएँ हैं। इनमें छूट सुविधा से युक्त कैंटीन सुविधा, स्वास्थ्य कवर, चिकित्सा योजना, सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना, सेवानिवृत्ति के बाद की पेंशन योजना, नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य जांच, भत्ते, आवासीय आवास के लिए स्व–पट्टे, कर्मचारियों के वार्डों को शैक्षिक छात्रवृत्ति, आदि शामिल हैं। व्यावसायिक डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकमुश्त शैक्षिक अनुदान, कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को शैक्षिक पुरस्कार, मृत कर्मचारियों के वार्डों को शैक्षिक सहायता, बेटियों की शादी के लिए सहायता और गैर–कार्यकारी श्रेणियों में कर्मचारियों की आश्रित बहनें, सुविधा कॉरपोरेट कार्यालय में मुफ्त होम्योपैथी और एलोपैथी परामर्श, और डालमिया और स्टर्लिंग रिसॉर्ट्स के माध्यम से कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए रियायती दरों पर सुविधाओं का सहारा लेना।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण के रूप में अस्वीकरण (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013

कंपनी का लक्ष्य महिला कर्मचारियों के लिए एक सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना है। कंपनी के पास कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए एक व्यापक नीति है, जिसमें सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया है (प्रतिनियुक्ति, अस्थायी, तदर्थ, अनुबंध/सेवा अनुबंध या दैनिक मजदूरी के आधार पर या तो सीधे या किसी एजेंसी के माध्यम से।, कंपनी के ठेकेदार, सह–कार्यकर्ता, एक ठेका श्रमिक, परिवीक्षाधीन, प्रशिक्षु, आदि) और यह कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है।

कंपनी के चार अधिकारियों और एनजीओ के एक बाहरी सदस्य के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कंपनी की पांच सदस्यीय शिकायत समिति है। इसके अलावा, यौन उत्पीड़न के निषेध से संबंधित प्रावधान को भी नियमन, अनुशासन और अपील नियमों में शामिल किया गया है। वर्ष के दौरान या पिछले वर्ष से लंबित कंपनी द्वारा यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली में महिलाओं के नेतृत्वकर्ता 'के रूप में नए कर्मचारियों और प्रबंधन विकास कार्यक्रम के प्रेरण प्रशिक्षण के लिए कंपनी द्वारा प्रदान किया गया प्रशिक्षण मॉड्यूल लैंगिक संवेदनशीलता / यौन उत्पीड़न के विषय को कवर करता है। इसके अलावा, कंपनी ने कॉरपोरेट कार्यालय में कर्मचारियों के लिए विभिन्न स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी बातें आयोजित कीं जैसे 'लाइफस्टाइल एंड हार्ट डिजीज एंड कैंसर के उपचार में हाल ही में उन्नति', डॉ संजीव शर्मा, वरिष्ठ सलाहकार कार्डियोलॉजी और डॉ इरफान बशीर, सलाहकार, विकिरण बत्रा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर से ऑन्कोलॉजी मैक्स हेल्थकेयर अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा 'खर्राटे लेने के कारण और देखभाल'।

ठ. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और संवहनीयता

इस विश्वास से उपजा कि समाज से जो आता है वह समाज को वापस जाना चाहिए, संगठन की संस्कृति में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संवहनीयता का भाव अत्यंत गहरा हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

इरकॉन ने लंबे समय से सामाजिक जिम्मेदारी को अपनी समग्र व्यावसायिक कार्यनीति के एक एकीकृत भाग के रूप में मान्यता दी है। हमारा मानना है कि एक मजबूत व्यवसाय और एक स्वस्थ समुदाय के बीच एक निश्चित संबंध है। वे पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं, और आज, यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि हम सभी को यह पता चलता है और समावेशी अर्थव्यवस्थाओं और संस्कृतियों को आकार देने और सभी के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए एक साथ आते हैं।

हमारी कार्यनीति हमारे समुदायों को काफी हद तक प्रभावित करने के लिए ठोस और विचारशील पहल विकसित करना है। हम अपने व्यापार के संचालन और हमारे हितधारकों के साथ बातचीत में सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को ध्यान से एकीकृत

करते हैं। हमारी सीएसआर गतिविधियां शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्रों में विस्तार करती हैं 'पर्यावरण संवहनीयता' स्वच्छ पानी और स्वच्छता, खेल घरों और आश्रय, संस्कृति और विरासत, ग्रामीण परिवर्तन, और केंद्र सरकार द्वारा स्थापित पीएम केयर फंड में योगदान शामिल है।

कंपनी में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संवहनीयता नीति (सीएसआर) है, जो कंपनी की सीएसआर गतिविधियों को संचालित करने के लिए दिशा–निर्देश प्रदान करती है, जो कि कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों पर 10.04 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसके अलावा, लोक उद्यम विभाग ने सीएसआर व्यय के लिए दिशा–निर्देश जारी किए हैं। दिनांक 10 दिसंबर, 2018, और 29 मई, 2019 को, सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों को अंतर–विषयक सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए एक विषय–आधारित दृष्टिकोण अपनाने, विषयगत कार्यक्रमों के लिए वार्षिक सीएसआर आवंटन का 60 प्रतिशत खर्च करने और वरीयता देने को अंगीकार करने के लिए कहा गया है। वित्त वर्ष 2019–20 के लिए, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण को 2019–20 के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए एक सामान्य विषय के रूप में रखा गया है। वित्त वर्ष 2019–20 के लिए इरकॉन सीएसआर बजट 9.88 करोड़ रुपये था, और प्रधानमंत्री केयर निधि में किया गया योगदान कुल 5.38 करोड़ रुपये के शेष बजट के मुकाबले 4.5 करोड़ रुपये है। इरकॉन ने लोक उद्यम विभाग की थीम अर्थात स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के प्रति वित्त वर्ष 2019–20 के लिए 3.76 करोड़ रूपए व्यय किए हैं जो कि शेष बजट का 69.88 प्रतिशत है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 एवं उसके अध्याधीन निर्मित्त नियमों के अंतर्गत कार्पोरेट सामाजिक दायित्व क्रियाकलापों के संबंध में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संवहनीयता रिपोर्ट संलग्न है तथा यह इस रिपोर्ट का अंग है।

गुणवत्ता पर्यावरण, तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन

वर्ष 1996 से जब टीयूवी एसयूडी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कम्पनी को समग्र रूप से पहली बार आइएसओ 9002 के लिए प्रमाणित किया गया था, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यू एम एस) को सफलतापूर्वक चलाया तथा निरंतर उन्नत किया गया है। आपकी कंपनी ने अद्यतन संशोधित कोड आईएसओ 9001:2015 (तीन वर्ष के समापन के पश्चात आवधिक पुनःप्रमाणन लेखापरीक्षा द्वारा) के अनुसार प्रमाणन जारी रखा है। अद्यतन पुनः प्रमाणन लेखापरीक्षा जनवरी, 2020 में की गई है, जिसके द्वारा कंपनी को मार्च, 2023 तक अन्य तीन वर्षों के लिए टीयूवी एसयूडी द्वारा पुनःप्रमाणित किया गया है।

तदनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष आरंभ की कई तकनीकी ज्ञान के साझेदारी की पहल को जारी रखा है। तदनुसार, कंपनी ने आईएस/आईआरसी/आईआरएस तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय विषयों, कोडों, प्रपत्रों को साझा किया है जो उच्च सुदृढ़ कंक्रीट – खनिज संयोजना वाला कंक्रीट, सामेंट – एन इनसाइड व्यू, नियर मिस इरकॉन का मिशन सुरक्षा, पम्पेबल कंक्रीट, तथा निर्माण परियाजनाओं में जोखिम प्रबंधन विषयों के संबंध में कंपनी के इंजीनियरों/प्रबंधकों को तकनीकी ज्ञान में संवर्धन हुआ है। इसके अतिरिक्त, निर्माण गतिविधियों के कारण पर्यावरण प्रभाव आंकलन पर विभिन्न ब्यौरों, और निर्माण परियोजनाओं के लिए जोखिम चिह्नन तथा जोखिम आकलन (एचआईआरए) को भी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है ताकि ज्ञान को साझा किया जा सके और परियोजना स्तरों पर अपेक्षित अभिलेखों को तैयार करने में परियोजनाओं की मदद की जा सके।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, इरकॉन को दिनांक 20 अप्रैल 2019 को फिक्की से गुणवत्ता प्रणाली में अच्छी पद्धति के लिए प्रशंसा प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।

आपकी कंपनी को टीयूवी एसयूवी साउथ एशिया द्वारा दिसम्बर, 2012 को व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएएस–बीएस 18001 : 2007) के लिए भी प्रमाणित किया गया है। आपकी कंपनी ने व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रणाली को अद्यतन किया है और दिनांक 28 दिसंबर, 2018 को आईएसओ:45001–2018 प्रमाणपत्र प्राप्त किया है और यह प्रमाणपत्र दिसंबर 2021 तक वैध है। स्थल की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कार्य के दौरान ठेकेदारों द्वारा गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों के क्रियान्वयन हेतु ठेके की सामान्य शर्तों के खंड में संशोधन किया गया है।

निगमित गुणवत्ता परिषद् तथा परियोजना गुणवत्ता परिषद की बैठकें क्रमशः निगमित कार्यालय तथा परियोजनाओं में तिमाही आधार पर आयोजित की गई थी ताकि क्यूएमएस, ईएमएस तथा ओएचएसएएस के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा सके। गुणवत्ता उद्देश्यों को निगमित तथा परियोजना दोनों ही स्तरों पर मापा गया था और इनकी समीक्षा की गई थी। सभी परियोजनाओं तथा निगमित कार्यालय में आंतरिक गुणवत्ता ऑडिट तथा गुणवत्ता आश्वासन ऑडिट किया गया था। इन ऑडिटों की रिपोर्टों में न केवल ऑडिट के दौरान सामने आए गैर–अनुपालन का ब्यौरा होता है बल्कि प्रमुख विशेषताओं, प्रगति सकारात्मक बिन्दु, यदि कोई हों, और सुधार के क्षेत्रों का भी उल्लेख होता है।

पर्यावरण प्रबंधन

आपकी कंपनी ने पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) स्थापित की है और इसे अक्तूबर, 2011 में आईएसओ 14001:2004 के लिए प्रमाणित किया गया है। आईएसओ 14001:2015 के लिए अद्यतन पुनःप्रमाणन लेखापरीक्षा जनवरी, 2020 में किया गया है, जिसके द्वारा अगले तीन वर्षों यथा फरवरी, 2023 तक कंपनी को पुनःप्रमाणित किया गया है।

कंपनी प्रमुख भारतीय परियोजनाओं के लिए पर्यावरण अधिकारियों को ईएमएस और उनके संबंधित परियोजनाओं पर पर्यावरण कानूनों के अनुपालन की निगरानी के लिए नामित करती है, और ठेकेदार द्वारा पर्यावरण प्रबंधन मानकों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी की संविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) में भी शामिल किया गया है। पर्यावरणीय जाँच सभी परियोजनाओं द्वारा विकसित और प्रचालिपत की गई है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण सहिष्णु उपकरणों जैसे सौर पैनलों को भी विभिन्न कार्यालयों/परियोजनाओं में संस्थापित किया

गया है। सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) के माध्यम से अपशिष्ट जल की रीसाइकलिंग की जाती है, और इसे हॉर्टिकल्चर कार्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है। सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) का निर्माण नोएडा, गुडगांव, तथा एमएफसी भवनों में भी किया जा रहा है।

विद्युत और जल के संरक्षण को लिए निगमित कार्यालय में एलईडी लाइट, सेंसर लाइट और सेंसर नलों का प्रयोग किया जा रहा है। कंपनी के विभिन्न कार्यालयों/परियोजनाओं में विभिन्न पर्यावरण सहिष्णु कदम उठाए जा रहे हैं जैस, मिट्टी की ईंटों के स्थान पर फ्लाई ऐश की इंटों का प्रयोग, वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था, सेंसर नियंत्रित क्रोमियम प्लेट फिटिंग, नवीनतम प्रकार के फेसेड ग्लास (भवनों में ग्लास) का प्रयोग, ताकि भवन को धारणीय बनाया जा सके।

ड. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन एवं उन्नयन

ऊर्जा का संरक्षण

ऊर्जा संरक्षण पर प्रभाव के प्रति किए गए उपायः

कंपनी ने रेल कोच फैक्ट्री, रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में 22.49 करोड़ रूपए मूल्य के साथ 3 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र ग्रिड क्नेक्टिड डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग का काम एवं संबंधित उपकरणों सहित सिविल वर्क्स का कार्य पूरा कर लिया है। संयंत्र पूरी तरह से चालू है और कारखाने के लिए लगभग 36 प्रतिशत विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा कर रहा है।

इसके अलावा, इरकॉन द्वारा प्रौद्योगिकी भवन, नई महरौली रोड, नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की छत पर इलैक्ट्रिक्ल एवं सम्बद्ध उपकरणों के साथ संरचना कार्यों सहित 218केडब्ल्यूपी क्षमता ग्रिड–इंटरेक्टिव रूफटॉप सौर फोटोवोल्टिक विद्युत उत्पादन संयंत्र डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण के लिए 1.53 करोड़ रूपए मूल्य का ऑर्डर जारी किया गया है।

इसके अलावा, पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए कॉरपोरेट ऑफिस की इमारतों में अतिरिक्त कैपेसिटर बैंक स्थापित किए गए हैं, जो लगभग 12–15 प्रतिशत विद्युत ऊर्जा खपत को कम कर देंगे।

(क) कॉर्पोरेट ऑफिस में अतिरिक्त 10 किलोवाट रूफ टॉप ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना ऊर्जा संरक्षण का उपाय है। यह सौर ऊर्जा संयंत्र 80 किलोवाट की मौजूदा क्षमता के अतिरिक्त है और इसे हरित ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से पर्यावरण में योगदान देने वाले ऊर्जा ऑडिट के बाद लागू किया गया है। सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा उत्पादित कुल ऊर्जा केडब्ल्यूएच की 44,853 इकाइयाँ हैं जो कि बीएसईएस से प्राप्त की जा रही ऊर्जा का 3.1 प्रतिशत है, यानी 14,27,380 यूनिट या केडब्ल्यूएच । इसलिए, प्रति वर्ष कुल ऊर्जा संरक्षण 3.1 प्रतिशत है।

(ख) पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय भवन में कैपेसिटर बैंक स्थापित किए गए हैं, जो विद्युत ऊर्जा की खपत को और कम करता है। कैपेसिटर बैंकों द्वारा बचाई गई कुल ऊर्जा प्रतिवर्ष 2,20,903 यूनिट अथवा केडब्ल्यूएच है।

(ग) ऊर्जा–कुशल एलईडी लैंप द्वारा कॉर्पोरेट कार्यालय भवन की आंतरिक प्रकाश व्यवस्था भी लगभग 3,00,000 यूनिट या केडब्ल्यूएच प्रति वर्ष ऊर्जा की बचत की जा रही है। ।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत बढ़ाने के लिए कंपनी द्वारा किए गए उपाय :

कंपनी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का निम्नलिखित उपयोग कर रही हैः

(क) डीजल जेनरेटर सेट – प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के नए उत्कृष्ट भवन में – 1500 केवीए के x 2 सेट।

(ख) यूपीएस – प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के नए उत्कृष्ट भवन में 1 x 100 केवीए का 1 x 60 केवीए का 1 x 15केवीए।

ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजी निवेश :

वर्ष के दौरान, कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर कोई पूंजी निवेश नहीं किया है।

प्रौद्योगिकी आमेलन और उन्नयन

प्रौद्योगिकी के आमेलन के लिए किए गए उपायः

प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए, कंपनी ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, सीटीपी–12 (डीएफसी परियोजना) के लिए एक नई ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन खरीदी है, जिसे डीएफसी परियोजना में ट्रैक करने में उत्पादकता, सुरक्षा, दक्षता और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सफलतापूर्वक कमीशन किया गया है। वर्तमान में, केवल दो कंपनियों के पास यह मशीन है। संयंत्र एवं मशीनरी में किया गया यह संवर्धन डीएफसी परियोजना में से 102.67 करोड़ रुपये की राशि के उपयोग से किया गया है, जिसमें पूंजी कार्य प्रगति पर से संबंधित पिछले वर्ष के 46.89 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इसके अलावा, पारदर्शिता, जवाबदेही, डेटा सत्यनिष्ठा में संवर्धन एवं कार्यस्थल में अधिक सहयोग और प्रभावी ज्ञान प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए ई–ऑफिस का उपयोग कॉर्पोरेट कार्यालय, और अन्य परियोजना कार्यालयों में जनवरी 2020 से शुरू किया गया है।

उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास अथवा आयात विकल्प के उपयोग से प्राप्त लाभ लाभ

एनटीसी मशीन के उपयोग 260 मीटर लंबे रेल पैनल को यूनिफार्म स्लीपर के साथ और न्यूनतम मैनुअल इंटरफेस के साथ रखा जा सकता है। यह प्रति दिन 1.5 किमी ट्रैक बिछाने की बेहतर गुणवत्ता और ट्रैक बिछाने की तीव्र प्रगति सुनिश्चित करता है।

यदि प्रौद्योगिकी आयात की गई है (पिछले तीन वर्षों में किए आयात का वर्ष के प्रारंभ से विवरण दें)

क. आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण

मशीन द्वारा 260 मीटर लंबाई में लंबे रेल पैनल बिछाने की तकनीक का उपयोग भारतीय रेल के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रेल मंत्रालय के

अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का केन्द्रीय उपक्रम, द्वारा किया जा रहा है। इरकॉन ने भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक ठेकेदार होने के कारण इस नई ट्रक मशीन (एनटीसी) की खरीद मैसर्स हरस्को, यूएसए से इसके सुपरवीजन के साथ की है, जिससे लंबे समय में प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए कुशल बनाने के लिए परियोजना में तैनात हमारी भारतीय टीम को प्रशिक्षित किया जा सके।

ख. आयात का वर्ष 2019

ग. क्या तकनीक का पूरी तरह से दोहन कर लिया गया है।

अब तक, 8.5 ट्रैक किलोमीटर लंबे पैनल (स्कोप 372 किलोमीटर) बिछाए गए हैं।

घ. यदि पूरी तरह से दोहन नहीं किया गया है, तो ऐसे क्षेत्र कौन से हैं जहां दोहन नहीं हुआ, और इसके कारण क्या हैंय

विभिन्न साइट बाधाओं के कारण एनटीसी का उपयोग करते हुए लंबे रेल पैनलों के बिछाने में 1–1 / 2 से 2 वर्ष का समय लग सकता है और तदनुसार इस तकनीक का दोहन एक धीमी प्रक्रिया होगी।

ढ. अनुसंधान और विकास

कंपनी किसी भी शुद्ध अनुसंधान परियोजना का केवल कार्य ही नहीं करती है, अपितु तकनीकी क्षमता और दक्षता को बढ़ाने के लिए आवश्यक गुणवत्ता के साथ, लागत प्रभावी तरीके से परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए नए तरीके विकसित करने के लिए सलाहकारों और फर्मों की मदद भी लेती है।

ण. सूचना प्रौद्यौगिकी एवं ईआरपी

कंपनी में सूचना प्रौद्योगिकी न केवल सेवा प्रदाता है बल्कि इसका प्रयोग उत्पादकता संवर्धन के लिए भी किया जाता है। आपकी कंपनी ने सूचना की उपलब्धता, पारदर्शिता और नीति निर्धारण में सुधार लाने के लिए वित्तीय नियंत्रणों और मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्रों में सेप ईसीसी आधारित उपक्रम संसाधन नियोजन (ईआरपी) ऐप्लिकेशन को क्रियान्वित किया है। संगठन की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली को स्वचालित बनाने के लिए सेप बिजनेश ऑब्जेक्ट (सेप बीओ) को भी क्रियान्वित किया गया है। ये रिपोर्टिंग टूल सेप ईसीसी से रियल–टाइम डाटा एकत्र करता है और तुलनपत्र, लाभ हानि विवरण, इक्विटी परिवर्तन विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण को मांग आधार पर तैयार करने में मदद करता है। इस स्वचालित प्रणाली से तिमाही/वर्ष के अंत में लेखा बहियों को तैयार करने और अंतिम रूप प्रदान करने में समय और प्रयास में व्यापक कमी हुई है। इरकॉन वर्तमान में संगठन की एंड–टू–एंड व्यावसायिक प्रक्रियाओं को शामिल करने के लिए एसएपी एस/4 एचएएनए को कियान्वित करने की प्रक्रिया में है। सेप उच्च उपलब्ध सुरक्षा और क्षमता संवर्धन हेतु लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए क्लाउड पर होस्ट करता है।

कागज रहित कार्यालय की दिशा में एक कदम के रूप में, फाइलों और नोट शीटों के अनुमोदन के लिए एनआईसी से ई–ऑफिस प्रणाली को ऑनलाइन पद्धति को लागू किया गया है और भौतिक फाइल प्रणाली को बदल दिया है। ई–ऑफिस प्रणाली को पहले से ही इरकॉन की सभी घरेलू और विदेशी परियोजनाओं के लिए लागू किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का व्यापक रूप से प्रशिक्षण, पदोन्नति साक्षात्कार आदि के साथ–साथ परियोजना प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करने के लिए उपयोग किया जा रहा है, विशेष रूपए से कोविड–19 के इस काल में, इसे परियोजनाओं के प्रभावी और कुशल समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक माना जा रहा है और बोर्ड और उसकी समिति की बैठकों सहित अन्य बैठकें में इसका प्रयोग किया जा रहा है। कर्मचारियों के लिए इंट्रानेट एप्लिकेशन को कर्मचारियों की सूचना की जरूरतों को पूरा करने के लिए पुनर्निधारित किया गया है, जिसमें कर्मचारी स्वयं सेवा (ईएसएस) कार्यक्षमता शामिल है और इसमें अवकाश और उपस्थिति, वेतन पर्ची और भविष्य निधि (पीएफ) स्लिप आदि का ऑनलाइन अवलोकन शामिल है।

कंपनी ने कर्मचारियों के मोबाइलों और ब्रिंग योर ओन डिवाइज (बीवाईओडी) को कंपनी के नेटवर्क से सम्पर्कता उपलब्ध कराने के लिए निगमित कार्यालय में उचित सुरक्षा सुविधाओं के साथ वाई–फाई को आरंभ किया है। संगठन में खरीद प्रक्रिया में कार्यकुशलता में सुधार लाने और पारदर्शिता लाने के लिए, ई–प्रोक्योरमेंट प्लेटफार्म को जीईपीएनआईसी में लागू कर दिया गया है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है।

कंपनी ने डिजिटल संव्यवहारों और परियोजना सम्पर्कता के लिए अत्याधुनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए निगमित कार्यालय में अपने नटवर्क अवसंरचना को अद्यतन किया है। सूचना और साइबर सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, साइबर–अटैक या डाटा की चोरी के निवारण के लिए अद्यतन थ्रेट प्रबंधन टूल्स को प्रयोग किया जा रहा है।

त. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस के दिशा–निर्देशों का पूरी तरह से विकास और पालन करने का सुनिश्चय मात्र सुनिश्चित लंबी अवधि के शेयरधारक मूल्य को बढ़ावा देने के लिए बल्कि अल्पसंख्यक अधिकारों का सम्मान करने के लिए भी करती है। कंपनी के संचालन, प्रदर्शन, नेतृत्व और गवर्नेंस की सामयिक और सही जानकारी का प्रकटीकरण करना कंपनी की अंतर्निहित जिम्मेदारी है।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण दायित्व) विनियम 2015, नियम 34 और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अनुपालन प्रमाणपत्रों के साथ इस रिपोर्ट का एक भाग है।

निदेशक मंडल एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी के ग्यारह निदेशक हैं, जिनमें से चार पूर्णकालिक निदेशक हैं अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (परियोजनाएं) और निदेशक (निर्माण), दो सरकारी नामित निदेशक हैं, और एक–महिला निदेशक सहित पांच

स्वतंत्र निदेशक हैं।

28 दिसंबर, 2018 से, कंपनी के निदेशक मंडल में कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निर्धारित के अनुसार नहीं है। वर्ष के समापन के बाद, दो स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) का कार्यकाल पूरा हो गया था। तदनुसार, कंपनी ने सांविधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र निदेशक (महिला निदेशक सहित) की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति के लिए रेल मंत्रालय से अनुरोध किया है।

नियुक्त किए गए निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा वे जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है।

रेल मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, बोर्ड ने श्री हरि मोहन गुप्ता, अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक (डीआईएनः 08453476) के रूप में 15 मई, 2019 से नियुक्त किया गया है, जिनका नियमन 3 सितंबर, 2019 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम सभा (एजीएम) में निदेशक के पद पर किया गया था और श्री श्याम लाल गुप्ता, निदेशक (परियोजनाएँ) (डीआईएनः 07598920) जिन्हें 1 नवंबर, 2019 को एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, तथा वे वार्षिक आम सभा की आगामी तिथि तक कार्यालय संभालेंगे। श्री श्याम लाल गुप्ता पुनः नियुक्ति के लिए खुद को योग्य मानते हैं और निदेशक के रूप में नियमितीकरण का प्रस्ताव वार्षिक आम सभा के नोटिस का हिस्सा है।

इसके अलावा, रेल मंत्रालय के आदेश के संदर्भ में, श्री अविनेश माट्टा (डीआईएनः 00011749) और प्रो. वसुधा वी. कामत (डीआईएनः 07500096) ने स्वतंत्र रूप से इरकॉन के निदेशक मंडल में 15 जुलाई, 2019 से स्वतंत्र निदेशक अंशकालिक (गैर–) आधिकारिक), के पद पर पुनः कार्यभार सम्हाल लिया है, उनका कार्यकाल 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो गया था।

अन्य निदेशक, जिनका कार्यकाल वर्ष के दौरान समाप्त हुआ है।

1. श्री सुखमल चंद जैन, 08 मई 2019 को अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक, (रेल मंत्रालय द्वारा नामांकन में बदलाव के कारण)।
2. श्री दीपक सबलोक, निदेशक (परियोजनाएँ) 31 अक्टूबर, 2019 (अधिवार्षिता के कारण)।
3. श्री पीयूष अग्रवाल, अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक 31 मार्च, 2020 (अधिवार्षिता के कारण)।

वर्ष के समापन के पश्चात नियुक्त किए गए निदेशक

वित्तीय वर्ष 2019–20 के समापन के बाद, श्री सुधीर कुमार (डीआईएनः 01429832), अतिरिक्त सदस्य (नियोजन) रेलवे बोर्ड को कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक के रूप में 12 मई, 2020 से नियुक्त किया गया।. 30 जून, 2020 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप, वह रेलवे बोर्ड के अपर सदस्य (योजना) के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, और इसलिए इरकॉन में अब वे निदेशक नहीं हैं। इसके अलावा, श्री आशुतोष गंगाल (डीआईएनः 07057313) सलाहकार (योजना), रेलवे बोर्ड को कंपनी के निदेशक मंडल में अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 27 अगस्त, 2020. उन्हें कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और वे वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तारीख तक कार्यालय में रहेंगे। श्री आशुतोष गंगाल का विवरण आगामी वार्षिक आम सभा में नियमन के लिए कम्पनी द्वारा जारी वार्षिक आम सभा के नोटिस में दिया गया है।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कंपनी को सभी स्वतंत्र निदेशकों से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के अनुसार सूचीकरण विनियमों के विनियम 16 और 25 (8) के अनुसार पठनीय व्यवस्था में उनसे धारा कम्पनी अधिनियम की धारा 149(6) एवं सूचीकरण विनियमों के विनियम 16 (1) (बी) और 25 (8)के अंतर्गत स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करने के संबंध में घोषणा किए जाने की अपेक्षा की गई है। निदेशक मंडल द्वारा घोषणाओं को नोट कर लिया गया है।

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में कुछ अधिसूचनाएँ जारी की हैं, जो मानेसर, हरियाणा में भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के लिए डेटा बैंक के निर्माण और रखरखाव से संबंधित हैं। तदनुसार, सभी स्वतंत्र निदेशकों ने आईआईसीए के डेटा बैंक पर अपना नाम दर्ज किया है। ऑनलाइन प्रवीणता स्व–मूल्यांकन परीक्षा 202 दिसंबर तक दी जा सकती है।

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने सभी पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नामित किया है और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और निदेशक (वित्त) को क्रमशः मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं – श्री सुनील कुमार चौधरी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री मुकेश कुमार सिंह, निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी, श्री योगेश कुमार मिश्रा, निदेशक वर्क्स), श्री दीपक सबलोक, निदेशक (परियोजनाएँ) (30.10.2019 तक), श्री श्याम लाल गुप्ता, निदेशक (परियोजनाएँ) (01.11.2019 से) और सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव।

निदेशकों की रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत रोटेशन तक निदेशकों की सेवानिवृत्ति के संबंध में किए गए प्रावधान स्वतंत्र निदेशकों पर लागू नहीं होंगे। इसे देखते हुए, किसी भी स्वतंत्र निदेशक को रोटेशन से सेवानिवृत्त नहीं माना जाता है। तथापि, अन्य सभी निर्देशकों को रोटेशन से सेवानिवृत्त माना जाता है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसार, अन्य सभी निदेशकों के बीच एक तिहाई (अतिरिक्त निदेशकों को छोड़कर जिनका कार्यकाल वार्षिक आम सभा में समाप्त होगा) अर्थात् श्री मुकेश कुमार सिंह (डीआईएनः 06607392) रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्त किए जाने हैं

तथा पात्र होने के नाते वे पुनः नियुक्ति के लिए खुद को प्रस्तुत कर सकते हैं।

आगामी वार्षिक आम सभा में नियुक्ति / पुनः नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों का ब्योरा कंपनी के वार्षिक आम सभा को नियुक्त करने वाले नोटिस में निहित है।

निदेशक मंडल की बैठकें

निदेशक मंडल ने 15 मई, 2019, 28 मई, 2019, 12 जुलाई, 2019, 8 अगस्त,2019, 16 अक्टूबर, 2019, 24 अक्टूबर, 2019, 13 नवंबर 2019, 17 दिसंबर, 2019 और 11 फरवरी, 2020 को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नौ बैठकें की थी। । बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई दिशानिर्देशों और सूचीबद्ध विनियमों के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गई थीः

समितियां	वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान आयोजित बैठकें
लेखा परीक्षा समिति	9
नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	6
स्टेकधारक सम्बद्ध समिति	2
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं सवहनीयता समिति	3
परियाजना प्रगति समीक्षा समिति	4
जोखिम प्रबंधन समिति	2
स्वतंत्र निदेशक समिति	1

निदेशक मंडल की बैठकें आमतौर पर नई दिल्ली में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। तथापि, इस मामले पर लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार और देश में पर्यटन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए निदेशक मंडल की एक बैठक जम्मू और कश्मीर में आयोजित की गई थी।

नए निदेशकों का चयन तथा निदेशक मंडल की सदस्यता के मापदंड

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, इरकॉन के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय के माध्यम से की जाती है।

निदेशकों की प्रमुख योग्यता, कौशल, विशेषज्ञता और विशेषताएं कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दी गई हैं।

मूल्यांकन

इरकॉन रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सरकारी कंपनी है। सभी निदेशकों के चयन की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है और सभी निदेशकों की नियुक्ति इस प्रक्रिया द्वारा ही की जाती है। क्रियात्मक निदेशकों सहित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का चयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और दिशानिर्देशों के अनुसार लोक उपक्रम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा किया जाता है और लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा क्रियात्मक निदेशकों सहित सीएमडी के मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्धारित है। क्रियात्मक निदेशकों के कार्यनिष्पादन के आकलन हेतु मूल्यांकन फ्रेमवर्क के प्रमुख क्षेत्र निम्नानुसार हैंः

क. रेल मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कंपनी का कार्यनिष्पादन।

ख. संबंधित निदेशक के लिए निर्धारित लक्ष्य के संबंध में कार्यनिष्पादन।

ग. संबंधित क्रियात्मक निदेशकों द्वारा स्वःमूल्यांकन सहित मूल्यांकन और तत्पश्चात सीएमडी द्वारा आकलन, और इसके पश्चात रेलवे बोर्ड (प्रशासनिक मंत्रालय) द्वारा अंतिम मूल्यांकन।

ध. सीएमडी के संबंध में मूल्यांकन में स्वःमूल्यांकन और रेल मंत्रालय द्वारा अंतिम मूल्यांकन शामिल है।

सरकारी नामिति निदेशकों के संबंध में, उनका मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। चूंकि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भी भारत सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए उनका मूल्यांकन भी रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

कंपनी की पारिश्रमित नीति और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए प्रक्रिया और नीति और उनके पारिश्रमिक को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन हेतु पारिश्रमिक नीतिः

इरकॉन के सरकारी कंपनी होने के कारण, इसके क्रियात्मक निदेशकों, वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों और अन्य सभी कर्मचारियों को पारिश्रमिक का भुगतान लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड–178(4) की शर्तों में अपेक्षित अनुसार, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की मुख्य विशेषताएं कंपनी की वेबसाईट पर वेब एड्रेस www.ircon.org (एचआरएम एवं केरियर खंड) पर प्रस्तुत है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम–5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड–197 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि वह निदेशक की रिपोर्ट में निदेशकों के पारिश्रमिक आदि के ब्यौरे को प्रकट करे। तथापि, निगमित कार्य मंत्रालय, द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड–197 के प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्राप्त है। तदनुसार, चूंकि इरकॉन एक सरकारी कंपनी है, इसलिए इस प्रकार के विवरणों को निदेशक की रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

तथापि, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का प्रकटन निगमित शासन रिपोर्ट में किया गया है।

आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था और आंतरिक लेखा परीक्षा

कंपनी में कंपनी अधिनियम,2013 के प्रावधानों के अनुपालन में वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से चल रहे थे। नियंत्रणों को उचित लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में आश्वासन देने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कंपनी की नीतियों के पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, रोकथाम और धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाने और वित्तीय एवं परिचालन सूचनाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने सहित अपने व्यवसाय का क्रमबद्ध संचालन सुनिश्चित करता है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सहित) की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है, और बदलती व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के लिए आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में प्रदान किया गया है।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी में विस्तृत उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) संरचना है, जिसमें जोखिम की पहचान और उसके शमन के लिए जोखिम प्रबंधन नीति की व्यवस्था शामिल है।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण दायित्व) विनियम 2015 के अनुसार, जोखिम प्रबंधन समिति की आवश्यकता 1 अप्रैल, 2019 से लागू है। तथापि, कंपनी में पहले से ही एक निदेशक मंडल स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति है जिसमें निदेशक (परियोजनाएं), निदेशक (वित्त), निदेशक (कार्य) हैं। ।

वर्ष के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की दो बैठकें 9 सितंबर, 2019 और 4 मार्च, 2020 को आयोजित की गईं हैं।

जोखिम प्रबंधन प्रणाली का विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में प्रदान किया जाता है और जोखिम प्रबंधन समिति की रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दी जाती है।

व्हीसल ब्लोअर (सचेतक) नीति / सतर्क तंत्रव्यवस्था एवं सतर्कता क्रियाकलाप

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के पास अलग–अलग सतर्कता विभाग है जो कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, सलाहकारों, सेवा प्रदाता या कंपनी के साथ व्यापार करने वाले किसी अन्य दल के कर्मचारियों/प्रतिनिधियों के साथ धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी के मामले देखते है। सचेतक एवं जालसाजियों से रोकथाम एवं निवारण नीतियां निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई हैं और कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कंपनी के पास कर्मचारियों और निदेशकों के लिए आवश्यक सतर्कता तंत्र है, जो अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति का उल्लंघन, अप्रकाशित संवेदनशील जानकारी के दुरूपयोग करने के बारे में प्रबंधन को रिपोर्ट करने के लिए हैं । यदि कोई इस नीति के तहत कोई सूचना देता है तो शिकायतकर्ता को किसी भी तरह से प्रतिशोध या प्रतिशोध (भेदभाव, प्रतिशोध, उत्पीड़न या प्रतिशोध सहित) के किसी भी रूप में पीड़ित होने का जोखिम नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, इरकॉन या लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

सतर्कता से संबंधित मामलों में सतर्कता विभाग शीर्ष प्रबंधन के लिए एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के नेतृत्व में है।

विभाग निविदाओं और अनुबंधों की निवारक जाँच, कार्यों के निष्पादन, और अन्य कार्यों के साथ–साथ शिकायतों की जाँच करने के माध्यम से निर्धारित दिशानिर्देशों / प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। वित्तीय वर्ष 2019:2020 के दौरान, विभाग ने 01 औचक निरीक्षण किए और उच्च–मूल्य वाली परियोजनाओं पर 09 आवधिक निरीक्षण किए। औचक और आवधिक निरीक्षण विभाग के अलावा कॉर्पोरेट कार्यालय से मंगाई गई उच्च–मूल्य निविदाओं पर 03 निवारक निरीक्षण किए गए हैं। मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन केंद्रीय सतर्कता आयोग की तकनीकी शाखा ने भी 01 परियोजना की व्यापक जांच की है।

विभिन्न प्राधिकरणों (जैसे सीवीसी / रेलवे बोर्ड सतर्कता, सीबीआई और प्रधान मंत्री कार्यालय) द्वारा अधिकारियों और प्रक्रियाओं के खिलाफ की गई शिकायतों और अन्य स्रोतों से प्राप्त उनकी तार्किक निष्कर्ष पर जांच की गई। 2019:20 के दौरान, विभाग को कुल 15 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 10 शिकायतों का निपटारा किया गया। ज्यादातर शिकायतें टेंडर देने से जुड़ी हैं। इसके अलावा, सीटीईओ द्वारा उठाए गए पारस को बंद करने के लिए कदम उठाए गए। कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, वाद–विवाद, और प्रतियोगिताओं के माध्यम से निष्पादन में नियमों / प्रक्रियाओं / सामान्य अनियमितताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, कर्मचारियों की अचल संपत्ति रिटर्न की जांच करना विभाग की प्रमुख गतिविधियाँ हैं।

बेहतर पारदर्शिता के लिए 'प्रौद्योगिकी का उत्थान' की दिशा में एक कदम के रूप में, अधिकारी द्वारा ऑनलाइन अचल संपत्ति रिटर्न जमा करना 2012–13 के दौरान शुरू किया गया था, और यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक चल रही है। हमारे इंट्रानेट पोर्टल के माध्यम से संगठन में ऑनलाइन सतर्कता मंजूरी 1 अप्रैल 2014 से शुरू हुई। कंपनी की वेबसाइट पर सतर्कता अनुभाग/पोर्टल www.ircon.org में दिसंबर 2012 से ऑनलाइन शिकायतें प्राप्त करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। सभी मूल्यों के प्रति पारदर्शिता के लिए व्यापक रूप से ई–प्राप्ण को 1 जुलाई, 2013 से संगठन में शुरू कर दिया गया है।

एक नई पहल के रूप में, इरकॉन द्वारा एक एप्लिकेशन जारी की गई है, जिसका नाम है "इरकॉन कैरियर"। यह एप्लिकेशन सार्वजनिक डोमेन में है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बड़े पैमाने पर जनता इरकॉन में भर्ती गतिविधियों के बारे में मोबाइल फोन पर अलर्ट और अपडेट प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा, कंपनी का एक और एप्लिकेशन भी है, जिसका नाम है ''टेंडर इन्फो''। इरकॉन

के निविदा विजार्ड पोर्टल पर होस्ट की जाने वाली सभी निविदाओं को इस मोबाइल ऐप पर भी देखा जा सकता है।

इसके अलावा, इरकॉन ने सत्यनिष्ठा संधि लागू किया है, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा विकसित एक उपकरण है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी कंपनी या सरकारी विभागों और उनके आपूर्तिकर्ताओं के बीच सभी गतिविधियों और लेनदेन को निष्पक्ष, पारदर्शी और भ्रष्टाचार–मुक्त तरीके से नियंत्रित किया जाए। इरकॉन में सत्यनिष्ठा संधि को लागू करने के लिए इरकॉन और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के बीच 22 अप्रैल, 2014 को समझौता ज्ञापन के माध्यम से किया गया था।

तदनुसार, इरकॉन ने 24 जून, 2014 से केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सुझाए गए कार्यों और आपूर्ति के लिए निविदाओं / अनुबंधों के लिए 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक की भारतीय परियोजनाओं पर अनुमानित मूल्य के साथ सत्यनिष्ठा संधि को अपनाया है। सत्यनिष्ठा संधि को सभी कार्यों के लिए मॉडल ई–प्रापण दस्तावेजों की शर्तों में एक अनिवार्य दस्तावेज बनाया गया था।

सत्यनिष्ठा संधि और केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंधित दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार, बिडर से किसी भी शिकायत को प्राप्त करने और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर भी नियुक्त किया गया है।

अनैतिक प्रथाओं को रोकने के लिए कदम उठाकर संगठन के कामकाज में निष्पक्ष, भयमुक्त और पारदर्शी वातावरण को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सतर्कता का प्रयास किया जाता है।

संबंधित पक्ष संव्यवहार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एच) और कंपनियों (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार, फॉर्म एओसी –2 में ''संबंधित पक्ष संव्यवहार का प्रकटन पृष्ठ संख्या 157 पर उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त, सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियमन 53 (एफ) के संदर्भ में प्रकटन वित्तीय विवरणों का भाग है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कम्पनी का निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि:–

i. वित्तीय लेखे तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है और इनमें कोई विशेष विचलन नहीं हुआ है बशर्ते वार्षिक वित्तीय लेखों में अन्यथा उल्लेख किया गया हो ।

ii. ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया था और उन्हें निरन्तर लागू किया गया था और ऐसे निर्णय लिए और अनुमान तैयार किए गए थे जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए तथा वर्ष 2018–19 के कम्पनी के लाभ के लिए कम्पनी की कार्य स्थिति का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत हो सके

iii. परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा छलकपट और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों के पर्याप्त रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है ।

iv. वित्तीय लेखे–सुनाम–प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किया गया है।

v. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्वीकार किया गया था और वे कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, तथा

vi. सभी लागू नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गईं थीं और ऐसी प्रणालियां उपयुक्त थीं और कुशलतापूर्वक कार्य कर रहीं थीं।

व्यवसाय उत्तरदेयता रिपोर्ट

सेबी के दिनांक 4 नवम्बर, 2015 के परिपत्र संख्या संख्या सीआईआर / सीएफडी / सीएमडी / 10 / 2015 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में सेबी सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण दायित्व) विनियम 2015 के विनियम 34 के प्रावधानों के अनुपालन में ''व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट'' पृष्ठ संख्या 81 पर प्रस्तुत की गई है। यह रिपोर्ट बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य है और इसमें पर्यावरण, सामाजिक और शासन के दृष्टिकोण से इरकॉन द्वारा की गई पहल का वर्णन किया गया है।

न. समझौता ज्ञापन रेटिंग / पुरस्कार

लोक उद्यम विभाग दिशानिर्देशों के संदर्भ में रेल मंत्रालय और इरकॉन के बीच समझौता ज्ञान किया जाता है

जिसके अंतर्गत चयनित मापदंडों पर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले तय किए गए लक्ष्य और परिणाम को मापने के लिए वर्ष के अंत के बाद मूल्यांकन किया जाता है। वर्ष 2018–19 के समझौता ज्ञापन मापदंडों और प्रदर्शन के आधार पर, कंपनी को 'उत्कृष्ट' वर्ग प्रदान किया गया है। वर्ष 2019–20 के लिए समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन अभी नहीं हुआ है।

कंपनी को वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार मिले हैं:

क्र.सं.	अवार्ड प्राप्ति की तिथि	अवार्ड का नाम	वर्ग / परियोजना
1	24.04.2019	सातवां फिक्की क्वालिटी सिस्टम एक्सीलेंस अवार्ड फार इंडस्ट्री	गुणवत्ता व्यवस्था में उत्तम व्यवहारों के लिए प्रशस्ती पत्र
2	25.10.2019	16वां आईसीएमएआई नेशनल अवार्ड फार एक्सीलेंस इन कॉस्ट मैनेजमेंट	अवसंरचना एवं निर्माण सेवाएं (प्रथम स्थिति)
3	20.12.2019	ईटी नॉव : स्टार्स आफ द इंडस्ट्री अवार्ड	प्रतिभा नेतृत्व अवार्ड – मानव संसाधन में उत्कृष्ता के लिए
4	06.01.2020	गोल्डन पीकॉक अवार्ड	जोखिम प्रबंधन
5	16.02.2020	ईटी नॉव : वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस अवार्ड	राष्ट्रीय उत्तम नियोक्ता ब्रांड
6	19.02.2020	7वां पीएसयू गवर्नेंस नॉव अवार्ड	भौगोलिक रणनीतिक पहुंच में संवर्धन के लिए
7	04.03.2020	गोल्डन पीकॉक अवार्ड	कार्पोरेट सामाजिक दायित्व
8	29.06.2019	स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट	शिवपुरी – गुना राजमार्ग परियोजना
9	29.06.2019	स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट	स्वचालित एनटीसी मशीन से ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया की तंत्रव्यवस्था
10	29.06.2019	स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट	क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (एचआरएम)

इसके अलावा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इरकॉन को निम्नलिखित अवार्ड प्रस्तुत किए गए थेः–

क्र.सं.	अवार्ड प्राप्ति की तिथि	अवार्ड का नाम	वर्ग
1	30.04.2019	इंस्टीट्यूट ऑफ इकॉनोमिक स्टडीज (आईईएस) अवार्ड, श्रीलंका	उत्कृष्ट वैश्विक नेतृत्व के लिए
2	20.12.2019	ईटी नॉव : स्टार्स आफ द इंडस्ट्री अवार्ड	मानव संसाधन अनुकूलन के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3	16.02.2020	ईटी नॉव : वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस अवार्ड	वर्ष के दौरान व्यापार नेतृत्व
4	19.02.2020	7वां पीएसयू गवर्नेंस नॉव अवार्ड	पीएसयू नेतृत्व

प्रश्न. लेखापरीक्षक

सांविधिक लेखापरीक्षक

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति निम्नानुसार की गई है :

सांविधिक लेखा परीक्षक	
के.जी. सोमानी एंड कम्पनी	कम्पनी के लिए पूर्ण रूप से

भारतीय परियोजनाओं के लिए भाखा लेखापरीक्षक	
के. जी. बोथरा एंड कम्पनी, कोलकाता	पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत सभी परियोजनाएं
प्रसाद आजाद एंड कम्पनी, नई दिल्ली	उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत सभी परियोजनाएं
गुप्ता गुप्ता एंड एसोसिएट्स,श्रीनगर	जम्मू व कश्मीर क्षेत्र के अंतर्गत सभी परियोजनाएं
के.डी.एस. एंड कम्पनी, मुम्बई	मुम्बई क्षेत्र के अंतर्गत सभी परियोजनाएं
टोडी तुल्सयान एंड कम्पनी	पटना क्षेत्र के अंतर्गत सभी परियोजनाएं

अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए शाखा लेखापरीक्षक	
मैसर्स कर्बल अहमाने	अल्जीरिया परियोजना
मैसर्स जयसिंहे एंड कम्पनी	श्रीलंका परियोजना
मैसर्स तोहा खान जमान एंड कं.	बांग्लादेश परियोजना

* मोजाम्बिक, अफगानिस्तान, इथोपिया, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया तथा भूटान में पूर्ण की गई विदेशी परियोजनाओं का लेखा परीक्षण कार्पोरेट कार्यालय के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा किया गया था।

लागत लेखापरीक्षक

कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा मैसर्स आर.एम.बंसल एंड कंपनी, लागत लेखाकार की सेवाएं वित्तीय 2019–20 के लिए कम्पनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में कम्पनी द्वारा अनुरक्षित लागत रिकार्ड का लेखापरीक्षण लागू नियमों/दिशानिर्देश नोटों इत्यादि के अनुसार करने के लिए प्राप्त की गई हैं।

साचिवीय लेखापरीक्षक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24ए के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा मैसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव की सेवाएं कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2019–20 का साचिवीय लेखापरीक्षण करने के लिए साचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में प्राप्त की गई हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षक

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक की सेवाएं निम्नलिखित से प्राप्त की गई हैं:–

अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए कम्पनी के कर्मचारियों को लेखापरीक्षण का कार्य सौंपा गया है।

ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों का विवरण

इरकॉन द्वारा अवसंरचना निर्माण के कार्य किए जाते हैं तथा इसे कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 6 के साथ पठनीय धारा 186(11)(क) के संबंध में धारा 186 {धारा 186 की उप–धारा (1) के अलावा} के प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्राप्त है।

कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यम कम्पनियों के संबंध में वर्ष 2019–20 के दौरान किए गए निवेश, दिए गए ऋण एवं दी गई गारंटियों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट का भाग है।

जमा

वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किए गए हैं।

भारतीय परियोजनाओं का आंतरिक लेखापरीक्षण	
मैसर्स रवि रंजन एंड कम्पनी, सनदी लेखाकार	कार्पोरेट कार्यालय
मैसर्स एसपीएमआर एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार	उत्तरी क्षेत्र
मैसर्स केशरी एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार	पूर्वी क्षेत्र
मैसर्स दिनेश के यादव एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार	पटना क्षेत्र
मैसर्स एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार	मुम्बई क्षेत्र
मैसर्स हेम संदीप एंड कं., सनदी लेखाकार	जम्मू व कश्मीर क्षेत्र

त. वार्षिक विवरणों से उद्धृत अन्य प्रकटीकरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के साथ पठनीय धारा 134(3) के अनुसरण में फार्म एमजीटी–9 में कम्पनी की वर्ष 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट का सार संक्षेप पृष्ठ संख्या 146 पर प्रस्तुत किया गया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्ग फार्म एमजीटी–7 में वर्ष 2019–29 की कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट पर निवेशक खंड में उपलब्ध है।

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ)

कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत निर्मित्त नियमों का पूरी तरह से अनुपालन किया गया है। आईईपीएफ प्राधिकरण से संव्यवहार तथा उससे संबंधित अनुपालन के लिए कम्पनी सचिव नोडल अधिकारी हैं।

आईईपीएफ में स्थानांतरण के लिए कोई राशि देय नहीं है, और इसका उल्लेख कॉर्पोरेट प्रशासन की रिपोर्ट में भी किया गया है। इसके अलावा, डीमैट सस्पेंस अकाउंट / दावा न किए गए सस्पेंस अकाउंट /दावा न किए गए लाभांश का विवरण लागू नहीं है और कॉर्पोरेट गवर्नेस रिपोर्ट में इसका प्रकटीकरण कर दिया गया है।

साचिवीय मानक

वर्ष के दौरान, कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन कम्पनी द्वारा किया गया है।

विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा टिब्यूनलों द्वारा पारित ऐसे आदेश जिनसे कम्पनी की गोइंग कंसर्न तथा कम्पनी के परिचालनों को भविष्य में प्रभावित हो सकती है

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के भविष्य की गोइंग कंसर्न स्थिति और इसके परिचालनों को प्रभावित करने वाले कोई आदेश विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित नहीं किए गए हैं।

व्यवसाय की प्रकृति में बदलाव

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ।

साचिवीय लेखापरीक्षण रिपोर्ट

कंपनी नियमावली (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक), 2014 के नियम 9 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अंतर्गत फार्म एमआर–3 में अपेक्षित साचिवीय लेखापरीक्षक की "साचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट" पृष्ठ 163 पर प्रस्तुत की गई है।

साचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अर्हता, आरक्षण अथवा प्रतिकूल टिप्पणियां

सचिवीय ऑडिटर रिपोर्ट में अर्हता के संबंध में प्रबंधन प्रतिक्रिया और वर्ष 2019– 20 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन पृष्ठ संख्या 166 में प्रस्तुत किया गया है।

लाभांश वितरण नीति

सूचीकरण विनियमों के विनियम 43ए के उपबंधों और "केन्द्रीय लोक उद्यमों की पूंजी पुन–संरचना" के संबंध में निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लाभांश वितरण नीति का निर्माण एवं अंगीकरण किया गया है। उक्त नीति इस रिपोर्ट में संलग्न है (पेज नंबर 167 पर) और कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर भी उपलब्ध है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियां

वित्त वर्ष 2019–20 के लिए वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण दोनों) वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अलग–अलग संलग्न हैं। वित्त वर्ष 2019–20 के लिए आपकी कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

थ. आभार अभिव्यक्ति

कंपनी के निदेशक रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग, विदेश मंत्रालय, वित्त, वाणिज्य, शहरी विकास और अन्य मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के मंत्रालयों से प्राप्त सहायता और सहयोग के लिए अपनी प्रशंसा और धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारतीय रिजर्व बैंक, सांविधिक, शाखा, सचिवीय और आंतरिक लेखा परीक्षकों, कंपनी के बैंकरों, भारतीय दूतावासों और विदेश मिशनों और भारत में विदेशी मिशनों और दूतावासों, एक्जिम बैंक, निर्यात ऋण और गारंटी निगम के कार्यालय आप्रवास संरक्षक पासपोर्ट प्राधिकरण, और भारत और विदेश, दोनों, में हमारे सम्मानित ग्राहक सक्रिय समर्थन के बिना समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की उपलब्धियों का प्राप्त होना संभव नहीं था, के प्रति आभार अभिव्यक्त करते हैं ।

हम कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए उनके अथक प्रयासों, समर्पण, और कंपनी के प्रदर्शन और लाभप्रदता में सुधार के उद्देश्य से सभी स्तरों पर अपनाई गई सत्यनिष्ठा की सराहना करते हैं।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षर

(एस.के.चौधरी)

दिनांक : 31.08.2020
स्थल : नई दिल्ली

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएनः 00515672)

परिशिष्ट – क

भारत में प्रमुख चालू परियोजनाएं

क्र. सं.	श्रेणी	परियोजना का नाम	परियोजना/ संशोधित मूल्य
1	रेलवे	उत्तरी रेलवे के लिए धरम–काजीगुंड खंड (इरकॉन भाग) एवं धरमःश्रीनगरःबेरा आरएलपी परियोजना।	13,359
2	रेलवे	छत्तीसगढ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में गेवरा रोड से पेडंरा रोड के बीच ईस्ट–वेस्ट गलियारे के व्यवहार्यता अध्ययन के परिणामस्वरूप लगभग 135 किमी गेवरा रोड से पेंडरा रोड के बीच पूर्वी–पश्चिम गलियारे के कॉरिडार–III का निर्माण कार्य।	3,198
3	रेलवे	उत्तर फ्रंटियर रेलवे के लिए सिवोक रंगपो नई रेल लाइन परियोजना	4,085
4	रेलवे	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड के लिए छत्तीसगढ राज्य में खरसिया से धरमजयगढ के बीच पूर्वी गलियारे के कॉरीडोर–1 तथा स्पर लाइन का निर्माण सीईआरएल (सीईआरएल–II) के लिए धरमजयगढ से कोबरा (उरगा) के बीच नई बीजी विद्युतीकृत रेल लाइन का निर्माण।	1,855 1138
5	रेलवे	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल) द्वारा चिह्नित रेल संपर्क परियोजनाओं का निष्पादन।	1,466
6	रेलवे	डेडिकेटिड फंटियर कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) के लिए समर्पित मालशड़ा गलियारा परियोजना, सीटीपी–12 के वैतर्णी–सचिन खंड का अभिकल्प तथा सिविल निर्माण, भवन तथा रेलपथ निर्माण कार्य।	2171
7	सड़कें	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन वीकेईएल) के लिए एनएचडीपी चरण–VI हाइब्राइड एनुविटी मोड (चरण–Iए–पैकेज–II) के अंतर्गत गुजरात राज्य में किमी 323.00 से किमी 355.00 (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए सनपा से पाद्रा खंड तक) आठ लेन वाले वडोदरा किम एक्सप्रेसवे का निर्माण।	1543
8	रेलवे	पश्चिम मध्य रेलवे के लिए कटनी ग्रेड सेपरेटर/बायपास लाइन (21.50 किमी) परियोजना।	1248
9	रेलवे	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) के लिए विभिन्न चयनित रेल संपर्कता परियोजना (परियोजनाओं) के लिए सर्वेक्षण, व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत अभिकल्प और निर्माण कार्य।	1192
10	रेलवे	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के लिए चिह्नित रेल कोयला सम्पर्कता परियोजना (परियोजनाओं) के निर्माण के लिए सर्वेक्षण, व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत अभिकल्प और निर्माण।	1149
11	सड़कें	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के लिए एनएचडीपी–चरण :5 –ईपीसी लागत के अंतर्गत डीबीओटी एनिविटी पर हाइब्राईड एनिविटी परियोजना के अंतर्गत इरकॉन देवांगरी हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल) के लिए कर्नाटक राज्य में रा.राजमार्ग–48 के देवांगरी–हवेरी (किमी 260+000 से किमी 338+923 तक) छह लेन का बनाना।	1027
12	रेलवे	मध्य ईस्ट रेल के लिए भारत–नेपाल सीमा पर बर्दीबस तक विस्तार सहित जयनगर (भारत)–बीजलपुरा (नेपाल) (आमान परिवर्तन) के बीच रेल संपर्क का निर्माण।	819
13	रेलवे	I. सेंट्रल ईस्ट रेलवे के लिए दोहरीकरण कार्य – (क) हाजीपुर–बछवाड़ा परियोजना, (ख) कियूल–गया, (ग) आरडीयूएम टीएएल–आरजेओ (रामपुर दूमरा ताल राजेन्द्रपाल) परियोजनाः II. मध्य ईस्ट रेलवे के लिए कियूल–सिंगरौली परियोजना के लिए दोहरीकरण परियोजना।	679 (हाजीपुर–बछवाड़ा); 1200 (क्यिूल गया); 1491 (आरडीयूएम–टीएएल–आरजेओ); 1763 (कटनी–सिंगरौली)

क्र. सं.	श्रेणी	परियोजना का नाम	परियोजना / संशोधित मूल्य
14	सड़कें	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और झारखंड राज्य सरकार के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना परियोजना के अंतर्गत झारखंड के 5 जिलों में ग्रामीण सड़कों और पुलों का निर्माण /स्तरोन्नयन।	607
15	रेलवे	उत्तर फ्रंटियर रेलवे के लिए अकोरा– अगरतला रेल सम्पर्क परियोजना(भारतीय भाग का निर्माण)।	570
16	विद्युतीय	पूर्वोत्तर रेलवे के लिए सिग्नलिंग सहित मथुरा–कासगंज–कल्याणपुर रेलवे विद्युतीकरण परियोजना।	433
17	विद्युतीय	जम्मू और कश्मीर उर्जा विकास विभाग के लिए जम्मू प्रांत (क्लस्टर–I, जम्मू लेफ्ट), (क्लस्टर–II, जम्मू राइट), तथा (क्लस्टर–प्ट) (अखनूर, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, डोडा, किश्तवार तथा भदेरवा) के अंतर्गत आरएपीडीआरपी–भाग–ख परियोजना।	420
18	रेलवे	दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए संतरागाछी में सर्कुलेटिंग क्षेत्र तथा अनिवार्य यात्री सुविधाओं और कोना एक्सप्रेस–वे के लिए सड़क संपर्कता का विकास।	380
19	रेलवे	नॉर्थ फ्रंटियर रेल के लिए जोगबानी (बिहार) भारत से बिराटनगर (नेपाल) के बीच रेल संपर्क का निर्माण।	370
20	रेलवे	दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए अनिवार्य यात्री सुविधाओं के प्रावधान द्वारा शालीमार में कोचिंग टर्मिनल का विकास।	341
21	रेलवे	एनएमडीसी लिमिटेड के लिए जगदलपुर के समीप नगरनार, छत्तीसगढ में प्रस्तावित 3.0 एमटीपीपी एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए रेल साइडिंग का निर्माण कार्य: क. पेकेज–I – सिविल और रेल संबंधी कार्यों का निष्पादन। पैकेज ख. पैकेज–II–सिविल, सिग्नलिंग तथा दूरसंचार, यांत्रिकी और संरचनात्मक कार्यों का निष्पादन। ग. पैकेज–IV– नए ब्लॉक स्टेशन, स्टाफ क्वार्टरों और संबद्ध पी–वे का निर्माण, ओएचई और सिग्नलिंग एवं दूरसंचार कार्य	283 (पैकेज–I) और 79 (पैकेज–II) 84 (पैकेज–IV)
22	विद्युतीय	पूर्व मध्य रेलवे के लिए कटनी–सिंगरौली के लिए रेल विद्युतीकरण कार्य।	282
23	स्टेशन भवन	आरएलडीए तथा रेल मंत्रालय के लिए सफदरजंग रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास।	262
24	संस्थागत भवन	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, मिजोरम के लिए बाहरी विकास कार्यों और आंतरिक सेवाओं के लिए अभिकल्प, आरेखण और निर्माण कार्य।	162
25	रेलवे	बोंडामुंडा दौंड (मध्य रेलवे के लिए),(दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए), प्रत्येक में 200 तीन–फेज इंजनों के लिए इलैक्ट्रिक लोको शेडों की स्थापना।	95 (दौंड) 204 (बोंडामुंडा)
26	रेलवे	पूर्व तटीय रेलवे के लिए विशाखापटनम (डीजल इंजन शेड) में 100 एचपीपी इंजनों के आवासन के लिए शेड का संवर्धन कार्य।	92
27	रेलवे	एनएमडीसी लिमिटेड के लिए नगरनार में 3.0 एमटीपीए एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए रेल ट्रैक (इन–प्लांट) पैकेज (पैकेज सं. 50)।	53
28	रेलवे	डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) के लिए पश्चिमी समर्पित मालशड़ा गलियारा संविदा पैकेज सीटीपी–11 जेएनपीटी–वैतर्णी खंड (इरकॉन का भाग 60 प्रतिशत) का सिविल, निर्माण और रेलपथ कार्य।	43
29	रेलवे	एनटीपीसी लिमिटेड के लिए दर्लीपली सुपर ताप उर्जा परियोजना, चरण–1 (2X800 एमडब्ल्यू) के लिए महानदी कोल लिमिटेड साइडिंग के साथ दुलांग खान – दर्लीपली एसटीपीपी की एमजीआर प्रणाली को जोड़ने वाली रेल के लिए डीपीआर तथा विस्तृत इंजीनियरिंग परियोजना प्रबंधन और निर्माण कार्य।	36
30	रेलवे	नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्रा. लि. के लिए नबीनगर सुपर ताप ऊर्जा परियोजना (3X600 मेवा) के लिए कोयला परिवहन प्रणाली के डीपीआर तथा विस्तृत इंजीनियरिंग प्रबंधन तथा निर्माण	16

परिशिष्ट –ख

सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम कंपनियां

क. सहायक कंपनियांः

1. इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिस लि. (इरकॉन आईएसएल)

इरकॉन के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल) का गठन 30 सितम्बर, 2009 को किया गया था और इसने 10 नवम्बर, 2009 को व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। इरकॉन आईएसएल के मुख्य उद्देश्य हैं, भारतीय रेल प्रणाली के प्रयोक्ताओं को सुख–सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य परिसरों हेतु अवसंरचना के निर्माण के क्षेत्र में तथा रियल इस्टेट तथा संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सभी कामों का निष्पादन करना है तथा हायर पर्चेस, सभी प्रकार की चल तथा अचल परिसंपत्तियों को पट्टे पर देने तथा सामाजिक कल्याण आदि उपायों सहित सभी प्रकार की सेवाएं व अनुरक्षण व सहायता सहित सभी प्रकार की इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए परामर्श उपलब्ध कराना।

वर्ष 2019–20 के दौरान, इरकॉन आईएसएल ने दो नई परियोजना प्रबंधन परामर्शी (पीएमसी) परियोजनाएं प्राप्त की हैं। (1) कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर) द्वारा प्रदान की गई एमएमएएल पारादीप पोर्ट, ओडिशा में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) के लिए हैंडलिंग सुविधाओं के विकास हेतु पीएमसी (2) इरकॉनआईएसएल (इरकॉन के माध्यम से) भारतीय रेलवे स्टेशनों विकास निगम लिमिटेड के लिए सात भारतीय रेलवे स्टेशनों के विकास हेतु पीएमसी (आईआरएसडीसी) कार्य प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, इरकॉन आईएसएल ने छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) के साथ दक्षिण पूर्व रेलवे में सीईआरएल के खरसिया–धरमजयगढ़ खंड में पूर्व रेल गलियारे चरण–I परियोजना परिसंपत्तियों (ट्रैक पुलों और अन्य संबद्ध परिसंपत्ति, ओएचई एवं एसटी) के प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु समझौते में प्रवेश किया है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, उपर्युक्त नई परियोजनाओं के साथ–साथ निम्नलिखित मौजूदा परियोजाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

i. दुधोला, पलवल हरियाणा में हरियाणा श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एसवीएसवी) के निर्माण हेतु पीएमसी।

ii. प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड़, नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी भवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अत्याधुनिक भवन के लिए पीएमसी।

iii. सात(7) भू–पोतों पर सुरक्षा कार्मिकों के लिए बैरेक आवास (1. अटारी–पंजाब, 2. अगरतला–त्रिपुरा, 3. रक्सौल–बिहार, 4. जोगबनी–बिहार, 5. पेट्रापोले–वेस्ट बंगाल, 6. दवके–मेघालय, 7. मोरेह–मणिपुर) के निर्माण हेतु पीएमसी।

iv. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर) के लिए कडाकोला, मैसूरु डिला, कर्नाटक तथा पारादीप (औडीशा) में मल्टीमॉडल लॉजेस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) के निर्माण हेतु पीएमसी।

v. दो स्थलों पर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) का निर्माण, एक साबरकंठा (गुजरात) तथा दूसरा अगर माल्वा (मध्य प्रदेश) हेतु पीएमसी।

vi. भारत के पलेटवा म्यांमार बॉर्डर (जोरिनपुई) से म्यांमार के चिन राज्य में 0.00 किमी से 109.2 किमी तके राष्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशों पर दो लेन की सड़क के निर्माण के लिए परामर्शदात्री परियोजना।

vii. म्यांमार में त्रिपक्षीय राजमार्ग के तामू–कायगोन–कालेवा खंड में 69 पुलों के निर्माण के लिए पीएमसी, जिसमें विदेश मंत्रालय (एमईए) ने मैसर्स एनसीएसएल–एमटीडीसीएल (जेवी) के संविदा को समाप्त कर दिया है, जिसे इन 69 पुलों के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (ईपीसी) ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। ठेकेदार ने माननीय मणिपुर उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की है और आगे की कार्यवाही के लिए माननीय उच्च न्यायालय मणिपुर द्वारा निर्णय के बाद कार्रवाई की जाएगी।

viii. कॉनकोर के लिए भाऊपुर, कानपुर (उत्तर प्रदेश) में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना के लिए पीएमएस परियोजना।

ix. कॉनकोर के लिए दहेज, गुजरात में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना के लिए पीएमएस परियोजना।

x. एनटीपीसी, उच्चाहार, उ.प्र में स्टेज –1 के एमजीआर प्रणाली (2x210 मे.वा) के पीआरसी स्लीपर्स को सीएसटी–9 स्लीपर्स से प्रतिस्थापन करने के लिए पीएमसी।

xi. नागपुर में एनडीआरएफ अकादमी में अवसंरचना के निर्माण के लिए पीएमसी।

इरकॉन आईएसएल द्वारा 23 एमएफसी का निष्पादन किया गया है, जिन्हें प्रचालन के लिए उप–पट्टे पर दिया गया है और उप–ठेकेदार द्वारा पट्टा किराए का भुगतान न किए जाने के कारण इनमें से 2 उप–पट्टा करारों को समाप्त कर दिया गया है। इन उप–पट्टाधारकों ने पट्टा समापन के विरूद्ध संबंधित उच्च न्यायालयों में याचिका दायर की है और ये मामल निपटान के लिए अंतिम चरण में लंबित हैं।

2. इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल)

इरकॉन पीबीटीएल इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसका निगमन 30 सितंबर 2014 को स्पेशल परपज वीकल के रूप में हुआ है और इसने दिनांक 14 नवंबर 2014 को व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है। इरकॉन पीबीटीएल का मुख्य लक्ष्य 7 नवबर 2014 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार राजस्थान राज्य में निर्माण, प्रचालन

और हस्तांतरण (बीओटी) (टोल) आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग – 15 पर मौजूदा बीकानेर तथा फलौदी खंड में 4.200 किमी से 55.250 किमी को चार लेन का बनाना तथा 55.250 किमी से 163.500 किमी तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन करने के लिए उसका चौड़ीकरण व सुदृढीकरण कार्य निष्पादित करना है। एनएचएआई के साथ समझोता ज्ञापन 07.11.2014 को हस्ताक्षर हुआ। इसकी कुल परियोजना लागत 844.08 करोड़ रूपए है और ईपीसी लागत को संशोधित करके 767.48 करोड़ रूपए किया गया है।

निर्मित सड़क की कुल लंबाई 159.17 किमी और समानान्तर 2 लेन में 210.22 किमी (चार लेनिंगः 51.05 किमी तथा दो लेनिंग 108.12 किमी) है।

बीकानेर जिले के सालासर और नोखरा और जोधपुर जिले के खीरवा, राजस्थान में तीनों टोल प्लाजा पर टोल संचालन शुरू करने के लिए 159.17 किलोमीटर में से 15 फरवरी, 2019 को एनएचएआई द्वारा 156.650 किलोमीटर (एलसी–06 (एनएएल) और एलसी–57 (फलौदी) पर दो रोड उपरिपुलों (आरओबी) को डीलिंक) का कार्य पूरा होने का अनंतिम प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इस परियोजना ने वाणिज्यिक प्रचालन खंड में प्रवेश कर लिया है और सभी तीन टोल प्लाजा पर टोल आय अर्जित करना शुरू कर दिया है। एलसी–06 और एलसी–57 पर आरओबी क्रमशः 12 मार्च, 2019 और 25 मार्च, 2020 को पूरे हो गए हैं। इरकॉनपीबीटीएल ने टोल एकत्रण हेतु शेष लंबाई को शामिल करने का अनुरोध किया है जो एनएचएआई के विचाराधीन है।

कोविड–19 के महामारी के कारण, टोल एकत्रण प्रभावित हुआ है क्योंकि इन सेवाओं को दिनांक 27 मार्च, 2020 से 19 अप्रैल, 2020 तक निलंबित कर दिया गया था। अप्रैल से मई 2020 की अवधि के दौरान औसत राजस्व एकत्रण में कमी आई थी। लॉकडाउन से पहले औसत दैनिक एकत्रण लगभग रूपए 13.40 लाख था जो जबकि जून–जुलाई 2020 की अवधि के दौरान औसत दैनिक एकत्रण लगभग 12.90 लाख रूपए है।

3. इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल)

इरकॉन एसजीटीएल दिनांक 12 मई 2015 को विशेष कार्य व्यवस्था के रूप में निगमित इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसने दिनांक 27 मई 2015 को कंपनियों के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है। इरकॉन एसजीटीएल का मुख्य उद्देश्य दिनांक 15 जून 2015 को एनएचएआई के साथ हस्ताक्षरित रियायत करार की शर्तों के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में एनएचपीडी के चरण–IV के अंतर्गत अभिकल्प, निर्माण, वित्त, प्रचालन और अंतरण (डीबीएफओटी) आधार पर निर्माण, प्रचालन और अंतरण (बीओटी) (टाले) पैटर्न पर किमी 236.00 से किमी 332.1 तक राष्ट्रीय राजमार्ग–3 के शिवपुरी–गुना खंड को चार लेन का बनाना तथा इससे संबंधित अन्य अनुषंगी कार्यों को पूरा करना है। जिसकी कीमत 872.11 करोड़ रूपए है। नियुक्ति तिथि से परियोजना की रियायत अवधि 20 वर्ष है और शिवपुरी गुना परियोजना को निष्पादित करने की कुल परियोजना लागत 872.11 करोड़ रूपए है। यह परियोजना दो चरणों यथा चरण– I तथा चरण – II पर निष्पादित की जा रही है।

रियायत करार की शर्तों के अनुसार, इरकॉन एसजीटीएल ने 23 नवंबर 2015 यथा निष्पादन की तिथि को वित्तीय समापन प्राप्त किया है और 722.11 करोड़ रूपए के लिए इरकॉन के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं। पूर्ववर्ती रियायत करार में निर्धारित शर्तों में से एक शर्त यह है कि नियुक्ति तिथि यथा एस्क्रो करार (इरकॉन एसजीटीएल, इरकॉन, इंडियन ओवरसीज बैंक तथा एनएचएआई के बीच) और प्रतिस्थापन करार (एनएचएआई, इरकॉन एसजीटीएल तथा इरकॉन के बीच) का निष्पादन 04 दिसंबर, 2015 को किया गया था।

एनएचएआई ने 25 जनवरी, 2016 को निर्माण आरंभ करने के लिए नियुक्ति तिथि निर्धारित की है जिसमें निर्माण अवधि 910 दिन की होगी, जिसके लिए इरकॉन को ईपीसी कांट्रैक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रचालन आरंभ (सीओडी) होने की अनुसूचित तिथि 23 जुलाई, 2018 थी। सीओडी डेढ महीने पहले यथा 6 जून, 2018 को ही प्राप्त कर ली गई थी। इस प्रकार टोल प्लाजा का प्रचालन तथा राजस्व एकत्रण दिनांक 7 जून 2018 से परियोजना में आरंभ हो गया है। दिनांक 07 जून 2018 से 31 मार्च 2019 तक एकत्र राजस्व 72.88 करोड रूपए है।

कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी बंद और एनएचएआई निर्देश के कारण, दिनांक 26 मार्च, 2020 से टोलिंग को निलंबित कर दिया गया था और टोल प्लाजा पर राजस्व में काफी कमी आई है। हालांकि, दिनांक 20 अप्रैल, 2020 से टोलिंग का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है।

एनएचएआई के साथ रियायत समझौते के अनुसार, परियोजना के चरण–2 (अर्थात 12.4 किमी लंबाई) के लिए निर्माण दिनांक 01 जनवरी 2021 से शुरू होने की संभावना है और स्टेज–2 के लिए ईपीसी ठेकेदार की नियुक्ति पर विचार चल रहा है।

4. इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल)

वर्ष के समापन के पश्चात, आपकी कंपनी ने एनएचएआई द्वारा कर्नाटक राज्य में देवानगेरे हवेरी परियोजना को प्रदान किए जाने की शर्तों के अनुसरण में 11 मई 2017 को ''इरकॉन देवानगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल)'' नामक एक अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का निर्माण किया गया है। इरकॉन डीएचएचएल का मुख्य उद्देश्य कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं.–4) के देवानगेरे – हवेरी खंड पर किमी 260+000 से किमी 338+923 (लगभग 78.923 किमी) खंड सहित राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं.–4) को छह लेन का बनाने और उसके अभिकल्प, निर्माण, वित्तीयन, प्रचालन और अंतरण आधार पर विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन का कार्य करना है। परियोजना की रियायत अवधि 15 वर्ष है जिसमें नियुक्ति तिथि

यथा 24 जनवरी 2018 से आरंभ (30 महीनों) की निर्माण अवधि के 912 दिन शामिल नहीं है और उपलब्ध क्षेत्र में कार्य प्रगति पर है। कार्य क्षेत्र में शामिल हैं – प्रमुख कैरेज–वे के 78.923 कमी (राजमार्ग की कुल लंबाई) को पूरा करना तथा प्रमुख पुलों, पुलियाओं, वीयूपी, पीयूपी फ्लाइओवरों तथा अन्य संबंधित कार्य तथा कार्यों सहित 154.654 किमी की सेवा सड़क का निर्माण कार्य।

रियायत करार की शर्तों के अनुसार, कुल बोली परियोजना लागत 1177 करोड़ रूपए जमा मूल्य वृद्धि है और प्रथम वर्ष के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत 10 करोड़ रूपए है। परियोजना बोली लागत के 40 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति एचएचएआई द्वारा निर्माण के दौरान प्रत्येक 8 प्रतिशत (10 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 90 प्रतिशत की भौतिक प्रगति प्राप्त करने पर) की 5 किश्तों में की जाएगी और 60 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति एसपीवी द्वारा व्यवस्थित की जाएगी। परियोजना बोली लागत के 40 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति पर विचार करने के बाद, 720.05 करोड रूपए की शेष निर्माण राशि (निर्माण के दौरान ब्याज सहित) को क्रमशः 217.05 करोड़ रूपए और 503 करोड़ रूपए के इक्विटी और ऋण निवेश द्वारा वित्तपोषित किए जाने का प्रस्ताव है।

ग्राहक समझौते की शर्तों के अनुसार निर्धारित तिथि से 180 दिनों के भीतर 100 प्रतिशत अतिक्रमण मुक्त भूमि सौंपने में विफल रहा है। 181वें दिन तक उपलब्ध कार्यक्षेत्र केवल 74 प्रतिशत है। इसके बावजूद, परियोजना ने 30 प्रतिशत के भौतिक प्रगति का दूसरा परियोजना लक्ष्य और 35 प्रतिशत की वित्तीय प्रगति को निर्धारित समय अवधि (90 दिनों के उपचार अवधि के भीतर) में प्राप्त किया है और, 75 प्रतिशत भौतिक प्रगति और 70 प्रतिशत वित्तीय के साथ तीसरी परियोजना के लक्ष्य को दिनांक 03 फरवरी, 2020 (90 दिनों की उपचार सहित) तक प्राप्त किए जाने की देय तिथि है ।

इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि दिनांक 31.01.2020 को उपलब्ध कार्यक्षेत्र केवल 81.39 प्रतिशत था (एनएचएआई द्वारा उपलब्ध न कराई गई भूमि पर कार्यक्षेत्र को छोड़कर और स्थानीय/मौजूदा निर्माणाधीन अतिरिक्त संरचनाओं – 18.61 प्रतिशत की मांग करते हुए स्थानीय लोगों द्वारा कार्यों को रोक दिया गया था)। रियायत करार में शामिल कार्यक्षेत्र के प्रति दिनांक 31 जनवरी 2020 तक स्थल पर प्राप्त भौतिक प्रगति 62.83 है और जब रियायतग्राही को उपलब्ध कार्य के दायरे से बाहर देखा जाए तो यह 77.19 प्रतिशत (62.83/0.8139) था। दिनांक 31.01.2020 को वित्तीय प्रगति 61.74 प्रतिशत थी और एसपीवी के लिए उपलब्ध कार्यक्षेत्र के लिए यह 75.86 प्रतिशत (61.74/0.8139) थी। दिनांक 31.01.2020 तक की भौतिक और वित्तीय प्रगति समतुल्य है, जो उपचार अवधि के भीतर 3 परियोजना के लक्ष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

दिनांक 31 मार्च, 2020 को, रियायत समझौते में शामिल कुल कार्यक्षेत्र के प्रति कुल भौतिक प्रगति 66.77 प्रतिशत और वित्तीय प्रगति 65.37 प्रतिशत प्राप्त की गई है। एनएचएआई द्वारा एसपीवी के लिए उपलब्ध कार्यक्षेत्र केवल 81.39 प्रतिशत था। दिनांक 31 मार्च, 2020 तक भूमि की अनुपलब्धता के कारण और स्थानीय लोगों द्वारा कार्यों को रोकने के कारण प्रभावित कार्यों को कार्यक्षेत्र में परिवर्तन/आशोधन के लिए अनुरोध किया जा रहा है।

5. इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन वीकेईएल)

वर्ष 2018–19 के दौरान, आपकी कंपनी ने एनएचएआई द्वारा गुजरात राज्य में वडोदरा किम एक्सप्रेसवे परियोजना प्रदान करने की शर्तों के अनुसरण में दिनांक 16 मई, 2018 को इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनवीकेईएल) नामक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का सृजन एक विशेष कार्य प्रयोजन के रूप में किया था। इरकॉन वीकेईएल का प्रमुख उद्देश्य अभिकल्प, निर्माण, वित्त, प्रचालन तथा अंतरण आधार पर एनएचडीपी चरण–VI हाइब्राइड वार्षिकी माध्यम (चरण I ए–पैकेज– I I) के अंतर्गत गुजरात राज्य में किमी 323.00 से किमी 355.00 (वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का सनपा से पाद्रा खंड तक)आठ लेन वाले वडोदरा किम एक्सप्रेस वे के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन के व्यवसाय को निष्पादित करना है।

इरकॉन वीकेईएल ने दिनांक 25 मई 2018 को एनएचएआई के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्तीय समापन दिनांक 25 सितंबर 2018 को प्राप्त किया गया है। एनएचएआई द्वारा निर्धारित तिथि 31 जनवरी, 2019 रखी गई है। समापन अवधि निर्धारित तिथि से 730 दिन है। मोबिलाइजेशन अग्रिम की प्रथम किश्त दिनांक 25 अप्रैल 2019 और दूसरी किश्त 26 जून 2019 को एनएचएआई से प्राप्त हुई है। कुल परियोजना लागत 1865 करोड रूपए है। प्रथम परियोजना लक्ष्य दिनांक 27 सितंबर 2019 को प्राप्त किया गया था और दूसरा परियोजना लक्ष्य दिनांक 25 जनवरी 2020 को प्राप्त किया गया था।

आज की तिथि के अनुसार परियोजना की भूमि उपलब्धता एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई का 98.75 प्रतिशत है। कोविड–19 की शुरुआत से पहले, भौतिक प्रगति (22 मार्च, 2020 तक) 43.40 प्रतिशह थी और लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद (जून, 25, 2020 तक) 44.81 प्रतिशत है। कार्य समापन की वास्तविक तारीख 30 जनवरी, 2021 है। एनएचएआई द्वारा निर्धारित तिथि 31 जनवरी, 2019 है और समापन अवधि नियत तारीख से 730 दिन हैं। हालांकि, कोविड–19 के कारण, पूर्णता अवधि को बढने की संभावना है।

ख. संयुक्त उद्यम कंपनियां (जेवीसी):

6. इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल)

एनएचएआई के लिए महाराष्ट्र में किमी 380 से किमी 265 तक राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के पिंपलगांव–धुले खंड को चार लेने का बनाने के लिए बीओटी परियोजना के निष्पादन के लिए इरकॉन तथा सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल) (कुल

शेयरों में से 6,38,69,999 शेयर एसटीपीएल द्वारा धारित हैं और एक शेयर एसपटीएल की धारक कंपनी सोमा इंटरप्राइसिज लिमिटेड द्वारा धरित है) द्वारा 50ः की इक्विटी भागीदारी के साथ 19 अप्रैल 2005 को ''इरकॉन–सोमा टॉलवे प्रा.लि.'' (आईएसटीपीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) का निर्माण किया गया था।

वर्ष 2010–11 में पिंपलगांव–धुले खंड को चार लेने का बनाने की बीओटी परियोजना पूरा हो गई थी और तदनुसार, आईएसटीपीएल 118.158 किमी के सम्पूर्ण क्षेत्र पर टोल अर्जित कर रही है।

7. इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएलडीए)

इरकॉन की संयुक्त उद्यम कंपनी और रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) की संयुक्त उद्यम कंपनी, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन 12 अप्रैल, 2012 को किया गया था और इसने 9 मई, 2012 को अपना व्यवसाय आरंभ प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। आईआरएसडीसी का मुख्य उद्देश्य भारत में यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर मानक स्थापित करने हेतु मौजूदा स्टेशन भवनों, प्लेटफार्म स्थलों, परिपत्रण क्षेत्रों आदि के पुनर्विकास सहित नए निर्माण/नवीकरण कार्यों द्वारा यात्री सुविधाओं के स्तर में स्तरोन्नयन करना है ताकि उनके मानकों में सुधार और बेहतर ग्राहक अनुभव प्राप्त किया जा सके। आईआरएसडीसी को रेलवे की भूमि/वायुक्षेत्र के वाणिज्यिक विकास का शक्तियां भी प्रदान की गई हैं।

वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात, राइट्स लिमिटेड (राइट्स) को आईआरएसडीसी में 24 प्रतिशत शेयरधारिता के साथ तीसरे नीतिगत भागीदार/शेयरधारक के रूप में शामिल किया गया था। तदनुसार, 21 मई, 2020 को संशोधित शेयरधारक समझौता शेयरधारकों के बीच निष्पादित किया गया था और अब आरएलडीए, इरकॉन और राइट्स के शेयरधारिता पैटर्न को 50:26:24 में संशोधित किया जाएगा।

दिनांक 17.10.2018 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आईआरएसडीसी को सम्पूर्ण रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम और प्रमुख परियोजना एजेंसी (प्रमुख पीडीए) के रूप में अनुमोदित किया है। पीडीए के रूप में इरकॉन आईआरएसडीसी को 99 वर्ष की पट्टा अवधि की अनुमति प्रदान की गई है तथा सभी प्रकार के विकास कार्यों यथा वाणिज्यिक, संस्थागत और आवासीय विकास कार्यों सहित बहुल उपपट्टों में प्रवेश का अधिकार प्रदान किया गया है। आईआरएसडीसी को रेल अधिनियम, 1989 के खंड–11 के अंतर्गत अपनी स्वयं की योजनाएं तैयार करने की अनुमति प्रदान की गई है। आईआरएसडीसी के बोर्ड में आर्थिक कार्य विभाग/वित्त मंत्रालय तथा नीति आयोग और रेल मंत्रालय से एक एक प्रतिनिधि को शामिल करके इसे सुदृढ़ बनाया गया है।

रेलवे बोर्ड के दिनांक 01.11.2018 के पत्र के तहत तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययनों के लिए भारतीय रेल के भी स्टेशनों (अन्य एजेंसियों को सौंपे गए 12 स्टेशनों को छोड़कर) को सौंपा गया है।

निम्नलिखित कार्य प्रगति पर हैंः

(i) हबीबगंज रेलवे पुनर्विकास परियोजनाः लगभग 90 प्रतिशत सिविल कार्य पूर्ण हो चुके हैं। कोविड–19 महामारी के कारण परियोजना को झटका लगा है। हालांकि, यह आशा है कि बेहतर सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के साथ फिर से विकसित स्टेशन दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा।

(ii) गांधीनगर स्टेशन पुनर्विकास एवं गांधीनगर में 318 (300 कमरों वाले) 5 सितारा होटल का निर्माण : लगभग 90 प्रतिशत सिविल कार्य पूरे हो चुके हैं और परिष्करण, एमईपी कार्य आदि प्रगति पर हैं। परियोजना की प्रमुख विशेषताओं में 99 मीटर के क्लियर स्पैन ट्रस का सफल प्रयोग शामिल है, जो भारत में अपनी तरह का पहला यार्ड है। कोविड–19 के प्रकोप के कारण यह कार्य प्रभावित हुआ है और दिसंबर 2020 तक परियोजना को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(iii) एकीकृत सुविधा प्रबंधन : आईआरएसडीसी ने एकीकृत सुविधा प्रबंधन पर 5 स्टेशनों को लेकर देश में नई व्यवस्था आरंभ की है। इस मॉडल में बंगलुरु, पूणे, आनन्द विहार, चंडीगढ तथा सिकंदराबाद स्टेशनों को एकीकृत सुविधा प्रबंधन के लिए लिया गया है। होटल उद्योग में प्रचलित प्रबंधन एवं संविदा मॉडल पर नाइट फ्रेट (बंगलुरु हेतु), बीवीजी (पूर्ण हेतु), अपडेटर सर्विसिज (यूडीए, आनन्द विहार, चंडीगढ तथा सिकंदराबाद हेतु) जैसे प्रतिष्ठित फर्मों को नियुक्त किया गया है, जिसे आईआरएसडीसी ने विशेष रूप से रेलवे स्टेशनों के लिए स्वीकार किया है। आईआरएसडीसी ने मार्च 2020 में प्रचालन और अनुरक्षण का एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, लेकिन कोविड–19 के कारण राजस्व के स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रेल मंत्रालय द्वारा रेल प्रचालनों को रोक दिया गया है।

(iv) नियोजनाधीन कार्य : आईआरएसडीसी ने ईपीसी मॉडल के अंतर्गत तीन स्टेशनों यथा चंडीगढ, आनंद विहार और बिजवासन के विकास के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। इनके वित्तपोषण के लिए, इंडियन रेलवे फाइनांस कॉर्पोरेशन (आईआरएफसी) से ऋण मांगा गया है और आईआरएफसी के माध्यम से इन स्टेशनों के वित्तीयन का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में, कोविड–19 महामारी के कारण, आईआरएसडीसी द्वारा ईपीसी ठेके के प्राकृतिक आपदा खंड को हटा दिया गया है और ठेकेदारों से कहा गया है कि वे इन तीनों स्टेशनों पर कोई भी काम न करें और साथ ही साथ दिनांक 03 जनवरी, 2020 को भूमि विमुद्रीकरण की निविदाएं भी रोक दिया गया हैं। इस दौरान संभावित बोलीदाताओं के साथ बोली–पूर्व बैठकें भी की गई हैं। रियल इस्टेट के क्षेत्र के अनुकूल होने के बाद वित्त वर्ष 2020–21 में भूमि मुद्रीकरण बोलियां खोली जाएंगी।

(v) स्टेशन विकास कार्यक्रम गति प्रदान करने के लिए, रेल मंत्रालय ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग की अध्यक्षता में सचिवों के समूह (जीओएस) की समिति का गठन किया है और इसमें रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के वित्तीय आयुक्त, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव शामिल हैं और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव सदस्य के रूप में हैं। सदस्य इंजीनियरिंग और सदस्य यातायात, रेलवे बोर्ड समिति के सह–चयनित सदस्य हैं। जीओएस ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जैसे कि यूजर चार्ज कॉन्सेप्ट, स्टेशनों आसपास के भू क्षेत्रों का समग्र विकास और, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लंबित पुनर्विकास का पुनरुद्धार और स्टेशन विकास के लिए मॉडल रियायत करार को अंतिम रूप देना, आदि

(vi) आईआरएसडीसी ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद ग्वालियर, साबरमती, अमृतसर और नागपुर स्टेशनों के लिए अभिकल्प, निर्माण, वित्तपोषण, प्रचालन और अंतरण (डीबीएफओटी) मॉडल के लिए कोटेशन अनुरोध (आरएफक्यू) आमंत्रित किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ट्रर्मिनस और बैयप्पनहल्ली स्टेशनों के लिए पीपीपीएसी ज्ञापन रेल मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। आगे, इन चार स्टेशनों के अतिरिक्त, आईआरएसडीसी ने उधना (सूरत मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन हब के साथ–साथ सूरत में पुनः विकास के लिए), ठाकुरली (मुंबई में), बैयप्पनहल्ली, और चाणक्यपुरी (दिल्ली में) के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। आईआरएसडीसी ने अन्य सीपीएसई को 45 स्टेशनों के परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) एजेंसियों के रूप में कार्य करने, योजनाओं के अंतिम रूप देने, बोली प्रबंधन और निर्माण कार्य की देखरेख के लिए कार्य प्रदान किया है।

8. छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)

छत्तीसगढ राज्य में कोयला संपर्कता गलियारे यथा पूर्वी गलियारे (180 किमी) के विकास के लिए क्रमशः 64:26:10 के अनुपात मे साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इरकॉन और छत्तीसगढ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (छत्तीसगढ सरकार की नामिति) द्वारा इक्विटी भागीदारी से 12 मार्च 2013 को ''छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लिमिटेड'' (सीईआरएल) नामक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवसी) का गठन किया गया था। सीईआरएल ने 7 मई 2013 को कंपनियों के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है।

सीईआरएल ने छत्तीसगढ राज्य में रेल मंत्रालय के साथ दिनांक 12 जून 2015 को रियायत करार पर हस्ताक्षर किया है। पीपीपी परियोजनाओं के लिए परियोजना का क्रियान्वयन निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन तथा हस्तांतरण (बीओटी) मॉडल पर किया जा रहा है। छत्तीसगढ पूर्वी रेल गलियारा परियोजना को आगे दो चरणों में विभाजित किया गया है यथा सीईआरएल–।. (खरसिया से धरमजयगढ जिसमें घरघोदा से डोंगा महुआ तक स्पर लाइन शामिल है) तथा सीईआरएल–। (धरमजयगढ से कोरबा)।

सीईआरएल–। का वित्तीय समापन दिनांक 24 नवंबर 2017 को प्राप्त किया गया है। सीईआरएली–। के खरसिया से कोरिच्चपर (एकल लाइन–44 किमी) के खंड पर सितंबर 2019 तक प्रचालन आरंभ करने का लक्ष्य है और सीआईआरएल–। का शेष कार्य यथा खरसिया से कोरीचप्पर (44 किमी), कोरीचप्पर से धरमजयगढ (30 किमी) के बीच के खंड के दोहरीकरण का लक्ष्य दिसंबर 2020 निर्धारित किया गया है।

सीईआरएल–।। के जीएसटी क्रियान्वयनों के साथ संशोधित डीपीआर को दिनांक 12 जून 2018 को रेल मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित पांच वर्ष के लिए 62 किमी की प्रभारीय दूरी पर 60 प्रतिशत की संवर्धित माइलेज के साथ क्षेत्रीय रेल द्वारा अनुमोदित किया गया है। वन संस्तुति हेतु भूमि अंकन, चिह्नन कार्य तथा पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वन क्लियरेंस प्राप्त होने और रियायत करारों पर हस्ताक्षर होने के पश्चात वित्तीय समापन प्राप्त किया जाएगा।

9. छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल)

छत्तीसगढ राज्य में कोयला संपर्कता गलियारे यथा ईस्ट वेस्ट गलियारे (135 किमी) के विकास के लिए क्रमशः 64:26:10 के अनुपात में साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इरकॉन और छत्तीसगढ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडी) (छत्तीसगढ सरकार की नामिति) द्वारा इक्विटी भागीदारी से 25 मार्च 2013 को ''छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल)'' नाम संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) का गठन किया गया था। सीईडब्ल्यूआरएल ने 7 मई 2013 को कंपनियों के रजिस्ट्रार से व्यवसाय आरंभ करने की स्वीकृति प्राप्त की है। परियोजना की रियायत अवधि नियक्ति तिथि से 30 वर्ष है, जिसमें निर्माण अवधि के 3 वर्ष एवं 6 माह शामिल हैं।

क्षेत्रीय रेल यथा दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे ने रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अनुसार पांच वर्ष के लिए 135 किमी की प्रभारीय दूरी पर 40 प्रतिशत के संवर्धित माइलेज सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को दिनांक 15 जून 2017 को अनुमोदित किया है। दिनांक 1 जुलाई 2018 को सीईडब्ल्यूआरएल तथा रेल मंत्रालय के बीच रियायत करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंक कंसॉर्टियम के साथ जुलाई 2020 को ऋण करार में हस्ताक्षर किए गए हैं।

10. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल)

ओडीशा राज्य में खदानों से कोयले के खनन के लिए महत्वपूर्ण चयनित रेल गलियारा परियोजनाओं के निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण के प्रमुख उद्देश्य के साथ 64:26:10 के अनुपात में क्रमशः महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), इरकॉन तथा ओडीशा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (ओडीशा

सरकार की नामिती) द्वारा इक्विटी भागीदारी के साथ 31 अगस्त 2015 को महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) नामक संयुक्त उपक्रम कंपनी का निगमन चिह्नित रेल कॉरीडोर परियोजनाओं की संरचना, निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के उद्देश्य से किया गया था, जो कि ओडीशा राज्य में खदानों से कोयले को निकालने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

एमसीआरएल ने 19 अप्रैल 2016 को इरकॉन के साथ परियोजना निष्पादन करार में हस्ताक्षर किए हैं। क्रियान्वयन के लिए कंपनी द्वारा अंगुल–बलराम–झारपाडा नामक नए रेल गलियारे को चयनित किया गया है। जनवरी 2018 में रेलवे द्वारा इस परियोजना की डीपीआर को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। रेल संशोधन अधिनियम, 2008 के अनुसार एमसीएल द्वारा पूर्व में अधिग्रहित भूमि को अभी ईसीओआर के नाम पर अंतरित कराया जाना है। रेल मंत्रालय ने दिनांक 12 जून, 2018 को परियोजना के लिए 60 प्रतिशत संवर्धित माइलेज को अनुमोदित किया है। इस परियोजना को दिनांक 23 अक्तूबर 2018 को रेल मंत्रालय द्वारा विशेष रेल परियोजना के रूप में अनुमोदित किया गया है। शीघ्र ही एमसीआरएल और रेल मंत्रालय के बीच रियायत समझौता होने की संभावना है और परियोजना के वित्तीय समापन की शीघ्र संभावना है।

अंगुल–बलराम खंड (14 किमी) के लिए एमसीएल द्वारा पहले अधिग्रहित भूमि रेलवे संशोधन अधिनियम, 2008 के अनुसार ईस्ट कोस्ट रेलवे को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16 मई, 2020 को पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। शेष खंड के लिए भूमि अधिग्रहण और वन भूमि के डायवर्जन की प्रक्रिया चल रही है। परियोजना के अंगुल–बलराम खंड में निर्माण कार्य दिसंबर 2020 तक शुरू होने की संभावना है।

11. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)

झारखंड राज्य में खदानों से कोयले के खनन के लिए महत्वपूर्ण चयनित रेल गलियारा परियोजनाओं के निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण के प्रमुख उद्देश्य के साथ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, इरकॉन तथा झारखंड सरकार द्वारा क्रमशः 64:26:10 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के लिए 31 अगस्त 2015 को झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) नामक संयुक्त उपक्रम कंपनी का निगमन किया गया था।

जेसीआरएल ने 28 मार्च 2016 को इरकॉन के साथ परियोजना निष्पादन करार में हस्ताक्षर किए हैं। रेलवे बोर्ड ने संयुक्त उपक्रम जेसीआरएलप को शिवपुरी–कथौटिया नई लाईन अंतणि के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। चेनेज कथौटिया (0.00) से शिवपुरी (49.085) तक है जिसकी कुल लंबाई 49.085 किमी है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। रेल मंत्रालय द्वारा दिनांक 13 जून 2018 से पांच वर्ष की अवधि के लिए 49.085 किमी की प्रभारीय दूरी पर 60 प्रतिशत की संवर्धित माइलेज को स्वीकृति प्रदान की गई है। जेसीआरएल तथा पूर्व मध्य रेलवे के बीच दिनांक 4 दिसंबर 2018 को रियायत करार पर हस्ताक्षर किए गए तथा वित्तीय समापन के अगस्त 2018 तक पूरा होने की संभावना है। परियोजना का निर्माण नवंबर 2020 तक शुरू होने की उम्मीद है (वन भूमि की उपलब्धता और जेसीआरएल के वित्तीय समापन के अध्यधीन)। जून 2019 में वन भूमि की स्टेज–। स्वीकृति मिल गई है। जेसीआरएल ने दो जिलों में रैयातों को भूमि के वर्तमान अनुमानित मूल्य के मुआवजे का 69 प्रतिशत उपलब्ध कराया है।

12. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल)

छत्तीसगढ राज्य में रोउघाट से जगदलपुर (नरायणपुर, कोंडागांव के रास्ते) नई रेल लाइन के निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण के प्रमुख उद्देश्य के साथ एनडीएमसी लिमिटेड (एनडीएमसी), इरकॉन, स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (सेल) तथा छत्तीसगढ माइनिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (छत्तीसगढ सरकार की नामिति) द्वारा क्रमशः 52:26:12:10 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के साथ 05 मई 2016 को बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल) नामक संयुक्त उपक्रम को निगमित किया गया था। बीआरपीएल के लिए शेयरधारक करार पर 20 जनवरी 2016 को हस्ताक्षर किए गए हैं और दिनांक 25 मई 2018 को संशोधित शेयरधारक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसमें एनएमडीसी, इरकॉन, सेल और सीएमडीसी की शेयरधारिता को संशोधित किया गया है।

इरकॉन इस परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी है और परियोजना निष्पादन करार पर दिनांक 19 जुलाई 2017 को हस्ताक्षर किए गए थे। रेल मंत्रालय द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को 50 प्रतिशत की संवर्धित माइलेज के साथ अनुमोदित किया गया है। वन भूमि सहित भूमि के अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सहायक कंपनी और संयुक्त उपक्रम के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं को वित्तीय विवरण में संलग्नक फॉम एओसी–। में प्रकट किया गया है।

निगमित शासन रिपोर्ट

इस रिपोर्ट को सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के प्रावधानों का अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, लोक उपक्रम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की निगमित शासन प्रणालियों का प्रक्रियाओं का ब्यौरा समाविष्ट है ।ः

इरकॉन एक मिनी रत्न श्रेणी–1 कंपनी है जो 28 सितम्बर 2018 को सूचीबद्ध हुई और इसने निगमित शासन का एक सुदृढ फ्रेमवर्क स्थापित किया है।

निगमित शासन संवर्धिक स्टेकधारक के मूल्यों के कंपनी के उद्देश्य और सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वाहन को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियों, नियमों के अनुपालन और नैतिक मानकों के अनुपालन का अनुप्रयोग है।

हम मानते हैं कि निगमित शासन अपने स्टेकधारकों को सर्वाधिक मूल्य की प्रतिबद्धता सहित सभी स्टेकधारकों के साथ मूल्यवान संबंधों तथा विश्वास को स्थापित करने के संबंध में है, चाहे वह स्टेकधारक हों, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, निवेश समुदाय या नीति निर्माता हों। अच्छे निगमित शासन पद्धतियों का अनुसरण करने की इसकी प्रतिबद्धता पारदर्शिता, न्याय, सहमति, दल कार्य, व्यावसायिकता तथा जवाबदेही पर आधारित है जो सर्वोत्तम पद्धतियों का अनुसरण करने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं और सभी स्टेकधारकों के बीच आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं जो कि कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है।

1. निगमित शासन के कोड पर कंपनी के दर्शन संबंधी विवरण

इरकॉन में निगमित शासन सभी के लिए पारदर्शिता, पूर्ण प्रकटन, स्वतंत्र मॉनीटरिंग तथा न्याय पर आधारित है। कंपनी अपनी गतिविधियां विद्यमान विनियामक फ्रेमवर्क के भीतर स्टेकधारकों के लिए धारणरीय मूल्य संवर्धन के प्रति नैतिकता और जिम्मेदार रूप में निष्पादन करती है। यह संगठन में सर्वोत्तम नीतियों, पद्धतियों, संरचनाओं और मूल्यों के सृजन पर विश्वास करती हैं। इरकॉन दल नियमित रूप से अपने आचरण में निगमित मूल्यों को धारण करता है।

इरकॉन निगमित शासन के सिद्धांतों के संवर्धन में विश्वास रखता है और इसकी मूल्य संरचना का निर्माण उच्च मानकों, विश्वास व अखंडता, कार्यनिष्पादन, जिम्मेदारी, जवाबदेही, व्यावसायिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक व्यवसाय व्यवस्थाओं के आधार पर हुआ है। निगमित शासन हमारे द्वारा कई वर्षों से किए गए व्यवसाय का आधार स्तंभ है। यह हमारे दृढ विश्वास से उत्पन्न हुआ है कि धारणीय रूप से मूल्यों के सृजन हेतु सुदृढ़ शासन एक अभिन्न अंग है।

कंपनी का कार्पोरेट शासन कोड है ''व्यावसायिक, लाभकारी, पारदर्शी एंव उत्तरदायी रहते हुए कंपनी की प्रत्येक गतिविधि के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना''

निदेशक मंडल द्वारा ग्रहण किए गए कम्पनी के आधारभूत मूल्य हैं:–

क. रचनात्मक दृष्टिकोण

ख. एक टीम के रूप में कार्यरत

ग. कार्य में उत्कृष्टता

घ. कार्य और लेन–देन में सत्यनिष्ठा

ड. जिम्मेदार और उत्तरदायी होना

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल इरकॉन का उच्चतम शासन निकाय है। निदेशक मंडल में कंपनी को नीतिगत मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करने के लिए इस उद्योग तथा संबंधित क्षेत्रों में प्रबुद्ध ज्ञान और अनुभव प्राप्त विविध क्षेत्रों के पेशेवर शामिल हैं। इरकॉन में, हम मानते हैं कि कंपनी का बोर्ड सुव्यवस्थित नेतृत्व की संस्कृति का निर्माण करता है ताकि कंपनी को शासन की गुणवत्ता में सुधार के लिए दीर्घकालिक दृष्टि और नीतिगत दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके। बोर्ड के कार्य कंपनी के सर्वोत्तम हितों के साथ संरेखित हैं। कंपनी ने बोर्ड और समितियों की बैठकों के लिए दिशा–निर्देशों और एक स्थापित रूपरेखा को परिभाषित किया है। ये दिशानिर्देश बोर्ड और समितियों की बैठकों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुचारू और कुशल कार्यविधि से व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद–2(45) के अनुसरण में, इरकॉन एक सरकारी कंपनी है और कंपनी की 89.18 प्रतिशत प्रदत्त शेयर पूंजी भारत में राष्ट्रपति महोदय के माध्मम से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित है तथा निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय (यथा रेल मंत्रालय) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को है।

31 मार्च 2020 को हमारे बोर्ड में ग्यारह निदेशक हैं जिनमें एक महिला निदेशक सहित चार पूर्णकालीन निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (परियोजना) तथा निदेशक (कार्य), दो सरकारी नामिति निदेशक तथा पांच स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

अध्यक्ष कंपनी का कार्यकारी निदेशक है, इसलिए, आधे बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक शामिल होने चाहिए। चूंकि इरकॉन के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, कंपनी समय–समय पर रेल मंत्रालय से अनुरोध करती रही है कि बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति की जाए।

तथापि, 28 दिसंबर 2018 को एक स्वतंत्र निदेशक का पद रिक्त है, जिसके लिए पहले ही रेल मंत्रालय, भारत सरकार से नियुक्ति का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2020 के पश्चात, अपने कार्यकाल को पूरा करने के पश्चात दो स्वतंत्र निदेशकों के कार्यमुक्त होने और एक सरकारी नामिति निदेशक के सेवानिवृत्त होने के कारण दो स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) के पद रिक्त हो गए हैं।

2.1 बोर्ड के सदस्य का मानदंड

इरकॉन एक इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है, और बोर्ड द्वारा आवश्यक प्रमुख योग्यता सिविल इंजीनियरिंग, वित्त, प्रौद्योगिकी, विपणन और वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में हैं। रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के अधीन, आईआरसीओएन के निदेशकों की प्रमुख योग्यता, कौशल, विशेषज्ञता और विशेषताओं को सारबद्ध करते हुए, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है। 31 मार्च 2020 तक अपेक्षित कौशल / विशेषज्ञता / क्षमता रखने वाले निदेशकों के नाम भी तालिका में शामिल हैं:

क्र. सं.	निदेशक का प्रकार	अपेक्षित विशेषज्ञता/कौशल
1.	**पूर्णकालीन निदेशक**	
i)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सुनिल कुमार चौधरी	**अनिवार्यः** मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अच्छे शैक्षिक रिकार्ड के साथ कम से कम स्नातक की डिग्री और प्रतिष्ठित बड़े संगठन में वरिष्ठ स्तर के प्रबंधन का पर्याप्त अनुभव। **वांछनीयः** सिविल इंजीनियरिंग/तकनीकी/एमबीए में डिग्री अर्हता तथा वित्त/विपणन/परियोजनाओं का ज्ञान। अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का अनुभव, विशेष रूप से रेल उद्योग में रेल परियोजनाओं, संगठनात्मक नियोजन की तकनीकों तथा श्रमशक्ति विकास का अनुभव।
ii)	निदेशक (परियोजना) श्री श्याम लाल गुप्ता	**अनिवार्यः** मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे शैक्षिक रिकार्ड के साथ सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक। रेलवे के क्षेत्र में पर्याप्त तकनीकी/प्रचालनक/परियोजना प्रबंधन अनुभव। **वांछनीयः** एमबीए/तकनीकी अर्हता प्राप्त।
iii)	निदेशक (कार्य) श्री योगेश कुमार मिश्रा	**अनिवार्यः** मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे शैक्षिक रिकार्ड के साथ सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक। सड़क/राजमार्ग सहित अवसंरचना परियोजनाओं के क्षेत्र में पर्याप्त तकनीकी/प्रचालनक/परियोजना प्रबंधन अनुभव। **वांछनीयः** एमबीए/तकनीकी अर्हता प्राप्त को प्राथमिकता।
iv)	निदेशक (वित्त) श्री मुकेश कुमार सिंह	**अनिवार्यः** (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे शैक्षिक रिकार्ड के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट या कॉस्ट एकाउंटेंट या पूर्णकालीन एमबीए/पीजीडीएम (वित्त में विशेषज्ञता सहित) पाठ्यक्रम के साथ प्रतिष्ठित संगठन में वरिष्ठ स्तर पर पर्याप्त अनुभव (ii) उपयुक्त स्तर पर संगठित समूह के लेखा सेवा के अधिकारी को उपर्युक्त क्रम. (i) में प्रस्तुत न्यूनतम अर्हता से छूट प्राप्त होगी। (iii) पर्याप्त एंव संगत अनुभव वाले केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय सशक्त बल/अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को उपर्युक्त क्रम. (i) में प्रस्तुत न्यूनतम अर्हता से छूट प्राप्त होगी। निगमित वित्त प्रबंधन तथा लेखांकन सहित लागत लेखांकन, बजट नियंत्रण, संस्थागत वित्त, कार्यशील पूंजी प्रबंधन आदि क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर का पर्याप्त अनुभव
2.	**सरकारी नामिति** (अंशकालीन सरकारी) निदेशक » श्री पीयुष अग्रवाल » श्री हरि मोहन गुप्ता	जैसा कि भारत सरकार (रेल मंत्रालय) द्वारा निर्धारित किया गया है।
3.	**स्वतंत्र निदेशक** (अंशकालीन गैर सरकारी) निदेशक » डॉ सी बी वेंकटरमणा » श्री अशोक कुमार गंजू » श्री नरेन्द्र सिंह रैना » श्री अवनीश माटा » प्रो. (सुश्री वसुधा वसंत कामत)	

जैसा कि भारत सरकार (रेल मंत्रालय) द्वारा निर्धारित किया गया है।

सरकारी नामिति और स्वतंत्र निदेशकों के अनुभव और कौशल कंपनी के वेबसाइट यथा **www.ircon.org** पर उपलब्ध हैं।

2. दिनांक 31 मार्च 2020 को बोर्ड की संरचना और निदेशकों की श्रेणी

क्र. सं.	डीआईएन सहित निदेशकों का नाम व श्रेणी	अन्य कंपनियों में निदेशक पद की संख्या	बोर्ड समिति (समितियों) की संख्या जिनमें वह सदस्य /अध्यक्ष हैं*
पूर्णकालीन/कार्यकारी (कार्यपालक निदेशक)			
1	श्री एस के चौधरी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (डीआईएनः 00515672)	पीएचडी, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	शून्य
2	श्री मुकेश कुमार सिंह निदेशक (वित्त) (डीआईएनः 06607392)	1. इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2. इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड 3. छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड 4. छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल लिमिटेड 5. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड 6. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड 7. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड 8. इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	लेखापरीक्षा समितिः आईआरएसडीसी (सदस्य)
3	श्री श्याल लाल गुप्ता निदेशक (परियोजना) (डीआईएनः 07598920) (01.11.2019 से)	1. छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड 2. छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल लिमिटेड 3. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड 4. इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड 5. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड 6. इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड 7. इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड 8. इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेस–वे लिमिटेड	शून्य
4	श्री योगेश कुमार मिश्रा निदेशक (कार्य) (डीआईएनः 07654014)	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	शून्य
सरकारी नामिति निदेशक/अंशकालीन सरकारी (गैर कार्यपालक)			
5	श्री पीयुष अग्रवाल@ (डीआईएनः 08305385) (31.03.2020 तक)	1. मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड 2. राष्ट्रीय राजधारी क्षेत्र परिवहन निगम 3. भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (सीसीआईएल)	लेखापरीक्षा समितिः एमआरवीसी (सदस्य)
6	श्री हरि मोहन गुप्ता@ (डीआईएनः 08453476) (15.05.2019 से)	1. रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) 2. पिपावा रेलवे निगमित लिमिटेड	शून्य
स्वतंत्र निदेशक/अंशकालीन गैर सरकारी (गैर कार्यपालक)			
7	श्री अविनीश माटा (डीआईएनः 00011749) (15.07.2019 से 31.03.2020 तक)	1. एक्सप्लिको कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड 2. इनक्वेंट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड 3. पीआईसी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड 4. इंटरनेशनल बिजनेस वूल्युवर्स एसोसिएशन	शून्य
8	प्रो वसुधा वसंत कामत (डीआईएनः 07500096) (15.07.2019 से 31.03.2020 तक)	शून्य	शून्य
9	डॉ सी.बी.वेंकटरमण (डीआईएनः 03179171)	शून्य	शून्य
10	डॉ नरेन्द्र सिंह रैना (डीआईएनः 07968391)	शून्य	शून्य
11	श्री ए.के.गंजू (डीआईएनः 07014589)	शून्य	शून्य

धारित निदेशकों की संख्या में विदेशकी कंपनियां और अनुच्छेद–8 कंपनियां, यदि कोई हो, शामिल नहीं हैं।

* केवल लेखापरीक्षा समिति और स्टेकधारक संबंध समिति के अध्यक्ष/सदस्य पर ही विचार किया गया है। कंपनी का कोई भी सदस्य दस से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है या उन सभी कंपनियों में पांच (5) से अधिक समितियों में अध्यक्ष के पद पर कार्य नहीं कर रहा है, जिनमें वह निदेशक है।

@ श्री पीयुष अग्रवाल और श्री हरि मोहन गुप्ता जो क्रमश सीसीआईएल और आरवीएनएल में सरकारी नामिति निदेशक हैं, को छोड कर काई भी निदेशक सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक के पद पर नहीं है।

कोई भी निदेशक एक समय पर बीस (20) से अधिक कंपनियों में निदेशक या वैकल्पिक निदेशक के पद पर नहीं है।

कोई भी निदेशक सात (7) से अधिक सूचीबद्ध निकाय में निदेशक के पद पर नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई भी निदेशक सात (7) से अधिक सूचीबद्ध निकायों में स्वतंत्र निदेशक के पद पर नहीं है।

कोई भी पूर्णकालीन निदेशक/प्रबंध निदेशक किसी सूचीबद्ध कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नहीं है।

निदेशकों के बीच में आपस में कोई संबंध नहीं है। दो नामिति निदेशक (अंशकालीन सरकारी), जो रेल मंत्रालय के अधिकारी हैं, और इस प्रकार प्रमोटर से संबंधित है किन्तु उनके बीच कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है।

किसी गैर कार्यपालक निदेशक के पास कंपनी का कोई शेयर नहीं है, तीन कार्यपालक निदेशक यथा श्री मुकेश कुमार सिंह, निदेशक (वित्त) तथा श्री योगेश कुमार मिश्रा, निदेशक (कार्य) तथा श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजना) के पास दिनांक 31 मार्च 2020 को क्रमशः 170 इक्विटी शेयर तथा 300 तथा 559 इक्विटी शेयर हैं।

2.3. वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकें और वार्षिक आम बैठक (एजीएम)

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की नौं बैठकें आयोजित हुईः

दिनांक 15 मई 2019, 28 मई 2019, 12 जुलाई 2019, 8 अगस्त 2019, 16 अक्तूबर 2019, 24 अक्तूबर 2019, 13 नवंबर, 2019, 17 दिसंबर 2019 तथा 11 फरवरी 2020। कोई भी बोर्ड बैठक 120 दिन से अधिक के अंतराल पर नहीं हुई है।

बैठक की तिथि	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
15 मई 2019	8	5
28 मई 2019	9	6
12 जुलाई 2019	9	8
8 अगस्त 2019	11	8
16 अक्तूबर 2019,	11	9
24 अक्तूबर 2019	11	8
13 नवंबर, 2019	11	8
17 दिसंबर 2019	11	9
11 फरवरी 2020	11	8

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों और वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति संबंधी ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत हैः

निदेशक का नाम व पदनाम	बोर्ड बैठकों की संख्या		पिछली वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति (03.09.2019 को) आयोजित
	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थित हुए	
पूर्णकालीन, क्रियाशील निदेशक (कार्यपालक)			
श्री एस.के.चौधरी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	9	9	हां
श्री दीपक सबलोक निदेशक (परियोजना) (31.10.2019 तक)#	6	5	हां
श्री मुकेश कुमार सिंह निदेशक (वित्त)	9	8	हां
श्री योगेश कुमार मिश्रा निदेशक (कार्य)	9	9	हां
श्री श्याम लाल गुप्ता निदेशक (परियोजना) (w.e.f. 01.11.2019)	3	3	*
सरकारी नामिति निदेशक(अंशकालीन सरकारी) (गैर–कार्यपालक)			
श्री हरि मोहन गुप्ता (15.05.2019 तक)	8	1	हां
श्री पीयुष अग्रवाल# (31.03.2020 तक)	9	4	हां
श्री सुखमल चंद जैन# (08.05.2019 तक)	0	0	*
स्वतंत्र निदेशक (अंशकालीन गैर सरकारी) (गैर कार्यपालक)			
डॉ सी बी वेंकटरमण	9	9	हां
डॉ नरेन्द्र सिंह रैना	9	1	नहीं
श्री अशोक कुमार गंजू	9	8	हां
श्री अवनीश माटा$ (15.07.2017 से 31.03.2020 तक)	6	6	हां
प्रो वसुधा वसंत कामत$ (15.07.2017 से 31.03.2020 तक)	6	6	हां

* संबंधित व्यक्ति पिछले एजीएम की तारीख के अनुसार इरकॉन का निदेशक नहीं था।

सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करना, श्री दीपक सबलोक, निदेशक (परियोजनाएं) और श्री पीयूष अग्रवाल, क्रमशः दिनांक 31.10.2019 और 31.03.2020 को सरकारी नामिती निदेशक इरकॉन के निदेशक पद से मुक्त हुए । इसके अतिरिक्त, श्री सुखमल चंद जैन, सरकार नामित निदेशक दिनांक 08.05.2019 से निदेशक के पद से मुक्त हुए।

$ श्री अवनीश माटा प्रो. (सुश्री) वसुधा वसंत कामत को रेल मंत्रालय के दिनांक 15.07.2019 के आदेश के अनुसरण में स्वतंत्र निदेशक के पद पर पुनः नियुक्त किया गया, जिन्होंने दिनांक 31.03.2020, से अपना कार्यकाल पूरा होने पर स्वतंत्र निदेशक का पद छोड दिया था।

2.4. निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली सूचना में अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं:

प्रबंधन द्वारा बोर्ड को उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना की मात्र और गुणवत्ता समय–समय पर यथा संशोधित सेबी (एल.ओ.डी.आर) विनियम, 2015 में निर्धारित अपेक्षा से अधिक है। निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली सूचना में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

क. कंपनी के तिमाही और अर्धवार्षिक तथा वार्षिक वित्तीय परिणाम।

ख. लेखापरीक्षा समिति तथा अन्य बोर्ड समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।

ग कंपनी की सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त।

घ पूंजीगत और राजस्व बजट तथा कोई अन्य अद्यतन।

ड. संबंधित पक्ष संव्यवहार।

च बट्टे खाते और अशोध्य ऋण।

छ. निवेश, सहायक कंपनियों और परिसंपत्तियों की सामग्रीगत प्रकृति की बिक्री।

ज. प्रमुख निवेश, सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उपक्रमों का गठन, नीतिगत गठबंधन आदि।

झ. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तन।

ट. कंपनी द्वारा विभिन्न कानूनों का अनुपालन।

ठ. प्राप्त प्रमुख आर्डर तथा अप्राप्त बोलियां।

ड. कंपनी में निदेशकों द्वारा हितलाभों का प्रकटन।

ढ. बोर्ड द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई।

ण. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अंतर्गत स्टाक एक्सचेंजों को प्रस्तुत अनुपालन/रिपोर्टें।

त. सूचनार्थ, अनुमोदनार्थ और समीक्षा हेतु बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली अन्य सभी सूचनाएं।

2.5 वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान नियुक्त / पुनर्नियुक्त नए निदेशक :

क. श्री श्याम लाल गुप्ता [डीआईएन: 07598920]

श्री श्याम लाल गुप्ता, जिनकी आयु 57 वर्ष है, और उन्हें इरकॉन के निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने रुड़की विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और स्कूल ऑफ प्रोफेशनल एंड एक्जीक्यूटिव एजुकेशन (एसपीईईडी), एशिया विश्वविद्यालय से परियोजना प्रबंधन में एक्जीक्यूटिव मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें अवसंरचना के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त है और इन्होंने 26 वर्षों तक भारतीय रेलवे में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्हें नवंबर, 2006 में भारतीय रेल इंजीनियर सेवा द्वारा महाप्रबंधक के रूप में इरकॉन में प्रतिनियुक्त किया गया था और तत्पश्चात उन्हें दिनांक 17 अगस्त 2011 को स्थायी रूप से इरकॉन में आमेलित किया गया था। निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त होने से पूर्व वे इरकॉन में कार्यकारी निदेशक (सामान्य) के पद पर कार्यरत थे। उनके पर्यवेक्षण में, श्रीलंका में निर्धारित समय के भीतर कई परियोजनाएं पूरी की गईं। वे वर्तमान में, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और श्रीलंका में रेलवे परियोजनाओं के प्रभारी हैं।

ख. श्री हरि मोहन गुप्ता [डीआईएन 08453476] :

श्री हरि मोहन गुप्ता की आयु 54 वर्ष है और उन्हें इरकॉन के बोर्ड में अंशकालीन (सरकारी) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री हरि मोहन गुप्ता, 1989 में रुड़की विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। इन्हें सामान्य प्रशासन और मानव संसाधन प्रबंधन के अतिरिक्त रेलपथ अनुरक्षण, रेलपथ मशीन प्रचालन, स्टोर निविदा प्रणाली का व्यापक अनुभव प्राप्त है। इन्हें कार्यपालक निदेशक (कार्य), रेलवे बोर्ड के पद पर नियुक्त किया गया है। वर्तमान पद से पूर्व, वे प्रतिनियुक्ति आधार पर डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) में मुख्य परियोजना प्रबंधक, नोएडा के पद पर कार्यरत थे, जहां वे रेवाड़ी, दादरी तथा पश्चिमी मालभाड़ा गलियारे के खंड के लिए उत्तरदायी थे। वहां वे भूमि अधिग्रहण के स्तर से लेकर परियोजना के व्यापक निर्माण के सम्पूर्ण कार्य में शामिल थे।

ग. श्री अवनीश माटा [डीआईएन 00011749] :

श्री अवनीश माटा की आयु 60 वर्ष है और उन्होंने दिनांक 15 जुलाई, 2019 से इरकॉन के बोर्ड में स्वतंत्र (अंशकालीन (गैर–सरकारी) निदेशक, के पद पर पुनःकार्यभार ग्रहण किया है। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स से वाणिज्य (ऑनर्स) में स्नातक की डिग्री तथा विधि में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। इन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्ता विश्वविद्यालय (इग्नू) से प्रबंधन में एडवांस डिप्लोमा भी प्राप्तं किया है। श्री माटा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएएस) के फेलो सदस्य हैं और इन्होंने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएएस) से सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा और मूल्यांकन में पठ्यक्रमों को पूरा किया है। वे भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बैंक के साथ दिवाला पेशेवर के रूप में पंजीकृत हैं। वे ए.वी.ए एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार के संस्थापक सदस्य हैं और इन्हें लेखापरीक्षा व आश्वासन, कर–निर्धारण, व्यवसाय नीति तथा विधिक परामर्श व विदेशी विनियम मामलों के क्षेत्र में दशकों का व्यावसायिक अनुभव प्राप्त है। इन्होंने इस अवधि के दौरान, द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय सहयोग संस्थानों के अतिरिक्त राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास, शिक्षा, पर्यावरण तथा सामाजिक क्षेत्र सहित बहुआयामी उद्योगों और व्यवसाय के क्षेत्रों में कार्य किया है। भारत सरकार द्वारा स्थापित गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड में तकनीकी समीक्षक के रूप में तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा बोर्ड में कार्य के दौरान इन्होंने सूचीबद्ध कंपनियों की लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है। वर्तमान में, श्री माटा भारतीय कंपनी सचिव संस्थाओं के विशेषज्ञ सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी हैं।

घ. प्रो. (सुश्री) वसुधा वसंत कामत (डीआईएन : 07500096)

प्रो. वसुधा वसंत कामत की आयु 67 वर्ष है और दिनांक 15 जुलाई, 2019 से इरकॉन के बोर्ड में स्वतंत्र (अंशकालीन (गैर–सरकारी) निदेशक, के पद पर पुनः कार्यभार ग्रहण किया है। इन्होंने पूणे विश्वविद्यालय से विज्ञान (रसायन) में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है तथा श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे (एस.एन.डी.टी) महिला विश्वविद्यालय, बम्बई से कला

(समाजशास्त्र) में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से बी.एड तथा एम.एड की डिग्री भी प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त, इन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से दर्शन (कला) में डॉक्टरेट की डिग्री भी प्राप्त की है। इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त है और फेलोशिप कार्यक्रमों के अंतर्गत तथा अतिथि विद्वान के रूप में विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों से संबंधित हैं। विगत में, प्रो. कामत केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की एक सांविधिक इकाई में संयुक्त निदेशक के पद पर तथा नाथीबाई दामोदर ठाकरे (एस.एन.डी.टी) महिला विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर कार्यरत रहीं, जहां से उन्होंनें वर्ष 2016 में सेवानिवृत्ति प्राप्त की है। वे मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए गठित समिति का भी भाग रही हैं।

2.6 स्वतंत्र निदेशकों के त्यागपत्र, यदि कोई हो के कारणों का ब्यौराः

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने त्यागपत्र या कार्यकाल समापन से पूर्व पद को रिक्त नहीं किया है।

2.7 बोर्ड की स्वतंत्रता

सभी स्वतंत्र निदेशक घोषणा करते हैं कि वे समय–समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्रता के मापदंड को पूरा करते हैं।

2.8 बोर्ड सदस्यों के लिए परिचय कार्यक्रम / प्रशिक्षण

कंपनी ने अपने निदेशकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है, जिसका उद्देश्य निदेशकों में नेतृत्व के गुणों को विकसित करना तथा निदेशकों द्वारा प्राप्त ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराना है। उन्हें कंपनी से संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें कंपनी का प्रोफाइल, समझौता ज्ञापन, संगम अनुच्छेद, ब्रोशर, वार्षिक रिपोर्ट, समझौता ज्ञापन लक्ष्य तथा उपलब्धियां, सीवीसी द्वारा नैतिकता और शासन–परिदृश्य पर लेख, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां, निगमित शासन तथा सीएसआर और धारणीयता पर डीपीई के दिशानिर्देश, बोर्ड की सभी समितियों के संदर्भ शर्तें, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 आदि के अंतर्गत निदेशकों के कार्यों तथा दायित्वों, और अनर्हता आदि के प्रावधान शामिल हैं।

कंपनी स्वतंत्र निदेशकों को विभिन्न कार्यक्रमों और प्रस्तुतीकरणों के माध्यम से कंपनी की गतिविधियों तथा कार्यप्रणाली तथा कंपनी में उनकी भूमिका, अधिकारों और उत्तरदायित्वों, उद्योग की प्रकृति जिसमें आपकी कंपनी प्रचालन कर रही है, कंपनी का व्यवसाय मॉडल आदि, ऐसे परिचय कार्यक्रमों का ब्यौरा इरकॉन की वेबसाइट पर वेबलिंकः

:https://www.ircon.org/images/Details%20of%20Familiarisation%20Programme%20to%20Ircon's%20Directors.pdf पर उपलब्ध है।

3. बोर्ड समितियां

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों और अन्य अपेक्षाओं के अनुपालन में निदेशक मंडल ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया हैः

(i) लेखापरीक्षा समिति

(ii) नामांकन और पारिश्रमिक समिति

(iii) शेयरधारक संबंध समिति

(iv) निगमित सामाजिक उत्तदायित्व और धारणीयता समिति

(v) जोखिम प्रबंधन समिति

(vi) परियोजना प्रगति समीक्षा समिति (पीआरसी)

(vii) स्वतंत्र निदेशक समिति

कंपनी सचिव और इन समितियों से संबंधित अध्यक्षों के परामर्श से बोर्ड के अध्यक्ष इन समितियों की बैठकों की आवृत्ति का निर्धारण करते हैं। समिति की सिफारिशों को अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

1. संरचना, बैठक और उपस्थिति

लेखापरीक्षा समिति की संरचना, गणपूर्ति, संदर्भ शर्तें, कार्यक्षेत्र आदि कंपनी (बोर्ड की बैठकों और उनकी शक्ति) नियम, 2014 के नियम 6 तथा 7, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18 तथा 24(2) और डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों, 2010 समय समय पर यथा संशोधित, के अध्याय 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 177 के अनुसार निर्धारित किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन नौ बार किया गया यथा 15 मई 2019, 28 मई 2019 12 जुलाई 2019, 08 अगस्त 2019, 27 सितंबर 2019, 16 अक्तूबर 2019, 13 नवंबर 2019 (दिनांक 14 नवंबर 2019 के लिए स्थगित), 17 दिसंबर 2019 तथा 07 फरवरी 2020 (11 फरवरी 2020 को जारी)।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी की संरचना, आयोजित बैठकों की संख्या और उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

निदेशक का नाम	पद	बैठकों की संख्या	
		कार्य काल के दौरान आयोजित	उपस्थित हुए
डा. सी.बी.वेंकटरमण स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	9	9
श्री अशोक कुमार गंजू स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	9	9
श्री योगेश कुमार मिश्रा निदेशक (कार्य)	सदस्य	9	9

सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव इस समिति की सचिव हैं।

2. संदर्भ शर्तें :

बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट बोर्ड स्तरीय समय– समय पर यथासंशोधित लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18 तथा 24(2) तथा सेबी (आंतरिम व्यापार निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 9क(4) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 177 तथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों, 2010 के अध्याय 4 की अपेक्षिओं के अनुरूप हैं। प्रमुख संदर्भ शर्तें निम्नानुसार हैं:

क. वित्तीय विवरण

(1) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करना और इसकी वित्तीय सूचना को प्रकट करना ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त, तथा विश्वसनीय हैं।

(2) निम्नलिखित विशिष्ट संदर्भ सहित बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरणों तथा उनकी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षाः

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 134(3)(सी) की शर्तों के अनुसार बोर्ड रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशक उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित विषय।

(ii) लेखांकन नीतियों और विधियों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और इन परिवर्तनों के कारण।

(iii) प्रबंधन द्वारा विवेक का प्रयोग करके अनुमानों के निर्माण में शामिल होने वाली प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां।

(iv) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।

(v) वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीकरण और विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन।

(vi) पक्ष संबंधी किसी लेनदेन का प्रकटन; और

(vii) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं/आशोधित विकल्प।

(viii) प्रबंधन विचारविमर्श की समीक्षा और वित्तीय परिस्थितियों व प्रचालनों के परिणामों का विश्लेषण।

(3) तिमाही वित्तीय परिणामों और उसपर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को बोर्ड के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबंधन के साथ इसकी समीक्षा।

(4) सेबी (एलओडीआर), विनियम, 2015 के विनियम 32(1) तथा (7) की शर्तों के अनुसार इश्यु (पब्लिक इश्यु, राइट्स इश्यु, प्रेफरेंशियल इश्यु आदि) के माध्यम से एकत्र निधियों के प्रयोग/अनुप्रयोग के विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/प्रोस्पेक्स/नोटिस में उल्लिखित प्रयोजनों से इतर प्रयोजनों के लिए निधियों के उपयोग का विवरण तथा परिवर्तन (परिवर्तनों) के विवरणों की समीक्षा करने के लिए पब्लिक इश्यु या राइट इश्यु से एकत्र निधि के उपयोग की मानीटरिंग करने वाली मॉनीटरिंग एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रबंधन के साथ समीक्षा तथा इस मुद्दे पर कदम उठाने के लिए बोर्ड को उपयुक्त सिफारिशें करना।

ख. लेखापरीक्षा और आंतरिम नियंत्रणः

5. कंपनी के लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण करने के लिए बोर्ड की सिफारिश।

6. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए उन्हें भुगतान का अनुमोदन।

7. आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, निरसन तथा पारिश्रमिक की शर्तों की समीक्षा।

8. सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों के प्रबंधन, निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता, लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता की समीक्षा और मॉनीटरिंग तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया का निष्पादन और प्रभावपूर्णता की समीक्षा।

9. लेखापरीक्षा आरंभ होने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा तथा किसी चिंता के विषय को निर्धारित करने के लिए लेखापरीक्षा पूर्व चर्चा।

10. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्रों/आंतरिम नियंत्रण खामियों के पत्रों की समीक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के संबंध में आवधिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों/आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा।

11. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, कार्मिकों की व्यवस्था तथा विभाग के प्रमुख की वरियता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज तथा आंतरिम लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की उपयुक्तता की समीक्षा।

12. किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।

13. आंतरिम वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।

14. आंतरिक लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों/एजेंसियों द्वारा ऐसे मामलों पर किसी आंतरिक अन्वेषण के निष्कर्षों की समीक्षा जिसमें, सामग्रीगत प्रकृति का आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में जालसाजी या अनियमितता या विफलता की आशंका हो।

ग. संबंधित पक्ष संव्यवहारः

15. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के संव्यवहारों का अनुमोदन या उनमें किसी प्रकार के अनुवर्ती आशोधनों, तथा कंपनी की संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति के अनुसार यथापेक्षित अन्य अनुमोदन।

घ. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा/सीओपीयूः

16. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा तथा संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा।

ङ. सहायक कंपनियां:

17. 100 करोड़ रूपए से अधिक या सहायक कंपनी की परिसंपत्ति आकार के 10 प्रतिशत, मौजूदा ऋणों/अग्रिमों/निवेशों सहित जो काई भी कम हो, की (राजसहायता) में धारक कंपनी द्वारा ऋणों तथा/या अग्रिमों /निवेश की समीक्षा।

18. वित्तीय विवरणों की समीक्षा और विशेष रूप से गैरसूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए निवेश में।

च. अन्यः

19. अंतर निगमित ऋणों और निवेशों की संवीक्षा, तथा

20. उपक्रमों या कंपनियों की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहांकहीं आवश्यक हो।

21. जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न किए जाने के मामले में), ऋणदाताओं को भुगतान में व्यापक चूक के कारणों की जांच करना।

22. व्हीसल ब्लोवर तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना तथा व्हीसल ब्लोवरों का संरक्षण।

23. यह सत्यापित करने के लिए कि आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त हैं और कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, सेबी पीआईटी विनियामें के प्रावधानों के संबंध में अनुपालन की समीक्षा वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात।

24. लेखापरीक्षा समिति को अपनी संदर्भ शर्तों के भीतर किसी भी गतिविधि की जांच करने का प्राधिकार होगा और इस प्रयोजन के लिए, यदि आवश्यक समझा जाए किसी कर्मचारी से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, बाहरी विधि या किसी पेशेवर की सलाह (निदेशक मंडल के अनुमोदन के मद्देनजर) ले सकते हैं और कंपनी के रिकार्डों में समाविष्ट सूचना पर पूरी पहुंच होगी तथा संगत विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति प्राप्त कर सकते हैं।

25. समय—समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुसार, तथा कंपनी अधिनियम, या डीपीई दिशानिर्देशों या सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 या किसी अन्य सेबी नियम तथा विनियम के अंतर्गत यथापेक्षित कोई अन्य कार्य।

3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

1. संरचना, बैठक और उपस्थिति

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना, संदर्भ शर्तें, गणपूर्ति, कार्यक्षेत्र आदि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 तथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों की तर्ज पर है।

वित्तीय वर्ष 2019—20 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन छह बार किया गया यथा 15 मई 2019, 12 जुलाई 2019, 13 नवंबर 2019, 06 फरवरी 2020, 2 मार्च 2020 और 18 मार्च 2020।

वित्तीय वर्ष 2019—20 के लिए कंपनी की संरचना, आयोजित बैठकों की संख्या और उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

निदेशक का नाम	पद	बैठकों की संख्या	
		कार्य काल के दौरान आयोजित	उपस्थिति हुए
श्री अशोक कुमार गंजू स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	6	6
डा. सी.बी.वेंकटरमण स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	6	6
डॉ नरेन्द्र सिंह रैना स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	6	1

सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव इस समिति की सचिव हैं।

2) संदर्भ शर्तें :

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संदर्भ शर्तों में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद—178 तथा डीपीई निगमित शासन के दिशानिर्देश शामिल हैं जिन्हें समय—समय पर संशोधित किया जाता है (निदेशकों से संबंधित मामलों को छोड़कर क्योंकि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत तथा इरकॉन के संबोधित दिनांक 2 अप्रैल 2018 के सेबी के पत्र के अंतर्गत सरकारी कंपनियों को इससे छूट प्राप्त है) ।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के कार्यक्षेत्र/संदर्भ शर्तों संक्षिप्त में इस प्रकार हैंः

क. डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित सीमा के भीतर कार्यपालकों और गैर—यूनियनिकृत पर्यवेक्षकों में वितरण हेतु वार्षिक बोनस/परिवर्ती आय पूल/निष्पादन संबंधी वेतन तथा इसके संवितरण की नीति का निर्धारण व अनुमोदन करना।

ख. डीपीई तथा अन्य सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों के चयन और उन्हें हटाने की नीति की समीक्षा करना और मंडल के अनुमोदन हेतु सिफारिश करना।

ग. निर्धारित मापदंड के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों को चिह्नित करना और उनकी नियुक्ति या हटाए जाने के लिए बोर्ड को सिफारिश करना।

घ. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक, वरिष्ठ प्रबंधन तथा अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक, किसी भी रूप में, से संबंधित नीति के संबंध में निदेशक मंडल को सिफारिश देना।

ङ. कोई अन्य कार्य जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 या डीपीई दिशानिर्देशों या सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 द्वारा शामिल किया जाए।

स्पष्टीकरणः वरिष्ठ प्रबंधन से तात्पर्य कंपनी के उन अधिकारियों/कार्मिकों से है, जो इसके प्रमुख प्रबंधन के सदस्य है और इसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालीन निदेशक/प्रबंधक (सीईओ/प्रबंधक सहित यदि वह बोर्ड का भाग नहीं है) से एक स्तर नीचे के सभी सदस्य शामिल नहीं हैं और विशिष्ट रूप से इसमें कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)(बोर्ड स्तर से

नीचे) और कार्यकारी प्रमुख शामिल हैं।

3) बोर्ड सदस्यों का निष्पादन मूल्यांकन :

निगमित कार्य मंत्रालय ने दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से सरकारी कंपनी को छूट प्रदान किए जाने वाले प्रावधान को अधिसूचित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ प्रावधान है कि औपचारित वार्षिक मूल्यांकन पर विवरण के संबंध में खंड–134(3)(पी) सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगा, यदि निदेशकों का मूल्यांकन अपनी स्वयं की विधि प्रक्रिया द्वारा कंपनी के प्रशासनिक प्रशर वाले मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त छूटों की तर्ज पर नियुक्ति, निष्पादन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में खंड 178 के उपखंड–(2), (3) तथा (4) सरकारी कंपनियों के निदेशकों पद लागू नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की अनुसूची–IV में दिनांक 5 जुलाई 2017 की एमसीए की अधिसूचना के तहत संशोधन किया गया है, जिसके द्वारा गैर–स्वतंत्र निदेशकों और अध्यक्ष की स्वतंत्र निदेशकों द्वारा निष्पादन मूल्यांकन की अपेक्षा और बोर्ड द्वारा स्वंतत्र निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन, यदि संबंधित विभाग या मंत्रालयों ने इन अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट किया हो, की अपेक्षा के अनुपालन से सरकारी कंपनियों को छूट प्रदान की है।

इस संबंध में, लोक उपक्रम विभाग (डीपीई), ने पहले ही सभी क्रियात्मक निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन हेतु तंत्र निर्धारित किया है। क्रियात्मक निदेशकों तथा कंपनी का निष्पादन रेल मंत्रालय मूल्यांकन वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की प्रणाली तथा रेल मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के माध्यम से किया जाता है और उक्त मूल्यांकन को प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से लोक उपक्रम विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। इरकॉन प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करता है, जिसमें कंपनी के लिए प्रमुख निष्पादन मापदंड निर्धारित होते हैं। एमओयू लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है और यह व्यक्तिगत निष्पादन मूल्यांकन का अभिन्न अंग होते हैं। आंतरिक एमओयू में सभी प्रचालनिक और निष्पादन मापदंड जैसे संयंत्र निष्पादन और कुशलता, वित्तीय लक्ष्य, लागत कटौती लक्ष्य, पर्यावरण, कल्याण, सामुदायिक विकास और कोई अन्य संगत कारक शामिल हैं।

सरकारी नामिति निदेशकों के मामले में, उनका मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, रेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। चूंकि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, इनका मूल्यांकन रेल मंत्रालय द्वारा और अंततः डीपीई द्वारा किया जाता है।

4. निदेशकों का पारिश्रमिकः

प) सरकारी कंपनी होने के कारण पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और सरकार द्वारा पूर्व–निर्धारित औद्योगिक मंहगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमानों तथा सरकार द्वारा जारी की गई उनकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार उन्हें पारिश्रमिक मिलता है।

निदेशक मंडल में नामित अंशकालिक सरकारी निदेशक को निदेशक के रूप में अपनी भूमिका के लिए कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है बल्कि उन्हें सरकारी अधिकारियों के रूप में सरकार से केन्द्रीय मंहगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमानों के अधीन पारिश्रमिक मिलता है।

स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल और इसकी समिति बैठकों के लिए शुल्क का भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने के लिए 30,000 रूपए तथा बोर्ड समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए 20,000 रूपए का भुगतान किया जा रहा है।

अ. 2019–20 के लिए पूर्णकालीन निदेशकों के पारिश्रमिक पैकेज पर प्रकटन

(रुपए में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम एवं पदना				
		श्री एस.के. चौधरी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री दीपक सबलोक, निदेशक (परियोजना) (31.10.2019 तक)	श्री एम.के. सिंह, निदेशक (वित्त)	श्री योगेश कुमार मिश्रा, निदेशक (कार्य)	श्री श्याम लाला गुप्ता, निदेशक (परियोजना) (01.11.2019 से)
1	**सकल वेतन**					
क)	आयकर अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 17(1) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	40,88,775	44,39607	3964576	36,92,921	17,03,898
ख)	आयकर अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 17(2) में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य	11,42,720	9,23,402	9,81,418	7,96,202	2,45,624
ग)	आयकर अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-	-

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम एवं पदना				
		श्री एस.के. चौधरी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री दीपक सबलोक, निदेशक (परियोजना) (31.10.2019 तक)	श्री एम.के. सिंह, निदेशक (वित्त)	श्री योगेश कुमार मिश्रा, निदेशक (कार्य)	श्री श्याम लाला गुप्ता, निदेशक (परियोजना) (01.11.2019 से)
2	स्टॉक आप्शन	.	.	.	.	.
3	स्वेट इक्विटी	.	.	.	.	.
4	कमिशन	.	.	.	.	.
5	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें					
	–निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन	31,12,090	15,38,150	26,44,608	3,11,170	.
	–सेवानिवृत्ति लाभ	6,44,763	16,29,052	7,64,514	7,06,779	2,70,100
	कुल	**89,88,348**	**85,30,211**	**83,55,116**	**55,07,072**	**22,19,622**

ब. वर्ष 2019–20 के दौरान स्वतंत्र निदेशक (अंशकालीन गैरसरकारी) निदेशकों को किए गए भुगतान का ब्यौराः

स्वतंत्र निदेशकों / अंशकालीन (गैर सरकारी) निदेशकों के नाम	बैठक शुल्क (रूपए)		कुल (रूपए में)
	बोर्ड बैठकें	समिति बैठकें	
डॉ सी.बी.वंकटरमण	2,70,000	4,40,000	7,10,000
डॉ नरेन्द्र सिंह रैना	30,000	40,000	70,000
श्री अशोक कुमार गंजू	2,40,000	4,60,000	7,00,000
श्री अवनीश माटा (15.07.2019 तक)	1,80,000	1,20,000	3,00,000
प्रो.(सुश्री) वसुधा वसंत कामत (15.07.2019 तक)	1,80,000	60,000	2,40,000

3.3 स्टेकधारक संबंध समिति

1. संरचना, बैठक और उपस्थिति

स्टेकधारक समिति की संरचना, संदर्भ शर्तें, गणपूर्ति,कार्यक्षेत्र आदि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 तथा डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों की तर्ज पर है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन दो बार किया गया यथा 27 मई 2019 तथा 06 फरवरी 2020 ।वर्ष के दौरान दिनांक 15 मई 2019 को समिति का पुनर्गठन किया गया । स्टेकधारक समिति में दिनांक 31 मार्च 2020 को निम्नलिखित निदेशक शामिल हैंः

निदेशक का नाम	पद
डा. सी.बी.वेकटरमण स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
श्री हरि मोहन गुप्ता अंशकालीन (सरकारी) निदेशक	सदस्य
श्री मुकेश कुमार सिंह निदेशक (वित्त)	सदस्य

सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव इस समिति की सचिव हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए समिति की संरचना, बैठकों और उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

समिति सदस्य का नाम	पद	आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
डा. सी.बी.वेकटरमण स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	2	2
श्री हरि मोहन गुप्ता अंशकालीन (सरकारी) निदेशक	सदस्य (15.05.2019 से)	2	0
श्री सुखमल चंद जैन अंशकालीन (सरकारी) निदेशक	सदस्य (08.05.2019 से)	0	0
श्री मुकेश कुमार सिंह निदेशक (वित्त)	सदस्य	2	2

2. संदर्भ शर्तें

स्टेकधारक संबंध समिति की संदर्भ शर्तों में सेबी (एलओडीआर)विनियम, 2015, के विनियम 20 सहित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 178 में विनिर्दिष्ट निम्नानुसार क्षेत्र शामिल हैंः

(क) शेयरधारकों, डिबेंचरधारकों तथा अन्य प्रतिभूति धारकों के हितों के विभिन्न पहलुओं को देखना।

(ख) शेयरों के अंतरण / प्रसारण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने तथा घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए / डुप्लिकेट प्रमाणपत्रों के जारी किए जाने तथा साधारण बैठक आदि संबंधी शिकायतों सहित कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों पर विचार करना तथा उनका निवारण करना।

शेयरधारकों द्वारा वोटिंग अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।

(ग) रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा।

(घ) कोई अन्य कार्य जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 या डीपीई दिशानिर्देशों या सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 द्वारा शामिल किया जाए।

(ड.) अदावित लाभांशों की मात्रा को कम करने और शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंटों/वार्षिक रिपोर्टों/सांविधिक नोटिसों की समय पर प्राप्ति को सुनिश्चित करना।

(च) कोई अन्य कार्य जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 या डीपीई दिशानिर्देशों या सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 द्वारा यथापेक्षित हो या अन्य मुद्दे जो समय-समय पर स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा यथा आवश्यक हों।

3. अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनामः

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की शर्तों के अनुसार कंपनी की अनुपालन अधिकारी सुश्री रितु अरोड़ा कंपनी सचिव हैं।

4. शेयरधारकों की शिकायतों का ब्यौरा

कंपनी ने निवेशकों की शिकायतों का त्वरित निवारण किया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान शेयरधारकों से कुल 83 पूछताछ/शिकायतें प्राप्त हुई थीं (पिछले वर्ष की 16 लंबित शिकायतों के अतिरिक्त), और वर्ष के अंत तक सभी शिकायतों का निवारण कर दिया गया था। इनका ब्यौरा निम्नानुसार हैः

शिकायतों की प्रकृति	प्राप्त	समाधान	लंबित
जल मुद्दों के लिए दायर आवेदनों की स्थिति	7	7	शून्य
रीफंड आदेश की गैर-प्राप्ति	शून्य	शून्य	शून्य
लाभांश वारंट की गैर प्राप्ति (पूछताछ सहित)	69	69	शून्य
इलेक्ट्रानिक क्रेडिट की गैर पावती	शून्य	शून्य	शून्य
सेबी शिकायतें	2	2	शून्य
स्टॉक एक्सचेंज शिकायतें	2	2	शून्य
उपभोक्ता फोरम/न्यायालय मामले	शून्य	शून्य	शून्य
एडवोकेट नोटिस	शून्य	शून्य	शून्य
विविध	3	3	शून्य

3.4 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं धारणीयता समिति (सीएसआर समिति)

सीएसआर तथा धारणीयता समिति की संदर्भ शर्तें, गणपूर्ति, अन्य मुद्दे कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 135 तथा इसके अंतर्गत लागू नियमों तथा सीएसआर तथा धारणीयता पर डीपीई के दिशानिर्देश, 2014 की तर्ज पर तैयार किए गए है।

1. संरचना, बैठक और उपस्थिति

जब कभी निदेशकों में परिवर्तन होता है तो समिति का पुनर्गठन किया जाता है। वर्ष के दौरान समिति का पुनर्गठन दिनांक 15 मई 2019, 8 अगस्त 2019 तथा 01 नवंबर 2019 को किया गया। दिनांक 31 मार्च 2020 को सीएसआर समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैंः

निदेशक का नाम	पद
प्रो. (सुश्री) वसुधा वसंत कामत स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
श्री अशोक कुमार गंजू स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
डॉ नरेन्द्र सिंह रैना स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
श्री अवनीश माटा स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
श्री श्याल लाल गुप्ता निदेशक (परियोजना)	सदस्य

सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव इस समिति की सचिव हैं।

पिछली बार सीएसआर समिति का पुनर्गठन 30 अप्रैल 2020 को किया गया था। इस रिपोर्ट की तिथि को, समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :

निदेशक का नाम	पद
श्री अशोक कुमार गंजू स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
डॉ नरेन्द्र सिंह रैना स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
श्री श्याल लाल गुप्ता निदेशक (परियोजना)	सदस्य

सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव इस समिति की सचिव हैं।

कंपनी की सीएसआर और धारणीयता गतिविधियों का ब्यौरा कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2. बैठक और उपस्थितिः

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी की तीन बैठकें हुईं यथा 12 जुलाई 2019, 15 अक्तूबर 2019 (दिनांक 16 अक्तूबर 2019 के लिए स्थगित) तथा 30 दिसंबर 2019। उक्त बैठकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है :

समिति सदस्य का नाम	पद	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
प्रो. (सुश्री) वसुधा वसंत कामत स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (08.08.2019 से 31.03.2020)	2	2
डॉ नरेन्द्र सिंह रैना स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (15.05.2019 से 07.08.2019)	1	1
	सदस्य (08.08.2019 से)	2	0
श्री दीपक सबलोक निदेशक (परियोजना)	सदस्य (31.10.2019 से)	2	2

समिति सदस्य का नाम	पद	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री अवनीश माटा स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (08.08.2019 से 31.03.2020)	2	2
श्री अशोक कुमार गंजू स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	3	3
श्री श्याल लाल गुप्ता निदेशक (परियोजना)	सदस्य (01.11.2019 से)	1	1
श्री हरि मोहन गुप्ता अंशकालीन (सरकारी) निदेशक	सदस्य (15.05.2019 से 07.08.2019)	1	0

4. संदर्भ शर्तें :

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता समिति की शर्तों में अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं:

क. कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता नीति के क्रियान्वयन की निगरानी करना तथा कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता कार्यसूची को वांछित दिशा प्रदान करने के लिए उपयुक्त नीतियों और ऋणनीतियों को तैयार करने में बोर्ड को सहयोग प्रदान करना।

ख. महाप्रबंधक स्तर या ऊपर के स्तर के नोडल अधिकारियों और अधिकारियों के दल की नियुक्ति करना,जो दिशानिर्देशों की शर्तों में उपयुक्त समझे जाएं।

ग. बोर्ड द्वारा अनुमोदित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता नीति के अंतर्गत तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार तथा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा धारणीयता गतिविधियों की सिफारिश करना, तथा इसे बोर्ड के अनुमोदन/संशोधन के लिए प्रस्तुत करना; और

घ. चिह्नित गतिविधियों को निष्पादित करने और सुव्यवस्थित रूप में निर्धारित समय में ना केवल निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों के त्वरित चिह्न के लिए बल्कि उपयुक्त स्तर और बोर्ड स्तर, जहां कहीं आवश्यक हो, पर क्लियरेंस प्राप्त करने के लिए कार्यविधि का निर्धारण करना।

3.5 स्वतंत्र निदेशकों की समिति

स्वतंत्र निदेशकों की समिति के संदर्भ शर्तें कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV तथा दिनांक 28 दिसंबर 2012 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन (यथासंशोधित दिनांक 20 जून 2013 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन) के अनुसार हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान स्वतंत्र निदेशक समिति की एक बैठक का आयोजन 10 फरवरी 2020 को किया गया जिसमें डॉ नरेन्द्र सिंह रैना को छोड़कर सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे।

3.6 परियोजना प्रगति समीक्षा समिति (पीआरसी)

निदेशक मंडल द्वारा समिति का गठन निष्पादित की जा रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए किया गया था। जब कभी निदेशकों में परिवर्तन होता है तो समिति का पुनर्गठन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान समिति का पुनर्गठन दिनांक 15 मई 2019, 8 अगस्त 2019 तथा 01 नवंबर 2019 को किया गया।

दिनांक 31 मार्च 2020 को परियोजना समीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

2020 को सीएसआर समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

निदेशक का नाम	पद
श्री अवनीश माटा स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
श्री अशोक कुमार गंजू स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
डा. सी.बी.वेंकटरमण स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
श्री श्याल लाल गुप्ता निदेशक (परियोजना)	सदस्य
श्री योगेश कुमार मिश्रा निदेशक (कार्य)	सदस्य
श्री हरि मोहन गुप्ता अंशकालीन (सरकारी) निदेशक	सदस्य

सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव इस समिति की सचिव हैं।

यह समिति पूर्णकालीन निदेशकों के साथ संबंधित कार्यपालक स्तर के अधिकारियों द्वारा सहयोग प्राप्त है।

इस रिपोर्ट की तिथि को, समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

निदेशक का नाम	पद
श्री अशोक कुमार गंजू स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
डा. सी.बी.वेंकटरमण स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
श्री श्याल लाल गुप्ता निदेशक (परियोजना)	सदस्य
श्री योगेश कुमार मिश्रा निदेशक (कार्य)	सदस्य
श्री हरि मोहन गुप्ता अंशकालीन (सरकारी) निदेशक	सदस्य

1. बैठक और उपस्थितिः

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी की चार बैठकें हुईं यथा 14 जुलाई 2019, 14 नवंबर 2019, 10 फरवरी 2020 तथा 6 मार्च 2020 (7 मार्च 2020 को जारी)। उक्त बैठकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

समिति सदस्य का नाम	पद	उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री अवनीश माटा स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (08.08.2019 से 31.03.2020)	3	3
श्री अशोक कुमार गंजू स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (15.05.2019 से 07.08.2019)	1	1
	सदस्य (08.08.2019 से)	3	3
डा. सी.बी.वेंकटरमण स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	4	4
श्री हरि मोहन गुप्ता अंशकालीन (सरकारी) निदेशक	सदस्य	4	0
श्री सुखमल चंद जैन अंशकालीन (सरकारी) निदेशक	सदस्य (08.05.2019 तक)	0	0
श्री दीपक सबलोक निदेशक (परियोजना) स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (31.10.2019 से)	1	1
श्री योगेश कुमार मिश्रा निदेशक (कार्य)	सदस्य	4	2
श्री श्याल लाल गुप्ता निदेशक (परियोजना)	सदस्य (01.11.2019 से)	3	2

2. संदर्भ शर्तें

परियोजना प्रगति समीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें हैं कि कंपनी की सभी चालू परियोजनाओं (पीएमसी परियोजनाओं को छोड़कर) की भौतिक प्रगति की समीक्षा करना और भौतिक प्रगति को विशुद्ध रूप से संबंधित गतिविधियों से संरेखित करना है। सभी परियोजनाओं की समीक्षा करने तथा परियोजनाओं के सुगम निष्पादन में संभावित बाधाओं को दूर करना है।

3.7 जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी में वृहत उपक्रम जोखम प्रबंधन (ईआरएम) फ्रेमवर्क विद्यमान है। जोखिम प्रबंधन समिति का गठन पूर्ववर्ती सूचीकरण करार (अब सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015) की अपेक्षाओं की तर्ज पर किया गया है। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी पर दिनांक 01.04.2019 से जोखिम प्रबंधन समिति की अपेक्षा लागू हो गई है, तथापि, कंपनी में पहले ही बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति वर्ष 2012 से विद्यमान है जिसमें निदेशक (परियोजना), निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (कार्य) शामिल हैं।

1. संरचनाः

कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति में पूर्णकालीन निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक (बोर्ड स्तर से नीचे) स्तर/मुख्य महाप्रबंधक स्तर पर त्वरित कार्य समूह शामिल हैं। जब कभी निदेशकों में परिवर्तन होता है तो समिति का पुनर्गठन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान समिति की पुनर्संरचना 1 नवंबर 2019 को की गई थी। दिनांक 31 मार्च 2020 को समिति में निम्नलिखित सदस्य हैंः

निदेशक का नाम	पद
श्री मुकेश कुमार सिंह, निदेशक (वित्त)	सदस्य
श्री योगेश कुमार मिश्रा निदेशक (कार्य)	सदस्य
श्री श्याल लाल गुप्ता निदेशक (परियोजना)	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की दो बैठकों का आयोजन दिनांक 9 सितंबर 2019 तथा 4 मार्च 2020 को किया गया था। उक्त बैठकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

समिति सदस्य का नाम	पद	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
श्री मुकेश कुमार सिंह निदेशक (वित्त)	सदस्य	2	2
श्री दीपक सबलोक निदेशक (परियोजना) स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (31.10.2019 तक)	1	1
श्री श्याल लाल गुप्ता निदेशक (परियोजना)	सदस्य (01.11.2019 से)	1	1
श्री योगेश कुमार मिश्रा निदेशक (कार्य)	सदस्य	2	1

इस समिति को संबंधित कार्यपालक निदेशक (बोर्ड स्तर से नीचे) स्तर/मुख्य महाप्रबंधकों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

2. संदर्भ शर्तें :

जोखिम प्रबंधन समिति की संदर्भ शर्तें हैं – जोखिम की पहचान करना, मूल्यांकन करना और चिहि्नत जोखिमों को न्यूनतम करना। इसमें समग्र व्यवसाय वातावरण और कंपनी के उद्देश्यों की तर्ज पर कंपनी के जोखिम संभावना का आकलन करना, संभावित जोखिमों की पहचान करना तथा चालू और भावी परियोजनों में इनके प्रभाव का आकलन करना, आकलित जोखिमों के लिए प्रतिक्रिया नीति विकसित करना, इसके क्रियान्वयन स्तर पर प्रतिक्रिया नीति का प्रसार करना, जोखिम प्रबंधन प्रभावपूर्णता पर इसका क्रियान्वयन, मॉनीटरिंग और फीडबैक प्राप्त करना शामिल हैं।

4. वार्षिक साधारण बैठक

4.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक तथा असाधारण आम बैठकों का विवरण इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	बैठक की तिथि	समय	स्थल / स्थान	पारित विशेष संकल्प
2018–19 (43वीं एजीएम)	03 सितंबर 2019	1000 बजे	एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली–110010	शून्य
2017–18 (42वीं एजीएम)	14 सितंबर 2018	1600 बजे	रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली	1*
2017–18 (8वीं ईजीएम)	21 दिसंबर 2017	1330 बजे	रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली	2*
2017–18 (7वीं ईजीएम)	22 मई 2017	1200 बजे	तीसरा तल, सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017	3*
2016–17 (41वीं एजीएम)	28 सितंबर 2017	1200 बजे	रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली	शून्य

पिछली तीन वार्षिक साधारण बैठकों में पारित विशेष संकल्पों का ब्यौराः

(1) दिनांक 14 सितंबर 2018 को आयोजित 42वीं वार्षिक साधारण बैठक (वर्ष 2017–18 हेतु) ने एक विशेष संकल्प पारित किया गया था और यह संकल्प कर्ज एवं अधिकारों को संशोधित करने तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 180 (1)(ग) के अंतर्गत कर्ज के संबंध में सुरक्षा प्रदान करने और कर्जो के संबंध में सुरक्षा प्रदान करने के लिए है।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार कंपनी के संगम अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए 21 दिसंबर 2017 को आयोजित 8वीं असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में विशेष संकल्प पारित किया गया था।

(3) कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि करके इसे 100 करोड़ रूपए से 400 करोड़ करने के लिए 22 मई 2017 को आयोजित 7वीं असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में दो विशेष संकल्प पारित किये गये थे।

4.2 वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से पारित विशेष संकल्प

पिछले वर्ष पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प परित नहीं किया गया है। तथापि, दिनांक 22 मार्च 2020 को पोस्टल बेलेट के माध्यम से दो सामान्य संकल्प पारित किए गए थे (1) प्रति 10 रूपए के फेस मूल्य वाले कंपनी के एक इक्विटी शेयर को प्रति 2 रूपए के फेस मूल्य वाले पांच इक्विटी शेयरों में विभाजित करना और (2) कंपनी के संगम अनुच्छेद के पूंजी खंड में संशोधन।

4.3 पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प प्रस्तावित नहीं है।

5.. सम्प्रेषण के माध्यम

कंपनी अपने शेयरधारकों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्ट, साधारण बैठकों तथा वेबसाइट के माध्यम से अपने प्रकटनों द्वारा सम्प्रेषण करती है। कंपनी के संबंध में सूचना, नवीनतम अद्यतन तथा घोषणाओं को इरकॉन की वेबसाइट www.ircon.org पर देखा जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित सूचनाएं शामिल हैं:

» तिमाही / अर्धवार्षिक / वार्षिक वित्तीय परिणाम।

» तिमाही शेयरधारक पैटर्न।

» तिमाही निगमित शासन रिपोर्ट।

» विश्लेषकों द्वारा सम्मेलनों का ट्रांसक्रिप्ट।

» समय–समय पर स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई सूचनाएं।

» कंपनी के आधिकारिक समाचार, अन्य प्रेस कवरेज, संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों के लिए प्रस्तुतीकरण।

» कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी तथा आरटीए का ई–मेल आईडी वेबसाइट में ''इन्वेस्टर रिलेशन'' → इन्वेस्टर कॉन्टेक्ट शीर्षक के अन्तर्गत दिया गया है, जिसे विशिष्ट रूप से निवेशकों को अपनी शिकायतें पंजीकृत करने के लिए बनाया गया है।

कंपनी विश्लेषकों की ब्रिफिंग के संयोजन के माध्यम से तथा व्यक्तिगत चर्चाओं के द्वारा संस्थागत शेयरधारकों के साथ सम्प्रेषण करती है और समय–समय पर निवेशक सम्मेलनों में भी भाग लेती है। प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात कॉन्फरेंस कॉलों के माध्यम से वित्तीय परिणामों पर चर्चा की जाती है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, तिमाही परिणाम प्रकाशित किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं:

तिमाही	समाचारपत्र
दिनांक 30.06.2019 को समाप्त पहली तिमाही और नौ महीने	फाइनांशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिन्दी)
दिनांक 30.09.2019 को समाप्त दूसरी तिमाही और अर्धवार्षिक	फाइनांशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिन्दी)
दिनांक 31.12.2019 को समाप्त तीसरी तिमाही और नवां महीना	फाइनांशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिन्दी)
दिनांक 31.03.2020 को समाप्त चौथी तिमाही और समाप्त वर्ष	फाइनांशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिन्दी)

6. सामान्य शेयरधारक सूचना

6.1 चालू वर्ष की वार्षिक साधारण बैठक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

दिन तथा तिथि : मंगलवार, 29 सितंबर 2020

समय : 11:30 बजे

स्थान : कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017

6.2 वित्तीय वर्ष

कंपनी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है।

6.3 बुक क्लोजर

कंपनी के सदस्यों और शेयर अंतरण बहियों का रजिस्टर बुधवार, 23 सितंबर 2019 से मंगलवार, 29 सितंबर 2019 (दोनों दिनों सहित) तक बंद रहेगा।

6.4 लाभांश का भुगतान

कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 96.87 करोड़ रूपए की राशि के प्रति 2 रूपए फेस मूल्य के प्रति शेयर 2.06 रूपए (94.05 करोड़ रूपए के प्रदत्त शेयर पूंजी का 103 प्रतिशत) की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो क्रमशः फरवरी और मार्च 2019 में घोषित और भुगतान किए गए प्रति 10 रूपए के फेस मूल्य पर प्रति शेयर 13.45 रूपए के अंतरिम लाभांश (94.50 करोड़ रूपए की प्रदत्त शेयर पूंजी पर 134.50 प्रतिशत) के अतिरिक्त है।

इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश का भुगतान भौतिक शेयरों के संबंध में कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में प्रदर्शित नामों वाले सदस्यों को सोमवार, 14 अक्तूबर 2020 को किया जाएगा और डीमेटिरियलाइस्ड शेयरों के मामले में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड तथा सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेस इंडिया लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थी स्वामित्व विवरण में प्रदर्शित होने वाले नामों को इसका भुगतान मंगलवार, 22 सितंबर, 2020 को व्यवसाय समय के समापन पर किया जाएगा।

6.5 लाभांश इतिहास

पिछले आठ वर्षों के दौरान इरकॉन द्वारा भुगतान किए गए लाभांश का ब्यौरा निम्नानुसार सारबद्ध हैः

वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी (रु. करोड़ में)	प्रदत्त लाभांश की कुल राशि (रु. करोड़ में)	बोर्ड बैठक'/एजीएम की तिथि जिसमें लाभांश की घोषणा की गई थी	अंतरित/अंतिम	लाभांश के भुगतान की तिथि (अंतरित और अंतिम)
2012-2013	19.796	148.47	30.01.2013*	अंतरित	25.02.2013
		(₹ 75 प्रति शेयर)	03.09.2013	अंतिम	27.09.2013
2013-2014	19.796	182.12	31.01.2014*	अंतरित	25.02.2014
		(₹ 92 प्रति शेयर)	25.09.2014	अंतिम	17.10.2014
2014-2015	19.796	182.12	28.01.2015*	अंतरित	24.02.2015
		(₹ 92 प्रति शेयर)	22.12.2015	अंतिम	18.01.2016
2015-2016	19.796	168.26	19.02.2016*	अंतरित	14.03.2016
		(₹ 85 प्रति शेयर)	28.09.2016	अंतिम	21.10.2016
2016-2017	19.796 +79.184#	79.05	20.01.2017*	अंतरित	14.02.2017
	19.796 +79.184#	16.10	23.03.2017*	अतिरिक्त अंतरित	27.03.2017
	19.796 +79.184#	97.25	28.09.2017	अंतिम	24.10.2017
2017-2018	94.05	192.40	20.03.2018*	अंतरित	28.03.2018
		(₹ 20.46 प्रति शेयर)	14.09.2018	अंतिम	10.10.2018
2018-2019	94.05	202.64	07.02.2019*	अंतरित	26.02.2019
		(₹ 21.54 प्रति शेयर)	28.05.2019	अंतिम	18.09.2019
2019-2020	94.05	223.48	11.02.2020*	अंतरित	03.03.2020
		(प्रति शेयर) $	10.07.2020	अंतिम	14.10.2020

* बोर्ड बैठक की तिथि जिसमें अंतरिम लाभांश की घोषणा की गई थी।

अंतरिम, अतिरिक्त अंतरिम तथा अंतिम लाभांश का भुगतान 79.184 करोड़ रूपए के बोनस शेयर पूंजी (दिनांक 05.01.2017 को आवंटित बोनस शेयरों पर आनुपातिक रूप से 70 दिनों के लिए) पर किया गया था।

$ अंतरिम लाभांश का भुगतान प्रति 10 रूपए के फेस मूल्य पर प्रति शेयर 13.45 रूपए की दर से किया गया था और अंतिम लाभांश का भुगतान प्रति 02 रूपए के फेस मूल्य पर प्रति शेयर 2.06 रूपए की दर से किया गया था।

6.6 लाभांश वितरण नीतिः

कंपनी में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित लाभांश वितरण नीति विद्यमान है। इस नीति का उद्देश्य व्यापक स्तर पर उन मापदंडों (बाहरी और आंतरिम कारक) को निर्धारित करना है, जिनपर लाभांश की घोषणा के समय विचार किया जाएगा और परिस्थितियां जिनके अंतर्गत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर/नहीं कर सकते हैं और प्रतिधारित आमदनी का उपयोग किस प्रकार किया जाए। इस नीति को बोर्ड रिपोर्ट के परिशिष्ट ''ट'' पर संलग्न किया गया है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला गया है।

6.7 स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकरणः

कंपनी दिनांक 28.09.2018 को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हुई है। वित्तीय वर्ष 2019–20 व 2020–21 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड को किया गया है। कंपनी का आईएसआईएन INE962Y01013 है।

कंपनी के शेयरों के विभाजन के परिणामस्वरूप, आज की तिथि को कंपनी का नया आईएसआईएन INE962Y01021.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	बीएसई लिमिटेड
एक्सचेंज प्लाजा, प्लाट सं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा–कुर्ला कान्पलैक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई– 400 051	फिरोज जीजीशेए टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400 001
स्क्रिप्ट कोड :IRCON	स्क्रिप्ट कोडः **541956**

6.8 वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए इरकॉन के शेयरों का बाजार मूल्य डाटा

माह	बीएसई				एनएसई				सूचकांक	
	उच्चतम (रुपए में)	निम्नतम	समापन	मात्रा (करोड़ रुपए में शेयरों की संख्या)	उच्चतम (रुपए में)	निम्नतम	समापन	मात्रा (करोड़ रुपए में शेयरों की संख्या)	बीएसई सेंसेक्स	एनएसई निफ्टी
अप्रैल-19	426.00	392.20	399.55	3.64	425.80	391.00	398.75	25.42	39,031.55	11748.15
मई-19	433.90	374.60	410.05	5.55	433.95	374.00	408.60	52.47	39,714.20	11922.80
जून-19	419.30	380.90	401.65	2.33	417.50	380.90	401.50	16.59	39,394.64	11788.85
जुलाई-19	414.60	356.00	358.10	3.11	414.35	355.00	358.25	26.43	37,481.12	11118.00
अगस्त-19	367.10	333.30	338.65	2.29	367.00	333.40	338.85	22.39	37,332.79	11023.25
सितंबर-19	391.00	336.00	375.20	4.79	389.00	335.50	375.40	44.26	38,667.33	11474.45
अक्तूबर-19	449.00	354.65	429.30	11.61	449.70	354.80	429.25	102.54	40,129.05	11877.45
नवंबर-19	460.85	395.60	417.90	17.68	461.00	393.80	417.85	154.29	40,793.81	12056.05
दिसंबर-19	422.00	385.00	402.00	4.44	424.40	385.00	401.95	3.81	41,253.74	12168.45
जनवरी-20	498.00	406.20	472.95	25.13	498.40	404.95	473.00	252.38	40,723.49	11,962.10
फरवरी-20	598.80	437.40	502.75	100.09	599.00	437.00	503.05	103.81	38,297.29	11,201.75
मार्च-20	523.50	291.00	381.15	33.47	515.90	290.00	381.05	31.89	29,468.49	8,597.75

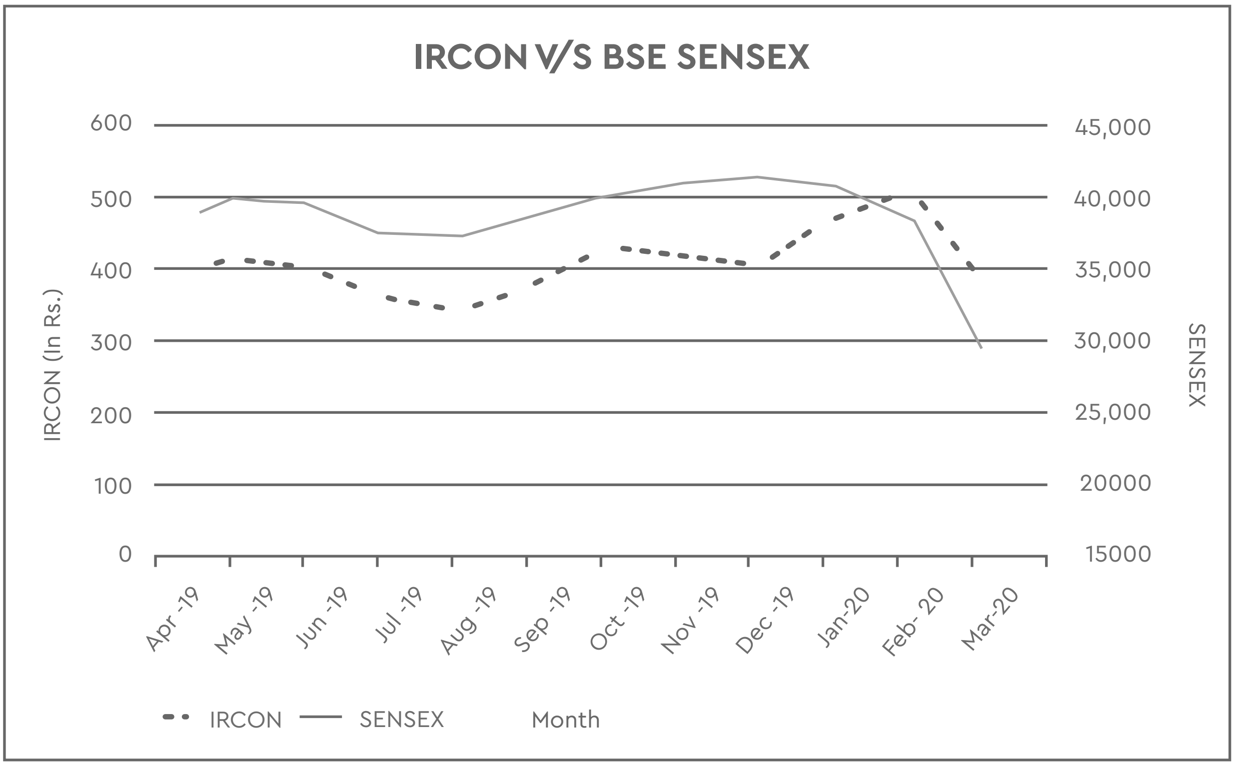

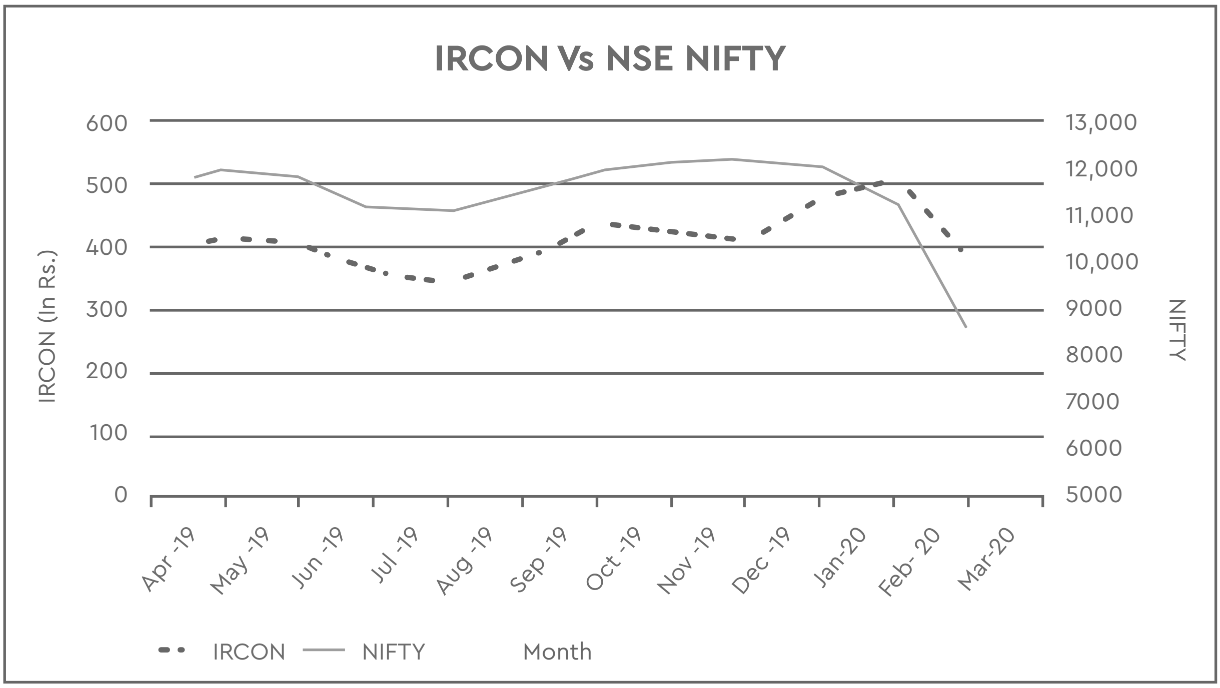

6.9 कंपनी की प्रतिभूतियां वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान ट्रेडिंग से निलंबित नहीं की गई हैं।

6.10 शेयरों का रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट

केफिन टैक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
(पूर्व में कर्वी फिनटैक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
कार्पोरेट रजिस्ट्री, कार्वी सेलेनियम, टावर–बी,
प्लॉट सं. 31 व 32, फाइनाशियल डिस्ट्रिक्ट,
नानकरंगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल,
हैदराबाद–500032, भारत
टोलफोन नं 18003454001
ईमेल : einward.ris@kfintech.com

6.11 शेयरों का अंतरण

कार्वि फिनटैक प्राइवेट लिमिटेड भौतिक और डीमेट शेयरों के लिए रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट है और नेशनल सिक्योरिटी प्रतिभूति डिपोजिटरी लिमिटड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों के लिए कंपनी का डिपाजिटरी इंटरफेस भी है। निदेशक मंडल ने शेयरों के रिमेटिरियलाइजेशन के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए किसी एक पूर्णकालीन निदेशक तथा कंपनी सचिव (या कंपनी सचिव की अनुपस्थिति में कोई दो पूर्णकालीन निदेशक) को प्राधिकृत किया है।

दिनांक 8 जून 2018 के सेबी के परिपत्र सं. सेबी/ एलएडी–एनआरओ/जीएन/2018/24 की तर्ज पर, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि दिनांक 01.04.2019 से प्रतिभूतियों/शेयरों के अंतरण को प्रभावी बनाने के अनुरोध पर तब तक कार्यवाही नहीं की जाएगी, जबतक वे प्रतिभूतियाँ डीमेट रूप में न हों, ऐसे मामलों को छोड़कर जहां प्रतिभूतियों/शेयरों का ट्रांसमिशन या ट्रांस्पोजिशन शामिल हो। इस संदर्भ में, दिनांक 01.04.2019 से केवल डीमेट रूप में शेयरों के धारण के संबंध में शेयरधारकों को सूचित करने के लिए कंपनी की वेबसाइट में एक नोटिस डाला गया है।

भौतिक सेगमेंट के अंतर्गत शेयर अंतरण की सम्पूर्ण गतिविधियों को आरटीए द्वारा निष्पादित किया जाता है। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 7(3) के अंतर्गत यथापेक्षित अर्धवार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र, अनुपालन अधिकारी तथा शेयर अंतरण एजेंट द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित रूप में स्टाक एक्सचेंज में प्रस्तुत किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 40(9) के अनुसरण में, अर्धवार्षिक आधार पर इस पुष्टि पर प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्रमाणपत्र कि सभी प्रमाणपत्रों को अंतरणों, उप–डिविजन, समेकन, नवीकरण विनिमय या पृष्ठांकन के कॉलों/आवंटन राशियों के लिए लॉजमेंट की तिथि से तीस दिन के भीतर जारी कर दिए गए हैं और इन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत कर दिया गया है। हालांकि वर्ष 2019–20 के दौरान शेयर के अंतरण, सब–डिविजन, समेकन, नवीकरण, कॉलों/आवंटन राशियों के विनिमय या पृष्ठांकन के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

31 मार्च 2020 को शेयरधारण का संवितरण

(क) 31 मार्च 2020 को होल्डिंग के आकार के अनुसार शेयरों का संवितरण

धारित इक्विटी शेयर/शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	शेयरधारण का प्रतिशत
1- 5000	67,562	99.78	45,43,346	4.83
5001-10000	76	0.11	5,68,235	0.60
10001-20000	31	0.05	4,73,339	0.50
20001-30000	18	0.03	4,44,170	0.47
30001-40000	3	0.00	1,06,930	0.11
40001-50000	1	0.00	42,250	0.04
50001-100000	6	0.01	4,36,546	0.46
100001 और ऊपर	15	0.02	8,74,36,758	92.97
कुल	**67,712**	**100.00**	**9,40,51,574**	**100.00**

(ख) 31 मार्च 2020 को शेयरधारण पैटर्न

श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति*	83,878,417	89.18
म्युचुवल फंड	2,23,290	0.24
वित्तीय संस्थान/बैंक	1,20,478	0.13
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	1,83,811	0.20
निगमित निकाय	1,126,671	1.20
रेसिडेंट व्यक्ति	5,171,381	5.50
अन्य	33,47,526	3.55
कुल	**94,051,574***	**100**

*वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, भारत के राष्ट्रपति के नामितियों द्वारा धारित 20,000 इक्विटी शेयरों को भारत के राष्ट्रपति को अंतरित किया गया था।

कंपनी के शेयरों के सूचीकरण के परिणामस्वरूप, प्रमोटर श्रेणी के अंतर्गत, भारत के राष्ट्रपति तथा उनके नामितियों (प्रमोटर) द्वारा धारित पूर्व–ऑफर शेयर पूंजी को एक वर्ष की अवधि (यथा 26 सितंबर 2019 तक) के लिए लॉक–इन किया गया था। इसके अतिरिक्त, सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रमोटरों द्वारा धारित पूर्णत विलयित ऑफर–पश्चात पूंजी के 20 प्रतिशत के समग्र को न्यूनतम प्रमोटर अंशदान माना गया है और यह आवंटन की तिथि यथा 26 सितंबर 2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए लॉक–इन है।

(ग) कंपनी के शेयरों की 1 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता वाले शेयरधारकः

श्रेणी और शेयरधारकों का नाम	31 मार्च 2020	
	वोटिंग प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या
प्रमोटर		
नामितियों सहित भारत के राष्ट्रपति	89.18	83,878,417

(घ) भारत सरकार द्वारा शेयरों का विनिवेश

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान भारत के राष्ट्रपति (प्रमोटर) ने रेल मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कोई विनिवेश नहीं किया है।

6.12 शेयरों और लिक्विडिटी का डीमेटीरियलाइजेशन

कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डीमेटिरियलाइज रूप में हैं और दोनों ही डिपोजिटिरीस यथा नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटिरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) में स्वीकृत हैं।

पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त कंपनी की शेयर पूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का विनियोजन निर्धारित समयसीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों में जमा करा दिया गया है।

दिनांक 31.03.2020 को डीमेटिरियलाइस्ड तथा भौतिक रूप में धारित शेयरों की संख्या निम्नानुसार हैः

श्रेणी	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक	55	0.000
डीमेट		
एनएसडीएल के साथ	91,310,160	97.085
सीडीएसएल के साथ	2,741,359	2.915
कुल	**9,40,51,574**	**100**

6.13 बकाया जीडीआर/एडीआरः

दिनांक 31 मार्च 2020 को कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट/परिवर्तनीय अभिलेख बकाया नहीं है।

6.14 कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी विनिमय जोखिम या हैजिंग गतिविधियांः

विदेशी मुद्रा में संव्यवहार करने से विदेशी विनिमय जोखिम बना रहता है और मुद्रा के विनिमय से पूर्व विनिमय दर में प्रतिकूल रूप से परिवर्तन होने का जोखिम रहता है। विदेशी विनिमय जोखिम को न्यूनतम करने या समाप्त करने के लिए, इन विनिमय दर उच्चावचनों की निरंतर निगरानी की जाती है और उपयुक्त समय में सरप्लस निधि को विनिमियत/भारत में वापस लाया जाता है। तथापि, यहां कोई विनिमय उच्चावचन जोखिम शामिल नहीं हैं क्योंकि आवक और जावक दोनों एक ही विदेशी मुद्रा में हैं। इससे चालू विदेशी उच्चावचन जोखिम के प्रति स्वतः हैजिंग उपलब्ध हो जाती है।

6.15 संयंत्र अवस्थिति / प्रचालनिक इकाइयां

कंपनी का मुख्यालय साकेत, नई दिल्ली में है और भारतवर्ष में अपने व्यवसायिक प्रचालनों को सहयोग प्रदान करने और इनके प्रबंधन के लिए 38 परियोजना कार्यालय तथा 04 क्षेत्रीय कार्यालय हैं तथा विदेश में श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और अल्जीरिया में 5 परियोजना कार्यालय हैं।

प्रचालन इकाइयों/कार्यालयों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।

6.16 पंजीकृत कार्यालय के साथ पत्राचार का पता निम्न है

(इस रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल निगमित शासन मामलों के संबंध में) :

सुश्री रितु अरोड़ा
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
प्लाट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017
टेलीफोन : 91–11–26530456,
फैक्स : 91–11–26522000/ 26854000
ई–मेल : cosecy@ircon.org, वेबसाईटः www.ircon.org

6.17 कंपनी द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंगों की सूची

रेटिंग एजेंसी द्वारा विभिन्न ऋण उपकरणों के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को प्रदान की गई क्रेडिट रेटिंग निम्नानुसार हैः

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को रेटिंग एजेंसियों द्वारा विभिन्न ऋण माध्यमों के लिए प्रदान की गई क्रेडिट रेटिंग निम्नानुसार हैः

माध्यम : दीर्घकालीन/अल्पकालीन बैंक सुविधाएं
रेटिंग एजेंसी : केयर
रेटिंग : केयर एएए, स्टेबल/केयर ए1+ (ट्रिपल ए; आउटलुक; स्टेवल /ए वन प्लस)
आउटलुक : स्टेवल

7. प्रकटन

7.1 संबंधित पक्ष संव्यवहार

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में प्रकटनों को छोड़कर महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष संव्यवहार, विशिष्ट संव्यवहारों या कंपनी व निदेशकों, प्रबंधन, सहायक कंपनियों या संबंधित पक्षों के बीच संबंध नहीं है, और यह कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद–134 के अंतर्गत अपेक्षित शर्तों में बोर्ड द्वारा प्रस्तुत अनुसार है।

व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में संबंधित पक्ष के साथ संव्यवहार आर्म लैंथ आधार पर है और इससे संबंधित प्रकटन कंपनी अधिनियम, 2013 (यथा फॉर्म एओसी–2), सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं के अनुसार तथा संगत लेखांकन मानकों (कंपनी के वित्तीय विवरणों के नोट में) की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।

कंपनी ने अधिनियम और सूचीकरण विनियमों के आधार पर संबंधित पक्ष संव्यवहारों के लिए सामग्रीगत रुकावटों से निपटने और कंपनी व इसके संबंधित पक्षों के बीच संव्यवहारों से निपटने की विधि हेतु संबंधित पक्ष संव्यवहार (आरपीटी) नीति निर्धारित की है।

यह आरटीपी नीति लिंकः

http://www.ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=212&Itemid=606&lang=en पर उपलब्ध है।

7.2 पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी दिशानिर्देश से संबंधित किसी विषय पर किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर लगाए गए गैर अनुपालन/दंड या प्रतिबंध।

यहां किसी सांविधिक विनियम या सरकारी दिशानिर्देशों के गैर अनुपालन का कोई मामला नहीं है और ना ही सरकार द्वारा जारी पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले या दिशानिर्देश के संबंध में कंपनी पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

7.3 आचार सहिंता

कम्पनी में निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता तथा कम्पनी के लिए समग्र रूप से आधारभूत मूल्य विद्यमान हैं। ये संहिता और आधारभूत मूल्य 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी हैं तथा इन्हें कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org में शामिल किया गया है।

वर्ष 2019–20 के दौरान निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन दल के सदस्यों द्वारा आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा संलग्नक ''ड.–1'' पर उपलब्ध है।

7.4 आंतरिक ट्रेडिंग के निवारण के लिए उचित प्रकटन हेतु आचार सहिंत

सेबी (आंतरिक ट्रेडिंग निवारण) अधिनियम, 2015 समय–समय पर यथासंशोधित के अनुसरण में, इरकॉन के बोर्ड ने इरकॉन की प्रतिभूतियों के साथ संव्यवहार में आंतरिक ट्रेडिंग के निवारण के लिए आचार संहिता को अनुमोदित किया हो ताकि कंपनी के आंतरिक लोग कंपनी के संबंध में अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना, जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है और इस प्रकार वह आंतरिक सूचना बन जाती है, पर पहुंच प्राप्त करके किसी प्रकार का लाभ प्राप्त न कर सकें या किसी अन्य को किसी प्रकार का लाभ प्रदान न करा सकें।

7.5 विसल ब्लोवर नीति

कंपनी व्यवसाय, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानक को स्वीकार करके नैतिकतापूर्ण और विधिक रूप से कर्मचारियों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और स्टेकधारकों सहित अपने सभी स्टेकधारकों के साथ अपना व्यवसाय और कार्य के संचालन में विश्वास रखती है।

कंपनी में निदेशक मंडल की स्वीकृति वाली विसल ब्लोवर नीति विद्यमान है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों के लिए ऐसा तंत्र विद्यमान है जिसके द्वारा वे अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या आशंकित जालसाजी, कंपनी की आचार संहिता या नैतिक नीति के उल्लंघन, अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना को लीक करने की घटनाओं से संबंधित मामलों को प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस नीति में उन कर्मचारियों और निदेशकों के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान विद्यमान हैं, जिन्होंने इस तंत्र को अपनाया है। इस नीति के अंतर्गत शिकायतें कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को संबोधित की जाएंगी या आपवादिक मामलों में यथा ई–9 ग्रेड के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें, या जहां शिकायतकर्ता को उत्पीड़न का डर हो, वहां लेखापरीक्षा समिति को शिकायत भेजी जा सकती है। बोर्ड स्तर के कार्यपालक के विरुद्ध शिकायतों को आगे की कार्रवाई हेतु रेल मंत्रालय के सतर्कता निदेशालय, भारत सरकार को भेजी जाएगी।

7.6 सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2005 का अनुपालन

कंपनी ने यथा संशोधित सेबी(एलओडीआर) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। कंपनी निदेशकों के रिक्त पदों के कारण बोर्ड की संरचना के संबंध में अनुपालन नहीं है। क्योंकि नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय (यथा रेल मंत्रालय) द्वारा की जाती है। इसमें कंपनी की कोई भूमिका नहीं है।

7.7 वेब लिंक जहां सामग्रीगत सहायक कंपनियों के प्रकटन का निर्धारण होता है:

https://www.ircon.org/images/file/cosecy/Policy%20on%20Material%20Subsidiaries.pdf

वर्तमान में कंपनी की निम्नलिखित पांच पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां है।

क) इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसिज लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल)
ख) इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल)
ग) इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल)
घ) इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल)
ड.) इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन वीकेईएल)

उपर्युक्त में से कोई भी सहायक कंपनी महत्वपूर्ण सूचीबद्ध सहायक कंपनी नहीं है।

7.8 वर्ष के दौरान, प्रेफरेशियंल एलोटमेंट या अर्हक संस्थान प्लेसमेंट के माध्यम से कोई निधि एकत्र नहीं की गई है।

7.9 सांविधिक लेखापरीक्षक शुल्क :

इसमें सांविधिक लेखापरीक्षक को समेकित आधार पर कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रदत्त समग्र सेवा हेतु कुल शुल्क शामिल है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों को समेकित आधार पर किए गए भुगतानों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क्र.सं	शुल्क का विवरण	(रूपए करोड़ में)
1.	लेखापरीक्षा शुल्क	0.30
2.	कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.09
3.	तिमाही सीमित समीक्षा हेतु शुल्क	0.17
4.	प्रमाणपत्र शुल्क	0.07
5.	यात्रा एवं आउट ऑफ पॉकेट व्ययः	
	क) यात्रा व्यय	0.02
	ख) आउट ऑफ पॉकेट व्यय	0.05
	कुल	0.70

7.10 निदेशकों की अनर्हता के लिए प्रमाणपत्र

प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव से इस आशय का प्रमाणपत्र कि कंपनी के बोर्ड में कोई भी निदेशक कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्ति होने या बने रहने के लिए बोर्ड/कंपनी कार्य मंत्रालय या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित या अनर्हक नहीं किया गया है, अनुबंध–ड.2 पर संलग्न है।

7.11 वर्ष 2019–20 के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटनः

वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटान की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
शून्य	शून्य	शून्य

7.12 डीपीई निगमित शासन दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के साथ अनुपालन का ब्यौरा

वर्ष 2018–19 के दौरान डीपीए निगमित शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए डीपीई ने इरकॉन को ''उत्कृष्टता'' ग्रेड प्रदान किया है।

डीपीई सीजी दिशानिर्देशों के स्व–मूल्यांकन के अनुपालन के लिए इरकॉन ने वर्ष 2019–20 के लिए 100 में से 100 का वार्षिक अंक तथा उत्कृष्टता ग्रेड प्राप्त किया है।

7.13 पिछले तीन वर्षों के लिए राष्ट्रपति के निर्देशः

रेल मंत्रालय ने आरंभिक पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से कंपनी में अपनी शेयरधारिता के विनिवेश के अपने निर्णय की सूचना दी है। तदनुसार, भारत सरकार ने आरंभिक पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से कंपनी में अपनी शेयरधारिता के 10.53 प्रतिशत (99,05,157 इक्विटी शेयरों) का विनिवेश किया है और दिनांक 28 सितंबर 2018 को कंपनी बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध हुई थी।

इसके अतिरिक्त, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2015 और दिनांक 03.08.2018 के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसरण में, प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्रक कंपनी, जिसके पास 25 प्रतिशत से कम की सार्वजनिक धारिता है, वह दो वर्ष की अवधि के भीतर यथा अगस्त 2020 तक अपनी सार्वजनिक धारिता को कम से कम 25 प्रतिशत तक बढाएगा (ब्यौरे के लिए कृपया निदेशक की रिपोर्ट के पृष्ठ 95 का संदर्भ लें)।

7.14 लेखा बहियों के नामे किए गए व्यय की मदें, व्यवसाय के प्रयोजन में नहीं हैं।

वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसायिक प्रयोजनों से इतर व्यय की किसी भी मद को लेखों की लेखा बहियों में नाम नहीं किया गया है।

7.15 व्यय जो व्यक्तिगत प्रकृति के हैं और निदेशक मंडल तथा शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए हैं।

वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय उद्देश्यों से इतर लेखों की बहियों में व्यय की किसी भी मद को नामे नहीं किया गया है। सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन एवं पर्क (इस रिपोर्ट के पैरा–3.2.4 में दिए गए विवरण तथा वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट सं 42 में भी प्रकटित) के अनुसार पारिश्रमिक को छोड़कर निदेशकों तथा शीर्ष प्रबंधन के व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए कंपनी द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है।

7.16 वित्तीय व्ययों की तुलना में कुल व्ययों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालयी व्यय का ब्यौरा तथा वृद्धि के कारण।

वित्तीय व्यय तुलना में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में अन्य व्यय (प्रशासनिक) एवं कार्यालय व्ययों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :

विवरण	2019–20	2018–19	टिप्पणियां
प्रशासनिक व्यय (प्रशासनिक) (करोड़ रूपए में)	41.88	49.45	
बैंक तथा अन्य वित्तीय प्रशर (करोड़ रूपए में)	25.90	13.09	
कुल व्यय (करोड़ रूपए में)	4769.15	4064.36	शून्य
प्रशासनिक व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत में)	0.88	1.22	
बैंक तथा वित्तीय प्रभार/ कुल व्यय (प्रतिशत में)	0.54	0.21	

*वित्तीय साधनों के शोधन पर ब्याज, वित्तीय साधनों के परिशोधन तथा प्रावधानों के शोधन पर छूट को छोड़कर।

7.17 सेबी(एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 तथा विनियम 46 के उप विनियम(2) के खंड (ख) से (ट) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

7.18 डीमेट उचंत खाते/अदावित उचंत खाते के संबंध में प्रकटनः

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी के पास डीमेट उचंत खाते या अदावित उचंत खाते में कोई शेयर नहीं हैं।

7.19 अदावित लाभांश

कंपनी के गैर–भुगतान लाभांश खाते में इनको अंतरित किए जाने की तिथि से सात वर्षों के लिए अप्रदत्त/अदावित लाभांश की राशि को केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि (आईईपीएफ) में आंतरित किया जाना अपेक्षित है। इस समय निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में आंतरित किए जाने हेतु कोई राशि नहीं है।

तथापि, शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए, वर्ष 2018–19 के लिए अदावित/अप्रदत्त अंतरित और अंतिम लाभांश का दावा करने के लिए शेयरधारकों को पृथक नोटिस/अनुरोध भेजा गया है।

7.20 समिति की सिफारिशों को स्वीकार करना

बोर्ड की समितियों की सिफारिशों पर मुद्दों पर निर्णय लेते समय बोर्ड द्वारा विचार किया गया है।

8. लेखापरीक्षा अर्हताएं

लेखापरीक्षा अर्हताओं के लिए 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर सनदी लेखाकार के.जी.सोमानी एंड कंपनी द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संदर्भ लें। लेखापरीक्षा रिपोर्ट गैर–आशोधित है।

9. विभेदकारी अपेक्षाएंः

9.1 बोर्डः कंपनी के प्रमुख एक कार्यपालक अध्यक्ष हैं।

9.2 शेयरधारक अधिकारः 30 सितंबर 2019 को समाप्त अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों को दिनांक 14 नवंबर 2019 को फाइनांशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), इंडियन एक्सप्रेस तथा जनसत्ता (हिन्दी) में प्रकाशित किया गया था और इन्हें कंपनी की वेबसाई पर भी डाला गया था। तथापि, शेयरधारकों को पृथक अर्धवार्षिक रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। महत्वपूर्ण घटनाओं और स्टाक एक्सचेंजों की सूचनाओं को कंपनी की वेबसाईट में प्रकट किया गया है।

9.3 आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंगः आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं।

10. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र

सेबी(एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेश तथा निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र 10.07.2020 को आयोजित बोर्ड की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और इसे इस रिपोर्ट के अनुबंध–ड.3 में संलग्न किया गया है।

11. अनुपालन

यह रिपोर्ट वर्ष 2019–20 के लिए कार्पोरेट शासन रिपोर्ट में उजागर किए गए आंकड़ों के सबंध में विधिक अपेक्षाओं का विधिक पालन करती है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन संबंधी सनदी कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के संलग्नक ड.–4 पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/–
(एस.के.चौधरी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
(डीआईएनः 00515672)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25.08.2020

अनुबंध–ड. 1

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा घोषणा

मैं, एस.के.चौधरी, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबन्धन दल द्वारा वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी की आचार संहिता तथा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन की अभिपुष्टि की गई है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह0/–
(एस.के.चौधरी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
(डीआईएनः 00515672)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.07.2020

अनुबंध–ड. 2

निदेशकों के गैर–अनर्हता का प्रमाणपत्र

(भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) तथा अनुसूची–ट पैरा ग खंड (10)(प) के अनुसारण में

सेवा में,
सदस्य,
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिनका सीआईएन **L45203DL1976GOI008171** है और **पंजीकृत कार्यालय प्लॉट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017** (जिसे यहां आगे कंपनी कहा जाएगा) में है, के निदेशकों से प्राप्त संगत रजिस्टरों, रिकार्डों, फॉर्मों, रिटर्नों तथा प्रकटनों की जांच की है, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसूची–ट, पैरा–ग, खंड (10)(प) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार इस प्रमाणपत्र को जारी किए जाने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है।

हमारे मतानुसार तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और आवश्यक समझे गए सत्यापनों (पोर्टल www.mca.gov.in) में निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन), के अनुसार तथा कंपनी व इनके अधिकारियों द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं हम 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नीचे वर्णित अनुसार कंपनी के बोर्ड में किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, निगमित कार्य मंत्रालय, या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा विवर्जित या अनर्हक नहीं किया गया हैं।

क्र.सं	निदेशक का नाम	डिन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि	कार्यमुक्ति की तिथि
1.	श्री सुनील कुमार चौधरी	00515672	29/10/2016	जारी
2.	श्री श्याम लाल गुप्ता	07598920	01/11/2019	जारी
3.	श्री मुकेश कुमार सिंह	06607392	01/05/2016	जारी
4.	श्री योगेश कुमार मिश्रा	07654014	28/12/2018	जारी
5.	श्री पियुष अग्रवाल	08305385	17/12/2018	31/03/2020
6.	हरि मोहन गुप्ता	08453476	15/05/2019	जारी
7.	श्री अवनीश माटा	00011749#	15/07/2019	31/03/2020
8.	प्रो(सुश्री) वसुधा वसंत कामत	07500096#	15/07/2019	31/03/2020
9.	डॉ बालसत्य वेंकटरमण चित्रा	03179171	28/09/2017	जारी
10.	डॉ नरेन्द्र सिंह रैना	07968391	17/10/2017	जारी
11.	श्री अशोक कुमार गंजू	07014589	08/03/2018	जारी

स्वतंत्र निदेशक के रूप में दिनांक 15/07/2020 से पुनर्नियुक्ति।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे इस सत्यापन के आधार पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। यह प्रमाणपत्र ना तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और ना ही उसे कुशलता या प्रभावपूर्णता का आश्वासन है कि जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का निष्पादन करता है।

कृते कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

स्थानः नोएडा
दिनांकः 15 जुलाई 2020

ह/–
सीएस नरेश कुमार सिन्हा
(प्रोप्राइटर)
एफसीएसः 1807
सीपी सं.: 14984

सीईओ तथा सीएफओ प्रमाणन

सेवा में,
निदेशक मंडल,
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,
सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली–110017

विषयः दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वित्तीय विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा अपनी सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास के साथ की हैः–

(क) इन विवरणों में किसी प्रकार के सामग्रीगत असत्य विवरण या किसी तथ्यात्मक तथ्य को हटाया नहीं गया है, या गुमराह करने वाले विवरण विद्यमान नहीं है।

(ख) ये विवरण समग्र रूप में कम्पनी के कार्य का वास्तविक व सही दृश्य प्रस्तुत करते हैं तथा ये विवरण मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमनों के अनुपालन में है।

(ग) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी, अवैध या कानूनों की आचार संहिता के उल्लंघन का कोई संव्यवहार नहीं किया गया है।

(घ) हम आतंरिक नियत्रंण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं तथा हमने कम्पनी में एक कुशल आंतरिक नियत्रंण प्रणाली तैयार की है। हमने आतंरिक नियंत्रणों और इनमें कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों के सबंध में लेखापरीक्षकों तथा लेखापरीक्षा समिति को बताया है, जिनके बारे में हम जानते हैं।

(ड.) हमने लेखापरीक्षक तथा लेखापरीक्षा समिति को इंगित कर दिया है,

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में परिवर्तन,

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों और इन्हें वित्तीय विवरणों के नोटों में प्रकट कर दिया गया है; और

(च) हमारी जानकारी में किसी धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आया है और ना ही कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबन्धन या कर्मचारी के बारे में ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है।

	ह0/–	ह0/–
	(एम.के.सिंह)	**(एस.के.चौधरी)**
स्थान : नई दिल्ली	निदेशक/वित्त	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
तारीख : 10 जुलाई 2020	(डीआईएनः 06607392)	(डीआईएनः 00515672)

अनुबंध–ड. 4

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन पर प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्य,
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

1. हमने भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के विनियम 17 से 27 तथा विनियम 46(2) के खंड (ख) से (ट) तथा अनुसूची–ट, पैरा–ग खंड में निर्धारित अनुसार तथा मई 2010 में केन्द्रीय लोक उपक्रमों के लिए जारी निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों में निर्धारित अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी) द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

2. निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायितव प्रबंधन का है। इस उत्तरदायित्व में शामिल है आंतरिक नियंत्रण का अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण तथा सूचीबद्धता विनियमों और निगमित शासान पर डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।

3. हमारा उत्तरदायित्व सूचीबद्धता विनियमों और निगमित शासान पर डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा स्वीकार की गई प्रक्रियाओं और उनके क्रियान्वयन की जांच तक सीमित है। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की ना तो संपरीक्षा है ओर ना ही मत अभिव्यक्ति है।

4. संगत रिकार्डो की हमारी जांच के आधार पर तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए अभ्यावेदनों के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड सूचीबद्धता विनियम के विनियम 17 से 27 तथा विनियम 46(2) के खंड (ग) तथा (ट) तथा अनुसूची ट पैरा ग तथा घ के खंड में निर्धारित अनुसार तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान निगमित शासन पर लाके उपक्रम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित के मद्देनजर हैः

   कंपनी के पास निम्नलिखित नहीं हैः

   i. **निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) तथा निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देश का पैरा 3.1.4 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार इसके बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक।**

   ii. **दिनांक 1 अप्रैल 2019, 14 जुलाई 2019 को कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 149(1) और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार इसके बोर्ड में अपेक्षित संख्या में महिला निदेशक।**

5. हम आगे यह भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और ना ही उसे कुशलता या प्रभावपूर्णता का आश्वासन है कि जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का निष्पादन करता है।

कृते कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह / –
सीएस नरेश कुमार सिन्हा
(प्रोप्राइटर)
एफसीएसः 1807
सीपी सं.: 14984

स्थान : नोएडा
तारीख : 15 जुलाई 2020

फॉर्म सं. एमजीटी–9

वार्षिक रिटर्न का सार

(31 मार्च 2020 को)

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद–92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम–12(1)के अनुसरण में)

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौराः

1	निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)	–	L45203DL1976GOI008171
2	पंजीकरण तिथि	–	28 अप्रैल 1976
3	कंपनी का नाम	–	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
4	क) कंपनी की श्रेणी ख) कंपनी की उप–श्रेणी	– –	पब्लिक कंपनी सरकारी कंपनी, शेयरों द्वारा लिमिटेड और शेयर पूंजी वाली कंपनी
5	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरा	–	प्लॉट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर , साकेत, नई दिल्ली – 110017 फोन सं.: 011–26530456 फैक्स सं.: 011–26522000 ई मेल आईडी : cosecy@ircon.org
6	क्या सूचीबद्ध कंपनी है (हां/नहीं)	–	हां (28 सितंबर, 2019 से)
7	रजिस्ट्रार तथा हस्तांतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता तथा संपर्क ब्यौरा	–	''कारवी फिनटैक प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, कारवी सेलेनियम टावर–बी, प्लाट सं. 31 व 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, ननक्रऊगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद–500032, तेलंगाना दूरशषः +91 40 6716 2222 ईमेलः einward.ris@kfintech.com

II. कंपनी का प्रधान व्यावसायिक गतिविधियांः

कंपनी की सभी व्यावसायिक गतिविधियां जो कंपनी के कुल टर्नओवर का 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करती हैं, निम्नानुसार हैंः

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1	रेलवे	4210	80.98 प्रतिशत
2	राजमार्ग	4210	18.32 प्रतिशत

III. धारक कंपनी, सहायक कंपनी तथा संबद्ध कंपनियों का विवरणः

(कंपनियों की संख्या जिनके लिए सूचना दायर की जा रही है–12 कपनियां)

क्र.सं	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/ संबद्ध कंपनी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुच्छेद
1	इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली – 110017	U45400DL2009GOI194792	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	100 प्रतिशत	2(87)
2	इरकॉन पी बी टोलवे लिमिटेड सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली – 110017	U45400DL2014GOI272220	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	100 प्रतिशत	2(87)
3	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली – 110017	U45400DL2015GOI280017	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	100 प्रतिशत	2(87)

क्र.सं	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक/सहायक/ संबद्ध कंपनी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू अनुच्छेद
4	इरकॉन देवांगरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड चौथा तल, पालिका भवन, सेक्टर–XIII, आर के पुरम, नई दिल्ली–110066	U45500DL2017GOI317401	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	100 प्रतिशत	2(87)
5	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेस लिमिटेड सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर , साकेत, नई दिल्ली – 110017	U74999DL2018GOI334028	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	100 प्रतिशत	2(87)
6	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड चौथा तल, पालिका भवन, सेक्टर–XIII, आर के पुरम, नई दिल्ली–110066	U45204DL2012GOI234292	संबद्ध	50 प्रतिशत	2(6)
7	इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली – 110017	U74999DL2005PTC135055	संबद्ध	50 प्रतिशत	2(6)
8	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड महादेव घाट रोड, रायपुरा चौक, रायपुर–492013, छत्तीसगढ	U45203CT2013GOI000729	संबद्ध	26 प्रतिशत	2(6)
9	छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड महादेव घाट रोड, रायपुरा चौक, रायपुर–492013, छत्तीसगढ	U45203CT2013GOI000768	संबद्ध	26 प्रतिशत	2(6)
10	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड निगमित कार्यालय, एमसीएल एचक्यू, एमडीएफ रुम, जागृति विहार, बुरला, संबलपुर –768020 ओडीशा	U60100OR2015GOI019349	संबद्ध	26 प्रतिशत	2(6)
11	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड सीसीएल, दरभंगा हाउस, रांची – 834029 झारखंड	U45201JH2015GOI003139	संबद्ध	26 प्रतिशत	2(6)
12	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड ग्लोबल एक्सप्लोरेशन सेंटर, एनएमडीसी ग्रीन वेली सिटी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बोरलियाकाला रायपुर, छत्तीसगढ–492201	U74900CT2016PTC007251	संबद्ध	26 प्रतिशत	2(6)

IV. (क) शेयर धारिता पैटर्नः (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रुप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण) श्रेणीवार शेयर धारित

श्रेणी कोड	शेयरधारकों की श्रेणी	01.04.2019 को वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				31.03.2020 को वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
		डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
(I)		(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(XI)
(क)	**प्रमोटर और प्रमोटर समूह**									
(1)	**भारतीय**									
(क)	व्यक्तिगत/एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख)	केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार (सरकारें)	83878417	-	83878417	89.18	83878417	-	83878417	89.18	-
(ग)	निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	बैंक/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ड.)	कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उप कुल (क) (1)	**83878417**	**-**	**83878417**	**89.18**	**83878417**	**-**	**83878417**	**89.18**	**-**

श्रेणी कोड	शेयरधारकों की श्रेणी	01.04.2019 को वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				31.03.2020 को वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
		डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
(2)	**विदेशी**									
क)	व्यक्तिगत(एनआरआई / विदेशी व्यक्तिगत)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख)	निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग)	संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ)	अर्हक विदेशी निवेशक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ.)	अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उपकुल क(2) :	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल=क(1)+क(2)	**83878417**	**-**	**83878417**	**89.18**	**83878417**	**-**	**83878417**	**89.18**	**-**
(ख)	**सार्वजनिक शेयरधारिता**									
(1)	**संस्थान**									
क)	म्यूचुवल फंड / यूटीआई	4444837	-	4444837	4.73	2595797	-	2595797	2.76	-1.97
ख)	वित्तीय संस्थान / बैंक	208203	-	208203	0.22	120478	-	120478	0.13	-0.09
(ग)	केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार (सरकारें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ)	उपक्रम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ङ.)	बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(च)	विदेशी संस्थागत निवेशक	267725	-	267725	0.28	183811	-	183811	0.20	-0.09
(छ)	विदेशी उपक्रम पूंजी निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ज)	अर्हक विदेशी निवेशक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(i)	अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उपकुल ख(1) :	**4920765**	**-**	**4920765**	**5.23**	**2900086**	**-**	**2900086**	**3.08**	**-2.15**
(2)	**गैर संस्थागत**									
(क)	निकाय निगम	1060315	-	1060315	1.13	1126671	-	1126671	1.20	0.07
(ख)	व्यक्तिगत									
	(i) 1 लाख रुपए तक की आंशिक शेयर पूंजी धारक व्यक्ति	3857257	17	3857274	4.10	5110813	55	5110868	5.43	1.33
	(ii) 1 लाख रुपए से अधिक की अंशिक शेयर पूंजी धारक व्यक्ति	186535	-	186535	0.20	471380	-	471380	0.50	0.30
(ग)	अन्य									
	क्लियरिंग सदस्य	36479	-	36479	0.04	144074	-	144074	0.15	0.11
	एनबीएफसी	175	-	175	0.00	2000	-	2000	0.00	0.00
	अप्रवासी शरतीय	75866	-	75866	0.08	355107	-	355107	0.38	0.30
	एनआरआई– अप्रत्यर्पण	29121	-	29121	0.03	55725	-	55725	0.06	0.03
	ट्रस्ट	6627	-	6627	0.01	7246	-	7246	0.01	-
(घ)	अर्हक विदेशी निवेशक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	उपकुल ख(2) :	**5252375**	**17**	**5252392**	**5.58**	**7273016**	**55**	**7273071**	**7.73**	**2.15**
	कुल ख=ख(1)+ख(2) :	**10173140**	**17**	**10173157**	**10.82**	**10173102**	**55**	**10173157**	**10.82**	**0.00**
	कुल (क+ख) :	**94051557**	**17**	**94051574**	**100.00**	**94051519**	**55**	**94051574**	**100.00**	**0.00**
(ग)	कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर, जिसके प्रति डिपाजिटरी रसीदें जारी की गई हैं									
(1)	प्रमोटर और प्रमोटर समूह	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2)	जनता	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	सकल योग (क+ख+ग) :	**94051557**	**17**	**94051574**	**100.00**	**94051519**	**55**	**94051574**	**100.00**	

(ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारकों के नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान धारित शेयरों में प्रतिशत परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के प्रति गिरवी/रहन शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के प्रति गिरवी शेयरों का प्रतिशत	
1	भारत के राष्ट्रपति और उनके नामिति*	8,38,78,417	89.18	शून्य	8,38,78,417	89.18	शून्य	0.00

*नामिति द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से 20,000 शेयरधारित किए गए थे, जिन्हें दिनांक 23.08.2019 को भारत के राष्ट्रपति को वापस किया गया है।

(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन नही है)

क्र. सं. प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों हेतु	शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
	शेयरों का संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति				
वर्ष के आरंभ में (01–04–2019)	83878417	89.18	83878417	89.18
वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर धारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी और इसमें वृद्धि/कमी के कारणों को दर्शाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि):		शून्य	शून्य	
वर्ष के अंत में (31–03–2020)	83878417	89.18	83878417	89.18

(iv) शीर्ष 10 शेयरधारकों का शेयरधारण पैटर्न' (निदेशकों, प्रमोटरों और जीडीआर तथा एडीआर के धारकों के अतिरिक्त)

क्र. सं.	प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों हेतु		वर्ष के दौरान शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
			शेयरों का संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	प्रिंसिपल ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि खाता प्रधान म्युचुवल फंड					
	वर्ष के आरंभ में (01–04–2019)		1308605	1.39	1308605	1.39
	वृद्धि/(कमी) का कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि/(कमी) (उदाहरण के लिए आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)					
	तिथि	क्रय/बिक्री				
	05-04-2019	बिक्री	-15169	-0.02	1293436	1.38
	19-04-2019	क्रय	4900	0.01	1298336	1.38
	26-04-2019	क्रय	7100	0.01	1305436	1.39
	03-05-2019	बिक्री	-11000	-0.01	1294436	1.38
	17-05-2019	क्रय	57268	0.06	1351704	1.44
	24-05-2019	क्रय	9713	0.01	1361417	1.45
	07-06-2019	क्रय	40000	0.04	1401417	1.49
	12-07-2019	क्रय	12000	0.01	1413417	1.50
	02-08-2019	बिक्री	-162	0.00	1413255	1.50
	09-08-2019	बिक्री	-35384	-0.04	1377871	1.47
	16-08-2019	बिक्री	-52123	-0.06	1325748	1.41
	23-08-2019	बिक्री	-57478	-0.06	1268270	1.35
	30-08-2019	बिक्री	-35232	-0.04	1233038	1.31

क्र. सं.	प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों हेतु		वर्ष के दौरान शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
			शेयरों का संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	06-09-2019	बिक्री	-2279	0.00	1230759	1.31
	13-09-2019	बिक्री	-83324	-0.09	1147435	1.22
	20-09-2019	बिक्री	-28767	-0.03	1118668	1.19
	27-09-2019	बिक्री	-157277	-0.17	961391	1.02
	30-09-2019	बिक्री	-18235	-0.02	943156	1.00
	04-10-2019	बिक्री	-9158	-0.01	933998	0.99
	11-10-2019	बिक्री	-3348	0.00	930650	0.99
	18-10-2019	बिक्री	-35874	-0.04	894776	0.95
	01-11-2019	बिक्री	-100000	-0.11	794776	0.85
	08-11-2019	बिक्री	-35221	-0.04	759555	0.81
	15-11-2019	बिक्री	-140237	-0.15	619318	0.66
	22-11-2019	बिक्री	-85612	-0.09	533706	0.57
	29-11-2019	बिक्री	-11791	-0.01	521915	0.55
	06-12-2019	बिक्री	-32042	-0.03	489873	0.52
	13-12-2019	बिक्री	-12687	-0.01	477186	0.51
	20-12-2019	बिक्री	-22663	-0.02	454523	0.48
	27-12-2019	बिक्री	-30000	-0.03	424523	0.45
	31-12-2019	बिक्री	-36107	-0.04	388416	0.41
	03-01-2020	बिक्री	-15229	-0.02	373187	0.40
	10-01-2020	बिक्री	-168532	-0.18	204655	0.22
	17-01-2020	बिक्री	-26155	-0.03	178500	0.19
	24-01-2020	बिक्री	-19075	-0.02	159425	0.17
	31-01-2020	बिक्री	-54712	-0.06	104713	0.11
	07-02-2020	बिक्री	-60000	-0.06	44713	0.05
	20-03-2020	क्रय	11000	0.01	55713	0.06
	वर्ष के आरंभ में (31.03.2020)		55713	0.06		
2	**आईआईएफएल विशेष अवसर निधि**					
	वर्ष के आरंभ में (01–04–2019)		541051	0.58	541051	0.58
	वृद्धि/(कमी) का कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि/(कमी) (उदाहरण के लिए आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)		शून्य	शून्य		
	वर्ष के अंत में (31–03–2020)		541051	0.58		
3	**आईआईएफएल विशेष अवसर निधि – सीरीज 4**					
	वर्ष के आरंभ में (01–04–2019)		476335	0.51	476335	0.51
	वृद्धि/(कमी) का कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि/(कमी) (उदाहरण के लिए आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)		शून्य	शून्य		
	वर्ष के अंत में (31–03–2020)		476335	0.51		
4.	**आईआईएफएल विशेष अवसर निधि – सीरीज 2**					
	वर्ष के आरंभ में (01–04–2019)		401317	0.43	401317	0.43
	वृद्धि/(कमी) का कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि/(कमी) (उदाहरण के लिए आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)		शून्य	शून्य		
	वर्ष के अंत में (31–03–2020)		401317	0.43		
5	**आईआईएफएल विशेष अवसर निधि – सीरीज 5**					
	वर्ष के आरंभ में (01–04–2019)		390692	0.42	390692	0.42
	वृद्धि/(कमी) का कारण बताते हुए वर्ष के दौरान					

क्र. सं.	प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों हेतु		वर्ष के दौरान शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
			शेयरों का संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि/(कमी) (उदाहरण के लिए आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)					
	तिथि	क्रय/बिक्री				
	28–02–2020	बिक्री	-1148	0.00	389544	0.41
	वर्ष के आरंभ मे ं(31–03–2020)		389544	0.41		
6	**आईआईएफएल विशेष अवसर निधि – सीरीज 7**					
	वर्ष के आरंभ में (01–04–2019)		380440	0.40	380440	0.40
	वृद्धि/(कमी) का कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि/(कमी) (उदाहरण के लिए आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)					
	तिथि	क्रय/बिक्री				
	28–02–2020	बिक्री	-2080	0.00	378360	0.40
	वर्ष के अंत में (31–03–2020)		378360	0.40		
7	**यूनियन मल्टीकैप फंड**					
	वर्ष के आरंभ में (01–04–2019)		313247	0.33	313247	0.33
	वृद्धि/(कमी) का कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि/(कमी) (उदाहरण के लिए आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)					
	तिथि	क्रय/बिक्री				
	10-05-2019	क्रय	5000	0.01	318247	0.34
	19-07-2019	बिक्री	-9539	-0.01	308708	0.33
	26-07-2019	बिक्री	-24127	-0.03	284581	0.30
	02-08-2019	बिक्री	-12018	-0.01	272563	0.29
	30-08-2019	बिक्री	-27333	-0.03	245230	0.26
	27-09-2019	बिक्री	-48078	-0.05	197152	0.21
	22-11-2019	क्रय	3981	0.00	201133	0.21
	06-12-2019	बिक्री	-64834	-0.07	136299	0.14
	13-12-2019	बिक्री	-25220	-0.03	111079	0.12
	20-12-2019	बिक्री	-16028	-0.02	95051	0.10
	10-01-2020	क्रय	6368	0.01	101419	0.11
	21-02-2020	बिक्री	-101419	-0.11	0	0.00
	वर्ष के अंत में (31–03–2020)		0.00	0.00		
8	**नोमुरे सिंगापुर लिमिटेड**					
	वर्ष के आरंभ में (01–04–2019)		253702	0.27	253702	0.27
	वृद्धि/(कमी) का कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि/(कमी) (उदाहरण के लिए आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)					
	तिथि	क्रय/बिक्री				
	31-05-2019	बिक्री	-43886	-0.05	209816	0.22
	21-06-2019	बिक्री	-12473	-0.01	197343	0.21
	28-06-2019	बिक्री	-1583	0.00	195760	0.21
	05-07-2019	बिक्री	-10000	-0.01	185760	0.20
	12-07-2019	बिक्री	-4846	-0.01	180914	0.19
	19-07-2019	बिक्री	-14937	-0.02	165977	0.18
	27-09-2019	बिक्री	-89757	-0.10	76220	0.08
	30-09-2019	बिक्री	-5250	-0.01	70970	0.08
	04-10-2019	बिक्री	-15651	-0.02	55319	0.06
	15-11-2019	बिक्री	-2320	0.00	52999	0.06

क्र. सं.	प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों हेतु		वर्ष के दौरान शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
			शेयरों का संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	31-01-2020	क्रय	52999	0.06	105998	0.11
	31-01-2020	बिक्री	-52999	-0.06	52999	0.06
	14-02-2020	बिक्री	-30000	-0.03	22999	0.02
	21-02-2020	बिक्री	-16922	-0.02	6077	0.01
	वर्ष के अंत में (31–03–2020)		6077	0.01		
9	**इंडियन रेलवे फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**					
	वर्ष के आरंभ में (01–04–2019)		244000	0.25	244000	0.25
	वृद्धि/(कमी) का कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि/(कमी) (उदाहरण के लिए आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)			शून्य	शून्य	
	वर्ष के अंत में (31–03–2020)		244000	0.25		
10	**एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड – एचडीएफस इन्फ्रास्ट्रक्चर**					
	वर्ष के आरंभ में (01–04–2019)		236000	0.25		
	वृद्धि/(कमी) का कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि/(कमी) (उदाहरण के लिए आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि)					
	तिथि	**क्रय/बिक्री**				
	27-09-2019	बिक्री	-7000	-0.01	229000	0.24
	30-09-2019	बिक्री	-12300	-0.01	216700	0.23
	04-10-2019	बिक्री	-2800	0.00	213900	0.23
	18-10-2019	बिक्री	-5500	-0.01	208400	0.22
	25-10-2019	बिक्री	-54825	-0.06	153575	0.16
	01-11-2019	बिक्री	-50000	-0.05	103575	0.11
	08-11-2019	बिक्री	-8808	-0.01	94767	0.10
	15-11-2019	बिक्री	-6449	-0.01	88318	0.09
	22-11-2019	बिक्री	-88318	-0.09	0	0.00
	वर्ष के अंत में (31–03–2020)		0.00	0.00		

नोटः उपर्युक्त रिपोर्ट के लिए, शेयरधारण की स्थिति का निर्धारण साप्ताहिक आधार पर किया जाता है।

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) की शेयरधारिता :

क्र. सं.	निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) की शेयरधारिताः	वर्ष के दौरान शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
		शेयरों का संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	श्री सुनिल कुमार चौधरी (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)				
	वर्ष के आरंभ में (01–04–2019)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वृद्धि/(कमी) का कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि/(कमी) (उदाहरण के लिए आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) बिक्री	शून्य	शून्य		
	वर्ष के अंत में (31–03–2020)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	श्री दीपक सबलोक (निदेशक परियोजना)				
	वर्ष के आरंभ में (01–04–2019)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वृद्धि/(कमी) का कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि/(कमी) (उदाहरण के लिए आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) बिक्री	शून्य	शून्य		
	वर्ष के अंत में (31–10–2019)*	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

क्र. सं.	निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) की शेयरधारिताः		वर्ष के दौरान शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
			शेयरों का संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
3	**श्री मुकेश कुमार सिहं (निदेशक वित्त एवं सीएफओ)**					
	वर्ष के आरंभ में (01–04–2019)		170	0.00018	170	0.00018
	वृद्धि / (कमी) का कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि / (कमी) (उदाहरण के लिए आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि) बिक्री		शून्य	शून्य		
	वर्ष के अंत में (31–03–2020)		170	0.00018	170	0.00018
4	**श्री योगेश कुमार मिश्रा (निदेशक कार्य)**					
	वर्ष के आरंभ में (01–04–2019)		1110	0.00118	1110	0.00118
	वृद्धि / (कमी) का कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि / (कमी) (उदाहरण के लिए आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि) बिक्री					
	तिथि	**क्रय / बिक्री**				
	6.12.2019	क्रय	10	0.00001	1120	0.00119
	14.02.2020	बिक्री	-820	-0.00087	300	0.00032
	वर्ष के अंत में (31–03–2020)		300	0.00032		
5	**श्री श्याम लाल गुप्ता (निदेशक परियोजना)***					
	वर्ष के आरंभ में (01–11–2019)		1050	0.00112	1050	0.00112
	वृद्धि / (कमी) का कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि / (कमी) (उदाहरण के लिए आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि) बिक्री					
	तिथि	**क्रय / बिक्री**				
	24.01.2020	बिक्री	-131	-0.00014	919	0.00098
	31.01.2020	क्रय	131	0.00014	1050	0.00112
	07.02.2020	बिक्री	-410	-0.00044	640	0.00068
	14.02.2020	क्रय	410	0.00044	1050	0.00112
	06.03.2020	बिक्री	-491	-0.00052	559	0.00059
	वर्ष के अंत में (31–03–2020)		559	0.00059		
6	**श्री एस.सी.जैन (सरकारी नामिति निदेशक)**					
	वर्ष के आरंभ में (01–04–2019)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वृद्धि / (कमी) का कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि / (कमी) (उदाहरण के लिए आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि) बिक्री		शून्य	शून्य		
	08.05.2019# तक		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7	**श्री पीयूष अग्रवाल (सरकारी नामिति निदेशक)**					
	वर्ष के आरंभ में (01–04–2019)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वृद्धि / (कमी) का कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि / (कमी) (उदाहरण के लिए आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि) बिक्री		शून्य	शून्य		
	वर्ष के अंत में (31–03–2020)**		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8	**श्री हरि मोहन गुप्ता (सरकारी नामिति निदेशक)**					
	नियुक्ति की तिथि (15–05–2019)^		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वृद्धि / (कमी) का कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि / (कमी) (उदाहरण के लिए आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि) बिक्री		शून्य	शून्य		
	वर्ष के अंत में (31–03–2020)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

क्र. सं.	निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) की शेयरधारिताः	वर्ष के दौरान शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
		शेयरों का संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
9	**डॉ सी.बी.वेंकटरमण (स्वतंत्र निदेशक)**				
	वर्ष के आरंभ में (01–04–2019)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वृद्धि / (कमी) का कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि / (कमी) (उदाहरण के लिए आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि) बिक्री	शून्य	शून्य		
	वर्ष के अंत में (31–03–2020)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	**श्री अशोक कुमार गंजू (स्वतंत्र निदेशक)**				
	वर्ष के आरंभ में (01–04–2019)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वृद्धि / (कमी) का कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि / (कमी) (उदाहरण के लिए आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि) बिक्री	शून्य	शून्य		
	वर्ष के अंत में (31–03–2020)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	**श्री नरेन्द सिंह रैना (स्वतंत्र निदेशक)**				
	वर्ष के आरंभ में (01–04–2019)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वृद्धि / (कमी) का कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि / (कमी) (उदाहरण के लिए आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि) बिक्री	शून्य	शून्य		
	वर्ष के अंत में (31–03–2020)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12	**श्री अवनीश माटा (स्वतंत्र निदेशक)**				
	पुनर्नियुक्ति की तिथिं (15–07–2019)$	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वृद्धि / (कमी) का कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि / (कमी) (उदाहरण के लिए आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि) बिक्री	शून्य	शून्य		
	वर्ष के अंत में (31–03–2020)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13	**प्रो (सुश्री) वसुधा वसंत कामत (स्वतंत्र निदेशक)**				
	पुनर्नियुक्ति की तिथिं (15–07–2019)$	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वृद्धि / (कमी) का कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि / (कमी) (उदाहरण के लिए आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि) बिक्री	शून्य	शून्य		
	वर्ष के अंत में (31–03–2020)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14	**सुश्री रितु अरोड़ा (कंपनी सचिव)**				
	वर्ष के आरंभ में (01–04–2019)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वृद्धि / (कमी) का कारण बताते हुए वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तिथि वार वृद्धि / (कमी) (उदाहरण के लिए आवंटन / अंतरण / बोनस / स्वीट इक्विटी आदि) बिक्री	शून्य	शून्य		
	वर्ष के अंत में (31–03–2020)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

*श्री दीप सबलोक दिनांक 31.10.2020 को सेवानिवृत्त हो गए थें।

& श्री श्याम लाला गुप्त को दिनांक 01.11.2019 से निदेशक (परियोजना) नियुक्त किया गया था।

श्री एस सी जैन दिनांक 08.05.2019 से सरकारी नामिति निदेशक के पद से मुक्त हुए।

^ श्री हरि मोहन गुप्ता दिनांक 15.05.2019 को सरकारी नामिति निदेशक के रूप में नियुक्त हुए थे।

** श्री पीयूष अग्रवाल दिनांक 31.03.2020 से सरकारी नामिति निदेशक के पद से मुक्त हुए।

$ श्री अवनीश माटा और प्रो (सुश्री) वसुधा वसंत कामत को दिनांक 15.07.2019 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुन नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल दिनांक 31.03.2020 को पूरा हो गया है।

(V) ऋणग्रस्तता :

बकाया/संचित ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता किन्तु भुगतान के लिए देय नहीं हैः

	जमानत सहित रक्षित ऋण	आरक्षित ऋण	जमानत	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-	30,76,53,38,171	-	30,76,53,38,171
ii) देय ब्याज किन्तु अप्रदत्त	-	-	-	-
iii) संचित ब्याज किन्तु अप्रदत्त	-	2,72,76,88,601	-	2,72,76,88,601
कुल (i+ii+iii)	**-**	**33,49,30,26,772**		**33,49,30,26,772**
वित्त वर्ष के दौरान मूल की ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
- संवर्धन	-		-	
- आवधन	-	6,15,30,67,631	-	6,15,30,67,631
शुद्ध परिवर्तन				
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
- संवर्धन	-	2,20,34,90,230	-	2,20,34,90,230
- आवर्धन	-	2,83,11,78,141	-	2,83,11,78,141
शुद्ध परिवर्तन				
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-	24,61,22,70,540	-	24,61,22,70,540
ii) देय ब्याज किन्तु अप्रदत्त		-	-	-
iii) संचित ब्याज किन्तु अप्रदत्त	-	2,10,00,00,689	-	2,10,00,00,6897
कुल (i+ii+iii)	**-**	**26,71,22,71,229**		**26,71,22,71,229**

(VI) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक :

क प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक*: (राशि रूपए में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम					कुल राशि
		श्री एस के चौधरी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री दीपक सबलोक निदेशक परियोजना (31.10.2019 से)	श्री एम के सिंह निदेशक वित्त	श्री योगेश कुमार मिश्र, निदेशक (कार्य)	श्री श्याम लाल गुप्ता (निदेशक परियोजना) (01.11.2011 से)	
1	सकल वेतन						
क)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) के अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	40,88,775	44,39,607	39,64,576	36,92,921	17,03,898	1,78,89,777
ख)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	11,42,720	9,23,402	9,81,418	7,96,202	2,45,624	40,89,366
ग)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के एवेज में लाभ	-	-	-	-	-	-
2	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-	-	-
3	स्वीट इक्विटी	-	-	-	-	-	-
4	कमिशन	-	-	-	-	-	-
5	अन्य, उल्लेख करें						
	– कार्यनिष्पादन संबंधी प्रोत्तसाहन	31,12,090	15,38,150	26,44,608	3,11,170	-	76,06,018
	– सेवानिवृत्ति लाभ	6,44,763	16,29,052	7,64,514	7,06,779	2,70,100	40,15,208
	कुल	**89,88,348**	**85,30,211**	**83,55,116**	**55,07,072**	**22,19,622**	**3,36,00,369**

ख अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक (राशि रूपए में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम					कुल राशि
		डॉ सी.बी वेंकटरमण	श्री अशोक कुमार गंजू	श्री नरेन्द सिंह रैना	प्रो (सुश्री) वसुध वसंत (15.07.2019)	श्री अवनीश माटा (15.07.2019)	
1	स्वतंत्र निदेशक						
क)	बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क	7,10,000	7,00,000	70,000	2,40,000	3,00,000	20,20,000
ख)	कमिशन	-	-	-	-	-	-
ग)	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
	कुल (ख–1)	**7,10,000**	**7,00,000**	**70,000**	**2,40,000**	**3,00,000**	**20,20,000**

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एस सी जैन (08.05.2019)	पियूष अग्रवाल	श्री हरि मोहन गुप्ता (w.e.f 15.05.2019)	कुल
2	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक				
क)	बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क				
ख)	आयोग				
ग)	अन्य (कृपया स्पष्ट करे)				
	कुल (ख–2)				
	कुल (ख= ख1 + ख2)				**20,20,000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमक (क+ख)				**3,56,20,369**
	अधिनियम के अनुसार सीमा – लागू नहीं				

ग प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशकों और/या प्रबंधक का पारिश्रमिकः

(राशि रूपए में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	रितु अरोड़ा कंपनी सचिव	कुल राशि
1	सकल वेतन		
क)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(1) के अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन	22,42,780	22,42,780
ख)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	27,812	27,812
ग)	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 17(3) के अंतर्गत वेतन के एवेज में लाभ	-	-
2	स्टॉक ऑप्शन	-	-
3	स्वीट इक्विटी	-	-
4	कमिशन		
	अन्य, उल्लेख करें		
	– कार्यनिष्पादन संबंधी प्रोत्साहन	4,72,100	4,72,100
	– सेवानिवृत्ति लाभ	3,11,159	3,11,159
	कुल (ग)	**30,53,851**	**30,53,851**
	अधिनियम के अनुसार सीमा – लागू नहीं		

' सीएमडी, इरकॉन कंपनी के सीईओ हैं और निदेशक(वित्त), इरकॉन को कंपनी का सीएफओ घोषित किया गया है और इनके पारिश्रमिक को उपर्युक्त क्र.सं.टप(क) पर प्रस्तुत किया गया है

नोटः निगमित कार्य मंत्रालय के दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना की शर्तो के अनुसार सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड–197 से छूट प्राप्त है।

(VII) जुर्माना/दंड/अपराधों का आवृत्ति :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाया गया जुर्माना/ दंड/संचयी/शुल्क	प्राधिकरण आरडी/ एनसीएलटी/न्यायालय	अपील यदि कोई हो (ब्यौरा दें)
क. कंपनी			––– शून्य –––		
जुर्माना					
दंड					
कपाउंडिंग					
ख. निदेशक			––– शून्य –––		
जुर्माना					
दंड					
कपाउंडिंग					
ग. अन्य अधिकारी			––– शून्य –––		
जुर्माना					
दंड					
कपाउंडिंग					

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/–
(एस.के.चौधरी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00515672)

दिनांक : 25.08.2020
स्थानः नई दिल्ली

फॉर्म सं. एओसी–2

तीसरे पक्ष के प्रावधान के अंतर्गत कतिपय आर्म–लैंथ संव्यवहारों सहित कंपनी अधिनियम, 2013, के अनुच्छेद 188 (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं / व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटन हेतु फॉर्म सं. एओसी – 2

कंपनी (लेखे) नियम, 2014 के नियम–8(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 कें अनुच्छेद 134(3)(एच) के अनुसरण में

1 संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं : शून्य

2 सामग्री संविदाओं या संव्यवहारों का ब्यौरा जो आर्म लैंथ आधार पर नहीं हैं : निम्नानुसार

क्र. सं	संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की प्रकृति	संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं	बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
1	**महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल),** संयुक्त उद्यम कंपनी	चिह्नित परियोजना लाइनों व साइडिंगों की व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, डिजाइन व निर्माण का कार्य	**तिथि :** परियोजना निष्पादन करार दिनांक 19.04..2016 **अवधि :** सभी चयनित परियोजनाओं के प्रचालन आरंभ तक।	इरकॉन निर्माण के शिरोपरि व्ययों और लाभ के प्रति एफआर व डीपीआर के लिए परियोजना लागत और संविदा के विशिष्ट प्रतिशत जमा वास्तविक परियोजना लागत के प्रतिशत का भुगतान करेगा।	लागू नही	प्राप्त अग्रिम 0.98 करोड रूपए
2	**झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)** संयुक्त उद्यम कंपनी	चिह्नित परियोजना लाइनों व साइडिंगों की व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, डिजाइन व निर्माण का कार्य।	**तिथिः** परियोजना निष्पादन करार दिनांक 28.03.2016 **अवधिः** सभी चयनित परियोजनाओं के प्रचालन आरंभ तकं।	इरकॉन निर्माण के शिरोपरि व्ययों और लाभ के प्रति एफआर व डीपीआर के लिए परियोजना लागत और संविदा के विशिष्ट प्रतिशत जमा वास्तविक परियोजना लागत के प्रतिशत का भुगतान करेगा।	लागू नही	शून्य
3	**छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)** संयुक्त उद्यम कंपनी	सीईआरएल के लिए छत्तीसगढ में पूर्वी गलियारा रेल परियोजना का निष्पादन	**तिथिः** परियोजना निष्पादन करार दिनांक 18.01.2014 **अवधिः** रियायत करार की तर्ज पर रेल गलियारे के प्रचालनिक होने तक।	इरकॉन को शिरोपरि व्ययों और लाभ के प्रति कार्य की वास्तविक लागत जमा संविदा के विशिष्ट प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।	लागू नही	प्राप्त अग्रिम 3.67 करोड रूपए
4	**छत्तीसगढ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल)** संयुक्त उद्यम कंपनी	सीईडब्ल्यूआरएल के लिए छत्तीसगढ में पूर्वी गलियारा रेल परियोजना का निष्पादन	**तिथिः** परियोजना निष्पादन करार दिनांक 05.04.2014 **अवधिः** रियायत करार की तर्ज पर रेल गलियारे के प्रचालनिक होने तक।	इरकॉन को शिरोपरि व्ययों और लाभ के प्रति कार्य की वास्तविक लागत जमा संविदा का विशिष्ट प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।	लागू नही	प्राप्त अग्रिम 9.17 करोड रूपए
5	**बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल)** संयुक्त उद्यम कंपनी	व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, अभिकल्प तैयार करने और चिह्नित परियोजना लाइनों और साइडिंगों के निर्माण का कार्य।'	तिथिः परियोजना निष्पादन करार दिनांक 19.07.2017 अवधि : सभी चिह्नित परियोजना को आरंभ करने तक	इरकॉन को एफआर तथा डीपीआर के लिए परियोजना की लागत के प्रतिशत तथा कार्य की वास्तविक लागत जमा शिरोपरि कार्यों के प्रति संविदा संवर्धन का विशिष्ट प्रतिशत और निर्माण के लिए लाभ का भुगतान किया जाएगा।	लागू नही	प्राप्त अग्रिम 0.26 करोड रूपए
6	**इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएसडीसी)** संयुक्त उद्यम कंपनी	(क) पालिका भवन, सेक्टर XIII आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066 में कार्यालय परिसरों का उपपट्टा	**तिथिः** पट्टा करार तिथि 29.10. 2018 **अवधिः** 01.11.2018 से 30.09. 2019 तक 11 महीनों हेतु	6192.99 वर्ग फुटग135.28 रूपए प्रति वर्ग फुट की दर से मासिक आधार पर वसूला जाने वाला पट्टा किराया – 8,37,788 रूपए, लागू जीएसटी सहित	लागू नही	शून्य
		(ख) विशिष्ट रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास हेतु इरकॉन और आईआरएसडीसी के बीच समझौता ज्ञापन	**तिथिः** दिनांक 30.08.2019 का समझौता ज्ञापन **अवधिः** समझौता ज्ञापन त्रुटि देयता अवधि या सेवाओं के समापन / समयपूर्व समापन, जो भी पहले हो तक सभी आवंटित परियोजना (परियोजनाओं) के समापन तक लागू रहेगा।	इरकॉन का परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) का कार्य प्रदान किया गया है और वह 58 प्रतिशत शुल्क जमा परियोजना लागत (लागतों) के जीएसटी की दर से शुल्क के लिए पात्र है। परियोजना लागत में सहमत खरण योजना के अनुसार पीएमसी द्वारा	लागू नही	शून्य

क्र. सं	संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की प्रकृति	संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं	बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
				प्रबंधित और पर्यवेक्षित तथा पीपीपी / ईपीसी / बीओक्यू किसी भी माध्यम से आईआरएसडीसी क्षरा अनुमोदित अनिवार्य कार्य (स्टेशन पुनर्विकास) की निर्माण लागत शामिल है। यदि ईपीसी / बीओक्यू मोड पर रियल इस्टेट / वाणिज्यिक विकास / ट्रंक अवसंरचना कार्यों को किया जाता है तो वे भी परियोजना लागत का भाग होंगे। यदि परियोजना पीपीपी फ्रेमवर्क पर की जाती है तो आईआरएसडीसी प्रति परियोजना 3 करोड रूपए के अधिकतम के मद्देनजर अनिवार्य कार्य की लागत को घटाने के पश्चात प्राप्त पट्टा प्रीमियम के 0.2 प्रतिशत की दर से सहमत शुल्क के अतिरिक्त बोनस (चयनित बोलीकर्ता / विकासकर्ता को देय) का प्रस्ताव करेगा।		
7	**इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड** संयुक्त उद्यम कंपनी	सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110066 के कार्यालय परिसर को पट्टे पर देना ।	**तिथिः** 30.04.2019 का पट्टा करार (नवीकृत) **अवधिः** 01.04.2019 से 2 वर्ष	निगमित कार्यालय के भीतर पट्टागत परिसरों के लिए प्रभारों को ध्यान में रखते हुए 28,336.72 रूपए के मासिक मूल राशि पर 95.41 वर्ग फुट x297 रूपए वर्ग फुट की दर से पट्टा किराया तथा नवीकरण पर 10 प्रतिशत वृद्धि।	लागू नही	शून्य
8	**इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (इरकॉन आईएसएल)** पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	क) मलेशिया में इरकॉन परियोजना के लिए श्रमशक्ति	करार **तिथिः** 01.04.2013 **अवधिः** हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से दो वर्ष (जबतक कि लिखित नोटिस द्वारा 30 दिन पूर्व किसी भी पक्ष द्वारा समापन न किया जाए, यह करार 2 वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा। जबतक कि कोई पक्ष दूसरे पक्ष को इस करार के समापन की सूचना नहीं देता है, प्रत्येक दो वर्षों में इसका नवीकरण होगा)	करार में निर्धारित अनुसार श्रमशक्ति की विभिन्न श्रेणियों के प्रावधान की दरें, श्रमशक्ति के समान प्रकार के लिए अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए श्रमशक्ति आपूर्तिकर्ता एजेंसियों द्वारा प्रभारित की जाने वाली दरों के तुलना में होंगे।	लागू नही	शून्य
		ख) सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110066 के कार्यालय परिसर को पट्टे पर देना	**तिथिः** 30.04.2019 का पट्टा करार (नवीकृत) **अवधिः** 01–04–2019 से 2 वर्ष	निगमित कार्यालय के भीतर पट्टागत परिसरों के लिए प्रभारों को ध्यान में रखते हुए 1,47,662.46 रूपए के मासिक मूल राशि पर 497.18 वर्ग फुटX279 रूपए वर्ग फुट की दर से पट्टा किराया तथा नवीकरण पर 10 प्रतिशत वृद्धि।	लागू नही	शून्य
		(ग) कोलकाता में इरकॉन की परियोजना हेत श्रमशक्ति	**तिथिः** 25.03.2019 का करार। **अवधिः** दिनांक 01.01.2019 से एक वर्ष। (बशर्ते 30 दिन पूर्व के लिखित नोटिस द्वारा किसी भी पक्ष द्वारा समापन, यह करार 1 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा। बशर्ते कोई भी पक्ष इस करार को समाप्त करने के लिए दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करे)।	इरकॉन आईएसएल को इरकॉन की कोलकाता परियोजना के लिए सामान्य परामर्श (नामित व्यक्ति / पद की श्रेणी) प्रति लागू अनुसार 56,124 के शुल्क जमा जीएसटी का भुगतान किया जाएगा। इरकॉन आईएसएल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देय राशि करार की अवधि के लिए समान रहेगी और इसमें किसी प्रकार का संवर्धन खंड शामिल नहीं है जबतक कि दोनों	लागू नही	शून्य

क्र. सं	संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की प्रकृति	संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं	बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
			नवीकरणः इस करार को दिनांक 08.01.2021 तक बढाया गया है जो दिनांक 09.01.2020 से समान दर और शर्तों व निबंधनों पर प्रभावी होगा।	पक्ष लिखित रूप में विशिष्ट रूप से इसे कम न करें।	लागू नही	शून्य
		(घ) अल्जिरिया में इरकॉन की परियोजना हेत श्रमशक्ति	**तिथिः** 26.03.2019 का करार। **अवधिः** दिनांक 01.10.2017 से दो वर्ष। (बशर्ते 30 दिन पूर्व के लिखित नोटिस द्वारा किसी भी पक्ष द्वारा समापन न किए जाने पर यह करार एलओए यथा 01.10.2017 से दो वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा। बशर्ते कोई भी पक्ष इस करार को समाप्त करने के लिए दूसरे पक्ष को नोटिस जारी न करे, इसे आगे एक वर्ष के लिए बढाया जाएगा)। नवीकरणः इस करार को दिनांक 30.09.2020 तक बढाया गया है जो दिनांक 01.10.2019 के अनुरूप	इरकॉन आईएसएल को इरकॉन की अल्जीरिया परियोजना के लिए सामान्य सीएम प्रचालन (नामित व्यक्ति / पद की श्रेणी) के प्रति 1450 अमरीकी डॉलर की दर से शुल्क का भुगतान किया जाएगा। इरकॉन आईएसएल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देय राशि करार की अवधि के लिए समान रहेगी और इसमें किसी प्रकार का संवर्धन खंड शामिल नहीं है जबतक कि दोनों पक्ष लिखित रूप में विशिष्ट रूप से इसे कम न करें।	लागू नही	शून्य
		(ड.) सीईआरएल परियोजना के लिए इरकॉन को डोमेटिक ऑन–लाइन ट्रेक टेम्पर मॉडल प्लासर हेवी ड्यूटी ट्रेक टेम्पर 08–32सी एमए सं. 6013 (डबल हेडर)	**तिथिः** 20.07.2019 का करार। **अवधिः** कार्य की अवधि अंतिम कार्यक्रम और नियोजन पर निर्भर करेगी। यह करार सीईआरएल परियोजना में मशीन के प्रचालन की तिथि यथा 20. 02.2019 से 06 (छह) महीने की आरंभिक अवधि के लिए प्रभावी होगी।इस अवधि को 30 दिन की पूर्व लिखित सूचना के साथ इरकॉन / सीईआरल के विशेषाधिकार पर समान शर्तों व निबंधनों पर बढाया जा सकेगा।	इरकॉन आईएसएल को स्नेहकों, हाइड्रालिक तेलों व कलपूर्जों की लागत को कर करने के पश्चात 47,000 रूपए प्रति किमी (जमा जीएसटी) के मासिक किराया प्रभार का भुगतान किया जाएगा।	लागू नही	शून्य
		(च) खरसिया और कोरीचपर नई बीजी खंड के बीच रेलपथ का अनुरक्षण	**तिथिः** अभी करार किया जाना है। **अवधिः** दिनांक 12.10.2019 से 6 महीने	इरकॉर द्वारा नियुक्त उपठेकेदारों के बिल पर इरकॉन का 9 प्रतिशत का मार्जिन।	लागू नही	शून्य
		(छ) इरकॉन पटना (क्यूल–गया दोहरीकरण परियोजना और हाजीपुर–बछवाड़ा दोहरीकरण परियोजना) के लिए डोमेटिक ऑन–लाइन ट्रेक टेम्पर मॉडल प्लासर हेवी ड्यूटी ट्रेक टेम्पर 08–32सी एमए सं. 6013 (डबल हेडर)	**तिथिः** 16.12.2019 का करार। **अवधिः** कार्य की अवधि अंतिम कार्यक्रम और नियोजन पर निर्भर करेगी। यह करार क्यूल–गया दोहरीकरण परियोजना में मशीन के प्रचालन की तिथि यथा 16.10.2019 से एक वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए प्रभावी होगी।इस अवधि को 30 दिन की पूर्व लिखित सूचना के साथ इरकॉन / पटना (क्यूल–गया दोहरीकरण परियोजना) के विशेषाधिकार पर समान शर्तों व निबंधनों पर बढाया जा सकेगा। शुद्धिपत्र–1 दिनांक 22.01.2020 को प्रविष्ट किया गया।	इरकॉन आईएसएल को ब्रेकडाउन / मशीन अनुरक्षण के कारण माह में खाली दिनों 19,40,000 रूपए (जमा जीएसटी) के मासिक किराया प्रभार का भुगतान किया जाएगा, किराया प्रभा प्रो–राटा आधार पर निर्धारित होंगे। किराए की तिथि से वार्षिक 10 प्रतिशत की दर पर किराया प्रभारों में संवर्धन किया जाएगा। इस करार के शुद्धिपत्र सं.–1 को इरकॉन के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के लिए निष्पादित किया गया है यथा एक परियोजना से दूसरी परियोजना तक मशीन का संचलन इरकॉन का उत्तरदायित्व होगा और परिवहन प्रभारों को भी इरकॉन द्वारा भुगतान और वहन किया जाएगा।	लागू नही	शून्य

क्र. सं	संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की प्रकृति	संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं	बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
		(ज) रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास	**तिथिः** 30.12.2019 का करार। **अवधिः** समझौता ज्ञापन त्रुटि देयता अवधि या सेवाओं के समापन/समयपूर्व समापन, जो भी पहले हो सहित सभी आवंटित परियोजना (परियोजनाओं) के समाप्त होने तक लागू रहेगा।	इरकॉन को दिनांक 30.08.2019 को इरकॉन और आईआरएसडीसी के बीच हस्ताक्षरित संगम अनुच्छेद (एमओए) की भुगतान शर्तों और भुगतना की सह शर्तों सहित अन्य निबंधन और शर्तों सहित परियोजना लागत के 5.22 प्रतिशत जमा जीएसटी की दर से शुल्कों हेतु रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य प्रदान किया गया है।	लागू नही	शून्य
		(झ) बांग्लादेश में परिकार की परियोजना हेतु श्रमशक्ति	**तिथिः** 22.05.2020 का करार। **अवधिः** नामित कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष। अर्थात 07.02.2020 (बशर्ते 30 दिन पूर्व के लिखित नोटिस द्वारा किसी भी पक्ष द्वारा समापन किया जाए। बशर्ते कोई भी पक्ष इस करार को समाप्त करने के लिए दूसरे पक्ष को नोटिस जारी नहीं करता, इस करार के प्रत्येक वर्ष आगे नवीकृत किया जाएगा)।	इरकॉन प्रति कर्मचारी 182.25 अमरीकी डॉलर के इरकॉन आईएसएल के मार्जिन सहित प्रति कर्मचारी 1,215 अमरीकी डॉलर के वेतन पर चार कार्य इंजीनियरों (सिविल) के शुल्क हेतु श्रमशक्ति उपलब्ध कराने के लिए सहमत हुआ है। इरकॉन आईएसएल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देय राशि करार की अवधि के लिए समान रहेगी और इसमें किसी प्रकार का संवर्धन खंड शामिल नहीं है जबतक कि दोनों पक्ष लिखित रूप में विशिष्ट रूप से इसे कम न करें।	लागू नही	शून्य
9	**इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड (इरकॉन डीएचएचएल))** पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	(क) इरकॉन डीएचएचएल के लिए देवानगेरे हवेरी राजमार्ग परियोजना की इंजीनियरिंग प्रापण निर्माण (एचपीसी) संविदा।	**तिथिः** ईपीसी करार तिथि 04. 01.2018 **अवधिः** समापन अवधि नियुक्ति तिथि या इरकॉन डीएचएचएल द्वारा भूमि सौंपे जाने की तिथि से 30 वर्ष है।	यह संविदा 916.93 करोड़ रूपए की कुल लागत जमा 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी के लिए कर्नाटक राज्य में रा.रा–48 (पुराना रा.रा–4) के किमी 260+000 से 338+923 तक देवांगेरे–हवेरी को छह लेन का बनाने के लिए प्रदान की गई है।	लागू नही	अग्रिम का पुनर्भुगतान 58.86 करोड रूपए
		(ख) सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110066 के कार्यालय परिसर को पट्टे पर देना	**तिथिः** पट्टा करार तिथि 09.08. 2018 **अवधि** 15.05.2018 से 3 वर्ष	किरायाः निगमित कार्यालय के भीतर पट्टागत परिसरों के लिए प्रभारों को ध्यान में रखते हुए 19305 रूपए के मासिक मूल राशि पर 65 वर्ग फुट x 297 रूपए वर्ग फुट की दर से पट्टा किराया तथा नवीकरण पर 10 प्रतिशत वृद्धि।	लागू नही	शून्य
10	**इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉन पीबीटीएल)** पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	(क) ईपीसी करार के चार परिशिष्टों का निष्पादन (ये परिशिष्ट मूल ईपीसी करार के भाग का निर्माण करेंगे)	ईपीसी करार तिथिः 19.01.2015 अवधिः ईपीसी कार्य एनएचएआई द्वारा सूचित नियुक्ति तिथि या इरकॉन पीबीटीएल द्वारा भूमि सौपे जाने से 30 महीने है। क) दिनांक 12.06.2015 को प्रविष्ट परिशिष्ट–1 ख) दिनांक 29.03.2016 को प्रविष्ट परिशिष्ट–2 ग) दिनांक 05.08.2016 को प्रविष्ट परिशिष्ट–3 घ) दिनांक 06.07.2017 को प्रविष्ट परिशिष्ट–4 ड.) दिनांक 05.04.2019 को प्रविष्ट परिशिष्ट–5	646 करोड़ रूपए की परियोजना की मूल कुल लागत को बनाए रखते हुए संशोधित भुगतान अनुसूची के निगमन हेतु ईपीसी करारों में परिशिष्ट सं. 1,2,3,4 को निष्पादित किया गया है। 767.48 करोड़ रूपए की परियोजना की मूल कुल लागत को बनाए रखते हुए संशोधित भुगतान अनुसूची के निगमन हेतु ईपीसी करारों में परिशिष्ट सं. 5 को निष्पादित किया गया है।	लागू नही	शून्य

क्र. सं	संबंधित पक्षों के नाम और संबंध की प्रकृति	संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की प्रकृति	संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की अवधि	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की प्रमुख विशेषताएं	बोर्ड की स्वीकृति की तिथि, यदि कोई हो	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
		(ख) सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017 के कार्यालय परिसर को पट्टे पर देना	**तिथिः** पट्टा करार तिथि 22.06. 2018 और 10.06.2020 (नवीकरण) **अवधि** 1.04.2018 से 3 वर्ष	किरायाः निगमित कार्यालय के भीतर पट्टागत परिसरों के लिए प्रभारों को ध्यान में रखते हुए 19,305 रूपए के मासिक मूल राशि पर 65 वर्ग फुट x 297 रूपए वर्ग फुट की दर से पट्टा किराया तथा नवीकरण पर 10 प्रतिशत वृद्धि।	लागू नही	शून्य
11	**इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉन एसजीटीएल)** पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	क) ईपीसी करार के दो परिशिष्टों का निष्पादन (ये परिशिष्ट मूल ईपीसी करार के भाग का निर्माण करेंगे)	ईपीसी करार **तिथिः** 30.11.2015 **अवधिः** ईपीसी कार्य एनएचएआई द्वारा सूचित नियुक्ति तिथि या इरकॉन एसजीटीएल द्वारा भूमि सौपे जाने से 30 महीने है। क) दिनांक 29.03.2016 को प्रविष्ट परिशिष्ट–1 ख) दिनांक 22.07.2016 को प्रविष्ट परिशिष्ट–2	642 करोड़ रूपए की परियोजना की मूल कुल लागत को बनाए रखते हुए संशोधित भुगतान अनुसूची के निगमन हेतु ईपीसी करारों में परिशिष्ट सं. 1, 2 को निष्पादित किया गया है।	लागू नही	शून्य
		ख) सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017 के कार्यालय परिसर को पट्टे पर देना	तिथिः पट्टा करार तिथि 27.06. 2018 अवधि 01.07.2018 से 3 वर्ष	किरायाः निगमित कार्यालय के भीतर पट्टागत परिसरों के लिए प्रभारों को ध्यान में रखते हुए 19305 रूपए के मासिक मूल राशि पर 65 वर्ग फुटग297 रूपए वर्ग फुट की दर से पट्टा किराया तथा नवीकरण पर 10 प्रतिशत वृद्धि।	लागू नही	शून्य
12	**इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉन वीकेईएल)** पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	क) इरकॉन वीकेईएल के लिए वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड का इंजीनियरिंग प्रापण निर्माण (ईपीसी) संविदा	**तिथिः** ईपीसी पट्टा करार तिथि 09.11.2018 **अवधिः** निर्माण अवधि नियुक्ति तिथि से 730 दिन है। (क) दिनांक 10.08.2019 को प्रविष्ट शुद्धिपत्र–1 (क) दिनांक 03.01.2020 को प्रविष्ट शुद्धिपत्र–2	यह संविदा 1377.73 करोड़ रूपए जमा 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी की कुल राशि के लिए ईपीसी आधार पर गुजरात सरकार में 323 किमी से 355 किमी तक आठ लेन वाले वडोदरा किम एक्सप्रसवे के निर्माण के लिए प्रदान किया गया है। ईपीसी के शुद्धिपत्र–1,2 को 1377.73 करोड रूपए जमा 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी मूल्य की मूल कुल परियोजना लागत को बनाए रखने के लिए संशोधित भुगतान अनुसूची को शामिल करने के लिए निष्पादित किया गया है।	लागू नही	प्राप्त अग्रिम 153.56 करोड़ रूपए अग्रिम का पुनर्भुगतान 62.07 करोड रूपए
		ख) सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017 के कार्यालय परिसर को पट्टे पर देना	तिथिः पट्टा करार तिथि 09.08. 2018 अवधि 17.05.2018 से 3 वर्ष	किरायाः निगमित कार्यालय के भीतर पट्टागत परिसरों के लिए प्रभारों को ध्यान में रखते हुए 19305 रूपए के मासिक मूल राशि पर 65 वर्ग फुट x 297 रूपए वर्ग फुट की दर से पट्टा किराया तथा नवीकरण पर 10 प्रतिशत वृद्धि	लागू नही	शून्य

* इरकॉन परियोजनाओं के लिए डीपीआर हेतु व्यवहार्यता अध्ययन तथा इसे तैयार करेगा जिसकी परियोजना लागत क्रमशः 1 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत होगी।

नोटः

ध्यान दें:

1. उपरोक्त संव्यवहारों के अतिरिक्त, संबंधित पक्षों के साथ किए गए अन्य संव्यवहार आदि इस प्रकार हैं:
   (i) कंपनी ने अपने कर्मचारियों को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी / संयुक्त उद्यम कंपनियों में भी प्रतिनियुक्त किया है। कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति वास्तविक लागत (सीटीसी) के आधार पर होती है।
   (ii) वेतन, लाभ (जैसे पीएफ, जीआईएस, सोसायटी कटौती, संबंधित भुगतान, आदि) और यात्रा/ टिकट की लागत जैसी प्रकृति कें अन्य विविध भुगतान इत्यादि ऐसे प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है जैसे कि इरकॉन की नीति के अनुसार वास्तविक आधार पर प्रतिपूर्ति की जाती है।

(iii) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों की ओर से किए गए विभिन्न खर्चों जैसे विज्ञापन लागत, यात्रा लागत आदि की वास्तविक आधार पर प्रतिपूर्ति की जाती है।

2. उपरोक्त सभी लेनदेन को इरकॉन की लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है

3. उपरोक्त लेनदेन के अलावा, मध्यस्थता दावों के लिए आईएसटीपीएल से प्राप्त अग्रिम के प्रति 45 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।

4. सदस्य उन वित्तीय विवरणों का उल्लेख कर सकते हैं जो इंड एएस –24 के अनुसरण में संबंधित पक्ष प्रकटीकरण को निर्धारित करते हैं और वर्ष के दौरान लेनदेन का भी उल्लेख करते हैं।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/–
(एस.के. चौधरी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00515672)

दिनांक : 25.08.2020
स्थान : नई दिल्ली

फॉर्म सं. एमआर–3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसरण में)

सेवामें,

सदस्य,

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,

सीआईएनः एल45203डीएल1976जीओआई008171

प्लॉट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,

नई दिल्ली–110017

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (जिसे यहां आगे ''कंपनी'' कहा जाएगा), जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लाट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017 में है, द्वारा अच्छी निगमित पद्धतियों के अनुपालन की लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई थी, जिससे हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और इन पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आधार मिला है।

कंपनी की बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट देते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रकियाएं भी हैं और उस स्तर तक तथा उस रूप में अनुपालन तंत्र विद्यमान है और यहां आगे उल्लिखित रिपोर्टिंग के मद्देनजर हैः

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, अभिलेखों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्मों और दायर रिटर्नों तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच की हैः

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए'') और तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमः

(iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1966 तथा इसके अंतर्गत निर्मित विनियम तथा उप–नियम

(iv) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के स्तर तक विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत निर्मित नियम और विनियम (लागू स्तर तक)

(v) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम (''सेबी अधिनियम'') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देशः

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का व्यापक अधिग्रहण और ओवरटेक) विनियम, 2011

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भीतरी व्यापार निषेध) विनियम, 2015

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान किसी कर्मचारी लाभ योजना के अनुसरण में कोई शेयर या कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया है)।

(ड.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना व सूचीकरण) विनियम, 2008 (कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान किसी ऋण प्रतिभूति को जारी या सूचीबद्ध नहीं किया है)।

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यु और शेयर हस्तांतरण एजेटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 और यह कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ संव्यवहार से संबंधित है।

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीकरण) विनियम, 2009 (कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान किसी स्टॉक एक्सचेंज से अपने किसी इक्विटी शेयर को गैर–सूचीबद्ध नहीं/किए जाने का प्रस्ताव नहीं है), और

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 2018 (कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी किसी प्रतिभूति को वापस नहीं लिया/लेने का प्रस्ताव नहीं है)।

(vi) कंपनी के प्रबंधन द्वारा सूचित और प्रमाणित अनुसार, अन्य कानून विशिष्ट रूप से उनके क्षेत्र / उद्योग के आधार पर लागू हैं:

(क) भवन और अन्य निमार्ण कर्मचारी (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियम) केन्द्रीय नियम, 1998

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003

श्रम कानूनों और अन्य सामान्य कानूनों का अनुपालन करने के लिए, हमारी जांच और रिपोर्टें कंपनी के अधिकारियों और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत और दिखाए गए अभिलेखों, रिकार्डों तथा फाइलों तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण और कंपनी पर लागू विभिन्न विधानों के लागू होने के संबंध में हमारे सर्वोत्तम विवेक और समझ के आधार पर है। हमारे मतानुसार, कंपनी में लागू सामान्य कानूनों और श्रम कानूनों की मॉनीटरिंग और अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

लागू वित्तीय नियमों, जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों के संबंध में कंपनी द्वारा अनुपालन की इस लेखापरीक्षा में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि इसकी सांविधिक लेखांकन लेखापरीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा की गई है।

हमने निम्नलिखित के अनुपालन की भी जांच की है।

i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक।

ii. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015.

iii. दिनांक 14 मई 2010 के कार्यलय ज्ञापन सं. 18(8)/2005—जीएम के तहत लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (सीपीएसई) के लिए निगमित शासन दिशानिर्देश।

iv. निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 27 मई 2016 के कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 5/2/2016—नीति में निर्धारित अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम की पूंजीगत पुनर्संरचना पर दिशानिर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने नीचे उल्लिखित स्तर को छोड़कर उपर्युक्त अधिनिम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है —

1. **निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के प्रावधानों तथा निगमित शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के प्रावधानों के अंतर्ग यथापेक्षित अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या**

2. **दिनांक 1 अप्रैल 2019 से 14 जुलाई 2019 तक कंपनी अधिनियम (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 तथा भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 149(1) के अंगर्तत यथापेक्षित अपने बोर्ड में महिला निदेशक।**

हम आगे यह सूचित करते हैं कि —

» कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर—कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे, सिवाय इसके कि कंपनी अपेक्षित रूप से स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति नहीं कर पाई है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 के प्रावधान उपर्युक्त हैं। बीएसई और एनएसई ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1) के गैर अनुपालन के लिए, 30 जून 2019, 30 सितंबर 2019 और 31 दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाहियों के लिए मौद्रिक जुर्माना (जुर्माने) लगाया था। 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही के लिए बोर्ड की संरचना से संबंधित प्रावधानों के गैर अनुपालन हेतु एनएसई द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। इरकॉन ने स्टॉक एक्सचेंजों को स्पष्ट किया है कि उन्हें जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए और इस तथ्य के कारण यह प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है कि एक सरकारी कंपनी में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। सूचीबद्ध संस्था की स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है जब तक कि सरकार द्वारा नामित न किया जाए। सूचीबद्ध इकाई ने पहले ही समय—समय पर प्रशासनिक मंत्रालय (अर्थात रेल मंत्रालय) से अनुरोध किया है कि वह अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इरकॉन के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति करे और यह विषय प्रक्रियाधीन है। ।

» बोर्ड बैठकों की अनुसूची के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिऐ जाते हैं, बैठकों की कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत नोट सभी निदेशकों को बैठक से कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठके से पूर्व कार्यसूची मदों पर और अधिक सूचना या स्पष्टीकरणों को प्राप्त करने और बैठक में अर्थपूर्ण भागीदारी को संभव बनाने के लिए एक प्रणाली विद्यमान है।

» अधिकतर निर्णय सदस्यों के विचारों को प्राप्त करके लिए जाते हैं, यदि कोई हो, को कार्यवृत्त के भाग के रूप में रखा और रिकार्ड किया जाता है।

» रिकार्डों के अनुसार, कंपनी ने ऐसे सभी फॉर्मों, रिटर्नों, अभिलेखों, संकल्पों को दायर किया है जो कंपनियों के रजिस्ट्रार तथा अन्य प्राधिकारियों के पास दायर करना अपेक्षित था और इनसे संबंधित सभी औपचारिकताओं का अनुपालन अधिनियम के अनुरूप किया गया है।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन की मॉनीटरिंग करने और इनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप उपयुक्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित को स्वीकृति प्रदान की है:

1. कंपनी के प्रति 10 रूपए के फेस मूल्य के एक (1) इक्विटी शेयर को विभाजित करके प्रति 2 रूपए के फेस मूल्य के पांच (5) शेयरों में परिवर्तित करें और तदनुसार,
2. कंपनी के संगम अनुच्छेद के पूंजी खंड में संशोधन

कृते कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
ह/–

सीएस नरेश कुमार सिन्हा
(प्रोप्राइटर)
एफसीएस:1807 सीपी सं.:14984
पीआर: 610/2019
यूडीआईएन:F001807B000459055

स्थानः नोएडा
दिनांकः 15.07.2020

इस रिपोर्ट को अनुबंध–क के रूप में अनुबंधित हमारे समसंख्यक पत्र के साथ पढ़ा जाए और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

अनुबंध–क

सेवामें,
सदस्य,
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,
सीआईएनः एल45203डीएल1976जीओआई008171
प्लॉट सं. सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत,
नई दिल्ली–110017

हमारी 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समिति की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढा जाए:

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्त करना है।
2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। औचक जांच आधार पर सत्यापन किया गया था ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि रिकार्डों में सही तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रतिक्रियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं की है।
4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. निगमित तथा अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच परीक्षण आधार पर प्रकियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट ना तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और ना ही कुशलता या प्रभावपूर्णता के लिए है जिसके द्वारा प्रबंधन कंपनी के कार्यों का संचालन करेगी।
7. कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत, हम 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के भौतिक अभिलेखों, रिकार्डों एवं अन्य दस्तावेजों आदि की जांच नहीं कर पाए हैं और हमें अपेक्षित सभी दस्तावेज/सूचना इलैक्ट्रिानिक माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं।

कृते कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
ह/–

सीएस नरेश कुमार सिन्हा
(प्रोप्राइटर)
एफसीएस:1807 सीपी सं.:14984
पीआर: 610/2019
यूडीआईएन:F001807B000459055

स्थानः नोएडा
दिनांकः 15.07.2020

वर्ष 2019–20 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा में समाविष्ट अवलोकनों के उत्तर और निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन

क्र.सं	अवलोकन	प्रबंधकीय उत्तर
1.	निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के प्रावधानों तथा निगमित शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के प्रावधानों के अंतर्ग यथापेक्षित अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या	सरकारी कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। कंपनी ने पहले ही रेल मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध किया है कि बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति की जाए। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की कोई भूमिका नहीं है जब तक कि सरकार द्वारा नामित न किया जाए।
2.	दिनांक 1 अप्रैल 2019 से 14 जुलाई 2019 तक कंपनी अधिनियम (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 तथा भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 149(1) के अंगर्तत यथापेक्षित अपने बोर्ड में महिला निदेशक।	स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का कार्यकाल दिनांक 31.03.2019 को समाप्त हो गया है। कंपनी ने समय समय पर रेल मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया है, कि बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों (माहिला निदेशकों सहित) की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति की जाए। महिला स्वतंत्र निदेशक की पुनर्नियुक्ति रेल मंत्रलय द्वारा दिनांक 11 जुलाई 2019 के आदेश (जो दिनांक 15 जुलाई 2019 को प्राप्त हुआ) के तहत की गई है।

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह/–
(एस.के. चौधरी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 00515672)

दिनांक : 25.08.2020
स्थान : नई दिल्ली

लाभांश वितरण नीति

1. पृष्ठभूमि

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने (सेबी) (सूचीबद्धता और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के (दूसरा संशोधन) में दिनांक 8 जुलाई 2016 की अधिसूचना के तहत विनियम 43ए शामिल किया है, जिसमें बाजार पूंजीकरण (प्रत्येक वित्तीय पर्ष के 31 मार्च के अनुसार परिकलित) के आधार पर पांच सौ शीर्ष सूचीबद्ध निकायों के लिए अपेक्षित है कि वह एक लाभांश संवितरण नीति तैयार करें और उसे वार्षिक रिपोर्ट और अपनी वेबसाईट पर प्रकट करें।

इस नीति का उद्देश्य निम्नलिखित मापदंडों (बाहरी और आंतरिक कारकों) को व्यापक स्तर पर विनिर्दिष्ट करना है जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय और उन परिस्थितियों में विचार किया जाएगा, जिनमें कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश की उम्मीद है/नहीं है और प्रतिधारित आमदनी का प्रयोग किस प्रकार किया जाए।

कंपनी शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए प्रयासरत है और विश्वास करती है कि इसे निरंतर विकास द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यह नीति यह प्रयास करती है कि लाभांश के माध्यम से शेयरधारकों को पुरस्कृत करने और कंपनी के विकास तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त लाभों को प्रतिधारित रखे जाने के बीच इष्टतम संतुलन बनाए रखा जाए।

यह नीति लाभांश की सिफारिश करने के लिए बोर्ड के निर्णय, जो कि कंपनी के ब्याज तथा नीति में वर्णित परिस्थितियों तथा अन्य कारकों जो बोर्ड द्वारा संगत निर्धारित किए जाएं, को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, का विकल्प नहीं है।

2. नीति फ्रेमवर्क

यह नीति व्यापक स्तर पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की तर्ज पर तथा निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उपक्रम विभाग, द्वारा जारी ''सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के रीस्ट्रक्चरिंग'' और सेबी विनियमों और लागू स्तर तक अन्य दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

3. लाभांश की घोषणा करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारक

3.1 लाभांश की घोषणा करते समय ध्यान में रखे जाने वाले वित्तीय कारक

इरकॉन एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होने के कारण दिनांक 27.05.2016 को डीआईपीएएम द्वारा जारी केपिटल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइसेज की पूंजीगत पुनर्संरचना पर दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है।

3.2 लाभांश की घोषणा करते समय ध्यान में रखे जाने वाले आंतरिक और बाह्य कारक

3.2.1 आंतरिक कारक

बोर्ड द्वारा एक वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश की घोषणा पर विचार करते समय कम्पनी के संचालन की प्रकृति और अन्य पैमानों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित कारकों पर विचार कर सकता है:

- क. तिमाही तक/वित्तीय वर्ष के लिए लाभ।
- ख. कंपनी की मुक्त आरक्षित निधि में उपलब्ध शेष।
- ग. कंपनी और उद्योग का लाभांश भुगतान का रुझान।
- घ. भावी व्यवसाय अनुमान और प्रचालनिक आवश्यकताएं
- ड. आमदनियों की धारणीयता और भावी लागों का अनुमान।
- च. प्रचालनिक रोकड़ प्रवाह, कोषीय स्थिति और प्रचालनिक आवश्यकताएं।
- छ. ऋण सीमा और ऋण प्राप्त करने की क्षमता।
- ज. कंपनी की वर्तमान और भावी पूंजी व्यय योजना।
- झ. कंपनी की सहायक/संयुक्त उपक्रम तथा संबद्ध कंपनियों में अतिरिक्त निवेश।
- ट. अप्रत्याशित घटनाओं और आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान, जिनका आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है।
- ढ. कोई अन्य कारक, जो बोर्ड द्वारा उपयुक्त माना जाए।

3.2.2 बाहरी कारक

(क) आर्थिक वातावरण और व्यावसायिक वातावरण: लाभांश की घोषणा करते समय सूक्ष्म आर्थिक परिस्थितियों सहित वर्तमान और भावी व्यवसायों के परिदृश्य पर विचार किया जाएगा।

(ख) उद्योग की स्थिति: लाभांश की घोषणा के संबंध में निर्णय लेते समय उस उद्योग की वर्तमान परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा, जिस उद्योग में कंपनी प्रचालन कर रही है।

(ग) सांविधिक प्रावधान तथा दिशानिर्देश: कंपनी लाभांश की घोषणा के संबंध में कंपनी अधिनियम तथा सेबी और अन्य सांविधिक प्राधिकरणों के विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी भारत सरकार द्वारा तथा अन्य किसी सांविधिक निकायों द्वारा समय–समय पर जारी लाभांश घोषणा संबंधी लागू दिशानिर्देशों पर भी विचार करेगी।

(घ) लाभांश पर कर सहित लागू कर: लाभांश पर कर सहित कंपनी में लागू करों पर विचार किया जाएगा जो समग्र रोकड़ बहिर्गमन को प्रभावित करते हैं।

3.3 वे परिस्थितियां जिनके अंतर्गत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लाभांश के रूप में लाभ का संवितरण तथा व्यवसायों में अन्य उद्देश्यों के लिए कुछ अनुमात में लाभ का प्रतिधारण प्रत्येक कंपनी का मूलभूत निर्णय है। इस निर्णय के लिए लाभांश के माध्यम से

शेयरधारकों को उपयुक्त रूप से पुरस्कृत करने तथा व्यवसाय के प्रचालनिक आवश्यकताओं और विकास योजनाओं के लिए लाभों के प्रतिधारण के बीच उपयुक्त संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। हालांकि, कंपनी नियमित रूप से अपने शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान कर रही है और वह युक्तिसंगत रूप से भविष्य में भी लाभांश की उम्मीद करते हैं, जब तक कि निम्नलिखित परिस्थितियों के अंतर्गत लाभांशों की घोषणा न करने के लिए कंपनी की कोई समस्या न होः

(क) लाभों का अभाव या अपर्याप्तता – यदि वित्तीय वर्ष के दौरान कोई लाभ नहीं हुआ है अथवा यह निर्धारित किया गया है कि कंपनी का लाभ पर्याप्त नहीं है तो बोर्ड उस वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश की घोषणा न करने का निर्णय ले सकता है।

(ख) अन्य समस्याएं – वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश घोषित न करने का निर्णय लेते समय बोर्ड द्वारा महत्वपूर्ण कारकों जैसे रोकड़ संसाधनों की सीमित/गैर–उपलब्धता, भावी रोकड़ प्रवाह अनुमानों के कारण सीमितता, आपातकालीन आवश्यकताएं जिसके लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता हो, अस्थिर व्यवसाय तथा लाभ अनुमान आदि और कोई अन्य सांविधिक कारकों पर भी विचार किया जा सकता है।

4. प्रतिधारण आमदनियों का उपयोग

कंपनी की प्रतिधारण आमदनियों का प्रयोग अवसंरचना के सृजन तथा कंपनी के व्यवसाय के विस्तार के लिए किया जाता रहा है। कंपनी की प्रतिधारण आमदनियों के उपयोग का निर्णय कई कारकों पर आधारित होता है जैसे कंपनी की नीति और दीर्घकालीन योजनाएं, विविधिकरण, बोनस जारी करने, बाय–बैक के संबंध में सरकारी दिशानिर्देश तथा कोई अन्य कारण जो सरकार द्वारा उपयुक्त समझा जाए। इसलिए, प्रतिधारण आमदनियों का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे इसके सभी शेयरधारकों का धारणीय रूप से मूल्य संवर्धन हो सके।

5. शेयरों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में अपनाए जाने वाले मापदंड

वर्तमान में कंपनी के केवल एक श्रेणी के शेयर हैं यथा इक्विटी शेयर और रिकार्ड तिथि को कंपनी के सभी सदस्य प्रति शेयर घोषित लाभांश की समान राशि प्राप्त करने के पात्र हैं। जब कभी कंपनी शेयरों की किसी अन्य श्रेणी को जारी करने का प्रस्ताव करेगी, शेयरों में तदनुसार संशोधन किया जाएगा।

6. यह नीति निम्नलिखित पर लागू नहीं होगीः

- किसी अन्य रूप में लाभांश का संवितरण जैसे बोनस शेयरों या प्रतिभूतियों को जारी करके, लागू कानूनों के मद्देनजर।
- इक्विटी शेयरों के बायबैक के रूप में लाभांश भुगतान के विकल्प के रूप में रोकड़ का संवितरण।

7. संशोधन

निदेशक मंडल उपयुक्त समझे जाने पर या सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार समग्र रूप से या भाग में, इस नीति की समीक्षा या संशोधन कर सकते हैं।

तथापि, इस नीति में किसी प्रकार का संशोधन सूचीबद्धता विनियमों या किसी अन्य सांविधि के अनुपालन में किया जाना अपेक्षित है और कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक ऐसे संशोधन को अनुमोदित करने के लिए शक्तिप्रदत्त है।

8. प्रकटनः

इस नीति के तत्वों के अतिरिक्त मापदंडों या इस नीति के तत्वों में संशोधन के परिणामस्वरूप लाभांश की घोषणा को वार्षिक रिपोर्ट तथा कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट किया जाएगा।

तथापि, इस नीति में परिवर्तन को इसके औचित्य के साथ लागू विनियामक प्रावधानों के अनुसार कंपनी की वेबसाइट तथा कंपनी की आगामी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा।

ऐसी स्थिति में जहां यह नीति किसी अन्य विनियामक प्रावधान के अनुरूप नहीं है, ऐसे विनियामक प्रावधान इस नीति के समवर्ती प्रावधान के स्थान पर विद्यमान रहेंगे और नीति को ऐसे प्रावधान की प्रभावी तिथि से तद्नुसार संशोधित किया जाएगा।

स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण 2019–20

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों के लिए
स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण की रिपोर्ट

मत

हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी) के स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए लाभ और हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं, जिसमें उत्तरी क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पटना क्षेत्र, मुंबई क्षेत्र, अल्जीरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखापरीक्षाओं द्वारा लेखापीक्षा तिथि को समान वर्ष के लिए रिटर्न में शामिल किया गया है।

हमने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया में स्थित 2 (दो) विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। तथापि, हमने शाखाओं का दौरा नहीं किया है और लेखापरीक्षा के प्रयोजन से संगत सूचना हमें निगमित कार्यालय स्तर पर प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई थी।

हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं जो 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार कम्पनी कार्यों के संदर्भ में कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली , 2015, यथासंशोधित, (''इंड एस'') के साथ पठनीय अधिनियम के अनुच्छेद–133 तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से संगत हैं तथा अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं तथा जिनसे इस तिथि को समाप्त वर्ष के अनुसार लाभ और हानि तथा कुल वृहत आय, इक्विटी परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह की स्थिति प्रस्तुत होती हैं ।

मत का आधार

हमने कंपनी, 2013 अधिनियम के अनुच्छेद–143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट में इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे लेखा परीक्षण से सम्बद्ध स्वतंत्र अपेक्षाओं के साथ हमारा लेखा परीक्षण स्वतंत्र अपेक्षाओं के अनुरूप है तथा हमारे द्वारा इन आचार अपेक्षाओं एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हमारा यह मानना है कि स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा लेखा परीक्षा मत प्रस्तुत करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विषय पर बल

हम कंपनी के प्रचालनों और वित्तीय मामलों पर वैश्विक महामारी कोविड–19 के प्रभाव का उल्लेख करने वाले स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 46 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

उक्त मामले के संबंध में हमारी रिपोर्ट अर्हक नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख मामले वो होते हैं जिनके प्रति चालू अवधि के स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में हमारा व्यावसायिक निर्णय निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे मामले स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के संदर्भ में पूर्ण रूप से विचार में लिया गया हैं तथा ऐसे मामलों के बारे में हम अपना मत अलग–अलग नहीं दे पा रहे हैं। नीचे दी गई प्रस्तुति के अनुसार कुछ प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों का हमने रिपोर्ट के माध्यम से सम्प्रेषण किए जाने के लिए निर्धारण किया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में मामले के प्रति क्या कार्रवाई की गई
(क) इंड एएसः116 पट्टा की दृष्टि से पट्टा स्वीकृति। चालू वर्ष में कंपनी ने इंड एएस 17 ''पट्टा'' के स्थान पर इंड एस 116 ''पट्टा'' को स्वीकार किया है। इस लेखांकन मानक का अनुप्रयोग और पारगमन जटिल है और यह हमारी लेखापरीक्षा का प्रमुख क्षेत्र है क्योंकि कंपनी के विभिन्न संविदागत शर्तों के तहत पट्टा करार के प्रमुख राशियां शामिल हैं। इंड एएस 116 नए पट्टे लेखांकन मॉडल को आरंभ करती है, जिसमें पट्टादार को प्रयोग अधिकार (आरओयू) परिसंपत्तियों और तुलन पत्र पर पट्टे से उत्पन्न पट्टा देयताओं को स्वीकार करना अपेक्षित होता है। पट्टा देयताओं को आरंभिक तौर पर संविदा/व्यवस्था के अनुसार पट्टे की अवधि के दौरान भावी पट्टा भुगतानों को बट्टे खाते पर मापना होता है। इस मानक को	इंड एएस 116 को स्वीकार करने पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैः • नई प्रक्रियाओं का आकलन और परीक्षण तथा पट्टा लेखांकन मानक (इंड एएस 116) के संबंध में नियंत्रण। • संविदागत करारों और व्यवसाय के हमारे ज्ञान के आधार पर पट्टों की पहचान पर कंपनी के मूल्यांकन का आकलन। • पट्टा देयताओं के निर्धारण में प्रयुक्त रियायत दरों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन हेतु हमारे विशेषज्ञों की संलिप्तता। • दिनांक 1 अप्रैल 2019 को पारगमन परः ➢ पारगमन और संबंधित समायोजनों की विधि का मूल्यांकन

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में मामले के प्रति क्या कार्रवाई की गई
स्वीकार करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमानों की आवश्यकता होती है जिसमें रियायती दरों का निर्धारण, पट्टा अवधि आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पारगमन के संबंध में मानक विस्तृत प्रकटन शामिल हैं। ब्यौरे के लिए स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण के नोट 42 का संदर्भ लें।	➢ आरओयू परिसंपत्ति और पट्टा देयताओं के परिकलन में प्रयुक्त आंकडों के प्रति प्रचालन पट्टा प्रतिबद्वताओं के संबंध में कंपनी द्वारा पट्टा डाटा का पूर्णता का परीक्षण। • सांख्यकीय नमूने के आधार पर, हम निम्नलिखित प्रक्रियाओं का निष्पादन करते हैं: ➢ निर्धारित पट्टा संविदाओं के साथ प्रत्येक पट्टे की प्रमुख निबंधनों और शर्तों का आकलन। ➢ प्रमुख अनुमानों जैसे रियायत दरों और पट्टा अवधि जैसे पट्टा देयताओं और चुनौतियों का मूल्यांकित परिकलन। • पारगमन संबंधित प्रकटनों सहित इंड एएस 116 से संबंधित लेखाकन नीति, प्रस्तुतीकरण और प्रकटनों का आकलन और परीक्षण।
ख. सिस्टम परिवेश एवं आंतरिक नियंत्रण कम्पनी में एसएपी सिस्टम स्थापित है परन्तु विदेशी परियोजनाओं के वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से टैली सिस्टम का उपयोग किया जाता है। एफआई–सीओ माड्यूल वर्ष 2012–13 से सीमित उपयोज्यताओं तथा वेतनसूची, मालसूची इत्यादि जैसे किसी अन्य सिस्टम के साथ किसी प्रकार की एकीकरण सहायता के बिना उपयोग में लाया जा रहा है। इसके अलावा, एकीकरण सहायता के साथ एसएपी परियोजना सिस्टम माड्यूल (पीएस) की आवश्यकता परियोजना बीजकों को तैयार किए जाने के लिए अपेक्षित है। कम्पनी का सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम पूर्णतः स्वचालित नहीं है तथा इसमें वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा रिपोर्टिंग के लिए मैनुअल हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता पड़ती है।	हमारे द्वारा अन्य अनेक प्रक्रियाओं के साथ साथ निम्नलिखित प्रक्रियाएं उपयोग में लाई गई हैं:– • प्रबंधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सूचना प्रौद्योगिकी परिवेश एवं प्रमुख वित्तीय प्रक्रियाओं पर यह ज्ञात करने के लिए विचार विमर्श किया गया कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को एकीकृत किया गया है अथवा नहीं। • कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवस्था से सम्बद्ध प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रणों के डिजाइन का परीक्षण। • हमारे द्वारा सिस्टम इंटरफेस पर कम्पनी के नियंत्रणों तथा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा अंतरण का परीक्षण भी किया गया है। • हमारे द्वारा उन क्षेत्रों के संबंध में संज्ञात्मक लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं का उपयोग इस सुनिश्चय के लिए किया गया है कि क्या मैनुअल नियंत्रणों का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जा रहा है अथवा नहीं।

स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों तथा उनसे संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से अलग अन्य सूचना

कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के प्रति उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट, निगमित संचलन एवं शेयरधारकों की सूचना सहित प्रबंधन चर्चा, एवं विश्लेषणों, निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल सूचना का समावेश किया जाता है परन्तु इसमें स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों तथा उससे संबंधित हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट को शामिल नहीं किया जाता है।

स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में व्यक्त हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है तथा हम किसी भी प्रकार से उसके संबंध में कोई आश्वासन निष्कर्ष की प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं।

स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षण के संबंध में हमारा दायित्व इसमें दी गई सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना की सामग्री स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान हमें प्राप्त जानकारी से वस्तुगत रूप से संगत है अथवा इसमें किसी प्रकार के किसी वस्तुगत दुर्विवरण का उल्लेख किया गया है अथवा नहीं।

यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हमें अन्य सूचना में किसी प्रकार के सामग्रीगत मिथ्या कथन का आशय होता है तो ऐसे तथ्यों की रिपोर्ट किए जाने की हमसे अपेक्षा की गई है। इसके संबंध में रिपोर्ट के लिए कुछ प्रकाश में नहीं आया है।

स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन एवं संचलन करने वाले प्रभारियों के दायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, इन स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों, जो कंपनी अधिनियम, 2015 (अधिनियम) के अनुच्छेद–133, समय–समय पर यथासंशोधित, के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह विवरणों के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अनुच्छेद–134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और स्टेंडएलोन एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति

प्रस्तुत करते हैं और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन कम्पनी की गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने की क्षमता का मूल्यांकन करने, गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने से सम्बद्ध मामलों, यदि कोई हों, का प्रकटीकरण करने तथा प्रबंधन द्वारा कम्पनी को बंद किए जाने का विचार यदि नहीं है तो लेखांकन के लिए गोइंग कंसर्न को जारी रखने के आधार अथवा गोइंग कंसर्न को जारी रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने की प्रस्तुति करने के प्रति उत्तरदायी है।

कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख का दायित्व कम्पनी के निदेशक मंडल का भी है।

स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षकों के दायित्व

हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों को तथ्यात्मक दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके अपने मत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्च स्तर कहा जा सकता है, परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत किए गए लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई है, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। तथ्यात्मक दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है तथा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अलग अथवा समस्त रूप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

लेखांकन नीति (एसए) के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें व्यावसायिक तौर पर संशयात्मक दृष्टिकोण के साथ व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं:–

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों,जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावीय लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का स्वरूप तैयार लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखा परीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हो पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठ गांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।
- परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखा परीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(3)(प) के अंतर्गत हमारा दायित्व अपने इस मत की अभिव्यक्ति करना भी है कि क्या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सिस्टम स्थापित किया गया है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों पर यह सिस्टम प्रभावी है अथवा नहीं है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता एवं सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखा परीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या स्थितियां अथवा परिस्थितियां है जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न के लिए कम्पनी की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संबद्ध प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या वित्तीय विवरणों में लेन देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

वस्तुतः स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किए जाने वाले दुर्विवरण, अलग–अलग अथवा सामुच्य, की वस्तुपरक जटिलता कुछ इस प्रकार की होती है कि इन वित्तीय विवरणों का औचित्य ज्ञान रखने वाले उपयोक्ता द्वारा लिए जाने वाले निर्णय प्रभावित हो सकते हैं।

हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य के कार्य क्षेत्र की योजना के निर्माण तथा अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन; तथा (ii) वित्तीय विवरणों में से संज्ञान में लिए दुर्विवरण के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए तथ्यपरक मात्रा एवं गुणात्मक कारकों को विचार में लेते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ–साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्य क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सारणी एवं लेखा परीक्षण के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

हमारे द्वारा शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को लेखा परीक्षा स्वतंत्रता से संबंद्ध आचार अपेक्षाओं के संबंध में हमारे द्वारा समेकित विवरण भी प्रस्तुत किए गए हैं तथा हमारी लेखा परीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबंधता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से हमने उन मामलों का निर्धारण किया है चालू अवधि के स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के अत्यधिक महत्वपूर्ण थे तथा तदनुसार जो प्रमुख लेखा परीक्षा मामले थे। अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हमारे द्वारा किन्हीं परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले की अभिव्यक्ति न करने का निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रूप में काफी प्रभाव हो सकता है।

अन्य मामले

- वर्तमान रिपोर्ट में अभिव्यत मत हमें कंपनी द्वारा इलैक्ट्रिक माध्यम से उपलब्ध सूचना, तथ्यों और जानकारी के आधार पर है। हम यह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि कोविडः19 के कारण भौतिक संचलन पर प्रतिबंध और कडी समयसीमा की वजह से लेखापरीक्षा दल लेखांकन संबंधी आईसीएआई द्वारा जारी मानाकों के अंतर्गत यथानिर्धारित अपेक्षित लेखापरीक्षा प्रकियाओं का निष्पादन करने के लिए कंपनी के परियोजना कार्यालयों का दौरा नहीं कर पाई है।

- हमने कंपनी के स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल उन आठ शाखाओं के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनका वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च 2020 को 6386.80 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 6410.91 करोड़ रूपए) की कुल परिसंपत्तियों को प्रदर्शित करता है तथा स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों में विचारानुसार उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व 5211.55 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 4226.56 करोड़ रूपए) तथा कर पूर्व लाभ 374.29 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 336.64 करोड़ रूपए) है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचना को शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्टें हमें उपलब्ध कराई गई हैं और इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों के संबंध में हमारा मत सम्पूर्ण रूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
- स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में चार एकीकृत संयुक्त प्रचालनों (गैर–निगमित) खातों में कम्पनी के अंशभाग के 0.18 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 3.13 करोड़ रूपए) के लाभ (निवल) को शामिल किया गया जिनका प्रमाणन सनदी लेखाकारों की अन्य फर्मों ने किया है

अन्य मुद्दों के संबंध में हमारे विचार अर्हक नहीं हैं।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(11) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित उक्त आदेश के पैरा–3 और 4 में यथा लागू विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण हम संलग्नक–क के रूप में दे रहे हैं।
2. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) में की गई अपेक्षाओं के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं

   (ख) हमारे मतानुसार, विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा लेखों की उचित बहियों का अनुरक्षण किया गया है जैसा कि अभी तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है और हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न उन शाखाओं से प्राप्त हुए हैं जहां हमने दौरा नहीं किया है।

   (ग) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम के अनच्छेद–143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा इसकी उचित व्यवस्था की गई है।

   (घ) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ–हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) तथा रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   (ड.) हमारे मतानुसार, उपयुक्त स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठनीय अधिनियम के अनुच्छेद–133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) से संगत हैं।

   (च) सरकारी कंपनी होने के कारण भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं जीएसआर–463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा–164(2)के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

   (छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभाव का उल्लेख "अनुबंध–ख" में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में किया गया है।

   (ज) केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर–463 (ई) के अनुसार एक सरकारी कम्पनी होने के कारण अधिनियम के अनुच्छेद–197 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

   (झ) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम–11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में:

      (i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है –स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण के नोट सं. 39 का संदर्भ लें;

      (ii) कंपनी ने दीर्घकालीन संविदाओं पर सामग्रीगत अपरिहार्य घाटों, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षित प्रावधान किया है– स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट सं. 19.2 में 'अपरिहार्य घाटों' का संदर्भ लें। कंपनी में काई डैरिवेटिव संविदाएं नहीं हैं, जिनके संबंध में कोई सामग्रीगत अपरिहार्य घाटे हुए थे।

      (iii) ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें कंपनी के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता थी।

3. अधिनियम के अनुच्छेद–143(5) के अनुसार तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश के अनुसार हम सूचित करते हैं कि :

क्र. सं.	विवरण	लेखापरीक्षा के उत्तर
(i)	क्या कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था स्थापित की गई है। यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाहय सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	कम्पनी में प्रत्येक प्रकार लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया के लिए एसएपी / टैली सिस्टम स्थापित किया गया है। इससे संबंधित जानकारी के लिए कृपया "सिस्टम परिवेश एवं आंतरिक नियंत्रण" में प्रमुख परीक्षा मामलों में प्रस्तुत विवरण तथा स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक ख के अनुसार आंतरिक नियंत्रणों से सम्बद्ध हमारा मत देखें।

क्र. सं.	विवरण	लेखापरीक्षा के उत्तर
(ii)	क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में कम्पनी द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट/बट्टा किए जाने की प्रक्रिया की गई है/यदि हां, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यताएं हों तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।	जी, नहीं। कम्पनी के सम्मुख किसी विद्यमान ऋण अथवा उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में कम्पनी द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋणदाता द्वारा ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट/ बट्टा किए जाने की प्रक्रिया किए जाने का कोई मामला नहीं है।
(iii)	क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र/राज्य एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य से प्राप्य निधियों का उचित लेखा रखा गया है/नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया है व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा रिकार्ड के संबंध में की गई जांच के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान केन्द्र/ राज्य एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के अंतर्गत कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है/प्राप्य नहीं है।

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएम – 06591एन

हस्ता/–
(भुवनेश महेश्वरी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 088155
यूडीआईएन 20088155AAAAFB2819

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 जुलाई, 2020

31 मार्च 2020 के समाप्त वर्ष के लिए स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की समसंख्यक तिथि की हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ''क''।

i) (क) कम्पनी ने उचित अभिलेखों का रखरखाव किया है जिनसे मात्रात्मक विवरणों और उसकी स्थिति का पता चलता है। मुंबई क्षेत्र में, कतिपय परिसंपत्तियों पर टैगिंग/नंबरिंग की जानी है और तीसरे पक्षों के साथ स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में तीसरे पक्षों से पुष्टि की जाने की आवश्यकता है।

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। हमारी राय में कम्पनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा किया जाने वाला नियमित सत्यापन उचित हैं। इस प्रकार के सत्यापन में कोई विसंगति नहीं पाई गई है।

(ग) कंपनी की बहियों में रिकार्ड की गई अचल संपत्तियों के टाइटल डीड को कंपनी के नाम पर रखा गया है, केवल सेन मार्टिन मार्ग, दिल्ली, मुंबई क्षेत्र में पाली हिल और मेट्रो रेलवे सेंट्रल स्टेशन भवन, कोलकाता में एक पट्टे वाले भवन को छोड़कर। इनसे संबंधित दस्तावेजों को अभी निष्पादित किया जाना है।

(ii) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा मालसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन उचित रूप से किया गया है। हमारी राय में सत्यापन की बारंबारता उचित है। बही रिकार्डों के भौतिक सत्यापन परिणामों की तुलना के दौरान पाई गई विसंगतियां तथ्यात्मक नहीं हैं और लेखा बहियों में इनकी उचित व्यवस्था कर दी गई है। दिनांक 31.03.2020 को तथापि लेखा बहियों को अंतिम रूप दिए जाने के पूर्व ही दिनांक 31.03.2020 के पश्चात इसे निष्पादित किया गया है।

(iii) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कम्पनी ने रक्षित या अरक्षित किसी प्रकार का ऋण न लिया है न दिया है। इसलिए, आदेश के (पैरा–3(iii)) के अधीन अपेक्षाएँ कम्पनी पर लागू नहीं होती।

(iv) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋणों, निवेशों, गारंटी और प्रतिभूति के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड– 185 तथा 186 का अनुपालन किया गया है।

(v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार, कंपनी ने जनसाधारण से कोई जमाराशि प्राप्त नहीं की है और इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड–73 से 76 तक के प्रावधानों और किसी अन्य संगत प्रावधान तथा इनके अंतर्गत निर्मित नियम लागू नहीं हैं।

(vi) कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अन्तर्गत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण किया है। तथापि, हमें ना ही ऐसे लेखों और रिकार्डो की किसी विस्तृत जांच को करने की आवश्यकता पड़ी है और ना ही हमने ऐसा किया है।

(vii) क. कंपनी द्वारा सामान्यतः भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, मूल्य संवर्धन कर, उपकर तथा अन्य सामग्रीगत सांविधिक देय की राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास वर्ष के दौरान ही नियमित रूप से जमा कराया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी पर लागू नहीं है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, इसके देय होनी की तिथि से छह महीनों से अधिक की अवधि के लिए 31.03.2020 को कोई बकार्यों देय राशि नहीं है, केवल उत्तरी क्षेत्र में रिपोर्ट के अनुसार 8.43 करोड रूपए के बिक्री कर और 4.13 करोड रूपए के वेट देय राशि तथा 0.45 करोड रूपए के जीएसटी देय राशि के अंतर्गत बकाया शेष और कंपनी के मुंबई क्षेत्र में 0.06 करोड रूपए के ट्रेसिस भाग से उत्पन्न आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत टीडीएस मांग को छोड़कर।

ख. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार बिक्रीकर, सेवाकर, प्रवेश कर, व्यापार कर, आयकर सीमाशुल्क, रायल्टी, भविष्य निधि, संपदाकर तथा उपकर के संबध में ऐसी कोई देय राशियों नहीं हैं जिन्हें 31.03.2020 को विवादों के कारण उपयुक्त प्राधिकरणों को जमा न कराया गया हो:

क्र. स.	अधिनियम का नाम	विवादित देय राशियों का नाम	बकार्यों राशि (करोड़ रूपए में)	अवधि	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
1	बिक्री कर	बिक्री कर – एजीआरपी	2.25	2007–08 से 2012–13	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, गाजियाबाद
2	बिक्री कर	बिक्री कर – एजीआरपी	0.043	2008–09 से 2013–14	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, गाजियाबाद
3	बिक्री कर	यूपी व्यापार कर – नोएडा एक्सप्रेसवे	0.33	2003–04	अपर आयुक्त अपील, नोएडा
4	बिक्री कर	उ.प्र. व्यापार कर – यूपी01	3.89	2004–05 से 2007–08	आकलन प्राधिकारी
5	बिक्री कर	उ.प्र. व्यापार कर – यूपी 01	0.16	2007–08	आकलन प्राधिकारी

क्र. स.	अधिनियम का नाम	विवादित देय राशियों का नाम	बकार्यो राशि (करोड़ रूपए में)	अवधि	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
6	बिक्री कर	उ.प्र. व्यापार कर – यूपी 01	3.41	2007–08 – 2008–09	आकलन प्राधिकारी
7	बिक्री कर	उ.प्र. व्यापार कर – यूपी 01	0.15	2007–08 से 2009–10	आकलन प्राधिकारी
8	बिक्री कर	उ.प्र. वेट अधिनियम – यूपी 01	0.01	2010 – 11	उपायुक्त
9	बिक्री कर	बिक्री कर – बीई. 08	0.26	2007–08 से 2009–10	अपर आयुक्त अपील नोएडा
10	बिक्री कर	बिक्री कर – बीई–08 प्रवेश कर	0.003	2014–15	अपर आयुक्त अपील नोएडा
11	बिक्री कर	यूपीटीटी – यूपी–05	1.31	2006–07 से 2007–08	अधिकरण झांसी शाखा
12	बिक्री कर	यूटीपीपीः यूपी–05	0.01	2005–06	उच्च न्यायालय इलाहबाद
13	बिक्री कर	यूपी वेट–यूपी–05	3.27	2007–08 से 2009–10	अधिकरण झांसी शाखा
14	बिक्री कर	यूपी वेट–यूपी–05	1.55	2013–14	उपायुक्त, बिक्री कर प्राधिकरण, ओरई
15	बिक्री कर	बिक्री कर 2005–06 से 2005–06–गोधरा	1.90	2005–06	उपायुक्त बिक्री कर प्राधिकरण वडोदरा
16	बिक्री कर	बिक्रीकर जीईडी	0.05	2010–11	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, मडगांव
17	उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर के लिए उत्पन्न मांग	0.08	1982–83 और 1989–90	अपील प्राधिकारी, झांसी
18	रेवाड़ी–अजमेर परियोजना	कार्य संविदा कर	1.84	2006–07 से 2010–11	उच्च न्यायालय राजस्थान
19	बिक्री कर	बिक्रीकर 2010 जीईडी	0.50	2011–12 से 2014–15	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, मडगांव
20	वेट	प्रस्तुत मांग	4.71	2011–12 से 2015–16	उपायुक्त लखनऊ
21	बिक्री कर	प्रस्तुत मांग	1.19	2006–07	वेट अधिकरण, चंडीगढ
22	बिक्री कर	जम्मू और कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 1962	19.33	1999–00 से 2005–06	जम्मू और कश्मीर न्यायालय, जम्मू तथा उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील) श्रीनगर
23	आयकर	डीसीटी द्वारा आकलन मांग	8.04	वर्ष 2016–17	सीआईटी (क) में दायर अपील
24	बिक्री कर	बिक्री कर 1996–97–एमआरओ	3.51	1995–96 और 1996–97	बम्बई उच्च न्यायालय
25	कर्णाटक वेट	कर की दर तथा उसपर लगे ब्याज में अंतर	0.50	2009–10	उपायुक्त (अपील), त्रिवेन्द्रम
26	बिक्री कर एमआरओ	बिक्री कर – एमआरओ	3.97	2010–11 और 2011–12	बिक्री कर कार्यालय, मुंबई
27	केरल वेट	केरल– वेट	1.17	2013–14 और 2014–15	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर

क्र. स.	अधिनियम का नाम	विवादित देय राशियों का नाम	बकायों राशि (करोड़ रूपए में)	अवधि	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
28	बिक्री कर	बिक्री कर महाराष्ट्र	42.53	2007–08	बिक्री कर कार्यालय, मुंबई
29	बिहार राज्य बिक्री कर, 1981	बिक्री कर	1.75	1987–88 और 1994–95	बिहार बिक्री कर अधिकरण – खेलगांव
30	ओडीशा वेट अधिनियम, 2004	वेट	1.09	2002–03	आयुक्त बिक्री कर, ओडिशा
31	वेस्ट बंगाल राज्य बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	0.26	1998–99	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (अपील) बिक्री कर, वेस्ट बंगाल
32	वेस्ट बंगाल वेट अधिनियम, 2003	वेट	1.80	2004–05 2016–17 और 2017–18	सहायक आयुक्त, बिक्री कर, कॉलेज सेंट चार्ज कोलकाता
33	सेवाकर	एजेंसी शुल्कों पर सेवाकर	12.91	2010–11 से 2014–15	सीईएसटीएटी
34	सेवाकर	एजेंसी शुल्कों पर सेवाकर	5.60	2009–10 से 2013–14	सीईएसटीएटी
35	सेवाकर	एजेंसी शुल्कों पर सेवाकर	2.05	2016–17 से 2017–18	सीईएसटीएटी
36	बिहार वेट अधिनियम	वेट टीडीएस	5.98	2005–06 और 2006–07	बिहार बिक्री कर विभाग वेस्ट सर्किल पटना
37	बिहार वेट अधिनियम	वेट	0.07	2010–11	बिहार बिक्री कर विभाग वेस्ट सर्किल पटना
38	बिहार वेट अधिनियम	वेट	29.20	2012–13	बिहार बिक्री कर विभाग वेस्ट सर्किल पटना
39	सीमा शुल्क अधिनियम, 1944	ब्रेकेट/कंटिलीवर एसेंबली पर सीमा शुल्क	0.66	1998–99	सीईएसटीएटी, (अपील विभाग)
40	यूपी वेट अधिनियम	बिक्री कर हेतु मांग	0.61	2010–11	डीसी/बिक्रीकर/आरबीएल को उपयुक्त मामले के पुनर्आकलन हेतु दिनांक 01.03.19 को मामले पर अपर आयुक्त गेड–2 ने रिमांड किया है
41	यूपी वेट अधिनियम	बिक्री कर हेतु मांग	8.96	2011.12	डीसी/बिक्रीकर/आरबीएल को उपयुक्त मामले के पुनर्आकलन हेतु दिनांक 28.03.20 को मामले पर अपर आयुक्त गेड–2 ने रिमांड किया है
42	यूपी वेट अधिनियम	बिक्री कर हेतु मांग	117.63	2012–13 से 2016–17	अपर आयुक्त गेड–2 (अपील) लखनउ

(viii) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान, बैंकों, सरकार को देय ऋणों या उधारों की राशि के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है। कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबैंचर जारी नहीं किए हैं।

(ix) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने आरंभिक पब्लिक ऑफर या भावी पब्लिक ऑफर (ऋण माध्यमों सहित) द्वारा धन एकत्र नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि हमें सूचित किया गया है, सावधिक ऋणों का प्रयोग उन प्रयोजनों हेतु किया गया है जिनके लिए उन्हें एकत्र किया गया था। तथापि, वर्ष के दौरान कोई नया सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (9) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता।

(x) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर या उसके द्वारा किसी प्रकार की जालसाजी की सूचना या रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(xi) दिनांक 5 जून 2015 की सरकारी अधिसचूना सं. जीएसआर–463(ई) के दृष्टिगत सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 197 के अनुप्रयोग से छूट प्राप्त है। तदनुसार इस आदेश का खंड 3(xi) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xii) निधि अधिनियम, 2014 के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2016 का खंड 3(xii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xiii) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी संव्यवहार कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड–177 तथा 188 के अनुपालन में है, जहां लागू हो और

उसका ब्यौरा लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित अनुसार, अपेक्षित ब्यौरों को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

(xiv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के शेयरों का पूर्ण या आंशिक रूप से निजी प्लेसमेट का कोई प्रेफरेंशियल आवंटन नहीं किया है।

(xv) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 192 के प्रावधानों के भीतर निदेशकों या उनके संबंधित किसी व्यक्ति के साथ कोई गैर–रोकड़ संव्यसवहार नहीं किया है।

(xvi) कंपनी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी नहीं है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के खंड 45–1क के अंतर्गत पंजीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएम – 06591एन

हस्ता/–
(भुवनेश महेश्वरी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 088155
यूडीआईएन 20088155AAAAFB2819

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 जुलाई, 2020

---

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की समसंख्यक तिथि की हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का ''अनुबंध–ख''।

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के खंड–143 के उप खंड–3 के खंड (प) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2020 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रूप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'') के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड–143(10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं–वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहै जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार पर उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के

संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रूप से प्रदर्शित करते हैं, (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं, और (3) कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, त्रुटि और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्ति, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और कंपनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों से वित्तीय रिपोर्टिंग पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उपस्थित है और दिनांक 31 मार्च 2020 को ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मापदंड पर आधारित है। तथापि, आंतरिक नियंत्रण का हमारी लेखापरीक्षा और शाखा लेखापरीक्षाओं की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 31.03.2020 को चिह्नित निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में और अधिक सुदृढ बनाने की आवश्यकता है हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे लेखापरीक्षक और शाखा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2020 को सामग्रीगत खामियां चिह्नित की गई हैं :

क. कंपनी में कंपनी के पास एकीकृत ईआरपी प्रणाली विद्यमान है जो अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर रही है। कंपनी में विदेशी परियोजनां में, एकीकृत ईआरपी प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और वहां टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रही है। इसके अतिरिक्त, ऐप परियोजना प्रणाली मॉड्युल (पीएस) का प्रयोग एकीकृत सहायता सहित परियोजना बीजकों के सृजन के लिए किया जा रहा है।

ख. कुछ इकाइयों में इन्वेंटरी रिकार्डों का अनुरक्षण मानवीय रूप में किया जा रहा है और सेप में इन्वेंटरी नियमावली पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अतिरेक/अनावश्यक/खराब परिसंपत्तियों और सामग्री/स्टोरों के निरंतर चिह्नन की प्रणाली अनुपयुक्त है और इसे सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

ग. लेखा बहियों के साथ जीएसटीआर 2क के रूप में जीएसटी आईटीसी के समायोजन की प्रणाली को कुछ परियोजनाओं में और सुदृढ किए जाने की आवश्यकता है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी द्वारा अपने संबंधित आपूर्तिकर्ताओं/सेवाप्रदाताओं को की गई सभी भुगतान राशि उनके द्वारा विधिवत रूप से सरकारी खाते में जमा कराई जाए।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य मुद्दे

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो शाखाओं/क्षेत्र से संबंधित है, की पर्याप्तता और प्रचालन कुशलता पर अधिनियम के खंड–143(3)(i) के अंतर्गत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट हमारे लेखापरीक्षकों की अनुवर्ती रिपोर्ट पर आधारित है।

हमने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय और स्तर के निर्धारण में ऊपर चिह्नित और उल्लिखित सामग्रीगत खामियों पर विचार किया है और यह सामग्रीगत खामी कंपनी के स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों पर हमारे मद को प्रभावित नहीं करती है।

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरए – 06591एन

हस्ता/–
(भुवनेश महेश्वरी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 088155
यूडीआईएन 20088155AAAAFB2819

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 जुलाई, 2020

स्टेंडएलोन तुलन पत्र
31 मार्च 2020 को

(रुपए करोड में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
I. परिसंपत्तियां					
1 गैर चालू परिसंपत्तियां					
(क) संपत्ति संयंत्र और उपकरण	3	270.64		128.19	
(ख) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	4	0.66		48.06	
(ग) निवेश संपत्ति	5	489.02		477.61	
(घ) अमूर्त संपत्तियां	6	0.40		0.90	
(ड़) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	6	9.79		-	
(च) प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियां	7	5.17		-	
(छ) वित्तीय परिसंपत्तियां	8				
(I) निवेश	8.1	1,468.52		1,214.50	
(ii) ऋण	8.2	1,409.68		995.81	
(iii) अन्य	8.3	2,002.24		2,707.64	
(ज) आस्थगित कर संपत्तियां (निवल)	9	93.68		144.62	
(झ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	10	129.60		155.91	
कुल गैर चालू परिसंपत्तिया			**5,879.40**		**5,873.24**
2 चालू परिसंपत्तियां					
(क) दरसूचियां	11	320.66		331.94	
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां	12				
(I) निवेश	12.1	-		99.73	
(ii) व्यापार प्राप्य	12.2	559.34		505.14	
(iii) नकद और नकद समतुल्य	12.3	769.04		875.24	
(iv) अन्य बैंक शेष	12.4	1,731.84		2,038.94	
(v) ऋण	12.5	62.80		74.94	
(vi) अन्य	12.6	1,707.43		1,636.44	
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	13	7.02		31.97	
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	14	1,605.65		1,499.79	
			6,763.78		7,094.13
बिकी हेतु धारित परिसंपत्तियां	15		0.93		2.07
कुल चालू परिसंपत्तियां			**6,764.71**		**7,096.20**
कुल परिसंपत्तियां			**12,644.11**		**12,969.44**
II. इक्विटी और देयताएं					
1 इक्विटी					
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	16	94.05		94.05	
(ख) अन्य इक्विटी	17	4,067.08		3,855.49	
कुल इक्विटी			**4,161.13**		**3,949.54**

(रुपए करोड में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
2	देयताएं					
(I)	गैर चालू देयताएं					
	(क) वित्तीय देयताए	18				
	(I) ऋण	18.1	1,845.92		2,560.00	
	(ii) व्यापार प्राप्य	18.2				
	- सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों के कुल बकाया देय राशियां		-		-	
	- सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों इतर अन्य ऋणदाताओं के कुल बकाया देय राशियां		-		-	
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	18.3	387.25		341.00	
	(ख) प्रावधान	19	78.66		79.77	
	(ग) अन्य गैर चालू देयताएं	20	267.88		678.58	
	कुल गैर चालू देयताएं			**2,579.71**		**3,659.35**
(ii)	चालू देयताएं					
	(क) वित्तीय देयताएं	21				
	(I) व्यापार प्राप्य	21.1				
	- सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों के कुल बकाया देय राशियां		4.28		17.04	
	- सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों इतर अन्य ऋणदाताओं के कुल बकाया देय राशियां		572.57		531.56	
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	21.2	2,941.73		2,294.19	
	(ख) अन्य चालू देयताएं	22	2,128.59		2,266.58	
	(ग) प्रावधान	19	224.07		242.58	
	(घ) चालू कर देयता (निवल)	23	32.03		8.60	
	कुल चालू देयताएं			**5,903.27**		**5,360.55**
	कुल इक्विटी और देयताएं			**12,644.11**		**12,969.44**
III.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	2				
IV.	वित्तीय विवरण के भाग का निर्माण करने वाला नोट	1-47				

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006591एन

ह/–
बी माहेश्वरी
साझेदार
स.सं. 088155

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 10 जुलाई 2020

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

ह/–
एम के सिंह
निदेशक (वित्त)
और मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन 06607392

ह/–
एस के चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00515672

ह/–
रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

लाभ और हानि का स्टेंडएलोन विवरण
31 मार्च 2020 को समाप्त

(रुपए करोड में)

	विवरण	नोट	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
I	राजस्व :			
	प्रचालन से राजस्व	24	5,202.45	4,415.10
II	अन्य आय	25	239.27	264.44
III	कुल आय (I + II)		**5,441.72**	**4,679.54**
IV	**व्ययः**			
	प्रयुक्त सामग्री और भंडारण	26 (i)	349.71	390.69
	डब्ल्यूआईपी में (वृद्धि) / कमी	26 (ii)	15.89	(169.37)
	परियोजना व्यय	26 (iii)	4,057.06	3,515.62
	कर्मचारी लाभ व्यय	27	261.37	250.70
	वित्त लागतें	28	27.31	15.57
	मूल्यह्रास परिशोधन एवं घाटा	29	15.93	11.70
	अन्य व्यय	26 (iii)	41.88	49.45
	कुल व्यय (IV)		**4,769.15**	**4,064.36**
V	**आपवादिक मदें और कर से पूर्व लाभ (III - IV)**		672.57	615.18
VI	आपवादिक मदें		-	-
VII	कर पूर्व लाभ (V + VI)		672.57	615.18
VIII	कर व्यय :			
	(1) चालू कर	9		
	- अवधि हेतु		158.43	215.13
	- पूर्ववती वर्षों हेतु (निवल)		(26.58)	(50.89)
	(2) आस्थगित कर (निवल)		50.94	6.26
	कुल कर व्यय		182.79	170.50
IX	**निरंतर प्रचालनों से वर्ष हेतु लाभ (VII - VIII)**		**489.78**	**444.68**
X	**अन्य वृहत आय**	30		
	A. (I) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नही किया जाएगा		1.20	1.97
	(ii) मदों संबंधी आयकर, जिन्हें लाभ या हानि में पुनः वर्गीकत नही किया जाएगा		(0.30)	(0.69)
	B. (I) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवगीकृत किया जाएगा		(5.15)	(13.94)
	(ii) लाभ या हानि में पुनःवगीकृत किए जाने वाले मदों संबंधी आय कर		1.30	4.87
			(2.95)	**(7.79)**
XI	वर्ष के लिए कुल वृहत आय (IX+X) (वर्ष के लिए लाभ और अन्य वृहत आय, कर का निवल)		**486.83**	**436.89**
XII	प्रति इक्विटी शेयर आमदनी : (निरंतर प्रचालन हेतु)			
	(1) मूल	37	52.08	47.28
	(2) विलयित		52.08	47.28
	प्रति इक्विटी शेयर फेस मूल्य		10.00	10.00
XIII	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	2		
XIV	वित्तीय विवरण के भाग का निर्माण करने वाला नोट	1 - 47		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006591एन

ह/–
बी माहेश्वरी
साझेदार
स.सं. 088155

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 10 जुलाई 2020

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

ह/–
एम के सिंह
निदेशक (वित्त)
और मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन 06607392

ह/–
एस के चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00515672

ह/–
रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

रोकड़ प्रवाह का स्टेंडएलोन विवरण
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु

(रुपए करोड में)

विवरण	नोट	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ		672.57	615.18
समायोजन:			
वित्तीय लिखत के निष्पादन पर ब्याज (निवल)		(0.14)	(0.38)
वित्तीय लिखत का परिशोधन (निवल)		0.14	0.39
मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति		15.93	11.70
परिसंपत्तियों(निवल) की बिक्री पर हानि		(28.45)	(14.43)
म्यूचुअल फंड की बिक्री से लाभ		(0.96)	-
ब्याज आय		(175.23)	(170.04)
लाभांश आय		(4.00)	(9.64)
रोकड़ व रोकड़ समतुल्य के विदेशी मुद्रा अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव		0.21	2.48
चालू व गैर चालू परिसंपत्तियों व देयताओं से पूर्व प्रचालन लाभ	**(1)**	**480.07**	**435.26**
समायोजन:			
व्यापार प्राप्यों में (कमी)/वृद्धि		(54.20)	162.05
दरसूची में (कमी)/वृद्धि		11.28	(191.20)
कर्ज व अन्य संपत्तियों व वित्तीय संपत्तियों में (कमी)/वृद्धि		538.42	(1,412.85)
व्यापार प्राप्यों में (कमी)/वृद्धि		28.26	35.55
अन्य देयताओं, वित्तीय देयताओं और प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि		52.39	(178.59)
	(2)	**576.15**	**(1,585.04)**
प्रचालन से सृजित नकद	**(1+2)**	**1,056.22**	**(1,149.78)**
प्रदत्त आय कर		(44.37)	(93.39)
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़	**(क)**	**1,011.85**	**(1,243.17)**
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित परिसम्पत्तियां, संयंत्र और उपकरणों की खरीद		(58.16)	(56.18)
अमूर्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		(9.82)	(0.51)
निवेश परिसंपत्तियों का क्रय/धनराशि		(68.92)	(118.98)
परिसंपत्तियों, संयंत्र और उपरकणों और अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद		30.29	18.09
म्यूचुल फंडों की बिक्री/(निवेश)		100.69	116.44
सहायक कंपनियों को कर्ज		(475.11)	(262.77)
सहायक कंपनियों से कर्ज का पुनर्भुगतान		72.96	-
प्राप्त ब्याज		186.46	194.44
प्राप्त लाभांश		4.00	9.64
सहायक कंपनियों और जे.वी. में निवेश		(253.97)	(229.95)
रोकड एवं रोकड समतुलय से इतर बैंक शेष		307.10	1,017.50
निवेश गतिविधियों से निवल नकद	**(ख)**	**(164.48)**	**687.72**

(रुपए करोड में)

विवरण	नोट	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
भारतीय रेल वित्त निगम से ऋण		(678.08)	146.23
पट्टा देयताओं का भगतान		(0.04)	-
प्रदत्त अंतिम लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)		(122.74)	(117.24)
प्रदत्त अंतरित लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)		(152.50)	(121.55)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी	(ग)	**(953.36)**	**(92.56)**
विदेशी मुद्रा रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव	(घ)	**(0.21)**	**(2.48)**
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध कमी	(क+ख +ग+घ)	**(106.20)**	**(650.49)**
नगदी तथा नगदी समतुल्य (आरंभिक)	(ङ)	**875.24**	**1,525.73**
नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम)*	(च)	**769.04**	**875.24**
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	(च - ङ)	**(106.20)**	**(650.49)**

नोट

1. उपर्युक्त रोकड़ प्रवाह को रोकड़ प्रवाह विवरण पर इंड–एएस 7 के भारतीय लेखांकन मानकों में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया गया है।
2. कोष्ठक में आंकड़े रोकड़ को आउटफ्लो को दर्शाते हैं।
3. जहां कहीं आवश्यकता हुई है, वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहित/पुनःनिर्धारित किया गया है।

* 7.65 करोड़ रूपए (31 मार्च 2019 : शून्य) के चैक/उपलब्ध डाफ्ट सहित, जिन्हें न्यायालय के आदेश द्वारा नकदीकृत किया जा सकता है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006591एन

ह/–
बी माहेश्वरी
साझेदार
स.सं. 088155

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 10 जुलाई 2020

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

ह/–
एम के सिंह
निदेशक (वित्त)
और मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन 06607392

ह/–
एस के चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00515672

ह/–
रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

इक्विटी परिवर्तन का स्टेंडएलोन विवरण
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु

क. इक्विटी शेयर पूंजी (रुपए करोड में)

विवरण	राशि
01 अप्रैल 2018 को शेष	**94.05**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2019 को शेष	**94.05**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2020 को शेष	**94.05**

क. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु (रूपए करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि और अतिरेक			अन्य वृहत आय की मदें	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनियां	पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण में विनिमय अंतर	
01 अप्रैल 2018 को शेष	**3,333.71**	**310.51**	**4.93**	**8.75**	**3,657.90**
लेखांकन नीति और पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	(0.51)	-	-	(0.51)
01 अप्रैल 2018 को शेष (पुनवर्णित)	**3,333.71**	**310.00**	**4.93**	**8.75**	**3,657.39**
वर्ष के लिए लाभ	-	444.68	-	-	444.68
अन्य वृहत आय					-
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	-	1.28	-	-	1.28
विदेशी मद्रा अंतरण अंतर	-	-	-	(9.07)	(9.07)
अवधि के लिए कुल वृहत आय	**-**	**445.96**	**-**	**(9.07)**	**436.89**
प्रदत्त लाभांश	-	(198.07)	-	-	(198.07)
लाभांश वितरण कर	-	(40.72)	-	-	(40.72)
31 मार्च 2019 को शेष	**3,333.71**	**517.17**	**4.93**	**(0.32)**	**3,855.49**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु **(रूपए करोड़ में)**

विवरण	आरक्षित निधि और अतिरेक			अन्य वृहत आय की मदें	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनियां	पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण में विनिमय अंतर	
01 अप्रैल 2019 को शेष	**3,333.71**	**517.17**	**4.93**	**(0.32)**	**3,855.49**
लेखांकन नीति और पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-
01 अप्रैल 2019 को शेष (पुनवर्णित)	**3,333.71**	**517.17**	**4.93**	**(0.32)**	**3,855.49**
वर्ष के लिए लाभ (पुनवर्णित)	-	489.78	-	-	489.78

(रूपए करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि और अतिरेक			अन्य वृहत आय की मदें	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनियां	पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण में विनिमय अंतर	
अन्य वृहत आय					-
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	-	0.90	-	-	0.90
विदेशी मद्रा अंतरण अंतर	-		-	(3.85)	(3.85)
अवधि के लिए कुल वृहत आय	**-**	**490.68**	**-**	**(3.85)**	**486.83**
प्रदत्त लाभांश	-	(228.31)	-	-	(228.31)
लाभांश वितरण कर	-	(46.93)	-	-	(46.93)
31 मार्च 2019 को शेष	**3,333.71**	**732.61**	**4.93**	**(4.17)**	**4,067.08**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006591एन

ह/–
बी माहेश्वरी
साझेदार
स.सं. 088155

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 10 जुलाई 2020

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

ह/–
एम के सिंह
निदेशक (वित्त)
और मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन 06607392

ह/–
एस के चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00515672

ह/–
रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

1 निगमित सूचना

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड टर्नकी आधार एवं अन्य आधार पर रेल परियोजनाओं के निष्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त, मुख्यतः अवसंरचना परियोजनाओं पर कार्य करने वाली भारतीय मूल (सीआईएन : एल45203:डीएल1976जीओआई008171) की सार्वजनिक क्षेत्र की एक निर्माण कम्पनी है तथा इसका निगमन भारत में लागू कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत हुआ है। रेल निर्माण कंपनी के रूप में अपना व्यवसाय आरंभ करने के पश्चात, इसने सड़क, भवन निर्माण, इलैक्ट्रिकल उपस्टेशन तथा संवितरण, हवाईअड्डा निर्माण, वाणिज्यिक परिसरों तथा मैट्रो रेल के क्षेत्रों में शनैः शनैः अपने व्यवसाय का विस्तार किया है। यह कंपनी घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी गुणवत्ता, पर्यावरण तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए एक आईएसओ प्रमाणित ; अनुसूची ''क'' की सार्वजनिक क्षेत्र की एक मिनि रत्न श्रेणी–I कंपनी है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017 में स्थित है तथा इसके शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं बीएसई में सूचीबद्ध हैं।

कम्पनी द्वारा प्रतिपादन की जाने वाली एवं कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रूपए (आईएनआर) है। वित्तीय विवरणों में आंकड़ों की प्रस्तुति, प्रति शेयर डेटा एवं किए गए अन्यथा उल्लेख के अलावा, दो दशमलव तक राउंड ऑफ करके करोड़ में की गई है।

कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 10.7.2020 को आयोजित अपनी बैठक में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

2.1 तैयार करने का आधार

कम्पनी के वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम 3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (इंड एएस अनुपालन अनुसूची 3) की अनुसूची 3 के भाग 2, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू, सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके किया गया है। वित्तीय विवरणों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार पर प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करके किया गया है। कम्पनी ने परिसम्पतियों एवं देयताओं के लागत आधार के लिए ऐतिहासिक लागत को स्वीकार किया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई निम्नलिखित परिसम्पतियों एवं देयताओं के अलावा है :–

- प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य सामग्रीगत है वहां मापन वर्तमान मूल्य पर किया गया है।
- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया है।
- परिभाषित लाभ योजना तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ।

2.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संक्षेप :

वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संक्षेप नीचे प्रस्तुत किया गया है। इन लेखांकन नीतियों का उपयोग लेखांकन विवरणों में प्रस्तुत की गई सभी अवधि के लिए समान रूप से किया गया है।

2.2.1 चालू एवं गैर–चालू वर्गीकरण

कम्पनी द्वारा तुलन पत्र में परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर गई है।

किसी परिसम्पति को चालू तब माना जाता है जब :

- सामान्य परिचालन क्रम में बेची जानी हो अथवा बेचने के लिए आशित हो अथवा उपयोग किया जाना हो
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर बेची जानी संभावित हो
- रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य यदि विनिमय अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह में किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग के लिए नहीं है।

कम्पनी ने अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति के रूप में किया है।

कोई देयता चालू तब होती है जब :

- उसका समाधान सामान्य प्रचालन क्रम में किया जाना हो
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर समाधान की जानी संभावित हो
- जिसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात कम से कम बारह माह के लिए किसी देयता के समाधान को आस्थगित करने का अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त न हो।

कम्पनी ने अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू देयता के रूप में किया है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति एवं देयताओं के रूप में किया गया है।

परिचालन क्रम प्रसंस्करण के लिए अधिगृहित की गई परिसम्पतियों एवं रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य से होने वाली प्राप्ति के मध्य का समय काल है। कम्पनी ने परिचालन क्रम के लिए 12 माह निश्चित किए हैं।

2.2.2 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

<u>स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन</u>

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना हो तथा प्रत्येक मद का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता हो। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है।

परिसम्पति की लागत में निम्नलिखित शामिल होता है :

क) क्रय मूल्य, किसी व्यापार छूट एवं रियायत का निवल

ख) ऋण लागतें यदि पूंजीयन मापदंड पूरे किए गए है

ग) परिसम्पति के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत जिसका वहन परिसम्पति को प्राप्त करने एवं आशित उद्‌देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किया गया है।

घ) निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष निर्माण के भाग के रूप में पूंजीयन किए गए आनुषंगिक व्यय जो निर्माण से संबंधित व्यय से प्रत्यक्ष संबंधित है अथवा उसके संबंध में आनुषंगिक हैं।

ङ) यदि स्वीकृति मापदंड पूरे किए गए हैं तो मदों को अलग अलग करने तथा हटाए जाने तथा स्थल नवीकरण करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य

फ्रीहोल्ड भूमि का वहन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है।

अनुवर्ती मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुवर्ती मापन संचित मूल्य ह्रास एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के साथ लागत पर किया जाता है। अनुवर्ती व्यय का पूंजीयन तब किया जाता है जब ऐसे व्यय से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभवना हो तथा व्यय की लागत का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो।

दीर्घकालिक निर्माण परियोजना के लिए प्रतिस्थापना, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण पूर्जों की मरम्मत तथा ऋण लागतों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मशीनरी के अतिरिक्त पूर्जों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मूल्यह्रास एवं उपयोज्यता काल

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास, बिना मिआद वाले पट्‌टे पर प्राप्त फ्रीहोल्ड भूमि एवं पट्‌टाधारित भूमि को छोड़कर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट परिसम्पतियों के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर किया गया है।

उपयोज्यता काल का विवरण	(वर्ष)
भवन / फ्लैट आवासीय / गैर–आवासीय	60
संयंत्र एवं मशीनरी	8–15
सर्वेक्षण उपकरण	10
कम्प्यूटर्स	3–6
कार्यालय उपकरण	5 –10
फर्नीचर एवं जुड़नार	10
कारवां, कैम्प एवं अस्थाई शैड	3–5
वाहन	8–10

अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर परिसम्पति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से निपटान किए जाने की तिथि तक पर सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण में किए गए आवर्धन / घटाव का मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर किया गया है।

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास, यदि भाग मद की लागत के योग के संबंध में महत्वपूर्ण है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल शेष परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल से भिन्न है, अलग से लागत पर किया गया है। मिआद मुक्त पट्‌टे पर प्राप्त की गई पट्‌टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

अवधि के दौरान अधिगृहित की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, जिनकी अलग अलग लागत 5000/– रूपए है, का पूर्ण मूल्यह्रास निर्धारण के तौर पर 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ कर लिया गया है। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए मोबाइल फोन, उनके मूल्य को संज्ञान में लिए बिना, लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए है।

मूल्यह्रास विधियां, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उचित समझे जाने की स्थिति में उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 में किए गए उल्लेख के अनुसार ''सामान्यतः किसी परिसम्पति का अवशेष मूल्य परिसम्पति की लागत से 5 प्रतिशत तक होता है।''

स्वीकृति समाप्ति

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद तथा उसके विशिष्ट भाग की प्रारंभिक स्वीकृति की स्वीकृति समाप्ति उसका निपटान किए जाने तथा उसके निपटान से भविष्य में उससे किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना होने पर किए जाते है। किसी परिसम्पति की स्वीकृति समाप्ति से प्राप्त होने लाभ अथवा हानि (निपटान से प्राप्त धन तथा परिसम्पति की वहन राशि के अंतर के अनुसार आकलन) को परिसम्पति की स्वीकृति समाप्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

पूंजीगत कार्य प्रगति पर से पूंजीगत परियोजनाओं के संबंध में किए गए व्यय एवं लागत शून्य संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हो, पर अग्रेशित किए गए व्यय प्रतिबिंबित होते हैं।

2.2.4 निवेश परिसम्पतियां

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

निवेश सम्पति की स्वीकृति सम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभों की प्राप्ति कम्पनी को होने तथा सम्पति का मापन विश्वसनीय रूप से कर लिए जाने की संभावना होने पर की जाती है। निवेश परिसम्पति में पूर्ण सम्पति, निर्माणाधीन सम्पति तथा पट्‌टे पर धारित वह सम्पति शामिल है जिसका धारण साधारण व्यावसायिक प्रक्रिया में बिक्री किए जाने अथवा उत्पादन अथवा प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाए जाने के स्थान पर किराया अथवा पूंजी लाभ अथवा दोनों अर्जित करने के लिए किया गया है। निवेश सम्पतियों का प्रारंभिक मापन संव्यवहार लागतों सहित लागत पर किया जाता है।

लागत वह राशि है जो नकद अथवा नकद समतुल्य के रूप में अथवा अन्य क्रियाओं के उचित मूल्य पर किसी सम्पति का

अधिग्रहण करने अथवा निर्माण अथवा, जो भी लागू हो, के समय चुकता की जाती है, ऐसी सम्पति से सम्बद्ध राशि की प्रारंभिक स्वीकृति अन्य इंड एएस की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार की जाती है।

अनुवर्ती मापन एवं मूल्यह्रास

निवेश सम्पतियों की प्रस्तुति संचित मूल्य ह्रास एवं संचित अक्षमता हानि,यदि कोई हैं, को घटाकर लागत पर की गई है। अनुवर्ती लागत को स्वीकृत मापदंड पूरे होने पर ही जोड़ा गया है। कम्पनी निवेश सम्पति के भवन घटक का मूल्य ह्रास क्रय / निर्माण की मूल तिथि से 60 वर्षों में सीधी रेखा आधार पर करती है। निर्माणाधीन फ्रीहोल्ड भूमि एवं सम्पति का परिशोधन नहीं किया गया है।

बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

निवेश सम्पति के अवशेष मूल्यों, उपयोज्यता काल एवं मूल्यह्रास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन, यदि उचित हों, किए जाते हैं।

कम्पनी अपनी निवेश सम्पति का मापन लागत आधारित मापन के आधार पर करती है, तो भी निवेश सम्पति के उचित मूल्य का प्रकटीकरण टिप्पणियों में किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर अधिकृत बाह्य स्वतंत्र मूल्यांककों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल के अनुसार किया जाता है।

स्वीकृति समाप्ति

निवेश सम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.5 अमूर्त परिसम्पतियां

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी परिसम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभावना हो तथा परिसम्पति का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकता हो, अलग से अधिगृहित की गई अमूर्त परिसम्पतियों का लागत पर प्रारंभिक मापन किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण लागत, यदि पूंजीयन के मापदंड पूर्ण किए गए हैं, तथा परिसम्पति को आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किए गए व्यय शामिल होते हैं। आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसम्पतियों, पूंजीयन की गई विकास लागतों के अलावा, तथा सम्बद्ध व्यय की प्रस्तुति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिस अवधि में व्यय किया गया है। तुलन पत्र तिथि को आशित उपयोग के तैयार न हुई अमूर्त परिसम्पतियों का प्रकटीकरण "विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां" के रूप में किया गया है।

अनुवर्ती मापन एवं परिशोधन

अमूर्त परिसम्पतियों की प्रारंभिक स्वीकृति के लिए संचित परिशोधन एवं संचित अक्षमता हानियों,यदि कोई हों, को कम करके उनकी लागत का वहन किया जाता है। प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए मूल्य तक साफ्टवेयर का परिशोधन क्रय के वर्ष में निर्धारण के लिए 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ किया जाता है।

पूंजीगत साफ्टवेयर का परिशोधन अधिग्रहण किए जाने की तिथि से 36 माह में किया जाता है।

अवधि के दौरान अमूर्त परिसम्पतियों में होने वाले आवर्धन / घटाव का परिशोधन करके उसे आनुपातिक आधार पर परिसम्पति उपलब्ध की तिथि से / निपटान की तिथि तक प्रभारित किया जाता है।

परिशोधन विधियों, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की जाती है तथा उचित समझे जाने पर उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते हैं।

स्वीकृति समाप्ति

अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्त किए जाने पर प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि का मापन निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.6 गैर–वित्तीय परिसम्पतियों का परिशोधन

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा मूल्यांकन करके किसी परिसम्पति को परिशोधित करने अथवा किसी परिसम्पति का वार्षिक परिशोधन परीक्षण किए जाने की अपेक्षा होने के संकेत ज्ञात करके ऐसी परिसम्पतियों से वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। किसी परिसम्पति की वसूली योग्य राशि किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य, निपटान की लागत को घटाकर, तथा उसके उपयोग मूल्य से अधिक होती है। यदि कोई परिसम्पति ऐसी रोकड़ उत्पति यूनिट नहीं है जो परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूह से पूरी तरह भिन्न हो तो किसी वैयक्तिक परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण किए जाते हैं। जब किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो परिसम्पति को परिशोधित मान लिया जाता है तथा उसकी मालसूचियों के परिशोधन सहित उसकी वसूलीयोग्य राशि एवं परिशोधन हानि को ह्रासिल करके लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति की जाती है।

उपयोग मूल्य के मूल्यांकन पूर्व–कर छूट दर, जिससे धन के समय मूल्य के चालू बाजार मूल्यांकन एवं परिसम्पति से संबद्ध जोखिम प्रस्तुत होते हैं, के उपयोग से उसके वर्तमान को अनुमानित रोकड़ प्रवाह से कम करके किए जाते हैं।

साख के अलावा परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि के संकेत अभी भी हैं अथवा वे कम हो गए हैं। यदि ऐसे संकेत होते हैं तो कम्पनी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाती है। संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि का व्युत्क्रमण तभी किया जाता है जब पहले आंकी गई अक्षमता हानि के पश्चात से परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के लिए लगाए गए अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तन प्रतीत हों। व्युत्क्रमण सीमित होते हैं जिससे कि परिसम्पति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से न तो अधिक हो और न ही यह पूर्वावधि की परिसम्पति से संबंधित अक्षमता हानि न होने की स्थिति में निर्धारित की जाने वाली वहन रशि, मूल्यह्रास का निवल, से अधिक न हो सके। ऐसे व्युत्क्रमण लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

2.2.7 सहायक कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों के उपकरणों में निवेश

सहायक कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों के इक्विटी उपकरणों में किया गया निवेश इंड एएस 27 ''अलग वित्तीय विवरण'' में किया गया है। जब किसी निवेश की वहन राशि उसकी अनुमानित वसूलीयोग्य राशि से अधिक होती है तो उसके अनुमान वसूलीयोग्यता के अनुसार लगाए जाते हैं तथा स्थाई होने के मामले में लाभ एवं हानि विवरण में ह्रास के प्रावधान किए जाते हैं। ऐसे निवेश का निपटान करने पर निवल निपटान प्राप्ति एवं वहन राशि के मध्य के अंतर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

संयुक्त परिचालनों में हित

संयुक्त परिचालक के रूप में कम्पनी द्वारा संयुक्त परिचालनों, संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत अन्य पक्षकारों के साथ संयुक्त रूप से धारित / वहन की गई परिसम्पतियों / देयताओं के अंशभाग के हितों को संज्ञान में लिया जाता है। ऐसे संयुक्त परिचालनों में किए गए कार्यों की बिक्री से प्राप्त राजस्व अंश भाग की स्वीकृति की जाती है। व्ययों की स्वीकृति संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत अन्य पक्षकारों के साथ संयुक्त रूप से किए गए व्ययों के अंशभाग के अनुसार की जाती है।

2.2.8 मालसूचियां

क) मालसूचियों (स्क्रैप सहित) का मूल्यन उनकी न्यून लागत एवं निवल प्राप्य मूल्य पर आंका जाता है।

लागत में मालसूचियों को वर्तमान स्थल एवं स्थिति में लाने के लिए व्यय की गई क्रय लागत, परिवर्तन लागत एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं। लागत का निर्धारण प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर किया जाता है। व्यापार की साधारण प्रक्रिया में निवल वसूलीयोग्य मूल्य पूर्णता लागतों तथा बिक्री के लिए आवश्यक अनुमानित के अनुमान को घटाकर आंका गया अनुमानित बिक्री मूल्य है।

ख) निर्माण कार्य प्रगति पर का मूल्यन ऐसे समय तक के लिए लागत पर किया गया है जब तक कार्य से प्राप्त होने वाले प्रतिफल का विश्वसनीय रूप से पता नहीं चलता है।

ग) नई परियोजनाओं पर संचलन के लिए किए गए प्रारंभिक संविदा व्यय को संबंधित वर्ष में निर्माण कार्य प्रगति पर के रूप में स्वीकृति दी गई है तथा उसे आनुपातिक आधार पर परियोजना के लाभ एवं हानि विवरण में रिपोर्टिंग अवधि के अंत संविदा के पूर्ण होने के चरण के समान प्रतिशत पर संबंधित अवधि में प्रभारित किया गया है। स्थल संचलन व्यय का बट्टा करने के स्थान पर लागत पर मूल्यन किया गया है।

घ) नो कास्ट प्लस संविदा, जिनमें संविदा की शर्तों के अनुसार सभी सामग्रियों, अतिरिक्त पूर्जों एवं भंडार की लागत की धनवापसी नहीं होती है, का मूल्यन उपर्युक्त (क) के अनुसार मालसूची के रूप में किया गया है।

ङ) अवधि के दौरान किए गए लूज पूर्जों का उपयोग कर लिया गया है।

2.2.9 राजस्व स्वीकृति

कम्पनी अपने परिचालन निर्माण उद्योग में करती है तथा इसके द्वारा अर्जित किया जाने वाला राजस्व मुख्यतः इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति एवं निर्माण कार्यों से प्राप्त होता है। ग्राहकों के साथ किए जाने वाले संविदाओं में रेलवे के निर्माण कार्य, सड़क एवं राजमार्ग के निर्माण, वाणिज्यिक एवं आवासीय भवनों के निर्माण, विद्युतिकरण कार्य एवं अन्य कार्य हैं। ऐसे संविदाओं के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में जियोटैक्निकल जांच, टोपोग्राफिक्ल सर्वेक्षण, संसाधन योजना, विस्तृत योजना रिपोर्ट का निर्माण, निर्माण, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, सामग्रियों की आपूर्ति, सिस्टम पुनर्विकास, संस्थापन, परियोजना प्रबंधन, परिचालन एवं प्रबंधन इत्यादि (''जिसे एक साथ निर्माण संबंधी सेवाएं'' कहा जाता है) कार्य हैं। कम्पनी द्वारा ये निर्माण सेवाएं नियत दर, टर्नकी आधार एवं कास्ट प्लस आधार पर प्रदान की जाती हैं।

ग्राहकों के साथ किए जाने वाले संविदा से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति तब की जाती है जब माल एवं सेवाओं का अंतरण को उस राशि के प्रति प्राप्त हो जाता है जिसकी प्राप्ति की प्रत्याशा कम्पनी द्वारा ऐसे माल एवं सेवाओं के विनिमय के प्रति की गई है।

क) ग्राहकों के साथ संविदा से प्राप्त राजस्व

राजस्व का संव्यवहार के उस उचित मूल्य पर मापन करके किया जाता है जो निष्पादन दायित्व के रूप में निर्धारित है तथा जिसमें तृतीय पक्षकारों की ओर से संग्रह की गई राशियां शामिल नहीं हैं तथा जिसका समायोजन परिवर्तनीय प्रतिफल के निमित्त किया जाता है। कम्पनी के संविदा की प्रकृति में मूल्यवर्धन एवं विर्णित हर्जाने सहित अनेक प्रकार के परिवर्तनीय प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। संव्यवहार मूल्य में किसी प्रकार के अनुवर्ती परिवर्तन को तदनुसार संविदा के प्रारंभ से समान आधार पर निष्पादन दायित्वों से संबद्ध कर लिया जाता है। कम्पनी द्वारा परिवर्तनीय प्रतिफल को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ऐसी संभावना हो कि स्वीकृत की गई संचित राशि के राजस्व में व्युत्क्रमण की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। कम्पनी यथोचित लेखा विधि के उपयोग से परिवर्तनीय प्रतिफल के प्रति स्वीकृत की जाने वाली राजस्व की राशि के अनुमान

निर्धारित करती है। इसके परिणामस्वरूप संव्यवहार मूल्य परिवर्तन की अवधि के संबंध में किसी संतोषजनक निष्पादन के लिए निर्धारित राशियों की पुनःस्वीकृति राजस्व के रूप में की जाती है अथवा राजस्व में कमी की जाती है।

संविदा संशोधनों का लेखांकन तब किया जाता है जब आवर्धन, विलोपन अथवा परिवर्तन के संबंध में संविदा के कार्यक्षेत्र अथवा संविदा मूल्य में अनुमोदन प्रदान किए गए हों। संविदाओं में संशोधनों का लेखांकन करने की क्रिया में यह मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या इसमें जोड़ी गई सेवाएं पृथक हैं अथवा नहीं हैं तथा क्या मूल्यन स्टैंडएलोन बिक्री मूल्य पर किया गया है अथवा नहीं किया गया है। जोड़ी गई वे सेवाएं, जो पृथक नहीं हैं,का लेखांकन संचयी कैच अप आधार पर किया जाता है जबकि जो पृथक होती हैं, उनका लेखांकन उत्तरव्यापी प्रभाव से या तो संविदा के अंतर्गत किया जाता है, यदि अतिरिक्त सेवाओं का मूल्यन स्टैंडएलोन बिक्री मूल्य के अनुसार है, अथवा यदि मूल्यन स्टैंडएलोन बिक्री मूल्य के अनुसार नहीं है तो विद्यमान संविदा को समाप्त करके तथा नया संविदा करके किया जाता है।

निम्नलिखित मापदंड पूर्ण होने की स्थिति में ही कम्पनी द्वारा किसी निष्पादन दायित्व को पूर्ण कर लिया माना जाता है तथा समयानुकूल राजस्व स्वीकृति की जाती हैः

- इकाई की निष्पादन क्रिया में प्रदान किए गए इकाई के निष्पादन ग्राहक को साथ साथ प्राप्त हुए हैं तथा उनके लाभों का उपयोग कर लिया गया है।
- इकाई द्वारा किए गए निष्पादन से किसी परिसम्पति (उदाहरणतः, कार्य प्रगति पर) का सृजन अथवा संवर्धन हुआ है तथा परिसम्पति के सृजन अथवा संवर्धन के साथ साथ ग्राहक को नियंत्रण प्राप्त हो गया है अथवा
- इकाई के निष्पादन से इकाई द्वारा किसी वैकल्पिक उपयोग के लिए किसी परिसम्पति का सृजन नहीं हुआ है तथा इकाई के पास निष्पादन पूरा किए जाने की तिथि तक के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है।

कम्पनी द्वारा समान प्रकार के निष्पादन दायित्वों के संबंध में निरंतर उपयोग में लाई जाने वाली राजस्व की स्वीकृति की विधि के लिए अनेक मापदंड स्थापित किए गए हैं। जहां परिणामों के अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाए जा सकते हैं वहां कम्पनी द्वारा इनपुट विधि के उपयोग से कार्य की प्रगति का मापन किया जाता है। इनपुट विधि के अंतर्गत राजस्व की स्वीकृति रिपोर्टिंग अवधि को पूर्णता के चरण के संदर्भ में की जाती है। पूर्णता के चरण का मापन निष्पादन दायित्व से संबद्ध अनुमानित लागत के योग पर तिथि के अनुसार किए गए वास्तविक लागत व्यय के आनुपातिक आधार पर किया जाता है।

ऐसी संविदाओं के मामले में जहां निष्पादन दायित्व का मापन इनपुट विधि से नहीं हो सकता है वहां आउटपुट विधि का उपयोग किया जाता है जो निष्पादन दायित्व के संबंध में कम्पनी द्वारा किए कार्य निष्पादन की उचित छवि प्रस्तुत करती है।

ख) संविदा कोष

- संविदा परिसम्पतियां : किसी संविदा परिसम्पति के संबंध में ग्राहक को प्रतिफल के विनिमय के प्रति माल एवं सेवाओं का अंतरण का अधिकार प्राप्त है। यदि कम्पनी द्वारा ग्राहक के लिए किया जाने वाला निष्पादन माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए ग्राहक द्वारा प्रतिफल दिए जाने से पूर्व अथवा प्रतिफल देय होने से पूर्व किया जाता है तो संविदा परिसम्पति की स्वीकृति अर्जित प्रतिफल, जो सशर्त है, के लिए की जाती है।
- व्यापार प्राप्य : प्राप्य से कम्पनी का किसी प्रतिफल के रूप में किसी राशि की प्राप्ति का अधिकार अभिप्रेत है जो किसी शर्त के बिना है (अर्थात प्रतिफल के भुगतान से पूर्व केवल थोड़ा समय अपेक्षित होता है)।
- संविदागत दायित्व : संविदागत दायित्व वे दायित्व हैं जो कम्पनी को ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल (अथवा प्रतिफल की कोई देय राशि) के प्रति ग्राहक को माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए हैं। यदि कोई ग्राहक कम्पनी द्वारा माल एवं सेवाओं का अंतरण ग्राहक को करने से पूर्व प्रतिफल का भुगतान करता है तो संविदा दायित्व की पूर्ति भुगतान किए जाने पर अथवा भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) होती है। संविदागत देयताओं की राजस्व में स्वीकृति तब की जाती है जबकि कम्पनी द्वारा संविदा के प्रति निष्पादन कर लिया जाता है।

ग) अन्य प्रचालन आय

- प्रचालन पट्टे के अंतर्गत किराए पर दी गई मशीनरी से उत्पन्न किराया आय का लेखांकन पट्टा अवधियों में सीधी रेखा आधार पर किया जाता है।
- अन्य प्रचालन आय में व्यापार की आनुषंगिक गतिविधियों से अर्जित आय की प्रस्तुति की गई है तथा इसकी स्वीकृति तब की गई है जब निष्पादन पूर्ण कर लिया गया है तथा संविदा शर्त के अनुसार आय की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त हो गया है।

घ) अन्य आय

- लाभांश आय की स्वीकृति भुगतान प्राप्ति का अधिकार स्थापित होने पर की गई है।
- ब्याज आय की स्वीकृति प्रभावी ब्याज दर के उपयोग से की गई है।
- विविध आय की स्वीकृति निष्पादन दायित्व पूरे कर लिए जाने तथा संविदा शर्तों के अनुसार आय की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होने पर की गई है।

2.2.10 ऋण लागत

ऋण लागत में ब्याज एवं कम्पनी द्वारा निधियों की प्राप्ति के संबंध में व्यय की गई अन्य लागतें शामिल हैं। ऋण लागतों की सम्बद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अधिग्रहण, निर्माण अथवा

उत्पादन से होती है जो परिसम्पति की लागत के पूंजीयन के लिए आशित उद्देश्य से उपयोग अथवा बिक्री के लिए किसी निश्चित अवधि में पूर्ण अथवा निर्मित की जानी अपेक्षित होती है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति उनके व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की गई है। ऋण लागतों में ऐसी विनिमय भिन्नता भी शामिल हैं जिन्हें ऋण लागतों के समायोजन के लिए उपयोग किया गया है।

2.2.11 कर

क) चालू आय कर

चालू आय कर एवं देयताओं का मापन सम्बद्ध कर विनियमों के अंतर्गत कराधान प्राधिकरणों से संभावित प्राप्य अथवा चुकता की जाने वाली राशियों के अनुसार किया गया है । चालू कर निर्धारण अवधि के लिए देय आय कर के संबंध में कर देयता के रूप में किया गया है तथा इसका आकलन सबंधित कर विनियमों के अनुसार किया गया है। चालू आय कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। चालू कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है या इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है। प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से कर विवरणियों में अपनी उन स्थितियों के संबंध में आवधिक मूल्यांकन किए जाते हैं जिनके लिए लागू कर विनियम व्याख्या तथा यथा लागू स्थापित प्रावधानों के अध्याधीन हैं।

चालू कर परिसम्पतियों एवं कर दायित्वों का समंजन उन स्थितियों के लिए किया गया है जिनके संबंध में कम्पनी के पास समंजन का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार है अथवा उनके संबंध में कम्पनी की मंशा निवल आधार पर उनका निपटान करने अथवा परिसम्पति की बिक्री करके एक साथ दायित्व का समाधान करने करने की है।

ख) आस्थगित कर

आस्थगित कर देयताओं की स्वीकृति परिसम्पतियों एवं देयताओं के कर आधारों तथा रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उनकी वहन राशियों के मध्य अस्थाई भिन्नताओं के संबंध में देयता विधि के उपयोग से की गई है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों का मापन उन कर दरों पर किया गया है जिनका उपयोग उस अवधि के लिए किया जाना संभावित है जब परिसम्पति का निपटान अथवा दायित्व का समाधान कर दरों के आधार (तथा कर विधियों) पर किया गया था जो प्रवर्तित हैं अथवा रिपोर्टिंग तिथि को प्रवर्तित किए गए हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। आस्थगित कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है अथवा इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा। स्वीकृत न की गई आस्थगित कर परिसम्पतियों का पुनः मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा इनकी स्वीकृति उस स्तर तक की जाती है जिस स्तर तक यह संभावना बनी रहे कि इससे प्राप्त भावी करयोग्य लाभ से आस्थगित कर परिसम्पतियों की वसूली की जा सकेगी।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का समंजन तब किया जाता है जब चालू कर परिसम्पतियों एवं देयताओं के समंजन के लिए प्रवर्तनीय विधिक अधिकार उपलब्ध हो तथा जब आस्थगित कर परिसम्पतियों के शेष समान कराधान प्राधिकरण से संबंधित हों।

2.2.12 विदेशी मुद्राएं

- **कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा**

वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा में किया गया है जिसमें इकाई अपने परिचालन ("कार्यात्मक मुद्रा") करती है। वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रूपए में की गई है जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा भी है।

- **संव्यवहार एवं कोष**

विदेशी मुद्रा संव्यवहार कार्यात्मक मुद्रा में रिकार्ड किए गए हैं जिसके लिए संव्यवहार की तिथि के अनुसार कार्यात्मक मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के मध्य की विनिमय दर का उपयोग किया गया है।

रिपोर्टिंग तिथि को बकाया विदेशी मुद्रा वाली मौद्रिक मदों को कार्यात्मक मुद्रा में क्लोजिंग दर (देयताओं के लिए क्लोजिंग बिक्री दर तथा परिसम्पतियों के लिए क्लोजिंग खरीद दर) पर परिवर्तित किया गया है। विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग वाली गैर–मौद्रिक मदों का वहन उनकी ऐतिहासिक लागत पर संव्यवहार की तिथि की विनिमय दर पर किया गया है।

मौद्रिक मदों के समाधान से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नताओं, अथवा रिपोर्टिंग तिथि को की गई पुनःप्रस्तुति, के अनुसार उन दर भिन्नताओं पर किया गया है जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई थी तथा लाभ एवं हानि विवरण में इनकी स्वीकृति इनकी उत्पति की अवधि में की गई थी। इन विनिमय भिन्नताओं की लाभ एवं हानि में प्रस्तुति निवल आधार पर की गई है।

- **विदेश परिचालन**

शाखाओं से संबंधित उन विदेश परिचालनों, जिनमें उपयोग की मुद्रा के प्रति कार्यात्मक मुद्रा में भिन्नता है, के

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

संबंध में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के उद्देश्य से उपयोग की मुद्रा का प्रयोग किया गया है। कम्पनी की विदेश स्थित शाखाओं की परिसम्पतियों एवं देयताओं (मौद्रिक एवं गैर–मौद्रिक दोनों) को रिपोर्टिंग तिथि के अंत में लागू विनिमय दर के उपयोग से परिवर्तित किया गया है। यदि विनिमय दरों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव नहीं हुए हैं तो आय एवं व्यय की मदों को अवधि के दौरान औसत विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है अन्यथा मामलों के लिए संव्यवहार की तिथि को प्रयुक्त विनिमय दर उपयोग में लाई गई है। उत्पन्न विनिमय भिन्नताओं, यदि कोई हैं, की स्वीकृति अन्य व्यापक आय एवं इक्विटी इसका संचय विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व के रूप में किया गया है।

विदेशी परिचालनों का निपटान (परियोजना की बहियां बंद करने पर) होने पर परिचालन के संबंध में इक्विटी में संचित विनिमय भिन्नताओं का पुनःवर्गीकरण लाभ एवं हानि विवरण में किया गया है।

2.2.13 कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति छुट्टी एवं निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) जैसे बारह माह की पूर्ण सेवा के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों का वर्गीकरण अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में किया गया है तथा ऐसे लाभों की गैर–डिस्काउंटिड राशि को उस अवधि से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं।

ख) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ

- **परिभाषित अंशदायी योजना** : परिभाषित अंशदायी योजना के अंतर्गत कम्पनी नियत राशि का अंशदान एक अलग इकाई में करती है तथा इससे इसके प्रति आगे किसी राशि का भुगतान करने का कोई विधिक अथवा तर्कसाध्य दायित्व नहीं होता है। परिभाषित अंशदायी योजनाओं में अंशदान करने से संबंधित योजनाओं के संबंध में, जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं, लाभ एवं हानि विवरणों में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में स्वीकृति दी गई है।

  कम्पनी की एक परिभाषित अंशदायी कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना है जिसका व्यवस्थापन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन डिफाइन्ड कन्ट्रीब्यूशन सुपरएनुएशन पेंशन स्कीम,2009) के माध्यम से किया जा रहा है। ट्रस्ट के लिए किए जाने वाले अंशदान की स्वीकृति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरणों में की गई है जिस अवधि में ट्रस्ट के प्रति अंशदान देय होते हैं।

- **परिभाषित लाभ योजना** : परिभाषित लाभ योजना एक सेवानिवृत्ति के पश्चात की लाभ योजना है जो कि परिभाषित अंशदायी योजनाओ से भिन्न है। इन योजनाओं के अंतर्गत किसी लाभ के प्रति दायित्व कम्पनी के ही होते हैं। उपदान, भविष्य निधि एवं सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ के लिए कम्पनी की देयताओं की रूपरेखा परिभाषित लाभ योजनाओं में दर्शाई गई है।

कम्पनी द्वारा उपदान का निधियन किया जाता है तथा इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन एम्प्लाइज ग्रुप ग्रेच्युटी ट्रस्ट) करती है। व्यय के रूप में स्वीकृत की गई अवधियों के लिए उपदान ट्रस्ट में किया जाने वाले अंशदान को लाभ एवं हानि में प्रभारित किया जाता है। कम्पनी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में पूर्व निर्धारित दरों पर एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन कंट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) को करती है जो निधियों का निवेश अनुमत्त सिक्योरिटिज में करता है। व्यय के रूप में स्वीकृत अवधियों के लिए निधि के अंशदान के व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। कम्पनी का दायित्व ऐसे नियत अंशदान करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि इसके सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर पर लाभ की प्राप्ति हो सके। कम्पनी की एक सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा योजना (पीआरएमएफ) भी है जिसका निधियन भी कम्पनी करती है तथा इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन मेडिकल ट्रस्ट) द्वारा किया जा रहा है। चिकित्सा ट्रस्ट में अवधियों के संबंध में स्वीकृत किया जाने वाले अंशदान को व्यय के रूप में लाभ एवं हानि में प्रभारित किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजना के संबंध में कम्पनी के निवल दायित्वों का मापन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में सरकारी सिक्योरिटिज की परिपक्वता अवधि, जो परिभाषित लाभ दायित्वों के भारित औसत परिपक्वता प्रोफाइल के समान है, में बाजार प्राप्ति पर आधारित डिस्काउंट दर के उपयोग से अनुमानित भावी नकद प्रवाहों के वर्तमान मूल्य पर अलग से किया जाता है। निवल आधार पर दायित्वों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत सकल दायित्वों में से योजनागत परिसम्पतियों के उचित मूल्य को कम कर दिया जाता है।

आकलन का निष्पादन एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट के उपयोग से किया जाता है तथा सरकार की अधिसूचित ब्याज दरों पर पर्याप्त लाभ की उत्पति में ट्रस्ट के सक्षम न होने की स्थितियों के संबंध में संकेत दिए जाते हैं।

बीमांकक लाभ एवं हानियों सहित योजनागत परिसम्पतियों के प्राप्यों का पुनःमापन (परिभाषित लाभ देयता अथवा परिसम्पति के निवल पर निवल ब्याज की राशियों के अलावा) करके अन्य व्यापक आय में स्वीकृति की जाती है तथा इसे धारित आय के रूप में दर्शाया जाता है तथा यह लाभ एवं हानि विवरण में पुनःवर्गीकृत किए जाने के योग्य नहीं होती है।

चालू सेवा लागत, पूर्व सेवा लागत, ब्याज लागत तथा समाधान पर लाभ एवं हानियों से युक्त परिभाषित लाभ लागतों को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी गई है। परिभाषित लाभ योजना के किसी निपटान पर लाभ अथवा हानियों की स्वीकृति तब की जाती है जब निपटान किया जाता है। पूर्व सेवा लागत को व्यय के रूप में, योजनागत संशोधन अथवा संक्षेपण से पूर्व तथा जब कम्पनी धारित संबंधित अवसरंचना लागतों अथवा सेवा समाप्ति लाभों को स्वीकृति देती है, स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

कम्पनी द्वारा बारह माह के पश्चात अग्रेषित किए जाने वाले छुट्टी नकदीकरण एवं छुट्टी यात्रा रियायत को मापन के उद्देश्य से दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ माना गया है। इन दीर्घकालिक लाभों के संबंध में दायित्व की स्वीकृति का मापन अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से बीमांकन पर आधारित दायित्वों के वर्तमान मूल्य पर किया गया है।

चालू सेवा लागत, पूर्व सेवा लागत, ब्याज लागत तथा समाधान पर लाभ एवं हानियों से युक्त दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ लागतों को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी गई है।

2.2.14 नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में नकदी, बैंकों में जमा नकदी एवं अल्पकालिक जमा जिनकी मूल परिपक्वता तीन माह अथवा कम है तथा जो नकदी की ज्ञात राशियों के लिए तत्काल परिवर्तित किए जा सकते हैं तथा जो मूल्य में परिवर्तन के प्रति महत्वपूर्ण जोखिम के अध्याधीन हैं।

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी एवं नकदी समतुल्यों में ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार अप्रबंधित नकदी एवं अल्पकालिक जमा शामिल किए गए हैं क्योंकि उन्हें कम्पनी के रोकड़ प्रबंधन का अभिन्न अंग माना गया है।

2.2.15 लाभांश

कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों को प्रदान किए जाने वाले वार्षिक लाभ वितरण की देयता के रूप में स्वीकृति शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित अवधि के लिए की गई है । अंतरिम लाभांश के प्रति देयता के रूप में स्वीकृति निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त होने पर की जाती है। देय लाभांश एवं लाभांश वितरण के अनुवर्ती कर की स्वीकृति सीधे इक्विटी में की गई है।

2.2.16 प्रावधान, आकस्मिक परिसम्पतियां एवं आकस्मिक देयताएं

क) प्रावधान

प्रावधान को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा तर्कसाध्य) हो तथा ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं, के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित है। प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित विचार, दायित्व से जुड़े जोखिम एवं अनिश्चितताओं पर विचार, के पश्चात आंके गए उत्तम अनुमान के अनुसार होती है।

जब धन के समय मूल्य का वस्तुगत होने की संभावना होती है तो प्रावधान राशि को दायित्व से सम्बद्ध जोखिम की प्रस्तुति करने वाली,जब उचित हो, पूर्व कर दर के उपयोग से कम कर दिया जाता है। समय के परिवर्तन को वित्त लागत के रूप में विचार में लिए जाने के कारण डिस्काउंटिंग के उपयोग के पश्चात प्रावधान अधिक कर दिए जाते हैं।

कम्पनी द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले प्रावधानों में अनुरक्षण, विघटन, डिजाइन गारंटी, विधिक मामले, निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर), दुर्वह संविदा एवं अन्य शामिल हैं।

ख) दुर्वह संविदाएं

दुर्वह संविदा वह संविदा है जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की वे अपरिहार्य लागतें (अर्थात वे लागतें जिनकी संविदा के कारण कम्पनी अनदेखी नहीं कर सकती है) आती हैं जो उससे प्राप्त होने वाले संभावित आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। किसी संविदा के अंतर्गत अपरिहार्य लागतें संविदा की विद्यमान न्यूनतम लागत की प्रस्तुति करते हैं जो इसके निष्पादन की लागत एवं इसे निष्पादित न किए जाने के मुआवजे अथवा उत्पन्न होने वाली शास्तियों से कम हैं। यदि कम्पनी की कोई दुर्वह संविदा है तो संविदा के अंतर्गत दायित्व की स्वीकृति एवं मापन के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, दुर्वह संविदा के लिए अलग प्रावधान करने से पूर्व कम्पनी किसी अक्षमता हानि की स्वीकृति करती है जो ऐसी संविदा के लिए नियत की गई परिसम्पतियों के संबंध में हुई है।

इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में करके चालू उत्तम अनुमान के अनुसार समायोजन प्रस्तुत किए गए हैं।

ग) आकस्मिक देयताएं

ऐसे आकस्मिक दायित्वों के संबंध में प्रकटीकरण किया जाता है जब संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्वों के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होने की संभावना होती है, परन्तु नहीं भी हो सकती है, अथवा ऐसे दायित्वों की राशि का मापन विश्वसनीयता से नहीं किया जा सकता है। जब किसी संभावित दायित्व अथवा विद्यमान दायित्व के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह होने की संभावना काफी होती है तो कोई प्रावधान अथवा प्रकटीकरण नहीं किए जाते हैं।

इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू उत्तम अनुमानों के अनुसार इनका समायोजन किया जाता है।

घ) **आकस्मिक परिसम्पतियां** आकस्मिक परिसम्पतियों की स्वीकृति नहीं की जाती है अपितु आर्थिक लाभों के प्रवाह की विश्वसनीयता होने पर इनका प्रकटीकरण किया जाता है।

2.2.17 पट्टे

कम्पनी द्वारा संविदा के प्रारंभ में ऐसे मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या संविदा पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, है अथवा नहीं है। इसका अर्थ है कि क्या संविदा में संज्ञान में ली गई परिसम्पति के संबंध में किसी अवधि में उपयोग के नियंत्रण का अधिकार प्रतिफल के विनिमय के प्रति उपलब्ध है।

क) पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी द्वारा अल्पकालिक पट्टों तथा न्यून मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के अलावा सभी पट्टों के संबंध में एकल स्वीकृति एवं मापन विधि का उपयोग किया जाता है। कम्पनी पट्टा दायित्वों की स्वीकृति पट्टा भुगतानों तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के रूप में करती है जिससे अंतर्निहित परिसम्पतियां उपयोग अधिकार की प्रस्तुति करती हैं।

1) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां

कम्पनी उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की स्वीकृति पट्टा प्रारंभ होने की तिथि (अथवा वह तिथि जब अंतर्निहित परिसम्पति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) के अनुसार करती है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का मापन किसी प्रकार के संचित मूल्यह्रास तथा क्षमता हानियों को घटाकर एवं पट्टा दायित्वों के किसी पुनःमापन में समायोजन करके लागत पर किया जाता है।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की लागत में स्वीकृत पट्टा देयता क राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें, एवं किसी प्रकार के प्राप्त पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर प्रारंभ तिथि को अथवा उससे पूर्व किए गए पट्टा भुगतान शामिल हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास पट्टा काल को कम करके तथा परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

यदि पट्टा की गई परिसम्पतियां पट्टा काल के अंत में कम्पनी को अंतरित की जाती है अथवा प्रस्तुत लागत में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य होता है तो मूल्यह्रास का आकलन परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां अक्षमता की शर्त पर भी होती है।

2) पट्टा दायित्व

कम्पनी द्वारा पट्टे की प्रारंभ तिथि को पट्टा काल के लिए चुकता किए जाने वाले पट्टा के वर्तमान मूल्य के अनुसार मापन किए गए पट्टा दायित्वों को स्वीकृति दी जाती है। पट्टा भुगतानों में किसी प्रकार के प्राप्य प्रोत्साहन घटाकर नियत भुगतान (सारभूत नियत भुगतान में शामिल), परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, तथा अवशेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां शामिल है। पट्टा भुगतानों में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य भी शामिल होता है जिसका औचित्यपरक निश्चितता के साथ कम्पनी उपयोग कर सकती है, तथा पट्टों समाप्त करने, यदि पट्टा काल शर्तों में शास्तियों के भुगतान की व्यवस्था है, के विकल्प का उपयोग कर सकती है। व्यय के रूप में स्वीकृत किसी सूचकांक अथवा दर पर निर्भर न होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान (यदि वे मालसूचियों के उत्पादन के लिए व्यय नहीं किए गए हैं) उनकी उत्पति की अवधि अथवा भुगतान किए जाने की स्थिति में किए जाते हैं।

पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का आकलन करते हुए कम्पनी पट्टा प्रारंभ तिथि से आवर्धित ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर का सुगमता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात पट्टा दायित्वों की राशि में ब्याज अभिवृद्धि की प्रस्तुति के लिए वृद्धि हो जाती है तथा किए गए पट्टा भुगतान कम हो जाते हैं। इसके अलावा, पट्टा दायित्वों के वहन मूल्य का पुनःमापन किसी प्रकार का संशोधन किए जाने, पट्टा काल में परिवर्तन किए जाने, पट्टा भुगतानों में परिवर्तन किए जाने (अर्थात पट्टा भुगतानों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भावी भुगतानों में परिवर्तन) अथवा अंतर्निहित परिसम्पति के क्रय के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

कम्पनी के पट्टा दायित्वों को वित्तीय दायित्वों में शामिल किया जाता है।

3) अल्पकालिक पट्टे तथा न्यून मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टे

कम्पनी द्वारा आवासीय परिसरों तथा कार्यालयों (अर्थात वे पट्टे जिनका पट्टा काल प्रारंभ की तिथि से 12 माह अथवा कम है तथा जो क्रय विकल्प के साथ नहीं हैं) के अपने अल्पकालिक पट्टा अनुबंधों में अल्पकालिक पट्टा स्वीकृति के लिए छूट का उपयोग किया जाता है। कम्पनी द्वारा कार्यालय उपकरणों, जो न्यून मूल्य के रूप में विचार में नहीं लिए गए हैं, के पट्टों के लिए पट्टे की न्यून मूल्य परिसम्पति छूट का उपयोग भी किया जाता है। अल्पकालिक पट्टों के पट्टा भुगतान तथा न्यून मूल्य परिसम्पतियों के पट्टों की स्वीकृति पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है।

कम्पनी द्वारा पट्टा लेखांकन में किए गए समायोजन इंड एएस 116 के अनुसार किए गए हैं जो 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी है तथा सभी सम्बद्ध आंकड़ों का

पुनःवर्गीकरण /पुनःसमूहन इंड एएस116 की अपेक्षाओं के प्रभाव से किया गया है।

ख) पट्टाकार के रूप में कम्पनी

वे पट्टे जिनमें कम्पनी मुख्य रूप से परिसम्पति से संबद्ध सभी जोखिम तथा प्रतिफल अंतरित नहीं करती है उनका वर्गीकरण परिचालन पट्टे के रूप में किया गया है। पट्टे के काल की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर लेखांकित पट्टे से उत्पन्न किराया को उसकी परिचालन प्रकृति के कारण राजस्व के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया गया है। परिचालन पट्टे के परक्रामण एवं व्यवस्थापन के दौरान व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतें पट्टाकृत परिसम्पति की वहन राशि में जोड़ी गई हैं तथा उनकी स्वीकृति ब्याज आय के समान आधार पर पट्टा काल के लिए की गई है। आकस्मिक किरायों की स्वीकृति राजस्व के रूप में उनकी उत्पति होने पर की गई है।

2.2.18 वित्तीय उपकरण

वित्तीय उपकरण अनुबंध होते हैं जो किसी इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा किसी अन्य इकाई के किसी दायित्व अथवा वित्तीय उपकरण के संव्यवहार के लिए किए जाते हैं।

क) वित्तीय परिसम्पतियां

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

वित्तीय परिसम्पतियों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय परिसम्पतियों (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापण की गई परिसम्पतियों के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के उद्देश्य वित्तीय परिसम्पतियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया हैः

- परिशोधन लागत पर नामे उपकरण

  निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर ऋण उपकरण का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता हैंः

  क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के अनुसार ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

  ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकायों मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है।

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षमता हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ अथवा हानि में स्वीकृति दी जाती है। यह वर्ग सामान्यत व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

- अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण उपकरण (एफवीटीओसीआई)

निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होने पर ऋण उपकरण का वर्गीकरण अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है :

- व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और
- परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर–स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

- **लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर ऋण उपकरण**

  एफवीटीपीएल ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवी ओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

  एफवीटीपीएल के वर्ग में शामिल ऋण उपकरणों का मापन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया गया है।

- **इक्विटी उपकरण**

  इंड एएस 109 के कार्य क्षेत्र में इक्विटी निवेश का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। जो इक्विटी उपकरण एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत व्यापार के लिए धारित किए गए हैं। अन्य सभी उपकरणों के लिए कम्पनी द्वारा उचित मूल्य पर अनुवर्ती परिवर्तन पर अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का अशोध्य चयन किया गया है। कम्पनी द्वारा ऐसे चयन उपकरण – वार आधार पर किए जाते हैं। ऐसे वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किए जाते हैं तथा ये अशोध्य होते हैं।

  यदि कम्पनी किसी इक्विटी उपकरण का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई के रूप में करने का निर्णय लेते है तो लाभांशों के अलावा उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

निवेश की बिक्री के पश्चात भी अन्य व्यापक आय में से राशियों का पुनःचक्रण लाभ एवं हानि विवरण में नहीं किया जाता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी में संचित लाभ एवं हानि का अंतरण कर सकती है।

एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी उपकरणों का मापन उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

ईसीएल उन सभी संविदागत नकद प्रवाहों के मध्य का अंतर है जो कम्पनी संविदा के अंतर्गत देय हैं तथा जो ऐसे नकद प्रवाहों से संबंधित हैं जिनकी प्राप्ति की प्रत्याशा इकाई (अर्थात सभी नकद न्यूनताएं), तथा जो मूल ईआईआर पर न्यून किए गए हैं।

इंड एएस 109 के अनुसरण में कम्पनी द्वारा निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पतियों एवं क्रेडिट ऋण जोखिमों से संबंधित प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापन एवं अक्षमता हानि में स्वीकृति के लिए उपयोग किया गया है:

क. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋण, डेब्ट सिक्योरिटियों, जमा, व्यापार प्राप्यों एवं बैंक शेष के लिए किया गया है।

ख. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा एफवीटीओसीआई पर मापन की गई हैं।

ग. इंड एएस 116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य

घ. व्यापार प्राप्य अथवा अन्य संविदागत अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति जो ऐसे संव्यवहार से प्राप्त हो जो इंड एएस 115 के दायरे में है।

ङ. ऋण प्रतिबद्धताएं जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

च. वित्तीय गारंटी अनुबंध जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

कम्पनी द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अक्षमता हानि भत्ते की स्वीकृति के लिए ''सरल एप्रोच' का अनुसरण किया गया है:

- व्यापार प्राप्यों अथवा अनुबंध राजस्व प्राप्यों; तथा
- सभी ऐसे पट्टा प्राप्यों जिनके संव्यवहार इंड एएस 116 के दायरे में हैं।

सरल एप्रोच की उपयोज्यता के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तन नहीं करने होते हैं। इसके स्थान पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को लाइफटाइम ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्तों का उपयोग प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि से किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम पर क्षमता हानि के संज्ञान के लिए कम्पनी यह निर्धारण करती है कि क्या प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अथवा नहीं हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है तो 12 माह की ईसीएल का उपयोग क्षमता हानि के प्रावधान के लिए किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने पर लाइफटाइम ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि में उपकरण की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आता है तथा प्रारंभिक संज्ञान के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं होती है तो इकाई द्वारा 12 माह की ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्ते को समाप्त कर दिया जाता है।

लाइफटाइम ईसीएल वे प्रत्याशित क्रेडिट हानियां हैं जो वित्तीय परिसम्पति के संभावित उपयोज्यता काल में संभव चूक घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। 12 माह ईसीएल लाइफटाइम ईसीएल का वह भाग है जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के दौरान संभावित चूक घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं।

ईसीएल क्षमता हानि भत्ता (अथवा रिवर्सल) की स्वीकृति आय/व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। इस राशि की प्रस्तुति ''अन्य व्यय'' शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। विभिन्न वित्तीय उपकरणों के अंतर्गत तुलन पत्र की प्रस्तुति का वर्णन नीचे किया गया है:–

- परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां, संविदागत राजस्व प्राप्य एवं पट्टा प्राप्यः ईसीएल की प्रस्तुति एक भत्ते के रूप में अर्थात तुलन पत्र में ऐसी परिसम्पतियों के मापन के अभिन्न भाग के रूप में की जाती है। निवल वहन राशि में से भत्ता घटा दिया जाता है। परिसम्पति द्वारा बट्टा मापदंड पूरे न किए जाने तक कम्पनी सकल वहन राशि में से क्षमता हानि भत्ते को कम नहीं करती है।
- ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदा : ईसीएल की प्रस्तुति तुलन पत्र में एक प्रावधान अर्थात एक दायित्व के रूप में की गई है।
- ऋण उपकरण का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार : ऋण उपकरणों का मापन एफवीओसीआई के अनुसार किया गया है, संभावित क्रेडिट हानियों से तुलन पत्र में वहन राशि कम नहीं हुई है जिससे यह उचित मूल्य पर होती है। परिसम्पति का मापन अन्य व्यापक आय में स्वीकृत परिशोधन लागत पर ''संचित परिशोधन राशि'' के रूप में करने की स्थिति में इसके स्थान पर भत्ते के समतुल्य एक राशि उत्पन्न होगी।

कम्पनी द्वारा क्षीण क्रेडिट वाली वित्तीय परिसम्पतियों (पीओसीआई), अर्थात ऐसी परिसम्पतियां जिनका क्रेडिट क्रय / व्युत्पति पर क्षीण है, का क्रय अथवा व्युत्पति नहीं की गई है।

वित्तीय परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्ति

किसी वित्तीय परिसम्पति (अथवा जहां लागू हो वित्तीय परिसम्पतियों का भाग अथवा समान प्रकार की वित्तीय

परिसम्पतियों के समूह का भाग) की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब वित्तीय परिसम्पतियों से प्राप्त होने वाले रोकड़ प्रवाहों के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा जब वित्तीय परिसम्पतियां एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल अंतरित कर दिए जाते हैं।

वहन राशि एवं प्रतिफल के रूप में प्राप्त / प्राप्य राशि के मध्य के अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

ख) वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

सभी वित्तीय देयताओं की स्वीकृति प्रारंभ में उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं उधार तथा देयताओं के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध निवल के अनुसार की जाती है।

कम्पनी की वित्तीय देयतों में व्यापार एवं अन्य देयताएं,ऋण एवं उधार, अन्य वित्तीय देयताएं इत्यादि शामिल हैं।

अनुवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर है:

- लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

कम्पनी के पास एफवीटीपीएल के अंतर्गत किसी प्रकार की वित्तीय देयताएं नहीं हैं।

- परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं

ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम देयताओं की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है।

परिशोधन लागत का आकलन किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण प्रीमियम तथा शुल्क अथवा लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को लेखे में लेकर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन में लाभ एवं हानि विवरण की वित्त लागतों को शामिल किया जाता है।

वित्तीय देयताओं की स्वीकृति समाप्ति

किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब देयता के दायित्व पूरे कर लिए जाते हैं अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता के स्थान पर समान ऋणदाता से महत्वपूर्ण भिन्न शर्तों पर अथवा विद्यमान देयताओं की शर्तों की संशोधित शर्तों पर कोई बदलाव किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा सुधार को मूल देयता की स्वीकृति समाप्ति मानकर नई देयता के प्रति स्वीकृति की जाती है। सम्बद्ध वहन राशियों की भिन्नताओं को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

ग) वित्तीय गारंटी संविदाएं

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एएस 109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

घ) वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण

कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति के समय निर्धारित करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात उन वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण अथवा वित्तीय देयता होते हैं। ऋण उपकरणों की वित्तीय परिसम्पतियों के िए पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है जब ऐसी परिसम्पतियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन हुआ हो। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन की संभावना कभी कभार होती है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कम्पनी या किसी ऐसे क्रियाकलाप का निष्पादन करना प्रारंभ करती है अथवा समाप्त करती है जो उसके परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कम्पनी वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण करती है तो ऐसा पुनःवर्गीकरण उत्तरव्यापी प्रभाव से अगली रिपोर्टिंग अवधि के तत्काल निकट अगले दिन से व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करके किया जाता है। कम्पनी स्वीकृत लाभों, हानियों (क्षमता लाभ अथवा हानियों सहित) अथवा ब्याज की पुनः प्रस्तुति नहीं करती है।

ङ) स्वीकृत राशियों का समंजन करने के संबंध में चालू प्रवर्तनीय संविदागत विधिक अधिकार होने तथा परिसम्पतियों से प्राप्ति एवं साथ ही साथ देयताओं का निपटान निवल आधार पर करने की मंशा होने की स्थिति में वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं, एवं तुलन पत्र में सूचित की गई राशियों का समंजन किया जाएगा।

2.2.19 उचित मूल्य मापन

कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति को बेचने अथवा किसी देयता को अंतरित करने के लिए दिए जाने के लिए बाजार प्रतिभागियों के साथ मापन की तिथि को प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन ऐसे अनुमान पर आधारित है जो परिसम्पति को बेचने के संव्यवहार अथवा देयता का अंतरण करने के उद्देश्य से या तो :

- उत्तम बाजार में परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए; अथवा

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

- उत्तम बाजार न होने पर परिसम्पतियों एवं देयताओं के अत्यधिक लाभकारी बाजार में। उत्तम अथवा लाभकारी बाजार कम्पनी की पहुंच के दायरे में होना चाहिए।

किसी परिसम्पति अथवा देयता के उचित मूल्य का मापन बाजार प्रतिभागियों के ऐसे अनुमानों के अनुसार यह मानकर किया जाता है कि वे इसमें आर्थिक उत्तम हित में बाजार प्रतिभागी क्रिया कर रहे हैं।

किसी गैर–वित्तीय परिसम्पति के उचित मूल्य का मापन उच्चतर एवं बेहतर उपयोग से परिसम्पति का उपयोग आर्थिक लाभों की उत्पति के संबंध में बाजार प्रतिभागियों की क्षमता को विचार में लेकर अथवा इसकी बिक्री किसी अन्य बाजार कर करके, जो परिसम्पति का उपयोग उच्चतर एवं बेहतर ढंग से कर सकता है, किया जाता है।

कम्पनी द्वारा मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है ऐसी परिस्थितियों के लिए उचित हैं तथा जिनके संबंध में वह पर्याप्त डेटा उचित मूल्य के मापन के उद्देश्य से उपलब्ध है, जिनसे सम्बद्ध प्रेक्षण योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा तथा गैर–प्रेक्षण योग्य इनपुट का उपयोग न्यूनतम किया जा सकेगा।

सभी परिसम्पतियां एवं देयताओं, जिनके संबंध में उचित मूल्य पर मापन अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है, का वर्गीकरण उचित मूल्य की तारतम्यता का अनुसरण करके किया गया है जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित है तथा पूर्ण रूप से उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं:–

- स्तर 1 – समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर–समायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।
- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गैर–प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

ऐसी परिसम्पतियों एवं देयताओं के संबंध में, जो आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं, कम्पनी द्वारा स्तरों के मध्य के स्तरों पर तारतम्यता में अंतरण किए जाने के निर्धारण (न्यूनतम स्तर इनपुट पर आधारित जो पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जाते हैं।

महत्वपूर्ण परिसम्पतियों एवं देयताओं, यदि कोई हों, के लिए बाहय मूल्यांककों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कम्पनी द्वारा उन परिसम्पतियों एवं देयताओं के मूल्य के संचलनों का विश्लेषण किया जाता है जिनका मापन अथवा पुनःमापन कम्पनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के लिए कम्पनी द्वारा परिसम्पतियों एवं देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशिष्टताओं एवं परिसम्पति अथवा देयता से जुड़े जोखिमों तथा ऊपर स्पष्ट की गई तारतम्यता के अनुसार उचित मूल्य के स्तर के आधार पर किए जाते हैं।

ऊपर उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीतियों का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण सम्बद्ध नोटों में किए गए हैं।

2.2.20 बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां

जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर–चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलबध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को उल्लिखित वहन राशि से कम मूल्य पर तथा बिक्री की लागतों को घटाकर उचित मूल्य किया जाता है। बिक्री के धारित का वर्गीकरण करने के पश्चात सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश सम्पति एवं अमूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री / वितरण के वर्गीकृत के साथ धारित परिसम्पतियों की प्रस्तुति तुलन पत्र में अलग से की जाती है।

यदि इंड एएस 105 "बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां" के उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया जाता है तो बिक्री के लिए धारित निपटान समूहों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया जाता है। वर्गीकरण समाप्त की गई बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियों का मापन (1) बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पति के रूप में वर्गीकरण से पूर्व उसकी वहन राशि, मूल्यह्रास के समायोजन के पश्चात जो तब किया जाता जब बिक्री के धारित परिसम्पति का वर्गीकरण न होगा, तथा (2) उस तिथि की उसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह का वर्गीकरण बिक्री के धारित के लिए समाप्त किया गया था, से न्यून किया जाता है। मूल्यह्रास रिर्वसल समायोजन से संबंधित सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश परिसम्पति तथा अमूर्त परिसम्पतियों को उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता जिस अवधि में गैर–चालू परिसम्पतियों का धारण बिक्री के लिए किए जाने के मापदंड पूरे नहीं हो पाते हैं।

2.2.21 पूर्वावधि समायोजन

चालू वर्ष में पूर्वावधि से संबद्ध चूक / अकरण पाई जाने पर यदि प्रत्येक एवं अकरण का औसत कम्पनी के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल परिचालन राजस्व के 0.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है तो उसका उपचार सारहीन रूप से किया जाता है तथा उसका समायोजन चालू वर्ष में किया जाता है।

2.2.22 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान एवं निर्धारण

उक्त वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग में लाए गए अनुमानों का अनवरत मूल्यांकन कम्पनी द्वारा किया जाता है तथा ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य अनुमानों एवं

कारकों (भावी घटनाओं की संभावनाओं सहित), जिनके प्रति कम्पनी का विश्वास विद्यमान परिस्थितियों के कारण औचित्यपरक रूप से है, पर आधारित होते हैं। ऐसे अनुमान ऐसे तथ्यों एवं घटनाओं पर आधारित होते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान हैं अथवा जिनका आस्तित्व इस तिथि के पश्चात हुआ है परन्तु विद्यमान स्थितियों के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को इनका आस्तित्व होने के अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि, कम्पनी द्वारा ऐसे अनुमानों, वास्तविक परिणामों का नियमित मूल्यांकन किया जाता है परन्तु ऐसे अनुमान आंके जाने के समय औचित्यपरक होते हुए इनके वास्तविक परिणाम सामग्रीगत रूप से भिन्न हो सकते हैं तथा ऐसे परिणाम ऐतिहासिक अनुभव अथवा अनुमानों से भिन्न होने पर भी पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं। अनुमानों में होने वाले परिवर्तनों की स्वीकृति उस अवधि के वित्तीय विवरणों में की जाती है जिस अवधि में ये ज्ञात होते हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को भावी एवं अन्य प्रमुख स्रोतों के अनुमानों की अनिश्चितता से संबंधित प्रमुख अनुमान, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में परिसम्पतियों एवं देयताओं की वहन राशियों में सामग्रीगत समायोजन की उत्पति का महत्वपूर्ण जोखिम व्याप्त है, का वर्णन नीचे किया गया है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

क. संग्रहित न किए गए व्यापार प्राप्यों के लिए गुंजाइश

व्यापार प्राप्यों के साथ ब्याज नहीं होता है तथा इनकी प्रस्तुत उनके सामान्य मूल्यों पर अनुमानित वसूलीयोग्य राशि पर छूट करके प्रदान की जाती है जो प्राप्य शेष एवं ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होती है। व्यापार प्राप्यों का अलग अलग बट्टा तब किया जाता है जब प्रबंधन को उनकी वसूली संभव प्रतीत नहीं होती है।

ख. परिभाषित लाभ योजनाएं

सेवानिवृत्ति लाभ दायित्वों की लागतों का निर्धारण बीमांकन मूल्यांकनों के उपयोग से किया जाता है। बीमांकक अनुमानों में विभिन्न अनुमान लगाए जाने की आवश्यकता होती है जो भविष्य में वास्तविक अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। ऐसे निर्धारण में छूट दर, भावी वेतन वृद्धि, मृत्यु दर एवं भावी पेंशन वृद्धि शामिल होती है। मूल्यांकन की जटिलताओं में बढ़ोतरी तथा इनकी दीर्घकालिक प्रकृति के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व ऐसे अनुमानों में परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदी हैं। सभी अनुमानों की समीक्षा रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है।

ग. आकस्मिताएं

कम्पनी के प्रति व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक देयताओं की उत्पति न्यायिक मामलों एवं अन्य दावों के परिणामस्वरूप होती है। ये ऐसे दायित्व होते हैं जिनके संबंध में प्रबंधन सभी उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संबंधित भुगतान अथवा कठिनाई के परिमाण के अनुमान विश्वसनीयता से नहीं आंक सकती है तथा ऐसे दायित्वों को आकस्मिक दायित्व मानकर इनका प्रकटीकरण नोटों में किया गया है। इस प्रकार, कम्पनी के संलिप्त होने वाली विधिक प्रक्रियाओं के अंतिम प्रतिफल का ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिससे आकस्मिकताओं का सामग्रीगत प्रभाव का कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर होने के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सके।

घ. वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

वित्तीय परिसम्पतियों के लिए अक्षमता प्रावधान चूक जोखिमों एवं संभावित हानि दरों के अनुमानों पर आधारित होते हैं। कम्पनी अपने विवेक का उपयोग करके ऐसे अनुमान लगाकर अक्षमता इनपुट का आकलन करती है जो कम्पनी के पूर्व इतिहास, बाजार स्थितियों के आधार एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लगाए जाने वाले वाले भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं।

ङ. कर

जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर विधियों में बदलाव एवं राशि एवं भावी करयोग्य आय के संबंध में अनिश्चितताएं व्याप्त होती हैं। व्यापार के स्वरूप के कारण वास्तविक परिणाम एवं लगाए गए अनुमानों अथवा ऐसे अनुमानों में भावी परिवर्तनों से होने वाली भिन्नताओं के कारण पहले से रिकार्ड की गई कर आय एवं व्यय में भविष्य में समायोजन करने पड़ सकते हैं। कम्पनी द्वारा ऐसे औचित्यपरक अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित किए गए हैं। ऐसे प्रावधानों की राशि पूर्व कर लेखापरीक्षा के अनुभव एवं करयोग्य इकाईयों द्वारा की गई कर की भिन्नताओं की व्याख्या जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। व्याख्या में भिन्नता के कारण कम्पनी के कार्यक्षेत्र में व्याप्त परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार के अनेक मामले उत्पन्न हो सकते हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस विस्तार तक की जाती है जहां तक ऐसी विश्वसनीयता हो कि इससे करयोग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसम्पतियों की राशि के स्वीकृति योग्य निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है जो समय की अनुकूलता एवं भावी करयोग्य लाभ के स्तर के साथ साथ भावी कर योजना रणनीतियों पर आधारित होते हैं।

च. गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

अक्षमता तब उत्पन्न होती है जब किसी परिसम्पति रोकड़ उत्पति यूनिट का वहन मूल्य उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाता है तथा जो उसकी निपटान लागतों एवं उपयोग मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक होता है। उचित मूल्य घटाकर निपटान लागत के आकलन आर्म लैंथ पर किए गए बाध्यकारी बिक्री संव्यवहारों से उपलब्ध डेटा पर आधारित होते हैं जो परिसम्पति के निपटान की आवर्धित लागतों को घटाकर समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा प्रत्यक्ष बाजार मूल्यों के अनुसार होते हैं। उपयोग मूल्य का आकलन डीसीएफ मॉडल पर आधारित होता है।

छ. बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां

जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की

वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर–चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलब्ध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो।

ज. पट्टे – आवर्धित ऋण दर के अनुमान

कम्पनी पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दरों का निर्धारत तत्परता से नहीं कर सकती है, तदनुसार, कम्पनी द्वारा अपनी पट्टा देयताओं के मापन के लिए अपनी आवर्धित ऋण दर (आईबीआर) का उपयोग किया जाता है। आवर्धित ऋण दर वह ब्याज दर है जो कम्पनी को समान प्रकार की शर्तों पर, समान प्रकार की सुरक्षा के साथ, समान मूल्य पर परिसम्पति की प्राप्ति के लिए आवश्यक निधियों की प्राप्ति पर समान आर्थिक परिवेश में उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के लिए आवश्यक ऋण के प्रति भुगतान के लिए करने होते हैं।

झ. नवीकरण एवं समापन विकल्प के साथ पट्टे के अनुबंध काल का निर्धारण – पट्टेदार के रूप में कम्पनी

कम्पनी पट्टा काल का निर्धारण पट्टे को रद्द न किए जाने की शर्त के साथ करती है जिसमें पट्टे की किन्हीं अवधियों को विस्तारित करने, यदि इसका उपयोग करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, अथवा पट्टे का समापन करने के विकल्प के साथ शामिल अवधियों, यदि इसका उपयोग न करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, का समावेश होता है।

कम्पनी द्वारा ऐसे पट्टा अनुबंध किए गए हैं जिनमें विस्तार एवं समापन के विकल्प हैं। कम्पनी अपने विवेक से यह ज्ञात करती है कि क्या किसी पट्टे का नवीकरण करने अथवा उसका समापन करने के विकल्प के उपयोग के प्रति किसी प्रकार के औचित्यपरक कारक हैं अथवा नहीं हैं। इस प्रकार के सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार से कम्पनी के सम्मुख नवीकरण करने अथवा समापन करने के विकल्प के उपयोग का आर्थिक कारण प्रस्तुत हो जाता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात कम्पनी पट्टा काल का मूल्यांकन करके यह ज्ञात करती है कि क्या परिस्थितियों में किसी प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं अथवा बदलाव हुए हैं जो उसके नियंत्रण में हैं तथा जिनके प्रभाव से कम्पनी को नवीकरण अथवा समापन करने के विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है अथवा नहीं करना पड़ सकता है (अर्थात महत्वपूर्ण पट्टाधारित सुधार अथवा पट्टाधारित परिसम्पतियों में महत्वपूर्ण बदलाव)।

ण. राजस्व स्वीकृति

कम्पनी की एक राजस्व मान्यता नीति है जिसके उपयोग से कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्वाह किए गए कार्यों का मूल्यांकन करके प्रभाव ज्ञात करती है।

इन नीतियों में किए गए अनुबंधों के प्रतिफल से संबंधित पूर्वानुमान किए जाने की अपेक्षा की गई है जिसके लिए कार्यक्षेत्र एवं दावों तथा भिन्नताओं के संबंध मूल्यांकन एवं निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं।

अनेक ऐसी दीर्घकालिक एवं जटिल परियोजनाएं हैं जिनके लिए कम्पनी द्वारा अनुबंध पात्रताओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय निर्धारण किए गए हैं। इनके संभावित प्रतिफलों के परिणाम से इनकी लाभप्रदत्ता एवं नकदी प्रवाह में होने वाले सामग्रीगत सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं।

अनुबंध के नीचे उल्लिखित कारकों के संबंध में भी अनुमान लगाए जाने अपेक्षित होते हैं।

- कार्य की पूर्णता के चरण का निर्धारण
- परियोजना पूर्ण होने की तिथि के अनुमान
- संभावित हानियों के लिए प्रावधान
- दावों एवं भिन्नताओं सहित कार्य निष्पादन के लिए कुल राजस्व एवं कुल अनुमानित लागतों के अनुमान

अनुबंध से संबंधित लागतों एवं राजस्व का संज्ञान अनुबंध कियाकलापों की पूर्ति के चरण के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है जो अनुमानित कुल अनुबंध लागतों की संबंधित तिथियों तक निष्पादित किया गया है जो कि इसकी पूर्णता का चरण नहीं माना जाना है। अनुबंध कार्य की भिन्नताओं तथा दावों को इस विस्तार तक शामिल किया जाता है जिससे इसकी राशियों से मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सके तथा उनकी प्राप्ति की पूर्ण संभावना हो। जब अनुबंध लागतें कुल अनुबंध राजस्व से अधिक होने की संभावना होती है तो तत्काल संभावित हानि की स्वीकृति व्यय के रूप में की जाती है।

3. सम्पत्ति संयंत्र और उपकरण

(रुपए करोड में)

	फ्रीहोल्ड भूमि	पट्टे वाली भूमि	पट्टे वाले भवन	फ्रीहोल्ड भावन/फ्लैट अवासीय	फ्रीहोल्ड भावन/फ्लैट –गैर अवासीय	संयंत्र और मशीनरी	सर्वेक्षण उपकरण	कम्प्यूटर	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर व फिक्सचर	कारवां, केम्प और अस्थायी शेड	वाहन	वाहन
फुट नोट		(i)	(ii)							(iii)			
सकल वहन मूल्य (लागत पर)													
31 मार्च 2018	**42.75**	**1.09**	**5.20**	**6.36**	**40.63**	**74.50**	**1.37**	**5.17**	**3.45**	**2.61**	**7.87**	**3.90**	**194.90**
संवर्धन	-	-	-	-	-	5.28	0.46	0.93	0.62	0.81	1.00	-	9.10
निपटान /समायोजन	(0.06)	-	-	-	-	(3.42)	-	(0.13)	(0.05)	(0.03)	(0.58)	(0.37)	(4.64)
प्रयोग अधिकार परिसंपत्ति का अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बिक्री के लिए धारित परिसंपत्ति का अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विनिमय (लाभ)/हानि	-	-	-	-	0.03	1.04	0.01	0.05	0.02	0.03	0.02	0.03	1.23
31 मार्च 2019 को	**42.69**	**1.09**	**5.20**	**6.36**	**40.66**	**77.40**	**1.84**	**6.02**	**4.04**	**3.42**	**8.31**	**3.56**	**200.59**
प्रयोग अधिकार परिसंपत्ति का अंतरण (इंड एएस 116 को स्वीकार करने के कारण पुन वर्गीकरण–संदर्भ नोट सं.7)	-	(1.09)	(5.20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.29)
1 अप्रैल 2019 को	**42.69**	**-**	**-**	**6.36**	**40.66**	**77.40**	**1.84**	**6.02**	**4.04**	**3.42**	**8.31**	**3.56**	**194.30**
संवर्धन	-	36.89	-	-	20.73	102.65	0.09	0.52	0.50	0.51	0.08	-	161.97
निपटान /समायोजन	-	-	-	-	-	(6.56)	(0.02)	(0.25)	(0.03)	(0.08)	(5.56)	(0.85)	(13.35)
बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों का अंतरण	-	-	-	-	-	(0.22)	-	-	(0.03)	(0.01)	-	-	(0.26)
विनिमय (लाभ) /हानि	-	-	-	-	0.28	2.87	0.04	0.05	0.05	0.04	0.03	0.21	3.57
31 मार्च 2020 को	**42.69**	**36.89**	**-**	**6.36**	**61.67**	**176.14**	**1.95**	**6.34**	**4.53**	**3.88**	**2.86**	**2.92**	**346.23**
मूल्यहास एवं हानि													
31 मार्च 2018 को	**-**	**0.03**	**0.67**	**3.05**	**10.94**	**36.67**	**0.23**	**1.74**	**1.31**	**0.81**	**5.19**	**0.69**	**61.33**
वर्ष के लिए मूल्यहृास प्रभार	-	0.01	0.28	0.30	2.12	3.85	0.14	1.09	0.59	0.35	2.06	0.43	11.22
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान /समायोजन	-	-	-	-	-	(0.32)	(0.01)	(0.09)	(0.06)	(0.02)	(0.32)	(0.17)	(0.99)
प्रयोग अधिकार परिसंपत्ति का अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बिक्री के लिए धारित परिसंपत्ति का अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विनिमय (लाभ) /हानि	-	-	-	-	0.01	0.77	-	0.04	0.05	0.02	0.02	(0.07)	0.84
31 मार्च 2019 को	**-**	**0.04**	**0.95**	**3.35**	**13.07**	**40.97**	**0.36**	**2.78**	**1.89**	**1.16**	**6.95**	**0.88**	**72.40**
प्रयोग अधिकार परिसंपत्ति का अंतरण (इंड एएस 116 को स्वीकार करने के कारण पुन वर्गीकरण–संदर्भ नोट सं.7)	-	(0.05)	(0.95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.00)
1 अप्रैल 2019 को	**-**	**(0.01)**	**-**	**3.35**	**13.07**	**40.97**	**0.36**	**2.78**	**1.89**	**1.16**	**6.95**	**0.88**	**71.40**
वर्ष के लिए मूल्यहृास प्रभार	-	-	-	0.19	2.29	8.32	0.18	1.09	0.64	0.33	0.50	0.41	13.95
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान /समायोजन	-	-	-	-	-	(6.05)	(0.02)	(0.15)	(0.03)	(0.03)	(5.28)	(0.19)	(11.75)
बिक्री के लिए धारित परिसंपत्ति का अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.02)	-	-	-	(0.02)
विनिमय (लाभ) /हानि	-	-	-	-	0.11	1.76	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.07	2.01
31 मार्च 2020 को	**-**	**(0.01)**	**-**	**3.54**	**15.47**	**45.00**	**0.53**	**3.73**	**2.50**	**1.48**	**2.18**	**1.17**	**75.59**
निवल बही मूल्य (iv)													
31 मार्च 2020 को	**42.69**	**36.90**	**-**	**2.82**	**46.20**	**131.14**	**1.42**	**2.61**	**2.03**	**2.40**	**0.68**	**1.75**	**270.64**
31 मार्च 2019 को	**42.69**	**1.05**	**4.25**	**3.01**	**27.59**	**36.43**	**1.48**	**3.24**	**2.15**	**2.26**	**1.36**	**2.68**	**128.19**

i) कंपनी द्वारा केन्द्रीय निरीक्षण सेल के निर्माण के लिए ग्रेटर नोएडा में भूमि सहित लीज होल्ड भूमि (सकल मूल्य 0.82 करोड़ रुपए)। भवन के निर्माण के लिए समय विस्तार हेतु उपयुक्त प्राधिकरण को अनुरोध कर दिया गया है।
ii) इसमें सेन मार्टिन मार्ग, दिल्ली, पाली हिल, मुंबई और मेट्रो रेलवे सेवा भवन, कोलकाता 30 वर्ष के पट्टे के लिए रेलवे भूमि (सकल मूल्य 5.30 करोड़ रु) शामिल है जिसके लिए करार को अंतिम रुप दिया जाना है।
iii) फर्नीचर और फिक्सचर में फर्निशिंग भी शामिल है।
iv) वित्तीय मुद्रा से प्रस्तुतीकरण मुद्रा में पीपीई अंतरण के कारण विदेशी विनिमय घटा/हानि सहित वहन मूल्य।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

4. पूंजीगत चालू कार्य

(रुपए करोड में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	**0.98**
जमा (परिणामी व्यय)	47.08
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-
31 मार्च 2019 को समापन शेष	**48.06**
जमा (परिणामी व्यय)	2.04
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	(49.44)
31 मार्च 2020 को समापन शेष	**0.66**
निवल बही मूल्य	
31 मार्च 2020 को	**0.66**
31 मार्च 2019 को	**48.06**

5. निवेश परिसंपत्ति

(रुपए करोड में)

विवरण	नोएडा			गुरूग्राम		बंगलुरू	कुल
	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	
1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	**260.35**	**63.23**	**-**	**2.23**	**30.01**	**3.04**	**358.86**
जमा (परिणामी व्यय)'	66.85	35.96	-	-	16.17	-	118.98
31 मार्च 2019 को अंतशेष	**327.20**	**99.19**	**-**	**2.23**	**46.18**	**3.04**	**477.84**
जमा (परिणामी व्यय)*	-	49.28	-	-	19.64	-	68.92
वर्ष के दौरान पूंजीगरण	-	(128.38)	128.38	-	-	-	-
परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में भूमि व भवन का अंतरण (संदर्भ नोट–3)	(36.89)	(19.52)	-				(56.41)
31 मार्च 2020 को अंतशेष	**290.31**	**0.57**	**128.38**	**2.23**	**65.82**	**3.04**	**490.35**
मूल्यह्रास और हानि							
1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.19**	**0.19**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	-	-	-	-	-	0.04	0.04
31 मार्च 2019 को अंतशेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.23**	**0.23**
जमा (परिणामी व्यय)*	-	-	1.06	-	-	0.04	1.10
31 मार्च 2020 को अंतशेष	**-**	**-**	**1.06**	**-**	**-**	**0.27**	**1.33**
निवल ब्लॉक							
31 मार्च 2020 को	**290.31**	**0.57**	**127.32**	**2.23**	**65.82**	**2.77**	**489.02**
31 मार्च 2019 को	**327.20**	**99.19**	**-**	**2.23**	**46.18**	**2.81**	**477.61**

निवेश संपत्ति की आय और व्यय संबंधी सूचना

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
निवेश परिसंपत्तियों से प्राप्त किराया आय	0.39	0.38
किराया आय से सृजित प्रत्यक्ष प्रचालनिक व्यय (मरम्मत और अनुरक्षण सहित)	-	-
प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय (मरम्मत और अनुरक्षण सहित) जिससे किराया आय सृजित नहीं होती	-	-
मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष व्ययों से पूर्व निवेश परिसंपत्तियों से प्राप्त लाभ	0.39	0.38
घटाः वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	(0.04)	(0.04)
अप्रत्यक्ष व्ययों से पूर्व निवेश परिसंपत्तियों से प्राप्त लाभ	0.35	0.34

उचित मूल्य पुनर्विनियोजन

(रुपए करोड़ में)

विवरण	नोएडा			गुरुग्राम		बंगलुरू	कुल
	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	
1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	**239.03**	**55.13**	**-**	**133.20**	**27.91**	**5.31**	**460.58**
उचित मूल्य अंतर	(0.99)	64.49	-	3.64	30.49	1.83	99.46
31 मार्च 2019 को अंतशेष	**238.04**	**119.62**	**-**	**136.84**	**58.40**	**7.14**	**560.04**
परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में भूमि व भवन का अंतरण (संदर्भ नोट–3)	(25.92)	(17.57)	-	-	-	-	(43.49)
1 अप्रैल 2019 को आरंभिक शेष	**212.12**	**102.05**	**-**	**136.84**	**58.40**	**7.14**	**516.55**
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	-	(102.05)	102.05				-
उचित मूल्य अंतर	16.35	0.57	25.97	(11.68)	7.79	(0.05)	38.95
31 मार्च 2020 को अंतशेष	**228.47**	**0.57**	**128.02**	**125.16**	**66.19**	**7.09**	**555.50**
वर्ष हेतु उचित मूल्य अंतर	16.35	0.57	25.97	(11.68)	7.79	(0.05)	38.95
नोटः–							
अधिग्रहीत निवेश परिसंपत्ति	228.47	0.57	128.02	125.16	66.19	7.09	555.50
स्व निर्मित निवेश परिसंपत्ति	**228.47**	**0.57**	**128.02**	**125.16**	**66.19**	**7.09**	**555.50**

(i) यह मूल्यांकन मान्यता प्राप्त स्वतंत्र मूल्य द्वारा निष्पादित किया गया है। उचित मूल्य लागत और आय/लागत/बाजार मूल्य परिदृश्य पर आधारित है।

(ii) उचित मूल्य मापन को उचित मूल्य क्रम के तीन स्तरों में श्रेणीबद्ध किया गया है।

(iii) नोएडा में निवेश सम्पत्ति चार स्थानों में है, जिसकी पट्टा अवधि 90 वर्ष है, गुरुग्राम और बंगलुरु में परिसंपत्ति केवल एक स्थल पर है जो फ्रीहोल्ड है।

(रुपए करोड़ में)

* संवर्धनों का ब्यौरा (अनुवती व्यय)	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	भूमि	प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	भूमि	प्रगतिरत पूंजीगत कार्य
प्रदत्त पट्टा किराया	-	-	66.85	-
– कार्य व्यय	-	47.09	-	41.57
– परामर्श प्रभार	-	0.67	-	0.22
– वेतन एवं पारिश्रमिक	-	1.56	-	1.44
– दरें एवं कर	-	2.14	-	6.24
– वाहन प्रचालन और अनुरक्षण	-	0.08	-	0.10
– ऊर्जा, बिजली और जल प्रभार	-	1.41	-	2.19
– विज्ञापन और प्रकाशन	-	0.09	-	0.10
– कार्मिक कल्याण	-	-	-	0.01
– बैंक प्रभार	-	0.02	-	0.01
– मरम्मत और अनुरक्षण–कार्यालय और अन्य	-	-	-	0.01
– दौरा और यात्रा	-	0.02	-	0.08
– विविध प्रचालन व्यय	-	15.84	-	0.16
कुल	**-**	**68.92**	**66.85**	**52.13**

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

6. अमूर्त परिसंपत्तियां

(रुपए करोड में)

विवरण	विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां (साफ्टवेयर)	अन्य अमूर्त संपत्तियां (साफ्टवेयर)
सकल ब्लॉक		
1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	**-**	**1.61**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	0.51
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	(0.03)
31 मार्च 2019 को अंतशेष	**-**	**2.09**
वर्ष के दौरान संवर्धन	9.79	0.03
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	(0.01)
31 मार्च 2020 को अंतशेष	**9.79**	**2.11**
परिशोधन और हानि		
1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	**-**	**0.78**
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	0.44
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	(0.03)
31 मार्च 2019 को अंतशेष	**-**	**1.19**
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	0.54
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	(0.02)
31 मार्च 2020 को अंतशेष	**-**	**1.71**
निवल बही मूल्य		
31 मार्च 2020 को	**9.79**	**0.40**
31 मार्च 2019 को	**-**	**0.90**

नोट :

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति के अंतर्गत एसएपी एस4/एचएएनए ईआरपी साफ़टवेयर अधिग्रहण हेतु पूंजीगत व्यय को दर्शाता है।

7. प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियां

(रुपए करोड में)

विवरण	भूमि (ii)	भवन (i)	वाहन	कुल
सकल ब्लॉक				
1 अप्रैल 2019 को आरंभिक शेष	-	-	-	-
इंड एएस 116 को स्वीकार करने के कारण पुन वर्गीकरण (संदर्भ नोट 3)	1.09	5.20	-	6.29
इंड एएस 116 को स्वीकार करने के कारण पारगमन प्रभाव	0.16	0.01	0.04	0.21
1 अप्रैल 2019 को शेष	**1.25**	**5.21**	**0.04**	**6.50**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-	-	-
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2020 को अंतशेष	**1.25**	**5.21**	**0.04**	**6.50**
मूल्यह्रास एवं हानि				
1 अप्रैल 2019 को आरंभिक शेष	-	-	-	-
इंड एएस 116 को स्वीकार करने के कारण पुन वर्गीकरण (संदर्भ नोट 3)	0.05	0.95	-	1.00
इंड एएस 116 को स्वीकार करने के कारण पारगमन प्रभाव	-	-	-	-
1 अप्रैल 2019 को शेष	**0.05**	**0.95**	**-**	**1.00**
वर्ष के दौरान मूल्यहास	0.02	0.29	0.02	0.33
हानि	-	-	-	-
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2020 को अंतशेष	**0.07**	**1.24**	**0.02**	**1.33**
निवल बही मूल्य				
31 मार्च 2020 को	**1.18**	**3.97**	**0.02**	**5.17**
31 मार्च 2019 को	**1.20**	**4.26**	**0.04**	**5.50**

i) इसमें सेन मार्टिन मार्ग, दिल्ली, पाली हिल, मुंबई और मेट्रो रेलवे सेवा भवन, कोलकाता 30 वर्ष के पट्टे के लिए रेलवे भूमि शामिल है जिसके लिए करार को अंतिम रुप दिया जाना है।

ii) कंपनी द्वारा केन्द्रीय निरीक्षण सेल के निर्माण के लिए ग्रेटर नोएडा में भूमि सहित लीज होल्ड भूमि (सकल मूल्य 0.82 कराड़ रुपए)। भवन के निर्माण के लिए समय विस्तार हेतु उपयुक्त प्राधिकरण को अनुरोध कर दिया गया है।

8. गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

8.1 गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां–निवेश

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
1 इक्विटी माध्यमों पर निवेश (पूर्णत प्रदत्त कोट न किए गए–लागत पर)		
क. सहायक कपनियां		
इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 6,50,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2019 : 6,50,00,000)	65.00	65.00
इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड – प्रत्येक 10 रुपए के 16,50,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2019 : 16,50,00,000)	165.00	165.00
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड – प्रत्येक 10 रुपए के 15,00,00,000 (31 मार्च 2019 : 15,00,00,000)	150.00	150.00
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड – 1,00,00,000 इक्विटी शेयर, प्रति 10 रुपए (31 मार्च 2019 : 60,00,000)	135.77	6.00
इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड – प्रत्येक 10 रुपए के 16,40,50,000 (31 मार्च 2019 : 10,40,50,000)	164.05	104.05
कुल (क) – सहायक कपनियों में निवेश	**679.82**	**490.05**
ख. निगमित संयुक्त उद्यम कंपनियां		
इरकॉन–सोमा टोलवे प्रा. लि. (आईएसटीपीएल) प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 6,38,70,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2019 : 6,38,70,000 (संदर्भ नोट (ii) क और ख)	64.15	64.15
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड 3,99,99,699 प्रत्येक 10 रुपए के इक्विटी शेयर (31 मार्च 2019 : 2,58,00,000) (संदर्भ नोट (iii)	40.00	25.80
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 7,63,37,300 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2019 :7,63,37,300)	76.34	76.34
झारखंड सेंट्रल रेलवे प्रत्येक 10 रुपए के 1,30,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2019 : 1,30,00,000) (संदर्भ नोट (ii) ख)	63.00	13.00
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 13,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2019 : 13,000)	0.01	0.01
छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 12,25,75,700 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2019 : 12,25,75,700)	122.58	122.58
छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 13,11,70,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2019: 13,11,70,000)	131.17	131.17
कुल (ख) – संयुक्त उपक्रमों में निवेश	**497.25**	**433.05**
2. बांडों में निवेश (कोट किए गए, परिशोधित लागत पर)		
8.00% इंडियन रेल फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 1,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 163,131 बांड (31 मार्च 2019 163,131 इकाइयां)	16.31	16.31
7.21% इंडियन रेल फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 10,00,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 500 बांड (31 मार्च 2019 : 500)	50.01	49.98
8.23% इंडियन रेल फाइनांस निगम लिमिटेड के 1,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 5,00,000 बांड (31 मार्च 2019: 5,00,000 इकाइयां)	50.00	50.00
8.35% इंडियन रेल फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 10,00,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 500 बांड (31 मार्च 2019 : 500 इकाइयां)	49.96	49.94
7.15% इंडियन रेल फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 10,00,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 250 बांड (31 मार्च 2019 : 250 इकाइयां)	24.99	24.99
7.07% इंडियन रेल फाइनांस कम्पनी लिमिटेड के 1,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 3,02,000 बांड (31 मार्च 2019 : 3,02,000 इकाइयां)	30.20	30.20
7.14% एनएचएआई के 1,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 1,99,989 बांड (31 मार्च 2019 : 1,99,989 इकाइयां)	20.00	20.00
7.02% एनएचएआई के 10,00,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 500 बांड (31 मार्च 2019 : 500 इकाइयां)	49.98	49.98
कुल 2–बांडों में निवेश (कोट किया गया)	**291.45**	**291.40**
कुल गैर–चालू निवेश (1+2)	**1,468.52**	**1,214.50**

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कोट किए गए निवेशों का सकल बही मूल्य	291.45	291.40
कोट किए गए निवेशों का सकल बाजार मूल्य	322.13	314.23
कोट न किए गए निवेशों का सकल बही मूल्य (1+2)	1,177.07	923.10
निवेशों के मूल्य में हानि की सकल राशि	-	-

(I) (क) निदेशक मंडल ने डब्ल्यूओएस, इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे में 10.00 करोड़ रूपए तक सीमित इक्विटी भागीदारी (प्रतिबद्ध) को अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल ने डब्ल्यूओएस, इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे में 125.77 करोड़ रूपए तक सीमित परिवर्ती प्रतिभूतियों (ब्याज मुक्त अग्रिम) को अनुमोदन प्रदान किया है।

(ख) निदेशक मंडल ने झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के पक्ष में 50 करोड़ रूपए के परिवर्ती प्रतिभूतियों (ब्याज मुक्त अग्रिम) को अनुमोदन प्रदान किया है।

(ii) (क) आई.एस.टी.पी.एल के संगम अनुच्छेद (अनुच्छेद–5) के अनुसार एन.एच.ए.आई के साथ दिनांक 28 सितंबर 2005 को हस्ताक्षरित करार, जिसमें निर्माण अवधि तथा उसके पश्चात् सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन तिथि) आई.एस.टी.पी.एल में कसोर्टियम सदस्यों द्वारा 51 प्रतिशत से अधिक इक्विटी हमारी होनी चाहिए, के अध्यधीन शेयरधारक तीन वर्ष के पश्चात् ही अपने शेयर हस्तांतरित कर पाएंगे और वाणिज्यिक प्रचालन 19.04.2010 को आरम्भ हुआ था। उपर्युक्त शेयर धारकों के प्रीएम्पशन अधिकार के अध्यधीन तत्पश्चात् उपर्युक्त शेयरधारिता को 26 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

(ख) इसमें आईएसटीपीएल द्वारा प्राप्त सावधि ऋण सुविधा की ओर से तथा के संबंध में पंजाब नेशनल बैंक को इरकॉन द्वारा जारी 0.28 करोड़ रुपए की वित्तीय गारंटी के उचित मूल्य शामिल है। 31.03.2020 को बकाया ऋण शून्य रुपए है (31.03.2019 को रूपए शून्य)।

(iii) निदेशक मंडल पहले से प्रतिबद्ध 40 करोड़ रुपए की राशि के आतरिक्त आईआरएसडीसी ने 24 करोड़ रुपए (प्रीमियम, यदि कोई हो सहित) के इक्विटी निवेश को अनुमोदित किया है। इसके आतरिक्त, राइट्स लिमिटेड को आईआरएसडीसी में तीसरा नीतिगत साझेदार/शेयरधारक के रुप में स्वीकार किया गया है और संशोधित शेयरधारिता पैटर्न के साथ आरएलडीए, इरकॉन व राइट्स के बीच 50:26:24 के अनुपात में संशोधित प्रमोटर करार में प्रवेश किया जाएगा।

8.2 गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां–ऋण

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क. वसूली योग्य : रक्षित		
स्टाफ ऋण व अग्रिम	0.12	0.22
ख. वसूली योग्य : अरक्षित		
(I) संबंधित पक्षों से ऋणः		
संयुक्त उद्यम		
– छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	39.00	39.00
सहायक कपनियां		
– इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटड	540.87	516.66
– इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	379.29	309.70
– इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेश्स वे लिमिटेड	181.00	-
– इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	269.22	130.00
(ii) अन्यः		
स्टाफ ऋण और अग्रिम*	0.18	0.23
कुल	**1,409.68**	**995.81**

*निदेशकों से दय राशि का ब्यौरा :

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
स्टाफ ऋण और अग्रिमों सहित निदेशकों से दय राशि	-	0.0020
कुल	**-**	**0.0020**

8.3 गैर–चालू परिसंपत्तिया – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
वसूली योग्य : अरक्षित				
प्रतिभूति जमा राशि				
– सरकारी विभाग		0.01		0.01
– अन्य		0.20		0.25
संविदा परिसंपत्ति :				
– ग्राहकों से प्रतिधारण राशि	112.13		103.84	
– ग्राहकों द्वारा रोकी गई राशि	3.47	115.60	3.47	107.31
12 महीनों से अधिक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा राशि (संदर्भ फुट नोट (i)		8.56		0.41
ठकेदारों से प्राप्त सावधि जमा राशियां (संदर्भ फुट नोट (ii)		7.09		8.89
स्टाफ को अग्रिम पर संचित ब्याजः		0.22		0.32
संबंधित पक्षों को ऋण पर संचित ब्याज		-		-
– मोजांबीक सरकार से वसूली योग्य		-		-
– अग्रिम पट्टा किराया		-		-
– आरएलडीए से वसूली योग्य (संदर्भ फुटनोट (iii)	-	1,870.56	-	2,590.45
कुल		**2,002.24**		**2,707.64**

निदेशकों से दय राशि का ब्यौरा :

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
स्टाफ ऋण और आग्रमों सहित निदेशकों से दय राशि	0.0004	0.0029
कुल	0.0004	0.0029

फुट नोट :

(i) 0.41 करोड रूपए (31 मार्च 2019 : 0.41 करोड़ रुपए) के लिए एफडीआर सहित।

(ii) संविदाकर्ताओं से प्राप्त सावधि जमा राशियां वसूलीयोग्य हैं, यदि संविदाकर्ता संविदा करार की निबंधन और शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है।

(iii) (क) कंपनी ने भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) से ऋण प्राप्त किया है (संदर्भ नोट 18.1) और पट्टा करार की शर्तों के अनुसार आगे जिसका भुगतान रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को किया गया है। आरएलडीए तथा कपनी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार ऋण से संबंधित मूल राशि तथा ब्याज की सभी किश्तें तथा किसी प्रकार की त्रुटि या आतरिक्त ब्याज, तथा अन्य लागतें, व्यय तथा प्रभार (या अन्यथा ऋण करार के अंतर्गत या अनुसरण में देय) का भुगतान आरएलडीए द्वारा कपनी को ऋण करार के अंतर्गत उनकी संबंधित देय तिथि से कम से कम पांच (5) दिन पूर्व ऐसे खाते में किया जाएगा जो कि आईआरएफसी द्वारा निर्धारित किया गया हो। रेल मंत्रालय से आरएलडीए को निधियों का समवर्ती संवितरण करने के लिए आरएलडीए और रेल मंत्रालय को वापसी सहमति से उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी।इस वसूलीयोग्य राशि की निबंधन और शर्तें वहीं होंगी जैसी कि उक्त ऋण के मामले में हैं। इसके आतरिक्त, समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, आरएलडीए ने बांद्रा ईस्ट पर परियोजना स्थल के पट्टाधारण अधिकारों सहित वहां वाणिज्यिक विकास कार्य करने के अधिकार कपनी को अंतरित कर दिए हैं। कंपनी परियोजना स्थल के वाणिज्यिक विकास कार्य को करने के प्रयोजन के लिए तथा कपनी द्वारा चिह्नित विकासकर्ताओं को परियोजना स्थल को आगे उप–ठेके पर देने (सभी संबद्ध विकास अधिकारों सहित) के प्रयोजनों से मुक्त, प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी बोली प्रकियाओं के माध्यम से उपयुक्त विकासकर्ता (विकासकर्ताओं) को नियुक्त करने के लिए पात्र है।

9 आस्थिगित कर परिसंपत्तियां (निवल)

(क) 31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु आयकर व्यय के प्रमुख घटक :

(रुपए करोड में)

क्र. सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष हेतु 31 मार्च 2020	को समाप्त वर्ष हेतु 31 मार्च 2019
1	**लाभ और हानि विवरण खंड**		
	चालू आयकर:		
	चालू आयकर प्रकार	158.43	215.13
	पिछले वर्ष के चालू कर संबंधी समायोजन	(26.58)	(50.89)
	आस्थगित कर:		
	अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रतिक्रम से संबंधित	50.94	6.26
	लाभ एवं हानि खंड विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय	**182.79**	**170.50**
2	**अन्य वृहत आय खंड**		
	वर्ष के दौरान ओसीआई में स्वीकृत मदों से संबंधित आयकर:		
	निर्धारित लाभ योजनाओं के पुनर्निर्धारण पर निवल हानि/(लाभ)	0.30	0.69
	विनिमय लाभ/हानि पर निवल हानि/(लाभ)	(1.30)	(4.87)
	ओसीआई खंड में रिपोर्टिड आयकर व्यय	(1.00)	(4.18)

(ख) 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2019 के लिए कर व्ययों का पुनर्विनियोजन तथा लेखांकन लाभ गुणा भारतीय घरेल कर दर:

(रुपए करोड में)

क्र. सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष हेतु 31 मार्च 2020	को समाप्त वर्ष हेतु 31 मार्च 2019
1	आयकर पूर्व लेखांकन लाभ	668.62	603.21
2	लेखांकन लाभ पर कर	168.28	210.79
3	कर समायोजन पर प्रभाव		
	(i) पिछले वर्ष के चालू आय कर संबंधी समायोजन	(26.58)	(50.89)
	(ii) पूर्ववर्ती अस्वीकृत कर घाटों का उपयोग	-	-
	(iii) कर अंतर का प्रभाव	40.46	-
	(iv) कर से छूटप्राप्त आय पर कर	(12.22)	(17.67)
	(v) कर प्रयोजनों हेतु गैर कटौतीयोग्य व्यय		
	– अन्य राष्ट्र अतिरिक्त कर	9.82	19.07
	– अन्य गैर कटौतीयोग्य व्यय	4.94	5.77
	(vi) विभिन्न अन्य पदों पर कर प्रभाव	(2.91)	(0.75)
		181.79	166.32
4	लाभ और हानि विवरण में रिपोर्टिंग आयकर व्यय	181.79	166.32
5	कर दर प्रभाव	27.19%	27.57%

(ग) तुलन पत्र और लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत आस्थगित कर परिसंपत्तियों और (देयताओं) के घटक

(रुपए करोड में)

क्र. सं.	विवरण	तुलनपत्र 31 मार्च 2020	तुलनपत्र 31 मार्च 2019	लाभ एवं हानि विवरण 31 मार्च 2020	लाभ एवं हानि विवरण 31 मार्च 2019
1	परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास तथा आयकर मूल्यह्रास में अंतर	(11.60)	(2.83)	8.77	5.14
2	प्रावधान	75.34	111.18	35.84	6.42
3	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु प्रावधान	29.94	36.27	6.33	(5.30)
	निवल आस्थिगित कर परिसंपत्तियां /(देयताएं)	**93.68**	**144.62**	**50.94**	**6.26**

(घ) तुलन पत्र में निम्नानुसार प्रदर्शित :

(रुपए करोड में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
1	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	105.28	147.45
2	आस्थगित कर देयताएं	(11.60)	(2.83)
	आस्थिगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	93.68	144.62

(ड) निवल आस्थिगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं) का समायोजन

31 मार्च 2020 को

(रुपए करोड में)

क्र. सं.	विवरण	1 अप्रैल 2019 को शेष/ निवल	लाभ हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च 2020 को शेष/ निवल
1	परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास तथा आयकर मूल्यह्रास में अंतर	(2.83)	(8.77)	-	(11.60)
2	प्रावधान	111.18	(35.84)	-	75.34
3	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु प्रावधान	36.27	(6.33)	-	29.94
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)	**144.62**	**(50.94)**	**-**	**93.68**

31 मार्च 2019 को

(रुपए करोड में)

क्र. सं.	विवरण	1 अप्रैल 2019 को शेष/ निवल	लाभ हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च 2020 को शेष/ निवल
1	परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास तथा आयकर मूल्यह्रास में अंतर	2.31	(5.14)	-	(2.83)
2	प्रावधान	117.60	(6.42)	-	111.18
3	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु प्रावधान	30.97	5.30	-	36.27
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)	**150.88**	**(6.26)**	**-**	**144.62**

10. अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वसूलीयोग्य : अरक्षित		
पूंजीगत अग्रिम से इतर अग्रिम		
सामग्री और मशीनरी के प्रति ठेकेदारों का आग्रम	113.87	154.74
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को आग्रम	0.07	0.07
कर विभागों में जमा राशि	0.17	0.20
पर संचित ब्याज :		
– ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को आग्रम	15.49	0.89
उचित मूल्य समायोजन	-	0.01
कुल	**129.60**	**155.91**

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

11. दरसूचियां

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कच्चा माल (लागत या एनआरपी पर मूल्यित, जो भी कम हो, या अन्यथा उल्लिखित हो)		
– हाथ में	30.94	23.58
– तीसरे पक्षों के पास	26.05	30.90
– पारगमन में	-	-
अन्य (स्क्रैप)	0.29	0.29
प्रगतिरत निर्माण कार्य/लागत पर मूल्यित	263.38	277.17
कुल	**320.66**	**331.94**

12. चालू परिसंपत्तियां – वित्तीय परिसंपत्तियां

12.1 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – निवेश

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश		
म्यूचुवल फंड में निवेश (कोट किए गए)		
एसबीआई प्रमियर लिक्विड फंड. दैनिक डिविडेंड योजनाः इकाइयों की संख्या शून्य : (31 मार्च 2019 : 6,93,682.97)	-	69.60
यूटीआई लिक्विड कैश प्लान .. दैनिक योजना – दैनिक लाभांश (पुनर्निवेश) : इकाइयों की संख्या : शून्य (31 मार्च 2019 : 2,95,575.202)	-	30.13
कुल (संदर्भ फुट नोट (I))	**-**	**99.73**
कोट किए गए निवेश का सकल बही मूल्य	-	99.73
कोट किए गए निवेश का सकल बाजार मूल्य	-	99.73
कोट न किए गए निवेश का सकल बही मूल्य	-	-
निवेश पर मूल्य हानि की सकल राशि	-	-

(I) बांद्रा (ईस्ट पर परियोजना स्थल के लिए 4.61 करोड़ रुपए 31 मार्च 2019 को)

12.2 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – व्यापार प्राप्य

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वसूली योग्य : अरक्षित*	559.34	505.14
संदिग्ध समझे गए : अरक्षित	27.18	27.28
घटाः संदिग्ध ऋणों हेतु हानि प्रावधान	(27.18)	(27.28)
कुल	**559.34**	**505.14**

अन्य संबंधित पक्षों से प्राप्य राशि 411.35 करोड़ रूपए सहित (31 मार्च 2019 को : 114.06 करोड़ रूपए) और प्रकटन नोट : 35 (ग) 4.1

12.3 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – रोकड़ और रोकड़ समतुल्य

(रुपए करोड में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
उपलब्ध रोकड़		0.07	0.04
उपलब्ध चैक/ड्राफ्ट	(i)	7.65	0.08
ट्रांजिट में पारगमन		-	4.50
बैंक में शेष :			
– चालू खातों में		182.19	135.80
– फलैक्सी खातों में	(ii)	87.33	201.06
– तीन महीनों से कमी की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि	(ii)	491.80	533.76
कुल		**769.04**	**875.24**

12.4 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य बैंक शेष

(रुपए करोड में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अन्य बैंक शेष			
ठेकेदारों से प्राप्त सावधि जमा राशियां	(ii)	1,731.84	2,038.94
		1,731.84	**2,038.94**

फुट नोट : नोट 12.3 व 12.4 हेतु

(i) 7.65 करोड रूपए के चैक/उपलब्ध ड्राफ़्ट (31 मार्च 2019 को शून्य रूपए), जिन्हें न्यायालय के आदेश द्वारा नकदीकृत किया जा सकता है।

(ii) ग्राहक निधि 1,825.89 करोड रूपए (31 मार्च 2019 को 2,256.30 करोड रूपए) जिस पर उन्हें ब्याज दिया जाएगा।

12.5 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क. वसूलीयोग्य : रक्षित		
स्टाफ ऋण व आग्रम	0.40	0.61
ख. वसूलीयोग्य : अरक्षित		
(i) संबंधित पक्षों से ऋणः		
संयुक्त उद्यम		
– इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेस्स वे लिमिटेड	-	-
– इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटड	23.28	44.93
– इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	37.93	28.15
(ii) अन्यः		
स्टाफ ऋण व अग्रिम*	1.19	1.25
कुल	**62.80**	**74.94**

*निदेशकों से दय राशि का ब्यौरा

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
स्टाफ ऋण और अग्रिमों सहित निदेशकों से दय राशि	0.0020	0.0048
कुल	**0.0020**	**0.0048**

12.6 चालू परिसंपत्तियां – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रुपए करोड में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
वसूली योग्य : रक्षित					
प्रतिभूति जमा राशि					
– सरकारी विभाग			17.46		29.75
– अन्य			133.20		127.63
बयाना जमा राशि			0.17		0.28
ठेकेदारों से प्राप्त सावधि जमा	(ii)		19.32		18.56
संचित ब्याज					
– स्टाफ को अग्रिम	(i)		0.51		0.60
– संबंधित पक्षों को ऋण			8.15		4.40
– रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को अग्रिम		-	212.85	-	274.42
– बैंकों में जमा राशि			32.14		47.20
– बांड			17.86		17.83
संविदा परिसंपत्ति :					
– बिलयोग्य राजस्व/प्राप्य किन्तु अदेय	(iii) (a) & (b)	212.12		219.41	
– प्रगतिरत निर्माण कार्य (वास्तविक मूल्य पर)	(iii) (b)	161.57		178.16	
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	(iv)	14.55		6.11	
– ग्राहकों द्वारा आहरित राशि	(iv)	191.19	579.43	69.95	473.63

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रुपए करोड में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटनः			
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लि. 301 इक्विटी शेयर–10 रुपए (31 मार्च 2019 : 1,42,00,000) (नोट सं 8.1)		-	14.20
अन्य वसूली योग्य			
(क) संबंधित वर्षों से (संयुक्त उपक्रम))			
– रीकॉन		-	1.02
– इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर		3.66	3.62
– मेट्रो टनलिंग ग्रुप		4.37	4.20
– इरकॉन सोमा टोलवे प्रा लि		0.02	7.05
– भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड		0.99	0.96
– इरकॉन – एफकॉन जे वी		29.43	29.47
– छत्तीसगढ पूर्व रेल लिमिटेड		0.60	0.24
– बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड		0.56	-
– महानदी कोयला रेल लिमिटेड		1.40	1.04
(ख) संबंधित पक्ष (सहायक कंपनियां)			
– इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड		0.57	0.89
– इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड		1.33	1.35
– इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड		0.32	2.21
– इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेस लिमिटेड		0.10	0.12
– देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड		0.02	0.05
(ग) मोजांबीक सरकार से वसूली योग्य		-	38.23
(घ) रेली भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) से वसूलीयोग्य		- 615.31	- 516.53
(ड़) ग्राहकों से वसूलीयोग्य दावे		18.72	15.39
(च) अग्रिम पट्टा किराया		0.19	0.22
(छ) अन्यें)		8.75	5.35
संदिग्ध समझे गए : अरक्षित			
प्रतिभूति जमा राशियां			
– सरकारी विभाग		0.12	0.12
– अन्य		0.26	0.19
बयाना जमा राशि		0.16	0.16
संविदा परिसंपत्ति			
– ग्राहकों के पास प्रतिधरण राशि		6.00	5.99
– ग्राहकों द्वारा रोकी गई राशि		5.68	5.74
इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटे से प्राप्य		0.05	-
रेल भूमि विकास प्राधिकरण से प्राप्य		5.81	-
घटा : संदिग्ध वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि व्यवस्था		(18.08)	(12.20)
कुल		**1,707.43**	**1,636.44**

फुट नोट :

(ii) किसी कपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य अधिकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कपनी को छोड़ कर, शून्य रुपए (शून्य रुपए) है।

निदेशकों से देय राशि का ब्यौरा :

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
स्टाफ ऋण और आग्रमों पर संचित ब्याज सहित निदेशकों से दय राशि पर ब्याज	0.0028	-
कुल		

(ii) ठेकेदारों से प्राप्त सावधि जमा राशियां वसूलीयोग्य हैं, यदि ठेकेदार संविदा करार की शर्तों एवं निबंधनाों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है।

iii) (क) इसमें ग्राहकों द्वारा प्रमाणित 32.78 करोड रूपए (16.93 करोड रूपए) के कार्य शामिल हैं, जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि को बिलयोग्य नहीं किया गया है। (ख) इसमें 189.65 करोड रूपए के संबंधित पक्षों से प्राप्य राशियां शामिल हैं (31 मार्च 2019 को 147.43 करोड रूपए) और इसे नोट 35 (ग) 4.2 (क) में प्रकट किया गया है।

(iv) इसमें 35.13 करोड रूपए के संबंधित पक्षों से प्राप्य राशियां शामिल हैं (31 मार्च 2019 को 0.81 करोड रूपए) और इसे नोट 35 (ग) 4.2 (ख) में प्रकट किया गया है।

13. चालू परिसंपत्तिया : चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
टीडीएस और अग्रिम कंर सहित प्रदत्त कर (कर हेतु प्रावधान का निवल)	7.02	31.97
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	7.02	31.97

14. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वसूलीयोग्यः अरक्षित		
पूंजी अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम		
सामग्री और मशीन के प्रति ठेकेदारों को अग्रिम	279.63	285.32
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यों को अग्रिम	680.39	531.87
निम्नलिखित से वसूलीयोग्य अग्रिम		
– बिक्री कर (टीडीएस सहित)	340.14	340.11
घटा : संरक्षणाधीन जमा राशि	(218.65)	(218.65)
– मूल्य संवर्धित कर	86.94	111.70
– वस्तु एवं सेवा कर	326.19	338.47
– सेवा कर इनपुट क्रेडिट	0.01	0.01
प्रतिभूति जमा	28.72	15.84
संचित ब्याज		
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य के पास जमाराशि	79.67	90.73
पूर्व प्रदत्त व्यय	2.60	4.24
उचित मूल्य समायोजन	0.01	0.15
संदिग्ध समझे गए : अरक्षित		
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यों को ऋण	16.93	16.94
बिक्री कर (टीडीएस सहित)	36.05	36.02
अन्य	-	-
मूल्य संवर्धित कर	7.18	7.18
घटाः संदिग्ध अग्रिमों के लिए हानि व्यवस्था	(60.16)	(60.14)
कुल	**1,605.65**	**1,499.79**

15. बिक्री के लिए धारित परिसंपत्ति

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
निपटान के लिए धारित परिसंपत्ति	0.93	2.07
कुल : बिक्री के लिए धारित परिसंपत्ति	**0.93**	**2.07**

(i) आर्थिक दृष्टि से मरम्मत के परे और/या निपटान के लिए धारित परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (वसूलीयोग्य मूल्य और बही मूल्य के निम्नतर पर) :–

(रुपए करोड में)

परिसंपत्तियों का ब्लॉक	परिसंपत्तियों का विवरण	निपटान की विधि एवं संभावित समय	गैर चालू परिसंपत्तियों पर संभावित (हानि)/लाभ	सेगमेंट	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
					सकल ब्लाक	निवल ब्लॉक	सकल ब्लाक	निवल ब्लॉक
संयंत्र और मशीनरी								
उत्तरी क्षेत्र	संयंत्र और मशीनरी (नोएडा वर्कशाप)	एमएसटीसी जैसे ई–ऑक्शन के माध्यम से निपटान का संभावित समय वर्ष 2021 के अंत तक	-	घरेलू : पीएमडी प्रभाग	0.78	0.05	0.78	0.05

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रुपए करोड में)

परिसंपत्तियों का ब्लॉक	परिसंपत्तियों का विवरण	निपटान की विधि एवं संभावित समय	गैर चालू परिसंपत्तियों पर संभावित (हानि)/लाभ	सेगमेंट	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
					सकल ब्लाक	निवल ब्लॉक	सकल ब्लाक	निवल ब्लॉक
उत्तरी क्षेत्र	संयंत्र और मशीनरी (डीएमआरसी सीई 6)	एमएसटीसी जैसे ई–ऑक्शन के माध्यम से निपटान का संभावित समया वर्ष 2021 के अंत तक	-	घरेलू	0.19	0.01	-	-
उत्तरी क्षेत्र	संयंत्र और मशीनरी (बीकानेर फलौदी)	एमएसटीसी जैसे ई–ऑक्शन के माध्यम से निपटान का संभावित समया वर्ष 2021 के अंत तक	-	घरेलू	-	-	3.38	0.19
मलेशिया क्षेत्र	इंजन 05 संख्या (15 संख्या)	खुली निविदा	4.40	अंतरराष्ट्रीय	0.16	0.16	0.87	0.87
	रेलपथ मशीन– शून्य (5 संख्या), होपर वैगन–10 (09), फ्लैट वेगर–शून्य (02 संख्या) चौड़े बेस वाला ट्रैक्टर–2 संख्या (शून्य)	सीमित निविदा	0.44	अंतरराष्ट्रीय	0.14	0.14	0.50	0.30
मोजांबीक परियोजना	संयंत्र और मशीनरी		-	अंतरराष्ट्रीय	5.90	0.29	5.90	0.29
वाहन								
मलेशिया क्षेत्र	सडक वाहन शून्य (2)	सीमित निविदा	-	अंतरराष्ट्रीय	-	-	0.12	0.03
कार्यालय उपकरण								
मलेशिया क्षेत्र	कार्यालय उपकरण : 28 (0), वातानुकूलन : 17 (0) और इलैक्ट्रिकल उपकरण : 68 (0)	सीमित निविदा	-	अंतरराष्ट्रीय	0.03	-	-	-
फर्नीचर और फिक्सचर								
मलेशिया क्षेत्र	79 फर्नीचर मदें	सीमित निविदा	-	अंतरराष्ट्रीय	0.01	-	-	-
फ्रीहोल्ड भूमि								
उत्तरी क्षेत्र	फ्रीहोल्ड भूमि (उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय)	ई.निविदा द्वारा	-	घरेलू	-	-	0.06	0.06
फ्रीहोल्ड भवन – आवासीय								
दक्षिणी क्षेत्र	फ्रीहोल भवन – आवासीय – चेन्नई	खुली निविदा	-	घरेलू	0.38	0.28	0.38	0.28
कुल					**7.59**	**0.93**	**11.99**	**2.07**

नोट : परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसे उसके वहन राशि और पुन वर्गीकरण पर बिक्री की लागत घटा उचित मूल्य पर मापा गया है। तदनुसार, 0.01 कराड रूपए (मार्च 2019 रु शून्य) के लिए हानि का प्रावधान किया गया है।

16. इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
40,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रुपए/ संदर्भ नोट–एफ		
(40,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येंक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त–31 मार्च 2018 को)	400.00	400.00
जारी/अंशदायी तथा प्रदत्त पूंजी		
9,40,51,574 इक्विटी शेयर प्रति 10 रुपए/ संदर्भ नोट–एफ		
(9,40,51,574 इक्विटी शेयर प्रत्येंक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त–31 मार्च 2019 को)	94.05	94.05
	94.05	94.05

(क) 5 प्रतिशत से अधिक के प्रदत्त इक्विटी शेयर कंपनी के शेयर धारकों का ब्यौरा

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019को	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारण प्रतिशत	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारण प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति तथा सरकारी नामितियों के नाम पर भारत सरकार को	838,78,417	89.18%	838,78,417	89.18%

(ख) रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के लिए बोनस के रुप में जारी इक्विटी शेयर, रोकड से इतर समझे जाने के लिए जारी शेयर और वापस लाए गए शेयरों का ब्यौरा :

	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
रोकड़ से इतर जारी इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-	-
बोनस शेयर के रूप में जारी इक्विटी शेयर	-	-	-	791,84,000	-	-
इक्विटी शेयर बाय बैक	-	-	49,28,426	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**49,28,426**	**791,84,000**	**-**	**-**

वर्ष 2017–18 निवेश एवं जन सम्पत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) ने इरकॉन को निदेश दिया है कि वे समग्र प्रदत्त इक्विटी के 5 प्रतिशत तक शेयरों के बायबैक करे। कुल 49,41,818 शेयरों को बायबैक करने का प्रस्ताव है, जो कि इन शेयरों की बुक वैल्यु पर होगा। निदेशक मंडल ने 21.09.2017 की अपनी 236वीं बैठक में प्रति 10 रुपए के अपने पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों के बायबैक को अनुमोदन प्रदान किया है, जो कि मौजूदा शेयरधाराकों से 49,41,818 शेयरों से अधिक नहीं होंगे। प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की समापन तिथि यथा 04.12.2017 को भारत सरकार द्वारा धारित 49,28,426 शेयरों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) शेयरों के साथ संलग्न शर्तें /अधिकार :

(i) वोटिंग

कंपनी में केवल 10 रुपए मूल्य के इक्विटी शेयर की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है।

(ii) दिवालियापन

कंपनी के दिवालियेपन की स्थिति में शेयरधारक सभी प्रेफरेंशियल राशियों के वितरण के पश्चात, कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इनका संवितरण शेयरधारकों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगी।

(iii) लाभांश

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के मद्देनजर है।

(घ) वर्ष के आरंभ और अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का समायोजन

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	शेयरों की संख्या	रुपए करोड़ में	शेयरों की संख्या	रुपए करोड़ में
वर्ष के आरंभ में जारी, अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	940,51,574	94.05	940,51,574	94.05
जमाः वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
घटाः वर्ष क दौरान बायबैक किए गए शेयर (नोट–ii) का संदर्भ लें)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में जारी, अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	940,51,574	94.05	940,51,574	94.05

(ड.) भारत सरकार द्वारा विनिवेश के निर्णय के परिणामस्वरुप, दिनांक 26 सितंबर 2018 को कपनी के 99,05,157 शेयरों को पब्लिक को आवंटित किया गया है और धारक कपनी के शेयर दिनांक 28 सितंबर 2018 को एनएसई तथा बीएसई में सूचीबद्ध हुए हैं। तथापि, यह आईपीओ भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों के विनिवेश के लिए था, इसलिए धारक कंपनी की शेयर पूंजी पर कोई असर नहीं पड़ा है। विनिवेश की प्रक्रिया से प्राप्त राशि भारत सरकार (जीओआई) को जाएगी।

(च) कंपनी के शेयरधारकों ने दिनांक 22 मार्च 2020 को पोस्टल बेलेट से निम्नलिखित को स्वीकृति प्रदान की है :

(i) एक इक्विटी शेयर के फेस मूल्य को विभाजित करके प्रति 10 रूपए के शेयर को प्रति दो रूपए के पांच इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया जिसे दिनांक 3 अप्रैल 2020 को स्टॉक एक्सचेंजों में प्रदर्शित किया गया था।

(ii) कंपनी के संगम अनुच्छेद में पूंजी खंड में संशोधन।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

17. अन्य इक्विटी

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
प्रतिधारित आमदनी	732.61	517.17
आरक्षित निधि	3,333.71	3,333.71
पूंजी रिडेम्पशन आरक्षित निधि	4.93	4.93
अन्य वृहत आय	(4.17)	(0.32)
कुल	**4,067.08**	**3,855.49**
i) **निम्नानुसार संचलन**		
क. प्रतिधारित आमदनी		
आरंभिक शेष	517.17	310.00
लाभ एवं हानि विवरण में अतिरेक का अंतरण	489.78	444.68
निगमित लाभांश कर सहित वर्ष के दौरान घोषित और प्रदत्त लाभांश	(122.74)	(117.24)
अंतरिम लाभांश और उस पर कर	(152.50)	(121.55)
निर्धारित लाभ योजना का पुनःमापन (कर का निवल)	0.90	1.28
प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि हेतु कर का भुगतान	-	-
शेयरों के बायबैक हेतु भुगतान	-	-
समापन शेष	**732.61**	**517.17**
(ख) सामान्य आरक्षित निधि		
आरंभिक शेष और अंतिम शेष	**3,333.71**	**3,333.71**
(ग) पूंजी रिडम्पशन आरक्षित निधि		
आरंभिक शेष और अंतिम शेष	**4.93**	**4.93**
(घ) अन्य वृहत आय की मदें		
आरंभिक शेष	(0.32)	8.75
वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अंतरण (कर का निवल)	(3.85)	(9.07)
अंतिम शेष	**(4.17)**	**(0.32)**
सकल योग (क+ख+ग+घ)	**4,067.08**	**3,855.49**

ii) **आरक्षित निधि की प्रकृति और प्रयोजन**

(क) प्रतिधारित आमदनियां

प्रतिधारित आमदनियां कंपनी के आवतरित लाभों को प्रस्तुत करती हैं।

(ख) सामान्य आरक्षित निधि

सामान्य आरक्षित निधि सांविधिक आरक्षित निधियों को प्रदर्शित करता है, यह निगमित नियमों के अनुसार है, जहां लाभ के एक भाग को सामान्य आरक्षित निधि में नियोजित किया जाता है। कपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, सामान्य आरक्षित निधि में किसी राशि को अंतरित करने का विशेषाधिकार कपनी का है।

(ग) पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि

कंपनी ने दिनांक 26 दिसंबर 2017 को शेयरों के बायबैक क पश्चात लाभों में से पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि का सृजन किया है।

(घ) अन्य वृहत आय की मदें

अन्य वृहत आय में विदेशी प्रचालनों पर अंतरित विनिमय अंतर के कारण शेष राशि का प्रदर्शित करता है।

iii) **लाभांश संवितरण और प्रस्तावित लाभांश**

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
घोषित/प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर नकद लाभांश :		
वित्तीय वर्ष 2018–19 को अंतिम लाभांश जिसे वर्ष 2019–20 में भुगतान किया गया 10.825 प्रति शेयर (वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदत्त 10.34 प्रति शयर)	101.81	97.25
अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	20.93	19.99
2019–20 के दौरान अंतरिम लाभांश : 13.45 रुपए प्रति शेयर (वित्तीय वर्ष 2018–19: 10.72 रुपए प्रति शेयर)	126.50	100.82
अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	26.00	20.73
कुल	**275.24**	**238.79**

iv) रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात घटित घटना :

निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत अंतिम लाभांश, आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के मद्देनजर हैं

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
31 मार्च 2020 हेतु लाभांशः 2.06 रुपए प्रति शेयर जो 2 रूपए के प्रति शेयर की फेस मूल्य पर है) (31 मार्च 2019 का लाभांशः 10.825 रुपए प्रति शेयर जो प्रति 10 रूपए के शेयर मूल्य पर है)	96.87	101.81
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	-	20.93
कुल	**96.87**	**122.74**

18. गैर चालू देयताएं – वित्तीय देयताएं

18.1 गैर चालू वित्तीय देयताएं – कर्ज

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अरक्षित		
भारतीय रेलवे वित्त निगम से ऋण (नीचे नोट का संदर्भ लें)	1,845.92	2,560.00
कुल	**1,845.92**	**2,560.00**

नोटः अरक्षित ऋण की निबंधन और शर्तें

(क) कंपनी ने भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) से ऋण प्राप्त किया है, जो कि पट्टा करार की शर्तों के अनुसार रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को भुगतान किया गया है। आरएलडीए और कपनी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, मूल राशि और ब्याज की सभी किश्तों और किसी प्रकार की चूक या आतरिक्त ब्याज, तथा अन्य लागतें, व्यय और ऋण से संबंधित प्रभारों (या ऋण करार के अनुसरण में अन्यथा देय) का भुगतान कपनी को आरएलीडीए द्वारा किया जाएगा। ऋण की मूल राशि का पुनर्भुगतान 15 सितंबर 2019 को आरंभ होगा जिसे पांच किश्तों में दिया जाएगा (नोट सं. 8.3 (फुट नोट–पपप) ।

(ख) **ब्याज दर :** (i) कपनी प्रतिवर्ष 8.77 प्रतिशत की दर पर समय समय पर ऋण अग्रिम और बकाया की मूल राशि पर ब्याज का भुगतान करेगी (लागू ब्याज दर) (विशिष्ट रुप से ब्याज कर, सेवाकर तथा/या ऐसा कोई अन्य कर/उपकर/ड्यूटी)। लागू ऐसे कर/उपकर/ड्यूटी, यदि कोई हो, ऊपर विनिर्दिष्ट दरों के आतरिक्त ऋणधारक द्वारा ऋणदाता को देय होगा (उसी रुप व समय में जैसा कि मूल तथा ब्याज के लिए है)।

(ii) लागू कर दर दीर्घकालीन मुद्रा के लिए निर्धारित की जागी।

(ग) **समझौता ज्ञापन का समाप्त होना :** कतिपय निर्धारित घटनाओं के होने पर, समझौता ज्ञापन समाप्त हो जाएगा, तत्पश्चात इरकॉन को ऐसी निकाय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जैसा कि आईआरएफसी, इरकॉन, आरएलडीए तथा रेल मंत्रालय के बीच सहमति हो। रेल मंत्रालय इस करार के समाप्त होने पर ऋण करार के अंतर्गत सम्पूर्ण बकाया राशि का पूर्व भुगतान के लिए पात्र होगा।

18.2 गैर चालू वित्तीय देयताएं – व्यापार प्राप्य

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
(क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (संदर्भ नोट 45)	-	-
(ख) अन्य सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम से इतर		
(i) संविदा और आपूर्तिकर्ता	-	-
कुल	-	-

नोटः

(क) कंपनी अधिनियम 2013/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) में अपेक्षित प्रकटन को नोट 44 में उपलब्ध कराया गया है।

(ख) निबंधन और शर्तें तथा संबंधित पक्षों के साथ अन्य शेषों का प्रकटन नोट 35 में किया गया है।

18.3 गैर चालू देयताएं – अन्य वित्तीय देयताएं

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
जमा राशि व प्रतिधारण राशि	386.87	309.56
ग्राहकों को देय राशि	0.24	0.18
ग्राहकों से आग्रम पर देय ब्याज	-	31.26
पट्टा देयताएं	0.14	-
कुल	**387.25**	**341.00**

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

19. प्रावधान

(रुपए करोड में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	19.1	108.93	103.94
अन्य प्रावधान	19.2	193.80	218.41
कुल		**302.73**	**322.35**
चालू		224.07	242.58
गैर चालू		78.66	79.77

19.1 कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान :

(क) अवकाश नकदीकरण, निपटान भत्ते, सेवानिवृत्तिपूर्व लाभ, निष्पादन संबंधी वेतन एवं अवकाश यात्रा रियायत के प्रयोजन हेतु प्रावधान किए गए हैं।

(ख) इंड एएस–10 'कर्मचारी लाभों' के अनुसार प्रकटन हेतु नोट 36में प्रावधान किए गए हैं।

(ग) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान के वहन मूल्य में संचल के लिए प्रावधान निम्नानुसार हैं :

(रुपए करोड में)

विवरण	अवकाश वेतन*	सेवानिवृत्ति पर निपटान व्यवस्था	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	निष्पादन संबंधी वेतन	अवकाश यात्रा रियायत	कुल
31 मार्च 2019 को	**62.23**	**1.28**	**9.27**	**31.00**	**0.16**	**103.94**
चालू	6.91	0.14	9.27	31.00	0.02	47.34
गैर चालू	55.32	1.14	-	-	0.14	56.60
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	13.95	0.16	5.67	27.42	-	47.20
घटाः वर्ष के दौरान उपयोग	(8.01)	(0.16)	(4.49)	(29.64)	(0.02)	(42.32)
घटाः वर्ष के दौरान बट्टा खाता	-	-	-	-	(0.02)	(0.02)
(विनिमय लाभ)/हानि	0.13	-	-	-	-	0.13
31 मार्च 2020 को	**68.30**	**1.28**	**10.45**	**28.78**	**0.12**	**108.93**
चालू	8.51	0.18	10.45	28.78	0.01	47.93
गैर चालू	59.79	1.10	-	-	0.11	61.00

* विदेशी परियोजनाओं पर तैनात कर्मचारियों के लिए 0.08 करोड रूपए शामिल हैं, जिसमें अवकाश वेतन प्रावधान वास्तविक आधार पर किया गया है।

19.2 अन्य प्रावधान :

प्रावधानों और संचलनों की प्रकृति के संबंध में इंड एएस 37 के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है:

(क) डिमोबिलाइजेशन प्रावधान

कंपनी ने विदेशी परियोजनाओं के संबंध में श्रमशक्ति और संयंत्र एवं उपकरण के डिमोबिलाइजेशन के प्रति व्ययों के पूरा करने के लिए डिमोबिलाइजेशन प्रावधान किए हैं।

(ख) अनुरक्षण प्रावधान

लागत जमा संविदा में, अनुरक्षण के लिए प्रावधान किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है जहां लागम प्रतिपूर्ति योग्य है।

मद दर तथा एकमुश्त टर्नकी संविदाओं में संविदागत दायित्वों, उपठेकेदार के दायित्वों, प्रचालनिक टर्नओवर और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए चूक दायित्व अवधि के दौरान कंपनी के दायित्व को कवर किया जाता है।

(ग) विधिक मामले

विधि मामलों के लिए प्रावधान दायित्व को प्रस्तुत करते हैं, जिनकी न्यायलयों, मध्यस्थता और अपील संबंधी मामलों के संबंध में सफल होने की संभावना होती है।

(घ) अन्य व्यय के लिए प्रावधान

अन्य व्यय हेतु प्रावधान अप्रत्यक्ष करों और अन्यों के संबंध में संभावित कर देयताओं को प्रदर्शित करते हैं।

विवरण	डीमोबिलाइजेशन	अनुरक्षण	विधिक मामले	अन्य व्यय	कुल
31 मार्च 2019 को	**13.40**	**49.95**	**68.31**	**86.75**	**218.41**
चालू	12.38	27.80	68.31	86.75	195.24
गैर चालू	1.02	22.15	-	-	23.17
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.15	4.87	5.35	8.96	19.33
घटाः वर्ष के दौरान उपयोग	(0.08)	(14.82)	(23.14)	(1.03)	(39.07)
घटाः वर्ष के दौरान बट्टा खाता	(0.44)	(0.03)	(5.34)	(3.06)	(8.87)
(विनिमय लाभ)/हानि	0.96	1.26	-	0.51	2.73
बट्टा खाता	0.02	1.25	-	-	1.27
31 मार्च 2020 को	**14.01**	**42.48**	**45.18**	**92.13**	**193.80**
चालू	12.76	26.07	45.18	92.13	176.14
गैर चालू	1.25	16.41	-	-	17.66

20. अन्य गैर चालू देयताएं

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क) संविदागत देयताएं		
ग्राहकों से आग्रम	267.88	678.58
ख) अन्य		
अन्य	-	-
कुल	**267.88**	**678.58**

नोट : निबंधन और शर्तें तथा संबंधित पक्षों के अन्य शेषों को नोट 35 में प्रकट किया गया है।

21. चालू देयताएं – वित्तीय देयताएं

21.1 चालू वित्तीय देयताएं – व्यापार देय राशियां

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
(क) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम	4.28	17.04
(ख) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम से इतर		
(i) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता	571.67	529.98
(ii) संबंधित पक्ष	0.90	1.58
कुल	**576.85**	**548.60**

नोटः

क) कंपनी अधिनियम, 2013 / सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिरियम, 2006 (एमएसएमईडी) के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन नोट 44 में किया गया है।

ख) निबंधन और शर्तें तथा संबंधित पक्षों के अन्य शेषों को नोट 35 में प्रकट किया गया है।

21.2 चालू देयताएं – अन्य वित्तीय देयताएं

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
दीर्घकालीन ऋण की वर्तमान परिपक्वताः	615.31	516.53
भारतीय रेल वित्त निगम से ऋण	210.00	272.77
भारतीय रेल वित्त निगम से ऋण पर संचित ब्याज	3.32	4.01
देय उपदान	964.13	737.85
जमाराशि, प्रतिधारण राशि और रोकी गई राशि	671.46	474.02
ग्राहकों को देय राशि	251.28	204.89
ग्राहकों से अग्रिम पर देय ब्याज	226.20	84.12
अन्य देय (कर्मचारी देय राशियों सहित)	0.03	-
पट्टा देयता	**2,941.73**	**2,294.19**

22. वित्तीय चालू देयताएं

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क) संविदागत देयता		
ग्राहकों से अग्रिम	1,927.63	2,058.02
– घटाः संरक्षणाधीन जमा राशियां	(218.65)	(218.65)
अग्रिम संविदा प्राप्तियां	263.78	229.41
ख) अन्य अग्रिम		
अन्यों से अग्रिम	-	1.33
ग) अन्य		
सांविधिक देय राशियां :	155.83	196.47
कुल	**2,128.59**	**2,266.58**

नोट : क) सांविधिक देयों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), टीडीएस, भविष्य निधि और अन्य सांविधिक देय राशियों के लिए देयताएं शामिल हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

23. चालू कर देयताएं (निवल)

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कर हेतु प्रावधान (अग्रिम कर का निवल) (संदर्भ नोट सं.47 (क))	32.03	8.60
कुल	**32.03**	**8.60**

24. प्रचालन से राजस्व

(रुपए करोड़ में)

	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
संविदा राजस्व	5,170.94	4,368.74
एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में कंपनी काभाग (गैरनिगमित)	0.39	6.86
मशीनरी किराया प्रभार	16.66	11.41
अन्य प्रचालनिक राजस्व	14.46	28.09
कुल	**5,202.45**	**4,415.10**

25. अन्य आय

(रुपए करोड़ में)

	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	
ब्याज आयः				
कर मुक्त बांड पर ब्याज		22.10		22.07
आयकर वापसी पर ब्याज		-		34.81
स्टॉफ अग्रिम पर ब्याज		0.10		0.14
संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याज *		100.17		85.10
अन्य अग्रिम पर ब्याज	26.33		11.40	
घटा : ग्राहकों को अंतरित अन्य ब्याज	(9.35)	16.98	(1.22)	10.18
वित्तीय माध्यमों को पृथक करने पर ब्याज आय		0.14		0.39
सकल बैंक ब्याज	163.74		190.98	
घटा : ग्राहकों को अंतरित ब्याज	(110.78)	52.96	(128.11)	62.87
अन्य :				
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		29.00		15.59
म्युचुवल फंड की बिक्री से लाभ		0.96		-
विविध आय		12.86		23.65
लाभांश आय	6.15		14.68	
घटा : ग्राहकों को अंतरित लाभांश	(2.15)	4.00	(5.04)	9.64
कुल		**239.27**		**264.44**

*संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याजः

संबंधित पक्षों का विवरण	2019–20	2018–19
– इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड	-	-
– छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	-	-
– छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	3.61	4.88
– इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड	52.81	52.60
– इरकॉन देवांगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	17.51	2.40
– इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	6.30	-
– इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	19.94	25.22
	100.17	**85.10**

26. (i) प्रयुक्त सामग्री और भंडारण

(रुपए करोड में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
आरंभिक शेष		54.77		32.24	
जमाः वर्ष के दौरान खरीद	(i)	352.22		413.22	
		406.99		445.46	
घटाः अंतिम शेष		(57.28)	349.71	(54.77)	390.69
कुल			**349.71**		**390.69**

(i) (1.70 करोड रुपए) (दिनांक 31 मार्च 2019 : 0.80 करोड़ रुपए) के इंड एएस विनिमय लाभ/हानि सहित

26. (ii) प्रगतिरत कार्य में (वृद्धि)/कमी

(रुपए करोड में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
आरंभिक शेष		277.17		108.31	
जमाः विनिमय लाभ/(हानि) हेतु वर्ष के दौरान समायोजन		2.10		(0.51)	
		279.27		107.80	
घटाः अंतिम शेष		(263.38)	15.89	(277.17)	(169.37)
कुल			**15.89**		**(169.37)**

26. (iii) परियोजना और अन्य व्यय

(रुपए करोड में)

विवरण	फुट नोट	परियोजना व्यय		अन्य व्यय	
		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
कार्यगत व्यय	(i)	3,942.13	3,401.52	-	-
अभिकल्प, आरेखण व्यवसाय विकास व परामर्श प्रभार		3.62	9.21	-	-
निरीक्षण, भू–तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि		16.77	12.95	-	-
मशीनरी की मरम्मत तथा अनुरक्षण		4.77	6.28	-	-
मशीनरी का किराया प्रभार		9.04	7.63	-	-
विनिमय उच्चावचन हानि		-	-	17.75	24.85
घटा : विनिमय उच्चावचन लाभ		-	-	17.54	22.37
निवल विनिमय उच्चावचन हानि		-	-	0.21	2.48
किराया– गैर आवासीय {संदर्भ नोट–42 (क)}		5.44	5.78	1.36	1.57
दर एवं कर		32.13	32.00	0.98	0.45
वाहन प्रचालन व अनुरक्षण		12.84	15.75	1.47	1.48
मरम्मत और रखरखाव					
- भवन		0.04	0.13	0.91	0.79
- कार्यालय तथा अन्य		3.22	4.13	5.03	4.87
बिजली, विद्युत व जल प्रसार		2.65	2.75	1.76	1.59
बीमा		3.92	4.70	0.45	0.25
यात्रा और वाहन		12.12	13.86	2.00	2.16
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		1.11	1.33	0.80	0.78
डाक टिकट, टेलीफोन, टेलेक्स		1.44	1.53	0.52	0.62
विधिक और व्यावसायिक प्रसार		20.62	19.05	5.82	7.42
सुरक्षा सेवाएं		1.61	2.76	0.68	0.62
सूचीकरण व्यय (नोट सं 16 का संदर्भ)		-	-	0.23	4.19
व्यवसाय संर्वधन		0.19	0.21	0.97	0.62
बट्टा खाताः					
- ऋण		-	0.27	-	-
- आग्रम		-	0.37	-	-
- अन्य परिसंपत्तियां		0.04	0.30	-	-
परिसंपत्ति/ भंडार की बिक्री से हानि		-	-	0.55	1.16
निदेशकों की फीस		-	-	0.21	0.14
चंदा		-	-	0.02	0.03

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	परियोजना व्यय		अन्य व्यय	
		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षकों की फीस	(ii)	-	-	0.70	0.80
विज्ञापन और प्रसार		-	-	4.03	5.57
प्रशिक्षण और भर्ती		-	-	1.22	1.50
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (नोट–45 का संदर्भ लें)		-	-	10.04	8.75
विविध व्यय		5.96	5.92	1.92	1.61
एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में कंपनी के व्यय का आनुपातिक भाग(गैरनिगमित)		0.22	3.47	-	-
प्रावधान जमा–बट्टा खाता (नोट–19 का संदर्भ लें)		16.27	(9.21)	-	-
उपयोग किया गया प्रावधान (नोट–19 का संदर्भ लें)		(39.09)	(27.07)	-	-
कुल		**4,057.06**	**3,515.62**	**41.88**	**49.45**

(i) वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान एजेंसी कमीशन के पट्टेखाते / रिवर्सल सहित, जो 84.13 करोड रूपए की राशि हेतु विदेशी परियोजनाओं को देय है।

(ii) **सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदायगी**

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) लेखापरीक्षा फीस – चालू वर्ष	0.30	0.39
(ख) कर लेखापरीक्षा फीस–चालू वर्ष	0.09	0.12
(ग) तिमाही सीमित समीक्षा हेतु शुल्क	0.17	0.10
(घ) प्रमाणन शुल्क	0.07	0.05
(ड.) यात्रा और तुरन्त देय व्यय		
– यात्रा व्यय	0.02	0.05
– आउट ऑफ पॉकेट व्यय	0.05	0.09
कुल	0.70	0.80

27. कर्मचारी पारिश्रमिक व लाभ

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु		
		परियोजना व्यय	अन्य व्यय	कुल	परियोजना व्यय	अन्य व्यय	कुल
वेतन, पारिश्रमिक तथा बोनस	(i)	145.28	69.30	214.58	152.78	55.15	207.93
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		8.46	3.90	12.36	8.34	3.62	11.96
विदेशी सेवा अंशदान		0.97	0.92	1.89	1.70	0.23	1.93
सेवानिवृत्ति लाभ		17.29	13.58	30.87	16.37	10.84	27.21
कर्मचारी कल्याण		1.30	0.37	1.67	1.37	0.30	1.67
कुल		**173.30**	**88.07**	**261.37**	**180.56**	**70.14**	**250.70**

फुट नोट : (i) **0.51 करोड़ रुपए** के गैर मौद्रिक परिलब्धियों पर आयकर शामिल हैं (31 मार्च 2019 को : 0.56 करोड़ रुपए)।

28. वित्तीय लागत

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
ब्याज व्यय	(i)	238.75		282.79	
घटाः रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को अग्रिम पर ब्याज		(220.35)	18.40	(278.36)	4.43
अन्य ऋण लागत					
– बैंक गारंटी तथा अन्य प्रभार			7.50		8.66
वित्तीय माध्यमों को पृथक करने पर ब्याज			-		0.01
वित्तीय माध्यमों का परिशोधन			0.14		0.39
प्रावधानों पर छूटों का अप्रयोग			1.27		2.08
कुल			**27.31**		**15.57**

फुट नोट : (i) **6.66 करोड़ रुपए** के आयकर पर ब्याज शामिल हैं (31 मार्च 2019 को : 1.51 करोड़ रुपए)।

29. मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास	13.95	11.22
प्रयोग अधिकार – पट्टा परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	0.33	-
अमूर्त परिसंपत्तियां का परिशोधन	0.54	0.44
निवेश परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	1.10	0.04
परिसंपत्तियों की हानि	0.01	-
कुल	**15.93**	**11.70**

30. अन्य वृहत आय (ओसीई) के घटक

इक्विटी में आरक्षित निधि के प्रत्येक प्रकार द्वारा ओसीआई में परिवर्तन से असहमति को निम्नानुसार दर्शाया गया है।

(रुपए करोड में)

विवरण	परिभाषित लाभ योजनाओं का लाभ/(हानि) का पुनःमापन	
	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
परिभाषित लाभ योजनाओं का लाभ/(हानि) का पुनःमापन	1.20	1.97
उन मदों के संबंध मे आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवगीकृत नहीं किया गया है।	(0.30)	(0.69)
कुल	**0.90**	**1.28**

(रुपए करोड में)

विवरण	विदेशी विनिमय अंतरण	
	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
विदेशी विनिमय अंतरण अंतर	(5.15)	(13.94)
उन मदों के संबंध मे आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवगीकृत किया गया	1.30	4.87
कुल	**(3.85)**	**(9.07)**
सकल योग	**(2.95)**	**(7.79)**

31. क. उचित मूल्य मापन

(i) वित्तीय माध्यम द्वारा श्रेणीवार वगीकरण

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं को इन वित्तीय विवरण में उचित मूल्य पर मापा जाता है और इन्हें उचित मूल्य क्रम में तीन स्तरों पर समूहित किया जाता है। इन तीन स्तरों को मापन के महत्वपूर्ण इनपुट के अवलोकन योग्यता के आधार पर परिभाषित किया जाता है, जो निम्नानुसार हैः

स्तर 1 समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रीय बाजार में कोट किए गए मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 स्तर–1 के भीतर (शामिल किए गए, कोट किए गए) मूल्यों के आतरिक्त इनपुट, जिनका परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकन किया गया है, चाहे प्रत्यक्ष (यथा मूल्यों के अनुसार) या अप्रत्यक्ष रुप से (यथा मूल्यों से निर्धारित)।

स्तर 3 परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए गैर अवलोकनीय इनपुट

क) 31 मार्च 2020 को श्रेणीयों द्वारा वित्तीय माध्यमों का वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार है* :

(रुपए करोड में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)				
म्युचुवल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश				
कर मुक्त बांड़ में निवेश	291.45	-	-	291.45
(ii) ऋण	1,472.48	-	-	1,472.48
(iii) अन्य – वित्तीय परिसंपत्तियां	3,709.67	-	-	3,709.67
कुल	**5,473.60**	**-**	**-**	**5,473.60**

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रुपए करोड में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) उधार	1,845.92	-	-	1,845.92
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	3,328.98	-	-	3,328.98
कुल	**5,174.90**	**-**	**-**	**5,174.90**

ख) दिनांक 31 मार्च 2019 को श्रेणियों द्वारा वित्तीय माध्यमों का वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार है*:

(रुपए करोड में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)				
म्युचुवल फंड में निवेश	99.73	99.73	-	-
कुल	**99.73**	**99.73**	**-**	**-**
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश				
कर मुक्त बांड़ में निवेश	291.40	-	-	291.40
(ii) ऋण	1,070.75	-	-	1,070.75
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4,344.08	-	-	4,344.08
कुल	**5,706.23**	**-**	**-**	**5,706.23**

(रुपए करोड में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित मूल्य पर वित्तीय देयताएं				
(i) उधार	2,560.00	-	-	2,560.00
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	2,635.19	-	-	2,635.19
कुल	**5,195.19**	**-**	**-**	**5,195.19**

प्रबंधन मूल्यांकन करता है कि रोकड और रोकड समतुल्य, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य चालू वित्तीय देयताएं इन माध्यमों की अल्पकालीन परिपक्वताओं के कारण अपने वहन मूल्यों के समीप बनी रहीं।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य को उस मूल्य पर शामिल किया गया है जिस पर माध्यम को इच्छुक पक्षों के बीच चालू संव्यवहार में विनिमय किया जा सकता है। उचित मूल्यों को अनुमान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित विधियों और अनुमानों का प्रयोग किया गया था।

(i) म्युचवल फंड इकाइयों में निवेशों का उचित मूल्य निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर आधारित है जैसा कि तुलनपत्र तिथि को प्रकाशित विवरणों में इन म्युचवल फंड इकाइयों के जारीकर्ताओं द्वारा उल्लेख किया गया है। एनएवी उस मूल्य को दर्शाता है जिस पर जारीकर्ता म्युचवल फंड की भावी इकाइयों को जारी करेगा और मूल्य जिसपर निवेशकों से ऐसी इकाइयों को जारीकर्ता रिडीम करेगा।

(ii) सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों मे निवेश को इक्विटी निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिन्हें एतिहासिक लागत पर लेखांकित किया जाता है। चूंकि इनका कार्यक्षेत्र निरीक्षण के प्रयोजन हेतु इंड एएस 109 से बाहर है, इसलिए इन्हें उपर्युक्त तालिका में प्रकट नहीं किया गया है।

*वित्तीय वर्ष 2019–20 तथा 2018–19 के दौरान, स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर 3 उचित मूल्य मापनों के बीच कोई अंतरण नहीं था।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयता व्यापार और अन्य देय राशियां हैं। कपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में शामिल हैं संबंधित पक्षों को ऋण, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, तथा रोकड़ और अल्पकालीन जमा राशियों जो प्रत्यक्ष रुप से इसके प्रचालनों से प्राप्त हुई हैं। कम्पनी म्युचुवल फंड और कर मुक्त बांड़ों में भी निवेश करती है। कंपनी की गतिविधियों के कारण उसे कुछ वित्तीय जोखिम, बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम भी हो सकते हैं।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण वित्तीय माध्यमों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार चढाव का जोखिम है। बाजार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोखिम ब्याज दर शामिल है। बाजार जोखिमों से प्रभावित होने वाले वित्तीय माध्यम हैं व्यापार प्राप्य, बाजार देय तथा अन्य गैर–डैरिवेटिव वित्तीय माध्यम।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचालन करतीं है और उसे व्यापक विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा रहता है (चूंकि विदेशी मुद्रा में प्राप्तियां और भुगतान सामान्यत समान होते हैं) जो अमरीकी डॉलर, यूरो, येन, बीडीटी, डीजेडडी, एलकेआर, एमजेडएन, बीटीएन, जेडएआर, एनपीआर तथा एमवाईआर में विदेशी मुद्रा संव्यवहार होते हैं। कपनी को महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जोखिमों का स्वत: बचाव हो जाता है। दिनांक 31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 को संबंधित विदेशी मुद्रा में प्रत्येक 5 प्रतिशत की वृद्धि या कमी हमारे कर पूर लाभ पर क्रमश: 16.27 करोड़ रुपए तथा 1.41 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ता है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति समूह का महत्वपूर्ण जोखिम निम्नानुसार है:

31 मार्च 2020 को (रुपए करोड में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	डीजेडडी	बीडीटी	एलकेआर	एमवाईआर	जेडएआर	जेपीवाई	कुल
परिसंपत्तियां									
व्यापार प्राप्य	27.34	0.32	21.37	-	-	1.68	-	-	**50.71**
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य रोकड़	44.23	60.42	74.19	-	13.30	24.64	15.70	-	**232.48**
ठेकेदारों का अग्रिम	1.51	-	0.70	24.42	-	-	-	-	**26.63**
अन्य परिसंपत्तियां	109.21	-	71.24	112.63	0.93	0.61	15.81	-	**310.43**
कुल	**182.29**	**60.74**	**167.50**	**137.05**	**14.23**	**26.93**	**31.51**	**-**	**620.25**
देयताएं									
व्यापार प्राप्य	43.84	8.43	35.47	7.94	9.45	0.99	-	-	**106.12**
ग्राहकों का अग्रिम	78.48	-	-	-	-	0.26	-	-	**78.74**
अन्य परिसंपत्तियां	10.40	1.45	49.71	-	0.96	1.96	45.53	-	**110.01**
कुल	**132.72**	**9.88**	**85.18**	**7.94**	**10.41**	**3.21**	**45.53**	**-**	**294.87**

31 मार्च 2019 को (रुपए करोड में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	डीजेडडी	बीडीटी	एलकेआर	एमवाईआर	जेडएआर	जेपीवाई	कुल
परिसंपत्तियां									
व्यापार प्राप्य	111.35	20.75	23.00	-	-	0.09	-	73.09	**228.28**
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य रोकड़	39.30	9.81	64.49	1.93	1.17	9.04	18.36	-	**144.10**
ठेकेदारों का अग्रिम	-	-	0.25	11.03	-	-	1.53	-	**12.81**
अन्य परिसंपत्तियां	7.38	1.03	29.38	53.62	0.09	0.49	13.31	-	**105.30**
कुल	**158.03**	**31.59**	**117.12**	**66.58**	**1.26**	**9.62**	**33.20**	**73.09**	**490.49**
देयताएं									
व्यापार प्राप्य	57.31	14.87	15.85	10.90	0.01	0.73	2.91	24.62	**127.20**
ग्राहकों का अग्रिम	86.70	-	-	-	-	0.63	-	-	**87.33**
अन्य परिसंपत्तियां	21.18	4.49	37.03	37.12	0.59	2.14	31.58	-	**134.13**
कुल	**165.19**	**19.36**	**52.88**	**48.02**	**0.60**	**3.50**	**34.49**	**24.62**	**348.66**

(ii) **ब्याज दर जोखिम**

ब्याज जोखिम बाजार की ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण वित्तीय माध्यमों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार चढाव का जोखिम है। कंपनी अपने ब्याज जोखिमों की व्यवस्था कंपनी की नीतियों और जोखिम प्रयोजनों के अनुसार करती है। कर मुक्त बांड तथा बैंक में जमा राशि ब्याज दर जोखिम से प्रभावित होने वाले वित्तीय माध्यमों में शामिल हैं । इन वित्तीय माध्यमों में ब्याज दर जोखिम बहुत कम होता है क्योंकि वित्तीय माध्यमों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित होता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को ऋणों/कर्ज पर किसी प्रकार के ब्याज का जोखिम नही है, क्योंकि इनके ब्याज की दर नियत है।

ख) ऋण जोखिम

कंपनी के ग्राहक प्रोफाइल में भारत तथा विदेश में रेल मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य स्वामित्व वाली कपनियां शामिल हैं। तदनुसार, समूह का ग्राहक ऋण जोखिम कम है। समूह का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिनों की ऋण अवधि के साथ मासिक प्रगति भुगतान तथा परियोजना के अंत में कतिपय प्रतिधारण राशि जारी की जाएगी। कुछ मामलों में प्रतिधारण को बैंक/निगमित गारंटियों के प्रतिस्थापित किया जाता है। समूह के पास वसूली पर उचित ध्यान केन्द्रित करने के लिए संगठन के भीतर ही विभिन्न स्तरों पर ओवरड्यू ग्राहक प्राप्यों के लिए विस्तृत समीक्षा तंत्र विद्यमान है।

व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां

कपनी के ऋण जोखिम का खतरा मुख्य रुप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। व्यक्ति या देश जहां ग्राहक प्रचालन कर रहा है, वहां त्रुटि जोखिम सहित ग्राहक की जनसांख्यिकीय भी ऋण जोखिम को प्रभावित करती है।

ऋण जोखिम की संभावना

(रुपए करोड में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए जीवनकाल संभावित ऋण हानि (एलएफसीएल) परिदृश्य का प्रयोग किया गया है		
गैर चालू निवेश	1,468.52	1,214.50
गैर चालू ऋण	1,409.68	995.81
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	1,886.64	2,600.33
चालू निवेश	-	99.73
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	769.04	875.24
अन्य बैंक शेष	1,731.84	2,038.94
चलू ऋण	62.80	74.94
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	1,146.08	1,175.01
वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए साधारणीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा भत्ते का मापन किया गया है		
व्यापार प्राप्य	586.52	532.42
संविदा परिसंपतियां	695.03	580.94

साधारणीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा घाटे में परिवर्तन का सार

(रुपए करोड में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
आरंभिक भत्ते	39.01	40.06
वर्ष के दौरान प्रावधान	-	1.43
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	(0.65)
राशि बट्टा खाता	(0.15)	(1.83)
समापन भत्ते	**38.86**	**39.01**

वर्ष के दौरान कपनी में शून्य (31 मार्च, 2019 : 1.43 करोड़ रुपए) के घाटा भत्ता है।

जीवनकाल संभावित ऋण हानि (एलीईसीएली) परिदृश्य के प्रयोग द्वारा आंकलित घाटे में परिवर्तन का सार

(रुपए करोड में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2019
आरंभिक भत्ते	0.46	0.29
वर्ष के दौरान प्रावधान	5.94	0.20
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	(0.01)	-
राशि बट्टा खाता	-	(0.03)
(विनिमय लाभ)/हानि	0.01	-
समापन भत्ते	**6.40**	**0.46**

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राक्कलन तकनीकों या अनुमानों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्ष के दौरान कंपनी में 5.94 करोड़ रुपए (31 मार्च, 2019 : 0.20 करोड़ रुपए) का घाटा भत्ता है।

ग) चल निधि जोखिम

कंपनी पर्याप्त रोकड़ और बाजारयोग्य प्रतिभुतियों के अनुरक्षण और प्रतिबद्ध ऋण क्रमों की पर्याप्त राशि के माध्यम से निधियों पर पहुंच बनाए रखकर चल निधि जोखिम का प्रबंधन करती है। कोष विभाग नियमित रुप से अनुमानों की तुलना में रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों की स्थिति की मॉनीटरिंग करते हैं। चल निधि स्थिति की समीक्षा करते समय वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की परिपक्वता स्थितियों का आकलन और तुलन पत्र चल निधि अनुपात के अनुरक्षण पर विचार किया जाता है। कंपनी की निवेश नीति और नीति तथा कार्ययोजना का मुख्य ध्यान पूंजी का संरक्षण और कंपनी की चल निधि आवश्यकताओं को सहयोग प्रदान करना है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी की निवेश नीति और इसके निवेश उद्देश्यों की उपलब्धि की निगरानी करती है। कंपनी विशिष्ट रुप से भारत सरकार के ऋण बांडों और म्युचुवल फंडों में ही निवेश करती है। नीति सामान्य रुप से निवेश ग्रेड की अपेक्षा करती है जिसका प्रमुख उद्देश्य मूल राशि घाटे के संभावित जोखिम को न्यूनतम करना है। एनएचएआई बांड के ब्याज की दर नियत होती है इस प्रकार इनको बांड उत्पादन दरों में परिवर्तन द्वारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा म्युचुवल फंड उच्च तरलता परिसंपत्तियां हैं, जिसका भुगतान मासिक आधार पर किया जाता है तथा इसमें पुनर्निवेश होता है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 को महत्वपूर्ण वित्तीय देयताओं के संबंध में ब्यौरा उपलब्ध कराती है :

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को		
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
उधार	-	615.31	1,230.61
व्यापार प्राप्य	576.85	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	2,941.73	387.25	-

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2019 को		
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
उधार	-	640.00	1,920.00
व्यापार प्राप्य	548.60	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	2,294.19	341.00	-

घ) अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण

जोखिम संकेन्द्रण तब उत्पन्न होते हैं जब अनेक प्रतिपक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों या समान भौगोलिक क्षेत्र में करते हैं, या उनकी आर्थिक विशेषताएं ऐसी होती हैं जो आर्थिक, राजनैतिक या अन्य परिस्थितियों में परिवर्तन द्वारा उनके संविदागत दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। संकेन्द्रण एक विशिष्ट उद्योग को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के प्रति कपनी के निष्पादन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण से बचने के लिए कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल किए जाते हैं ताकि विविध पोर्टफोलियो को बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित कर सके। ऋण जोखिमों के चिह्नित संकेन्द्रणों को तदनुसार नियंत्रित और प्रतिबंधित किया जाता है।

शीर्ष पांच परियोजनाओं से सृजित राजस्व के संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है: (रुपए करोड में)

विवरण	को समाप्त वर्ष हेतु	
	31.03.2020	31.03.2019
शीर्ष पांच परियोजनाओं से राजस्व	2,781.59	2,129.33
	2,781.59	**2,129.33**

ग) पूंजी प्रबंधन

अपनी पूंजी के प्रबंधन का कपनी का उद्देश्य निरंतर प्रचालन को सुनिश्चित और सुरक्षित रखने की अपनी क्षमता को जारी रखना है, ताकि कपनी अपने शेयरधारकों को अधिकतम प्रतिफल प्रदान कर सके और अन्य स्टेकधारकों का लाभ दे सके। वर्तमान में कम्पनी के पास कोई कर्ज नहीं है। कंपनी ने निवेश के जन परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग/डीआईपीएएम द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नानुसार लाभांश का भुगतान किया है।

लाभांश :

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
प्रदत्त लाभांश	228.31	198.07
कुल	**228.31**	**198.07**

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 2 रूपए के फेस मूल्य पर प्रति शेयर 2.06 रूपए के अंतिम लाभांश की संस्तुति की है, जो एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।यह प्रति इक्विटी शेयर 10 रूपए के फेस मूल्य पर प्रति शेयर 13.45 रूपए की दर पर प्रदत्त अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है।

इसके आतरिक्त, कंपनी आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन और वित्तीय संविदाओं की अपेक्षाओं के आलाक में समायोजनों के करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करता है।

कंपनी के 99,05,157 शेयरों के विनिवेश के भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरुप कपनी के शेयर दिनांक 28 सितंबर 2018 को एनएसई तथा बीएसई में सूचीबद्ध हो गए हैं और इससे प्राप्त धनराशि भारत सरकार को जाएगी।

वर्ष 2017–18 के दौरान कपनी ने आईएफआरसी से ऋण लिए हैं, जो आगे आरएलडीए को दिया गया है जिसका पुनर्भुगतान आरएलडीए से प्राप्त राशि से किया जाएगा।

ऋण इक्विटी अनुपात :

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
ऋण (नोट सं. 18.1)	1,845.92	2,560.00
दीर्घकालीन ऋण	**1,845.92**	**2,560.00**
इक्विटी (नोट सं. 16)	94.05	94.05
अन्य इक्विटी (नोट सं. 17)	4,067.08	3,855.49
कुल इक्विटी	**4,161.13**	**3,949.54**
ऋण इक्विटी अनुपात	**0.44**	**0.65**

32. इंड एएस–1 'वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण' द्वारा यथा–अपेक्षित प्रकटन

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

'पट्टों' पर निधित को इंड एएस 116 'पट्टे' के अनुप्रयोग के कारण महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में आशोधन।

इंड एएस 116 दिनांक 1 अप्रैल 2019 को अधिसूचित किया गया था जिसने इंड एएस 17 को प्रतिस्थापित किया है। इंड एएस 116 में पट्टों की स्वीकृति, मापन, प्रस्तुतीकरण और प्रकटन के सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं और इसमें अपेक्षित है कि पट्टाकार तुलनपत्र पर अधिकतर पट्टों को स्वीकार करे।

इंड एएस 116 के अंतर्गत पट्टादाता इंड एएस 17 से अपरिवर्तित रहा है। पट्टादाता पट्टाकार को प्रचालन या वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत करना जारी रखेगा जो इंड एएस 17 के समान सिद्धांतों के प्रयोग के अनुसार होगा। इसलिए, इंड एएस 116 का वहां पट्टों पर कोई प्रभाव नहीं है जहां कंपनी पट्टादाता है।

कंपनी दिनांक 1 अप्रैल 2019 के आरंभिक अनुप्रयोग तिथि से इंड एएस 116 को आशोधित पूर्ववर्ती विधि के रूप में स्वीकार करती है। इस विधि के अंतर्गत, यह मानक आरंभिक अनुप्रयोग की तिथि को स्वीकृत मानक के आरंभिक प्रयोग के संचयी प्रभाव से पूर्ववर्ती रूप से लागू होगा। कंपनी ने संव्यवहार पद्धति के प्रयोग का चयन यह पुनआंकलन करने के लिए नहीं किया कि क्या संविदा दिनांक 1 अप्रैल 2019 को पट्टा धारित करती है। इसके स्थान पर, कंपनी ने केवल उन संविदाओं पर मानक को लागू किया है जो पूर्व में इंड एएस 17 के प्रयोग वाले पट्टे के रूप में पूर्व में पहचाने गए थे।

दिनांक 1 अप्रैल 2019 को इंड एएस 116 को स्वीकार करने के प्रभाव (वद्धि / (कमी)) निम्नानुसार हैं :

(रुपए करोड में)

परिसंपत्तियां	राशि
प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियां	5.50
परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण	(5.29)
पूर्व भुगतान	
कुल परिसंपत्तियां	**0.21**
देयताएं	
वित्तीय देयताएं – पट्टा देयताएं	0.21
कुल देयताएं	**0.21**

कंपनी ने भूमि, कार्यालय, गेस्टहाउस और वाहनों के लिए पट्टा संविदा किए हैं। इंड एएस–116 को स्वीकार करने से पूर्व, कंपनी ने वित्तीय पट्टे या प्रचालनपट्टे रूप में आरंभिक तिथि को अपने पट्टों (पट्टादाताओं) को वर्गीकृत किया है। इंड एस–116 का स्वीकार करने के उपरांत, कंपनी अल्पकालीन पट्टों को छोड़कर सभी पट्टों के लिए एकल स्वीकृत एवं मापन परिदृश्य को लागू कर रही है। इंड एएस–116 पर लेखांकन नीति का संदर्भ लें। यह मानक विशिष्ट पारगमन अपेक्षाओं और व्यवहारित त्वरितों को उपलब्ध कराती है, जिसे कंपनी द्वारा लागू किया गया है।

पट्टे जिन्हें पूर्व में वित्तीय पट्टों में वर्गीकृत किया गया

कंपनी ने पूर्व में वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत पूर्ववर्ती पट्टों (यथा इंड एएस–17 के अंतर्गत स्वीकृत पट्टा परिसंपत्ति के समान प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियां) के लिए आरंभिक अनुप्रयोग की तिथि को स्वीकृत परिसंपत्तियों की आरंभिक वहन राशि को परिवर्तित नहीं करती है। इंड एएस 116 की अपेक्षाएं दिनांक 1 अप्रैल 2019 से इन पट्टों पर लागू की गईं थीं।

पट्टे जिन्हें पूर्व में प्रचालीन पट्टों में वर्गीकृत किया गया

कंपनी प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं को स्वीकार करती है जोपूर्व में प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत थे, केवल अल्पकालीन पट्टों को छोड़कर। पट्टादाता शेष पट्टा भुगतानों, आरंभिक अनुप्रयोग की तिथि को पट्टादाता के संवर्धक ऋण दर का प्रयोग करके रियायत और पट्टा देयता के समान राशि पर प्रयोग परिसंपत्ति का अनुवर्ती मापन, पूर्व में स्वीकृत पूर्वप्रदत्त या संचित पट्टा भुगतानों हेतु समायोजित के रूप में स्वीकार करता है।

कंपनी उपलब्ध व्यवहारिक त्वरितों का भी अनुप्रयोग करती है जिसमें वह :

(i) समान युक्तिसंगत विशेषताओं पर पट्टों के पोर्टफोलियो में एकल रियायत दर का प्रयोग करती है।

(ii) आरंभिक अनुप्रयोग की तिथि से 12 माह के भीतर समाप्त होने वाली तथा कुल जहां कुल पट्टा अवधि 12 महीनों से कम है, वहां पट्टा अवधि वाले पट्टों पर अल्पकालीन पट्टा छूट लागू होगी।

(iii) इसमें आरंभिक आवेदन की तिथि को प्रयोग अधिकार परिसंपत्ति के मापन से आरंभिक प्रत्यक्ष लागतों को अलग रखा गया है।

(iv) पट्टा अवधि के निर्धारण में दूरदर्शिता का प्रयोग जहां संविदा में पट्टे को बढाने या समाप्त करने के विकल्प हों।

दिनांक 1 अप्रैल 2019 को पट्टा देयताओं को 31 मार्च 2019 को प्रचालन पट्टा प्रतिबद्धताओं के रूप में समायोजित किया जा सकता है यथा निम्नानुसार :

(रुपए करोड में)

विवरण	01 अप्रैल 2019 को
परिसंपत्तियां 31 मार्च 2019 को प्रचालन पट्टा प्रतिबद्धताएं	-
01 अप्रैल 2019 को वेटिड औसत संवर्धन ऋण	8.77%
01 अप्रैल 2019 को रियायती प्रचालन पट्टा प्रतिबद्धताएं	0.21
घटाः	
अल्पकालीन पट्टों संबंधी प्रतिबद्धताए	-
जमाः	
31 मार्च 2019 को प्रचालन पट्टा प्रतिबद्धताओं में शामिल न किए गए नवीकरण अवधियों संबंधी पट्टा भुगतान	-
01 अप्रैल 2019 को पट्टा देयताए	0.21

33. इंड एएस 8 'लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन' द्वारा अपेक्षित प्रकटन

(क) वर्ष के दौरान कंपनी ने 'पूर्व अवधि मदों' के संबंध में लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है। चालू वर्ष में अनावश्यक पूर्व अवधि मदों के समायोजन का निर्णय लिया गया है।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित वित्तीय विवरण रेला मदों को लेखांकन नीति में परिवर्तन द्वारा प्रभावित किया गया था।

31 मार्च 2019 को तुलन पत्र

(रुपए करोड में)

क्र.सं	विवरण	संशोधित नीति के अनुसार	पूर्व नीति के अनुसार	प्रभाव
1	परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण	128.19	127.95	0.24
2	अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	1636.44	1627.85	8.59
3	अन्य इक्विटी	3,855.49	3,846.66	8.83

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि विवरण

(रुपए करोड में)

क्र.सं	विवरण	संशोधित नीति के अनुसार	पूर्व नीति के अनुसार	प्रभाव
1	प्रचालन से राजस्व	4,415.10	4,406.51	8.59
2	मूल्यहास परिशोधन एवं हानि	11.70	11.94	(0.24)
3	वर्ष के लिए लाभ	444.68	435.85	8.83
4	प्रति शेयर मूल आमदनी	47.28	46.34	0.94
5	प्रति शेयर विलयित आमदनी	47.28	46.34	0.94

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि विवरण

(रुपए करोड में)

क्र.सं	विवरण	संशोधित नीति के अनुसार	पूर्व नीति के अनुसार	प्रभाव
1	प्रचालन से राजस्व	5,202.45	5,211.04	(8.59)
2	मूल्यहास परिशोधन एवं हानि	15.93	15.69	0.24
3	वर्ष के लिए लाभ	489.78	498.61	(8.83)
4	प्रति शेयर मूल आमदनी	52.08	53.01	(0.94)
5	प्रति शेयर विलयित आमदनी	52.08	53.01	(0.94)

(ख) उन्नत प्रकटन हेतु सभी नीतियों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इन परिवर्तनों के कारण वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तथापि, चालू वर्ष में यथापेक्षित नीति संख्या में परिवर्तन पुनर्व्यवस्था की गई है।

(ग) चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ सुगम्यता के संवर्धन हेतु तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों में कुछ पुनर्वर्गीकरण किए गए हैं।

(घ) पूर्ववर्ती आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से भिन्न दर्शाने हेतु उन्हें प्रकोष्ठ () में दर्शाया गया है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

34. कर्मचारी लाभ

इंड एएस 19 ''कर्मचारी लाभ'' के अनुपालन संबंधी प्रकटन निम्नानुसार है :

(i) **निर्धारित अंशदान योजना : सामान्य ब्यौरा**

पेंशन

कंपनी ने आईडीए वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए दिनांक 01 अप्रैल 2009 से इरकॉन निश्चित अंशदान अधिवर्षिता पेंशन योजना, 2009 क्रियान्वित की है, चाहे उनकी सेवा की अवधि कितनी ही हो, केवल उन कर्मचारियों को छोडकर, जिन्होंने दिनांक 01 जनवरी 2017 से पूर्व कार्यभर ग्रहण किया है किन्तु 15 वर्ष की सेवा पूरी करने से पूर्व दिनांक 01 जनवरी 2017 के पश्चात अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति प्राप्त करेंगें, ऐसे मामले में पेंशन के प्रति नियोक्ता अशंदान दिनांक 01 जनवी 2017 से ही प्रभावित होगा। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2015–16 मे सृजित पृथक ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है। दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक की सम्पूर्ण अवधि के लिए 8.97 करोड़ रूपए कंपनी के अंशदान भाग का भुगतान कर दिया गया है और इसे वर्ष 2019–20 के दौरान लेखांकित किया गया है।

(ii) **निर्धारित लाभ योजना : सामान्य ब्यौरा**

भविष्य निधि

कंपनी एक पृथक ट्रस्ट को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि के नियत अंशदान का भुगतान करती है तथा यह ट्रस्ट इस निधि का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करेगी। ट्रस्ट के लिए यह अपेक्षित है कि वह ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज के न्यूनतम दर का भुगतान करेगी। निवेशों पर लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि कंपनी के दायित्व से अधिक है। वर्ष के दौरान कंपनी ने ट्रस्ट में 12.36 करोड़ रूपए (11.83 करोड़ रूपए) का अंशदान किया है।

उपदान

कंपनी ने अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, शारीरिक अक्षमता या मृत्यु के कारण अपने रोजगार को समाप्त करने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में कपनी के कर्मचारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इरकॉन ने कर्मचारी सामूहिक भविष्य निधि योजना को क्रियान्वित किया है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2015–16 मे सृजित पृथक ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया। ट्रस्ट का प्रबंधन एलआईसी द्वारा किया जा रहा है। दिनांक 31.03.2020 को 3.32 करोड़ रूपए की परिसंपत्तियों को बीमांकन आधार पर लेखा बहियों में बुक किया गया है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी ने सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) को अधिवर्षिता, चिकित्सा तथा अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2000–01 के दौरान 12 करोड़ रूपए के एकमुश्त अंशदान द्वारा एक अपरिहार्य ट्रस्ट की स्थापना की थी। यह एक स्वैच्छिक कल्याण उपाय होने के कारण कंपनी कर्मचारियों को यह लाभ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। तथापि, कंपनी ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर 10.45 करोड़ रूपए (9.27 करोड़ रूपए) का भी प्रावधान किया है।

अन्य सेवानिवृत्ति लाभ. सामान्य वर्णन

अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल हैं– गृह नगर या भारत में वह स्थान जहां वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, बैगेज भत्ता सहित व्यवस्था करना। इस खाते में देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ली जाती है।31 मार्च 2020 को लाभ हानि विवरण और तुलनपत्र में स्वीकृत विभिन्न कर्मचारी लाभों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :–

i) **निम्न के दौरान निर्धारित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**

(रुपए करोड में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अवधि के आरंभ में निर्धारित लाभ दायित्व	**341.76**	**295.51**	**83.69**	**82.03**	**101.20**	**95.74**	**1.28**	**1.29**
चालू सेवा लागत	43.39	43.25	4.13	3.96	3.57	3.54	0.07	0.06
पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत	29.60	22.16	6.28	6.15	7.59	7.18	0.10	0.10
प्रदत्त लाभ	(36.32)	(18.67)	(7.31)	(7.25)	(2.95)	(2.22)	(0.07)	(0.02)
दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि	1.80	(0.50)	(1.09)	(1.20)	1.56	(3.03)	(0.09)	(0.15)
अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	**380.23**	**341.76**	**85.71**	**83.69**	**110.96**	**101.20**	**1.28**	**1.28**

ii) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रुपए करोड में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**350.06**	**296.12**	**79.69**	**67.97**	**83.52**	**71.28**	**-**	**-**
नियोक्ता और कर्मचारी का अंशदान	43.39	43.25	4.01	13.47	4.49	8.32	-	-
प्रदत्त लाभ	(36.32)	(18.67)	(7.31)	(7.25)	(2.95)	(2.22)	-	-
ब्याज लागत	27.89	29.36	6.35	5.83	6.01	5.35	-	-
ब्याज आय सहित योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-	-	-	-	0.80	-	-
एलआईसी मोर्टेलिटी प्रभार	-	-	(0.36)	(0.33)	-	-	-	-
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**385.03**	**350.06**	**82.39**	**79.69**	**91.07**	**83.52**	**-**	**-**

iii) योजना परिसंपत्तियों और निर्धारित लाभ दायित्वों का उचित मूल्य समायोजन :

(रुपए करोड में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	385.03	350.06	82.39	79.69	91.07	83.52	-	-
निर्धारित लाभ दायित्व	380.23	341.76	85.71	83.69	110.96	101.20	1.28	1.28
तुलनपत्र में स्वीकृत राशि	**4.80**	**8.31**	**(3.32)**	**(4.01)**	**(19.90)**	**(17.68)**	**(1.28)**	**(1.28)**

iv) लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत राशि

(रुपए करोड में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
चालू सेवा लागत	12.43	11.83	4.13	3.97	3.57	3.54	0.07	0.06
पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल ब्याज व्यय	-	-	0.30	1.08	1.33	1.83	0.10	0.10
लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत राशि	**12.43**	**11.83**	**4.43**	**5.04**	**4.89**	**5.37**	**0.16**	**0.16**

v) अन्य वृहत आय में स्वीकृत राशि :

(रुपए करोड में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
भौगोलिक अनुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकक परिवर्तन	(0.00)	-	0.03	-	0.06	3.03	(0.00)	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकक परिवर्तन	(0.03)	-	(1.74)	-	(5.33)	0.80	(0.02)	-
संभावित समायोजन	(1.77)	0.50	2.80	1.20	3.72	-	0.11	0.15
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियो पर प्रतिफल	(1.71)	7.20	0.02	0.70	(0.26)	-	-	-
अन्य वृहत आय में स्वीकृत राशि	**(3.51)**	**7.70**	**1.11**	**1.91**	**(1.81)****	**3.83**	**0.09****	**0.15**

** (1.81 करोड़ रुपए) (3.83 करोड़ रुपए) के गैर स्वीकार्य बीमांकक लाभ/घाटे (ओआईसी) में सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) के प्रति है। चूंकि पीआरएमबी के संबंध में देयता को बीमांकक मूल्यांकन के रूप में प्रावधान नहीं किया गया है और इसे डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए, बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार पीआरएमबी के संबंध में ओसीआई पर विचार नहीं किया गया है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

vi) कुल योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य की योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार हैं:

(रुपए करोड में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
भारत सरकार की प्रतिभूतियां	60.17%	63.41%	-	-	9.52%	10.50%	-	-
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	-	-	-	-	30.86%	31.87%	-	-
केन्द्र राज्य गारंटित बांड	-	-	-	-	18.73%	21.03%	-	-
उच्च गुणवत्ता निगमित बांड	36.17%	34.78%	-	-	23.40%	25.83%	-	-
पीएसयू बांड	-	-	-	-	7.35%	2.68%	-	-
पीएसयू आधारित ।।। टीयर । बांड	-	-	-	-	8.25%	6.27%	-	-
ऋण म्युचुवल फंड	0.29%	-	-	-	-	-	-	-
आईटीएफ/इंडैक्स/इक्विटी म्युचवल फंड	3.37%	1.81%	-	-	1.89%	1.82%	-	-
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	-	-	100.00%	100.00%	-	-	-	-
कुल	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%

vii) कंपनी की योजना के लिए पीएफ/उपदान/पीआरएमबी/सेवानिवृत्ति भत्ता देयता के निर्धारण में प्रयुक्त प्रधान अनुमान निम्नानुसार है :

(रुपए करोड में)

विवरण	भविष्य निधि 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	भविष्य निधि 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	उपदान 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	उपदान 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	पीआरएमबी 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	पीआरएमबी 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	सेवानिवृत्ति भत्ते 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	सेवानिवृत्ति भत्ते 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
रियायत दन	6.92%	7.50%	6.92%	7.50%	6.92%	7.50%	6.92%	7.50%
भावी वेतन वृद्धि	7.50%	8.00%	7.50%	8.00%	7.50%	8.00%	7.50%	8.00%
मृत्यु दर	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2006-08)	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2006-08)	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2006-08)	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2006-08)

viii) 31 मार्च के अनुसार ऊपर दर्शाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों हेतु मात्रात्मक संवेदी विश्लेषण निम्नानसुार :

(रुपए करोड में)

विवरण	पीएफ योजना (डीबीओ पर प्रभाव)		उपदान योजना (डीबीओ पर प्रभाव)		पीआरएमबी (डीबीओ पर प्रभाव)		सेवानिवृत्ति भत्ते (डीबीओ पर प्रभाव)	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	380.23	341.76	85.71	83.70	110.96	-	1.28	-
रियायत दयर	-	-	-	-	-	-	0.07	0.08
0.50% की वृद्धि	(0.03)	(0.03)	(2.40)	(2.32)	(4.19)	-	(0.05)	-
0.50% की कमी	0.03	0.03	2.56	2.47	4.51	-	0.05	-
भावी वेतन वृद्धि	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08
0.50% की वृद्धि	-	-	1.10	1.13	-	-	0.05	-
0.50% की कमी	-	-	(1.13)	(1.18)	-	-	(0.05)	-

उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण का निर्धारण उस विधि से किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उत्पन्न उपर्युक्त प्रमुख अनुमानों में युक्तिसंगत परिवर्तन के परिणामस्वरूप निर्धारित लाभदायित्वों पर प्रभाव को दर्शाते हैं।

मृत्यु और आहरण के कारण संवेदनशीलता सामग्रीगत नहीं है इसलिए परिवर्तन के प्रभाव का परिकलन नहीं किया जाता है।

मुद्रा स्फीति की दर, भुगतान में पेंशनों की दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशनों में वृद्धि की दर तथा जीवन संभाव्यता के प्रति संवेदनशीलता सेवानिवृत्ति के एकमुश्त लाभ के रूप में लागू नहीं है।

ix) अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए संभावित अंशदान

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए निर्धारित लाभ योजना के संभिावित अंशदान 25.68 करोड़ रूपए है।

x) निर्धारित लाभ दायित्वों की परिक्वता प्रोफाइल निम्नानुसार है :

(रुपए करोड में)

निर्धारित लाभ दायित्वों की अवधि : वर्ष	भविष्य निधि	उपदान	सेवानिवृत्ति पूर्व	सेवानिवृत्ति भत्ते
1	91.55	13.72	2.91	0.18
2	-	11.25	5.24	0.16
3	-	9.81	5.82	0.14
4	-	8.03	6.82	0.12
5	118.20	7.28	7.61	0.12
6	-	6.92	8.24	0.11
6 से आगे	170.27	28.71	74.34	0.45
कुल	**380.02**	**85.71**	**110.96**	**1.28**

जोखिम विश्लेषण

कंपनी को अनेक निर्धारित लाभ योजना के जोखिमों की संभावना हैं। निर्धारित लाभ योजनाओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जोखिम और इन जोखिमों के प्रभावों के सबंध में प्रबंधन का अनुमान निम्नानुसार हैः

ब्याज जोखिम

योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज दर में कमी योजना दायित्व में वृद्धि करती है।

दीर्घायु जोखिम/जीवनकाल संभाव्यता

निर्धारित लाभ योजना दायित्वों का वर्तमान मूल्य का परिकलन नियोजन के दौरान और अंत, दोनों में योजना भागीदारों की मृत्युदर के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ द्वारा किया जाता है। योजना भागीदारों जीवनकाल संभाव्यता में वृद्धि से योजना दायित्व में वृद्धि होती है।

वेतन वृद्धि जोखिम

निर्धारित लाभ योजना दायित्व के वर्तमान मूल्य का परिकलन योजना भागीदारों के भावी वेतनों के संदर्भ में किया जाता है। योजना भागीदारों के वेतन में वृद्धि से योजना दायित्व में वृद्धि होती है।

35.संबंधित पक्षों सव्यवहार

इंड एएस 24 ''संबंधित पक्ष प्रकटन'' के अनुपालन में प्रकटन निम्नानुसार है :

क) संबंधित पक्षों की सूची

(I) **सहायक कंपनी**

इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड
इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि.

(ii) **संयुक्त उद्यम कंपनियां**

इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड
छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड
छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड
इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(iii) **गैर निगमित संयुक्त उपक्रम (संयुक्त प्रचालन)**

संयुक्त प्रचालन
इरकॉन एफकॉन
एक्सप्रेस फ्रंटियर कंसार्टियम
एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसार्टियम

समाप्त संयुक्त प्रचालन

इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर
मेट्रो टनलिंग समूह

अंतत बंद संयुक्त प्रचालन

इरकॉन–कोब्रा–ईएलआईओपी
इरकॉनः श्री भवानी बिल्डर
इरकॉनः एसएमजी प्रोजेक्ट जेवी
इरकॉनः गन्नन डंक्ले
इरकॉनः आरसीएसःपिलफिडरर
इरकॉनः एसपीएससीपीएल
रिकॉन

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(iv) (क) प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक (केएमपी)

पूर्णकालीन निदेशक

नाम	पदनाम
श्री एस.के.चौधरी	सीएमडी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)
श्री एम.के.सिंह	निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)
श्री श्याम लाल गुप्ता	निदेशक (परियोजना), 01.11.2019 से
श्री योगेश कुमार मिश्रा	निदेशक (कार्य)
श्री दीपक सबलोक	पूर्व निदेशक/परियोजना, जिन्होंने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.10.2019 को निदेशक और केएमपी का पद त्यागा।

कंपनी सचिव

नाम	पदनाम
सुश्री रितु अरोड़ा	कंपनी सचिव

(ख) अन्य निदेशक

सरकारी नामिति अंशकालीन (सरकारी) निदेशक

नाम	पदनाम
श्री पियुष अग्रवाल	31.03.2020 को गैर–कार्यपालक निदेशक
श्री एस सी जैन	08 मई 2019 तक गैर–कार्यपालक निदेशक
श्री हरि मोहन गुप्ता	15 मई 2019 से गैर–कार्यपालक निदेशक

स्वतंत्र निदेशक

नाम	पदनाम
डॉ सी बी वेंकटरमणा	गैर–कार्यपालक निदेशक
डॉ नरेन्द्र सिहं रैना	गैर–कार्यपालक निदेशक
श्री अशोक कुमार गंजू	गैर–कार्यपालक निदेशक
श्री अवनीश माटा	15 जुलाई 2019 से 31.03.2020 तक गैर–कार्यपालक निदेशक पद पर पुनर्नियुक्ति
प्रो. वसुधा वी कामत	15 जुलाई 2019 से 31.03.2020 तक गैर–कार्यपालक निदेशक पद पर पुनर्नियुक्ति

(v) नियोजन पूर्व लाभ योजनाएं

इरकॉन उपदान ट्रस्ट

इरकॉन कर्मचारी भविष्य निधि न्यास

इरकॉन चिकित्सा न्यास

इरकॉन निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना, 2009 न्यास

(vi) सरकार संबंधी न्यास

कंपनी रेल मंत्रालय के अधीन एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (सीपीएसई) है। कंपनी भारत सरकार द्वारा नियंत्रित है जिसके पास दिनांक 31 मार्च 2020 को भारत के राष्ट्रपति के नाम 89.18 प्रतिशत इक्विटी शेयरों का धारिता है। इंड एएस 24 के पैरा 25 तथा 26 के अनुसरण में निकाय जिन पर समान सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है, तो रिपोर्टिंग निकाय और अन्य निकाय संबंधित पक्ष माने जाते हैं। इन पक्षों के साथ संव्यवहारों को आर्म लैंथ आधार पर बाजार शर्तों पर निष्पादित किया जाता है। कंपनी ने सरकार संबंधी निकायों के लिए उपलब्ध छूट हेतु आवेदन किया है और इस संबंध में वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किया है।

कंपनी के निम्नलिखित सरकार संबंधी न्यासों के साथ महत्वपूर्ण संव्यवहार हैं:

निकाय का नाम	संबंध
रेल मंत्रालय	नियंत्रण निकाय
रेल भूमि विकास प्राधिकरण	रेल मंत्रालय के अधीन सांवधिक निकाय
भारतीय रेल वित्त निगम	रेल पीएसयू

ख) कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)/निदेशकों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार हैं :

(रुपए करोड में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
1	**अल्पकालीन नियोजन लाभ** (i)	3.27	1.89
2	अन्य दीर्घकालीन नियोजन लाभ	0.58	0.28
3	बैठक शुल्क	0.20	0.14
	कुल	**4.05**	**2.31**

नोट :(i) वित्तीय वर्ष 2019—20 के आंकड़ों में अनन्तिम आधार पर वित्तीय वर्ष 2017—18 और वित्तीय वर्ष 2018—19 के लिए वर्ष के दौरान 1.02 करोड़ रूपए के पीआरपी प्रावधान (वित्तीय वर्ष 2018—19 के लिए 0.22 करोड़ रूपए के पीआरपी प्रावधान सहित जिसका भुगतान वित्तीय वर्ष 2016—17 में किया गया) शामिल हैं।

(ii) यथा अनुमेय निदेशकों से वसूली की गई है जिन्हे कंपनी के आवास और कार प्रदान की गई है।

अन्य पक्षों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार हैं:

(रुपए करोड में)

क्र. सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
1	वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री				
1.1	संविदा राजस्व	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियां	1.32	-
		इरकॉन—पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	107.29	148.21
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	-	49.32
		इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	415.06	261.81
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि.	सहायक कंपनियां	403.55	-
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	332.19	379.01
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	21.70	14.84
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	21.75	14.83
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	9.49	11.48
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	21.19	-
		एक्सप्रेस फ्रंटियर कंसार्टियम	संयुक्त प्रचालन	355.86	224.85
		एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसार्टियम	संयुक्त प्रचालन	2.34	0.99
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	3,072.95	2,400.74
1.2	किराया आय	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.18	0.17
		इरकॉन—पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.02	0.02
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.02	0.02
		इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.02	0.02
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि.	सहायक कंपनियां	0.02	0.02
		इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.03	0.03
2	वस्तुओं और सेवाओं की खरीद	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियां	2.15	1.42
3	प्रतिनियुक्ति कर्मचारी व्यय, किराय एवं अन्य विविध व्यय (आय) की प्रतिपूर्ति	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियां	3.35	2.25
		इरकॉन—पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	5.41	2.70
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.58	0.33
		इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.14	0.19
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि.	सहायक कंपनियां	4.12	0.56
		इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.02	0.88
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.59	-
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.35	0.55
		इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.84	1.87
4	ब्याज आय				
4.1	ऋण पर ब्याज आय	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियां		
		इरकॉन—पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	19.94	25.22
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	52.81	52.60
		इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	17.51	2.40
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि.	सहायक कंपनियां	6.30	-
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	3.61	4.87

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रुपए करोड में)

क्र. सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
4.2	अग्रिम पर ब्याज आय	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	114.12	125.81
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.26	-
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	220.97	278.36
4.3	बांड पर ब्याज आय	भारतीय रेल वित्त निगम	सरकार संबंधी निकाय	22.10	22.07
5	लाभांश				
5.1	लाभांश संवितरण	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	203.61	176.64
5.2	अंतरित लाभांश संवितरण	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	2.15	5.04
6	ब्याज व्यय				
6.1	अग्रिम ब्याज व्यय	इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	4.16	2.90
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि.	सहायक कंपनियां	6.90	0.02
6.2	अग्रिम पर ब्याज व्यय	भारतीय रेल वित्त निगम	सरकार संबंधी निकाय	220.35	278.36
7	इक्विटी शेयरों में निवेश	इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	60.00	104.00
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि.	सहायक कंपनियां	4.00	6.00
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	39.00
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	75.16
		इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	14.20	5.80
8	ऋण मुक्त ब्याज (इक्विटी माने गए)	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि.	सहायक कंपनियां	125.77	-
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	50.00	-
9	प्रदान ऋण	इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	136.89	97.00
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	18.00	35.77
		इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	139.22	130.00
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि.	सहायक कंपनियां	181.00	-
10	ऋणों की वसूली	इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	57.52	-
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	15.44	-
11	अग्रिम की वसूली	रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	615.30	615.30
12	ऋणों का पुनर्भुगतान	भारतीय रेल वित्त निगम	सरकार संबंधी निकाय	615.30	615.30
13	प्राप्त अग्रिम	इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	-	102.69
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि.	सहायक कंपनियां	153.56	0.75
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	3.67	22.36
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	9.17	11.30
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.98	5.82
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	1.19
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.26	-
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	1,538.70	1,433.97
14	अग्रिमों का पुनर्भुगतान	इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	58.86	30.00
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि.	सहायक कंपनियां	62.07	-
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	1,523.58	1,715.73
15	नियोजन पूर्व लाभ योजनाएं				
15.1	वर्ष के दौरान अंशदान	इरकॉन उपदान ट्रस्ट	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	4.01	13.45
		इरकॉन कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	43.39	28.27
		इरकॉन चिकित्सा न्यास	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	10.45	8.32
		इरकॉन निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना, 2009 न्यास	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	8.97	10.91
15.2	वर्ष के दौरान प्रतिपूर्तियां	इरकॉन उपदान ट्रस्ट	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	5.79	7.25

नोट (i) सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम कंपनियों तथा संयुक्त प्रचालनों के साथ गारंटियों और अन्य प्रतिबद्धताओं हेतु नोट 39 का संदर्भ लें।

(ii) रेल मंत्रालय से खरीद प्रकृति में काल्पनिक है अतः गैर–तथ्यात्मक है। इस लिए प्रकट नहीं किया गया।

ग) संबंधित पक्षों के साथ बकाया शेष निम्नानुसारः

(रुपए करोड में)

क्र. सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
1	इक्विटी निवेश (संभावित इक्विटी सहित)	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियां	65.00	65.00
		इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	165.00	165.00
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	150.00	150.00
		इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	164.05	104.05
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि.	सहायक कंपनियां	135.77	6.00
		इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	64.15	64.15
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	122.58	122.58
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	131.17	131.17
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.01	0.01
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	63.00	13.00
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	76.34	76.34
		इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	40.00	25.80
2	बांडों में निवेश	भारतीय रेल वित्त निगम	सरकार संबंधी निकाय	221.47	221.42
3	प्रदान ऋणों के प्रति वसूलीयोग्य राशि	इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	417.22	337.85
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	564.15	561.59
		इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	269.22	130.00
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि.	सहायक कंपनियां	181.00	-
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	39.00	39.00
		श्री एस.के सिंह	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	0.00	0.01
4	ऋणों से इतर वसूलीयोग्य राशि				
4.1	व्यापार प्राप्य	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियां	1.53	-
		इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	4.71	-
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.52	18.97
		इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	25.33	-
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि.	सहायक कंपनियां	164.50	-
		इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.06	7.63
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	34.40	56.16
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	8.23	6.61
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	16.64	16.80
		एक्सप्रेस फ्रंटियर कंसार्टियम	संयुक्त प्रचालन	134.72	7.89
		एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसार्टियम	संयुक्त प्रचालन	1.42	-
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	19.29	-
4.2	संविदा परिसंपत्तियां				
(क)	बिलयोग्य राजस्व/प्राप्य जो देय हैं और वसूलीयोग्य मूल्य पर सीडब्ल्यूआईपी	इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	2.98	31.30
		इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	-	20.78
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	26.68	54.60
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	21.41	31.17
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	21.19	-
		एक्सप्रेस फ्रंटियर कंसार्टियम	संयुक्त प्रचालन	91.43	-
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	25.95	9.58
(ख)	प्रतिधारण राशि एवं आहरित राशि	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	2.28	-
		एक्सप्रेस फ्रंटियर कंसार्टियम	संयुक्त प्रचालन	32.04	-
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	0.81	0.81
4.3	वसूलीयोग्य अग्रिम और दावे	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियां	1.33	1.22
		इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.32	1.41
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.57	0.45
		इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.02	0.05
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि.	सहायक कंपनियां	0.10	0.12
		इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.02	-
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.60	0.24
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	1.40	1.04
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	0.04
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.56	-

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रुपए करोड में)

क्र. सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
		इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.99	0.96
		इरकॉन एफकॉन	संयुक्त प्रचालन	29.43	-
		इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर	संयुक्त प्रचालन	3.66	3.62
		मेट्रो टनलिंग समूह	संयुक्त प्रचालन	4.37	4.20
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	2,485.87	3,106.98
4.4	ऋणों पर संचित ब्याज	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	8.15	4.40
4.5	अग्रिमों पर संचित ब्याज	रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	212.85	274.42
4.6	बांडोंपर संचित ब्याज	भारतीय रेल वित्त निगम	सरकार संबंधी निकाय	17.86	17.83
4.7	न्यासों से वसूलीयोग्य	इरकॉन उपदान ट्रस्ट	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	5.80	2.92
5	ऋणों	भारतीय रेल वित्त निगम	सरकार संबंधी निकाय	2,461.23	3,076.53
6	के प्रति देय राशि				
6.1	व्यापार प्राप्य	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियां	0.80	1.44
		इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	0.09
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	0.10	-
6.2	संविदागत दायित्व (अग्रिम एवं अग्रिम संविदा प्राप्तियां)	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	1,303.94	1,780.70
		इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	सहायक कंपनियां	29.00	138.51
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि.	सहायक कंपनियां	296.87	0.76
		इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	44.55	45.00
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	57.11	70.84
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	30.35	32.05
		इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.98	5.82
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	1.19
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.26	-
		एक्सप्रेस फ्रंटियर कंसार्टियम	संयुक्त प्रचालन	148.61	-
6.3	ग्राहकों को अन्य देय	इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	0.09
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	651.36	458.74
6.4	ऋणों पर देय ब्याज	भारतीय रेल वित्त निगम	सरकार संबंधी निकाय	210.00	272.77
6.5	अग्रिमों पर देय ब्याज	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि.	सहायक कंपनियां	3.59	-
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.26	-
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	204.81	-
6.6	न्यासों को देय	इरकॉन उपदान ट्रस्ट	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	3.32	4.01

घ) संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार की शर्तें एवं निबंधन

(i) संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहारों को आर्म लैंड संव्यवहारा में प्रचलित समतुल्य शर्तों के अनुसार किया गया है।

(ii) वर्ष के अंत में संबंधित पक्षों के बकाया शेष अरक्षित हैं और इन्हें बैंक संव्यवहारों के माध्यम से निपटाया गया है। ऋणों से इतर अन्य शेष और ब्याज धारित अग्रिम ब्याज मुक्त हैं।

(iii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को ऋण सभी अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तों और निबंधनों के आधार पर हैं।

36.सहायक कंपननियों, संयुक्त उपक्रमों और संयुक्त प्रचालनों में हित

क. इंड एएस 27 ''पृथक वित्तीय विवरणों'' के अनुपालन संबंधी प्रकटन निम्नानुसार है:

निम्नलिखित सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों और संयुक्त प्रचालनों में निवेश लागत पर लेखांकित है:

सहायक कंपनियों में निवेश

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान एवं निगमन का देश	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	वोटिंग अधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	वोटिंग अधिकार का अनुपात
1	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
2	इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
3	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
4	इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
5	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि.	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00

संयुक्त उपक्रम कंपनियों में निवेश

क्र. सं.	संयुक्त उपकम कंपनी का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान एवं निगमन का देश	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	वोटिंग अधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	वोटिंग अधिकार का अनुपात
1	इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड	महाराष्ट्र, भारत	50.00	50.00	50.00	50.00
2	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	छत्तीसगढ, भारत	25.91	26.00	27.79	26.00
3	छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	छत्तीसगढ, भारत	26.02	26.00	26.02	26.00
4	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	ओडीश, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00
5	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	झारखंड, भारत	23.59	26.00	26.00	26.00
6	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00
7	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	दिल्ली एनसीआर, भारत	50.00	50.00	50.00	50.00

संयुक्त प्रचालनं में निवेश

क्र. सं.	संयुक्त प्रचालन का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान एवं निगमन का देश	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	वोटिंग अधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	वोटिंग अधिकार का अनुपात
i)	**प्रचालन में परियोजना हेतु :**					
	इरकॉन एफकॉन	बांग्लादेश	53.00	53.00	53.00	53.00
	एक्सप्रेस फ्रंटियर कंसार्टियम	गुजरात एवं महाराष्ट्र, भारत	30.00	30.00	30.00	30.00
	एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसार्टियम	महाराष्ट्र, भारत	30.00	30.00	30.00	30.00
ii)	**समाप्त संयुक्त प्रचालन**					
	इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रेक्टर	दिल्ली एनसीआर, भारत	9.50	9.50	9.50	9.50
	मेट्रो टनलिंग समूह	दिल्ली एनसीआर, भारत	9.50	9.50	9.50	9.50
iii)	**अंतत बंद संयुक्त प्रचालन**					
	इरकॉन–कोब्रा–ईएलआईओपी	दिल्ली एनसीआर, भारत	61.22	61.22	61.22	61.22
	इरकॉनः श्री भवानी बिल्डर	चेन्नई, भारत	24.21	24.21	24.21	24.21
	इरकॉनः एसएमजी प्रोजेक्ट जेवी	तमिलनाडु, भारत	55.00	55.00	55.00	55.00
	इरकॉन गन्नन डंक्ले	उत्तर प्रदेश, भारत	55.70	55.70	55.70	55.70
	इरकॉनः आरसीएसःपिलफिडरर	जम्मू और कश्मीर, भारत	65.08	65.08	65.08	65.08
	इरकॉनः एसपीएससीपीएल	जम्मू और कश्मीर, भारत	50.00	50.00	50.00	50.00
	इरकॉन	दिल्ली एनसीआर, भारत	49.00	49.00	49.00	49.00

ख. संयुक्त प्रचालनों में वित्तीय हित (कंपनी के शेयर के स्तर तक)

(रुपए करोड में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त संयुक्त प्रचालन के नाम							
		इरकॉन–एफकॉन		इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांटैक्टर		मेट्रो टनलिंग		कुल	
		2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
	वर्ष के अंत में:								
1	परिसंपत्तियां								
	पीपीई	-	-	-	-	-	-	-	-
	प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	-	-	-	-	-	-	-	-
	अन्य परिसंपत्तियां	29.43	29.47	4.61	4.65	4.81	4.64	**38.85**	38.76
2	देयताएं								
	प्रावधान	0.18	0.18	0.04	0.08	0.37	0.34	**0.59**	0.60
	अन्य देयताएं	-	-	0.91	0.95	0.07	0.10	**0.98**	1.05
	वर्ष के अंत में:								
3	कुल आय	-	5.36	0.09	0.91	0.31	0.30	**0.39**	6.57
4	कुल व्यय	0.04	3.17	0.00	0.05	0.01	0.02	**0.05**	3.24
5	कुल कर	-	-	0.04	0.08	0.13	0.11	**0.17**	0.19
6	कर पूर्व लाभ	(0.04)	2.19	0.05	0.78	0.17	0.17	**0.18**	3.14
7	अन्य वृहत आय	-	-	-	-	-	-	-	-
8	कुल वृहत आय	(0.04)	2.19	0.05	0.78	0.17	0.17	**0.18**	3.14

नोट : संयुक्त प्रचालनों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को नोट 39 में प्रकट किया गया है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

37. प्रति शेयर आमदनी

इंड एएस 33 ''प्रति शेयर आमदनी'' के अनुसार प्रकटन

मूल ईपीएस की राशि का परिकलन मूल इक्विटी धारकों को आरोप्य लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की औसत संख्या के वेटेज द्वारा भाग करके किया जाता हैं

विलयित ईपीएस का परिकलन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के वेटेज औसत संख्या जमा इक्विटी शेयरों के वेटेड औसत संख्या जो सभी विललियत संभावित इक्विटी शेयरों के इकिवटी शेयरों में परिवर्तन पर जारी किया जाएगा, के प्रभाव पर विचार करने के पश्चात इक्विटी धारकों के प्रति वर्ष हेतु लाभ से विभाजित करके किया जाता हैं

(i) मूल एवं विलयित आमदनी प्रति शेयर (रूपए में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
इक्विटी धाराकों के प्रति लाभ (रूपए करोड में)	(ii)	489.78	444.68
मूल और विलयित ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या (संख्या में)	(iii)	940,51,574.00	940,51,574.00
प्रति शेयर आमदनियां (मूल)		**52.08**	47.28
प्रति शेयर आमदनियां (विलयित)		**52.08**	47.28
प्रति शेयर फेस मूल्य		**10.00**	10.00

(ii) इक्विटी शेयरों के प्रति लाभ (संख्यक के रूप में प्रयुक्त) (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार वर्ष का लाभ	489.78	444.68
ईपीएस के परिकलन हेतु प्रयुक्त कंपनी के शेयरधारकों के प्रति लाभ :	**489.78**	**444.68**

(iii) इक्विटी शेयरों के वेटिड औसत संख्या (संख्यक के रूप में प्रयुक्त) (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
जारी इक्विटी शेयरों का आरंभिक शेष	**940,51,574.00**	940,51,574.00
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयर		
मूल ईपीएस के परिकलन के लिए इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या	**940,51,574.00**	940,51,574.00
विलयित प्रभाव:		
जमा: वर्ष के दौरान बकाया संभावित इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या	-	-
विलयित ईपीएस परिकलन हेतु इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या	**940,51,574.00**	940,51,574.00

38. परिसंपत्तियों की हानि

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) के नियम 3 तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक), संशोधन नियम 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत अधिसूचित इंड एएस 36 ''परिसंपत्तियों की हानि'' की शर्तों के अनुसार निवल वसूली योग्य मूल्य और वहन लागत के निम्नतर के आधार पर वसूलीयोग्य राशि का परिकलन द्वारा व्यक्तिगत परिसंपत्तियों की हानि का मूल्यांकन किया है। तदनुसार शून्य (शून्य) की हानि के लिए प्रावधान किया गया है।

39. प्रावधान, आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

(i) **प्रावधान**

इंड एएस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसार वर्ष के दौरान प्रावधानों में संचलन और प्रावधानों की प्रकृति का प्रकटन नोट 19 में किया गया है।

(ii) **आकस्मिक देयताएं**

इंड एएस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसार आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नानुसार है :

(रुपए करोड में)

	विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2019 को	वर्ष के दौरान संवर्धन	वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे			31 मार्च 2020 को
					आरंभिक शेष में से	वर्ष के दौरान संवर्धन में से	वर्ष के दौरान निपटाए कुल दावे	
क)	**कंपनी के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया :**							
	विवादित प्रत्यक्ष कर मांग							
	(i) कंपनी के संबंध में	1	237.25	115.42	(49.20)	-	(49.20)	**303.47**
	(ii) संयुक्त प्रचालनों में	2	0.24	-	-	-	-	**0.24**
	विवादित अप्रत्यक्ष मांग							
	(i) कंपनी के संबंध में	3	357.81	52.41	(13.28)	-	(13.28)	**396.94**
	(ii) संयुक्त प्रचालनों में	4	4.25	-	-	-	-	**4.25**
	विधिक मामले							
	(i) कंपनी के संबंध में	5	493.73	136.57	(119.98)	-	(119.98)	**510.32**
	(ii) संयुक्त प्रचालनों में	6	0.02	-	-	-	-	**0.02**
	कर्मचारियों द्वारा दावे	7					-	-
ख)	**की ओर से कंपनी द्वारा जारी गारंटी (वित्तीय गारंटियों को छोडकर**							
	सहायक कंपनियां	8	4.02	5.98	-	-	-	**10.00**
	संयुक्त प्रचालन	9	1.40	-	-	-	-	**1.40**
ग)	**अन्य राशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से दायी है**							
	ग्राहक द्वारा समय विस्तार हेतु आवेदन के निपटान के लिए लंबित तरलीकृत क्षति		9.27	-	-	-	-	**9.27**
	कुल		**1,107.99**	**310.38**	**(182.46)**	**-**	**(182.46)**	**1,235.91**

फुट नोट

1 आयकर प्राधिकरण ने विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के संबंध में विभिन्न आपत्तियों के लिए मांग उत्पन्न की है। इनमें से कई मामले कंपनी के पक्ष में न्यायाधीन हुए हैं कि किन्तु संबंधित विभिन्नों ने उच्चतर प्राधिकरणोंा में इन मुद्दों को उठाया है। कंपनी इन मांगों का विरोध कर रही है, जो विभिन्न अपील स्तरों पर लंबित हैं। स्वतंत्र कर विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर और इन अपीलों की गतिविधियों के आधार पर, प्रबंधन को विश्वास है कि अपील प्रक्रिया के पूरा होने पर मांग किए गए अतिरिक्त कर को निरस्तर कर दिया जाएगा और तदनुसार, अपील प्राधिकारियों द्वारा लंबित निर्णय लिया जाएगा, एवं इन वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

2 इंटरनेशनल मेट्रो टनलिंग ग्रुप, कंपनी के संयुक्त प्रचालन के मामले में, आयकर प्राधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2010–11, 2012–13 तथाा 2013–14 के लिए वित्तीय वर्ष 2008–09 और 2011–12 के लिए उत्पाद शुल्क के संबंध में आय खाते में **0.24 करोड रूपए** (0.24 करोड रूपए) की मांग उत्पन्न की है जिसे बाद में वर्षों में घोषित किया गया था। संयुक्त प्रचालन ने उक्त वित्तीय वर्षों के लिए इन मांगों के विरूद्ध उपयुक्त अपील प्राधिकरणों के समक्ष अपीलें दायर की हैं। कंपनी संयुक्त प्रचालन में हित के भाग के अनुसार उक्त मांग के लिए संयुक्त रूप से दायी है। यह निर्णय अपील प्राधिकरणों के समक्ष लंबित है और इसलिए, वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3 उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवाकर, वेट आदि के संबंध में प्राधिकारियों के समक्ष विभिन्न विवाद लंबित हैं। कंपनी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई इन मांगों का विरोध कर रही है और ये मामले विभिन्न अपील प्राधिकरणों के समक्ष लंबित हैं। अपील के आधार पर तथा स्वतंत्र कर विशेषज्ञों की सलाह पर, प्रबंधन को विश्वास है कि विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष संबंधित इन मामलों में सफल होने के युक्तिसंगत कारण हैं। उपर्युक्त मामलों के अंतिम निर्णय के लिए लंबित होने पर, वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किए गए हैं। **293.45 करोड रूपए** (110.44) करोड रूपए सहित उपर्युक्त विवादित अप्रत्यक्ष कर मांगों, जिनकी प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की गई है और **202.34 करोड रूपए** (167.82 करोड रूपए) की प्रतिपूर्ति ग्राहकों से की गई है।

4 इंटरनेशनल मेट्रो टनलिंग ग्रुप, कंपनी के संयुक्त प्रचालन के मामले में, श्रम व्ययों के गैर प्रावधान के कारण **4.25 करोड रूपए** (4.25 करोड रूपए) की राशि के बिक्री कर प्राधिकारियों के समक्ष विवादित मांग लंबित हैं। संयुक्त प्रचालन ने इन मांगों के विरूद्ध उपयुक्त अपील प्राधिकरणों के समक्ष अपीलें दायर की हैं। यह निर्णय अपील प्राधिकरणों के समक्ष लंबित है और इसलिए, वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

5 कंपनी निर्माण संविदा शर्तों संबंधी विभिन्न विवादों में विभिन्न विधिक मुकदमों में एक पक्ष है जो भारत और विदेश में विभिन्न न्यायालयों और मध्यस्थता प्रक्रियाओं के समक्ष लंबित है। कुछ ठेकेदारों ने संविदा मूल्यों में संवर्धन, मूल्य संवर्धन सहित संशोधित कार्य अनुसूची, कार्य के विस्तारित

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

अवधि, निष्क्रीय प्रभर आदि के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु कंपनी पर दावें प्रस्तुत किए हैं। इन दावों का कंपनी द्वारा विरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार अनुमेय नहीं हैं। **613.84 करोड रूपए** (579.51 करोड रूपए) के कुल दावों में से **103.52 करोड रूपए** (85.79 करोड रूपए) के प्रावधान किए गए हैं और शेष **510.32 करोड रूपए** (493.73 करोड रूपए) के शेष दावों को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है। कंपनी ने **137.11 करोड रूपए** (185.79 करोड रूपए) की राशि के लिए संविदा की शर्तों के अनुसार अनुमेय ठेकेदारों पर प्रति दावे दायर किए हैं। इन दावों पर ब्याज पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि ये अनिश्चित हैं।

6 एक ठेकेदार यथा मैसर्स साई इंजीनियर्स ने संविदा की शर्तों पर विवाद के लिए **0.02 करोड रूपए** (0.02 करोड) की राशि हेतु इंटरनेशनल सिविल कांट्रैक्टर के विरूद्ध मुकदमा दायर किया है। इसका निर्णय अपील प्राधिकारियों के समक्ष लंबित है और इसलिए, वित्तीय विवरण में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

7 कंपनी के विरूद्ध न्यायालयों में कर्मचारियों/अन्यों के संबंध में कुछ मामले लंबित हैं, जिनके संबंध में देयताओं को निर्धारित नहीं किया गया है।

8 कंपनी ने ग्राहाकों को निष्पादन गारंटी के लिए **10.00 करोड रूपए** (4.02 करोड रूपए) की राशि हेतु अपनी सहायक कंपनी इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड की ओर से बैंक गारंटी दी है।

9 कंपनी ने उधमपुर कटरा खंड पर ब्राड गेज बेलेस्टलेस रेलपथ के अभिकल्प और निमार्ण के निष्पादन हेतु **1.40 करोड रूपए** (1.40) करोड रूपए की राशि के लिए इरकॉन–आरसीएस–पिलफिडरर, संयुक्त प्रचालन की ओर से बैंक गारंटी दी है।

(iii) आकस्मिक परिसंपत्तियां

इंड एएस 37–प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटन निम्नानुसार है:

क) कंपनी द्वारा अपने कुछ ग्राहकों पर दावे प्रस्तुत किए गए हैं और मध्यस्थताओं द्वारा इन्हें कंपनी के पक्ष में प्रदान किया गया है, जिसके प्रति ग्राहक न्यायालय में चले गए हैं और इन्हें प्राप्य के रूप में लेखांकित नहीं किया गया है यथा **419.46 करोड रूपए** (398.57 करोड रूपए) जिसमें प्रदान मध्यस्थता के अनुसार 31.03.2020 तक परिकलित ब्याज शामिल है।

ख) कंपनी द्वारा उप ठेकेदार पर प्रति दावा दायर किया गया और इसे मध्यस्थता द्वारा कंपनी के पक्ष में निर्णय दिया गया, जिसके विरूद्ध वे न्यायालय में गए और इसे प्राप्यों के रूप में लेखांकित नहीं किया गया है यथा **22.81 करोड रूपए** (19.96 करोड रूपए)।

ग) कंपनी के पक्ष में इथोपिया के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार दिनांक 31.03.2020 तक परिकलित ब्याज सहित **0.87 अमरीकी डालर** (0.86एमएन अमरीकी डॉलर) तथा इथोपियन बिरर **1.10 एमएन** (1.05 एमएन बिर) समतुल्य **6.80 करोड रूपए** (6.14 करोड रूपए) के बीमा दावे का निर्णय कंपनी के पक्ष में दिया है, जो इथोपिया के उच्च न्यायालय द्वारा आदेश निष्पादन स्तर पर लंबित है।

(iv) प्रतिबद्धता

(रुपए करोड में)

	विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क)	**पूंजी प्रतिबद्धताएं**			
	संविदाओं का अनुमानित मूल्य, जिन्हें पूंजी खाते में निष्पादित किया जाना है (अग्रिम का निवल) और प्रावधान नहीं किया गया है :	1	43.12	56.15
ख)	**अन्य प्रतिबद्धताएं**			
(i)	सहायक कंपनियों में इक्विटी और ऋण के माध्यम से निधियत प्रतिबद्धता	2	1108.31	1682.56
(ii)	संयुक्त उपक्रम कंपनियों में इक्विटी और ऋण के माध्यम से निधियत प्रतिबद्धता	3	61.70	111.70
(iii)	सहायक कंपनियों के लिए काउंटर बैंक गारंटी	4	158.75	145.27
	कुल		**1,371.88**	**1,995.68**

फुट नोट

(रुपए करोड में)

1

क्र.सं	पूंजी प्रतिबद्धता	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
1	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि	2.01	47.59
2	निवेश परिसंपत्तियां पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि	24.74	8.56
3	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि	16.37	-
	कुल	**43.12**	**56.15**

(रुपए करोड में)

2

क्र. सं	सहायक कंपनियों का नाम	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
		इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण
1	इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	-	57.52	-	136.89
2	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	-	157.96	-	160.52
3	इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	53.00	233.78	113.00	373.00
4	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि.	-	606.05	4.00	895.15
	कुल	**53.00**	**1,055.31**	**117.00**	**1,565.56**

(रुपए करोड में)

3

क्र. सं.	संयुक्त उपक्रम का नाम	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
		इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण
1	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	36.28	-	36.28	-
2	छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	0.13	-	0.13	-
3	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	1.29	-	1.29	-
4	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	0.01	-	0.01	-
5	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड '	-	-	-	50.00
6	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	24.00	-	24.00	-
	कुल	**61.70**	**-**	**61.70**	**50.00**

* ब्याज मुक्त ऋण सहित ऋण।

4 500 करोड रूपए (500 करोड रूपए) की राशि के लिए सहायक कंपनियों को बैंक गारंटी जारी करने के लिए इंडियन ओवरसीस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को काउंटर गारंटी। 500.00 करोड रूपए की कुल सीमा में से, इंडियन ओवरसीस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने 341.25 करोड रूपए (354.73 करोड रूपए) के स्तर तक बैंक गारंटियां जारी की हैं। इसलिए, बैंक गारंटियों को जारी करने की शेष सीमा 158.75 करोड रूपए (145.27 करोड रूपए) है।

40 खण्ड रिपोर्टिंग

इंड एएस–108 ''प्रचालन सेगमेंट के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है :

क. सामान्य सूचना

प्रचालन सेगमेंटों को उपक्रम के उस घटक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे लिए विशिष्ट वित्तीय सूचना उपलब्ध है जिसकी मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है, यह निर्णय लेने के लिए कि संसाधनों का आवंटन और निष्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाए। कंपनी की निदेशक मंडल मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक है। प्रचालन क्षेत्रों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वे मुख्य प्रचालन नीति निर्धारक (सीओडीएम) को उपलब्ध कराई गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप हो। कंपनी ने भौगोलिक दृष्टिकोण से उल्लेखनीय प्रचालन क्षेत्र का निर्धारण किया है।

ख. रिपोर्टेबल क्षेत्रों तथा वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित राशि के समाधान के संबंध में सूचना :

(रुपए करोड में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
सेगमेंट राजस्व						
बाहरी ग्राहकों से राजस्व	443.35	585.55	4,759.10	3,829.55	**5,202.45**	4,415.10
कुल प्रचालन राजस्व	**443.35**	**585.55**	**4,759.10**	**3,829.55**	**5,202.45**	**4,415.10**
ब्याज आय	5.34	5.61	187.11	209.95	**192.45**	215.56
अन्य आय	27.62	13.30	19.20	35.58	**46.82**	48.88
अंतर : सेगमेंट	-	-	-	-	-	-
कुल राजस्व	**476.31**	**604.46**	**4,965.41**	**4,075.08**	**5,441.72**	**4,679.54**
सेगमेंट परिणाम						
प्रावधान, मूल्यह्रास, ब्याज, आपवादिक मद और कर से पूर्व लाभ	201.37	33.07	521.80	589.03	**723.17**	622.10
घटाः प्रावधान और बट्टा खाता	(7.02)	7.48	(9.25)	1.73	**(16.27)**	9.21

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रुपए करोड़ में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
घटा : मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	(3.78)	(4.14)	(12.15)	(7.56)	**(15.93)**	(11.70)
घटा : प्रावधान	-	-	(18.40)	(4.43)	**(18.40)**	(4.43)
कर पूर्व लाभ	**190.57**	**36.41**	**482.00**	**578.77**	**672.57**	**615.18**
घटा : कर व्यय	(27.61)	(19.07)	(155.18)	(151.43)	**(182.79)**	(170.50)
कर पश्चात लाभ	**162.96**	**17.34**	**326.82**	**427.34**	**489.78**	**444.68**

ग. अन्य सूचना

(रुपए करोड़ में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
कुल परिसंपत्तियां	647.03	600.77	11,997.08	12,368.67	12,644.11	12,969.44
कुल देयताएं	576.57	613.59	7,906.41	8,406.31	8,482.98	9,019.90
इक्विटी विधि द्वारा संयुक्त उद्यमों में निवेश	-	-	-	-	-	-
वित्तीय माध्यमों, आस्थगित कर परिसंपत्तियां, निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्तियों से इतर गैर–चालू परिसंपत्तियां.	29.39	32.26	875.89	778.41	905.28	810.67
पूंजीगत व्यय (पीपीई, सीडब्ल्युआईपी, निवेश परिसंपत्ति, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां तथा विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां)	0.21	0.73	136.90	174.94	137.11	175.67

घ. प्रमुख ग्राहकों के संबंध में सूचना :

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, घरेलू क्षेत्र में एकल बाहरी ग्राहक से लगभग 57.53 प्रतिशत (55.84 प्रतिशत) प्रचालन राजस्व अर्जित किया गया है।

41. राजस्व

क. राजस्व का विचलन

प्रचालन सेगमेंट और उत्पादन या सेवा के प्रकार के संबंध में ग्राहकों के साथ संविदाओं से कंपनी के राजस्व का विचलन निम्नानुसार है :

(रुपए करोड़ में)

उत्पादों और सेवाओं का प्रकार	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु						
	इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्व मापन की विधि		अन्य राजस्व	लाभ हानि विवरण/सेगमेंट रिर्पोटिंग के अनुसार कुल
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे	3,700.83	420.76	**4,121.59**	4,121.59	-	6.62	**4,128.21**
राजमार्ग	947.72	-	**947.72**	947.72	-	5.45	**953.17**
इलैक्ट्रिकल	17.69	7.37	**25.06**	25.06	-	-	**25.06**
भवन	1.08	-	**1.08**	1.08	-	-	**1.08**
अन्य	75.49		**75.49**	75.49	-	19.44	**94.93**
कुल	**4,742.81**	**428.13**	**5,170.94**	**5,170.94**	-	**31.51**	**5,202.45**

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से **5,170.94 करोड रूपए** को समयावधि में स्वीकार किया गया और **शून्य** को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

(रुपए करोड में)

उत्पादों और सेवाओं का प्रकार	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु						
	इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्व मापन की विधि		अन्य राजस्व	लाभ हानि विवरण/सेगमेंट रिर्पोटिंग के अनुसार कुल
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे	3,169.68	568.74	**3,738.42**	3,567.70	26.82	2.59	**3,741.01**
राजमार्ग	554.52	-	**554.52**	518.32	-	0.10	**554.62**
इलैक्ट्रिकल	97.35	-	**97.35**	179.29	-	-	**97.35**
भवन	5.26	-	**5.26**	5.26	-	-	**5.26**
अन्य	-	-	-	98.16	-	16.86	**16.86**
कुल	**3,826.81**	**568.74**	**4,395.55**	**4,368.73**	**26.82**	**19.55**	**4,415.10**

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से **4368.73 करोड रूपए** को समयावधि में स्वीकार किया गया और **26.82 करोड रूपए** को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

ख. कंपनी ने इंड एएस 115 ''ग्राहकों से संविदाओं से राजस्व'' के अनुप्रयोग के लिए पूर्वलक्षी आशोधित परिदृश्य का प्रयोग किया है और दिनांक 1 अप्रैल 2018 को प्रतिधारित आमदनियों पर इसका प्रभाव शून्य है।

ग. संविदा शेष

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
व्यापार प्राप्य (नोट 12.2)	559.34	505.14
संविदा परिसंपत्तियां (नोट 8.3, 12.6)	695.03	580.94
संविदा दायित्व (नोट 20 और 22)	2,240.64	2,747.36

(i) व्यापार प्राप्य गैर–ब्याज धारणीय है और ग्राहक प्रोफाइल में शामिल हैं – रेल मंत्रालय, भारत तथा विदेश में सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, राज्य स्वामित्व कंपनियां। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिन की ऋण अवधि सीमा के साथ मासिक प्रगति भुगतान शामिल हैं।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय विचार करने के लिए कंपनी के अधिकार को प्रकट करने के लिए सेवाएं निष्पादित की जाती हैं। इसमें निर्माण संविदाओं के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष राशियां शामिल हैं, जो उस समय उत्पन्न होती हैं, जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करती है, तथापि राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उस अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है। पूर्व में संविदा परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार की गई किसी राशि को संलग्न शर्तें के संतोष के स्तर पर व्यापार प्राप्यों के रूप में पुनःवर्गीकृत किया जाता है, जो कि बिलिंग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

वर्ष के दौरान संविदा शेषों में संचलन

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्ष के आरंभ में संविदा परिसंपत्तियां	580.94	518.53
वर्ष के अंत में संविदा परिसंपत्तियां	695.03	580.94
निवल वृद्धि/कमी	**114.09**	**62.41**

इनपुट आधार पर राजस्व को स्वीकार करने के कारण पिछले वर्ष की तलुना में वर्ष 2019–20 व 2018–19 के लिए इसमें 114.09 करोड रूपए और 62.41 करोड़ रूपए की वृद्धि हुई है, जबकि किए गए कार्यों के लिए बिलों को संविदा शर्तों पर प्रमाणित किया गया है।

(iii) निर्माण संविदाओं से संबंधित संविदा देयताएं ग्राहकों से शेष राशियों के कारण हैं, यह तब उत्पन्न होती हैं जब विशिष्ट माइलस्टोन भुगतान इनपुट विधि के अंतर्गत उक्त तिथि का स्वीकार राजस्व से अधिक हो जाता है और अग्रिम दीर्घकालीन निर्माणए संविदाओं में प्राप्त होता है। प्राप्त अग्रिम की राशि को उस समय समायोजित किया जाता है जब ग्राहकों से इनवाइस प्राप्त हो जाता है।

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्ष के आरंभ में संविदा देयताएं	2,747.36	3,174.17
वर्ष के अंत में संविदा देयताएं	2,240.64	2,747.36
निवल वृद्धि/कमी	**(506.72)**	**(426.81)**

वर्ष 2019–20 तथा 2018–19 के लिए पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः **506.72 करोड़ रूपए** तथा 426.81 करोड़ रूपए की कमी हुई है, जो मुख्य रूप से वर्ष के दौरान निष्पादित कार्यों के प्रति ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशियों के समायोजन के करण है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

घ. निम्नलिखित से स्वीकृत राजस्वी की राशि का ब्यौराः

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्ष के आरंभ में संविदा दायित्वों में शामिल राशि	1,812.63	2,067.51
पिछले वर्षों में संतुष्ट निष्पादन दायित्व	-	-

ड. संविदा प्राप्त करने की लागत

दिनांक 31 मार्च 2020 को परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत राशि शून्य (दिनांक 31 मार्च 2019 को रूपए शून्य) है।

वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत परिशोधन की राशि शून्य (वित्तीय वर्ष 2018–19 को रूपए शून्य) है।

च. निष्पादन दायित्व

कंपनी के निष्पादन दायित्वों संबंधीसूचना नीचे सारबद्ध है :

दिनांक 31 मार्च को शेष निष्पादन दायित्वों को आवंटित संव्यवहार मूल्य ;असंतुष्ट या आंशिक असंतुष्ट, निम्नानुसार है :

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
एक वर्ष के भीतर	3,500.00	5,200.00
एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष के भीतर	6,000.00	5,500.00
दो वर्ष से अधिक	21,213.00	19,463.52
कुल	**30,713.00**	**30,163.52**

42 पट्टे

क) पट्ाधारी के रूप में कंपनी

पट्टाधारी के रूप में कंपनी ने विभिन्न पट्टा संविदाओं में प्रवेश किया है, जिसमें भूमि, कार्यालय स्थान, गेस्ट हाउस तथा वाहनों के पट्टे शामिल हैं। इंड एएस 116 को स्वीकार करने से पूर्व, कंपनी वित्तीय पट्टे या प्रचालन पट्टे को आरंभि तिथि को अपने पट्टों (पट्टाधारी के रूप में) का वर्गीकरण करती है। कंपनी के पास 12 महीनों या कमी की अवधि के पट्टों सहित कतिपय कार्यालयों और गेस्ट हाउस के पट्टे हैं। कंपनी इन पट्टों के लिए 'अल्पकालीन पट्टा' स्वीकृत छूटों के लिए आवेदन करती है।

प्रयोग अधिकार परिसंपत्ति

वर्ष के दौरान प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियों की वहन राशियों की स्वीकृति और संचलना को नोट 7 में प्रकट किया गया है।

पट्टा देयताएं

वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं की स्वीकृति और संचलनों के वहन मूल्य को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है।

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को
1 अप्रैल 2019 को आरंभिक शेष	-
इंड एएस 116 की स्वीकृति पर पारगमन प्रभाव	0.21
ब्याज को मान्यता	-
भुगतान	(0.04)
31 मार्च 2020 को शेष	**0.17**
चालू	**0.03**
गैर चालू	**0.14**

पट्टा देयता की परिवक्ता विश्लेषण को नोट–31 में शामिल किया गया है। वित्तीय देयताओं की परिवक्वताओं के अंतर्गत वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां।

लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत राशि

(रुपए करोड़ में)

	31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि हेतु
प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियों का मूल्यहास व्यय (संदर्भ नोट 29)	0.33
पट्टा दायित्वों पर ब्याज व्यय (संदर्भ नोट 28)	-
अल्पकालीन पट्टों संबंधी व्यय (संदर्भ नोट 26 (iii))	6.80
	7.13

कंपनी के पास अनेक पट्टा संविदाएं हैं जिनमें विस्तार और समापन विकल्प वाले पट्टे शामिल हैं। ये विकल्प प्रबंधन द्वारा वार्तायोग्य हैं और कंपनी की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। प्रबंधन यह निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण विवेकाधीकार का प्रयोग करता है कि क्या ये विस्तार और समापन विकल्प प्रयोग हेतु युक्तिसंगत हैं।

विस्तार और समापन की प्रयोग तिथि के अनुसरण पर अवधि से संबंधित रियायती संभावित भावी किराया भुगतान निम्नानुसार हैं, जिन्हें पट्टा अवधि में शामिल नहीं किया गया हैः

(रुपए करोड में)

विवरण	पांच वर्षों के भीतर	पांच वर्षों से अधिक	कुल
विस्तार विकल्प जिनका प्रयोग नहीं किया जाना है	-	-	-
समापन विकल्प जिनका प्रयोग किया जाता है	-	-	-
	-	-	-

ख. पट्टादाता के रूप में कंपनी

(i) कंपनी ने प्रचालन पट्टों के अंतर्गत भवनों को दिया है। पट्टा किराया (किराया और सेवा प्रभार) समग्री रूप से **7.58 करोड रूपए** हैं (8.20 करोड़ रूपए) जिन्हें पट्टा व्यवस्थाओं के अनुसार लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

(ii) कंपनी ने प्रचालन पट्टों के अंतर्गत मशीनरीं को दिया है। पट्टा आय (किराया और सेवा प्रभार) समग्री रूप से **16.66 करोड रूपए** हैं (11.41 करोड़ रूपए) जिन्हें पट्टा व्यवस्थाओं के अनुसार लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

गैर–रद्दकरणीय प्रचालन पट्टों के अंतर्गत प्राप्य भावी न्यूनतम किराये निम्नानुसार हैं:

(रुपए करोड में)

	31 मार्च 2020 को
एक वर्ष के भीतर	0.41
एक वर्ष क पश्चात किन्तु पांच वर्षों से अधिक नहीं	2.29
पांच वर्षों से अधिक	-
	2.70

नोटः

सेक्टर–43, नोएडा में रिटेल मॉल के लिए चयनित रियातग्राहियों को कार्य प्रदान पत्र जारी किया गया है। तथापि, रियायत करार में प्रवेश करने सहित रियायतग्राहियों के भाग में कतिपय दायित्वों को अभी पूरा किया जाना है। इसलिए, इसे भावी न्यूनतम प्राप्य किराए में शामिल नहीं किया गया है।

43 सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2015 की अनुसूची–5 द्वारा अपेक्षित प्रकटन :

विनियम 34(3), सेबी (एलओडीआर) विनियमए 2015, के अंतर्गत अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :

(रुपए करोड में)

	कंपनी का नाम	को बकाया राशि		को समाप्त वर्ष के दौरान न्यूनतम अपेक्षित राशि	
		31 मार्च 2020	31 मार्च 2019	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
क	**ऋणों की प्रकृति के ऋण एवं अग्रिम**				
	सहायक कंपनियों हेतु				
	इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	417.22	337.85	474.74	337.85
	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	564.15	561.59	568.35	561.59
	इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	269.22	130.00	269.22	130.00
	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि.	181.00	-	181.00	-
	संयुक्त उद्यम कंपनियों हेतु				
	छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	39.00	39.00	39.00	39.00
ख	**कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के शयरों में ऋणी द्वारा निवेश (उपर्युक्त ब्यौरे अनुसार)**	-	-	-	-

फुटनोटः

1 सहायक कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों/संबद्ध कंपनियों/फर्मों अन्यों को ऋण और अग्रिमों में कोई संव्यवहार नहीं हैं, जहां निदेशक हितधारी हैं, उपर्युक्त प्रकटनों से इतर।

44. सूक्ष, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षति ब्यौरा निम्नानुसार है

(रुपए करोड में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
1	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदेश शेष मूल राशि और उस पर ब्याजः		
	सूक्ष, लघु और मध्यम उद्यमों को देश मूल राशि	4.28	17.04
	उपर्युक्त पर देय ब्याज	-	-
2	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के पश्चात आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि सहित सूक्ष, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के खंड 16 की शर्तों में कंपनी द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि।	-	-
3	प्रदत्त भुगतान में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है किन्तु वर्ष की निर्धारित तिथि के पश्चात) किन्तु सूक्ष, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्धारित अनुसार ब्याज को शामिल किए बिना।	-	-
4	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में संचित ब्याज की राशि जो भुगतान के लिए शेष है।	-	-
5	अगले वर्ष भी देय और भुगतान योग्य राशि पर और ब्याज की राशि, जब तक कि लघु उपक्रम को वास्तव में किए गए भुगतान की तिथि पर ब्याज देय है, जो कि सूक्ष, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के खंड 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय की गैर–अनुमति के प्रयोजन हेतु है।	-	-

45. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर)

लोक उपक्रम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 के अनुसार कंपनी का अपनी सीएसआर नीति के अनुसार तीन तत्काल पूर्व वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी को हुए निवल औसत लाभों के कम से कम 2 प्रतिशत की दर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खर्च करना अपेक्षित है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय किए जांने हेतु अपेक्षित सकल राशि	**9.88**	**8.74**

ख) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशि

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु		
	नकद में प्रदत्त	भुगतान किया जाना है	कुल	नकद में प्रदत्त	भुगतान किया जाना है	कुल
परिसंपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण पर*	2.34	-	**2.34**	1.23	-	**1.23**
उपर्युक्त से इतर प्रयोजनों हेतु	7.70	-	**7.70**	7.51	-	**7.51**
कुल	**10.04**	**-**	**10.04**	**8.74**	**-**	**8.74**

* खरीदी और संबंधित संगठनों को सुपुर्द की गई परिसंपत्तियां कंपनी द्वारा धारित नहीं हैं

ग) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली शेष राशि

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशि (उपर्युक्त (क) के अनुसार)	9.88	8.74
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की गई सकल राशि (उपर्युक्त (ख) के अनुसार)	10.04	8.74
कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली शेष राशि	**-**	**-**

घ) प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत सीएसआर व्ययों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(रुपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
कोविड–19 के विरूद्ध लड़ाई के लिए प्रधान मंत्री केयर्स निधि में अंशदान	4.50	-
भूख, गरीबी व कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखरेख और स्वच्छता का संवर्धन तथा सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना	1.72	3.51
विशेष रूप से बच्चों में व्यावसायिक कौशल संवर्धन सहित विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा का संवर्धन	2.97	2.44
पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करना	0.33	2.39
महिलाओं और अनाथों के लिए होम और होस्टल की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम डे–केयर केन्द्रों और ऐसी अन्य सुविधाओं की स्थापना	0.18	-
खेलकूद	-	0.19
अन्य /अन्य प्रशासनिक लागत सहित	0.34	0.21
कुल	**10.04**	**8.74**

46 कोविड–19 प्रकटन

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दिनांक 11 मार्च 2020 को नोवेल कोरोनावायरस (कोविड–19) को वैश्विक महामारी घोषित की है। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार ने दिनांक 24 मार्च 2020 को देशभर में लॉकडाउन की घोषणा की थी और गैर–अनिवार्य व्यवसायों को अस्थायी रूप से बंद करने, वस्तुओं और सेवाओं के संचलन, यात्रा आदि में प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए थे।

कंपनी द्वारा निष्पादित किए जाने वाले व्यवसाय की प्रकृति गैर अनिवार्य श्रेणी में आती है, जिसके कारण कंपनी को केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जारी लॉकडाउन अनुदेशों के अनुपालन में अपने सभी चालू प्रचालन परियोजनाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करना पड़ा। इन राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण परियोजना निष्पादन, आपूर्ति श्रृंखला अवरोध 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन के दौरान कार्मिकों की अनुपलब्धता के रूप में कंपनी के सामान्य प्रचालनों पर प्रभाव पड़ा था।

केन्द्रीय और राज्य सरकार ने लॉकडाउन को समाप्त करने के लिए कदम उठाने आरंभ किए हैं और कंपनी इसका अनुपालन कर रही है, चूंकि कंपनी ने उपलबध संसाधनों के आधार पर अपनी गतिविधियों को आरंभ कर दिया है। कंपनी धीरे धीरे मई के आरंभ से विभिन्न परियोजना स्थलों पर अपने प्रचालनों को आरंभ करने में सक्षम हुई है। कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थता को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव पूर्वोपाय किए हैं और कोविड–19 के प्रसार के निवारण के लिए एसओवी निर्धारित की है तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। कंपनी को आशा है कि धीरे धीरे प्रवासी श्रमिकों के कार्य पर वापस आने से लॉकडा उनके पूर्व की स्थिति जैसी सामान्यता प्राप्त होने पर निर्माण कार्य अपने इष्टतम स्तर पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही साथ कंपनी आगे कि निर्माण कार्यों के गति लााने के लिए प्रौद्योगिकी के उन्नत प्रयोगों का भी दोहन कर रही है।

वित्तीय निष्पादन

कंपनी विश्वास करती है कि चूंकि अभी तक कोविड–19 महामारी का राजस्व और लाभप्रदत्ता की दत्रष्टि से कंपनी के वित्तीय निष्पादन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि कंपनी ने चालू वर्ष में अपने निर्धारित राजस्व को रिकार्ड किया है।

नकदी

कंपनी के पास अपने प्रचालन के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध है। कंपनी के अल्पकालीन निवेश ऐसे माध्यमों में हैं जिन्हें आवश्यकता के आधार पर नकदीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पास सुदृढ 30,700 करोड़ रूपए की आर्डर बुक है, जो हमें पर्याप्त रोकड़ प्रवाह व्यवहार्यता उपलब्ध कराती है।

कंपनी को आशा है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के संबंध में उपलब्ध सूचना के आधार पर व्यवसाय के सामान्य प्रक्रिया में कंपनी परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश परिसंपत्तियों, अमूर्त परिसंपत्तियों, प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियों, दरसूची, अग्रिमों, व्यापार प्राप्यों, आस्थगित करों, अन्य वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों आदि सहित अपनी सभी परिसंपत्तियों के वहन मूल्य को वसूल कर लेगी।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

सुगम प्रचालन हेतु किए गए उपाय

लॉकडाउन अवधि के दौरान, कंपनी ने कोविड–19 लॉकडाउन के पश्चात व्यवहास हेतु नए सामान्य स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। कंपनी के गैर–महत्वपूर्ण स्थलों पर कार्य करने के लिए कंपनी सरकारी प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कर्मचारियों के लिए घर से कार्य की शर्तों और रोस्टर को सुचारू बना रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए कोविड–19 के संबंध में कड़ी मॉनीटिरिंग प्रक्रियों को स्थापित किया है :

» सभी कर्मचारियों और आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग

» नियमित आधार पर परिसरों और वाहनों का सेनिटाइजेशन

» सभी कार्य स्थलों पर सामाजिक दूरी का अनुरक्षण

» मास्क पहनने और नियमित रूप से हाथों को धोने की प्रक्रिया को लागू करना

» सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों का नियमित स्वास्थ्य जांच

» अपने सभी कर्मचारियों के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन

कोविड–19 के भावी प्रभाव का आकलन

परियोजना का कार्य आरंभ होने के साथ, कंपनी नियमित रूप से अपने प्रचालनों की समीक्षा कर रही है और इस महामारी के कारण हुए समय के नुकसान की भरपाई करने के हर संभाव प्रयास कर रही है। हालांकि प्रबंधन को संभावना है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में राजस्व और लाभप्रदत्ता में कमी होगी, समय समय पर लॉकडाउन अवरोध के प्रभाव का आंकलन किया जा रहा है और इसकी सूचना राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों और स्वास्थ्य प्राधिकारियों को दी जाएगी चूंकि हम वर्तमान स्थिति में आगे बढ रहे हैं। इसलिए इस स्तर पर विश्वसनीयता के साथ इसके भावी प्रभावों का पूर्वानुमान संभव नहीं हैं।

वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का वास्तविक प्रभाव अनुमानों से भिन्न हो सकता है, क्योंकि कोविड–19 की स्थिति भारत और विश्व में फैली हुई है। तथापि, कंपनी भावी आर्थिक स्थितियों में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की गहन निगरानी जारी रखेगी।

47 अन्य प्रकटन

क) कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद–115खकक के अंतर्गत अनुमत विकल्प का प्रयोग करने का चयन किया है, जैसा कि कर नियम (संशोधन) विधेयक, 2019 द्वारा आरंभ किया गया है। तदनुसार, आयकर कर परिवर्तित होकर 34.944% से 25.168% हो गई है। नए कर दर के अनुसार संचित आस्थिगित कर परिसंपत्तियों का पुनःमापन के कारण 40.46 करोड़ रूपए के एकमुश्त अतिरिक्त प्रभार उत्पन्न हुआ है।

वर्ष 2019–20 तक, कंपनी अनुच्छेद 80– ।क के अनंतर्गत कटौती को ध्यान में रखे बिना आयकर हेतु प्रावधान कर रही थी। वर्ष 2000–01 से 2019–20 से आरंभ अवधि के लिए, आर्थ विभिन्न वर्षों के लिए सीआईटी(क) द्वारा कंपनी को 80– ।क के अंतर्गत कटौती की अनुमति दी गई है (वर्ष 2004–05, 2005–06, 2007–08, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16 और 2016–17) और वर्ष 2000–01, 2001–02, 2002–03, 2003–04, 2004–05 और 2005–06 और इसकी अनुमति आईटीएटी द्वारा दी गई थी। इन वर्षों में से कंपनी अभी भी वर्ष 2007–08, 2012–13 तथा 2013–14 के लिए 80– ।क के अंतर्गत कटौती हेतु प्रावधान कर रही है जो इन वर्षों के लिए कंपनी के प्रति विभाग द्वारा दायर अपीलों पर विचार करते हुए परम्परागत परिदृश्य में किया गया है। तथापि, वर्ष 2014–15 से आगे, सीआईटी(क) द्वारा 80– ।क के अंतर्गत कटौती की अनुमति के पश्चात कंपनी 80– ।क के अंतर्गत कटौती के प्रति बठ्टा खाता प्रावधान कर रही है।

वर्ष 2019–20 तक कंपनी डीटीएए करारों के अनुसार, जहां कर निर्धारण हेतु प्रस्तावित वैश्विक आय से विदेशों में अर्जित आय को अलग रखा जा रहा था, के पश्चात भारत में कर हेतु वैश्विक आय प्रस्तावित किया जा रहा था। कंपनी को वर्ष 2005–06 तक एक्सक्लूजन विधि की अनुमति थी, तत्पश्चात विदेशों में प्रदत्त करों के प्रति ऋण को विभिन्न द्वारा वैश्विक आय पर परिकलित करों की अनुमति दी गई है। देय कर का भुगतान करने के पश्चात, आईटीएटी के समक्ष निपटान हेतु लंबित अपीलों को दायर करने इस मुद्दे का निवारण किया गया है।

ख) लागत जमा परियोजनाओं में कुछ संविदाकारों द्वारा किए गए दावों के कारण विभिन्न न्यायालयों और अपील प्राधिकरणों के समक्ष कंपनी के विरूद्ध कुछ अन्य मामले लंबित है। ऐसे मामलों में, कंपनी संविदा की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से पूर्ण प्रतिपूर्ति पर बल देती है और किसी प्रकार से संसाधनों के आर्थिक आउटफ्लों की आशा करती है। इस संबंध में न्यायाधीन कुल दावे 2,190.76 करोड़ रूपए (2,034.49 करोड़ रूपए) के हैं, जिनमें से 5.58 करोड़ रूपए (23.43 करोड़ रूपए) के लिए प्रावधान किया गया है, जिसकी प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की गई है। कंपनी ने 1,128.25 करोड़ रूपए (1,475.16 करोड़ रूपए) के लिए ठेकेदारों के प्रति दावा भी किया है। इन दावों पर ब्याज पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि यह अनिश्चित हैं।

ग) माननीय उच्च न्यायालय ने समतुल्य राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के प्रति ओरी राजमार्ग परियोजना यूपी–05 हेतु एनएचएआई के प्रति 97.96 करोड़ रूपए की राशि के लिए मध्यस्थता निर्णय प्रदान करने की अनुमति दी है। कंपनी ने न्यायालय के अंतिम निर्णय तक समतुल्य राशि की देयता प्रदान की है।

घ) कंपनी में बैंकों और अन्य पक्षों से शेषों की आवधि पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली उपस्थित है। अभी तक, व्यापार/अन्य देय राशियों तथा ऋण और अग्रिमों के संबंध में, शेष पुष्टि पत्र पक्षों के भेंजे गए थे। कुछ व्यापार प्राप्यों, अन्य परिसंपत्तियों और अन्य देयों के शेष पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजनों,यदि कोई हो, के अध्याधीन हैं। समायोजन नियमित आधार पर किए जाते हैं। तथापि, प्रबंधन ऐसे लंबित पुष्टियों/समायोजनों के किसी महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव की आशा नहीं करती है।

ड) प्रबंधन के मतानुसार, परिसंपत्तियों, सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा गैर चालू निवेशों से इतर परिसंपत्तियों के मूल्य,व्यवसायों की सामान्य प्रकिया में तुलन पत्र में वर्णित अनुसार मूल्यों से कम नहीं होनी चाहिए।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006591एन

ह/–
बी माहेश्वरी
साझेदार
स.सं. 088155

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 10 जुलाई 2020

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

ह/–
एम के सिंह
निदेशक (वित्त)
और मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन 06607392

ह/–
एस के चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00515672

ह/–
रितु अरोड़ा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

समेकित वित्तीय विवरण 2019–20

फॉम एओसी–1

दिनांक 31.03.2020 को सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाता विवरण (कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम–5 के साथ पठित खंड–129 के उपखंड–(3) के प्रथम प्रावधान के अनुसरण में)

भाग– ''क'' : सहयक कंपनियां

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम	शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल)	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (आईपीबीटीएल)	इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड (आईडीएच एचएल)	इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड (आईआईएसएल)	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (आईवीकेईएल)
1	सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि	01.04.2019 से 31.03.2020	01.04.2019 से 31.03.2020	01.04.2019 से 31.03.2020	01.04.2019 से 31.03.2020	01.04.2019 से 31.03.2020
2	रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
3	शेयर पूंजी (शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन)	150.00	165.00	164.05	65.00	10.00
4	अन्य इक्विटी/आरक्षित निधि व अतिरेक (जैसा कि लागू हो)	(62.19)	-15.37	3.54	88.89	126.06
5	देयताएं	568.25	444.54	333.71	169.63	453.54
6	कुल इक्विटी और देयताएं	656.06	594.17	501.30	323.52	589.60
7	कुल परिसंपत्तियां	656.06	594.17	501.30	323.52	589.60
8	निवेश	-	-	-	-	-
9	टर्नओवर	94.88	70.74	392.85	135.51	619.60
10	कर पश्चात लाभ	(30.73)	(17.17)	0.77	14.86	0.31
11	कर के लिए प्रावधान	0.10	0.01	-	3.35	0.07
12	कर पश्चात लाभ	(30.83)	(17.18)	0.77	11.51	0.24
13	अंतरिम लाभांश–इक्विटी	-	-	-	-	-
14	अंतरिम लाभांश– प्रेफरेंस	-	-	-	-	-
15	प्रस्तावित लाभांश–इक्विटी	-	-	-	-	-
16	प्रस्तावित लाभांश – प्रेफरेंस	-	-	-	-	-
17	शेयरधारिता का प्रतिशत	100%	100%	100%	100%	100%

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006591एन

ह/–
बी माहेश्वरी
साझेदार
स.सं. 088155

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 10 जुलाई 2020

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

ह/–
एम. के सिंह
निदेशक (वित्त)
और मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन– 06607392

ह/–
एस.के.चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन– 00515672

ह/–
रितु अरोडा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

भाग– ''ख'' : संयुक्त उपक्रम

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	संयुक्त उद्यमा क नाम	बस्तर रेल प्रा.लि. (बीआरपी एल)	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआर एल)	छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे (सीईडब्ल्यू आरएल)	इरकॉन–सोमा टोलवे प्रा.लि.	झारखंड सेंट्रल रेल लिमिटेड (जेसीआर एल)	महानदी कोल रेल लिमिटेड (एमसीआर एल)	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.
1	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र तिथि	31 मार्च 20	31 मार्च 20	31 मार्च 20	31 मार्च 20	31 मार्च 20	31 मार्च 20	31 मार्च 20
2	वर्ष के अंत मे कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यम के शेयर	26.00%	26.00%	26.00%	50%	26.00%	26%	50%
	धारित शेयरो की संख्या	763,37,300	1225,75,700	1311,70,000	638,70,000	130,00,000	13,000	399,99,700
	संयुक्त उद्यम मे निवेश की राशि (नीचे प्रस्तुत नोट–2)	7633,73,000	12257,57,000	13117,00,000	6387,00,000	6300,00,000	1,30,000	3999,97,000
	कुल शेयरों की संख्या	2936,05,000	4730,00,000	5040,55,000	1277,40,000	550,98,630	50,000	799,99,400
	धारिता प्रतिशत का स्तर	26.00%	25.91%	26.02%	50%	23.59%	26.00%	50.00%
3	वर्णन करें कि महत्वपूर्ण प्रभाव किस प्रकार है संदर्भ नोट–1							
4	कारण के संयुक्त उद्यम को समेकित नही किया गया	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता के प्रति निवल संपत्ति (रुपए करोड़ में)	294.06	539.27	503.36	153.03	56.94	-0.81	159.22
6	वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (रुपए करोड़ मे)	1.18	(22.48)	(0.11)	66.60	1.33	(0.83)	4.77
	(i) समेकिन मे विचारार्थ (रुपए करोड़ में)	0.31	(5.83)	(0.03)	33.30	0.31	(0.01)	2.38
	(ii) समेकन मे गैर विचारार्थ (रुपए करोड़ में)	0.87	(16.66)	(0.08)	33.30	1.02	-0.82	2.38

नोट

1 निवेशिती के वोटिंग अधिकार की 20 प्रतिशत या अधिक की धारिता द्वारा प्रदर्शित महत्वपूर्ण प्रभाव

2 संयुक्त उपक्रम में निवेश की राशि (राशि रुपए मे)

वांछित इकिवटी–जेसीआरएल	5000,00,000
आवेदन रांशि लंबिद आवंटन	5000,00,000

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006591एन

ह/–
बी माहेश्वरी
साझेदार
स.सं. 088155

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 10 जुलाई 2020

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

ह/–
एम. के सिंह
निदेशक (वित्त)
और मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन– 06607392

ह/–
एस.के.चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन– 00515672

ह/–
रितु अरोडा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के सदस्यों के लिए

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण की रिपोर्ट

मत

हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी) (जिसे यहां आगे ''धारक कंपनी'' कहा जाएगा) और इसकी सहायक कंपनियां (धारक कंपनी और सहायक कंपनियों को संयुक्त रूप से समूह कहा जाएगा) के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए समेकित लाभ और हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) और समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण तथा समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं (जिसे यहां आगे समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण कहा जाएगा)।

हमने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया में स्थित 2 (दो) विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। तथापि, हमने शाखाओं का दौरा नहीं किया है और लेखापरीक्षा के प्रयोजन से संगत सूचना हमें निगमित कार्यालय स्तर पर प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई थी।

हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं जो 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार समूह के कार्यों के संदर्भ में कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली , 2015, यथासंशोधित, (''इंड एस'') के साथ पठनीय अधिनियम के अनुच्छेद–133 तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से संगत हैं तथा अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं तथा जिनसे इस तिथि को समाप्त वर्ष के अनुसार समेकित लाभ और समेकित हानि तथा समेकित कुल वृहत आय, समेकित इक्विटी परिवर्तन तथा समेकित रोकड़ प्रवाह की स्थिति प्रस्तुत होती हैं ।

मत का आधार

हमने अधिनियम के अनुच्छेद–143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्वों का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट में समसेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे लेखा परीक्षण से सम्बद्ध स्वतंत्र अपेक्षाओं के साथ हमारा लेखा परीक्षण स्वतंत्र अपेक्षाओं के अनुरूप है तथा हमारे द्वारा इन आचार अपेक्षाओं एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हमारा यह मानना है कि समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारा लेखा परीक्षा मत प्रस्तुत करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विषय पर बल

हम कंपन के प्रचालनों और वित्तीय मामलों पर वैश्विक महामारी कोविड–19 के प्रभाव का उल्लेख करने वाले समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 46 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

उक्त मामले के संबंध में हमारी रिपोर्ट अर्हक नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख मामले वो होते हैं जिनके प्रति चालू अवधि के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में हमारा व्यावसायिक निर्णय निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे मामलों को समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के संदर्भ में पूर्ण रूप से विचार में लिया गया हैं तथा ऐसे मामलों के बारे में हम अपना मत अलग–अलग नहीं दे पा रहे हें। नीचे दी गई प्रस्तुति के अनुसार कुछ प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों का हमने रिपोर्ट के माध्यम से सम्प्रेषण किए जाने के लिए निर्धारण किया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में मामले के प्रति क्या कार्रवाई की गई
(क) इंड एएसः116 पट्टा की दृष्टि से पट्टा स्वीकृति। चालू वर्ष में समूह ने इंड एएस 17 ''पट्टा'' के स्थान पर इंड एस 116 ''पट्टा'' को स्वीकार किया है। इस लेखांकन मानक का अनुप्रयोग और पारगमन जटिल है और यह हमारी लेखापरीक्षा का प्रमुख क्षेत्र है क्योंकि समूह के विभिन्न संविदागत शर्तों के तहत पट्टा करार के प्रमुख राशियां शामिल हैं। इंड एएस 116 नए पट्टे लेखांकन मॉडल को आरंभ करती है, जिसमें पट्टादार को प्रयोग अधिकार (आरओयू) परिसंपत्तियों और तुलन पत्र पर पट्टे से उत्पन्न पट्टा देयताओं को स्वीकार करना अपेक्षित होता है। पट्टा देयताओं को आरंभिक तौर पर संविदा/	इंड एएस 116 को स्वीकार करने पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैः • नई प्रक्रियाओं का आकलन और परीक्षण तथा पट्टा लेखांकन मानक (इंड एएस 116) के संबंध में नियंत्रण। • संविदागत करारों और व्यवसाय के हमारे ज्ञान के आधार पर पट्टों की पहचपन पर समूह के मूल्यांकन का आकलन। • पट्टा देयताओं के निर्धारण में प्रयुक्त रियायत दरों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन हेतु हमारे विशेषज्ञों की संलिप्तता। • दिनांक 1 अप्रैल 2019 को पारगमन परः ➢ पारगमन और संबंधित समायोजनों की विधि का मूल्यांकन

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में मामले के प्रति क्या कार्रवाई की गई
व्यवस्था के अनुसार पट्टे की अवधि के दौरान भावी पट्टा भुगतानों को बट्टे खाते पर मापना होता है। इस मानक को स्वीकार करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमानों की आवश्यकता होती है जिसमें रियायती दों का निर्धारण, पट्टा अवधि आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पारगमन के संबंध में मानक विस्तृत प्रकटन शामिल हैं। ब्यौरे के लिए समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण के नोट 43 का संदर्भ लें।	➢ आरओयू परिसंपत्ति और पट्टा देयताओं के परिकलन में प्रयुक्त आंकडों के प्रति प्रचालन पट्टा प्रतिबद्वताओं के संबंध में कंपनी द्वारा पट्टा डाटा का पूर्णता का परीक्षण। • सांख्यकीय नमूने के आधार पर, हम निम्नलिखित प्रक्रियाओं का निष्पादन करते हैं: ➢ निर्धारित पट्टा संविदाओं के साथ प्रत्येक पट्टे की प्रमुख निबंधनों और शर्तों का आकलन। ➢ प्रमुख अनुमानों जैसे रियायत दरों और पट्टा अवधि जैसे पट्टा देयताओं और चुनौतियों का मूल्यांकित परिकलन। • पारगमन संबंधित प्रकटनों सहित इंड एएस 116 से संबंधित लेखाकन नीति, प्रस्तुतीकरण और प्रकटनों का आकलन और परीक्षण।
ख. सिस्टम परिवेश एवं आंतरिक नियंत्रण धारक कम्पनी में एसएपी सिस्टम स्थापित है परन्तु विदेशी परियोजनाओं के वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से टैली सिस्टम का उपयोग किया जाता है। एफआई–सीओ माड्यूल वर्ष 2012–13 से सीमित उपयोज्यताओं तथा वेतनसूची, मालसूची इत्यादि जैसे किसी अन्य सिस्टम के साथ किसी प्रकार की एकीकरण सहायता के बिना उपयोग में लाया जा रहा है। इसके अलावा, एकीकरण सहायता के साथ एसएपी परियोजना सिस्टम माड्यूल (पीएस) की आवश्यकता परियोजना बीजकों को तैयार किए जाने के लिए अपेक्षित है। धारक कंपनी का सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम पूर्णतः स्वचालित नहीं है तथा इसमें वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा रिपोर्टिंग के लिए मैनुअल हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त सहायक कंपनियां वित्तिय विकरणों को तैयार करने के लिए टैली प्रणाली का भी उपयोग कर रही है।	हमारे द्वारा अन्य अनेक प्रक्रियाओं के साथ साथ निम्नलिखित प्रक्रियाएं उपयोग में लाई गई हैं:– • प्रबंधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सूचना प्रौद्योगिकी परिवेश एवं प्रमुख वित्तीय प्रक्रियाओं पर यह ज्ञात करने के लिए विचार विमर्श कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को एकीकृत किया गया है अथवा नहीं। • धारक कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवस्था से सम्बद्ध प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रणों के डिजाइन का परीक्षण। • हमारे द्वारा सिस्टम इंटरफेस पर धारक कम्पनी के नियंत्रणों तथा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा अंतरण का परीक्षण भी किया गया है। • हमारे द्वारा उन क्षेत्रों के संबंध में संज्ञात्मक लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं का उपयोग इस सुनिश्चय के लिए किया गया है कि क्या मैनुअल नियंत्रणों का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जा रहा है अथवा नहीं।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों तथा उनसे संबंधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से अलग अन्य सूचना

धारक कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के प्रति उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों, व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट, निगमित संचलन एवं शेयरधारकों की सूचना सहित प्रबंधन चर्चा, एवं विश्लेषणों, निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल सूचना का समावेश किया जाता है परन्तु इसमें समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों तथा उससे संबंधित हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट को शामिल नहीं किया जाता है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में व्यक्त हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है तथा हम किसी भी प्रकार से उसके संबंध में कोई आश्वासन निष्कर्ष की प्रस्तुति नहीं कर रहे हैं।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षण के संबंध में हमारा दायित्व इसमें दी गई सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते हुए यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचना की सामग्री समेकित वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान हमें प्राप्त जानकारी से वस्तुगत रूप से संगत है अथवा इसमें किसी प्रकार के किसी वस्तुगत दुर्विवरण का उल्लेख किया गया है अथवा नहीं।

यदि, हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हमें अन्य सूचना में किसी प्रकार के सामग्रीगत मिथ्या कथन का आशय होता है तो ऐसे तथ्यों की रिपोर्ट किए जाने की हमसे अपेक्षा की गई है। इसके संबंध में रिपोर्ट के लिए कुछ प्रकाश में नहीं आया है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन एवं संचलन करने वाले प्रभारियों के दायित्व

धारक कंपनी का निदेशक मंडल, इन समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अनुच्छेद–133, समय–समय पर यथासंशोधित, के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी परिवर्तन तथा रोकड़ प्रवाह विवरणों के संबंध में वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के अनुच्छेद–134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में धारक कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा जालसाजी व अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन तथा अनुप्रयोग; युक्तिसंगत तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाने; उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण, जो लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहीं थीं और समेकित एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत हैं जो वास्तविक और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और किसी प्रकार के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी के कारण हो या त्रुटि के कारण, के निवारण के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों का अनुरक्षण भी शामिल है।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन समूह की गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने की क्षमता का मूल्यांकन करने, गोइंग कंसर्न को जारी रखे जाने से सम्बद्ध मामलों, यदि कोई हों, का प्रकटीकरण करने तथा प्रबंधन द्वारा समूह को बंद किए जाने का विचार यदि नहीं है तो लेखांकन के लिए गोइंग कंसर्न को जारी रखने के आधार अथवा गोइंग कंसर्न को जारी रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने की प्रस्तुति करने के प्रति उत्तरदायी है।

धारक कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख का दायित्व समूह के निदेशक मंडल का भी है।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षकों के दायित्व

हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणों को तथ्यात्मक दुर्विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके अपने मत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्च स्तर कहा जा सकता है, परन्तु इसमें किए गए लेखा परीक्षण के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत किए गए लेखा परीक्षण से तथ्यात्मक दुर्विवरण, यदि कोई है, की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो सकेगी। तथ्यात्मक जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है तथा इसे तथ्यात्मक तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अलग अथवा समस्त रूप में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

लेखांकन नीति (एसए) के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें व्यावसायिक तौर पर संशयात्मक दृष्टिकोण के साथव्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं:–

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों,जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावीय लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का स्वरूप तैयार लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखा परीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हो। पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठ गांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।

- परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखा परीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143(3)(i) के अंतर्गत हमारा दायित्व अपने इस मत की अभिव्यक्ति करना भी है कि क्या समूह में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सिस्टम स्थापित किया गया है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों पर यह सिस्टम प्रभावी है अथवा नहीं है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता एवं सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।

- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखा परीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या स्थितियां अथवा परिस्थितियां है जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न के लिए समूह की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संबद्ध प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम समूह की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।

- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या वित्तीय विवरणों में लेन देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

वस्तुतः स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किए जाने वाले दुर्विवरण, अलग–अलग अथवा सामुच्य, की वस्तुपरक जटिलता कुछ इस प्रकार की होती है कि इन वित्तीय विवरणों का औचित्य ज्ञान रखने वाले उपयोक्ता द्वारा लिए जाने वाले निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य के कार्य क्षेत्र की योजना के निर्माण तथा अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन; तथा (ii) वित्तीय विवरणों में से संज्ञान में लिए दुर्विववरण के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए तथ्यपरक मात्रा एवं गुणात्मक कारकों को विचार में लेते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ–साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्य क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सारणी एवं लेखा परीक्षण के निष्कर्षो और साथ ही हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

हमारे द्वारा शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को लेखा परीक्षा स्वतंत्रता से संबद्ध आचार अपेक्षाओं के संबंध में हमारे द्वारा समेकित विवरण भी प्रस्तुत किए गए हैं तथा हमारी लेखा परीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबंधता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है। शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से हमने उन मामलों का निर्धारण किया है चालू अवधि के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के अत्यधिक महत्वपूर्ण थे तथा तदनुसार जो प्रमुख लेखा परीक्षा मामले थे। अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए

प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हमारे द्वारा किन्हीं परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले की अभिव्यक्ति न करने का निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रूप में काफी प्रभाव हो सकता है।

अन्य मामले

- वर्तमान रिपोर्ट में अभिव्यत मत हमें कंपनी द्वारा इलैक्ट्रिक माध्यम से उपलब्ध सूचना, तथ्यों और जानकारी के आधार पर है। हम यह प्रस्तुत करना चाहते हैं कि कोविडः19 के कारण भौतिक संचलन पर प्रतिबंध और कडी समयसीमा की वजह से लेखापरीक्षा दल लेखांकन संबंधी आईसीएआई द्वारा जारी मानाकों के अंतर्गत यथानिर्धारित अपेक्षित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन करने के लिए कंपनी के परियोजना कार्यालयों का दौरा नहीं कर पाई है।
- हमने कंपनी के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल उन आठ शाखाओं के समेकित वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनका वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च 2020 को 6386.80 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 6410.91 करोड़ रूपए) की कुल परिसंपत्तियों को प्रदर्शित करता है तथा समेकित वित्तीय विवरणों में विचारानुसार उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व 5211.55 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 4226.56 करोड़ रूपए) तथा कुल करपूर्व लाभ 374.29 करोड रूपए (पिछले वर्ष 336. 64 करोड़ रूपए) है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचना को शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्टें हमें उपलब्ध कराई गई हैं और इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों के संबंध में हमारा मत सम्पूर्ण रूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
- समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में चार एकीकृत संयुक्त प्रचालनों (गैर–निगमित) खातों में समूह के अंशभाग के 0.18 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 3.13 करोड़ रूपए) के लाभ (निवल) को शामिल किया गया जिनका प्रमाणन सनदी लेखाकारों की अन्य फर्मों ने किया है
- हमने पांच सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च 2020 को 2,664.66 करोड रूपए (पिछले वर्ष 2,019.80 करोड रूपए) की कुल परिसंपत्ति और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 97.96 करोड रूपए (पिछले वर्श 310.07 करोड रूपए) का कुल राजस्व और 107.19 करोड रूपए (पिछले वर्ष 11.51 करोड रूपए) के रोकड प्रवाह को दर्शाता है, जैसा कि समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी विधि के प्रयोग द्वारा 30.44 करोड रूपए (पिछले वर्ष 21.54 करोड रूपए) के समहू के भाग को भी शामिल किया गया है, जैसा कि सात संयुक्त नियंत्रित निकायों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है।

  इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना को प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराया गया है और जहां तक अधिनियम के खंड 143 के उपखंड (3) तथा (11) की शर्तों के अनुसार इन सहायक कंपनियों, संयुक्त नियंत्रित निकायों के संबंध में राशियों और प्रकटनों एवं हमारी रिपोर्ट का संबंध हैं, जब तक कि यह उक्त सहायक कंपनी और संयुक्त नियंत्रित निकायों से संबंधित है, यह पूर्ण रूपए से सामग्रीगतता सहित अन्य लेखापरीक्षकों के कार्य के प्रयोग पर लेखपरीक्षा मानक (एसए 600) पर मानकों की अपेक्षाओं पर विचार करने के पश्ताच अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर है।

  समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारे मत, और अन्य विधि और संविधिक अपेक्षाओं पर नीचे प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्य और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर हमारे विश्वास के संबंध में उपर्युक्त मुद्दे पर कोई आशोधन नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम के अनुच्छेद 143(3) में की गई अपेक्षाओं के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं

   (ख) हमारे मतानुसार, विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा लेखों की उचित बहियों का अनुरक्षण किया गया है जैसा कि अभी तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है और हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न उन शाखाओं से प्राप्त हुए हैं जहां हमने दौरा नहीं किया है।

   (ग) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम के अनच्छेद–143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित धारक कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा इसकी उचित व्यवस्था की गई है।

   (घ) इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ–हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) तथा समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   (ङ.) हमारे मतानुसार, उपयुक्त समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठनीय अधिनियम के अनुच्छेद–133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) से संगत हैं।

   (च) सरकारी कंपनी होने के कारण भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं जीएसआर–463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा–164(2)के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

   (छ) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभाव का उल्लेख ''अनुबंध–क'' में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में किया गया है।

   (ज) केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर–463 (ई) के अनुसार एक सरकारी कम्पनी होने के कारण अधिनियम के अनुच्छेद–197 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

   (म) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम–11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में:

(i) धारक कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है –समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण के नोट सं. 39 का संदर्भ लें;

(ii) धारक कंपनी ने दीर्घकालीन संविदाओं पर सामग्रीगत अपरिहार्य घाटों, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षित प्रावधान किया है– समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट सं. 19.2 में 'अपरिहार्य घाटों' का संदर्भ लें। कंपनी में काई डैरिवेटिव संविदाएं नहीं हैं, जिनके संबंध में कोई सामग्रीगत अपरिहार्य घाटे हुए थे।

(iii) ऐसी कोई राशियां नहीं थीं जिन्हें धारक कंपनी के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता थी।

2. अधिनियम के अनुच्छेद – 143(5) के अनुसार तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश के अनुसार हम सूचित करते हैं कि :

क्र. सं.	विवरण	लेखापरीक्षा के उत्तर
(i)	क्या धारक कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था स्थापित की गई है। यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	समूह में प्रत्येक प्रकार लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया के लिए एसएपी / टैली सिस्टम स्थापित किया गया है। इससे संबंधित जानकारी के लिए कृपया ''सिस्टम परिवेश एवं आंतरिक नियंत्रण'' में प्रमुख परीक्षा मामलों में प्रस्तुत विवरण तथा स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक ख के अनुसार आंतरिक नियंत्रणों से सम्बद्ध हमारा मत देखें।
(ii)	क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा समूह को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में समूह द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट/बट्टा किए जाने की प्रक्रिया की गई हैध् यदि हां, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यताएं हों तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।	जी, नहीं। समूह के सम्मुख किसी विद्यमान ऋण अथवा उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में समूह द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋणदाता द्वारा ऋण की किसी प्रकार की पुनर्संरचना अथवा छूट/ बट्टा किए जाने की प्रक्रिया किए जाने का कोई मामला नहीं ह, केवल इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (आईपीबीटीएल) को छोडकर, जिसने अपने पट्टादाता धारक कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के पास ऋण की पुनर्संरचना के लिए आवेदन यिका हैदिनांक 01.10.2019 से 31.03.2020 तक की अवधि के लिए 18,91,58,653 रूपए की ब्याज राशि की छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।
(iii)	क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र/राज्य एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य से प्राप्य निधियों का उचित लेखा रखा गया है/नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया है/ व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा रिकार्ड के संबंध में की गई जांच के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान केन्द्र/ राज्य एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के अंतर्गत कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है/प्राप्य नहीं है, केवल पीबी टोलवे लिमिटेड (पीबीटीएल) को छोडकर जिसने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्तयोग्य परियोजना हेतु इक्विटी सहायता के रूप में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) को रिकार्ड किया है! आईपीबीटीएल ने आंशिक रूप से एनएचएआई से वीजीएफ प्राप्त किया है और इसे करार की शर्तों और निबंधनों के अनुसार लेखांकित/प्रयुक्त किया गया है।

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएम – 006591एन

ह/–
(भुवनेश महेश्वरी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 088155
यूडीआईएन : 20088155AAAAFC4827

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 जुलाई, 2020

31 मार्च 2020 के समाप्त वर्ष के लिए समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की समसंख्यक तिथि की हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का ''अनुबंध–क''।

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') के खंड–143 के उप खंड–3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के समायोजन में 31 मार्च 2020 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (जिसे यहां आकं धारक कंपनी कहा जाएगा) और इसकी सहायक कंपनियां (जिसे यहां आगे धारक कंपनी और सहायक कंपनियों को संयुक्त रूप से समूह कहा जाएगा) और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी, जो भारत में निगमित हुई हैं के संबंधित निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश के नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी के नियमों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, जालसाजी और खामियों का निवारण और संसूचन, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता व संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने के साथ, अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित तथा कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कुशल रूप से प्रचालित हो रही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अभिकल्प, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी, लेखांकन पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट (''दिशानिर्देश नोट'') के अनुसार लेखापरीक्षा की है और इसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के स्तर तक कंपनी अधिनियम 2013 के खंड–143(10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। इन मानक तथा दिशानिर्देश नोट में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन करें और इस प्रकार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और क्या ऐसे नियंत्रण सभी सामग्रीगत पहलुओं में कुशलतापूर्वक प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की कुशलता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रि याएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में शामिल हैं–वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आंकलन करना कि सामग्रीगत कमजोरी मौजूद है, तथा आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन। चयनित प्रक्रियाएं वित्तीय विवरणों के सामग्रीगत दुर्विवरण, चाहे जालसाजी हो या त्रुटि, के जोखिम के आंकलन सहित लेखापरीक्षा के विवेक पर निर्भर करता है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा मत के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर धारक कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत वित्तीय सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए अभिकल्पित प्रकिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर धारक कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तिसंगत ब्यौरे में, कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान का सटीक और उचित रूप से प्रदर्शित करते हैं, (2) युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रूप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कि धारक कंपनी की पावतियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किए गए हैं, और (3) धारक कंपनी की परिसंपत्ति के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग, निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराना, जो वित्तीय विवरणों को वास्तविक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमितताएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, त्रुटि और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और कंपनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, धारक कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों से वित्तीय रिपोर्टिंग पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उपस्थित है और दिनांक 31 मार्च 2020 को ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं जो भारतीय सनदी लेखकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियिंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग की लपेखपरीक्षा पर

मार्गदर्शी नोट में निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मपदंड का आधारित है। तथापि, आंतरिक नियंत्रण का हमारी लेखापरीक्षा और शाखा लेखापरीक्षाओं की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 31.03.2020 को चिह्नित निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में और अधिक सुदृढ बनाने की आवश्यकता हैः

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे लेखापरीक्षक और शाखा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2020 को सामग्रीगत खामियां चिहनित की गई हैंः

क. कंपनी में कंपनी के पास एकीकृत ईआरपी प्रणाली विद्यमान है जो अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर रही है। कंपनी में विदेशी परियोजनों में, एकीकृत ईआरपी प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और वहां टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रही है। इसके अतिरिक्त, ऐप परियोजना प्रणाली मॉड्युल (पीएस) का प्रयोग एकीकृत सहायता सहित परियोजना बीजकों के सृजन के लिए किया जा रहा है।

ख. कुछ इकाइयों में इन्वेटरी रिकार्डों का अनुरक्षण मानवीय रूप में किया जा रहा है और सेप में इन्वेटरी नियमावली पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अतिरेक/अनावश्यक/खराब परिसंपत्तियों और सामग्री/स्टोरों के निरंतर चिह्नन की प्रणाली अनुपयुक्त है और इसे सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

ग. लेखा बहियों के साथ जीएसटीआर 2क के रूप में जीएसटी आईटीसी के समायोजन की प्रणाली को कुछ परियोजनाओं में और सुदृढ किए जाने की आवश्यकता है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी द्वारा अपने संबंधित आपूर्तिकर्ताओं/सेवाप्रदाताओं को की गई सभी भुगतान राशि उनके द्वारा विधिवत रूप से सरकारी खाते में जमा कराई जाए।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है

अन्य मुद्दे

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो शाखाओं/क्षेत्र से संबंधित है, की पर्याप्तता और प्रचालन कुशलता पर अधिनियम के खंड–143(3)(i) के अंतर्गत हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट हमारे लेखापरीक्षकों की अनुवर्ती रिपोर्ट पर आधारित है (समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर अन्य मुद्दों पर पेरा का भी संदर्भ लें)।

हमने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय और स्तर के निर्धारण में ऊपर चिह्नित और उल्लिखित सामग्रीगत खामियों पर विचार किया है और यह सामग्रीगत खामी कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे मद को प्रभावित नहीं करती है।

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएम – 006591एन

ह/–
(भुवनेश महेश्वरी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 088155
यूडीआईएन : 20088155AAAAFC4827

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 जुलाई, 2020

समेकित तुलन पत्र
31 मार्च 2020 को

(रुपए करोड़ में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
I. परिसंपत्तियां			
1 गैर चालू परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति संयंत्र और उपकरण	3	275.83	133.95
(ख) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	4	2.97	50.30
(ग) निवेश संपत्ति	5	489.02	477.61
(घ) अन्य अमूर्त संपत्तियां	6	1,211.63	1,278.62
(च) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	6	26.73	4.89
(छ) प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियां	7	5.17	-
(ज) इक्विटी विधि के प्रयोग हेतु लेखांकित निवेश	8.1	512.06	417.43
(झ) वित्तीय परिसंपत्तियां	8		
(i) निवेश	8.1	291.45	291.40
(ii) ऋण	8.2	39.33	39.51
(iii) अन्य	8.3	2,320.27	2,845.44
(ट) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	9	90.14	128.42
(ज) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	10	129.61	155.91
कुल गैर चालू परिसंपत्तियां		**5,394.21**	**5,823.48**
2 चालू परिसंपत्तियां			
(क) दरसूचियां	11	320.67	331.94
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां	12		
(i) निवेश	12.1	-	99.72
(ii) व्यापार प्राप्य	12.2	551.19	666.04
(iii) नकद और नकद समतुल्य	12.3	893.11	892.12
(iv) अन्य बैंक शेष	12.4	1,779.52	2,173.27
(v) ऋण	12.5	1.62	1.89
(vi) अन्य	12.6	2,194.71	1,759.89
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	13	30.16	48.33
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	14	1,712.24	1,519.71
		7,483.22	7,492.91
बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां	15	0.93	2.07
कुल चालू परिसंपत्तियां		**7,484.15**	**7,494.98**
कुल परिसंपत्तियां		**12,878.36**	**13,318.46**
II. इक्विटी और देयताएं			
1 इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	16	94.05	94.05
(ख) अन्य इक्विटी	17	4,077.27	3,870.17
मूल के स्वामी की इक्विटी		**4,171.32**	**3,964.22**
गैर नियंत्रण हित		-	-
कुल इक्विटी		**4,171.32**	**3,964.22**

(रुपए करोड़ में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
2 **देयताएं**			
गैर चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं	18		
(i) ऋण	18.1	1,845.92	2,560.00
(ii) व्यापार प्राप्य	18.2		
- सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों के कुल बकाया देय राशियां		-	-
- सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों इतर अन्य ऋणदाताओं के कुल बकाया देय राशियां		-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	18.3	407.84	345.14
(ख) प्रावधान	19	78.90	79.93
(ग) अन्य गैर चालू देयताएं	20	298.16	710.34
कुल गैर चालू देयताएं		**2,630.82**	**3,695.41**
(ii) चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं	21		
(i) व्यापार प्राप्य	21.1		
- सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों के कुल बकाया देय राशियां		8.08	18.95
- सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों इतर अन्य ऋणदाताओं के कुल बकाया देय राशियां		581.11	546.54
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	21.2	2,958.87	2,302.31
(ख) अन्य चालू देयताएं	22	2,256.30	2,389.56
(ग) प्रावधन	19	239.83	392.83
(घ) चालू कर देयता (निवल)	23	32.03	8.64
कुल चालू देयताएं		**6,076.22**	**5,658.83**
कुल इक्विटी और देयताएं		**12,878.36**	**13,318.46**
III. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	2		
IV. वित्तीय विवरण के भाग का निर्माण करने वाला	1 - 48		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006591एन

ह/–
बी माहेश्वरी
साझेदार
स.सं. 088155

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 10 जुलाई 2020

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

ह/–
एम. के सिंह
निदेशक (वित्त)
और मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन– 06607392

ह/–
एस.के.चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन– 00515672

ह/–
रितु अरोडा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

समेकित लाभ और हानि विवरण
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
I.	**राजस्व :**			
	प्रचालन से राजस्व	24	5,391.51	4,798.43
II.	अन्य आय	25	148.17	191.18
III.	**कुल आय (I + II)**		**5,539.68**	**4,989.61**
IV.	**व्यय :**			
	प्रयुक्त सामग्री और भंडारण	26 (i)	349.71	390.69
	डब्ल्यूआईपी में (वृद्धि)/कमी	26 (ii)	15.89	(169.37)
	परियोजना व्यय	26 (iii)	4,097.48	3,783.09
	कर्मचारी लाभ व्यय	27	279.34	263.57
	वित्त लागतें	28	27.87	14.53
	मूल्यह्रास परिशोधन एवं घाटा	29	82.94	51.61
	अन्य व्यय	26 (iii)	44.90	52.77
	कुल व्यय (IV)		**4,898.13**	**4,386.89**
V.	आपवादिक मदों और कर से पूर्व लाभ (III - IV)		641.55	602.72
VI.	आपवादिक मदें		-	-
VII.	संयुक्त उपक्रम में लाभध्हानिद्ध का भाग		30.44	21.54
VIII.	कर पूर्व लाभ (V + VI + VII)		671.99	624.26
IX	कर व्यय :			
	(1) चालू कर	9		
	- अवधि हेतु		163.16	219.63
	- पूर्ववती वर्षों हेतु (निवल)		(14.76)	(50.89)
	(2) आस्थगित कर (निवल)		38.28	5.45
	कुल कर व्यय		**186.68**	**174.19**
X	वर्ष हेतु लाभ (VIII - IX)		485.31	450.07
XI	अन्य वृहत आय	30		
	क. (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वगीकृत नही किया जाएगा		1.19	1.97
	(ii) मदों संबंधी आयकर, जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवगीकत नही किया जाएगा		(0.30)	(0.69)
	ख. (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवगीकृत किया जाएगा		(5.15)	(13.94)
	(ii) लाभ या हानि में पुनःवगीकृत किए जाने वाले मदों संबंधी आय कर		1.30	4.87
	वर्ष के लिए अन्यस वृहत आय/व्यय, आयकर का निवल		**(2.96)**	**(7.79)**
XII	**वर्ष के लिए कुल वृहत आय (X+XI) (वर्ष क लिए लाभ और अन्य वृहत आय, कर का निवल)**		**482.35**	**442.28**
XIII	**कुल वृहत आय के प्रति–**			
	मूल के स्वामी		**482.35**	**442.28**
	गैर नियंत्रण हित		-	-
XIV	प्रति इक्विटी शेयर आमदनीः			
	(1) मूल	37	51.60	47.85
	(2) विलयित		51.60	47.85
XV	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	2		
XVI	वित्तीय विवरण के भाग का निर्माण करने वाला नोट	1 - 48		

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006591एन

ह/–
बी माहेश्वरी
साझेदार
स.सं. 088155

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 10 जुलाई 2020

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

ह/–
एम. के सिंह
निदेशक (वित्त)
और मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन– 06607392

ह/–
एस.के.चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन– 00515672

ह/–
रितु अरोडा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

समेकित रोकड प्रवाह विवरण
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रुपए करोड़ में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	
प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह					
कर पूर्व निवल लाभ		671.99		624.26	
समायोजनः					
वित्तीय लिखत के निष्पादन पर ब्याज (निवल)		(0.14)		(0.38)	
वित्तीय लिखत का परिशोधन (निवल)		0.14		0.39	
मूल्यह्रास, परिशोधन और क्षति		82.94		51.61	
परिसंपतियों(निवल) की बिक्री पर लाभ		(28.53)		(14.40)	
म्युचुवल फंडों की बिक्री पर लाभ		(0.96)		-	
संयुक्त उपक्रमों के लाभ;हानिद्ध का भाग		(30.44)		(21.54)	
ब्याज आय		(83.19)		(93.68)	
लाभांश आय		(4.00)		(9.64)	
विदेशी मुद्रा रोकड़ व रोकड़ समतुल्य के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव		(0.12)		2.33	
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ समायोजनः	(1)		607.69		538.95
व्यापार प्राप्यों में (कमी)/वृद्धि		114.85		9.18	
दरसूची में (कमी)/वृद्धि		11.28		(191.21)	
ऋण, अन्य संपत्तियों व वित्तीय संपत्तियों मं (कमी)/वृद्धि		(93.31)		(1,563.68)	
व्यापार प्राप्यों में (कमी)/वृद्धि		23.70		55.16	
अन्य देयताओं, वित्तीय देयताओं और प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि		(50.01)		64.36	
	(2)		6.51		(1,626.19)
प्रचालन से सृजित नकद	(1+2)		614.20		(1,087.24)
प्रदत्त आय कर			(71.05)		(98.14)
प्रचालन गतिविधियों से निवल रोकड़	(क)		543.15		(1,185.38)
निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह					
पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित परिसम्पत्तियां, संयंत्र और उपकरणों की खरीद			(58.55)		(56.51)
परिसम्पत्तियां, संयंत्र और उपकरणों अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद			(35.02)		(1,110.12)
निवेश परिसंपत्ति की खरीद/प्रक्रिया			(68.92)		(118.98)
परिसम्पत्तियां, संयंत्र और उपकरणों अमूर्त परिसंपत्तियों की बिक्री			43.85		835.52
म्युचुवल फंड में निवेश			100.68		116.44
प्राप्त ब्याज			95.49		117.34
प्राप्त लाभांश			4.00		9.65
जेवी कंपनियों में निवेश			(64.20)		(119.95)
रोकड एवं रोकड समतुल्यों से इतर बैंक शेष			393.75		944.89
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नगदी	(ख)		411.08		618.28

(रुपए करोड़ में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
वित्तपोषण गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
भारतीय रेल वित्त निगम से ऋण		(678.08)	146.23
पट्टा दायित्वों का भुगतान		(0.04)	-
प्रदत्त अंतिम लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)		(122.74)	(117.24)
प्रदत्त अंतरिम लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)		(152.50)	(121.55)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी	(ग)	**(953.36)**	**(92.56)**
विदेशी मुद्रा रोकड़ समानांतर के अंतरण पर मुद्रा अंतर का प्रभाव	(घ)	0.12	(2.33)
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि	(क+ख+ग+घ)	**0.99**	**(661.99)**
नगदी तथा नगदी समतुल्य (आरंभिक)	(ड)	**892.12**	**1,554.11**
नगदी तथा नगदी समतुल्य (अंतिम) *	(च)	**893.11**	**892.12**
नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	(छ - ज)	**0.99**	**(661.99)**

नोटः

1 उपर्युक्त रोकड़ प्रवाह को रोकड़ प्रवाह विवरण पर इंड–एएस 7 के भारतीय लेखांकन मानका में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया गया है।

2 कोष्ठक में आंकड़े रोकड़ को आउटफ्लो को दर्शाते हैं। रुत्म्थ्!

3 जहां कहीं आवश्यकता हुई है, वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःसमूहित/पुनःनिर्धारित किया गया है।

* नोट 12.3 में उल्लिखित निर्धारित और प्रतिबंधित शेष।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006591एन

ह/–
बी माहेश्वरी
साझेदार
स.सं. 088155

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 10 जुलाई 2020

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

ह/–
एम. के सिंह
निदेशक (वित्त)
और मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन– 06607392

ह/–
एस.के.चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन– 00515672

ह/–
रितु अरोडा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	राशि
01 अप्रैल 2018 को शेष	**94.05**
वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2019 को शेष	**94.05**
वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2020 को शेष	**94.05**

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु

(रुपए करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अतिरेक			अन्य वृहत आय की मदें	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनी	पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण में विनिमय अंतर	
01 अप्रैल 2018 को शेष	**3,284.64**	**369.40**	**4.93**	**8.74**	**3,667.71**
लेखांकन नीति और पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	(0.53)	-	-	(0.53)
01 अप्रैल 2018 को शेष (पुनवर्णित)	**3,284.64**	**368.87**	**4.93**	**8.74**	**3,667.18**
वर्ष के लिए लाभ	-	450.07	-	-	450.07
अन्य वृहत आय					-
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	-	1.28	-	-	1.28
विदेशी मद्रा अंतरण अंतर	-	-	-	(9.07)	(9.07)
अवधि के लिए कुल वृहत आय	**-**	**451.35**	**-**	**(9.07)**	**442.28**
प्रदत्त लाभांश	-	(198.08)	-	-	(198.08)
लाभांश वितरण कर	-	(40.71)	-	-	(40.71)
लाभ/हानि में शेयरों से इतर संयुक्त उपक्रम में निवेश के वहन मूल्य में परिवर्तन	-	(0.50)	-	-	(0.50)
31 मार्च 2019 को शेष	**3,284.64**	**580.93**	**4.93**	**(0.33)**	**3,870.17**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु

(रुपए करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अतिरेक			अन्य वृहत आय की मदें	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनी	पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण में विनिमय अंतर	
01 अप्रैल 2019 को शेष	**3,284.64**	**580.93**	**4.93**	**0.33**	**3,870.17**
लेखांकन नीति और पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-
01 अप्रैल 2019 को शेष (पुनवर्णित)	**3,284.64**	**580.93**	**4.93**	**0.33**	**3,870.17**
वर्ष के लिए लाभ (पुनवर्णित)	-	485.31	-	-	485.31
अन्य वृहत आय					-

(रुपए करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अतिरेक			अन्य वृहत आय की मदें	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आमदनी	पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरण के अंतरण में विनिमय अंतर	
निर्धारित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन	-	0.89	-	-	0.89
विदेशी मद्रा अंतरण अंतर	-	-	-	(3.86)	(3.86)
अवधि के लिए कुल वृहत आय	**-**	**486.20**	**-**	**(3.86)**	**482.34**
प्रदत्त लाभांश	-	(228.31)	-	-	(228.31)
लाभांश वितरण कर	-	(46.93)	-	-	(46.93)
31 मार्च 2020 को शेष	**3,284.64**	**791.89**	**4.93**	**(4.19)**	**4,077.27**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006591एन

ह/–
बी माहेश्वरी
साझेदार
स.सं. 088155

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 10 जुलाई 2020

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

ह/–
एम. के सिंह
निदेशक (वित्त)
और मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन– 06607392

ह/–
एस.के.चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन– 00515672

ह/–
रितु अरोडा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

1 निगमित सूचना

समेकित वित्तीय विवरण में दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("कंपनी") तथा इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों (जिन्हें संयुक्त रूप से समूह कहा जाएगा) के वित्तीय विवरण शामिल हैं। धारक कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की एक निर्माण समूह है तथा इसका निगमन भारत में लागू कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत हुआ है। धारक कंपनी गुणवत्ता, पर्यावरण, व्यावसायिक स्वस्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए आईएसओ प्रमाणित समूह तथा अनुसूची "क" की सार्वजनिक क्षेत्रक कंपनी है एवं मिनी रत्न–श्रेणी–1 कंपनी है। रेल निर्माण समूह ने अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों (समूह) के रूप में अपना व्यवसाय आरंभ करने के पश्चात, इसने सड़क, भवन निर्माण, इलैक्ट्रिकल उपस्टेशन तथा संवितरण, हवाईअड्डा निर्माण, वाणिज्यिक परिसरों तथा मैट्रो रेल के क्षेत्रों में शनैः शनैः अपने व्यवसाय का विस्तार किया है। यह समूह घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सेवाएं प्रदान करती है। समूह का पंजीकृत कार्यालय सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017 में स्थित है तथा इसके शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं बीएसई में सूचीबद्ध हैं।

समूह द्वारा प्रतिपादन की जाने वाली एवं कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रूपए (आईएनआर) है। वित्तीय विवरणों में आंकड़ों की प्रस्तुति, प्रति शेयर डेटा एवं किए गए अन्यथा उल्लेख के अलावा, दो दशमलव तक राउंड ऑफ करके करोड़ में की गई है।

धारक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 10.7.2020 को आयोजित अपनी बैठक में समेकित वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 तैयार करने का आधार

समूह के वित्तीय विवरणों का निर्माण कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (समय समय पर यथासंशोधित) के नियम 3 के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 (इंड एएस अनुपालन अनुसूची 3) की अनुसूची 3 के भाग 2, वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू, सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके किया गया है।

वित्तीय विवरणों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार पर प्रोद्भवन लेखांकन प्रणाली का अनुसरण करके किया गया है। समूह ने परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के लागत आधार के लिए ऐतिहासिक लागत को स्वीकार किया है जो उचित मूल्य पर मापन की गई निम्नलिखित परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के अलावा है :–

- प्रावधान, जहां धन का समय मूल्य सामग्रीगत है वहां मापन वर्तमान मूल्य पर किया गया है।
- कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर किया गया है।
- परिभाषित लाभ योजना तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ।

समेकन का आधार

क) समेकित वित्तीय विवरणों में दिनांक 31 मार्च 2020 तक समूह के वित्तीय विवरण शामिल हैं। समूह द्वारा इन्हें प्रस्तुत किए जाने पर नियंत्रण हासिल किया जाता है, या अधिकार होता है, कि निवेश करने वाले के साथ अपनी भागीदारी से प्रतिफल और उन प्रतिफल को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। निवेशकर्ता पर इसकी शक्ति, विशेष रूप से, समूह एक निवेशी को नियंत्रित करता है यदि और केवल यदि समूह के पासः

- निवेशक पर अधिकार (अर्थात मौजूदा अधिकार जो इसे निवेश की प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने की वर्तमान क्षमता देते हैं)
- प्रकटन, या अधिकार, निवेश करने वाले के साथ अपनी भागीदारी से प्रतिफल हेतु, और
- निवेशी पर अपनी शक्ति का उपयोग करने की क्षमता उसके प्रतिफल को प्रभावित करती है

सामान्यतः अनुमान है कि मतदान के अधिकांश अधिकार समूह के नियंत्रण में होते हैं। इस अनुमान का समर्थन करने के लिए और जब समूह के पास वोटिंग के लिए बहुमत या किसी निवेशकर्ता के समान अधिकार हैं, तो समूह यह आकलन करने के लिए सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करता है कि क्या किसी निवेशकर्ता पर उसका अधिकार है, जिसमें शामिल हैं:

- निवेशी के अन्य वोट धारकों के साथ अनुबंध की व्यवस्था।
- अन्य संविदात्मक व्यवस्था से उत्पन्न अधिकार।
- समूह के मतदान अधिकार और संभावित मतदान अधिकार।
- समूह का आकार मतदान के अधिकार के सापेक्ष और अन्य मतदान अधिकार धारकों की धारिता के फैलाव के सापेक्ष।

ख) समूह पुनः मूल्यांकन करता है कि क्या वह किसी निवेशक को नियंत्रित करता है या नहीं यदि तथ्य और परिस्थितियाँ यह दर्शाती हैं कि नियंत्रण के तीन तत्वों में से एक या अधिक परिवर्तनशील हैं। सहायक कंपनी का एकीकरण तब आरंभ होता है जब समूह सहायक कंपनी पर नियंत्रण प्राप्त करता है और जब समूह सहायक कंपनी का नियंत्रण खो देता है। वर्ष के दौरान अधिगृहीत या निपटाए गए किसी सहायक कंपनी की परिसंपत्तियां, देयताएं, आय और व्यय, समूह द्वारा नियंत्रण प्राप्त करने की तारीख से समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल होते हैं, जब तक कि समूह सहायक कंपनी को नियंत्रित करने के लिए समाप्त नहीं हो जाता है।

ग) समान परिस्थितियों में लेन–देन और अन्य घटनाओं के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके समेकित वित्तीय

विवरण तैयार किए जाते हैं। यदि समूह का सदस्य समान परिस्थितियों में लेन–देन और घटनाओं के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में नीतियों के अतिरिक्त लेखांकन नीतियों का उपयोग करता है, तो समूह के लेखांकन के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में उस समूह के सदस्यों के वित्तीय विवरणों के लिए उपयुक्त समायोजन किया जाता है।

घ) समेकन के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली सभी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों को मूल कंपनी के रूप में एक ही रिपोर्टिंग तिथि अर्थात, 31 मार्च को समाप्त तक लेखांकित किए जाते हैं।

ड.) समकन प्रक्रियाः

i) सहायक कंपनियां

- अपनी सहायक कंपनियों के साथ अभिभावक संपत्ति, देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह की मदों का समायोजन किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए, सहायक कंपनी की आय और व्यय अधिग्रहण की तारीख में समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा पर आधारित हैं।

- प्रत्येक सहायक कंपनी में अभिभावक के निवेश की वहन राशि (अंतिम) और प्रत्येक सहायक कंपनी की इक्विटी का मूल भाग।

- समूह की संस्थाओं के बीच लेन–देन से संबंधित पूर्ण इंट्रा–समूह परिसंपत्तियों और देनदारियों, इक्विटी, आय, खर्चों और नकदी प्रवाह को समाप्त करें (इन्ट्रा–समूह लेनदेन से उत्पन्न लाभ या हानि जो कि परिसंपत्तियों में पहचानी जाती हैं, जैसे दरसूची और अचल संपत्तियां, पूर्ण का रूप से समाप्त होनौं) । इंट्रा–समूह हानि का संकेत दे सकता है जिसे समेकित वित्तीय विवरणों में स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। इंड एएस 12 के रूप में आयकर अस्थायी अंतर पर लागू होता है, जो इंट्रा–समूह लेनदेन से होने वाले लाभ और हानि के उन्मूलन से उत्पन्न होता है।

- लाभ या हानि और अन्य वृहत आय (ओसीआई) के प्रत्येक घटक को समूह के प्रमुख और गैर–नियंत्रित हितों के इक्विटी धारकों के लिए उत्तरदायी माना जाता है, भले ही यह गैर–नियंत्रित हितों में घाटे का संतुलन हो। जब आवश्यक हो, तो अपनी लेखा नीतियों को समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूप लाने के लिए सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में समायोजन किया जाता है। समूह के सदस्यों के बीच लेन–देन से संबंधित सभी इंट्रा–समूह परिसंपत्तियों और देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह को समेकन के साथ पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है।

- नियंत्रण की हानि के बिना, एक सहायक के स्वामित्व हित में परिवर्तन इक्विटी लेनदेन के रूप में उत्तरदायी है। यदि समूह किसी सहायक कंपनी पर नियंत्रण खो देता है, तो:

✓ परिसंपत्तियों (सद्भावना सहित) और सहायक कंपनियों की देनदारियों

✓ किसी भी गैर–नियंत्रण वाले हितों की वहन राशि का प्रकटन करता है

✓ इक्विटी में स्वीकृत की गई संचयी अंतरण विभेद

✓ प्राप्त मत का उचित मूल्य का निर्धारण

✓ किसी भी निवेश को बनाए रखने के उचित मूल्य का निर्धारण

✓ लाभ या हानि में किसी भी अधिशेष या घाटे का निर्धारण

✓ पहले से लाभ या हानि के लिए ओसीआई में मान्यता प्राप्त की मूल कंपनी के शेयर या प्रतिधारित आय, उचित रूप में, जैसे कि समूह सीधे संबंधित परिसंपत्तियों या देयताओं का निपटान किया जाए।

ii) संयुक्त व्यवस्था

इंड एएस–111 संयुक्त व्यवस्थाओं के अंतर्गत, संयुक्त व्यवस्थाओं में निवेश को संयुक्त प्रचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था की विधि संरचना के स्थान पर प्रत्येक निवेशक के संविदागत अधिकार या दायित्व पर निर्भर करता है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के संयुक्त प्रचालन और संयुक्त उद्यम दोनों हैं।

- **संयुक्त प्रचालन** : समूह संयुक्त प्रचालनों की परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्वों और व्ययों तथा उसके द्वारा धारित या की गई कोई परिसंपत्ति, देयता, राजस्व या व्यय को स्वीकार करता है। इन्हें उपयुक्त शीर्षों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

- **संयुक्त उद्यम** : संयुक्त उद्यमों में हितों को इक्विटी विधि का प्रयोग करके लेखांकित किया जाता है, ऐसा आरंभिक स्तर पर समेकित तुलन पत्र में लागत पर स्वीकार करने के पश्चात किया जाता है।

(च) इक्विटी विधि

लेखांकन की इक्विटी विधि के अंतर्गत, निवेशों को आरंभिक रूप में लागत पर स्वीकार किया जाता है और तत्पश्चात समायोजित किया जाता है ताकि लाभ और हानि में निवेशित के अधिग्रहण पूर्व लाभों या हानियों के समूह के भाग को तथा अन्य वृहत आय में निवेशित की अन्य वृहत आय के समूह के भाग को स्वीकार किया जा सके। संबद्ध और संयुक्त उद्यमों से प्राप्त और प्राप्य लाभांशों को निवेश की प्रतिधारण राशि में कमी के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

जब इक्विटी–लेखांकित निवेश में समूही की हानियों का भाग किसी अन्य अरक्षित दीर्घकालीन प्राप्यों सहित इक्विटी में इसके

हित के समान या अधिक है तो समूह और अधिक हानियों को स्वीकार नहीं करता है बशर्ते इसने अन्य निकायों की ओर से दायित्वों को वहन किया हो या भुगतान किए हों।

समूह और इसके संयुक्त उद्यमों के बीच संव्यवहारों पर अप्राप्त लाभों को इन निकायों में समूह के हित के स्तर तक समाप्त किया जाता है। अप्राप्त घाटों को भी समाप्त किया जाता है बशर्ते संव्यवहार में अंतरित परिसंपत्ति की हानि के साक्ष्य उपलब्ध हों। समूह द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुरूप बनाए रखने के लिए यथा आवश्यकता इक्विटी लेखांकित निवेशितियों की लेखांकन नीतियों में परिवर्तन किया गया है।

2.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संक्षेप :

वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार संक्षेप नीचे प्रस्तुत किया गया है। इन लेखांकन नीतियों का उपयोग लेखांकन विवरणों में प्रस्तुत की गई सभी अवधि के लिए समान रूप से किया गया है।

2.2.1 चालू एवं गैर–चालू वर्गीकरण

समूह द्वारा तुलन पत्र में परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर गई है।

किसी परिसम्पति को चालू तब माना जाता है जब :

- सामान्य परिचालन क्रम में बेची जानी हो अथवा बेचने के लिए आशित हो अथवा उपयोग किया जाना हो
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर बेची जानी संभावित हो
- यदि विनिमय अथवा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह में किसी देयता के निपटान के लिए उपयोग के लिए नहीं है तो रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

समूह ने अन्य सभी परिसम्पतियों का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति के रूप में किया है।

कोई देयता चालू तब होती है जब :

- उसका समाधान सामान्य प्रचालन क्रम में किया जाना हो
- जो मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से धारित की गई है।
- जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के भीतर समाधान की जानी संभावित हो
- जिसके प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के पश्चात कम से कम बारह माह के लिए किसी देयता के समाधान को आस्थगित करने का अप्रतिबंधित अधिकार प्राप्त न हो।

समूह ने अन्य सभी देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू देयता के रूप में किया है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण गैर–चालू परिसम्पति एवं देयताओं के रूप में किया गया है।

परिचालन क्रम प्रस्संकरण के लिए अधिगृहित की गई परिसम्पतियों एवं रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य से होने वाली प्राप्ति के मध्य का समय काल है। समूह ने परिचालन क्रम के लिए 12 माह निश्चित किए हैं।

2.2.2 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी मद से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होने की संभावना हो तथा प्रत्येक मद का मापन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता हो। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है।

परिसम्पति की लागत में निम्नलिखित शामिल होता है :

क) क्रय मूल्य, किसी व्यापार छूट एवं रियायत का निवल

ख) ऋण लागतें यदि पूंजीयन मापदंड पूरे किए गए हैं

ग) परिसम्पति के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध लागत जिसका वहन परिसम्पति को प्राप्त करने एवं आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किया गया है।

घ) निर्माण अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष निर्माण के भाग के रूप में पूंजीयन किए गए आनुषंगिक व्यय जो निर्माण से संबंधित व्यय से प्रत्यक्ष संबंधित है अथवा उसके संबंध में आनुषंगिक हैं।

ङ) यदि स्वीकृति मापदंड पूरे किए गए हैं तो मदों को अलग अलग करने तथा हटाए जाने तथा स्थल नवीकरण करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य

फ्रीहोल्ड भूमि का वहन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है।

अनुवर्ती मापन

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का अनुवर्ती मापन संचित मूल्य ह्रास एवं संचित अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के साथ लागत पर किया जाता है। अनुवर्ती व्यय का पूंजीयन तब किया जाता है जब ऐसे व्यय से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होने की संभवना हो तथा व्यय की लागत का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो।

दीर्घकालिक निर्माण परियोजना के लिए प्रतिस्थापना, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण पूर्जों की मरम्मत तथा ऋण लागतों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मशीनरी के अतिरिक्त पूर्जों का पूंजीयन स्वीकृति मापदंड पूरे होने पर किया जाता है।

मूल्यह्रास एवं उपयोज्यता काल

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास, बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त फ्रीहोल्ड भूमि एवं पट्टाधारित भूमि को छोड़कर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची में निर्दिष्ट परिसम्पतियों के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार सीधी रेखा आधार पर किया गया है।

उपयोज्यता काल का विवरण	(वर्ष)
भवन / फ्लैट आवासीय / गैर–आवासीय	60
संयंत्र एवं मशीनरी	8–15
सर्वेक्षण उपकरण	10
कम्प्यूटर्स	3–6
कार्यालय उपकरण	5 –10
फर्नीचर एवं जुड़नार	10
कारवां, कैम्प एवं अस्थाई शैड	3–5
वाहन	8–10

अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर परिसम्पति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से निपटान किए जाने की तिथि तक पर सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण में किए गए आवर्धन / घटाव का मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर किया गया है।

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास, यदि भाग मद की लागत के योग के संबंध में महत्वपूर्ण है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल शेष परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल से भिन्न है, अलग से लागत पर किया गया है। मिआद मुक्त पट्टे पर प्राप्त की गई पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

अवधि के दौरान अधिगृहित की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, जिनकी अलग अलग लागत 5000/– रूपए है, का पूर्ण मूल्यह्रास निर्धारण के तौर पर 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ कर लिया गया है। तथापि, कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए मोबाइल फोन, उनके मूल्य को संज्ञान में लिए बिना, लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किए गए है।

मूल्यह्रास विधियां, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्य की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उचित समझे जाने की स्थिति में उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 में किए गए उल्लेख के अनुसार "सामान्यतः किसी परिसम्पति का अवशेष मूल्य परिसम्पति की लागत से 5 प्रतिशत तक होता है।"

स्वीकृति समाप्ति

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद तथा उसके विशिष्ट भाग की प्रारंभिक स्वीकृति की समाप्ति उसका निपटान किए जाने तथा उसके निपटान से भविष्य में उससे किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त न होने की संभावना होने पर किए जाते है। किसी परिसम्पति की स्वीकृति समाप्ति से प्राप्त होने लाभ अथवा हानि (निपटान से प्राप्त धन तथा परिसम्पति की वहन राशि के अंतर के अनुसार आकलन) को परिसम्पति की स्वीकृति समाप्त होने पर लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.3 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

पूंजीगत कार्य प्रगति पर से पूंजीगत परियोजनाओं के संबंध में किए गए व्यय एवं लागत शून्य संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हो, पर अग्रेशित किए गए व्यय प्रतिबिंबित होते हैं।

2.2.4 निवेश परिसम्पतियां

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

निवेश सम्पति की स्वीकृति सम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभों की प्राप्ति समूह को होने तथा सम्पति का मापन विश्वसनीय रूप से कर लिए जाने की संभावना होने पर की जाती है। निवेश परिसम्पति में पूर्ण सम्पति, निर्माणाधीन सम्पति तथा पट्टे पर धारित वह सम्पति शामिल है जिसका धारण साधारण व्यावसायिक प्रकिया में बिक्री किए जाने अथवा उत्पादन अथवा प्रशासनिक कियाकलापों के लिए उपयोग में लाए जाने के स्थान पर किराया अथवा पूंजी लाभ अथवा दोनों अर्जित करने के लिए किया गया है। निवेश सम्पतियों का प्रारंभिक मापन संव्यवहार लागतों सहित लागत पर किया जाता है।

लागत वह राशि है जो नकद अथवा नकद समतुल्य के रूप में अथवा अन्य कियाओं के उचित मूल्य पर किसी सम्पति का अधिग्रहण करने अथवा निर्माण अथवा, जो भी लागू हो, के समय चुकता की जाती है, ऐसी सम्पति से सम्बद्ध राशि की प्रारंभिक स्वीकृति अन्य इंड एएस की विशिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार की जाती है।

अनुवर्ती मापन एवं मूल्यह्रास

निवेश सम्पतियों की प्रस्तुति संचित मूल्य ह्रास एवं संचित अक्षमता हानि, यदि कोई हैं, को घटाकर लागत पर की गई है। अनुवर्ती लागत को स्वीकृत मापदंड पूरे होने पर ही जोड़ा गया है। समूह निवेश सम्पति के भवन घटक का मूल्य ह्रास क्रय/निर्माण की मूल तिथि से 60 वर्षों में सीधी रेखा आधार पर करती है। निर्माणाधीन फ्रीहोल्ड भूमि एवं सम्पति का परिशोधन नहीं किया गया है।

बिना मिआद वाले पट्टे पर प्राप्त पट्टाधारित भूमि का परिशोधन नहीं किया गया है।

निवेश सम्पति के अवशेष मूल्यों, उपयोज्यता काल एवं मूल्यह्रास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है तथा उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन, यदि उचित हों, किए जाते हैं।

समूह अपनी निवेश सम्पति का मापन लागत आधारित मापन के आधार पर करती है, तो भी निवेश सम्पति के उचित मूल्य का प्रकटीकरण टिप्पणियों में किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर अधिकृत बाह्य स्वतंत्र मूल्यांककों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल के अनुसार किया जाता है।

स्वीकृति समाप्ति

निवेश सम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.5 अमूर्त परिसम्पतियां

स्वीकृति एवं प्रारंभिक मापन

अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी परिसम्पति से संबद्ध भावी आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होने की संभावना हो तथा परिसम्पति का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकता हो। अलग से अधिगृहित की गई अमूर्त परिसम्पतियों का लागत पर प्रारंभिक मापन किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, ऋण लागत, यदि पूंजीयन के मापदंड पूर्ण किए गए हैं, तथा परिसम्पति को आशित उद्देश्य से कार्यशील बनाने के लिए किए गए व्यय शामिल होते हैं। आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसम्पतियों, पूंजीयन की गई विकास लागतों के अलावा, तथा सम्बद्ध व्यय की प्रस्तुति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिस अवधि में व्यय किया गया है। तुलन पत्र तिथि को आशित उपयोग के तैयार न हुई अमूर्त परिसम्पतियों का प्रकटीकरण ''विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां'' के रूप में किया गया है।

अनुवर्ती मापन एवं परिशोधन

अमूर्त परिसम्पतियों की प्रारंभिक स्वीकृति के लिए संचित परिशोधन एवं संचित अक्षमता हानियों,यदि कोई हों, को कम करके उनकी लागत का वहन किया जाता है। प्रत्येक मामले में 1 लाख रूपए मूल्य तक साफ्टवेयर का परिशोधन क्रय के वर्ष में निर्धारण के लिए 1 रूपए के टोकन मूल्य के साथ किया जाता है।

पूंजीगत साफ्टवेयर का परिशोधन अधिग्रहण किए जाने की तिथि से 36 माह में किया जाता है।

अवधि के दौरान अमूर्त परिसम्पतियों में होने वाले आवर्धन / घटाव का परिशोधन करके उसे आनुपातिक आधार पर परिसम्पति उपलब्ध की तिथि से / निपटान की तिथि तक प्रभारित किया जाता है।

परिशोधन विधियों, उपयोज्यता काल एवं अवशेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की जाती है तथा उचित समझे जाने पर उत्तरव्यापी प्रभाव से समायोजन किए जाते हैं।

स्वीकृति समाप्ति

अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति या तो तब समाप्त की जाती है जब उनका निपटान किया जाता है अथवा तब की जाती है जब वे स्थाई रूप से उपयोग में नहीं लाई जाती है तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है। अमूर्त परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्त किए जाने पर प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि का मापन निवल निपटान प्राप्यों, यदि कोई हों, तथा परिसम्पति की वहन राशि के मध्य के अंतर को स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

2.2.6 गैर–वित्तीय परिसम्पतियों का परिशोधन

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को समूह द्वारा मूल्यांकन करके किसी परिसम्पति को परिशोधित करने अथवा किसी परिसम्पति का वार्षिक परिशोधन परीक्षण किए जाने की अपेक्षा होने के संकेत ज्ञात करके ऐसी परिसम्पतियों से वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाए जाते हैं। किसी परिसम्पति की वसूली योग्य राशि किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट (सीजीयू) के उचित मूल्य, निपटान की लागत को घटाकर, तथा उसके उपयोग मूल्य से अधिक होती है। यदि कोई परिसम्पति ऐसी रोकड़ उत्पति यूनिट नहीं है जो परिसम्पतियों अथवा परिसम्पतियों के समूह से पूरी तरह भिन्न हो तो किसी वैयक्तिक परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के निर्धारण किए जाते हैं। जब किसी परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वहन राषि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो परिसम्पति को परिशोधित मान लिया जाता है तथा उसकी मालसूचियों के परिशोधन सहित उसकी वसूलीयोग्य राशि एवं परिशोधन हानि को ह्रासित करके लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति की जाती है।

उपयोग मूल्य के मूल्यांकन पूर्व–कर छूट दर, जिससे धन के समय मूल्य के चालू बाजार मूल्यांकन एवं परिसम्पति से संबद्ध जोखिम प्रस्तुत होते हैं, के उपयोग से उसके वर्तमान को अनुमानित रोकड़ प्रवाह से कम करके किए जाते हैं।

साख के अलावा परिसम्पतियों का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि क्या संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि के संकेत अभी भी हैं अथवा वे कम हो गए हैं। यदि ऐसे संकेत होते हैं तो समूह परिसम्पति अथवा रोकड़ उत्पति यूनिट की वसूली योग्य राशि के अनुमान लगाती है। संज्ञान में ली जा चुकी अक्षमता हानि का व्युत्क्रमण तभी किया जाता है जब पहले आंकी गई अक्षमता हानि के पश्चात से परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के लिए लगाए गए अनुमानों में किसी प्रकार के परिवर्तन प्रतीत हों। व्युत्क्रमण सीमित होते हैं जिससे कि परिसम्पति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से न तो अधिक हो और न ही यह पूर्वावधि की परिसम्पति से संबंधित अक्षमता हानि न होने की स्थिति में निर्धारित की जाने वाली वहन राशि, मूल्यह्रास का निवल, से अधिक न हो सके। ऐसे व्युत्क्रमण लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए जाते हैं।

2.2.7 मालसूचियां

क) मालसूचियों (स्क्रैप सहित) का मूल्यन उनकी न्यून लागत एवं निवल प्राप्य मूल्य पर आंका जाता है।

लागत में मालसूचियों को वर्तमान स्थल एवं स्थिति में लाने के लिए व्यय की गई क्रय लागत, परिवर्तन लागत एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं। लागत का निर्धारण प्रथम आवक प्रथम जावक (एफआईएफओ) आधार पर किया जाता है। व्यापार की साधारण प्रक्रिया में निवल वसूलीयोग्य मूल्य पूर्णता लागतों तथा बिक्री के लिए आवश्यक अनुमानित के अनुमान को घटाकर आंका गया अनुमानित बिक्री मूल्य है।

ख) निर्माण कार्य प्रगति पर का मूल्यन ऐसे समय तक के लिए लागत पर किया गया है जब तक कार्य से प्राप्त होने वाले प्रतिफल का विश्वसनीय रूप से पता नहीं चलता है।

ग) नई परियोजनाओं पर संचलन के लिए किए गए प्रारंभिक संविदा व्यय को संबंधित वर्ष में निर्माण कार्य प्रगति पर के

रूप में स्वीकृति दी गई है तथा उसे आनुपातिक आधार पर परियोजना के लाभ एवं हानि विवरण में रिपोर्टिंग अवधि के अंत संविदा के पूर्ण होने के चरण के समान प्रतिशत पर संबंधित अवधि में प्रभारित किया गया है। स्थल संचलन व्यय का बट्टा करने के स्थान पर लागत पर मूल्यन किया गया है।

घ) नो कास्ट प्लस संविदा, जिनमें संविदा की शर्तों के अनुसार सभी सामग्रियों, अतिरिक्त पूर्जों एवं भंडार की लागत की धनवापसी नहीं होती होती है, का मूल्यन उपर्युक्त (क) के अनुसार मालसूची के रूप में किया गया है।

ङ) अवधि के दौरान किए गए लूज पूर्जों का उपयोग कर लिया गया है।

2.2.8 सरकारी अनुदान

सरकार से प्राप्त अनुदानों को उनके उचित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है, जहां युक्ति संगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और सहायक कंपनियां सभी संबद्ध शर्तों का अनुपालन करेंगी। आय से संबंधित सरकारी अनुदानों को उस अवधि पर लाभ या हानि में आस्थगित और स्वीकार किया जाएगा, जो उन्हें लागतों के साथ समायोजित करने के लिए आवश्यक हो, जो संपर्क राजस्व के भीतर क्षतिपूर्ति व प्रस्तुत करने के लिए है।

2.2.9 राजस्व स्वीकृति

समूह अपने परिचालन निर्माण उद्योग में करती है तथा इसके द्वारा अर्जित किया जाने वाला राजस्व मुख्यतः इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति एवं निर्माण कार्यों से प्राप्त होता है। ग्राहकों के साथ किए जाने वाले संविदाओं में रेलवे के निर्माण कार्य, सड़क एवं राजमार्ग के निर्माण, वाणिज्यिक एवं आवासीय भवनों के निर्माण, विद्युतिकरण कार्य एवं अन्य कार्य हैं। ऐसे संविदाओं के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में जियोटैक्निकल जांच, टोपोग्राफिक्ल सर्वेक्षण, संसाधन योजना, विस्तृत योजना रिपोर्ट का निर्माण, निर्माण, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, सामग्रियों की आपूर्ति, सिस्टम पुनर्विकास, संस्थापन, परियोजना प्रबंधन, परिचालन एवं प्रबंधन इत्यादि ("जिसे एक साथ निर्माण संबंधी सेवाएं" कहा जाता है) कार्य हैं। समूह द्वारा ये निर्माण सेवाएं नियत दर, टर्नकी आधार एवं कास्ट प्लस आधार पर प्रदान की जाती हैं।

ग्राहकों के साथ किए जाने वाले संविदा से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति तब की जाती है जब माल एवं सेवाओं का अंतरण को उस राशि के प्रति प्राप्त हो जाता है जिसकी प्राप्ति की प्रत्याशा समूह द्वारा ऐसे माल एवं सेवाओं के विनिमय के प्रति की गई है।

क) ग्राहकों के साथ संविदा से प्राप्त राजस्व

राजस्व का संव्यवहार के उस उचित मूल्य पर मापन करके किया जाता है जो निष्पादन दायित्व के रूप में निर्धारित है तथा जिसमें तृतीय पक्षकारों की ओर से संग्रह की गई राशियां शामिल नहीं हैं तथा जिसका समायोजन परिवर्तनीय प्रतिफल के निमित्त किया जाता है। समूह के संविदा की प्रकृति में मूल्यवर्धन एवं निर्णित हर्जाने सहित अनेक प्रकार के परिवर्तनीय प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। संव्यवहार मूल्य में किसी प्रकार के अनुवर्ती परिवर्तन को तदनुसार संविदा के प्रारंभ से समान आधार पर निष्पादन दायित्वों से संबद्ध कर लिया जाता है। समूह द्वारा परिवर्तनीय प्रतिफल को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ऐसी संभावना हो कि स्वीकृत की गई संचित राशि के राजस्व में व्युत्क्रमण की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। समूह यथोचित लेखा विधि के उपयोग से परिवर्तनीय प्रतिफल के प्रति स्वीकृत की जाने वाली राजस्व की राशि के अनुमान निर्धारित करती है। इसके परिणामस्वरूप संव्यवहार मूल्य परिवर्तन की अवधि के संबंध में किसी संतोषजनक निष्पादन के लिए निर्धारित राशियों की पुनःस्वीकृति राजस्व के रूप के रूप की जाती है अथवा राजस्व में कमी की जाती है।

संविदा संशोधनों का लेखांकन तब किया जाता है जब आवर्धन, विलोपन अथवा परिवर्तन के संबंध में संविदा के कार्यक्षेत्र अथवा संविदा मूल्य में अनुमोदन प्रदान किए गए हों। संविदा ें में संशोधनों का लेखांकन करने की क्रिया में यह मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या इसमें जोड़ी गई सेवाएं पृथक हैं अथवा नहीं हैं तथा क्या मूल्यन समेकित बिक्री मूल्य पर किया गया है अथवा नहीं किया गया है। जोड़ी गई वे सेवाएं, जो पृथक नहीं हैं,का लेखांकन संचयी कैच अप आधार पर किया जाता है जबकि जो पृथक होती हैं, उनका लेखांकन उत्तरव्यापी प्रभाव से या तो संविदा के अंतर्गत किया जाता है, यदि अतिरिक्त सेवाओं का मूल्यन समेकित बिक्री मूल्य के अनुसार है, अथवा यदि मूल्यन समेकित बिक्री मूल्य के अनुसार नहीं है तो विद्यमान संविदा को समाप्त करके तथा नया संविदा करके किया जाता है।

निम्नलिखित मापदंड पूर्ण होने की स्थिति में ही समूह द्वारा किसी निष्पादन दायित्व को पूर्ण कर लिया माना जाता है तथा समयानुकूल राजस्व स्वीकृति की जाती हैः

- इकाई की निष्पादन क्रिया में प्रदान किए गए इकाई के निष्पादन ग्राहक को साथ साथ प्राप्त हुए हैं तथा उनके लाभों का उपयोग कर लिया गया है।
- इकाई द्वारा किए गए निष्पादन से किसी परिसम्पति (उदाहरणतः, कार्य प्रगति पर) का सृजन अथवा संवर्धन हुआ है तथा परिसम्पति के सृजन अथवा संवर्धन के साथ साथ ग्राहक को नियंत्रण प्राप्त हो गया है अथवा
- इकाई के निष्पादन से इकाई द्वारा किसी वैकल्पिक उपयोग के लिए किसी परिसम्पति का सृजन नहीं हुआ है तथा इकाई के पास निष्पादन पूरा किए जाने की तिथि तक के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है।

समूह द्वारा समान प्रकार के निष्पादन दायित्वों के संबंध में निरंतर उपयोग में लाई जाने वाली राजस्व की स्वीकृति की विधि के लिए अनेक मापदंड स्थापित किए गए हैं। जहां परिणामों के अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाए जा सकते हैं वहां समूह द्वारा इनपुट विधि के उपयोग से कार्य की प्रगति का मापन किया जाता है। इनपुट विधि के अंतर्गत राजस्व

की स्वीकृति रिपोर्टिंग अवधि को पूर्णता के चरण के संदर्भ में की जाती है। पूर्णता के चरण का मापन निष्पादन दायित्व से संबद्ध अनुमानित लागत के योग पर तिथि के अनुसार किए गए वास्तविक लागत व्यय के आनुपातिक आधार पर किया जाता है।

ऐसी संविदाओं के मामले में जहां निष्पादन दायित्व का मापन इनपुट विधि से नहीं हो सकता है वहां आउटपुट विधि का उपयोग किया जाता है जो निष्पादन दायित्व के संबंध में समूह द्वारा किए कार्य निष्पादन की उचित छवि प्रस्तुत करती है।

ख) संविदा कोष

- संविदा परिसम्पतियां : किसी संविदा परिसम्पति के संबंध में ग्राहक को प्रतिफल के विनिमय के प्रति माल एवं सेवाओं का अंतरण का अधिकार प्राप्त है। यदि समूह द्वारा ग्राहक के लिए किया जाने वाला निष्पादन माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए ग्राहक द्वारा प्रतिफल दिए जाने से पूर्व अथवा प्रतिफल देय होने से पूर्व किया जाता है तो संविदा परिसम्पति की स्वीकृति अर्जित प्रतिफल, जो सशर्त है, के लिए की जाती है।

- व्यापार प्राप्य : प्राप्य से समूह का किसी प्रतिफल के रूप में किसी राशि की प्राप्ति का अधिकार अभिप्रेत है जो किसी शर्त के बिना है (अर्थात प्रतिफल के भुगतान से पूर्व केवल थोड़ा समय अपेक्षित होता है)।

- संविदागत दायित्व : संविदागत दायित्व वे दायित्व हैं जो समूह को ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल (अथवा प्रतिफल की कोई देय राशि) के प्रति ग्राहक को माल एवं सेवाओं के अंतरण के लिए हैं। यदि कोई ग्राहक समूह द्वारा माल एवं सेवाओं का अंतरण ग्राहक को करने से पूर्व प्रतिफल का भुगतान करता है तो संविदा दायित्व की पूर्ति भुगतान किए जाने पर अथवा भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) होती है। संविदागत देयताों की राजस्व में स्वीकृति तब की जाती है जबकि समूह द्वारा संविदा के प्रति निष्पादन कर लिया जाता है।

ग) अन्य प्रचालन आय

- प्रचालन पट्टे के अंतर्गत किराए पर दी गई मशीनरी से उत्पन्न किराया आय का लेखांकन पट्टा अवधियों में सीधी रेखा आधार पर किया जाता है।

- अन्य प्रचालन आय में व्यापार की आनुषंगिक गतिविधियों से अर्जित आय की प्रस्तुति की गई है तथा इसकी स्वीकृति तब की गई है जब निष्पादन पूर्ण कर लिया गया है तथा संविदा शर्त के अनुसार आय की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त हो गया है।

घ) अन्य आय

- लाभांश आय की स्वीकृति भुगतान प्राप्ति का अधिकार स्थापित होने पर की गई है।

- ब्याज आय की स्वीकृति प्रभावी ब्याज दर के उपयोग से की गई है।

- विविध आय की स्वीकृति निष्पादन दायित्व पूरे कर लिए जाने तथा संविदा शर्तों के अनुसार आय की प्राप्ति का अधिकार प्राप्त होने पर की गई है।

2.2.10 ऋण लागत

ऋण लागत में ब्याज एवं समूह द्वारा निधियों की प्राप्ति के संबंध में व्यय की गई अन्य लागतें शामिल हैं। ऋण लागतों की सम्बद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है जो परिसम्पति की लागत के पूंजीयन के लिए आशित उद्देश्य से उपयोग अथवा बिक्री के लिए किसी निश्चित अवधि में पूर्ण अथवा निर्मित की जानी अपेक्षित होती है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति उनके व्यय के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में की गई है। ऋण लागतों में ऐसी विनिमय भिन्नता भी शामिल हैं जिन्हें ऋण लागतों के समायोजन के लिए उपयोग किया गया है।

2.2.11 कर

क) चालू आय कर

चालू आय कर एवं देयताओं का मापन सम्बद्ध कर विनियमों के अंतर्गत कराधान प्राधिकरणों से संभावित प्राप्य अथवा चुकता की जाने वाली राशियों के अनुसार किया गया है । चालू कर निर्धारण अवधि के लिए देय आय कर के संबंध में कर देयता के रूप में किया गया है तथा इसका आकलन सबंधित कर विनियमों के अनुसार किया गया है। चालू आय कर की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाह्य स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाह्य (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। चालू कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है या इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है। प्रबंधन द्वारा आवधिक रूप से कर विवरणियों में अपनी उन स्थितियों के संबंध में आवधिक मूल्यांकन किए जाते हैं जिनके लिए लागू कर विनियम व्याख्या तथा यथा लागू स्थापित प्रावधानों के अध्याधीन हैं।

चालू कर परिसम्पतियों एवं कर दायित्वों का समंजन उन स्थितियों के लिए किया गया है जिनके संबंध में समूह के पास समंजन का विधिक प्रवर्तनीय अधिकार है अथवा उनके संबंध में समूह की मंशा निवल आधार पर उनका निपटान करने अथवा परिसम्पति की बिक्री करके एक साथ दायित्व का समाधान करने की है।

ख) आस्थगित कर

आस्थगित कर देयताओं की स्वीकृति परिसम्पतियों एवं देयताओं के कर आधारों तथा रिपोर्टिंग तिथि को वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उनकी वहन राशियों के मध्य

अस्थाई भिन्नताओं के संबंध में देयता विधि के उपयोग से की गई है।

आस्थगित कर परिसम्पतियों का मापन उन कर दरों पर किया गया है जिनका उपयोग उस अवधि के लिए किया जाना संभावित है जब परिसम्पति का निपटान अथवा दायित्व का समाधान कर दरों के आधार (तथा कर विधियों) पर किया गया था जो प्रवर्तित हैं अथवा रिपोर्टिंग तिथि को प्रवर्तित किए गए हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की गई है जिसमें लाभ एवं हानि के बाहय स्वीकृत की गई मदों को शामिल नहीं किया गया है तथा इन मदों की स्वीकृति लाभ एवं हानि से बाहय (अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में) की गई है। आस्थगित कर मदों की स्वीकृति सम्बद्ध संव्यवहार के संदर्भ में या तो अन्य व्यापक आय में की गई है अथवा इन्हें प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में शामिल किया गया है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है और उस स्तर तक इसे कम किया जाता है जहां यह संभावना न रहे कि उपयोग की जाने वाली आस्थगित आयकर परिसंपत्ति या उसका भाग उपयुक्त कर लाभ के लिए उपलब्ध होगा। स्वीकृत न की गई आस्थगित कर परिसम्पतियों का पुनः मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है तथा इनकी स्वीकृति उस स्तर तक की जाती है जिस स्तर तक यह संभावना बनी रहे कि इससे प्राप्त भावी करयोग्य लाभ से आस्थगित कर परिसम्पतियों की वसूली की जा सकेगी।

आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का समंजन तब किया जाता है जब चालू कर परिसम्पतियों एवं देयताओं के समंजन के लिए प्रवर्तनीय विधिक अधिकार उपलब्ध हो तथा जब आस्थगित कर परिसम्पतियों के शेष समान कराधान प्राधिकरण से संबंधित हों।

2.2.12 विदेशी मुद्राएं

- कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा

  वित्तीय विवरणों में शामिल मदों का मापन उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा में किया गया है जिसमें इकाई अपने परिचालन ("कार्यात्मक मुद्रा") करती है। वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रुपए में की गई है जो समूह की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा भी है।

- संव्यवहार एवं शेष

  विदेशी मुद्रा संव्यवहार कार्यात्मक मुद्रा में रिकार्ड किए गए हैं जिसके लिए संव्यवहार की तिथि के अनुसार कार्यात्मक मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के मध्य की विनिमय दर का उपयोग किया गया है।

  रिपोर्टिंग तिथि को बकाया विदेशी मुद्रा वाली मौद्रिक मदों को कार्यात्मक मुद्रा में क्लोजिंग दर (देयताओं के लिए क्लोजिंग बिक्री दर तथा परिसम्पतियों के लिए क्लोजिंग खरीद दर) पर परिवर्तित किया गया है। विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग वाली गैर–मौद्रिक मदों का वहन उनकी ऐतिहासिक लागत पर संव्यवहार की तिथि की विनिमय दर पर किया गया है।

  मौद्रिक मदों के समाधान से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नताओं, अथवा रिपोर्टिंग तिथि को की गई पुनःप्रस्तुति, के अनुसार उन दर भिन्नताओं पर किया गया है जो प्रारंभ में रिकार्ड की गई थी तथा लाभ एवं हानि विवरण में इनकी स्वीकृति इनकी उत्पति की अवधि में की गई थी। इन विनिमय भिन्नताओं की लाभ एवं हानि में प्रस्तुति निवल आधार पर की गई है

- विदेश परिचालन

  शाखाओं से संबंधित उन विदेश परिचालनों, जिनमें उपयोग की मुद्रा के प्रति कार्यात्मक मुद्रा में भिन्नता है, के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के उद्देश्य से उपयोग की मुद्रा का प्रयोग किया गया है। समूह की विदेश स्थित शाखाओं की परिसम्पतियों एवं देयताओं (मौद्रिक एवं गैर–मौद्रिक दोनों) को रिपोर्टिंग तिथि के अंत में लागू विनिमय दर के उपयोग से परिवर्तित किया गया है। यदि विनिमय दरों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव नहीं हुए हैं तो आय एवं व्यय की मदों को अवधि के दौरान औसत विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है अन्यथा मामलों के लिए संव्यवहार की तिथि को प्रयुक्त विनिमय दर उपयोग में लाई गई है। उत्पन्न विनिमय भिन्नताओं, यदि कोई हैं, की स्वीकृति अन्य व्यापक आय एवं इक्विटी इसका संचय विदेशी मुद्रा परिवर्तन रिजर्व के रूप में किया गया है।

  विदेशी परिचालनों का निपटान (परियोजना की बहियां बंद करने पर) होने पर परिचालन के संबंध में इक्विटी में संचित विनिमय भिन्नताओं का पुनःवर्गीकरण लाभ एवं हानि विवरण में किया गया है।

2.2.13 कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

वेतन, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति छुट्टी एवं निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) जैसे बारह माह की पूर्ण सेवा के पश्चात प्रदान किए जाने वाले लाभों का वर्गीकरण अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में किया गया है तथा ऐसे लाभों की गैर–डिस्काउंटिड राशि को उस अवधि से संबंधित लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं।

ख) सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ

- **परिभाषित अंशदायी योजना** : परिभाषित अंशदायी योजना के अंतर्गत समूह नियत राशि का अंशदान एक अलग इकाई में करती है तथा इससे इसके प्रति आगे किसी राशि का भुगतान करने का कोई विधिक अथवा तर्कसाध्य दायित्व नहीं होता है। परिभाषित अंशदायी योजनाओं में अंशदान करने से संबंधित योजनाओं के

संबंध में, जिन अवधियों में कर्मचारी द्वारा सम्बद्ध सेवाएं प्रदान की गई हैं, लाभ एवं हानि विवरणों में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में स्वीकृति दी गई है।

समूह की एक परिभाषित अंशदायी कर्मचारी सेवानिवृत्ति योजना है जिसका व्यवस्थापन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन डिफाइन्ड कन्ट्रीब्यूशन सुपरएनुएशन पेंशन स्कीम,2009) के माध्यम से किया जा रहा है। ट्रस्ट के लिए किए जाने वाले अंशदान की स्वीकृति उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरणों में की गई है जिस अवधि में ट्रस्ट के प्रति अंशदान देय होते हैं।

- परिभाषित लाभ योजना : परिभाषित लाभ योजना एक सेवानिवृत्ति के पश्चात की लाभ योजना है जो कि परिभाषित अंशदायी योजनाओ से भिन्न है। इन योजनाओं के अंतर्गत किसी लाभ के प्रति दायित्व समूह के ही होते हैं। उपदान, भविष्य निधि एवं सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ के लिए समूह की देयताओं की रूपरेखा परिभाषित लाभ योजनाओं में दर्शाई गई है।

  समूह द्वारा उपदान का निधियन किया जाता है तथा इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन एम्प्लाइज ग्रुप ग्रेच्युटी ट्रस्ट) करती है। व्यय के रूप में स्वीकृत की गई अवधियों के लिए उपदान ट्रस्ट में किया जाने वाले अंशदान को लाभ एवं हानि में प्रभारित किया जाता है। समूह मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में पूर्व निर्धारित दरों पर एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन कंट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) को करती है जो निधियों का निवेश अनुमत्त सिक्योरिटिज में करता है। व्यय के रूप में स्वीकृत अवधियों के लिए निधि के अंशदान के व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। समूह का दायित्व ऐसे नियत अंशदान करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि इसके सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर पर लाभ की प्राप्ति हो सके। समूह की एक सेवानिवृत्ति पष्चात चिकित्सा सुविधा योजना (पीआरएमएफ) भी है जिसका निधियन भी समूह करती है तथा इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन मेडिकल ट्रस्ट) द्वारा किया जा रहा है। चिकित्सा ट्रस्ट में अवधियों के संबंध में स्वीकृत किया जाने वाले अंशदान को व्यय के रूप में लाभ एवं हानि में प्रभारित किया जाता है।

  परिभाषित लाभ योजना के संबंध में समूह के निवल दायित्वों का मापन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में सरकारी सिक्योरिटिज की परिपक्वता अवधि, जो परिभाषित लाभ दायित्वों के भारित औसत परिपक्वता प्रोफाइल के समान है, में बाजार प्राप्ति पर आधारित डिस्काउंट दर के उपयोग से अनुमानित भावी नकद प्रवाहों के वर्तमान मूल्य पर अलग से किया जाता है। निवल आधार पर दायित्वों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत सकल दायित्वों में से योजनागत परिसम्पतियों के उचित मूल्य को कम कर दिया जाता है। आकलन का निष्पादन एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट के उपयोग से किया जाता है तथा सरकार की अधिसूचित ब्याज दरों पर पर्याप्त लाभ की उत्पति में ट्रस्ट के सक्षम न होने की स्थितियों के संबंध में संकेत दिए जाते हैं।

  बीमांकक लाभ एवं हानियों सहित योजनागत परिसम्पतियों के प्राप्यों का पुनःमापन (परिभाषित लाभ देयता अथवा परिसम्पति के निवल पर निवल ब्याज की राशियों के अलावा) करके अन्य व्यापक आय में स्वीकृति की जाती है तथा इसे धारित आय के रूप में दर्शाया जाता है तथा यह लाभ एवं हानि विवरण में पुनःवर्गीकृत किए जाने के योग्य नहीं होती है।

  चालू सेवा लागत, पूर्व सेवा लागत, ब्याज लागत तथा समाधान पर लाभ एवं हानियों से युक्त परिभाषित लाभ लागतों को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी गई है। परिभाषित लाभ योजना के किसी निपटान पर लाभ अथवा हानियों की स्वीकृति तब की जाती है जब निपटान किया जाता है। पूर्व सेवा लागत को व्यय के रूप में, योजनागत संशोधन अथवा संक्षेपण से पूर्व तथा जब समूह धारित संबंधित अवसरंचना लागतों अथवा सेवा समाप्ति लाभों को स्वीकृति देती है, स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

समूह द्वारा बारह माह के पश्चात अग्रेषित किए जाने वाले छुट्टी नकदीकरण एवं छुट्टी यात्रा रियायत को मापन के उद्देश्य से दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ माना गया है। इन दीर्घकालिक लाभों के संबंध में दायित्व की स्वीकृति का मापन अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि के उपयोग से बीमांकन पर आधारित दायित्वों के वर्तमान मूल्य पर किया गया है।

चालू सेवा लागत, पूर्व सेवा लागत, ब्याज लागत तथा समाधान पर लाभ एवं हानियों से युक्त दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ लागतों को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी गई है।

2.2.14 नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में नकदी, बैंकों में जमा नकदी एवं अल्पकालिक जमा जिनकी मूल परिपक्वता तीन माह अथवा कम है तथा जो नकदी की ज्ञात राशियों के लिए तत्काल परिवर्तित किए जा सकते हैं तथा जो मूल्य में परिवर्तन के प्रति महत्वपूर्ण जोखिम के अध्याधीन हैं।

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी एवं नकदी समतुल्यों में ऊपर दी गई परिभाषा के अनुसार अप्रबंधित नकदी एवं अल्पकालिक जमा शामिल किए गए हैं क्योंकि उन्हें समूह के रोकड़ प्रबंधन का अभिन्न अंग माना गया है।

2.2.15 लाभांश

समूह के इक्विटी शेयरधारकों को प्रदान किए जाने वाले वार्षिक

लाभ वितरण की देयता के रूप में स्वीकृति शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित अवधि के लिए की गई है । अंतरिम लाभांश के प्रति देयता के रूप में स्वीकृति निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त होने पर की जाती है। देय लाभांश एवं लाभांश वितरण के अनुवर्ती कर की स्वीकृति सीधे इक्विटी में की गई है।

2.2.16 प्रावधान, आकस्मिक परिसम्पतियां एवं आकस्मिक देयताएं

क) प्रावधान

प्रावधान को स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप समूह का कोई वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा तर्कसाध्य) हो तथा ऐसी संभावना हो कि दायित्व के निपटान, जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हैं, के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित है। प्रावधान के रूप में स्वीकृत राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित विचार, दायित्व से जुड़े जोखिम एवं अनिश्चितताओं पर विचार, के पश्चात आंके गए उत्तम अनुमान के अनुसार होती है।

जब धन के समय मूल्य का वस्तुगत होने की संभावना होती है तो प्रावधान राशि को दायित्व से सम्बद्ध जोखिम की प्रस्तुति करने वाली,जब उचित हो, पूर्व कर दर के उपयोग से कम कर दिया जाता है। समय के परिवर्तन को वित्त लागत के रूप में विचार में लिए जाने के कारण डिस्काउंटिंग के उपयोग के पश्चात प्रावधान अधिक कर दिए जाते हैं।

समूह द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले प्रावधानों में अनुरक्षण, विघटन, डिजाइन गारंटी, विधिक मामले, निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर), दुर्वह संविदा एवं अन्य शामिल हैं।

ख) दुर्वह संविदाएं

दुर्वह संविदा वह संविदा है जिसमें संविदा के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने की वे अपरिहार्य लागतें (अर्थात वे लागतें जिनकी संविदा के कारण समूह अनदेखी नहीं कर सकती है) आती हैं जो उससे प्राप्त होने वाले संभावित आर्थिक लाभों से अधिक होती हैं। किसी संविदा के अंतर्गत अपरिहार्य लागतें संविदा की विद्यमान न्यूनतम लागत की प्रस्तुति करते हैं जो इसके निष्पादन की लागत एवं इसे निष्पादित न किए जाने के मुआवजे अथवा उत्पन्न होने वाली शास्तियों से कम हैं। यदि समूह की कोई दुर्वह संविदा है तो संविदा के अंतर्गत दायित्व की स्वीकृति एवं मापन के लिए प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, दुर्वह संविदा के लिए अलग प्रावधान करने से पूर्व समूह किसी अक्षमता हानि की स्वीकृति करती है जो ऐसी संविदा के लिए नियत की गई परिसम्पतियों के संबंध में हुई है।

इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में करके चालू उत्तम अनुमान के अनुसार समायोजन प्रस्तुत किए गए हैं।

ग) आकस्मिक देयताएं

ऐसे आकस्मिक दायित्वों के संबंध में प्रकटीकरण किया जाता है जब संभावित दायित्व अथवा वर्तमान दायित्वों के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होने होने की संभावना होती है, परन्तु नहीं भी हो सकती है, अथवा ऐसे दायित्वों की राशि का मापन विश्वसनीयता से नहीं किया जा सकता है। जब किसी संभावित दायित्व अथवा विद्यमान दायित्व के संबंध में सन्निहित आर्थिक लाभों के संसाधनों का बर्हिप्रवाह होने की संभावना काफी होती है तो कोई प्रावधान अथवा प्रकटीकरण नहीं किए जाते हैं।

इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है तथा चालू उत्तम अनुमानों के अनुसार इनका समायोजन किया जाता है।

घ) आकस्मिक परिसम्पतियां

आकस्मिक परिसम्पतियों की स्वीकृति नहीं की जाती है अपितु आर्थिक लाभों के प्रवाह की विश्वसनीयता होने पर इनका प्रकटीकरण किया जाता है।

2.2.17 सेवा रियायत व्यवस्था

क) सेवा रियायत व्यवस्था के तहत वित्तीय संपत्ति (इंड एएस– 115 – ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व, परिशिष्ट–ग)

समूह उस स्तर तक वित्तीय परिसंपत्तियों को स्वीकार करता है जिस स्तर तक निर्माण सेवाओं और प्रचालन व अनुरक्षण सेवाओं के लिए प्रदाता (एनएचएआई) के निदेशक से या पर रोकड या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को प्राप्त करने का अशर्त संविदागत अधिकार प्राप्त हो। इस तरह की वित्तीय परिसंपत्तियों को आरंभ में उचित मूल्य अर्थात वर्तमान मूल्य और तत्पश्चात प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। इस पद्धति के तहत, वित्तपोषण तत्व के लिए वित्तीय परिसंपत्ति में वृद्धि की जाती है और अनुदान के रूप में धन प्राप्त किया जाता है। समूह दो या अधिक संविदाओं को एक ही ग्राहक के साथ या एक ही समय में या एक ही संविदा के रूप में संविदाओं के लिए खाते में संयोजित करता है, यदि संविदाओं को एकल वाणिज्यिक उद्देश्य या एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली राशि के पैकेज के रूप में स्वीकार किया जाता है औरे संविदा में दिए गए अन्य अनुबंध या वस्तुओं या सेवाओं की कीमत या प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करता है जो एकल प्रदर्शन दायित्व हैं।

ख) सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त संपत्ति (परिशिष्ट–ग के रूप में इंड एएस 115 – ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व)

सार्वजनिक से निजी व्यवस्था (पीपीए) के संबंध में, निर्माण–प्रचालन–अंतरण (बीओटी) आधार पर, अमूर्त संपत्ति अर्थात टोल/टैरिफ एकतरण करने का अधिकार तब स्वीकार्य है जब समूह को उपयोगकर्ताओं से टोल या टैरिफ शुल्क वसूलने के अधिकार दिए गए हैं। ऐसी सार्वजनिक सेवाओं और इस तरह के अधिकारों को नकद या किसी अन्य वित्तीय

परिसंपत्ति को प्राप्त करने के लिए समूह पर बिना शर्त अधिकार नहीं दिया जाता है और जब यह संभावित हो कि कि अधिकारों से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे और संपत्ति की लागत को सुदृढता से मापा जा सकता है।

समूह एक सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बुनियादी ढांचे (निर्माण या उन्नयन सेवाओं) का निर्माण करता है और उस बुनियादी ढांचे (प्रचालन सेवाओं) को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रचालन और अनुरक्षण करता है। इन व्यवस्थाओं में सार्वजनिक–से–निजी सेवा रियायत व्यवस्था में उपयोग किए जाने वाले बुनियादी ढांचे को अपने संपूर्ण उपयोगी जीवन के लिए शामिल किया जा सकता है।

रियायत समझौतों के तहत, जहां समूह को सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ताओं को प्रभारित करने का अधिकार प्राप्त है, ऐसे अधिकारों को इंड एएस 115 – सेवा रियायत व्यवस्था के रूप में परिशिष्ट–ग के अनुसार ''अमूर्त परिसंपत्तियों'' के रूप में स्वीकृत और वर्गीकृत किया जाता है।

इस प्रकार का अधिकार मत प्राप्त करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है क्योंकि यह राशि उस स्तर तक आकस्मिक है कि जनता सेवा का उपयोग करती है और इस तरह से इसे अमूर्त संपत्ति के रूप में स्वीकार और वर्गीकृत किया जाता है। इस तरह की अमूर्त संपत्ति को लागत पर समूह द्वारा स्वीकृत किया जाता है (जो प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्य का उचित मूल्य है) और पूंजीकृत है जब परियोजना सभी मामलों में पूर्ण होती है और जब समूह पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करता है।

रियायत व्यवस्था के तहत ली गई संपत्ति के निपटान पर या उसके भविष्य के उपयोग या निपटान से किसी भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है।

सेवा रियायत व्यवस्था जो एक अमूर्त संपत्ति की परिभाषा को पूरा करती है, उसे संचयी निर्माण लागत पर मान्यता दी जाती है। परियोजना के निर्माण के पूरा होने तक, इस तरह की व्यवस्था को "विकास के तहत अमूर्त संपत्ति" के रूप में स्वीकृति प्राप्त है और संचयी निर्माण लागत पर मान्यता प्राप्त है।

सेवा रियायत व्यवस्था में अमूर्त संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल वह अवधि है, जहां से समूह रियायत अवधि के अंत तक बुनियादी ढांचे के उपयोग के लिए जनता को प्रभारित करने में सक्षम है।

एकत्रण अधिकार समयावधि की समाप्ति के बाद या उस तारीख से प्रो–राटा आधार पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके परिशोधन किया जाता है, जब अधिकार रियायत अवधि की समाप्ति के लिए सेवा में लाया जाता है।

परिशोधन की कार्यविधि और उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख में की जाती है, जिसमें अनुमानित आधार पर इन अनुमानों में परिवर्तन को प्रभावित किया जाता है।

अमूर्त संपत्ति के वहन मूल्य की प्रतिवर्ष या उससे अधिक बार हानि के लिए समीक्षा की जाती है यदि घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन यह दर्शाता है कि वहन मूल्य पुनर्प्राप्त करने योग्य नहीं हो सकता है।

2.2.18 पट्टे

समूह द्वारा संविदा के प्रारंभ में ऐसे मूल्यांकन किए जाते हैं कि क्या संविदा पट्टा, अथवा अंतर्विष्ट पट्टा, है अथवा नहीं है। इसका अर्थ है कि क्या संविदा में संज्ञान में ली गई परिसम्पति के संबंध में किसी अवधि में उपयोग के नियंत्रण का अधिकार प्रतिफल के विनिमय के प्रति उपलब्ध है।

क) पट्टेदार के रूप में समूह

समूह द्वारा अल्पकालिक पट्टों तथा न्यून मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के अलावा सभी पट्टों के संबंध में एकल स्वीकृति एवं मापन विधि का उपयोग किया जाता है। समूह पट्टा दायित्वों की स्वीकृति पट्टा भुगतानों तथा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के रूप में करती है जिससे अंतर्निहित परिसम्पतियां उपयोग अधिकार की प्रस्तुति करती हैं।

1) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां

समूह उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की स्वीकृति पट्टा प्रारंभ होने की तिथि (अथवा वह तिथि जब अंतर्निहित परिसम्पति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) के अनुसार करती है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का मापन किसी प्रकार के संचित मूल्यह्रास तथा क्षमता हानियों को घटाकर एवं पट्टा दायित्वों के किसी पुनःमापन में समायोजन करके लागत पर किया जाता है।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों की लागत में स्वीकृत पट्टा देयता क राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतें, एवं किसी प्रकार के प्राप्त पट्टा प्रोत्साहनों को घटाकर प्रारंभ तिथि को अथवा उससे पूर्व किए गए पट्टा भुगतान शामिल हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास पट्टा काल को कम करके तथा परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

यदि पट्टा की गई परिसम्पतियां पट्टा काल के अंत में समूह को अंतरित की जाती है अथवा प्रस्तुत लागत में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य होता है तो मूल्यह्रास का आकलन परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल के अनुसार किया जाता है।

उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियां अक्षमता की शर्त पर भी होती है।

2) पट्टा दायित्व

समूह द्वारा पट्टे की प्रारंभ तिथि को पट्टा काल के लिए चुकता किए जाने वाले पट्टा के वर्तमान मूल्य के अनुसार मापन किए गए पट्टा दायित्वों को स्वीकृति दी जाती है। पट्टा भुगतानों में किसी प्रकार के प्राप्य प्रोत्साहन घटाकर

नियत भुगतान (सारभूत नियत भुगतान में शामिल), परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो सूचकांक अथवा किसी दर पर निर्भर हैं, तथा अवशेष मूल्य गारंटियों के अंतर्गत चुकता की जाने वाली संभावित राशियां शामिल है। पट्टा भुगतानों में क्रय विकल्प का उपयोग मूल्य भी शामिल होता है जिसका औचित्यपरक निश्चितता के साथ समूह उपयोग कर सकती है, तथा पट्टों समाप्त करने, यदि पट्टा काल शर्तों में शास्तियों के भुगतान की व्यवस्था है, के विकल्प का उपयोग कर सकती है। व्यय के रूप में स्वीकृत किसी सूचकांक अथवा दर पर निर्भर न होने वाले परिवर्तनीय पट्टा भुगतान (यदि वे मालसूचियों के उत्पादन के लिए व्यय नहीं किए गए हैं) उनकी उत्पति की अवधि अथवा भुगतान किए जाने की स्थिति में किए जाते हैं।

पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य का आकलन करते हुए समूह पट्टा प्रारंभ तिथि से आवर्धित ऋण दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में अंतर्निहित ब्याज दर का सुगमता से निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात पट्टा दायित्वों की राशि में ब्याज अभिवृद्धि की प्रस्तुति के लिए वृद्धि हो जाती है तथा किए गए पट्टा भुगतान कम हो जाते हैं। इसके अलावा, पट्टा दायित्वों के वहन मूल्य का पुनःमापन किसी प्रकार का संशोधन किए जाने, पट्टा काल में परिवर्तन किए जाने, पट्टा भुगतानों में परिवर्तन किए जाने (अर्थात पट्टा भुगतानों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किसी सूचकांक अथवा दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भावी भुगतानों में परिवर्तन) अथवा अंतर्निहित परिसम्पति के क्रय के विकल्प के मूल्यांकन में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

समूह के पट्टा दायित्वों को वित्तीय दायित्वों में शामिल किया जाता है।

3) अल्पकालिक पट्टे तथा न्यून मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टे

समूह द्वारा आवासीय परिसरों तथा कार्यालयों (अर्थात वे पट्टे जिनका पट्टा काल प्रारंभ की तिथि से 12 माह अथवा कम है तथा जो क्रय विकल्प के साथ नहीं हैं) के अपने अल्पकालिक पट्टा अनुबंधों में अल्पकालिक पट्टा स्वीकृति के लिए छूट का उपयोग किया जाता है। समूह द्वारा कार्यालय उपकरणों, जो न्यून मूल्य के रूप में विचार में नहीं लिए गए हैं, के पट्टों के लिए पट्टे की न्यून मूल्य परिसम्पति छूट का उपयोग भी किया जाता है। अल्पकालिक पट्टों के पट्टा भुगतान तथा न्यून मूल्य परिसम्पतियों के पट्टों की स्वीकृति पट्टा काल के लिए सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में की जाती है।

समूह द्वारा पट्टा लेखांकन में किए समायोजन इंड एएस 116 के अनुसार किए गए हैं जो 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी है तथा सभी सम्बद्ध आंकड़ों का पुनःवर्गीकरण /पुनःसमूहन इंड एएस116 की अपेक्षाओं के प्रभाव से किया गया है।

ख) पट्टाकार के रूप में समूह

वे पट्टे जिनमें समूह मुख्य रूप से परिसम्पति से संबद्ध सभी जोखिम तथा प्रतिफल अंतरित नहीं करती है उनका वर्गीकरण परिचालन पट्टे के रूप में किया गया है। पट्टे के काल की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर लेखांकित पट्टे से उत्पन्न किराया को उसकी परिचालन प्रकृति के कारण राजस्व के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया गया है। परिचालन पट्टे के परिक्रमण एवं व्यवस्थापन के दौरान व्यय की गई प्रत्यक्ष लागतें पट्टाकृत परिसम्पति की वहन राशि में जोड़ी गई हैं तथा उनकी स्वीकृति ब्याज आय के समान आधार पर पट्टा काल के लिए की गई है। आकस्मिक किरायों की स्वीकृति राजस्व के रूप में उनकी उत्पति होने पर की गई है।

2.2.19 वित्तीय उपकरण

वित्तीय उपकरण अनुबंध होते हैं जो किसी इकाई की वित्तीय परिसम्पति तथा किसी अन्य इकाई के किसी दायित्व अथवा वित्तीय उपकरण के संव्यवहार के लिए किए जाते हैं।

क) वित्तीय परिसम्पतियां

<u>प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन</u>

वित्तीय परिसम्पतियों को उचित मूल्य जमा या घटा संव्यवहार लागतों पर स्वीकृत किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय परिसम्पतियों (लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापण की गई परिसम्पतियों के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने से संबंधित हैं। वित्तीय परिसम्पतियों अथवा वित्तीय देयताओं से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से तुरंत लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

<u>अनुवर्ती मापन</u>

अनुवर्ती मापन के उद्देश्य वित्तीय परिसम्पतियों को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:

- **<u>परिशोधन लागत पर नामे उपकरण</u>**

  निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर ऋण उपकरण का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता हैं:

  क) परिसंपत्ति व्यवसाय मॉडल के अनुसार ही धारित है जिसे परिसंपत्ति से संविदागत रोकड़ प्रवाह एकत्रित करने के उद्देश्य से धारित किया गया है और

  ख) परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह के लिए विशिष्ट तिथियों को निर्धारित करती हैं जो विशिष्ट रूप से बकायों मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान है।

ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि घटा हानि, यदि कोई हो, का प्रयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया गया है। क्षमता हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ अथवा हानि में स्वीकृति दी जाती है। यह वर्ग सामान्यत व्यापार एवं अन्य प्राप्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है।

- <u>अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण उपकरण (एफवीटीओसीआई)</u>

  निम्नलिखित दोनों मापदंड पूरे होने पर ऋण उपकरण का वर्गीकरण अन्य वृहत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है :

  क. व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदागत रोकड़ प्रवाहों को एकत्रित करके तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के बेचकर दोनों माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और

  ख. परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें रोकड़ प्रवाह विशिष्ट रूप से मूल और ब्याज के भुगतान (एसपीपीआई) को प्रस्तुत करती हैं।

  एफवीटीओसीआई श्रेणी के शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर आरंभिक स्तर पर तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मापा जाता है। उचित मूल्य संचलनों को अन्य वृहत आय (ओसीआई) में स्वीकार किया जाता है। तथापि, लाभ और हानि विवरण में कंपनी ब्याज आय, परिशोधित हानियों और प्रतिक्रमों तथा विदेशी विनिमय लाभ या हानि को स्वीकार करती है। परिसंपत्तियों को गैर–स्वीकार करने पर ओसीआई में पूर्व में स्वीकृत संचित लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में इक्विटी से पुनःवर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर विधि का प्रयोग करते हुए स्वीकार किया जाता है।

- लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर ऋण उपकरण

  एफवीटीपीएलप ऋण माध्यमों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण माध्यम, जो परिशोधित लागत या एफवी ओसीआई के रूप में श्रेणीकरण के मापदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

  एफवीटीपीएल के वर्ग में शामिल ऋण उपकरणों का मापन लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर किया गया है।

- इक्विटी उपकरण

  इंड एएस 109 के कार्य क्षेत्र में इक्विटी निवेश का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। जो इक्विटी उपकरण एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत व्यापार के लिए धारित किए गए हैं। अन्य सभी उपकरणों के लिए समूह द्वारा उचित मूल्य पर अनुवर्ती परिवर्तन पर अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने का अशोध्य चयन किया गया है। समूह द्वारा ऐसे चयन उपकरण – वार आधार पर किए जाते हैं। ऐसे वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति पर किए जाते हैं तथा ये अशोध्य होते हैं।

  यदि समूह किसी इक्विटी उपकरण का वर्गीकरण एफवीटीओसीआई के रूप में करने का निर्णय लेते है तो लाभांशों के अलावा उपकरण के सभी उचित मूल्य परिवर्तनों की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है। निवेश की बिक्री के पश्चात भी अन्य व्यापक आय में से राशियों का पुनःचक्रण लाभ एवं हानि विवरण में नहीं किया जाता है। तथापि, समूह इक्विटी में संचित लाभ एवं हानि का अंतरण कर सकती है।

  एफवीटीपीएल वर्ग में शामिल इक्विटी उपकरणों का मापन उनके उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत सभी परिवर्तनों के साथ किया जाता है।

<u>वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता</u>

ईसीएल उन सभी संविदागत नकद प्रवाहों के मध्य का अंतर है जो समूह संविदा के अंतर्गत देय हैं तथा जो ऐसे नकद प्रवाहों से संबंधित हैं जिनकी प्राप्ति की प्रत्याशा इकाई (अर्थात सभी नकद न्यूनताएं), तथा जो मूल ईआईआर पर न्यून किए गए हैं।

इंड एएस 109 के अनुसरण में समूह द्वारा निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पतियों एवं क्रेडिट ऋण जोखिमों से संबंधित प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को मापन एवं अक्षमता हानि में स्वीकृति के लिए उपयोग किया गया हैः

क. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा जिनका मापन परिशोधन लागत अर्थात ऋण, डेब्ट सिक्योरिटियों, जमा, व्यापार प्राप्यों एवं बैंक शेष के लिए किया गया है।

ख. वित्तीय परिसम्पतियां जो ऋण उपकरण हैं तथा एफवीटीओसीआई पर मापन की गई हैं।

ग. इंड एएस 116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य

घ. व्यापार प्राप्य अथवा अन्य संविदागत अधिकार के अंतर्गत प्राप्त नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसम्पति जो ऐसे संव्यवहार से प्राप्त हो जो इंड एएस 115 के दायरे में है।

ङ. ऋण प्रतिबद्धताएं जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

च. वित्तीय गारंटी अनुबंध जिनका मापन एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं किया गया है।

समूह द्वारा निम्नलिखित के संबंध में अक्षमता हानि भत्ते की स्वीकृति के लिए ''सरल एप्रोच' का अनुसरण किया गया हैः

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

- व्यापार प्राप्यों अथवा अनुबंध राजस्व प्राप्यों; तथा
- सभी ऐसे पट्टा प्राप्यों जिनके संव्यवहार इंड एएस 116 के दायरे में हैं।

सरल एप्रोच की उपयोज्यता के लिए समूह को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तन नहीं करने होते हैं। इसके स्थान पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को लाइफटाइम ईसीएल पर आधारित क्षमता हानि भत्तों का उपयोग प्रारंभिक स्वीकृति की तिथि से किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं ऋण जोखिम पर क्षमता हानि के संज्ञान के लिए समूह यह निर्धारण करती है कि क्या प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अथवा नहीं हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है तो 12 माह की ईसीएल का उपयोग क्षमता हानि के प्रावधान के लिए किया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि होने पर लाइफटाइम ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि किसी अनुवर्ती अवधि में उपकरण की क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार आता है तथा प्रारंभिक संज्ञान के पश्चात से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण बढ़त नहीं होती है तो इकाई द्वारा 12 माह की ईसीएल पर आधारित क्षमता ानि भत्ते को समाप्त कर दिया जाता है।

लाइफटाइम ईसीएल वे प्रत्याशित क्रेडिट हानियां हैं जो वित्तीय परिसम्पति के संभावित उपयोज्यता काल में संभव चूक घटनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। 12 माह ईसीएल लाइफटाइम ईसीएल का वह भाग है जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात 12 माह के दौरान संभावित चूक घटनाओं से उत्पन्न हुए हैं।

ईसीएल क्षमता हानि भत्ता (अथवा रिवर्सल) की स्वीकृति आय/व्यय के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। इस राशि की प्रस्तुति ''अन्य व्यय'' शीर्ष के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। विभिन्न वित्तीय उपकरणों के अंतर्गत तुलन पत्र की प्रस्तुति का वर्णन नीचे किया गया है:—

- परिशोधित लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां, संविदागत राजस्व प्राप्य एवं पट्टा प्राप्य: ईसीएल की प्रस्तुति एक भत्ते के रूप में अर्थात तुलन पत्र में ऐसी परिसम्पतियों के मापन के अभिन्न भाग के रूप में की जाती है। निवल वहन राशि में से भत्ता घटा दिया जाता है। परिसम्पति द्वारा बट्टा मापदंड पूरे न किए जाने तक समूह सकल वहन राशि में से क्षमता हानि भत्ते को कम नहीं करती है।
- ऋण प्रतिबद्धताएं एवं वित्तीय गारंटी संविदा : ईसीएल की प्रस्तुति तुलन पत्र में एक प्रावधान अर्थात एक दायित्व के रूप में की गई है।
- ऋण उपकरण का मापन एफवीटीओसीआई के अनुसार : ऋण उपकरणों का मापन एफवीओसीआई के अनुसार किया गया है, संभावित क्रेडिट हानियों से तुलन पत्र में वहन राशि कम नहीं हुई है जिससे यह उचित मूल्य पर होती है। परिसम्पति का मापन अन्य व्यापक आय में स्वीकृत परिशोधन लागत पर ''संचित परिशोधन राशि'' के रूप में करने की स्थिति में इसके स्थान पर भत्ते के समतुल्य एक राशि उत्पन्न होगी।

समूह द्वारा क्षीण क्रेडिट वाली वित्तीय परिसम्पतियों (पीओसीआई), अर्थात ऐसी परिसम्पतियां जिनका क्रेडिट क्रय / व्युत्पति पर क्षीण है, का क्रय अथवा व्युत्पति नहीं की गई है।

<u>वित्तीय परिसम्पतियों की स्वीकृति समाप्ति</u>

किसी वित्तीय परिसम्पति (अथवा जहां लागू हो वित्तीय परिसम्पतियों का भाग अथवा समान प्रकार की वित्तीय परिसम्पतियों के समूह का भाग) की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब वित्तीय परिसम्पतियों से प्राप्त होने वाले रोकड़ प्रवाहों के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा जब वित्तीय परिसम्पतियां एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल अंतरित कर दिए जाते हैं।

वहन राशि एवं प्रतिफल के रूप में प्राप्त/प्राप्य राशि के मध्य के अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

ख) वित्तीय देयताएं

<u>प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन</u>

सभी वित्तीय देयताओं की स्वीकृति प्रारंभ में उचित मूल्य पर, तथा ऋण एवं उधार तथा देयताओं के मामले में संव्यवहार लागतों से प्रत्यक्ष सम्बद्ध निवल के अनुसार की जाती है।

समूह की वित्तीय देयताों में व्यापार एवं अन्य देयताएं,ऋण एवं उधार, अन्य वित्तीय देयताएं इत्यादि शामिल हैं।

<u>अनुवर्ती मापन</u>

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे प्रस्तुत विवरण के अनुसार उनके वर्गीकरण पर निर्भर है:

- **लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं**

समूह के पास एफवीटीपीएल के अंतर्गत किसी प्रकार की वित्तीय देयताएं नहीं हैं।

- **परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं**

<u>ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताएं</u>

प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात ऋण, उधार, व्यापार देय एवं अन्य वित्तीय देयताओं का अनुवर्ती मापन ईआईआर विधि के उपयोग से परिशोधन लागत पर किया जाता है। लाभ एवं हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृति तब प्रदान की जाती है जब ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम देयताओं की स्वीकृति समाप्त कर दी जाती है।

परिशोधन लागत का आकलन किसी प्रकार की छूट अथवा अधिग्रहण प्रीमियम तथा शुल्क अथवा लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं, को लेखे में लेकर किया जाता है। ईआईआर परिशोधन में लाभ एवं हानि विवरण की वित्त लागतों को शामिल किया जाता है।

वित्तीय देयताओं की स्वीकृति समाप्ति

किसी वित्तीय देयता की स्वीकृति तब समाप्त होती है जब देयता के दायित्व पूरे कर लिए जाते हैं अथवा रद्द हो जाते हैं अथवा कालातीत हो जाते हैं। जब कोई विद्यमान वित्तीय देयता के स्थान पर समान ऋणदाता से महत्वपूर्ण भिन्न शर्तों पर अथवा विद्यमान देयताओं की शर्तों की संशोधित शर्तों पर कोई बदलाव किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा सुधार को मूल देयता की स्वीकृति समाप्ति मानकर नई देयता के प्रति स्वीकृति की जाती है। सम्बद्ध वहन राशियों की भिन्नताओं को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

ग) वित्तीय गारंटी संविदाएं

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी संविदाएं वे संविदाएं हैं जिनमें कंपनी को ऋण माध्यम की शर्तों के अनुसार देय होने पर विशिष्ट ऋणदाता द्वारा भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में धारक को हुए घाटे की प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए भुगतान की अपेक्षा होती है। वित्तीय गारंटी संविदाओं को आरंभिक तौर पर लागतों के संव्यवहारों के लिए समायोजित उचित मूल्य पर देयता के रूप में स्वीकार किया जाता है, को प्रत्यक्ष रूप से गारंटी के जारी किए जाने से संबंधित है। तत्पश्चात, देयता को इंड एएस 109 की हानि अपेक्षाओं के अनुसार निर्धारित घाटा भत्ते के राशि तथा स्वीकृत राशि घटा संचित परिशोधन, जो कोई भी अधिक हो, पर मापा जाता है।

घ) वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण

समूह वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं का वर्गीकरण प्रारंभिक स्वीकृति के समय निर्धारित करती है। प्रारंभिक स्वीकृति के पश्चात उन वित्तीय परिसम्पतियों का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण अथवा वित्तीय देयता होते हैं। ऋण उपकरणों की वित्तीय परिसम्पतियों के िए पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है जब ऐसी परिसम्पतियों के प्रबंधन के व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन हुआ हो। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन की संभावना कभी कभार होती है। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब समूह या किसी ऐसे क्रियाकलाप का निष्पादन करना प्रारंभ करती है अथवा समाप्त करती है जो उसके परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि समूह वित्तीय परिसम्पतियों का वर्गीकरण करती है तो ऐसा पुनःवर्गीकरण उत्तरव्यापी प्रभाव से अगली रिपोर्टिंग अवधि के तत्काल निकट अगले दिन से व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करके किया जाता है। समूह स्वीकृत लाभों, हानियों (क्षमता लाभ अथवा हानियों सहित) अथवा ब्याज की पुनः प्रस्तुति नहीं करती है।

ङ) स्वीकृत राशियों का समंजन करने के संबंध में चालू प्रवर्तनीय संविदागत विधिक अधिकार होने तथा परिसम्पतियों से प्राप्ति एवं साथ ही साथ देयताओं का निपटान निवल आधार पर करने की मंशा होने की स्थिति में वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं, एवं तुलन पत्र में सूचित की गई राशियों का समंजन किया जाएगा।

2.2.20 उचित मूल्य मापन

समूह द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति को बेचने अथवा किसी देयता को अंतरित करने के लिए दिए जाने के लिए बाजार प्रतिभागियों के साथ मापन की तिथि को प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन ऐसे अनुमान पर आधारित है जो परिसम्पति को बेचने के संव्यवहार अथवा देयता का अंतरण करने के उद्देश्य से या तो :

- उत्तम बाजार में परिसम्पतियों अथवा देयताओं के लिए; अथवा
- उत्तम बाजार न होने पर परिसम्पतियों एवं देयताओं के अत्यधिक लाभकारी बाजार में। उत्तम अथवा लाभकारी बाजार समूह की पहुंच के दायरे में होना चाहिए।

किसी परिसम्पति अथवा देयता के उचित मूल्य का मापन बाजार प्रतिभागियों के ऐसे अनुमानों के अनुसार यह मानकर किया जाता है कि वे इसमें आर्थिक उत्तम हित में बाजार प्रतिभागी क्रिया कर रहे हैं।

किसी गैर–वित्तीय परिसम्पति के उचित मूल्य का मापन उच्चतर एवं बेहतर उपयोग से परिसम्पति का उपयोग आर्थिक लाभों की उत्पति के संबंध में बाजार प्रतिभागियों की क्षमता को विचार में लेकर अथवा इसकी बिक्री किसी अन्य बाजार कर करके, जो परिसम्पति का उपयोग उच्चतर एवं बेहतर ढंग से कर सकता है, किया जाता है।

समूह द्वारा मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग किया जाता है ऐसी परिस्थितियों के लिए उचित हैं तथा जिनके संबंध में वह पर्याप्त डेटा उचित मूल्य के मापन के उद्देश्य से उपलब्ध है, जिनसे सम्बद्ध प्रेक्षण योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा तथा गैर–प्रेक्षण योग्य इनपुट का उपयोग न्यूनतम किया जा सकेगा।

सभी परिसम्पतियां एवं देयताओं, जिनके संबंध में उचित मूल्य पर मापन अथवा वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया गया है, का वर्गीकरण उचित मूल्य की तारतम्यता का अनुसरण करके किया गया है जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित है तथा पूर्ण रूप से उचित मूल्य पर मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं:–

- स्तर 1 – समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा देयताओं के सक्रिय बाजारों में उद्धृत (गैर–समायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के

इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

- स्तर 3 – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर के इनपुट हैं जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गैर–प्रेक्षण योग्य उचित मूल्य मापन के लिए उपयोगी हैं।

ऐसी परिसम्पतियों एवं देयताओं के संबंध में, जो आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं, समूह द्वारा स्तरों के मध्य के स्तरों पर तारतम्यता में अंतरण किए जाने के निर्धारण (न्यूनतम स्तर इनपुट पर आधारित जो पूर्ण उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए जाते हैं।

महत्वपूर्ण परिसम्पतियों एवं देयताओं, यदि कोई हों, के लिए बाह्य मूल्यांककों की सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को समूह द्वारा उन परिसम्पतियों एवं देयताओं के मूल्य के संचलनों का विश्लेषण किया जाता है जिनका मापन अथवा पुनःमापन समूह की लेखांकन नीतियों के अनुसार किया जाना अपेक्षित होता है।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के लिए समूह द्वारा परिसम्पतियों एवं देयताओं के वर्ग उनकी प्रकृति, विशिष्टताओं एवं परिसम्पति अथवा देयता से जुड़े जोखिमों तथा ऊपर स्पष्ट की गई तारतम्यता के अनुसार उचित मूल्य के स्तर के आधार पर किए जाते हैं।

ऊपर उचित मूल्य के लिए लेखांकन नीतियों का संक्षेप प्रस्तुत किया गया है। उचित मूल्य से संबंधित अन्य प्रकटीकरण सम्बद्ध नोटों में किए गए हैं।

2.2.21 बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां

जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर–चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलबध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को उल्लिखित वहन राशि से कम मूल्य पर तथा बिक्री की लागतों को घटाकर उचित मूल्य किया जाता है। बिक्री के धारित का वर्गीकरण करने के पश्चात सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश सम्पति एवं अमूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री / वितरण के वर्गीकृत के साथ धारित परिसम्पतियों की प्रस्तुति तुलन पत्र में अलग से की जाती है।

यदि इंड एएस 105 ''बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां'' के उल्लिखित मापदंडों को पूरा नहीं किया जाता है तो बिक्री के लिए धारित निपटान समूहों का वर्गीकरण समाप्त कर दिया जाता है। वर्गीकरण समाप्त की गई बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियों का मापन (1) बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पति के रूप में वर्गीकरण से पूर्व उसकी वहन राशि, मूल्यह्रास के समायोजन के पश्चात जो तब किया जाता जब बिक्री के धारित परिसम्पति का वर्गीकरण न होगा, तथा (2) उस तिथि की उसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह का वर्गीकरण बिक्री के धारित के लिए समाप्त किया गया था, से न्यून किया जाता है। मूल्यह्रास रिर्वसल समायोजन से संबंधित सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण, निवेश परिसम्पति तथा अमूर्त परिसम्पतियों को उस अवधि के लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता जिस अवधि में गैर–चालू परिसम्पतियों का धारण बिक्री के लिए किए जाने के मापदंड पूरे नहीं हो पाते हैं।

2.2.22 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान एवं निर्धारण

उक्त वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए उपयोग में लाए गए अनुमानों का अनवरत मूल्यांकन समूह द्वारा किया जाता है तथा ये ऐतिहासिक अनुभव एवं विभिन्न अन्य अनुमानों एवं कारकों (भावी घटनाओं की संभावनाओं सहित), जिनके प्रति समूह का विश्वास विद्यमान परिस्थितियों के कारण औचित्यपरक रूप से है, पर आधारित होते हैं। ऐसे अनुमान ऐसे तथ्यों एवं घटनाओं पर आधारित होते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को विद्यमान हैं अथवा जिनका आस्तित्व इस तिथि के पश्चात हुआ है परन्तु विद्यमान स्थितियों के अनुसार रिपोर्टिंग तिथि को इनका आस्तित्व होने के अतिरिक्त प्रमाण उपलब्ध हैं। तथापि, समूह द्वारा ऐसे अनुमानों, वास्तविक परिणामों का नियमित मूल्यांकन किया जाता है परन्तु ऐसे अनुमान आंके जाने के समय औचित्यपरक होते हुए इनके वास्तविक परिणाम सामग्रीगत रूप से भिन्न हो सकते हैं तथा ऐसे परिणाम ऐतिहासिक अनुभव अथवा अनुमानों से भिन्न होने पर भी पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं। अनुमानों में होने वाले परिवर्तनों की स्वीकृति उस अवधि के वित्तीय विवरणों में की जाती है जिस अवधि में ये ज्ञात होते हैं।

रिपोर्टिंग तिथि को भावी एवं अन्य प्रमुख स्रोतों के अनुमानों की अनिश्चितता से संबंधित प्रमुख अनुमान, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष में परिसम्पतियों एवं देयताओं की वहन राशियों में सामग्रीगत समायोजन की उत्पति का महत्वपूर्ण जोखिम व्याप्त है, का वर्णन नीचे किया गया है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

क. संग्रहित न किए गए व्यापार प्राप्यों के लिए गुंजाइश

व्यापार प्राप्यों के साथ ब्याज नहीं होता है तथा इनकी प्रस्तुत उनके सामान्य मूल्यों पर अनुमानित वसूली योग्य राशि पर छूट करके प्रदान की जाती है जो प्राप्य शेष एवं ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होती है। व्यापार प्राप्यों का अलग अलग बट्टा तब किया जाता है जब प्रबंधन को उनकी वसूली संभव प्रतीत नहीं होती है।

ख. परिभाषित लाभ योजनाएं

सेवानिवृत्ति लाभ दायित्वों की लागतों का निर्धारण बीमांकन मूल्यांकनों के उपयोग से किया जाता है। बीमांकक अनुमानों में विभिन्न अनुमान लगाए जाने की आवश्यकता होती है जो भविष्य में वास्तविक अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। ऐसे

निर्धारण में छूट दर, भावी वेतन वृद्धि, मृत्यु दर एवं भावी पेंशन वृद्धि शामिल होती है। मूल्यांकन की जटिलताओं में बढ़ोतरी तथा इनकी दीर्घकालिक प्रकृति के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व ऐसे अनुमानों में परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदी हैं। सभी अनुमानों की समीक्षा रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है।

ग. आकस्मिताएं

समूह के प्रति व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान आकस्मिक देयताओं की उत्पति न्यायिक मामलों एवं अन्य दावों के परिणामस्वरूप होती है। ये ऐसे दायित्व होते हैं जिनके संबंध में प्रबंधन सभी उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर संबंधित भुगतान अथवा कठिनाई के परिमाण के अनुमान विश्वसनीयता से नहीं आंक सकती है तथा ऐसे दायित्वों को आकस्मिक दायित्व मानकर इनका प्रकटीकरण नोटों में किया गया है। इस प्रकार, समूह के फसाव वाली विधिक प्रक्रियाओं के अंतिम प्रतिफल का ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिससे आकस्मिकताओं का सामग्रीगत प्रभाव का समूह की वित्तीय स्थिति पर होने के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सके।

घ. वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

वित्तीय परिसम्पतियों के लिए अक्षमता प्रावधान चूक जोखिमों एवं संभावित हानि दरों के अनुमानों पर आधारित होते हैं। समूह अपने विवेक का उपयोग करके ऐसे अनुमान लगाकर अक्षमता इनपुट का आकलन करती है जो समूह के पूर्व इतिहास, बाजार स्थितियों के आधार एवं प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लगाए जाने वाले वाले भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं।

ङ. कर

जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर विधियों में बदलाव एवं राशि एवं भावी करयोग्य आय के संबंध में अनिश्चितताएं व्याप्त होती हैं। व्यापार के स्वरूप के कारण वास्तविक परिणाम एवं लगाए गए अनुमानों अथवा ऐसे अनुमानों में भावी परिवर्तनों से होने वाली भिन्नताओं के कारण पहले से रिकार्ड की गई कर आय एवं व्यय में भविष्य में समायोजन करने पड़ सकते हैं। समूह द्वारा ऐसे औचित्यपरक अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित किए गए हैं। ऐसे प्रावधानों की राशि पूर्व कर लेखापरीक्षा के अनुभव एवं करयोग्य इकाईयों द्वारा की गई कर की भिन्नताओं की व्याख्या जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होती है। व्याख्या में भिन्नता के कारण समूह के कार्यक्षेत्र में व्याप्त परिस्थितियों से विभिन्न प्रकार के अनेक मामले उत्पन्न हो सकते हैं।

आस्थगित कर परिसम्पतियों की स्वीकृति अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस विस्तार तक की जाती है जहां तक ऐसी विश्वसनीयता हो कि इससे करयोग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसम्पतियों की राशि के स्वीकृति योग्य निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है जो समय की अनुकूलता एवं भावी करयोग्य लाभ के स्तर के साथ साथ भावी कर योजना रणनीतियों पर आधारित होते हैं।

च. गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की अक्षमता

अक्षमता तब उत्पन्न होती है जब किसी परिसम्पति रोकड़ उत्पति यूनिट का वहन मूल्य उसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक हो जाता है तथा जो उसकी निपटान लागतों एवं उपयोग मूल्य को घटाकर उचित मूल्य से अधिक होता है। उचित मूल्य घटाकर निपटान लागत के आकलन आर्म लैंथ पर किए गए बाध्यकारी बिक्री संव्यवहारों से उपलब्ध डेटा पर आधारित होते हैं जो परिसम्पति के निपटान की आवर्धित लागतों को घटाकर समान प्रकार की परिसम्पतियों अथवा प्रत्यक्ष बाजार मूल्यों के अनुसार होते हैं। उपयोग मूल्य का आकलन डीसीएफ मॉडल पर आधारित होता है।

छ. बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां

जब किसी परिसम्पति का धारण उसकी वहन लागत की वसूली मूलतः बिक्री संव्यवहार के लिए किया जाता है तथा बिक्री संव्यवहार की संभावना काफी विश्वसनीय होती है तो गैर–चालू परिसम्पतियां (अथवा निपटान समूह) का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित परिसम्पतियों के रूप में किया जाता है। किसी बिक्री को काफी विश्वसनीय तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए उपलबध हो तथा बिक्री न होने की संभावना न हो एवं बिक्री की प्रक्रिया वर्गीकरण किए जाने से एक वर्ष में की जानी संभावित हो।

ज. पट्टे – आवर्धित ऋण दर के अनुमान

समूह पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दरों का निर्धारत तत्परता से नहीं कर सकती है, तदनुसार, समूह द्वारा अपनी पट्टा देयताओं के मापन के लिए अपनी आवर्धित ऋण दर (आईबीआर) का उपयोग किया जाता है। आवर्धित ऋण दर वह ब्याज दर है जो समूह को समान प्रकार की शर्तों पर, समान प्रकार की सुरक्षा के साथ, समान मूल्य पर परिसम्पति की प्राप्ति के लिए आवश्यक निधियों की प्राप्ति पर समान आर्थिक परिवेश में उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के लिए आवश्यक ऋण के प्रति भुगतान के लिए करने होते हैं।

झ. नवीकरण एवं समापन विकल्प के साथ पट्टे के अनुबंध काल का निर्धारण – पट्टेदार के रूप में समूह

समूह पट्टा काल का निर्धारण पट्टे को रद्द न किए जाने की शर्त के साथ करती है जिसमें पट्टे की किन्हीं अवधियों को विस्तारित करने, यदि इसका उपयोग करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, अथवा पट्टे का समापन करने के विकल्प के साथ शामिल अवधियों, यदि इसका उपयोग न करने की औचित्यपरक निश्चितता हो, का समावेश होता है।

समूह द्वारा ऐसे पट्टा अनुबंध किए गए हैं जिनमें विस्तार एवं समापन के विकल्प हैं। समूह अपने विवेक से यह ज्ञात करती है कि क्या किसी पट्टे का नवीकरण करने अथवा उसका

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

समापन करने के विकल्प के उपयोग के प्रति किसी प्रकार के औचित्यपरक कारक हैं अथवा नहीं हैं। इस प्रकार के सभी सम्बद्ध कारकों पर विचार से समूह के सम्मुख नवीकरण करने अथवा समापन करने के विकल्प के उपयोग का आर्थिक कारण प्रस्तुत हो जाता है। प्रारंभ तिथि के पश्चात समूह पट्टा काल का मूल्यांकन करके यह ज्ञात करती है कि क्या परिस्थितियों में किसी प्रकार की ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं अथवा बदलाव हुए हैं जो उसके नियंत्रण में हैं तथा जिनके प्रभाव से समूह को नवीकरण अथवा समापन करने के विकल्प का उपयोग करना पड़ सकता है अथवा नहीं करना पड़ सकता है (अर्थात महत्वपूर्ण पट्टाधारित सुधार अथवा पट्टाधारित परिसम्पतियों में महत्वपूर्ण बदलाव)।

ण. राजस्व स्वीकृति

समूह की एक राजस्व मान्यता नीति है जिसके उपयोग से समूह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्वाह किए गए कार्यों का मूल्यांकन करके प्रभाव ज्ञात करती है।

इन नीतियों में किए गए अनुबंधों के प्रतिफल से संबंधित पूर्वानुमान किए जाने की अपेक्षा की गई है जिसके लिए कार्यक्षेत्र एवं दावों तथा भिन्नताओं के संबंध मूल्यांकन एवं निर्णय लिए जाने अपेक्षित होते हैं।

अनेक ऐसी दीर्घकालिक एवं जटिल परियोजनाएं हैं जिनके लिए समूह द्वारा अनुबंध पात्रताओं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय निर्धारण किए गए हैं। इनके संभावित प्रतिफलों के परिणाम से इनकी लाभप्रदत्ता एवं नकदी प्रवाह में होने वाले सामग्रीगत सकारात्मक अथवा नकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं।

अनुबंध के नीचे उल्लिखित कारकों के संबंध में भी अनुमान लगाए जाने अपेक्षित होते हैं।

- कार्य की पूर्णता के चरण का निर्धारण
- परियोजना पूर्ण होने की तिथि के अनुमान
- संभावित हानियों के लिए प्रावधान
- दावों एवं भिन्नताओं सहित कार्य निष्पादन के लिए कुल राजस्व एवं कुल अनुमानित लागतों के अनुमान

अनुबंध से संबंधित लागतों एवं राजस्व का संज्ञान अनुबंध क्रियाकलापों की पूर्ति के चरण के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है जो अनुमानित कुल अनुबंध लागतों की संबंधित तिथियों तक निष्पादित किया गया है जो कि इसकी पूर्णता का चरण नहीं माना जाना है। अनुबंध कार्य की भिन्नताओं तथा दावों को इस विस्तार तक शामिल किया जाता है जिससे इसकी राशियों से मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सके तथा उनकी प्राप्ति की पूर्ण संभावना हो। जब अनुबंध लागतें कुल अनुबंध राजस्व से अधिक होने की संभावना होती है तो तत्काल संभावित हानि की स्वीकृति व्यय के रूप में की जाती है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
3. सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फ्रीहोल्ड भूमि	पट्टा धारक भूमि	पट्टे वाले भवन	फ्रीहोल्ड भवन/फ्लेट– आवासीय	फ्रीहोल्ड भवन/फ्लेट– गैर– आवासीय	संयंत्र और मशीनरी	सर्वेक्षण उपकरण	कम्प्यूटर	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर	कारवां, केम्प और अस्थायी शेड	वाहन	कुल
फुट नोट		(i)	(ii)							(iii)			
सकल वहन मूल्य (लागत पर)													
1 अप्रैल 2018 को	**42.75**	**1.09**	**5.20**	**6.36**	**40.63**	**85.69**	**1.40**	**5.40**	**3.50**	**2.64**	**7.88**	**3.91**	**206.45**
संवर्धन	-	-	-	-	-	5.28	0.46	1.07	0.68	0.86	1.00	0.02	**9.37**
निपटान / समायोजन	(0.06)	-	-	-	-	(3.42)	-	(0.17)	(0.05)	(0.03)	(0.58)	(0.37)	**(4.68)**
विनिमय (लाभ) / हानि	-	-	-	-	0.03	1.04	0.01	0.05	0.02	0.03	0.02	0.03	**1.23**
31 मार्च 2019 को	**42.69**	**1.09**	**5.20**	**6.36**	**40.66**	**88.59**	**1.87**	**6.35**	**4.15**	**3.50**	**8.32**	**3.59**	**212.37**
प्रयोग अधिकार परिसंपत्ति का अंतरण	-	(1.09)	(5.20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**(6.29)**
1 अप्रैल 2019 को	**42.69**	**-**	**-**	**6.36**	**40.66**	**88.59**	**1.87**	**6.35**	**4.15**	**3.50**	**8.32**	**3.59**	**206.08**
संवर्धन	-	36.89	-	-	20.73	102.68	0.09	0.64	0.64	0.54	0.08	-	**162.29**
निपटान / समायोजन	-	-	-	-	-	(6.64)	(0.05)	(0.28)	(0.05)	(0.09)	(5.56)	(0.84)	**(13.51)**
बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों का अंतरण	-	-	-	-	-	(0.22)	-	-	(0.03)	(0.01)	-	-	**(0.26)**
विनिमय (लाभ) / हानि	-	-	-	-	0.28	2.87	0.04	0.05	0.05	0.04	0.03	0.21	**3.57**
31 मार्च 2020 को	**42.69**	**36.89**	**-**	**6.36**	**61.67**	**187.28**	**1.95**	**6.76**	**4.76**	**3.98**	**2.87**	**2.96**	**358.17**
मूल्यहृास एवं हानि													
1 अप्रैल 2018 को	**-**	**0.03**	**0.67**	**3.05**	**10.94**	**41.10**	**0.23**	**1.83**	**1.32**	**0.81**	**5.19**	**0.70**	**65.87**
वर्ष के लिए मूल्यहृास प्रभार	-	0.01	0.28	0.30	2.12	5.22	0.15	1.16	0.61	0.35	2.06	0.43	**12.69**
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
निपटान / समायोजन	-	-	-	-	-	(0.32)	-	(0.09)	(0.06)	(0.02)	(0.31)	(0.17)	**(0.97)**
विनिमय (लाभ) / हानि	-	-	-	-	0.01	0.76	-	0.03	0.06	0.02	0.02	(0.07)	**0.83**
31 मार्च 2019 को	**-**	**0.04**	**0.95**	**3.35**	**13.07**	**46.76**	**0.38**	**2.93**	**1.93**	**1.16**	**6.96**	**0.89**	**78.42**
प्रयोग अधिकार परिसंपत्ति का अंतरण	-	(0.04)	(0.95)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**(0.99)**
1 अप्रैल 2019 को	**-**	**-**	**-**	**3.35**	**13.07**	**46.76**	**0.38**	**2.93**	**1.93**	**1.16**	**6.96**	**0.89**	**77.43**
वर्ष के लिए मूल्यहृास प्रभार	-	-	-	0.19	2.29	8.97	0.19	1.19	0.67	0.33	0.50	0.41	**14.74**
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
निपटान / समायोजन	-	-	-	-	-	(6.07)	(0.02)	(0.17)	(0.05)	(0.03)	(5.28)	(0.20)	**(11.82)**
बिक्री के लिए धारित परिसंपत्ति का अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.02)	-	-	-	**(0.02)**
विनिमय (लाभ) / हानि	-	-	-	-	0.11	1.76	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.07	**2.01**
31 मार्च 2020 को	**-**	**-**	**-**	**3.54**	**15.47**	**51.42**	**0.56**	**3.96**	**2.55**	**1.48**	**2.19**	**1.17**	**82.34**
निवल बही मूल्य													
31 मार्च 2020 को	**42.69**	**36.89**	**-**	**2.82**	**46.20**	**135.86**	**1.39**	**2.80**	**2.21**	**2.50**	**0.68**	**1.79**	**275.83**
31 मार्च 2019 को	**42.69**	**1.05**	**4.25**	**3.01**	**27.59**	**41.83**	**1.49**	**3.42**	**2.22**	**2.34**	**1.36**	**2.70**	**133.95**

फुटनोटः

i) कंपनी द्वारा केन्द्रीय निरीक्षण सेल के निर्माण के लिए ग्रेटर नोएडा में भूमि सहित लीज होल्ड भूमि (सकल मूल्य 0.82 करोड़ रुपए)। भवन के निर्माण के लिए समय विस्तार हेतु उपयुक्त प्राधिकरण को अनुरोध कर दिया गया है।

ii) इसमें सेन मार्टिन मार्ग, दिल्ली, पाली हिल, मुंबई और मेट्रो रेलवे सेवा भवन, कोलकाता 30 वर्ष के पट्टे के लिए रेलवे भूमि शामिल है जिसके लिए करार को अंतिम रुप दिया जाना है।

iii) फरनीचर और फिक्सचर में फर्निशिंग भी शामिल है।

iv) वित्तीय मुद्रा से प्रस्तुतीकरण मुद्रा में पीपीई अंतरण के कारण विदेशी विनिमय घटा/हानि सहित वहन मूल्य।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

4. पूंजीगत चालू कार्य

(रुपए करोड़ में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	**3.15**
जमा (परिणामी व्यय)	47.15
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	-
31 मार्च 2019 को समापन शेष	**50.30**
जमा (परिणामी व्यय)	2.11
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	(49.44)
31 मार्च 2020 को समापन शेष	**2.97**
निवल बही मूल्य	
31 मार्च 2020 को	**2.97**
31 मार्च 2019 को	**50.30**

5. निवेश परिसंपत्ति

(रुपए करोड़ में)

विवरण	नोएडा			गुरूग्राम		बंगलुरू	कुल
	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	
1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	**260.35**	**63.23**	**-**	**2.23**	**30.01**	**3.04**	**358.86**
जमा (परिणामी व्यय)*	66.85	35.96	-	-	16.17	-	**118.98**
31 मार्च 2019 को अंतशेष	**327.20**	**99.19**	**-**	**2.23**	**46.18**	**3.04**	**477.84**
जमा (परिणामी व्यय)'	-	49.28	-	-	19.64	-	**68.92**
वर्ष के दौरान पूंजीगरण	-	(128.38)	128.38	-	-	-	**-**
परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में भूमि व भवन का अंतरण	(36.89)	(19.52)	-	-	-	-	**(56.41)**
31 मार्च 2020 को अंतशेष	**290.31**	**0.57**	**128.38**	**2.23**	**65.82**	**3.04**	**490.35**
मूल्यह्रास और हानि							
1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.19**	**0.19**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	-	-	-	-	-	0.04	**0.04**
31 मार्च 2019 को अंतशेष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.23**	**0.23**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	-	-	1.06	-	-	0.04	**1.10**
31 मार्च 2020 को अंतशेष	**-**	**-**	**1.06**	**-**	**-**	**0.27**	**1.33**
निवल ब्लॉक							
31 मार्च 2020 को	**290.31**	**0.57**	**127.32**	**2.23**	**65.82**	**2.77**	**489.02**
31 मार्च 2019 को	**327.20**	**99.19**	**-**	**2.23**	**46.18**	**2.81**	**477.61**

निवेश संपत्ति की आय और व्यय संबंधी सूचना

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
निवेश परिसंपत्तियों से प्राप्त किराया आय	0.39	0.38
मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष व्ययों से पूर्व निवेश परिसंपत्तियों से प्राप्त लाभ	**0.39**	**0.38**
घटाः वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	(0.04)	(0.04)
अप्रत्यक्ष व्ययों से पूर्व निवेश परिसंपत्तियों से प्राप्त लाभ	**0.35**	**0.34**

उचित मूल्य पुनर्विनियोजन

(रुपए करोड़ में)

विवरण	नोएडा			गुरूग्राम		बंगलुरू	कुल
	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	भूमि	प्रगतिरत पूंजी कार्य	भवन	
1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	**239.03**	**55.13**	**-**	**133.20**	**27.91**	**5.31**	**460.58**
उचित मूल्य अंतर	(0.99)	64.49	-	3.64	30.49	1.83	**99.46**
31 मार्च 2019 को अंतशेष	**238.04**	**119.62**	**-**	**136.84**	**58.40**	**7.14**	**560.04**
परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में भूमि व भवन का अंतरण (संदर्भ नोट–3)	(25.92)	(17.57)		-	-	-	**(43.49)**
1 अप्रैल 2019 को आरंभिक शेष	**212.12**	**102.05**	**-**	**136.84**	**58.40**	**7.14**	**516.55**
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	-	(102.05)	102.05	-	-	-	-
उचित मूल्य अंतर	16.35	0.57	25.97	(11.68)	7.79	(0.05)	**38.95**
31 मार्च 2020 को अंतशेष	**228.47**	**0.57**	**128.02**	**125.16**	**66.19**	**7.09**	**555.50**
वर्ष हेतु उचित मूल्य अंतर	16.35	0.57	25.97	(11.68)	7.79	(0.05)	**38.95**
नोटः–							
स्वनिर्मित निवेश परिसंपत्ति	**228.47**	**0.57**	**128.02**	**125.16**	**66.19**	**7.09**	**555.50**
	228.47	**0.57**	**128.02**	**125.16**	**66.19**	**7.09**	**555.50**

(i) यह मूल्यांकन मान्यता प्राप्त स्वतंत्र मूल्य द्वारा निष्पादित किया गया है। उचित मूल्य लागत और आय/लागत/बाजार मूल्य परिदृश्य पर आधारित है।

(ii) उचित मूल्य मापन को उचित मूल्य क्रम के तीन स्तरों में श्रेणीबद्ध किया गया है।

(iii) नोएडा में निवेश सम्पत्ति चार स्थानों में है, जिसकी पट्टा अवधि 90 वर्ष है, गुरुग्राम और बंगलुरु में परिसंपत्ति केवल एक स्थल पर है जो फ्रीहोल्ड है।

(रुपए करोड़ में)

*संवर्धनों का ब्यौरा (अनुवती व्यय)	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	भूमि	प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	भूमि	प्रगतिरत पूंजीगत कार्य
प्रदत्त पट्टा किराया	-	-	66.85	-
– कार्य व्यय	-	47.09	-	41.57
– परामर्श प्रभार	-	0.67	-	0.22
– वेतन एवं पारिश्रमिक	-	1.56	-	1.44
– दरें एवं कर	-	2.14	-	6.24
– वाहन प्रचालन और अनुरक्षण	-	0.08	-	0.10
– ऊर्जा, बिजली और जल प्रभार	-	1.41	-	2.19
– विज्ञापन और प्रकाशन	-	0.09	-	0.10
– कार्मिक कल्याण	-	-	-	0.01
– बैंक प्रभार	-	0.02	-	0.01
– मरम्मत और अनुरक्षण–कार्यालय और अन्य	-	-	-	0.01
– दौरा और यात्रा	-	0.02	-	0.08
– विविध प्रचालन व्यय	-	15.84	-	0.16
कुल	-	**68.92**	**66.85**	**52.13**

6. अमूर्त परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	अमूर्त परिसंपत्तियां (साफ्टवेयर/पट्टा अधिकार/टोल रोड)			
	साफ्टवेयर	पट्टा अधिकार	टोल रोड	कुल
सकल ब्लॉक				
1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	**1.62**	**72.76**	**-**	**74.37**
वर्ष के दौरान संवर्धन	0.51	-	1,247.94	1,248.46
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	(0.03)	(0.14)	-	(0.17)
31 मार्च 2019 को अंतशेष	**2.10**	**72.62**	**1,247.94**	**1,322.66**
वर्ष के दौरान संवर्धन	0.02	-	-	0.02
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	(0.01)	(0.28)	-	(0.29)
31 मार्च 2020 को अंतशेष	**2.11**	**72.34**	**1,247.94**	**1,322.39**
परिशोधन और हानि				
1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	**0.79**	**4.41**	**-**	**5.20**
वर्ष के दौरान परिशोधन	0.44	1.28	37.16	38.88
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	(0.04)	0.00	-	(0.04)
31 मार्च 2019 को अंतशेष	**1.19**	**5.69**	**37.16**	**44.04**
वर्ष के दौरान परिशोधन	0.54	1.64	64.58	66.76
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	(0.01)	(0.03)	0.01	(0.04)
31 मार्च 2020 को अंतशेष	**1.72**	**7.30**	**101.75**	**110.76**
निवल बही मूल्य				
31 मार्च 2020 को	**0.39**	**65.04**	**1,146.19**	**1,211.63**
31 मार्च 2019 को	**0.91**	**66.93**	**1,210.78**	**1,278.62**

नोट :

पट्टा अधिकारः इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर बहुउद्देशीय परिसरों (एमएफसी) के निर्माण के लिए आरएलडीए (रेल भूमि विकास प्राधिकरण) के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। भूमि रेलवे की है और कंपनी ने उस पर भवनों का निर्माण किया है तथा कंपनी को एमएफसी के आरंभ होने की तिथि से 45 वर्षों का पट्टा अधिकार (वाणिज्यिक अधिकार) प्राप्त है। पट्टा अधिकारों को उस तिथि से पट्टा अवधि में परिशोधित किया जाएगा जिस तिथि से संबंधित परियोजना प्रोरेटा आधार पर वाणिज्यिक प्रचालन में आई है।

टोल रोड :– टोल रोड में टोल रोड के लिए आईटी अवसंरचना साफ्टवेयर का मूल्य भी तथा टोल रोड के ईपीसी कार्य भी शामिल हैं। यह अगले से गणनीय नहीं है और परिसंपत्ति का अभिन्न अंग है।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		
	साफ्टवेयर	टोल रोड	कुल
सकल ब्लॉक			
1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	-	**960.52**	**960.52**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	382.42	**382.42**
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	-	(520.76)	**(520.76)**
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	(817.30)	**(817.30)**
31 मार्च 2019 को अंतशेष	**-**	**4.89**	**4.89**
वर्ष के दौरान संवर्धन	9.79	25.20	**34.99**
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	-	-	-
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	(13.15)	**(13.15)**
31 मार्च 2020 को अंतशेष	**9.79**	**16.94**	**26.73**
परिशोधन और हानि			
1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	-	-	-
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	-	-
हानि -	-	-	
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2019 को अंतशेष	-	-	-
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	-	-
हानि	-	-	-
31 मार्च 2020 को अंतशेष	-	-	-
निवल बही मूल्य			
31 मार्च 2020 को	**9.79**	**16.94**	**26.73**
31 मार्च 2019 को	**-**	**4.89**	**4.89**

नोट : विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति के अंतर्गत एसएपी एस4/एचएएनए ईआरपी साफ़टवेयर अधिग्रहण हेतु पूंजीगत व्यय 9.79 करोड रूपए है।

7. प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	भूमि (ii)	भवन (i)	वाहन	कुल
सकल ब्लॉक				
1 अप्रैल 2019 को आरंभिक शेष	**-**	**-**	**-**	**-**
इंड एएस 116 को स्वीकार करने के कारण पुन वर्गीकरण {संदर्भ नोट 3}	1.09	5.20	-	6.29
इंड एएस 116 को स्वीकार करने के कारण पारगमन प्रभाव	0.16	0.01	0.04	0.21
1 अप्रैल 2019 को शेष	**1.25**	**5.21**	**0.04**	**6.50**
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-	-	-
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2020 को अंतशेष	**1.25**	**5.21**	**0.04**	**6.50**
मूल्यहृास एवं हानि				
1 अप्रैल 2019 को आरंभिक शेष	**-**	**-**	**-**	**-**
इंड एएस 116 को स्वीकार करने के कारण पुन वर्गीकरण {संदर्भ नोट 3}	0.05	0.95	-	1.00
इंड एएस 116 को स्वीकार करने के कारण पारगमन प्रभाव	-	-	-	-
1 अप्रैल 2019 को शेष	**0.05**	**0.95**	**-**	**1.00**
वर्ष के दौरान मूल्यहास	0.02	0.29	0.02	0.33
वर्ष के दौरान हानि	-	-	-	-
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2020 को अंतशेष	**0.07**	**1.24**	**0.02**	**1.33**
निवल बही मूल्य				
31 मार्च 2020 को	**1.18**	**3.97**	**0.02**	**5.17**
31 मार्च 2019 को	**1.20**	**4.26**	**0.04**	**5.50**

i) इसमें सेन मार्टिन मार्ग, दिल्ली, पाली हिल, मुंबई और मेट्रो रेलवे सेवा भवन, कोलकाता 30 वर्ष के पट्टे के लिए रेलवे भूमि शामिल है जिसके लिए करार को अंतिम रुप दिया जाना है।

ii) कंपनी द्वारा केन्द्रीय निरीक्षण सेल के निर्माण के लिए ग्रेटर नोएडा में भूमि सहित लीज होल्ड भूमि (सकल मूल्य 0.82 कराड़ रुपए)। भवन के निर्माण के लिए समय विस्तार हेतु उपयुक्त प्राधिकरण को अनुरोध कर दिया गया है।

8. गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

8.1 गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – निवेश

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
1 **इक्विटी माध्यमों पर निवेश (पूर्णत प्रदत्त कोट न किए गए–लागत पर)**		
निगमित संयुक्त उद्यम कंपनियां		
इरकॉन–सोमा टोलवे प्रा. लि. (आईएसटीपीएल) प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 6,38,70,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2019 : 6,38,70,000 (संदर्भ नोट (i))	76.52	43.22
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड 3,99,99,699 प्रत्येक 10 रुपए के इक्विटी शेयर (31 मार्च 2019 : 2,58,00,000) (संदर्भ नोट (iii))	48.13	31.55
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 7,63,37,300 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2019 :7,63,37,300)	76.45	76.15
झारखंड सेंट्रल रेलवे प्रत्येक 10 रुपए के 1,30,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2019 : 1,30,00,000) (संदर्भ नोट (ii))	63.45	13.13
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के 13,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2019 : 13,000)	-	0.01
छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 12,25,75,700 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2019 : 12,25,75,700)	116.53	122.36
छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त 13,11,70,000 इक्विटी शेयर(31 मार्च 2019: 13,11,70,000)	130.98	131.01
कुल (1) – संयुक्त उपक्रमों में निवेश	**512.06**	**417.43**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
2. बांडों में निवेश (कोट किए गए, परिशोधित लागत पर)		
8.00% इंडियन रेलवे फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 1,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 163,131 बांड (31 मार्च 2019 : 163,131 इकाइयां)	16.31	16.31
7.21% इंडियन रेलवे फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 10,00,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 500 बांड (31 मार्च 2019 : 500)	50.01	49.98
8.23% इंडियन रेलवे फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 1,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 5,00,000 बांड (31 मार्च 2019 : 5,00,000 इकाइयां)	50.00	50.00
8.35% इंडियन रेलवे फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 10,00,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 500 बांड (31 मार्च 2019 : 500 इकाइयां)	49.96	49.94
7.15% इंडियन रेलवे फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 10,00,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 250 बांड (31 मार्च 2019 : 250 इकाइयां)	24.99	24.99
7.07% इंडियन रेलवे फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 1,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 3,02,000 बांड (31 मार्च 2019 : 3,02,000 इकाइयां)	30.20	30.20
7.14% एनएचएआई के 1,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 1,99,989 बांड (31 मार्च 2019 : 1,99,989 इकाइयां)	20.00	20.00
7.02% एनएचएआई के 10,00,000 रुपए प्रत्येक के कर मुक्त 500 बांड (31 मार्च 2019 : 500 इकाइयां)	49.98	49.98
कुल (2)–बांडों में निवेश (कोट किया गया)	**291.45**	**291.40**
कुल गैर–चालू निवेश (1+2)	**803.51**	**708.83**
कोट किए गए निवेशों का सकल बही मूल्य	**291.45**	**291.40**
कोट किए गए निवेशों का सकल बाजार मूल्य	**322.13**	**314.23**
कोट न किए गए निवेशों का सकल बही मूल्य	**512.06**	**417.43**
निवेशों के मूल्य में हानि की सकल राशि	-	-

फुट नोटः–

(i) (क) आई.एस.टी.पी.एल के संगम अनुच्छेद (अनुच्छेद–5) के अनुसार एन.एच.ए.आर्द के साथ दिनांक 28 सितंबर 2005 को हस्ताक्षरित करार, जिसमें निर्माण अवधि अवधि तथा उसके पश्चात् सीओडी (वाणिज्यिक प्रचालन तिथि) आई.एस.टी.पी.एल में कसोर्टियम सदस्यों द्वारा 51 प्रतिशत से आधक इक्विटी हमारी होनी चाहिए, के अध्यधीन शेयरधारक तीन वर्ष के पश्चात् ही अपने शेयर हस्तांतरित कर पाएंगे और वाणिज्यिक प्रचालन 19.04.2010 को आरम्भ हुआ था। उपर्युक्त शेयर धारकों के प्रीएम्पशन अधिकार के अध्यधीन तत्पश्चात् उपर्युक्त शेयरधारिता को 26 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है।

(ii) धारक कंपनी के निदेशक मंडल ने झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड के पक्ष में 50 करोड रूपए के परिवर्ती प्रतिभूति (ब्याज मुक्त अग्रिम) को स्वीकृति प्रदान की है।

(iii) निदेशक मंडल पहले से प्रतिबद्ध 40 करोड़ रुपए की राशि के आतरिक्त आईआरएसडीसी ने 24 करोड़ रुपए (प्रीमियम, यदि कोई हो सहित) के इक्विटी निवेश को अनुमोदित किया है। इसके आतरिक्त, राइट्स लिमिटेड को आईआरएसडीसी में तीसरा नीतिगत साझेदार/शेयरधारक के रुप में स्वीकार किया गया है और संशोधित शेयरधारिता पैटर्न के साथ आरएलडीए, इरकॉन व राइट्स के बीच 50:26:24 के अनुपात में संशोधित प्रमोटर करार में प्रवेश किया जाएगा।

8.2 गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क. वसूली योग्य : रक्षित		
स्टाफ ऋण व आग्रम	0.13	0.23
ख. वसूली योग्य : अरक्षित		
(i) संबंधित पक्षों से ऋणः		
संयुक्त उद्यम		
– छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	39.00	39.00
(ii) अन्यः		
स्टाफ ऋण और आग्रम*	0.20	0.28
कुल	**39.33**	**39.51**

*निदेशकों से दय राशि का ब्यौरा

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
स्टाफ ऋण और आग्रमों सहित निदेशकों से दय राशि	0.0004	0.0020
कुल	**0.0004**	**0.0020**

8.3 गैर–चालू परिसंपत्तिया – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वसूली योग्य : अरक्षित		
प्रतिभूति जमा राशि		
– सरकारी विभाग	0.03	0.06
– अन्य	0.39	0.40
संविदा परिसंपत्तिः		
– ग्राहकों से प्रतिधारण राशि	113.09	104.78
– ग्राहकों द्वारा रोकी गई राशि	3.47	3.47
– एससीए के दत्रष्टि से वहन की गई निर्माण लागत {संदर्भ फुट नोट (iv)}	316.60	134.26
12 महीनों से अधिक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा राशि {संदर्भ फुट नोट (i)}	8.56	0.41
12 महीनों से अधिक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा राशि (बैंक गरींटी)	0.25	2.39
ठकेदारों से प्राप्त सावधि जमा राशियां {संदर्भ फुट नोट (ii)}	7.09	8.89
# स्टाफ को अग्रिम पर संचित ब्याज	0.23	0.33
आरएलडीए से वसूली योग्य {संदर्भ फुट नोट (iii)}	1,870.56	2,590.45
कुल	**2,320.27**	**2,845.44**

निदेशकों से दय राशि का ब्यौरा :

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
स्टाफ ऋण और अग्रिमों सहित निदेशकों से दय राशि	-	0.0029
कुल	**-**	**0.0029**

फुटनोटः

(i) 0.41 करोड रूपए (31 मार्च 2019 : 0.41 करोड़ रुपए) के लिए एफडीआर सहित।

(ii) संविदाकर्ताओं से प्राप्त सावधि जमा राशियां वसूलीयोग्य हैं, यदि संविदाकर्ता संविदा करार की निबंधन और शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है।

(iii) (क) समूह ने भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) से ऋण प्राप्त किया है (संदर्भ नोट 18.1) और पट्टा करार की शर्तों के अनुसार आगे जिसका भुगतान रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को किया गया है। आरएलडीए तथा कपनी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार ऋण से संबंधित मूल राशि तथा ब्याज की सभी किश्तें तथा किसी प्रकार की त्रुटि या आतरिक्त ब्याज, तथा अन्य लागतें, व्यय तथा प्रभार (या अन्यथा ऋण करार के अंतर्गत या अनुसरण में देय) का भुगतान आरएलडीए द्वारा कपनी को ऋण करार के अंतर्गत उनकी संबंधित देय तिथि से कम से कम पांच (5) दिन पूर्व ऐसे खाते में किया जाएगा जो कि आईआरएफसी द्वारा निर्धारित किया गया हो। रेल मंत्रालय से आरएलडीए को निधियों का समवर्ती संवितरण करने के लिए आरएलडीए और रेल मंत्रालय को वापसी सहमति से उपयुक्त व्यवस्था करनी होगी।इस वसूलीयोग्य राशि की निबंधन और शर्तें वहीं होंगी जैसी कि उक्त ऋण के मामले में हैं। इसके आतरिक्त, समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, आरएलडीए ने बांद्रा ईस्ट पर परियोजना स्थल के पट्टाधारण अधिकारों सहित वहां वाणिज्यिक विकास कार्य करने के अधिकार कपनी को अंतरित कर दिए हैं। समूहपरियोजना स्थल के वाणिज्यिक विकास कार्य को करने के प्रयोजन के लिए तथा कपनी द्वारा चिह्नित विकासकर्ताओं को परियोजना स्थल को आगे उप–ठेके पर देने (सभी संबद्ध विकास अधिकारों सहित) के प्रयोजनों से मुक्त, प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी बोली प्रकियाओं के माध्यम से उपयुक्त विकासकर्ता (विकासकर्ताओं) को नियुक्त करने के लिए पात्र है।

(iv) इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड और इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लीमिटेड द्वारा हाइब्राइड एनिविटी मॉडल द्वारा निर्मित किए जा रहे राजमार्ग से संबंधित निर्माण लागत।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

9. आस्थिगित कर परिसंपत्तियां और आयकर

इंड एएस 12 ''आयकर'' संबंधी प्रकटन

(क) 31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु आयकर व्यय के प्रमुख घटक:

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष हेतु	
		31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
1	**चालू आयकर:**		
	चालू आयकर प्रकार	163.16	219.63
	लाभ और हानि विवरण खंड	(14.76)	(50.89)
	आस्थगित कर:		
	अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रतिक्रम से संबंधित	38.28	5.45
	लाभ एवं हानि खंड विवरण में प्रस्तुत आयकर व्यय	**186.68**	**174.19**
2	**अन्य वृहत आय खंड**		
	वर्ष के दौरान ओसीआई में स्वीकृत मदों से संबंधित आयकर:		
	निर्धारित लाभें योजनाओं के पुनर्निर्धारण पर निवल हानि/(लाभ)	0.30	0.69
	विनिमय लाभ लाभ/हानि पर निवल हानि/(लाभ)	(1.30)	(4.87)
	ओसीआई खंड में रिपोर्टिड आयकर व्यय	**(1.00)**	**(4.18)**

(ख) 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2019 के लिए कर व्ययों का पुनर्विनियोजन तथा लेखांकन लाभ गुणा भारतीय घरेल कर दर :

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष हेतु	
		31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
1	आयकर पूर्व लेखांकन लाभ	668.03	612.29
2	लेखांकन लाभ पर कर	172.97	215.42
3	कर समायोजन पर प्रभाव		
	(i) पिछले वर्ष के चालू आय कर संबंधी समायोजन	(14.73)	(50.80)
	(ii) पूर्ववर्ती अस्वीकृत कर घाटों का उपयोग	-	-
	(iii) कर अंतर का प्रभाव	40.46	-
	(iv) कर से छूटप्राप्त आय पर कर	(12.22)	(17.67)
	(v) कर प्रयोजनों हेतु गैर कटौतीयोग्य व्यय		
	– अन्य राष्ट्र अतिरिक्त कर	9.82	19.07
	– अन्य गैर कटौतीयोग्य व्यय	4.98	5.80
	(vi) विभिन्न अन्य पदों पर कर प्रभाव	(15.60)	(1.81)
4	**लाभ और हानि विवरण में रिपोर्टिड आयकर व्यय**	**185.68**	**170.01**
5	कर दर प्रभाव	27.80%	27.77%

(ग) तुलन पत्र और लाभ व हानि विवरण में स्वीकृत आस्थगित कर परिसंपत्तियों और (देयताओं) के घटक

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2019		31 मार्च 2019	
		31 मार्च 2020	31 मार्च 2019	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
1	परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास तथा आयकर मूल्यह्रास में अंतर	(121.69)	(20.42)	101.27	4.26
2	प्रावधान	75.65	111.40	35.75	6.76
3	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 43ख की अस्वीकृत मदें	0.04	-	(0.04)	-
4	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि ववरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु प्रावधान	29.93	36.26	6.33	(5.30)
5	व्यवसाय घाटे	101.57	0.88	(100.69)	(0.61)
6	प्राथमिक व्यय और अन्य	4.64	0.30	(4.34)	0.34
	निवल आस्थिगित कर परिसंपत्तियां /(देयताएं)	**90.14**	**128.42**	**38.28**	**5.45**

(घ) तुलन पत्र में निम्नानुसार प्रदर्शित :

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
1	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	211.83	148.84
2	आस्थगित कर देयता	(121.69)	(20.42)
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देयताएं)/निवल	**90.14**	**128.42**

नोटः आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देयताओं को ऑफसेट किया गया है क्यों कि वे समान शासी नियमों के अंतर्गत आते है।

(ड.) आस्थगित कर देयताओं/परिसंपत्तियों का समायोजन :

31 मार्च 2020 को

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	1 अप्रैल 2019 को शेष/निवल	लाभ हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च 2020 को शेष/निवल
1	परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास तथा आयकर मूल्यह्रास में अंतर	(20.42)	(101.27)	-	**(121.69)**
2	प्रावधान	111.40	(35.75)	-	**75.65**
3	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 43ख की अस्वीकृत मदें	-	0.04	-	**0.04**
4	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि ववरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु प्रावधान	36.26	(6.33)	-	**29.93**
5	व्यवसाय घाटे	0.88	100.69	-	**101.57**
6	प्राथमिक व्यय और अन्य	0.30	4.34	-	**4.64**
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	**128.42**	**(38.28)**	**-**	**90.14**

31 मार्च 2019 को

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	1 अप्रैल 2019 को शेष/निवल	लाभ हानि विवरण में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च 2020 को शेष/निवल
1	परिसंपत्तियां, संयंत्र और उपरण (अमूर्त सहित): बही मूल्यह्रास तथा आयकर मूल्यह्रास में अंतर	(16.16)	(4.26)	-	**(20.42)**
2	प्रावधान	118.16	(6.76)	-	**111.40**
3	आयकर अधिनियम, 1961 के अनुच्छेद 43ख की अस्वीकृत मदें	-	-	-	**-**
4	चालू वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ एवं हानि ववरण में प्रभारित व्यय का प्रभाव किन्तु भुगतान आधार पर कर प्रयोजन हेतु प्रावधान	30.96	5.30	-	**36.26**
5	व्यवसाय घाटे	0.27	0.61	-	**0.88**
6	प्राथमिक व्यय और अन्य	0.64	(0.34)	-	**0.30**
	निवल आस्थिगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	**133.87**	**(5.45)**	**-**	**128.42**

10. अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वसूलीयोग्य : अरक्षित		
पूंजीगत अग्रिम से इतर अग्रिम		
सामग्री और मशीनरी के प्रति ठेकेदारों का आग्रम	**113.88**	**154.74**
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को आग्रम	**0.07**	**0.07**
कर विभागों में जमा राशि	**0.17**	**0.20**
पर संचित ब्याज		
–ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को आग्रम	**15.49**	**0.89**
उचित मूल्य समायोजन	**-**	**0.01**
कुल	**129.61**	**155.91**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

11. दरसूचियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कच्चा माल (लागत या एनआरपी पर मूल्यित, जो भी कम हो, या अन्यथा उल्लिखित हो)		
– हाथ में	30.95	23.58
– तीसरे पक्षों के पास	26.05	30.90
अन्य (स्क्रैप)	0.29	0.29
प्रगतिरत निर्माण कार्य/लागत पर मूल्यित	263.38	277.17
कुल	**320.67**	**331.94**

12. चालू परिसंपत्तियां – वित्तीय परिसंपत्तियां

12.1 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – निवेश

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
लाभ आर हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश		
म्यूचुवल फंड में निवेश (कोट किए गए)		
एसबीआई प्रमियर लिक्विड फंड. दैनिक डिविडेंड योजना: इकाइयों की संख्या शून्य : (31 मार्च 2019 : 6,93,682.97)	-	69.59
यूटीआई लिक्विड कैश प्लान .. दैनिक योजना – दैनिक लाभांश (पुनर्निवेश): इकाइयों की संख्या : शून्य (31 मार्च 2019 : 2,95,575.202)	-	30.13
कुल (संदर्भ फुट नोट (i))	-	**99.72**
कोट किए गए निवेश का सकल बही मूल्य	-	**99.72**
कोट किए गए निवेश का सकल बाजार मूल्य	-	**99.72**
कोट न किए गए निवेश का सकल बही मूल्य	-	-
निवेश पर मूल्य हानि की सकल राशि	-	-

(i) बांद्रा (ईस्ट) में परियोजना स्थल के लिए शून्य रुपए शामिल हैं (4.61 करोड़ रुपए 31 मार्च 2019 को)

12.2 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – व्यापार प्राप्य

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वसूली योग्य : अरक्षित*	551.19	666.04
संदिग्ध समझे गए : अरक्षित	27.18	27.28
घटाः संदिग्ध ऋणों हेतु हानि प्रावधान	(27.18)	(27.28)
कुल	**551.19**	**666.04**

*अन्य संबंधित पक्षों से प्राप्य राशि **214.76 करोड़ रूपए** सहित (31 मार्च 2019 को : 95.09 करोड़ रूपए) और प्रकटन नोट : 36 (ग) 4.1

12.3 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – रोकड़ और रोकड़ समतुल्य

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
उपलब्ध रोकड़		0.08	0.06
उपलब्ध चैक/ड्राफ्ट	(i)	7.65	0.08
ट्रांजिट में पारगमन		0.19	4.50
बैंक में शेष :			
- चालू खातों में	(iii)	183.82	136.78
- फलैक्सी खातों में	(ii) व (iv)	139.17	213.44
- तीन महीनों से कमी की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि	(ii) व (v)	562.20	537.26
कुल (संदर्भ नोट–vii)		**893.11**	**892.12**

12.4 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य बैंक शेष

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अन्य बैंक शेष			
– 3 महीनों से अधिक किन्तु 12 महीनों से कम की मूल परिवक्वता वाली जमा राशियां	(ii) व (vi)	1,776.84	2,170.98
– 3 महीनों से अधिक किन्तु 12 महीनों से कम की मूल परिवक्वता वाली जमा राशियां (बैंक गारंटी)		2.68	2.29
कुल		**1,779.52**	**2,173.27**

फुट नोट (नोट–12.3 और 12.4) :–

(i) 7.65 करोड रूपए के चैक / उपलब्ध ड्राफ़्ट (31 मार्च 2019 को शून्य रूपए), जिन्हें न्यायालय के आदेश द्वारा नकदीकृत किया जा सकता है।

(ii) ग्राहक निधि 1,825.89 करोड रूपए (31 मार्च 2019 को 2,256.30 करोड रूपए) जिस पर उन्हें ब्याज दिया जाएगा।

(iii) इसमें एस्क्रो खाते के 1.11 करोड रूपए (0.44 करोड रूपए) शामिल हैं जो इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत करार के अनुसार निर्धारित निधि है और एस्क्रो खाते से संबंधित शेष 0.02 करोड रूपए (0.01 करोड रूपए) जो इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत करार के अनुसार निर्धारित निधि है।

(iv) इसमें एस्क्रो खाते के 11.65 करोड रूपए (0.85 करोड रूपए) शामिल हैं जो इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत करार के अनुसार निर्धारित निधि है और एस्क्रो खाते से संबंधित शेष 3.30 करोड रूपए (6.10 करोड रूपए) जो इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत करार के अनुसार निर्धारित निधि है।

(v) एस्क्रो खाते से संबंधित शेष शून्य रूपए (3.50 करोड रूपए) जो इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत करार के अनुसार निर्धारित निधि है।

(vi) इसमें इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड के 8 करोड रूपए (95.12 करोड रूपए) शामिल हैं।

(vii) इसमें इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड के 92.71 करोड रूपए (31 मार्च 2019 को शून्य करोड रूपए) शामिल हैं।

12.5 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क. वसूलीयोग्य : रक्षित		
स्टाफ ऋण व आग्रम	0.41	0.62
ख. वसूलीयोग्य : अरक्षित		
स्टाफ ऋण व आग्रम*	1.21	1.27
कुल	**1.62**	**1.89**

* निदेशकों से दय राशि का ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
स्टाफ ऋण और आग्रमों सहित निदेशकों से दय राशि	0.0020	0.0048
कुल	**0.0020**	**0.0048**

12.6 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वसूली योग्य : रक्षित			
प्रतिभूति जमा राशि			
– सरकारी विभाग		17.50	30.33
– अन्य		133.28	127.70
संविदा परिसंपत्तिः			
– बिलयोग्य राजस्व / प्राप्य किन्तु अदेय	(ii) (क) व (ख)	214.13	221.43
– प्रगतिरत निर्माण कार्य (वास्तविक मूल्य पर)	(ii) (ख)	161.57	178.16
– एससीए के अनुसार किया गया निर्माण लागत	(iv)	434.57	1.01
– ग्राहकों से प्रतिधारण राशि	(iii)	14.55	6.39
– ग्राहकों द्वारा आहरित राशि	(iii)	192.09	70.90
बयाना जमा राशि		0.26	0.61
12 महीनों से कम की परिवक्वता वाली सावधि जमा राशियां		-	8.95
12 महीनों से कम की परिवक्वता वाली सावधि जमा राशियां / बैंक गारंटियां		-	0.44

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
ठेकेदारों से प्राप्त सावधि जमा	(v)	19.32	18.56
संचित ब्याज			
– स्टाफ को आग्रम	(i)	0.51	0.61
– संबंधित पक्षों को ऋण		8.15	4.40
– रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को अग्रिम		212.85	274.42
– बैंकों में जमा राशि		33.20	49.32
– बांड		17.86	17.83
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन:			
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लि. 301 इक्विटी शेयर–10 रुपए (31 मार्च 2019: 1,42,00,000)		-	14.20
अन्य वसूली योग्य			
(क) संबंधित वर्षों से (संयुक्त उपक्रम))			
– रीकॉन		-	1.02
– इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर		3.66	3.62
– मेट्रो टनलिंग ग्रुप		4.37	4.20
– इरकॉन सोमा टोलवे प्रा लि		0.02	7.05
– भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड		0.99	0.96
– इरकॉन – एफकॉन जे वी		29.43	29.47
– छत्तीसगढ पूर्व रेल लिमिटेड		0.60	0.24
– बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड		0.56	-
– महानदी कोयला रेल लिमिटेड		1.40	1.04
(ख) मोजांबीक सरकार से वसूली योग्य		-	38.22
(घ) रेली भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलीडीए) से वसूली योग्य		615.31	516.53
(ड़) ग्राहकों से वसूलीयोग्य दावे		18.72	15.38
(च) अग्रिम पट्टा किराया		0.19	0.22
(छ) अन्यें)	(vi) व (vii)	59.62	116.68
संदिग्ध समझे गए : अरक्षित			
प्रतिभूति जमा राशियां			
– सरकारी विभाग		0.12	0.12
– अन्य		0.26	0.19
बयाना जमा राशि		0.16	0.16
संविदा परिसंपत्ति			
– ग्राहकों के पास प्रतिधरण राशि		5.99	5.99
– ग्राहकों द्वारा रोकी गई राशि		5.68	5.74
इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटे से प्राप्य		0.05	-
रेल भूमि विकास प्राधिकरण से प्राप्य		5.81	-
घटा : संदिग्ध वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि व्यवस्था		(18.07)	(12.20)
कुल		**2,194.71**	**1,759.89**

फुट नोट

i) किसी कपनी, फर्म के निदेशकों, अन्य आधकारियों द्वारा देय ऋण, जिसमें कोई निदेशक साझेदार है या निजी कपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, संयुक्त उपक्रम या सहायक कपनी को छोड़ कर, **शून्य रुपए** (शून्य रुपए) है।

निदेशकों से दय राशि का ब्यौरा

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
स्टाफ ऋण और आग्रमों पर संचित ब्याज सहित निदेशकों से दय राशि पर ब्याज	0.0028	-
कुल	0.0028	-

ii) (क) इसमें ग्राहकों द्वारा प्रमाणित **32.77 करोड रूपए** (16.93 करोड रूपए) मूल्य के कार्य शामिल हैं, जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि को बिलयोग्य नहीं किया गया है।

(ख) इसमें **186.67 करोड रूपए** के संबंधित पक्षों से प्राप्य राशियां शामिल हैं (31 मार्च 2019 को 95.35 करोड रूपए) और इसे नोट 36 (ग) 4.2 (क) में प्रकट किया गया है।

iii) इसमें **35.13 करोड रूपए** के संबंधित पक्षों से प्राप्य राशियां शामिल हैं (31 मार्च 2019 को 0.81 करोड रूपए) और इसे नोट 36 (ग) 4.2 (ख) में प्रकट किया गया है।

iv) हाइब्रइड एनिविटी मॉडल (एचएएम) के अंतर्गत इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड और इरकॉन देवांगेरे हवेरी राजमार्ग लिमिटेड द्वारा निर्मित राजमार्ग से संबंधित निर्माण लागत

v) ठेकेदारों से प्राप्त सावधि जमा राशियां वसूलीयोग्य हैं, यदि ठेकेदार संविदा करार की शर्तो और निबंधनों का अनुपालन करने में विफल रहते हैं।

vi) इसमें इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के संबंध में इक्विटी सहायता के रूप में एनएचएआई से देय **46.94 करोड रूपए** (102.51 करोड रूप्ए) शामिल हैं।

vii) इसमें कोविड–19 के कारण मार्च 2020 में प्रदत्त अतिरिक्त रियायत शुल्क के कारण एनएचएआई से **0.41 करोड रूपए** शामिल हैं, जो इरकॉन शिवपुरी गूना टोलवे लिमिटेड द्वारा एनएचएआई से आगामी माह में वसूलीयोग्य हैं।

13. अन्य चालू परिसंपत्तियां (निवल)

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
टीडीएस और आग्रम कंर सहित प्रदत्त कर (कर हेतु प्रावधान का निवलें)	30.35	41.31
वापसीयोग्य आयकर	(0.19)	7.02
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	**30.16**	**48.33**

14. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वसूलीयोग्यः अरक्षित		
पूंजी अग्रिम के अतिरिक्त अग्रिम		
सामग्री और मशीन के प्रति ठेकेदारों को अग्रिम	279.63	285.32
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यों को अग्रिम	688.67	532.60
निम्नलिखित से वसूलीयोग्य अग्रिम		
– बिक्री कर (टीडीएस सहित)	340.14	340.11
घटा : संरक्षणाधीन जमा राशि	(218.65)	(218.65)
– मूल्य संवर्धित कर	86.94	112.13
– वस्तु एवं सेवा कर	423.35	356.17
– सेवा कर इनपुट क्रेडिट	0.01	0.01
प्रतिभूति जमा	28.72	15.84
संचित ब्याज		
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य के पास जमाराशि	79.67	90.73
पूर्व प्रदत्त व्यय	3.72	5.29
उचित मूल्य समायोजन	0.01	0.15
अन्य	0.03	0.01
संदिग्ध समझे गए : अरक्षित		
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्यों को ऋण	16.93	16.93
बिक्री कर (टीडीएस सहित)	36.05	36.02
अन्य	-	-
मूल्य संवर्धित कर	7.18	7.18
घटाः संदिग्ध अग्रिमों के लिए हानि व्यवस्था	(60.16)	(60.14)
कुल	**1,712.24**	**1,519.71**

15. बिक्री के लिए धारित परिसंपत्ति

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
निपटान के लिए धारित परिसंपत्ति	(i)	0.93	2.07
कुल		**0.93**	**2.07**

फुटनोट :

(i) आर्थिक दृष्टि से मरम्मत के परे और/या निपटान के लिए धारित परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण (वसूलीयोग्य मूल्य और बही मूल्य के निम्नतर पर) :–

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रुपए करोड़ में)

परिसंपत्तियों का ब्लॉक	परिसंपत्तियों का विवरण	निपटान की विधि एवं संभावित समय	गैर चालू परिसंपत्तियों पर संभावित (हानि) / लाभ	सेगमेंट	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
					सकल ब्लाक	निवल ब्लॉक	सकल ब्लाक	निवल ब्लॉक
संयंत्र और मशीनरी								
उत्तरी क्षेत्र	संयंत्र और मशीनरी (नोएडा वर्कशाप)	एमएसटीसी जैसे ई–ऑक्शन के माध्यम से निपटान का संभावित समया वर्ष 2021 के अंत तक	-	घरेलू : पीएमडी प्रभाग	0.78	0.05	0.78	0.05
उत्तरी क्षेत्र	संयंत्र और मशीनरी (डीएमआरसी सीई 6)	एमएसटीसी जैसे ई–ऑक्शन के माध्यम से निपटान का संभावित समया वर्ष 2021 के अंत तक	-	घरेलू	0.19	0.01	-	-
उत्तरी क्षेत्र	संयंत्र और मशीनरी (बीकानेर फलौदी)	एमएसटीसी जैसे ई–ऑक्शन के माध्यम से निपटान का संभावित समया वर्ष 2021 के अंत तक	-	घरेलू	-	-	3.38	0.19
मलेशिया क्षेत्र	इंजन 04 संख्या (15 संख्या)	खुली निविदा	4.40	अंतरराष्ट्रीय	0.16	0.16	0.87	0.87
	रेलपथ मशीन– शून्य (5 संख्या), होपर वैगन–2 (02), फ्लैट वैगन–10 संख्या (09) चौड़े बेस वाला ट्रैक्टर–शून्य (02 संख्या), कोचिस 02 संख्या (शून्य)	सीमित निविदा	0.44	अंतरराष्ट्रीय	0.14	0.14	0.50	0.30
मोजांबीक परियोजना	संयंत्र और मशीनरी		-	अंतरराष्ट्रीय	5.90	0.29	5.90	0.29
वाहन								
मलेशिया क्षेत्र	सडक वाहन शून्य (2) संख्या	सीमित निविदा	-	अंतरराष्ट्रीय	-	-	0.12	0.03
कार्यालय उपकरण								
मलेशिया क्षेत्र	कार्यालय उपकरण : 28 (शून्य), वातानुकूलन : 17 (शून्य) और इलैक्ट्रिकल उपकरण : 68 (शून्य)	सीमित निविदा	-	अंतरराष्ट्रीय	0.03	-	-	-
फर्नीचर और फिक्सचर								
मलेशिया क्षेत्र	79 फर्नीचर मदें	सीमित निविदा	-	अंतरराष्ट्रीय	0.01	-	-	-
फ्रीहोल्ड भूमि								
उत्तरी क्षेत्र	फ्रीहोल्ड भूमि (उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय)	ई.निविदा द्वारा	-	घरेलू	-	-	0.06	0.06
फ्रीहोल्ड भवन – आवासीय								
दक्षिणी क्षेत्र	फ्रीहोल भवन – आवासीय – चेन्नई	खुली निविदा	-	घरेलू	0.38	0.28	0.38	0.28
कुल					**7.59**	**0.93**	**11.99**	**2.07**

नोट :

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसे उसके वहन राशि और पुन वर्गीकरण पर बिक्री की लागत घटा उचित मूल्य पर मापा गया है। तदनुसार, 0.01 करोड़ रुपए (मार्च 2019 रु शून्य) के लिए हानि का प्रावधान किया गया है।

16. इक्विटी शेयर पूंजी

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी 40,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रति 10 रुपए/ (संदर्भ नोट–(एफ)) (40,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येंक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त–31 मार्च 2018 को)	400.00	400.00
	400.00	400.00
जारी/अंशदायी तथा प्रदत्त पूंजी 9,40,51,574 इक्विटी शेयर प्रति 10 रुपए (9,40,51,574 इक्विटी शेयर प्रत्येंक 10 रुपए के पूर्णत प्रदत्त–31 मार्च 2019 को)	94.05	94.05
	94.05	**94.05**

(क) 5 प्रतिशत से अधिक के प्रदत्त इक्विटी शेयर के कपनी के शेयर धारकों का ब्यौरा

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019को	
	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारण प्रतिशत	शेयरों की संख्या	श्रेणी में धारण प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति तथा सरकारी नामितियों के नाम पर भारत सरकार को	838,78,417	89.18%	838,78,417	89.18%

(ख) रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के लिए बोनस के रुप में जारी इक्विटी शेयर, रोकड से इतर समझे जाने के लिए जारी शेयर और वापस लाए गए शेयरों का ब्यौरा :

	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2015 को
	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
रोकड़ से इतर जारी इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-	-
बोनस शेयर के रूप में जारी इक्विटी शेयर	-	-	-	791,84,000	-	-
इक्विटी शेयर बाय बैक	-	-	49,28,426	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**49,28,426**	**791,84,000**	**-**	**-**

वर्ष 2017–18 निवेश एवं जन सम्पत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) ने इरकॉन को निदेश दिया है कि वे समग्र प्रदत्त इक्विटी के 5 प्रतिशत तक शेयरों के बायबैक करे। कुल 49,41,818 शेयरों को बायबैक करने का प्रस्ताव है, जो कि इन शेयरों की बुक वैल्यु पर होगा। निदेशक मंडल ने 21.09.2017 की अपनी 236वीं बैठक में प्रति 10 रुपए के अपने पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों के बायबैक को अनुमोदन प्रदान किया है, जो कि मौजूदा शेयरधाराकों से 49,41,818 शेयरों से आधक नहीं होंगे। प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की समापन तिथि यथा 04.12.2017 को भारत सरकार द्वारा धारित 49,28,426 शेयरों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) शेयरों के साथ संलग्न शर्तें/अधिकार :

(i) वोटिंग

समूह में केवल 10 रुपए मूल्य के इक्विटी शेयर की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है।

(ii) दिवालियापन

समूह के दिवालियेपन की स्थिति में शेयरधारक सभी प्रेफरेंशियल राशियों के वितरण के पश्चात, समूह की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। इनका संवितरण शेयरधारकों के पास इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगी।

(iii) लाभांश

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के मद्देनजर है।

(घ) वर्ष के आरंभ और अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का समायोजन

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	शेयरों की संख्या	रुपए करोड़ में	शेयरों की संख्या	रुपए करोड़ में
वर्ष के आरंभ में जारी, अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	940,51,574	94.05	940,51,574	94.05
जमाः वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
घटाः वर्ष क दौरान बायबैक किए गए शेयर (नोट–ii) का संदर्भ लें)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में जारी, अंशदायी तथा पूर्णत प्रदत्त बकाया इक्विटी शेयर	940,51,574	94.05	940,51,574	94.05

(ङ.) भारत सरकार द्वारा विनिवेश के निर्णय के परिणामस्वरुप, दिनांक 26 सितंबर 2018 को कंपनी के 99,05,157 शेयरों को पब्लिक को आवंटित किया गया है और धारक कपनी के शेयर दिनांक 28 सितंबर 2018 को एनएसई तथा बीएसई में सूचीबद्ध हुए हैं। तथापि, यह आईपीओ भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों के विनिवेश के लिए था, इसलिए धारक कपनी की शेयर पूंजी पर कोई असर नहीं पड़ा है। विनिवेश की प्रक्रिया से प्राप्त राशि भारत सरकार (जीओआइ) को जाएगी।

(च) शेयरधारकों ने दिनांक 22 मार्च 2020 को पोस्टल बेलेट से निम्नलिखित को स्वीकृति प्रदान की हैः

(i) एक इक्विटी शेयर के फेस मूल्य को विभाजिक करके प्रति 10 रूपए के शेयर को प्रति दो रूपए के पांच इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया जिसे दिनांक 3 अप्रैल 2020 को स्टॉक एक्सचेंजों में प्रदर्शित किया गया था।

(ii) कंपनी के संगम अनुच्छेद में पूंजी खंड में संशोधन।

17. अन्य इक्विटी

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
प्रतिधारित आमदनी	791.89	580.93
आरक्षित निधि	3,284.64	3,284.64
पूंजी रिडेम्पशन आरक्षित निधि	4.93	4.93
अन्य वृहत आय	(4.19)	(0.33)
कुल	**4,077.27**	**3,870.17**
i) निम्नानुसार संचलन		
क. प्रतिधारित आमदनी		
आरंभिक शेष	580.93	368.87
लाभ एवं हानि विवरण में अतिरेक का अंतरण	485.31	450.07
निगमित लाभांश कर सहित वर्ष के दौरान घोषित और प्रदत्त लाभांश	(122.74)	(117.24)
अंतरिम लाभांश और उस पर कर	(152.50)	(121.55)
निर्धारित लाभ योजना का पुनःमापन (कर का निवल)	0.89	1.28
संयुक्त उपक्रम में निवेश के वहन मूल्य में परिवर्तन लाभ/(हानि) के भाग से इतर	-	(0.50)
समापन शेष	**791.89**	**580.93**
(ख) सामान्य आरक्षित निधि		
आरंभिक शेष और अंतिम शेष	**3,284.64**	**3,284.64**
(ग) पूंजी रिडम्पशन आरक्षित निधि		
आरंभिक शेष और अंतिम शेष	**4.93**	**4.93**
(घ) अन्य वृहत आय की मदें		
आरंभिक शेष	**(0.33)**	**8.74**
वर्ष के दारान विदेशी मुद्रा अंतरण (कर का निवल)	(3.86)	(9.07)
अंतिम शेष	**(4.19)**	**(0.33)**
सकल योग (क+ख+ग+घ)	**4,077.27**	**3,870.17**

ii) आरक्षित निधि की प्रकृति और प्रयोजन

(क) प्रतिधारित आमदनियां

प्रतिधारित आमदनियां कंपनी के आवतरित लाभों को प्रस्तुत करती हैं।

(ख) सामान्य आरक्षित निधि

सामान्य आरक्षित निधि सांविधिक आरक्षित निधियों को प्रदर्शित करता है, यह निगमित नियमों के अनुसार है, जहां लाभ के एक भाग को सामान्या आरक्षित निधि में नियोजित किया जाता है। कपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, सामान्य आरक्षित निधि में किसी राशि को अंतरित करने का विशेषाधिकार कपनी का है।

(ग) पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि

कंपनी ने दिनांक 26 दिसंबर 2017 को शेयरों के बायबैक क पश्चात लाभों में से पूंजी प्रतिधारण आरक्षित निधि का सृजन किया है।

(घ) अन्य वृहत आय की मदें

अन्य वृहत आय में विदेशी प्रचालनों पर अंतरित विनिमय अंतर के कारण शेष राशि का प्रदर्शित करता है।

iii) लाभांश संवितरण

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
घोषित / प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर नकद लाभांश :		
वित्तीय वर्ष 2018–19 को अंतिम लाभांश जिसे वर्ष 2019–20 में भुगतान किया गया 10.825 प्रति शेयर (वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रदत्त 10.34 प्रति शयर)	101.81	97.25
अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	20.93	19.99
2019–20 के दौरान अंतरिम लाभांश : 13.45 रुपए प्रति शेयर (वित्तीय वर्ष 2018–19: 10.72 रुपए प्रति शेयर)	126.50	100.82
अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	26.00	20.72
कुल	**275.24**	**238.78**

iv) रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात घटित घटना :

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत अंतिम लाभांश, आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के मद्देनजर है।		
31 मार्च 2020 हेतु लाभांशः 2.06 रुपए प्रति शेयर जो 2 रूपए के प्रति शेयर की फेस मूल्य पर है) (31 मार्च 2019 का लाभांशः 10.825 रुपए प्रति शेयर जो प्रति 10 रूपए के शेयर मूल्य पर है)	96.87	101.81
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	-	20.93
कुल	**96.87**	**122.74**

18. गैर चालू देयताएं – वित्तीय देयताएं

18.1 गैर चालू वित्तीय देयताएं – कर्ज

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अरक्षित		
भारतीय रेलवे वित्त निगम से ऋण (नीचे नोट का संदर्भ लें)	1,845.92	2,560.00
कुल	**1,845.92**	**2,560.00**

नोटः

(क) अरक्षित ऋण की निबंधन और शर्तें

समूह ने भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) से ऋण प्राप्त किया है, जो कि पट्टा करार की शर्तों के अनुसार रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को भुगतान किया गया है। आरएलडीए और कपनी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, मूल राशि और ब्याज की सभी किश्तों और किसी प्रकार की चूक या आतरिक्त ब्याज, तथा अन्य लागतें, व्यय और ऋण से संबंधित प्रभारों (या ऋण करार के के अनुसरण में अन्यथा देय) का भुगतान कपनी को आरएलीडीए द्वारा किया जाएगा। ऋण की मूल राशि का पुनर्भुगतान 15 सितंबर 2019 को आरंभ होगा जिसे पांच किश्तों में दिया जाएगा (नोट सं. 8.3 (फुट नोट–iii) ।

(ख) ब्याज दर :

(i) समूह प्रतिवर्ष 8.77 प्रतिशत की दर पर समय समय पर ऋण अग्रिम और बकाया की मूल राशि पर ब्याज का भुगतान करेगी (लागू ब्याज दर) (विशिष्ट रुप से ब्याज कर, सेवाकर तथा/या ऐसा कोई अन्य कर/उपकर/ड्यूटी)। लागू ऐसे कर/उपकर/ड्यूटी, यदि कोई हो, ऊपर विनिर्दिष्ट दरों के आतरिक्त ऋणधारक द्वारा ऋणदाता को देय होगा (उसी रुप व समय में जैसा कि मूल तथा ब्याज के लिए है)।

(ii) लागू कर दर दीर्घकालीन मुद्रा के लिए निर्धारित की जागी।

(ग) समझौता ज्ञापन का समाप्त होना :

कतिपय निर्धारित घटनाओं के होने पर, समझौता ज्ञापन समाप्त हो जाएगा, तत्पश्चात इरकॉन को ऐसी निकाय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जैसा कि आईआरएफसी, इरकॉन, आरएलडीए तथा रेल मंत्रालय के बीच सहमति हो। रेल मंत्रालय इस करार के समाप्त होने पर ऋण करार के अंतर्गत सम्पूर्ण बकाया राशि का पूर्व भुगतान के लिए पात्र होगा।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

18.2 गैर चालू वित्तीय देयताएं – व्यापार प्राप्य

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
(क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	-	-
(ख) अन्य सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम से इतर		
(i) संविदा और आपूर्तिकर्ता	-	-
कुल	**-**	**-**

नोटः

क) कंपनी अधिनियम 2013/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) में अपेक्षित प्रकटन को नोट 44 में उपलब्ध कराया गया है।

ख) निबंधन और शर्तें तथा संबंधित पक्षों के साथ अन्य शेषों का प्रकटन नोट 36 में किया गया है।

18.3 गैर चालू देयताएं – अन्य वित्तीय देयताएं

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
जमा राशि व प्रतिधारण राशि	400.39	313.70
ग्राहकों को देय राशि	0.23	0.18
ग्राहकों से आग्रम पर देय ब्याज	7.08	31.26
पट्टा देयताएं	0.14	-
कुल	**407.84**	**345.14**

19. प्रावधान

(रुपए करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	19.1	109.26	104.15
अन्य प्रावधान	19.2	209.47	368.61
		318.73	**472.76**
चालू		**239.83**	**392.83**
गैर चालू		**78.90**	**79.93**

19.1 कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान :

(क) अवकाश नकदीकरण, निपटान भत्ते, सेवानिवृत्तिपूर्व लाभ, निष्पादन संबंधी वेतन एवं अवकाश यात्रा रियायत के प्रयोजन हेतु प्रावधान किए गए हैं।

(ख) इंड एएस–10 'कर्मचारी लाभों' के अनुसार प्रकटन हेतु नोट 35 में प्रावधान किए गए हैं।

(ग) कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान के के वहन मूल्य में संचल के लिए प्रावधान निम्नानुसार हैं :

(रुपए करोड़ में)

विवरण	अवकाश वेतन	अवकाश वेतन*	सेवानिवृत्ति पर निपटान व्यवस्था	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	निष्पादन संबंधी वेतन	अवकाश यात्रा रियायत	कुल
31 मार्च 2019 को	**0.02**	**62.38**	**1.28**	**9.27**	**31.06**	**0.15**	**104.16**
चालू	-	6.91	0.14	9.27	31.06	0.01	**47.39**
गैर चालू	0.02	55.47	1.14	-	-	0.14	**56.77**
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.01	14.04	0.16	5.67	27.44	-	**47.32**
घटाः वर्ष के दौरान उपयोग	-	(8.03)	(0.16)	(4.49)	(29.64)	(0.02)	**(42.34)**
घटाः वर्ष के दौरान बट्टा खाता	-	-	-	-	-	(0.02)	**(0.02)**
(विनिमय लाभ)/हानि	-	0.13	-	-	-	-	**0.13**
31 मार्च 2020 को	**0.03**	**68.52**	**1.28**	**10.45**	**28.86**	**0.11**	**109.25**
चालू	-	8.52	0.18	10.45	28.86	-	**48.01**
गैर चालू	0.03	60.00	1.10	-	-	0.11	**61.24**

*विदेशी परियोजनाओं पर तैनात कर्मचारियों के लिए 0.80 करोड रूपए शामिल हैं, जिसमें अवकाश वेतन प्रावधान वास्तविक आधार पर किया गया है।

19.2 अन्य प्रावधान :

प्रावधानों और संचलनों की प्रकृति के संबंध में इंड एएस 37 के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है:

(क) डिमोबिलाइजेशन प्रावधान

समूह ने विदेशी परियोजनाओं के संबंध में श्रमशक्ति और संयत्र एवं उपकरण के डिमोबिलाइजेशन के प्रति व्ययों के पूरा करने के लिए डिमोबिलाइजेशन प्रावधान किए हैं।

(ख) अनुरक्षण प्रावधान

लागत जमा संविदा में, अनुरक्षण के लिए प्रावधान किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है जहां लागम प्रतिपूर्ति योग्य है।

मद दर तथा एकमुश्त टर्नकी संविदाओं में संविदागत दायित्वों, उपठेकेदार के दायित्वों, प्रचालनिक टर्नओवर और अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए चूक दायित्व अवधि के दौरान समूह के दायित्व को कवर किया जाता है।

(ग) विधिक मामले

विधि मामलों के लिए प्रावधान दायित्व को प्रस्तुत करते हैं, जिनकी नयालयों, मध्यस्थता और अपील संबंधी मामलों के संबंध में सफल होने की संभावना होती है।

(घ) अन्य व्यय के लिए प्रावधान

अन्य व्यय हेतु प्रावधान अप्रत्यक्ष करों और अन्यों के संबंध में संभावित कर देयताओं को प्रदर्शित करते हैं।

(₹ in crore)

विवरण	डीमोबिलाइजेशन	अनुरक्षण	विविध संविदाएं	अन्य व्यय	कुल
31 मार्च 2019 को	**13.39**	**49.95**	**68.30**	**236.96**	**368.60**
चालू	12.38	27.80	68.30	236.96	**345.44**
गैर चालू	1.01	22.15	-	-	**23.16**
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.15	4.87	5.35	33.78	**44.15**
घटाः वर्ष के दौरान उपयोग	(0.08)	(14.82)	(23.13)	(160.39)	**(198.42)**
घटाः वर्ष के दौरान बट्टा खाता	(0.43)	(0.03)	(5.34)	(3.06)	**(8.86)**
(विनिमय लाभ)/हानि	0.96	1.26	-	0.52	**2.74**
बट्टा खाता	0.02	1.25	-	-	**1.27**
31 मार्च 2020 को	**14.01**	**42.48**	**45.18**	**107.81**	**209.48**
चालू	**12.76**	**26.07**	**45.18**	**107.81**	**191.82**
गैर चालू	**1.25**	**16.41**	**-**	**-**	**17.66**

20. अन्य गैर चालू देयताएं

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क) संविदागत देयताए		
ग्राहकों से आग्रम	267.88	678.58
ख) अन्य		
अपफ्रंट राशि एमएफसी के उप पट्टे से	30.28	31.76
कुल	**298.16**	**710.34**

21. चालू देयताएं – वित्तीय देयताऐं

21.1 चालू वित्तीय देयताएं – व्यापार देय राशियां

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
(क) सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम	8.08	18.95
(ख) सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम		
(i) ठेकेदार व आपूर्तिकर्ता	581.11	546.54
कुल	**589.19**	**565.49**

नोट :

क) कंपनी अधिनियम, 2013/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपकम विकास अधिरियम, 2006 (एमएसएमईडी) के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन नोट 44 में किया गया है।

21.2 चालू देयताएं – अन्य वित्तीय देयताएं

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
दीर्घकालीन ऋण की वर्तमान परिपक्वताः		
भारतीय रेल वित्त निगम से ऋण	615.31	516.53
भारतीय रेल वित्त निगम से ऋण पर संचित ब्याज	210.00	272.77
देय उपदान	3.32	4.01
जमाराशि, प्रतिधारण राशिऔर रोकी गई राशि	972.16	742.26
ग्राहकों को देय राशि	671.46	475.54
ग्राहकों से अग्रिम पर देय ब्याज	252.17	205.80
अन्य देय (कर्मचारी देय राशियों सहित)	234.42	85.40
पट्टा देयता	0.03	-
कुल	**2,958.87**	**2,302.31**

22. वित्तीय चालू देयताएं

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क) संविदागत देयता		
ग्राहकों से आग्रम	2,039.86	2,170.33
घटाः संरक्षणाधीन जमा राशियां	(218.65)	(218.65)
आग्रम संविदा प्राप्तियां	263.78	229.42
ख) अन्य अग्रिम		
अन्यों से आग्रम	-	1.33
ग) अन्य		
सांविधिक देय राशियां	169.88	205.69
एमएफसी के उपपट्टे से अपफंट राशि	1.43	1.44
कुल	2,256.30	2,389.56

नोट :

क) सांविधिक देयों में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), टीडीएस, भविष्य निधि और अन्य सांविधिक देय राशियों के लिए देयताएं शामिल हैं।

23. चालू कर देयताएं (निवल)

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कर हेतु प्रावधान (अग्रिम कर का निवल) (संदर्भ नोट सं.47 (क))	32.03	8.64
कुल	**32.03**	**8.64**

24. प्रचालनों से राजस्व

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
संविदा राजस्व	5,091.48	4,222.70
टोल प्रचालनों से राजस्व	139.36	77.62
एकीकृत संयुक्त प्रचालनों (गैर.निनिगमित) में टर्नओवर में कंपनी का भाग	0.39	6.86
मशीनरी किराया प्रभार	16.66	11.41
एमएफसी पट्टाकरण	16.65	17.79
परियोजना प्रबंधन परामर्श	106.65	47.68
अन्य प्रचालनिक राजस्व	20.32	414.37
कुल	**5,391.51**	**4,798.43**

25. अन्य आय

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	
ब्याज आय :				
करमुक्त बांडों पर ब्याज		22.10		22.07
आयकर प्रतिपूर्ति पर ब्याज		0.15		34.81
स्टाफ अग्रिम पर ब्याज		0.10		0.14
संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याज*		3.61		4.87
अग्रिमों और अन्य मदों पर ब्याज	27.10		13.96	
घटा : ग्राहकों को अंतरित अन्य ब्याज	(9.35)	17.75	(1.22)	12.74
वित्तीय माध्यामों के अनवांडिंग पर ब्याज आय		0.14		0.39
बैंक ब्याज सकल	168.26		194.85	
घटा : ग्राहकों को अग्रेषित ब्याज	(110.78)	57.48	(128.11)	66.74
अन्यः				
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		29.08		15.59
म्युचुवल फंड की बिक्री पर लाभ		0.96		-
विविध आय		12.68		24.19
विनिमय उच्चावचन लाभ	17.87		-	
घटा : विनिमय उच्चावचन हानि	(17.75)	0.12	-	-
लाभांश आय	6.15		14.68	
घटा : ग्राहकों को अंतरित लाभांश	(2.15)	4.00	(5.04)	9.64
कुल		**148.17**		**191.18**

*** संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याज :**

(रुपए करोड़ में)

संबंधित पक्षों का विवरण	2019-20	2018-19
- छत्तीसगढ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	3.61	4.87
	3.61	**4.87**

26. (i) प्रयुक्त सामग्री और भंडारण

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	
आरंभिक शेष		54.77		32.24	
जमाः वर्ष के दौरान खरीद	(i)	352.22		413.22	
		406.99		445.46	
अंतिम शेष		(57.28)	349.71	(54.77)	390.69
कुल			**349.71**		**390.69**

फुटनोट : (1.70) करोड रुपए (दिनांक 31 मार्च 2019 : (0.80) करोड़ रुपए) के इंड एएस विनिमय लाभ /हानि सहित

26. (ii) प्रगतिरत कार्य में (वृद्धि)/कमी

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	
आरंभिक शेष		277.17		108.31	
जमाः विनिमय लाभ/;हानिद्ध हेतु वर्ष के दौरान समायोजन		2.10		(0.51)	
		279.27		107.80	
अंतिम शेष		(263.38)	15.89	(277.17)	(169.37)
कुल			**15.89**		**(169.37)**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

26. (iii) परियोजना और अन्य व्यय

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	परियोजना व्यय		अन्य व्यय	
		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
कार्यगत व्यय		4,093.20	3,504.50	-	-
टोल प्रचालन और अनुरक्षण व्यय		15.93	7.62	-	-
अभिकल्प, आरेखण व्यवसाय विकास व परामर्श प्रभार		3.62	9.21	-	-
निरीक्षण, भू–तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि		20.86	16.92	-	.
मशीनरी की मरम्मत तथा अनुरक्षण		4.77	6.36	-	-
मशीनरी का किराया प्रभार		7.45	6.74	-	-
विनिमय उच्चावचन हानि		-	-	-	24.91
घटा : विनिमय उच्चावचन लाभ		-	-	-	(22.58)
निवल विनिमय उच्चावचन हानि		-	-	-	2.33
किराया–गैर आवासीय		5.52	5.87	1.50	1.82
दर एवं कर		32.14	32.34	1.01	0.58
वाहन प्रचालन व अनुरक्षण		12.84	15.77	1.81	1.74
मरम्मत और रखरखाव					
– भवन		0.04	0.13	0.91	0.79
– कार्यालय तथा अन्य		3.23	4.14	5.04	4.99
बिजली, विद्युत व जल प्रसार		5.17	4.25	1.76	1.59
बीमा		6.06	5.65	0.45	0.57
यात्रा और वाहन		12.19	13.92	2.71	3.12
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		1.14	1.34	0.88	0.85
डाक टिकट, टेलीफोन, टेलेक्स		1.49	1.55	0.56	0.68
विधिक और व्यावसायिक प्रसार		21.14	19.38	6.54	7.68
सुरक्षा सेवाएं		1.61	2.76	0.69	0.62
सूचीकरण व्यय (नोट सं 16(ङ) का संदर्भ)		-	-	0.23	4.19
व्यवसाय संर्वधन		0.19	0.21	0.98	0.62
बट्टा खाताः					
– ऋण		-	0.27	-	-
– आग्रम		-	0.37	-	-
– अन्य परिसंपत्तियां		0.04	0.30	-	-
परिसंपत्ति / भंडार की बिक्री से हानि		-	-	0.55	1.19
निदेशकों की फीस		-	-	0.21	0.14
चंदा		-	-	0.02	0.04
लेखापरीक्षकों की फीस	(i)	-	-	0.79	0.86
विज्ञापन और प्रसार		-	-	4.20	6.07
प्रशिक्षण और भर्ती		-	-	1.22	1.50
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (नोट–45 का संदर्भ लें)		-	-	10.18	8.95
विविध व्यय		5.99	5.99	2.50	1.79
सांविधिक देयों के विलंबित भुगतान पर ब्याज		-	-	0.05	-
शुल्क और अंशदान प्रभार		-	-	0.11	0.06
एकीकृत संयुक्त प्रचालनों में कंपनी के व्यय का आनुपातिक भाग (गैरनिगमित)		0.22	3.47	-	-
प्रावधान जमा–बट्टा खाता (नोट–19 का संदर्भ लें)		41.09	141.00	-	-
उपयोग किया गया प्रावधान (नोट–19 का संदर्भ लें)		(198.45)	(27.07)	-	-
प्राथमिक व्यय		-	0.10	-	-
कुल		**4,097.48**	**3,783.09**	**44.90**	**52.77**

फुट नोटः

(i) सांविधिक लेखापरीक्षकों को अदायगी

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
(क) लेखापरीक्षा फीस – चालू वर्ष	0.37	0.43
(ख) कर लेखापरीक्षा फीस–चालू वर्ष	0.10	0.12
(ग) तिमाही सीमित समीक्षा हेतु शुल्क	0.17	0.11
(घ) प्रमाणन शुल्क	0.07	0.05
(ड.) यात्रा और तुरन्त देय व्यय		
– यात्रा व्यय	0.03	0.06
– आउट ऑफ पॉकेट व्यय	0.05	0.09
कुल	**0.79**	**0.86**

27. कर्मचारी पारिश्रमिक व लाभ

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु		
		परियोजना व्यय	अन्य व्यय	कुल	परियोजना व्यय	अन्य व्यय	कुल
वेतन, पारिश्रमिक तथा बोनस	(i)	161.33	69.42	**230.75**	164.21	55.35	**219.56**
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		9.71	3.90	**13.61**	9.16	3.62	**12.78**
विदेशी सेवा अंशदान		0.96	0.92	**1.88**	1.70	0.23	**1.93**
सेवानिवृत्ति लाभ		17.84	13.58	**31.42**	16.79	10.84	**27.63**
कर्मचारी कल्याण		1.31	0.37	**1.68**	1.37	0.30	**1.67**
कुल।		**191.15**	**88.19**	**279.34**	**193.23**	**70.34**	**263.57**

फुट नोट : (i) 0.51 करोड़ रुपए के गैर मौद्रिक परिलब्धियों पर आयकर शामिल हैं (31 मार्च 2019 को : 0.56 करोड़ रुपए)।

28. वित्तीय लागत

(रुपए करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	
ब्याज व्यय	(i)	239.00		281.44	
घटाः रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को आग्रम पर ब्याज		(220.35)	18.65	(278.36)	3.08
अन्य ऋण लागत					
-– बैंक गारंटी तथा अन्य प्रभार			7.81		8.97
वित्तीय माध्यमों को पृथक करने पर ब्याज			-		0.01
वित्तीय माध्यमों का परिशोधन			0.14		0.39
प्रावधानों पर छूटों का प्रयोग			1.27		2.08
कुल			**27.87**		**14.53**

फुट नोट : (i) **6.66 करोड़ रुपए** के आयकर पर ब्याज शामिल हैं (31 मार्च 2019 को : 1.51 करोड़ रुपए)।

29. मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
संपत्ति संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास	14.74	12.69
प्रयोग अधिकार –पट्टा परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	0.33	-
अमूर्त परिसंपत्तियां का परिशोधन	66.76	38.88
निवेश परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	1.10	0.04
परिसंपत्तियों की हानि	0.01	-
कुल	**82.94**	**51.61**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

30. अन्य वृहत आय (ओसीईई) के घटक

इक्विटी में आरक्षित निधि के प्रत्येक प्रकार द्वारा ओसीआई में परिवर्तन से असहमति को निम्नानुसार दर्शाया गया है। (रुपए करोड़ में)

विवरण	परिभाषित लाभ योजनाओं का लाभ/(हानि) का पुनःमापन	
	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
परिभाषित लाभ योजनाओं का लाभ/(हानि) का पुनःमापन	1.19	1.97
उन मदों के संबंध मे आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवगीकृत नहीं किया गया है।	(0.30)	(0.69)
कुल	**0.89**	**1.28**

(रुपए करोड़ में)

विवरण	विदेशी विनिमय अंतरण	
	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
विदेशी विनिमय अंतरण अंतर	(5.15)	(13.94)
उन मदों के संबंध मे आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवगीकृत किया गया	1.30	4.87
कुल	**(3.85)**	**(9.07)**
सकल योग	**(2.96)**	**(7.79)**

31. क. उचित मूल्य मापन

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं को इन वित्तीय विवरण में उचित मूल्य पर मापा जाता है और इन्हें उचित मूल्य कम में तीन स्तरों पर समूहित किया जाता है। इन तीन स्तरों को मापन के महत्वपूर्ण इनपुट के अवलोकनयोग्यता के आधार पर परिभाषित किया जाता है, जो निम्नानुसार है:

स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रीय बाजार में कोट किए गए मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 – स्तर–1 के भीतर शामिल किए गए कोट किए गए मूल्यों के आतरिक्त इनपुट, जिनका परिसंपत्ति या देयता के लिए अवलोकन किया गया है, चाहे प्रत्यक्ष (यथा मूल्यों के अनुसार) या अप्रत्यक्ष रुप से (यथा मूल्यों से निर्धारित)।

स्तर 3 – परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए गैर अवलोकनीय इनपुट

क) 31 मार्च 2020 को श्रेणीयों द्वारा वित्तीय माध्यमों का वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार है: *

(रुपए करोड़ में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)				
म्युचुवल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश				
कर मुक्त बांड़ में निवेश	291.45	-	-	291.45
(ii) ऋण	40.95	-	-	40.95
(iii) अन्य – वित्तीय परिसंपत्तियां	4,514.98	-	-	4,514.98
कुल	**4,847.38**	-	-	**4,847.38**

(रुपए करोड़ में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) उधार	1,845.92	-	-	1,845.92
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	3,366.71	-	-	3,366.71
कुल	**5,212.63**	-	-	**5,212.63**

ख) दिनांक 31 मार्च 2019 को श्रेणियों द्वारा वित्तीय मध्यमों का वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार हैः

(रुपए करोड़ में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)				
म्युचुवल फंड में निवेश	99.72	99.72	-	-
कुल	99.72	99.72	-	-
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश				
कर मुक्त बांड़ में निवेश	291.40	-	-	291.40
(ii) ऋण	41.40	-	-	41.40
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	4,605.33	-	-	4,605.33
कुल	**4,938.13**	-	-	**4,938.13**

(रुपए करोड़ में)

विवरण	वहन मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित मूल्य पर वित्तीय देयताएं				
(i) उधार	2,560.00	-	-	2,560.00
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	2,647.45	-	-	2,647.45
कुल	**5,207.45**	-	-	**5,207.45**

प्रबंधन मूल्यांकन करता है कि रोकड और रोकड समतुल्य, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, बैंक ओवरड्राफ़्ट और अन्य चालू वित्तीय देयताएं इन माध्यमों की अल्पकालीन परिपक्वताओं केकारण अपने वहन मूल्यों के समीप बनी रहीं।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य को उस मूल्य पर शामिल किया गया है जिस पर माध्यम को इच्छुक पक्षों के बीच चालू संव्यवहार में विनिमय किया जा सकता है। उचित मूल्यों को अनुमान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित विधियों और अनुमानों का प्रयोग किया गया था।

(i) म्युचवल फंड इकाइयों में निवेशों का उचित मूल्य निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर आधारित है जैसा कि तुलनपत्र तिथि को प्रकाशित विवरणों में इन म्युचवल फंड इकाइयों के जारीकर्ताओं द्वारा उल्लेख किया गा है। उनएवी उस मूल्य को दर्शाता है जिस पर जारीकर्ता म्युचवल फंड की भावी इकाइयों को जारी करेगा और मूल्य जिसपर निवेशकों से ऐसी इकाइयों को जारीकरर्ता रिडीम करेगा।

(ii) सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों मे निवेश को इक्विटी निवेशों के रूप में वर्गीकृत कियाजाता है जिन्हें एतिहासिक लागत पर लेखांकित किया जाता है। चूंकि इनका कार्यक्षेत्र निरीक्षण के प्रयोजन हेतु इंड एएस 109 से बाहर है, इसलिए इन्हें उपर्युक्त तालिका में प्रकट नहीं किया गया है।

*वित्तीय वर्ष 2019–20 तथा 2018–19 के दौरान, स्तर 1, स्तर 2 तथा स्तर 3 उचित मूल्य मापनों के बीच कोई अंतरण नहीं था।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

समूह की प्रमुख वित्तीय देयता व्यापार और अन्य देय राशियां हैं। समूह की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में शामिल हैं संबंधित पक्षों को ऋण, व्यापार तथा अन्य प्राप्य, तथा रोकड़ और अल्पकालीन जमा राशियों जो प्रत्यक्ष रुप से इसके प्रचालनों से प्राप्त हुई हैं। समूह म्युचुवल फंड और कर मुक्त बांड़ों में भी निवेश करती है। समूह की गतिविधियों के कारण उसे कुछ वित्तीय जोखिम, बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम भी हो सकते हैं।

क. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण वित्तीय माध्यमों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार चढाव का जोखिम है। बाजार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोखिम ब्याज दर जोखिम शामिल है। बाजार जोखिमों से प्रभावित होने वाले वित्तीय माध्यम हैं व्यापार प्राप्य, बाजार देय तथा अन्य गैर–डैरिवेटिव वित्तीय माध्यम।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

समूह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचालन करतीं है और उसे व्यापक विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा रहता है (चूंकि विदेशी मुद्रा में प्राप्तियां और भुगतान सामान्यत समान होते हैं) जो अमरीकी डॉलर, यूरो, येन, बीडीटी, डीजेडडी, एलकेआर, एमजेडएन, बीटीएन, जेडएआर, एनपीआर तथा एमवाईआर में विदेशी मुद्रा संव्यवहार होते हैं। समूह को महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जोखिमों का स्वतः बचाव हो जाता है । दिनांक 31 मार्च 2020 तथा 31 मार्च 2019 को संबंधित विदेशी मुद्रा में प्रत्येक 5 प्रतिशत की वृद्धि या कमी हमारे कर पूर लाभ पर क्रमशः 16.27 करोड़ रुपए तथा 1.14 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ता है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति समूह का महत्वपूर्ण जोखिम निम्नानुसार है:

31 मार्च 2020 को (रुपए करोड़ में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	डीजेडडी	बीडीटी	एलकेआर	एमवाईआर	जेडएआर	जेपीवाई	कुल
परिसंपत्तियां									
व्यापार प्राप्य	27.34	0.32	21.37	-	-	1.68	-	-	**50.71**
रोक़ड़ तथा रोक़ड़ समतुल्य रोकड़	44.23	60.42	74.19	-	13.30	24.64	15.70	-	**232.48**
ठेकेदारों का अग्रिम	1.51	-	0.70	24.42	-	-	-	-	**26.63**
अन्य परिसंपत्तियां	109.21	-	71.24	112.63	0.93	0.61	15.81	-	**310.43**
कुल	**182.29**	**60.74**	**167.50**	**137.05**	**14.23**	**26.93**	**31.51**	**-**	**620.25**
देयताएं									
व्यापार प्राप्य	43.84	8.43	35.47	7.94	9.45	0.99	-	-	**106.12**
ग्राहकों का अग्रिम	78.48	-	-	-	-	0.26	-	-	**78.74**
अन्य परिसंपत्तियां	10.40	1.45	49.71	-	0.96	1.96	45.53	-	**110.01**
कुल	**132.72**	**9.88**	**85.18**	**7.94**	**10.41**	**3.21**	**45.53**	**-**	**294.87**

31 मार्च 2019 को (रुपए करोड़ में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	डीजेडडी	बीडीटी	एलकेआर	एमवाईआर	जेडएआर	जेपीवाई	कुल
परिसंपत्तियां									
व्यापार प्राप्य	111.35	20.75	23.00	-	-	0.09	-	73.09	**228.28**
रोक़ड़ तथा रोक़ड़ समतुल्य रोकड	39.30	9.81	64.49	1.93	1.17	9.04	18.36	-	**144.10**
ठेकेदारों का अग्रिम	-	-	0.25	11.03	-	-	1.53	-	**12.81**
अन्य परिसंपत्तियां	7.38	1.03	29.38	53.62	0.09	0.49	13.31	-	**105.30**
कुल	**158.03**	**31.59**	**117.12**	**66.58**	**1.26**	**9.62**	**33.20**	**73.09**	**490.49**
देयताएं									
व्यापार प्राप्य	57.31	14.87	15.85	10.90	0.01	0.73	2.91	24.62	**127.20**
ग्राहकों का अग्रिम	86.70	-	-	-	-	0.63	-	-	**87.33**
अन्य परिसंपत्तियां	21.18	4.49	37.03	37.12	0.59	2.14	31.58	-	**134.13**
कुल	**165.19**	**19.36**	**52.88**	**48.02**	**0.60**	**3.50**	**34.49**	**24.62**	**348.66**

(ii) **ब्याज दर जोखिम**

ब्याज दर जोखिम बाजार की ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण वित्तीय माध्यमों के भावी रोकड़ प्रवाह के उचित मूल्य में उतार चढाव का जोखिम है। समूह अपने ब्याज जोखिमों की व्यवस्था समूह की नीतियों और जोखिम प्रयोजनों के अनुसार करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित होने वाले वित्तीय माध्यमों में शामिल हैं कर मुक्त बांड तथा बैंक में जमा राशि। इन वित्तीय माध्यमों में ब्याज दर जोखिम बहुत कम होता है क्योंकि वित्तीय माध्यमों की अवधि के लिए ब्याज दर निर्धारित होता है। इसक आतरिक्त, समूह को ऋणों/कर्ज पर किसी प्रकार के ब्याज का जोखम नही है, क्योंकि इनके ब्याज की दर नियत है।

ख) ऋण जोखिम

समूह के ग्राहक प्रोफाइल में भारत तथा विदेश में रेल मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य स्वामित्व वाली कपनियां शामिल हैं। तदनुसार, समूह का ग्राहक ऋण जोखिम कम है। समूह का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिनों की ऋण अवधि के साथ मासिक प्रगति भुगतान तथा परियोजना के अंत में कतिपय प्रतिधारण राशि जारी की जाएगी। कुछ मामलों में प्रतिधारण को बैंक/निगमित गारंटियों के प्रतिस्थापित किया जाता है। समूह के पास वसूली पर उचित ध्यान केन्द्रित करने के लिए संगठन के भीतर ही विभिन्न स्तरों पर ओवरड्यू ग्राहक प्राप्यों के लिए विस्तृत समीक्षा तंत्र विद्यमान है।

व्यापार और अन्य प्राप्य राशियां

समूह के ऋण जोखिम का खतरा मुख्य रुप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। व्यक्ति या देश जहां ग्राहक प्रचालन कर रहा है, वहां त्रुटि जोखिम सहित ग्राहक की जनसांख्यिकीय भी ऋण जोखिम को प्रभावित करती है।

ऋण जोखिम की संभावना

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
वित्तीय परिसंपत्ति जिसक लिए जीवनकाल संभावित ऋण हानि (एलईसीएल) परिदृश्य का प्रयोग किया गया है		
गैर चालू निवेश	291.45	291.40
गैर चालू ऋण	39.33	39.51
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	1,887.11	2,602.93
चालू निवेश	-	99.72
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	893.11	892.12
अन्य बैंक शेष	1,779.52	2,173.27
चलू ऋण	1.62	1.89
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	1,195.87	1,294.20
वित्तीय परिसंपत्ति, जिसके लिए साधारणीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा भत्ते का मापन किया गया है		
व्यापार प्राप्य	578.37	693.32
संविदा परिसंपतियां	1,450.07	720.40

साधारणीकृत परिदृश्य के प्रयोग द्वारा घाटे में परिवर्तन का सार

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
आरंभिक भत्ते	**39.01**	**40.06**
वर्ष के दौरान प्रावधान	-	1.43
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	(0.65)
राशि बट्टा खाता	(0.16)	(1.83)
समापन भत्ते	**38.85**	**39.01**

वर्ष के दौरान समूह में शून्य (31 मार्च, 2019 : 1.43 करोड़ रुपए) के घाटा भत्ता है।

जीवनकाल संभावित ऋण हानि (एलीईसीएली) परिदृश्य के प्रयोग द्वारा आंकलित घाटे में परिवर्तन का सार

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
आरंभिक भत्ते	**0.47**	**0.29**
वर्ष के दौरान प्रावधान	5.94	0.20
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	(0.01)	-
राशि बट्टा खाता	-	(0.02)
(विनिमय लाभ)/हानि	-	-
समापन भत्ते	**6.40**	**0.47**

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राक्कलन तकनीकों या अनुमानों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्ष के दौरान समूह में **5.94 करोड़ रुपए** (31 मार्च, 2019 : 0.20 करोड़ रुपए) के घाटा भत्ता है।

ग) चल निधि जोखिम

समूह पर्याप्त रोकड़ और बाजारयोग्य प्रतिभुतियों के अनुरक्षण और प्रतिबद्ध ऋण क्रमों की पर्याप्त राशि के माध्यम से निधियों पर पहुंच बनाए रखकर चल निधि जोखिम का प्रबंधन करती है। कोष्ठ विभाग नियमित रुप से अनुमानों की तुलना में रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों की स्थिति की मॉनीटरिंग करते हैं। चल निधि स्थिति की समीक्षा करते समय वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं की परिपक्वता स्थितियों का आकलन और तुलन पत्र चल निधि अनुपात के अनुरक्षण पर विचार किया जाता है।समूह की निवेश नीति और नीति तथा कार्ययोजना का मुख्य ध्यान पूंजी का संरक्षण और समूह की चल निधि आवश्यकताओं को सहयोग प्रदान करना है। समूह का वरिष्ठ प्रबंधन समूह की निवेश नीति और इसके निवेश उद्देश्यों की उपलब्धि की निगरानी करती है। समूह विशिष्ट रुप से भारत सरकार के ऋण बांडों और म्युचुवल फंडों में ही निवेश करती है। नीति सामान्य रुप से निवेश ग्रेड की अपेक्षा करती है जिसका प्रमुख उद्देश्य मूल राशि घाटे के संभावित जोखिम को न्यूनतम करना है।एनएचएआई बांड के ब्याज की दर नियत होती है इसप्रकार इनको बांड उत्पादन दरों में परिवर्तन द्वारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा म्युचुवल फंड उच्च तरलता परिसंपत्तियां हैं, जिसका भुगतान मासिक आधार पर किया जाता है तथा इसमें पुनर्निवेश होता है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को		
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
उधार	-	615.31	1,230.61
व्यापार प्राप्य	589.19	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	2,958.87	407.84	-

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को		
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
उधार	-	640.00	1,920.00
व्यापार प्राप्य	565.49	-	-
अन्य वित्तीय देयताएं	2,302.31	345.14	-

घ) अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण

जोखिम संकेन्द्रण तब उत्पन्न होते हैं जब जब अनेक प्रतिपक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों या समान भौगोलिक क्षेत्र में करते हैं, या उनकी आर्थिक विशेषताएं ऐसी होती हैं जो आर्थिक, राजनैतिक या अन्य परिस्थितियों में परिवर्तन द्वारा उनके संविदागत दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। संकेन्द्रण एक विशिष्ट उद्योग को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के प्रति समूह के निष्पादन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाती है।

अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण से बचने के लिए समूह की नीतियों और प्रक्रियाओं में विशिष्ट दिशानिर्देश शामिल किए जाते हैं ताकि विविध पोर्टफोलियो को बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित कर सके। ऋण जोखिमों के चिह्नित संकेन्द्रणों को तदनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

शीर्ष पांच परियोजनाओं से सृजित राजस्व के संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	को समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
शीर्ष पांच परियोजनाओं से राजस्व	2,975.30	2,180.23
	2,975.30	**2,180.23**

ग. पूंजी प्रबंधन

अपनी पूंजी के प्रबंधन का समूह का उत्तेश्य निरंतर प्रचालन को सुनिश्चित और सुरक्षित रखने की अपनी क्षमता को जारी रखना है, ताकि समूह अपने शेयरधारकों को अधिकतम प्रतिफल प्रदान कर सके और अन्य स्टेकधारकों का लाभ दे सके। समूह ने निवेश के जन परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग/डीआईपीएएम द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नानुसार लाभांश का भुगतान किया है।

लाभांश : (रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 20	31 मार्च 19
प्रदत्त लाभांश	228.31	198.07
कुल	**228.31**	**198.07**

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 2 रूपए के फेस मूल्य पर प्रति शेयर 2.06 रूपए के अंतिम लांभांश की संस्तुति की है, जो एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।यह प्रति इक्विटी शेयर 10 रूपए के फेस मूल्य पर प्रति शेयर 13.45 रूपए की दर पर प्रदत्त अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है।

इसके आतरिक्त, समूह आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन और वित्तीय संविदाओं की अपेक्षाओं के आलाक में समायोजनों के करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करता है।

धारक कंपनी के 99,05,157 शेयरों के विनिवेश के भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरुप धारक कंपनी के शेयर दिनांक 28 सितंबर 2018 को एनएसई तथा बीएसई में सूचीबद्ध हो गए हैं और इससे प्राप्त धनराशि भारत सरकार को जाएगी।

वर्ष 2017–18 के दौरान समूह ने आईएफआरसी से ऋण लिए हैं, जो आगे आरएलडीए को दिया गया है जिसका पुनर्भुगतान आरएलडीए से प्राप्त राशि से किया जाएगा।

ऋण इक्विटी अनुपात :–

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 20	31 मार्च 19
ऋण (नोट सं 18.1)	1,845.92	2,560.00
दीर्घकालीन ऋण	**1,845.92**	**2,560.00**
इक्विटी(नोट सं 16)	94.05	94.05
अन्य इक्विटी (नोट सं़ 17)	4,077.27	3,870.17
कुल इक्विटी	**4,171.32**	**3,964.22**
ऋण इक्विटी अनुपात	**0.44**	**0.65**

32. (क) समेकित वित्तीय विवरण दिनांक 1 अप्रैल 2015 से आरंभ वित्तीय वर्ष से यथा लागू कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 129(3) और इसके अंतर्गत निर्मित नियमों की अपेक्षा के अनुसार तैयार किए जाते हैं। तदनुसार, कंपनी (जिसे धारक कंपनी भी कहा गया है), इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रम (संयुक्त रूप से समूह कहा गया है) निम्नानुसार समेकित वित्तीय विवरण पर विचार करता है:

क्र. सं.	सहायक कंपनी / संयुक्त उपक्रम का नाम	मूल राष्ट्र	प्रतिशत भाग	
			31.03.2020	31.03.2019
	सहायक कंपनी :			
1	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
2	इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
3	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
4	इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
5	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
	संयुक्त उपक्रमः			
1	इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
2	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
3	छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
4	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
5	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
6	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
7	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%

(ख) निकायों की वित्तीय विवरण जिनका प्रयोग कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि को समेकित करने के प्रयोजन से किया गया है।

(ग) जहां तक संभव है, समेकित वित्तीय विवरणों को समान लेखांकन नीतियों के प्रयोग द्वारा तैयार किया गया है जैसे संव्यवहार तथा समान परिस्थितियों में अन्य घटनाएं और इन्हें धारक कंपनी की पृथक वित्तीय विवरणों के समान रूप में तैयार किया गया है। धारक कंपनी या इसकी संयुक्त उपक्रम कंपनियों के लेखांकन नीतियों में अंतर, यदि कोई है, वो महत्वपूर्ण नहीं है।

33. इंड एएस–1 'वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण' द्वारा यथापेक्षित प्रकटन

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तन :

'पट्टों' पर निधित को इंड एएस 116 'पट्टे' के अनुप्रयोग के कारण महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में आशोधन।

इंड एएस 116 दिनांक 1 अप्रैल 2019 को अधिसूचित किया गया था जिसने इंड एएस 17 को प्रतिस्थापित किया है। इंड एएस 116 में पट्टों की स्वीकृति, मापन, प्रस्तुतीकरण और प्रकटन के सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं और इसमें अपेक्षित है कि पट्टाकार तुलनपत्र पर अधिकतर पट्टों को स्वीकार करे।

इंड एएस 116 के अंतर्गत पट्टादाता इंड एएस 17 से अपरिवर्तित रहा है। पट्टादाता पट्टाकार को प्रचालन या वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत करना जारी रखेगा जो इंड एएस 17 के समान सिद्धांतों के प्रयोग के अनुसार होगा। इसलिए, इंड एएस 116 का वहां पट्टों पर कोई प्रभाव नहीं है जहां समूह पट्टादाता है।

समूह दिनांक 1 अप्रैल 2019 के आरंभिक अनुप्रयोग तिथि से इंड एएस 116 को आशोधित पूर्ववर्ती विधि के रूप में स्वीकार करती है। इस विधि के अंतर्गत, यह मानक आरंभिक अनुप्रयोग की तिथि को स्वीकृत मानक के आरंभिक प्रयोग के संचयी प्रभाव से पूर्ववर्ती रूप से लागू होगा। समूह ने संव्यवहार पद्धति के प्रयोग का चयन यह पुनआंकलन करने के लिए नहीं किया कि क्या संविदा दिनांक 1 अप्रैल 2019 को पट्टा धारित करती है। इसके स्थान पर, समूह ने केवल उन संविदाओं पर मानक को लागू किया है जोपूर्व में इंड एएस 17 के प्रयोग वाले पट्टे के रूप में पूर्व में पहचाने गए थे।

दिनांक 1 अप्रैल 2019 को इंड एएस 116 को स्वीकार करने के प्रभाव (वद्धि /)कमी)) निम्नानुसार हैं :

(रुपए करोड़ में)

परिसंपत्तियां	राशि
प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियां	5.50
परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण	(5.29)
पूर्व भुगतान	-
कुल परिसंपत्तियां	**0.21**
देयताएं	
वित्तीय देयताएं – पट्टा देयताएं	0.21
कुल देयताएं	**0.21**

समूह ने भूमि, कार्यालय, गेस्टहाउस और वाहनों के लिए पट्टा संविदा किए हैं। इंड एएस–116 को स्वीकार करने से पूर्व, समूह ने वित्तीय पट्टे या प्रचालनपट्टे रूप में आरंभिक तिथि को अपने पट्टों (पट्टादाताओं) को वर्गीकृत किया है। इंड एस–116 का स्वीकार करने के उपरांत, समूह अल्पकालीन पट्टों को छोड़कर सभी पट्टों के लिए एकल स्वीकृत एवं मापन परिदृश्य को लागू कर रही है। इंड एएस–116 पर लेखांकन नीति का संदर्भ लें। यह मानक विशिष्ट पारगमन अपेक्षाओं और व्यवहारित त्वरितों को उपलब्ध कराती है, जिसे समूह द्वारा लागू किया गया है।

पट्टे जिन्हें पूर्व में वित्तीय पट्टों में वर्गीकृत किया गया

समूह ने पूर्व में वित्तीय पट्टों के रूप में वर्गीकृत पूर्ववर्ती पट्टों (यथा इंड एएस–17 के अंतर्गत स्वीकृत पट्टा परिसंपत्ति के समान प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियां) के लिए आरंभिक अनुप्रयोग की तिथि को स्वीकृत परिसंपत्तियों की आरंभि वहन राशि को परिवर्तित नहीं करती है। इंड एएस 116 की अपेक्षाएं दिनांक 1 अप्रैल 2019 से इन पट्टों पर लागू की गईं थीं।

पट्टे जिन्हें पूर्व में प्रचालीन पट्टों में वर्गीकृत किया गया

समूह प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं का स्वीकर करती है जोपूर्व में प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत थे, केवल अल्पकालीन पट्टों को छोड़कर। पट्टादाता शेष पट्टा भुगतानों, आरंभिक अनुप्रयोग की तिथि को पट्टादाता के संवर्धक ऋण दर का प्रयोग करके रियायत और पट्टा देयता के समान राशि पर प्रयोग परिसंपत्ति का अनुवर्ती मापन, पूर्व में स्वीकृत पूर्वप्रदत्त या संचित पट्टा भुगतानों हेतु समायोजित के रूप में स्वीकार करता है।

समूह उपलब्ध व्यवहारिक त्वरितों का भी अनुप्रयोग करती है जिसमें वह :

(i) समान युक्तिसंगत विशेषताओं पर पट्टों के पोर्टफोलियो में एकल रियायत दर का प्रयोग करती है।

(ii) आरंभिक अनुप्रयोग की तिथि से 12 माह के भीतर समाप्त होने वाली तथा कुल जहां कुल पट्टा अवधि 12 महीनों से कम है, वहां पट्टा अवधि वाले पट्टों पर अल्पकालीन पट्टा छूट लागू होगी।

(iii) इसमें आरंभिक आवेदन की तिथि को प्रयोग अधिकार परिसंपत्ति के मापन से आरंभिक प्रत्यक्ष लागतों को अलग रखा गया है।

(iv) पट्टा अवधि के निर्धारण में दूरदर्शिता का प्रयोग जहां संविदा में पट्टे को बढाने या समाप्त करने के विकल्प हों।

दिनांक 1 अप्रैल 2019 को पट्टा देयताओं को 31 मार्च 2019 को प्रचालन पट्टा प्रतिब'ताओं के रूप में समायोजित किया जा सकता है यथा निम्नानुसारः

(रुपए करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2019 को
परिसंपत्तियां	
31 मार्च 2019 को प्रचालन पट्टा प्रतिबद्धताएं	-
01 अप्रैल 2019 को वेटिड औसत संवर्धन ऋण	8.77%
01 अप्रैल 2019 को रियायती प्रचालन पट्ट प्रतिबद्धताएं	0.21
घटा :	
अल्पकालीन पट्टों संबंधी प्रतिबद्धताएं	-
जमाः	
31 मार्च 2019 को प्रचालन पट्टा प्रतिबद्धताओं में शामिल न किए गए नवीकरण अवधियों संबंधी पट्टा भुगतान	-
01 अप्रैल 2019 को पट्टा देयताएं	**0.21**

34. इंड एएस 8 'लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन' द्वारा अपेक्षित प्रकटन

(क) वर्ष के दौरान समूह ने 'पूर्व अवधि मदों' के संबंध में लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है। चालू वर्ष में अनावश्यक पूर्व अवधि मदों के समायोजन का निर्णय लिया गया है।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्श के लिए निम्नलिखित वित्तीय विवरण रेला मदों को लेखांकन नीति में परिवर्तन द्वारा प्रभावित किया गया था।

31 मार्च 2019 को तुलन पत्र

(रुपए करोड़ में)

क्र. स.	विवरण	संशोधित नीति के अनुसार	पूर्व नीति के अनुसार	प्रभाव
1	परिसंपत्ति संयंत्र और उपकरण	133.95	133.71	0.24
2	अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	1,759.89	1,751.30	8.59
3	व्यापार प्राप्य	565.49	565.66	(0.17)
4	अन्य इक्विटी	3,870.17	3,861.17	9.00

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र. स.	विवरण	संशोधित नीति के अनुसार	पूर्व नीति के अनुसार	प्रभाव
1	प्रचालन से राजस्व	4,798.43	4,789.84	8.59
2	मूल्यहास परिशोधन एवं हानि	51.61	51.85	(0.24)
3	परियोजना व्यय	3,783.09	3,783.26	(0.17)
4	वर्ष के लिए लाभ	450.07	441.07	9.00
5	प्रति शेयर मूल आमदनी	47.85	46.90	0.96
6	प्रति शेयर विलयित आमदनी	47.85	46.90	0.96

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र. स.	विवरण	संशोधित नीति के अनुसार	पूर्व नीति के अनुसार	प्रभाव
1	प्रचालन से राजस्व	5,391.51	5,400.10	(8.59)
2	मूल्यहास परिशोधन एवं हानि	82.94	82.70	0.24
3	परियोजना व्यय	4,097.48	4,097.31	0.17
4	वर्ष के लिए लाभ	485.31	494.31	(9.00)
5	प्रति शेयर मूल आमदनी	51.60	52.56	(0.96)
6	प्रति शेयर विलयित आमदनी	51.60	52.56	(0.96)

(क) उन्नत प्रकटन हेतु सभी नीतियों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इन परिवर्तनों के कारण वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तथापि, चालू वर्ष में यथापेक्षित नीति संख्या में परिवर्तन पुनर्व्यवस्था की गई है।

(ख) चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ सुगम्यता के संवर्धन हेतु तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों में कुछ पुनर्वर्गीकरण किए गए हैं।

(ग) पूर्ववर्ती आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से भिन्न दर्शाने हेतु उन्हें प्रकोष्ठ () में दर्शाया गया है।

35. कर्मचारी लाभ

इंड एएस 19 ''कर्मचारी लाभ'' के अनुपालन संबंधी प्रकटन निम्नानुसार हैः

(i) निर्धारित अंशदान योजना : सामान्य ब्यौरा

पेंशन

समूह ने सामान्य सेवानिवृत्ति की तिथि तक समूह में 15 वर्ष की सेवा (अन्य सीपीएसई मे सेवा सहित) पूरी करने वाले आईडीए के वेतनमान में वेतन प्राप्त करने वाले सभी नियमित कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.04.2009 से इरकॉन सुनिश्चित अंशदायी अधिवर्षिता पेशन योजना, 2009 क्रियान्वित की है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2015–16 मे सृजित पृथक ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसे आयकर

प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया है। दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2020 तक की सम्पूर्ण अवधि के लिए **8.97 करोड़ रूपए** समूह के अंशदान भाग का भुगतान कर दिया गया है और इसे वर्ष 2019–20 के दौरान लेखांकित किया गया है।

(ii) निर्धारित लाभ योजना : सामान्य ब्यौरा

भविष्य निधि

समूह एक पृथक ट्रस्ट को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि के नियत अंशदान का भुगतान करती है तथा यह ट्रस्ट इस निधि का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करेगी। ट्रस्ट के लिए यह अपेक्षित है कि वह ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर ब्याज के न्यूनतम दर का भुगतान करेगी। निवेशों पर लाभ सहित निधि में उपलब्ध राशि समूह के दायित्व से अधिक है। वर्ष के दौरान समूह ने ट्रस्ट में **12.36 करोड़ रूपए** (11.83 करोड़ रूपए) का अंशदान किया है।

उपदान

समूह ने अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, शारीरिक अक्षमता या मृत्यु के कारण अपने रोजगार को समाप्त करने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में कपनी के कर्मचारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इरकॉन ने कर्मचारी सामूहिक भविष्य निधि योजना को क्रियान्वित किया है। इस योजना का प्रबंधन इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2015–16 मे सृजित पृथक ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया। ट्रस्ट का प्रबंधन एलआईसी द्वारा किया जा रहा है। दिनांक 31.03.2020 को **3.35 करोड़ रूपए** की परिसंपत्तियों को बीमांकन आधार पर लेखा बहियों में बुक किया गया है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

समूह ने सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारियों (पति/पत्नी सहित) को अधिवर्षिता, चिकित्सा तथा अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2000–01 के दौरान 12 करोड़ रूपए के एकमुश्त अंशदान द्वारा एक अपरिहार्य ट्रस्ट की स्थापना की थी। यह एक स्वैच्छिक कल्याण उपाय होने के कारण समूह कर्मचारियों को यह लाभ उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। तथापि, समूह ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर **10.45 करोड़ रूपए** (9.27 करोड़ रूपए) का भी प्रावधान किया है।

अन्य सेवानिवृत्ति लाभ – सामान्य वर्णन

अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल हैं– गृह नगर या भारत में वह स्थान जहां वह अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, बैगेज भत्ता सहित व्यवस्था करना। इस खाते में देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर ली जाती है।31 मार्च 2020 को लाभ हानि विवरण और तुलनपत्र में स्वीकृत विभिन्न कर्मचारी लाभों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

i) निम्न के दौरान निर्धारित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रुपए करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अवधि के आरंभ में निर्धारित लाभ दायित्व	**341.76**	**295.51**	**83.73**	**82.04**	**101.20**	**95.74**	**1.28**	**1.29**
चालू सेवा लागत	43.39	43.25	4.13	3.97	3.57	3.54	0.07	0.06
पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत	29.60	22.16	6.28	6.15	7.59	7.18	0.10	0.10
प्रदत्त लाभ	(36.32)	(18.67)	(7.31)	(7.25)	(2.95)	(2.22)	(0.07)	(0.02)
दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि	1.80	(0.50)	(1.09)	(1.20)	1.56	(3.03)	(0.09)	(0.15)
अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	**380.23**	**341.76**	**85.76**	**83.71**	**110.96**	**101.20**	**1.28**	**1.28**

ii) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रुपए करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अवधि के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**345.51**	**296.12**	**79.69**	**67.97**	**83.52**	**71.28**	**-**	**-**
नियोक्ता और कर्मचारी का अंशदान	43.39	43.25	4.01	13.47	4.49	8.32	-	-
प्रदत्त लाभ	(36.32)	(18.67)	(7.31)	(7.25)	(2.95)	(2.22)	-	-
ब्याज लागत	27.89	29.36	6.35	5.83	6.01	5.35	-	-
ब्याज आय सहित योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-	-	-	-	-	0.80	-	-
एलआईसी मोर्टेलिटी प्रभार	-	-	(0.36)	(0.33)	-	-	-	-
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**380.48**	**350.06**	**82.39**	**79.69**	**91.07**	**83.52**	**-**	**-**

iii) योजना परिसंपत्तियों और निर्धारित लाभ दायित्वों का उचित मूल्य समायोजन :

(रुपए करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	380.48	350.06	82.39	79.69	91.07	83.52	-	-
निर्धारित लाभ दायित्व	380.23	341.76	85.76	83.71	110.96	101.20	1.28	1.28
तुलनपत्र में स्वीकृत राशि	**0.25**	**8.31**	**(3.37)**	**(4.03)**	**(19.90)**	**(17.68)**	**(1.28)**	**(1.28)**

iv) लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत राशि

(रुपए करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
चालू सेवा लागत	12.43	11.83	4.13	3.98	3.57	3.54	0.07	0.06
पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल ब्याज व्यय	-	-	0.30	1.08	1.33	1.83	0.10	0.10
लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत राशि	**12.43**	**11.83**	**4.44**	**5.05**	**4.89**	**5.37**	**0.16**	**0.16**

v) अन्य वृहत आय में स्वीकृत राशि :

(रुपए करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
भौगोलिक अनुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकक परिवर्तन	-	-	0.03	-	0.06	3.03	-	-
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकक परिवर्तन	(0.03)	-	(1.74)	-	(5.33)	0.80	(0.02)	-
संभावित समायोजन	(1.77)	0.50	2.80	1.20	3.72	-	0.11	0.15
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियो पर प्रतिफल	(1.71)	7.20	0.02	0.70	(0.26)	-	-	-
अन्य वृहत आय में स्वीकृत राशि	**(3.51)**	**7.70**	**1.11**	**1.91**	**(1.81)****	**3.83**	**0.09**	**0.15**

** (**1.81 करोड़ रूपए**) (3.83 करोड़ रूपए) के गैर स्वीकार्य बीमांकक लाभ / घाटे (ओआईसी) में सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) के प्रति है। चूंकि पीआरएमबी के संबंध में देयता को बीमांकक मूल्यांकन के रूप में प्रावधान नहीं किया गया है और इसे डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए, बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार पीआरएमबी के संबंध में ओसीआई पर विचार नहीं किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

vi) कुल योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य की योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार हैं:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		उपदान		सेवानिवृत्ति पूर्व चिकित्सा लाभ		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
भारत सरकार की प्रतिभूतियां	60.17%	63.41%	-	-	9.52%	10.50%	-	-
भारत सरकार की प्रतिभूतियां	-	-	-	-	30.86%	31.87%	-	-
केन्द्र राज्य गारंटित बांड	-	-	-	-	18.73%	21.03%	-	-
उच्च गुणवत्ता निगमित बांड	36.17%	34.78%	-	-	23.40%	25.83%	-	-
पीएसयू बांड	-	-	-	-	7.35%	2.68%	-	-
पीएसयू आधारित ।।। टीयर । बांड	-	-	-	-	8.25%	6.27%	-	-
ऋण म्युचुवल फंड	0.29%	-	-	-	-	-	-	-
आईटीएफ/इंडैक्स/इक्विटी म्युचवल फंड	3.37%	1.81%	-	-	1.89%	1.82%	-	-
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	-	-	100.00%	100.00%	-	-	-	-
कुल	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	-	-

vii) समूह की योजना के लिए पीएफ/उपदान/पीआरएमबी/सेवानिवृत्ति भत्ता देयता के निर्धारण में प्रयुक्त प्रधान अनुमान निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	भविष्य निधि 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	उपदान 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	उपदान 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	पीआरएमबी 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	पीआरएमबी 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	सेवानिवृत्ति भत्ते 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	सेवानिवृत्ति भत्ते 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
रियायत दन	**6.92%**	**7.50%**	6.92%	**7.50%**	6.92%	**7.50%**	6.92%	**7.50%**
भावी वेतन वृद्धि	-	-	7.50%	**8.00%**	7.50%	**8.00%**	7.50%	**8.00%**
मृत्यु दर	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2006-08)	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2006-08)	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2006-08)	100% आईएएलएम (2012-14)	100% आईएएलएम (2006-08)

viii) 31 मार्च के अनुसार ऊपर दर्शाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों हेतु मात्रात्मक संवेदी विश्लेषण निम्नानसुार :

(रुपए करोड़ में)

उपदान योजना	पीएफ योजना (डीबीओ पर प्रभाव)		उपदान योजना (डीबीओ पर प्रभाव)		पीआरएमबी (डीबीओ पर प्रभाव)		सेवानिवृत्ति भत्ते (डीबीओ पर प्रभाव)	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
अवधि के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	**380.23**	**341.76**	**85.71**	**83.70**	**110.96**	-	**1.28**	-
रियायत दर	-	-	-	-	-	-	**0.07**	**0.08**
0.50% की वृद्धि	(0.03)	(0.03)	(2.40)	(2.32)	(4.19)	-	(0.05)	-
0.50% की कमी	0.03	0.03	2.56	2.47	4.51	-	0.05	-
भावी वेतन वृद्धि	-	-	-	-	-	-	**0.08**	**0.08**
0.50% की वृद्धि	-	-	1.10	1.13	-	-	0.05	-
0.50% की कमी	-	-	(1.13)	(1.18)	-	-	(0.05)	-

उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण का निर्धारण उस विधि से किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उत्पन्न उपर्युक्त प्रमुख अनुमानों में युक्तिसंगत परिवर्तन के परिणामस्वरूप निर्धारित लाभदायित्वों पर प्रभाव को दर्शाते हैं।

मृत्यु और आहरण के कारण संवेदनशीलता सामग्रीगत नहीं है इसलिए परिवर्तन के प्रभाव का परिकलन नहीं किया जाता है।

मुद्रा स्फीति की दर, भुगतान में पेंशनों की दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशनों में वृद्धि की दर तथा जीवन संभाव्यता के प्रति संवेदनशीलता सेवानिवृत्ति के एकमुश्त लाभ के रूप में लागू नहीं है।

ix) अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए संभावित अंशदान

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए निर्धारित लाभ योजना के संभिावित अंधदान 25.68 करोड़ रूपए है।

x) निर्धारित लाभ दायित्वों की परिक्वता प्रोफाइल निम्नानुसार हैः

निर्धारित लाभ दायित्वों की अवधिःवर्ष	भविष्य निधि	उपदान	सेवानिवृत्ति पूर्व	सेवानिवृत्ति भत्ते
1	91.55	13.72	2.91	0.18
2	-	11.25	5.24	0.16
3	-	9.81	5.82	0.14
4	-	8.03	6.82	0.12
5	118.20	7.28	7.61	0.12
6	-	6.92	8.24	0.11
6 से आगे	170.27	28.71	74.34	0.45
कुल	**380.02**	**85.71**	**110.96**	**1.28**

जोखिम विश्लेषण

समूह को अनेक निर्धारित लाभ योजना के जोखिमों की संभावना हैं। निर्धारित लाभ योजनाओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जोखिम और इन जोखिमों के प्रभावों के सबंध में प्रबंधन का अनुमान निम्नानुसार हैः

ब्याज जोखिम

योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज दर में कमी योजना दायित्व में वृद्धि करती है।

दीर्घायु जोशिम/जीवनकाल संभाव्यता

निर्धारित लाभ योजना दायित्वों का वर्तमान मूल्य का परिकलन नियोजना के दौरान और अंत दोनों में योजना भागीदारों की मृत्युदर के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ द्वारा किया जाता है। योजना भागीदारों जीवनकाल संभाव्यता में वृद्धि से योजना दायित्व में वृद्धि होती है।

वेतन वृद्धि जोशिम

निर्धारित लाभ योजना दायित्व के वर्तमान मूल्य का परिकलन योजना भागीदारों के भावी वेतनों के संदर्भ में किया जाता है। योजना भागीदारों के वेतन में वृद्धि से योजना दायित्व में वृद्धि होती है।

36 संबंधित पक्षों सव्यवहार

इंड एएस 24 ''संबंधित पक्ष प्रकटन'' के अनुपालन में प्रकटन निम्नानुसार हैः

क) संबंधित पक्षों की सूची

(i) सहायक कंपनी

इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड
इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि.

(ii) संयुक्त उद्यम कंपनियां

इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड
छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड
छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड
इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(iii) गैर निगमित संयुक्त उपक्रम (संयक्त प्रचालन)

संयुक्त प्रचालन	**समाप्त संयुक्त प्रचालन**	**अंतत बंद संयुक्त प्रचालन**
इरकॉन एफकॉन	इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर	इरकॉन–कोब्रा–ईएलआईओपी
एक्सप्रेस फ्रंटियर कंसार्टियम	मेट्रो टनलिंग समूह	इरकॉनःश्री भवानी बिल्डर
एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसार्टियम		इरकॉनःएसएमजी प्रोजेक्ट जेवी
		इरकॉन गन्नन डंक्ले
		इरकॉनःआरसीएसःपिलफिडरर
		इरकॉनःएसपीएससीपीएल

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(iv) (क) प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक ;केएमपीद्ध

पूर्णकालीन निदेशक

नाम	पदनाम
श्री एस.के.चौधरी	सीएमडी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ)
श्री एम.के.सिंह	निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)
श्री श्याम लाल गुप्ता	निदेशक (परियोजना), 01.11.2019 से
योगेश कुमार मिश्र	निदेशक (कार्य)
श्री दीपक सबलोक	पूर्व निदेशक / परियोजना, जिन्होंने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.10.2019 को निदेशक और केएमपी का पद त्यांगा।

कंपनी सचिव

नाम	पदनाम
सुश्री रितु अरोड़ा	कंपनी सचिव

(ख) अन्य निदेशक

सरकारी नामिति अंशकालीन (सरकारी) निदेशक

नाम	पदनाम
श्री पियुष अग्रवाल	31.03.2020 को गैर–कार्यपालक निदेशक
श्री एस सी जैन	08 मई 2019 तक गैर–कार्यपालक निदेशक
श्री हरि मोहन गुप्ता	15 मई 2019 से गैर–कार्यपालक निदेशक

स्वतंत्र निदेशक

नाम	पदनाम
डॉ सी बी वेंकटरमणा	गैर–कार्यपालक निदेशक
डॉ नरेन्द्र सिहं रैना	गैर–कार्यपालक निदेशक
श्री अशोक कुमार गंजू	गैर–कार्यपालक निदेशक
श्री अविनिश माटा	15 जुलाई 2019 से 31.03.2020 तक गैर–कार्यपालक निदेशक पद पर पुनर्नियुक्ति
प्रो. वसुधा वी कामत	15 जुलाई 2019 से 31.03.2020 तक गैर–कार्यपालक निदेशक पद पर पुनर्नियुक्ति

(v) नियोजन पूर्व लाभ योजनाएं

इरकॉन उपदान ट्रस्ट

इरकॉन कर्मचारी भविष्य निधि न्यास

इरकॉन चिकित्सा न्यास

इरकॉन निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना, 2009 न्यास

(vi) सरकार संबंधी न्यास

धारक कंपनी रेल मंत्रालय के अधीन एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (सीपीएसई) है। धारक कंपनी भारत सरकार द्वारा नियंत्रित है जिसके पास दिनांक 31 मार्च 2020 को भारत के राष्ट्रपति के नाम 89.18 प्रतिशत इक्विटी शेयरों का धारिता है। इंड एएस 24 के पैरा 25 तथा 26 के अनुसरण में निकाय जिन पर समान सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है, तो रिपोर्टिंग निकाय और अन्यस निकाय संबंधित पक्ष माने जाते हैं। इन पक्षों के साथ संव्यवहारों को आर्म लैंथ आधार पर बाजार शर्तों पर निष्पादित किया जाता है। कंपनी ने सरकार संबंधी निकायों के लिए उपलब्ध छूट हेतु आवेदन किया है और इस संबंध में वित्तीयस विवरणों में सीमित प्रकटन किया है।

समूह के निम्नलिखित सरकार संबंधी न्यासों के साथ महत्वपूर्ण संव्यवहार हैं:

निकाय का नाम	संबंध
रेल मंत्रालय	नियंत्रण निकाय
रेल भूमि विकास प्राधिकरण	रेल मंत्रालयस के अधीन सांवधिक निकाय
भारतीय रेल वित्त निगम	रेल पीएसयू

ख) कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)/ निदेशकों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार हैं:

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
1	अल्पकालीन नियोजन लाभ (i)	3.27	1.89
2	अन्य दीर्घकालीन नियोजन लाभ	0.58	0.28
3	बैठक शुल्क	0.20	0.14
	कुल	**4.05**	**2.31**

नोट: (i) वित्तीय वर्ष 2019–20 के आंकड़ों में अनन्तिम आधार पर वित्तीय वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वर्ष के दौरान **1.02 करोड़ रूपए** के पीआरपी प्रावधान (वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 0.22 करोड़ रूपए के पीआरपी प्रावधान सहित जिसका भुगतान वित्तीय वर्ष 2016–17 में किया गया) शामिल हैं।

(ii) यथा अनुमेय निदेशकों से वसूली की गई है जिन्हे कंपनी के आवास और कार प्रदान की गई है।

अन्य पक्षों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
1	**वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री**				
1-1	**संविदा राजस्व**	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	332.19	379.01
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	21.70	14.84
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	21.75	14.83
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	9.49	11.48
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	21.19	-
		एक्सप्रेस फ्रंटियर कंसार्टियम	संयुक्त प्रचालन	355.86	224.85
		एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसार्टियम	संयुक्त प्रचालन	2.34	0.99
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	3,072.95	2,400.74
1-2	**किराया आय**	इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.03	0.03
2	**वस्तुओं और सेवाओं की खरीद**	–	–	–	–
3	**प्रतिनियुक्ति कर्मचारी व्यय, किराय एवं अन्य विविध व्यय (आय) की प्रतिपूर्ति**	इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.02	0.88
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.59	-
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.35	0.55
		इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.84	1.87
4	**ब्याज आय**				
4.1	**ऋण पर ब्याज आय**	छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	3.61	4.87
4.2	**अग्रिम पर ब्याज आय**	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	114.12	125.81
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.26	-
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	220.97	278.36
4.3	**बांड पर ब्याज आय**	भारतीय रेल वित्त निगम	सरकार संबंधी निकाय	22.10	22.07
5	**लाभांश**				
5.1	**लाभांश संवितरण**	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	203.61	176.64
5.2	**अंतरित लाभांश संवितरण**	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	2.15	5.04
6	**ब्याज व्यय**				
6.1	**अग्रिम ब्याज व्यय**				
6.2	**अग्रिम पर ब्याज व्यय**	भारतीय रेल वित्त निगम	सरकार संबंधी निकाय	220.35	278.36
7	**इक्विटी शेयरों में निवेश**	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	39.00
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	75.16
		इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	14.20	5.80
8	**ऋण मुक्त ब्याज (इक्विटी माने गए)**	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	50.00	-
9	**ऋणों की वसूली**	रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	615.30	615.30
10	**ऋणों का पुनर्भुगतान**	भारतीय रेल वित्त निगम	सरकार संबंधी निकाय	615.30	615.30

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
11	प्राप्त अग्रिम	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	3.67	22.36
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	9.17	11.30
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.98	5.82
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	1.19
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.26	-
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	1,538.70	1,433.97
12	अग्रिमों का पुनर्भुगतान	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	1,523.58	1,715.73
13	नियोजन पूर्व लाभ योजनाएं				
13.1	वर्ष के दौरान अंशदान	इरकॉन उपदान ट्रस्ट	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	4.01	13.45
		इरकॉन कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	43.39	28.27
		इरकॉन चिकित्सा न्यास	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	10.45	8.32
		इरकॉन निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना, 2009 न्यास	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	8.97	10.91
13.2	वर्ष के दौरान प्रतिपूर्तियां	इरकॉन उपदान ट्रस्ट	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	5.79	7.25

नोट (i) सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम कंपनियों तथा संयुक्त प्रचालनों के साथ गारंटियों और अन्य प्रतिबद्धताओं हेतु नोट 38 का संदर्भ लें।

(ii) रेल मंत्रालय से खरीद प्रक1ति में काल्पनिक है अतः गैर–तथ्यात्मक है। इस लिए प्रकट नहीं किया गया।

ग) संबंधित पक्षों के साथ बकाया शेष निम्नानुसार:

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
1	इक्विटी निवेश	इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	64.15	64.15
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	122.58	122.58
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	131.17	131.17
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.01	0.01
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	63.00	13.00
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	76.34	76.34
		इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	40.00	25.80
2	बांडों में निवेश	भारतीय रेल वित्त निगम	सरकार संबंधी निकाय	221.47	221.42
3	प्रदान ऋणों के प्रति वसूली योग्य राशि	छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	39.00	39.00
		श्री एस.के सिंह	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	0.00	0.01
4	ऋणों से इतर वसूलीयोग्य राशि				
4.1	व्यापार प्राप्य	इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.06	7.63
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	34.4	56.16
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	8.23	6.61
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	16.64	16.8
		एक्सप्रेस फ्रंटियर कंसार्टियम	संयुक्त प्रचालन	1.42	0
		एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसार्टियम	संयुक्त प्रचालन	134.72	7.89
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	19.29	0
4.2	संविदा परिसंपत्तियां				
(क)	बिलयोग्य राजस्व/प्राप्य जो देय हैं और वसूलीयोग्य मूल्य पर सीडब्ल्यूआईपी	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	26.68	54.60
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	21.41	31.17
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	21.19	-
		एक्सप्रेस फ्रंटियर कंसार्टियम	संयुक्त प्रचालन	91.43	-
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	25.95	9.58
(ख)	प्रतिधारण राशि एवं आहरित राशि	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	2.28	-
		एक्सप्रेस फ्रंटियर कंसार्टियम	संयुक्त प्रचालन	32.04	-
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	0.81	0.81

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	संव्यवहार की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
4.3	**वसूलीयोग्य अग्रिम और दावे**	इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.02	-
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.60	0.24
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	1.40	1.04
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	0.04
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.56	-
		इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.99	0.96
		इरकॉन एफकॉन	संयुक्त प्रचालन	29.43	-
		इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रैक्टर	संयुक्त प्रचालन	3.66	3.62
		मेट्रो टनलिंग समूह	संयुक्त प्रचालन	4.37	4.20
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	2,485.87	3,106.98
4.4	**ऋणों पर संचित ब्याज**	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	8.15	4.4
4.5	**अग्रिमों पर संचित ब्याज**	रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार संबंधी निकाय	212.85	274.42
4.6	**बांडोंपर संचित ब्याज**	भारतीय रेल वित्त निगम	सरकार संबंधी निकाय	17.86	17.83
4.7	**न्यासों से वसूलीयोग्य**	इरकॉन उपदान ट्रस्ट	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	5.8	2.92
5	**ऋणों**	भारतीय रेल वित्त निगम	सरकार संबंधी निकाय	2461.23	3076.53
6	**के प्रति देय राशि**				
6.1	**व्यापार प्राप्य**	इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	0.09
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	0.10	-
6.2	**संविदागत दायित्व (अग्रिम एवं अग्रिम संविदा प्राप्तियां)**	रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	1303.94	1780.7
		इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	44.55	45.00
		छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	57.11	70.84
		छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	30.35	32.05
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.98	5.82
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	1.19
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.26	-
		एक्सप्रेस फ्रंटियर कंसार्टियम	संयुक्त प्रचालन	148.61	-
6.3	**ग्राहकों को अन्य देय**	इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	-	0.09
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	651.36	458.74
6.4	**ऋणों पर देय ब्याज**	भारतीय रेल वित्त निगम	सरकार संबंधी निकाय	210.0	272.77
6.4	**अग्रिमों पर देय ब्याज**	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियां	0.26	-
		रेल मंत्रालय	सरकार संबंधी निकाय	204.81	-
6.5	**न्यासों को देय**	इरकॉन उपदान ट्रस्ट	नियोजन पश्चात लाभ योजनाएं	3.32	4.01

घ) संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार की शर्तें एवं निबंधन

(i) संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहारों को आर्म लैंड संव्यवहारा में प्रचलित समतुल्य शर्तों के अनुसार किया गया है।

(ii) वर्ष के अंत में संबंधित वक्षों के बकाया शेष अरक्षित हैं और इन्हें बैंक संव्यवहारों के माध्यम से निपटाया गया है। ऋणों से इतर अन्य शेष और ब्याज धारित अग्रिम ब्याज मुक्त हैं।

(iii) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को ऋण सभी अन्य कर्मचारियों पर लागू शर्तों और निबंधनों के आधार पर हैं।

37. प्रति शेयर आमदनी

इंड एएस 33 ''प्रति शेयर आमदनी'' के अनुसार प्रकटन

मूल ईपीएस की राशि का परिकलन मूल इक्विटी धारकों को आरोप्य लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की औसत संख्या के वेटेज द्वारा भाग करके किया जाता है।

विलयित ईपीएस का परिकलन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के वेटेज औसत संख्या जमा इक्विटी शेयरों के वेटेड औसत संख्या जो सभी विललियत संभावित इक्विटी शेयरों के इकिवटी शेयरों में परिवर्तन पर जारी किया जाएगा, के प्रभाव पर विचार करने के पश्चात इक्विटी धारकों के प्रति वर्ष हेतु लाभ से विभाजित करके किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(i) मूल एवं विलयित आमदनी प्रति शेयर (रूपए में)

विवरण	नोट	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
इक्विटी धाराकें के प्रति लाभ (रूपए करोड में)	(ii)	485.31	450.07
मूल और विलयित ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या (संख्या में)	(iii)	940,51,574	940,51,574
प्रति शेयर आमदनियां (मूल)		51.60	47.85
प्रति शेयर आमदनियां (विलयित)		51.60	47.85
प्रति शेयर फेस मूल्य		10.00	10.00

(ii) इक्विटी शेयरों के प्रति लाभ (संख्यक के रूप में प्रयुक्त) (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार वर्ष का लाभ	485.31	450.07
ईपीएस के परिकलन हेतु प्रयुक्त समूह के शेयरधारकों के प्रति लाभ :	**485.31**	**450.07**

(iii) इक्विटी शेयरों के वेटिड औसत संख्या (संख्यक के रूप में प्रयुक्त) (रूपए करोड में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
जारी इक्विटी शेयरों का आरंभिक शेष	940,51,574	940,51,574
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयर	-	-
मूल ईपीएस के परिकलन के लिए इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या	**940,51,574**	**940,51,574**
विलयित प्रभाव :		
जमा : वर्ष के दौरान बकाया संभावित इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या	-	-
विलयित ईपीएस परिकलन हेतु इक्विटी शेयरों की वेटेड औसत संख्या	**940,51,574**	**940,51,574**

38. परिसंपत्तियों की हानि

वर्ष के दौरान, समूह ने समूह (भारतीय लेखांकन मानक) के नियम 3 तथा समूह (भारतीय लेखांकन मानक), संशोधन नियम 2016 के साथ पठित समूह अधियिम 2013 के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत अधिसूचित इंड एएस 36 ''परिसंपत्तियों की हानि'' की शर्तों के अनुसार निवल वसूलीयोग्य मूल्य और वहन लागत के निम्नतर के आधार पर वसूलीयोग्य राशि का परिकलन द्वारा व्यक्तिगत परिसंपत्तियों की हानि का मूल्यांकन किया है। तदनुसार शून्य (शून्य) की हानि के लिए प्रावधान किया गया है।

39. प्रावधान, आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

(i) **प्रावधान**

इंड एएस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसार वर्ष के दौरान प्रावधानों में संचलन और प्रावधानों की प्रकृति का प्रकटन नोट 19 में किया गया है।

(ii) **आकस्मक देयताएं**

इंड एएस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकसमिक परिसंपत्तियों के अनुसार आकस्मिक देयताओं का प्रकटन निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2019 को	वर्ष के दौरान संवर्धन	वर्ष के दौरान निपटाए गए दावे			31 मार्च 2020 को
					आरंभिक शेष में से	वर्ष के दौरान संवर्धन में से	वर्ष के दौरान निपटाए कुल दावे	
क)	**समूह के विरूद्ध दावे जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया :**							
	विवादित प्रत्यक्ष कर मांग							
	(i) समूह के संबंध में	1	237.25	115.42	(49.20)	-	(49.20)	**303.47**
	(ii) संयुक्त प्रचालनों में	2	0.24	-	-	-	-	**0.24**
	विवादित अप्रत्यक्ष मांग							
	(i) समूह के संबंध में	3	357.81	52.41	(13.28)	-	(13.28)	**396.94**
	(ii) संयुक्त प्रचालनों में	4	4.25	-	-	-	-	**4.25**
	विधिक मामले							
	(i) समूह के संबंध में	5	493.73	136.57	(119.98)	-	(119.98)	**510.32**
	(ii) संयुक्त प्रचालनों में	6	0.02	-	-	-	-	**0.02**
	कर्मचारियों द्वारा दावे	7	2.43	-	-	-	-	**2.43**
ख)	**की ओर से समूह द्वारा जारी गारंटी वित्तीय गारंटियों को छोडकर**							
	सहायक कंपनियाँ	8	4.02	5.98	-	-	-	10.00
	संयुक्त प्रचालन	9	1.40	-	-	-	-	**1.40**
ग)	**अन्य राशि जिसके लिए समूह आकस्मिक रूप से दायी है** ग्राहक द्वारा समय विस्तार हेतु आवेदन के निपटान के लिए लंबित तरलीकृत क्षति		9.27	-	-	-	-	**9.27**
	कुल		**1,110.42**	**310.38**	**(182.46)**	**-**	**(182.46)**	**1,238.34**

फुट नोट

1 आयकर प्राधिकरण ने विभिन्न मूल्यांकन वर्षों के संबंध में विभिन्न आपत्तियों के लिए मांग उत्पन्न की है। इनमें से कई मामले समूह के पक्ष में न्यायाधीन हुए हैं कि किन्तु संबंधित विभिन्नों ने उच्चतर प्राधिकरणोां में इन मुद्दों को उठाया है। समूह इन मांगों को विरोध कर रही है, जो विभिन्न अपील स्तरों पर लंबित हैं। स्वतंत्र कर विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर और इन अपीलों की गतिविधियों के आधार पर, प्रबंधन को विश्वास है कि अपील प्रक्रिया के पूरा होने पर मांग किए गए अतिरिक्त कर को निरस्तर कर दिया जाएगा और तदनुसार, अपील प्राधिकारयों द्वारा लंबित निर्णय लिया जाएगा, एवं इन वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

2 इंटरनेशनल मेट्रो टनलिंग ग्रुप, समूह के संयुक्त प्रचालन के मामले में, आयकर प्राधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2010–11, 2012–13 तथाा 2013–14 के लिए वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए उत्पाद शुल्क के संबंध में आय खाते में **0.24 करोड रूपए** (0.24 करोड रूपए) की मांग उत्पन्न की है जिसे बाद में वर्षों में घोषित किया गया था। संयुक्त प्रचालन ने उक्त वित्तीय वर्षों के लिए इन मांगों के विरूद्ध उपयुक्त अपील प्राधिकरणों के समक्ष अपीलें दायर की हैं। समूह संयुक्त प्रचालन में हित के भाग के अनुसार उक्त मांग के लिए संयुक्त रूप से दायी है। यह निर्णय अपील प्राधिकरणों के समक्ष लंबित है और इसलिए, वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3 उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवाकर, वेट आदि के संबंध में प्राधिकारियों के समक्ष विभिन्न विवाद लंबित हैं। समूह संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई इन मांगों का विरोध कर रही है और ये मामले विभिन्न अपील प्राधिकरणों के समक्ष लंबित हैं। अपील के आधार पर तथा स्वतंत्र कर विशेषज्ञों की सलाह पर, प्रबंधन को विश्वास है कि विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष संबित इन मामलों में सफल होने के युक्तिसंगत कारण हैं। उपर्युक्त मामलों के अंतिम निर्णय के लिए लंबित होने पर, वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किए गए हैं। **293.45 करोड रूपए** (110.44) करोड रूपए सहित उपर्युक्र विवादित अप्रत्यक्ष कर मांगों, जिनकी प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की गई है और **202.34 करोड रूपए** (167.82 करोड रूपए) की प्रतिपूर्ति ग्राहकों से की गई है।

4 इंटरनेशनल मेट्रो टनलिंग ग्रुप, समूह के संयुक्त प्रचालन के मामले में, श्रम व्ययों के गैर प्रावधान के कारण **4.25 करोड रूपए** (4.25 करोड रूपए) की राशि के बिक्री कर प्राधिकारियों के समक्ष विवादित मांग लंबित हैं। संयुक्त प्रचालन ने इन मांगों के विरूद्ध उपयुक्त अपील प्राधिकरणों के समक्ष अपीलें दायर की हैं। यह निर्णय अपील प्राधिकरणों के समक्ष लंबित है और इसलिए, वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

5 समूह निर्माण संविदा शर्तों संबंधी विभिन्न विवादों में विभिन्न विधिक मुकदमों में एक पक्ष है जो भारत और विदेश में विभिन्न न्यायालयों और मध्यस्थता प्रक्रियाओं के समक्ष लंबित है। कुछ ठेकेदारों ने संविदा मूल्यों में संवर्धन, मूल्य संवर्धन सहित संशोधित कार्य अनुसूची, कार्य के विस्तारित अवधि, निष्क्रीय प्रभर आदि के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु समूह पर दावों प्रस्तुत किए हैं। इन दावों का समूह द्वारा विरोध किया जा रहा है क्योंकि ये संबंधित संविदाओं के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार अनुमेय नहीं हैं। **613.84 करोड रूपए** (579.51 करोड रूपए) के कुल दावों में से 103.52 करोड रूपए (85.79 करोड रूपए) के प्रावधान किए गए हैं और शेष **510.32 करोड रूपए** (493.73 करोड रूपए) के शेष दाों को आकस्मिक देयता

के रूप में दर्शाया गय है। समूह ने **137.11 करोड रूपए** (185.79 करोड रूपए) की राशि के लिए संविदा की शर्तों के अनुसार अनुमेय ठेकेदारों पर प्रति दावे दायर किए हैं। इन दावों पर ब्याज पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि ये अनिश्चित हैं।

6 एक ठेकेदार यथा, मैसर्स साई इंजीनियर्स ने संविदा की षर्तों पर विवाद हेतु 0.02 करोड रूप्ए (0.02 करोड रूपए) की राषि के लिए इंटरनेषनल मेट्रो सिविल ठेकेदार के विरूद्व मुकदमा दायर किया है। अपील अधिकरण के समक्ष मामला लंबित है और इसलिए, वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

7. समूह के विरूद्ध न्यायालयों में कर्मचारियों/अन्यों के संबंध में कुछ मामले लंबित हैं, जिनके संबंध में देयताओं को निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, 2.43 करोड रूपए (2.43 करोड रूपए), जो इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड, कर्मचारियों से संबंधित एक सहायक कंपनी से संबंधित हैं।

8 धारक कंपनी ने ग्राहाकों को निष्पादन गारंटी के लिए **10.00 करोड रूपए** (4.02 करोड रूपए) की राशि हेतु अपनी सहायक समूह इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड की ओर से बैंक गारंटी दी है।

9 धारक कंपनी ने उदमपुर : कटरा खंड पर ब्राड गेज बेलेस्टलेस रेलपथ के अभिकल्प और निमार्ण के निष्पादन हेतु **1.40 करोड रूपए** (1.40) करोड रूपए की राशि के लिए इरकॉन–आरसीएस–पिलफिडरर, संयुक्त प्रचालन की ओर से बैंक गारंटी दी है।

(iii) आकस्मिक परिसंपत्तियां

इंड एएस 37–प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटन निम्नानुसार है:

क) षसमूह द्वारा अपने कुछ ग्राहकों पर दावे प्रस्तुत किए गए हैं और मध्यस्थताओं द्वारा इन्हें समूह के पक्ष में प्रदान किया गया है, जिसके प्रति ग्राहक न्यायालय में चले गए हैं और इन्हें प्राप्य के रूप में लेखांकित नहीं किया गया है यथा **419.46 करोड रूपए** (398.57 करोड रूपए) जिसमें प्रदान मध्यस्थता के अनुसार 31.03.2020 तक परिकलित ब्याज शामिल है।ष

ख) समूह द्वारा उप ठेकेदार पर प्रति दावा दायर किया गया और इसे मध्यस्थता द्वारा समूह के पक्ष में निर्णय दिया गया, जिसके विरूद्ध वे न्यायालय में गए और इसे प्राप्यों के रूप में लेखांकिन नहीं किया गया है यथा **22.81 करोड रूपए** (19.96 करोड रूपए)।

ग) समूह के पक्ष में इथोपिया के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार दिनांक 31.03.2020 तक परिकलित ब्याज सहित **0.87 अमरीकी डालर** (0.86एमएन अमरीकी डॉलर) तथा इथोपियन बिरर **1.10 एमएन** (1.05 एमएन बिर) समतुल्य **6.80 करोड रूपए** (6.14 करोड रूपए) के बीमा दावे का निर्णय समूह के पक्ष में दिया है, जो इथोपिया के उच्च न्यायालय द्वारा आदेश निष्पादन स्तर पर लंबित है।

(iv) प्रतिबद्धता

(रुपए करोड़ में)

	विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
क)	**पूंजी प्रतिबद्धताएं**			
	पूंजी खाते पर निष्पाादन हेतु शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य/अग्रिम का निवल और इनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है:	1	576.51	1,137.13
ख)	**अन्य प्रतिबद्धताएं**			
(i)	सहायक कंपनियों में इक्विटी और ऋण के माध्यम से निधियत प्रतिबद्धता	2	61.70	111.70
(ii)	सहायक कंपनियों के लिए काउंटर बैंक गारंटी	3	158.75	145.27
(iii)	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड की अन्य प्रतिबद्धताएं	4	798.67	1377.73
(iv)	इरकॉन शिवुरी गूना टोलवे लिमिटेड की अन्य प्रतिबद्धताएं	5	526.60	547.80
	कुल		**2,122.23**	**3,319.63**

फुटनोटः

(रुपए करोड़ में)

1

क्र.सं	पूंजी प्रतिबद्धता	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
1	परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि	2.01	47.59
2	निवेश परिसंपत्तियां पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि	24.74	8.56
3	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि	131.26	326.67
4	निर्माणाधीन वित्तीय परिसंपत्तियां पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि	418.50	754.31
	कुल	**576.51**	**1,137.13**

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	सहायक कंपनियों का नाम	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 20190 को	
		इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण
1	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	36.28	-	36.28	-
2	छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	0.13	-	0.13	-
3	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	1.29	-	1.29	-
4	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	0.01	-	0.01	-
5	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड '	-	-	-	50.00
6	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	24.00	-	24.00	-
	कुल	**61.70**	**0.00**	**61.70**	**50.00**

3 **500 करोड रूपए** (500 करोड रूपए) की राशि के लिए सहायक कंपनियों को बैंक गारंटी जारी करने के लिए इंडयन ओवरसीस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को काउंटर गाकरंटी। **500.00 करोड रूपए** की कुल सीमा में से, इंडियन ओवरसीस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने **341.25 करोड रूपए** (354.73 करोड रूपए) के स्तर तक बैंक गारंटियां जारी की हैं। इसलिए, बैंक गारंटियों को जारी करने की शेष सीमा **158.75 करोड रूपए** (145.27 करोड रूपए) है।

4 इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के मामले में, अनुमानि संदिा की शेष राशि जिनका अन्य प्रतिबद्धताओं में लेखांकन किया गया है **798.67 करोड रूपए** (1377.73 करोड रुपए)।

5 इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के मामले में, एनएचएआई के साथ रियायत करार के अनुार, समूह टोल रोड की रियात अवधि की समाप्ति तक समतुल्य रियायत शुल्क का भुगतान समूह को करने के लिए दायी है यथा **526.60 करोड रूपए** (547.80 करोड रूपए)

40. खण्ड रिपोर्टिंग

इंड एएस–108 ''प्रचालन सेगमेंट के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार हैः

क. सामान्य सूचना

प्रचालन सेगमेंटों को उपक्रम के उस घटक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे लिए विशिष्ट वित्तीय सूचना उपलब्ध है जिसकी मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन कियाजाता है, यह निर्णय लेने के लिए कि संसाधनां का आवंटन और निष्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाए। कंपनी की निदेशक मंडल मुख्य प्रचालन निर्णय निर्धारक है। प्रचालन क्षेत्रों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वे मुख्य प्रचालन नीति निर्धारक (सीओडीएम) को उपलब्ध कराई गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप हो। कंपनी ने भौगोलिक दृष्टिकोण से उल्लेखनीय प्रचालन क्षेत्र का निर्धारण किया है।

ख. रिपोर्टेबल क्षेत्रों तथा वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित राशि के समाधान के संबंध में सूचनाः

(रुपए करोड़ में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
सेगमेंट राजस्व						
बाहरी ग्राहकों से राजस्व	450.01	592.78	4,941.50	4,205.65	5,391.51	**4,798.43**
ब्याज आय	5.34	5.61	95.99	136.15	101.33	**141.76**
अन्य आय	27.93	13.51	18.91	35.91	46.84	**49.42**
अंतरःसेगमेंट	-	-	-	-	-	-
कुल राजस्व	**483.28**	**611.90**	**5,056.40**	**4,377.71**	**5,539.68**	**4,989.61**
सेगमेंट परिणाम						
प्रावधान, मूल्यह्रास, ब्याज, आपवादिक मद और कर से पूर्व लाभ	204.26	36.50	579.97	761.92	784.23	**798.42**
घटाः प्रावधान और बट्टा खाता	(7.02)	7.48	(34.07)	(148.48)	(41.09)	**(141.00)**
घटाः मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	(3.81)	(4.16)	(79.13)	(47.45)	(82.94)	**(51.61)**
घटाः ब्याज	-	-	(18.65)	(3.09)	(18.65)	**(3.09)**
जमाः इक्विटी विधि के प्रयोग हेतु संयुक्त उपक्रम के निवल लाभ का भाग	-	-	30.44	21.54	30.44	**21.54**
कर पूर्व लाभ	**193.43**	**39.82**	**478.56**	**584.44**	**671.99**	**624.26**
घटाः कर व्यय	(28.45)	(19.80)	(158.23)	(154.39)	(186.68)	**(174.19)**
कर पश्चात लाभ	**164.98**	**20.02**	**320.33**	**430.05**	**485.31**	**450.07**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

ग अन्य सूचना

(रुपए करोड़ में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
कुल परिसंपत्तियां	647.29	601.44	12,231.07	12,717.02	**12,878.36**	**13,318.46**
कुल देयताएं	576.76	613.76	8,130.28	8,740.48	**8707.04**	**9,354.24**
इंक्विटी विधि द्वारा संयुक्त उद्यमों में निवेश	-	-	512.06	417.43	**512.06**	**417.43**
वित्तीय माध्यमों आस्थगित कर परिसंपत्तियां, निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्तियां से इतर गैर–चालू परिसंपत्तियां	29.47	32.33	2,111.49	2,068.95	**2,140.96**	**2,101.28**
पूंजीगत व्यय (पीपीई, सीडब्ल्युआईपी, निवेश परिसंपत्ति, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां तथा विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां)	0.23	0.77	211.90	1,805.61	**212.13**	**1,806.38**

घ. प्रमुख ग्राहकों के संबंध में सूचना :

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, घरेलू क्षेत्र में एकल बाहरी ग्राहक से लगभग 55.51 प्रतिशत (51.38 प्रतिशत) प्रचालन राजस्व अर्जित किया गया है।

41. अन्य निकायों में हित का प्रकटन

इंड एएस 112 "अन्य निकायों के हित का प्रकटन" के अनुपालन में प्रकटन :

(क) सहायक कंपनियों में निवेश

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान एवं निगमन का देश	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	वोटिंग अधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	वोटिंग अधिकार का अनुपात
1	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
2	इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
3	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
4	इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
5	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि.	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00

(ख) संयुक्त प्रचालनं में निवेश

संयुक्त प्रचालनों में निवेश को लागत पर लेखांकित किया गया है:

क्र. सं.	संयुक्त प्रचालन का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान एवं निगमन का देश	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	वोटिंग अधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	वोटिंग अधिकार का अनुपात
i)	**प्रचालन में परियोजना हेतुः**					
	इरकॉन एफकॉन	बांग्लादेश	53.00	53.00	53.00	53.00
	एक्सप्रेस फ्रंटियर कंसार्टियम	गुजरात एवं महाराष्ट्र, भारत	30.00	30.00	30.00	30.00
	एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसार्टियम	महाराष्ट्र, भारत	30.00	30.00	30.00	30.00
ii)	**समाप्त संयुक्त प्रचालन**					
	इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांट्रेक्टर	दिल्ली एनसीआर, भारत	9.50	9.50	9.50	9.50
	मेट्रो टनलिंग समूह	दिल्ली एनसीआर, भारत	9.50	9.50	9.50	9.50
iii)	**अंतत बंद संयुक्त प्रचालन**					
	इरकॉन–कोब्रा–ईएलआईओपी	दिल्ली एनसीआर, भारत	61.22	61.22	61.22	61.22
	इरकॉनः श्री भवानी बिल्डर	चेन्नई, भारत	24.21	24.21	24.21	24.21
	इरकॉनः एसएमजी प्रोजेक्ट जेवी	तमिलनाडु, भारत	55.00	55.00	55.00	55.00
	इरकॉन गन्नन डंक्ले	उत्तर प्रदेश, भारत	55.70	55.70	55.70	55.70
	इरकॉनः आरसीएसः पिलफिडरर	जम्मू और कश्मीर, भारत	65.08	65.08	65.08	65.08
	इरकॉनः एसपीएससीपीएल	जम्मू और कश्मीर, भारत	50.00	50.00	50.00	50.00
	रिकॉन	दिल्ली एनसीआर, भारत	49.00	49.00	49.00	49.00

(ग) संयुक्त उपक्रम कंपनियों में निवेश

क्र. सं.	संयुक्त उपक्रम कंपनी का नाम	व्यवसाय का प्रमुख स्थान एवं निगमन का देश	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को		लेखांकन विधि
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	वोटिंग अधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	वोटिंग अधिकार का अनुपात	
1	इरकॉन सोमा टोलवे लिमिटेड	महाराष्ट्र, भारत	50.00	50.00	50.00	50.00	इक्विटी विधि
2	छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	छत्तीसगढ, भारत	25.91	26.00	27.79	26.00	इक्विटी विधि
3	छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	छत्तीसगढ, भारत	26.02	26.00	26.02	26.00	इक्विटी विधि
4	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	ओडीश, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00	इक्विटी विधि
5	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	झारखंड, भारत	23.59	26.00	26.00	26.00	इक्विटी विधि
6	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00	इक्विटी विधि
7	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	दिल्ली एनसीआर, भारत	50.00	50.00	50.00	50.00	इक्विटी विधि

(घ) संयुक्त प्रचालनों में वित्तीय हित (कंपनी के शेयर के स्तर तक)

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त संयुक्त प्रचालन के नाम							
		इरकॉन–एफकॉन		इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कांटैक्टर		मेट्रो टनलिंग		कुल	
		2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
	वर्ष के अंत में:								
1	**परिसंपत्तियां**								
	पीपीई	-	-	-	-	-	-	-	-
	प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	-	-	-	-	-	-	-	-
	अन्य परिसंपत्तियां	29.43	29.47	4.61	4.65	4.81	4.64	**38.85**	**38.76**
2	**देयताएं**								
	प्रावधान	0.18	0.18	0.04	0.08	0.37	0.34	**0.59**	**0.60**
	अन्य देयताएं	-	-	0.91	0.95	0.07	0.10	**0.98**	**1.05**
	वर्ष के अंत में:								
3	कुल आय	-	5.35	0.09	0.91	0.31	0.30	**0.39**	**6.56**
4	कुल व्यय	0.04	3.17	0.00	0.05	0.01	0.02	**0.05**	**3.24**
5	कुल कर	-	-	0.04	0.08	0.13	0.11	**0.17**	**0.19**
6	कर पूर्व लाभ	(0.04)	2.18	0.05	0.78	0.17	0.17	**0.18**	**3.13**
7	अन्य वृहत आय	-	-	-	-	-	-	-	-
8	कुल वृहत आय	-	-	-	-	-	-	-	-

फुट नोटः संयुक्त प्रचालनों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को नोट 39 में प्रकट किया गया है।

(ड) संयुक्त उपकम कंपनियों का सारबद्ध तुलनपत्र

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बस्तर रेल प्रा.लि. (बीआरपीएल)		छत्तीसगढ ईसट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)		छत्तीसगढ ईसट वेस्ट रेलवे (सीईडब्ल्यूआरएल)		इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.	
		31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
1	गैर चालू परियंपत्तियां	250.83	250.87	2109.48	1573.54	662.55	623.58	92.72	42.10
2	चालू परियंपत्तियां	60.50	59.20	261.08	159.32	33.17	22.09	128.72	51.67
	कुल परिसंपत्तियां (क)	**311.33**	**310.06**	**2,370.56**	**1,732.86**	**695.72**	**645.67**	**221.44**	**93.77**
3	गैर चालू देयताएं	-	-	1,771.37	1,249.28	168.56	112.46	15.94	0.10
4	चालू देयताएं	17.27	17.20	59.92	43.29	23.80	29.73	46.27	16.39
	कुल देयताएं (ख)	**17.27**	**17.20**	**1,831.29**	**1,292.57**	**192.36**	**142.20**	**62.21**	**16.48**
5	**निवल परिसंपत्तियां (क–ख)**	**294.06**	**292.87**	**539.27**	**440.29**	**503.36**	**503.47**	**159.23**	**77.29**
	क) रोकड और रोकड समतुल्य	53.68	54.08	144.11	50.71	17.13	9.35	25.33	1.17
	ख) वित्तीय देयताओं सहित (व्यापार प्राप्य और अन्य देय किन्तु प्रापधान को छोडकर)	17.27	17.20	59.33	42.19	22.68	28.25	41.16	12.24

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	इरकॉनः सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड		झारखंड सेंट्रल रेल लिमिटेड		महानदी कोल रेल लिमिटेड	
		31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
1	गैर चालू परियंपत्तियां	349.32	406.91	177.25	165.04	71.23	44.01
2	चालू परियंपत्तियां	360.26	207.30	66.28	27.10	0.56	0.12
	कुल परिसंपत्तियां (क)	**709.57**	**614.20**	**243.54**	**192.14**	**71.78**	**44.13**
3	गैर चालू देयताएं	357.95	505.86	136.59	136.59	-	-
4	चालू देयताएं	198.59	21.90	50.01	0.04	72.59	44.11
	कुल देयताएं (ख)	**556.54**	**527.76**	**186.60**	**136.63**	**72.59**	**44.11**
5	**निवल परिसंपत्तियां (क–ख)**	**153.03**	**86.44**	**56.94**	**55.51**	**(0.81)**	**0.02**
	क) रोकड और रोकड समतुल्य	6.81	2.31	66.06	26.89	0.52	0.11
	ख) वित्तीय देयताओं सहित (व्यापार प्राप्य और अन्य देय किन्तु प्रापधान को छोडकर)	97.53	20.46	-	-	72.52	44.05

(च) संयुक्त उपक्रम कंपनियों के लाभ और हानि का सारबद्ध विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड		छत्तीसगढ ईसट रेलवे लिमिटेड		छत्तीसगढ ईसट वेस्ट रेलवे		इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
		2019 - 20	2018 - 19	2019 - 20	2018 - 19	2019 - 20	2018 - 19	2019 - 20	2018 - 19
1	राजस्व	-	-	13.95	-	-	-	45.53	23.15
2	ब्याज आय	2.99	2.64	-	-	0.06	-	3.51	2.46
3	अन्य आय	-	-	-	0.01	-	0.01	0.50	0.52
	कुल आय	**2.99**	**2.64**	**13.95**	**0.01**	**0.06**	**0.01**	**49.54**	**26.12**
4	प्रचालनों पर व्यय	1.54	0.88	4.97	0.15	0.17	0.13	44.18	12.30
5	मूल्यहास एवं परिशोधन	-	-	0.19	-	-	-	0.69	0.01
6	ब्याज व्यय	-	-	19.95	-	-	-	0.18	-
	कुल व्यय	**1.54**	**0.88**	**25.11**	**0.15**	**0.17**	**0.13**	**45.05**	**12.32**
7	आयकर	0.35	-	11.33	-	-	-	1.22	3.75
8	**वर्ष के लिए लाभ**	**1.19**	**1.77**	**(22.48)**	**(0.15)**	**(0.11)**	**(0.12)**	**4.78**	**10.06**
9	अन्य वृहत आय	-	-	-	-	-	-	0.01	-
10	**कुल वृहत आय**	**1.19**	**1.77**	**(22.48)**	**(0.15)**	**(0.11)**	**(0.12)**	**4.79**	**10.06**

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	इरकॉन –सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड		झारखंड सेंट्रल रेल लिमिटेड		महानदी कोल रेल लिमिटेड	
		2019 - 20	2018 - 19	2019 - 20	2018 - 19	2019 - 20	2018 - 19
1	राजस्व	198.31	196.88	-	-	-	-
2	ब्याज आय	11.60	6.54	1.92	1.79	0.02	0.01
3	अन्य आय	2.29	0.23	-	-	-	-
	कुल आय	**212.19**	**203.65**	**1.92**	**1.79**	**0.02**	**0.01**
4	प्रचालनों पर व्यय	30.50	48.65	0.06	0.01	0.85	0.02
5	मूल्यहास एवं परिशोधन	58.54	58.28	0.01	-	-	-
6	ब्याज व्यय	43.83	47.74	0.09	0.01	-	-
	कुल व्यय	**132.87**	**154.67**	**0.16**	**0.02**	**0.85**	**0.02**
7	आयकर	12.72	17.30	0.43	0.59	-	-
8	**वर्ष के लिए लाभ**	**66.60**	**31.68**	**1.33**	**1.17**	**(0.83)**	**(0.01)**
9	अन्य वृहत आय	-	(0.02)	-	-	-	-
10	**कुल वृहत आय**	**66.60**	**31.65**	**1.33**	**1.17**	**(0.83)**	**(0.01)**

(छ) संयुक्त उपक्रम कंपनियों के वहन मूल्य का समायोजन

(रुपए करोड़ में)

विवरण	बस्तर रेल प्रा.लि. (बीआरपीएल)		छत्तीसगढ ईसट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)		छत्तीसगढ ईसट वेस्ट रेलवे (सीईडब्ल्यूआरएल)		इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
आरंभिक निवल परिसंपत्तियां	292.87	1.10	440.28	305.43	503.48	503.60	77.29	42.78
वर्ष हेतु लाभ	1.19	1.77	(22.48)	(0.15)	(0.11)	(0.12)	4.80	10.06
प्रदत्त शेयर पूंजी में वृद्धि	-	290.00	32.00	135.00	-	-	14.20	11.60
अन्य वृहत आय	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय माध्यामें के इक्विटी घटक	-	-	-	-	-	-	0.34	-
अन्य समायोजन/आवेदन राशि लंबित आवंटन	-	-	-	-	-	-	60.00	14.20
शेयर इश्यु व्यय	-	-	-	-	-	-	(0.03)	(1.35)
समापन निवल परिसंपत्तियां	**294.06**	**292.87**	**449.80**	**440.28**	**503.37**	**503.48**	**156.60**	**77.29**
प्रतिशत में समूह का भाग								
(i) प्रदत्त शेयर पूंजी एवं लाभ में	26.00%	26.00%	25.91%	27.79%	26.02%	26.02%	50.00%	50.00%
(ii) शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह का भाग								
(i) प्रदत्त शेयर पूंजी एवं लाभ में	76.45	76.15	116.53	122.37	130.98	131.01	78.30	38.65
(ii) शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	-	-	-	-	-	-	-	(7.10)
अन्य समायोजन	-	-	-	-	-	-	(30.17)	-
वहन मूल्य	**76.45**	**76.15**	**116.53**	**122.37**	**130.98**	**131.01**	**48.13**	**31.55**

(रुपए करोड़ में)

विवरण	इरकॉनः सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड		झारखंड सेंट्रल रेल लिमिटेड		महानदी कोल रेल लिमिटेड	
	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
आरंभिक निवल परिसंपत्तियां	86.44	54.79	55.50	49.33	0.02	0.03
वर्ष हेतु लाभ	66.60	31.68	1.33	1.17	(0.83)	(0.01)
प्रदत्त शेयर पूंजी में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
अन्य वृहत आय	-	(0.02)	-	-	-	-
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय माध्यामें के इक्विटी घटक	-	-	-	-	-	-
अन्य समायोजन/आवेदन राशि लंबित आवंटन	-	-	-	5.00	-	-
समापन निवल परिसंपत्तियां	**153.04**	**86.44**	**56.84**	**55.50**	**(0.81)**	**0.02**
प्रतिशत में समूह का भाग						
(i) प्रदत्त शेयर पूंजी एवं लाभ में	50.00%	50.00%	23.59%	26.00%	26.00%	26.00%
(ii) शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	-	-	-	-	-	-
समूह का भाग						
(i) प्रदत्त शेयर पूंजी एवं लाभ में	76.52	43.22	13.45	13.13	(0.21)	0.01
शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	-	-	50.00	-	-	-
अन्य समायोजन	-	-	-	-	0.21	-
वहन मूल्य	**76.52**	**43.22**	**63.45**	**13.13**	**-**	**0.01**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

42 राजस्व

क. राजस्व का विचलन

प्रचालन सेगमेंट और उत्पादन या सेवा के प्रकार के संबंध में ग्राहकों के साथ संविदाआकें से कंपनी के राजस्व का विचलन निम्नानुसार है :

(रुपए करोड़ में)

उत्पादों और सेवाओं का प्रकार	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु						
	इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्व मापन की विधि		अन्य राजस्व	लाभ हानि विवरण/सेगमेंट रिर्पोटिंग के अनुसार कुल
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे	3,699.51	420.76	**4,120.27**	4,120.27	-	6.62	**4,126.89**
राजमार्ग	1,009.22	6.66	**1,015.88**	1,015.88	-	5.45	**1,021.33**
इलैक्ट्रिकल	17.69	7.37	**25.06**	25.06	-	-	**25.06**
भवन	104.39	-	**104.39**	104.39	-	-	**104.39**
अन्य	76.16	-	**76.16**	76.16	-	37.68	**113.84**
कुल	**4,906.97**	**434.79**	**5,341.76**	**5,341.76**	**-**	**49.75**	**5,391.51**

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से **5,314.76 करोड रूपए** को समयावधि में स्वीकार किया गया और **शून्य** को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

(रुपए करोड़ में)

उत्पादों और सेवाओं का प्रकार	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु						
	इंड एएस 115 के अनुसार राजस्व			निष्पादन दायित्व मापन की विधि		अन्य राजस्व	लाभ हानि विवरण/सेगमेंट रिर्पोटिंग के अनुसार कुल
	घरेलू	विदेशी	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे	3,169.68	568.74	**3,738.42**	3,711.60	26.82	2.59	**3,741.01**
राजमार्ग	868.64	-	**868.64**	868.64	-	0.10	**868.74**
इलैक्ट्रिकल	97.35	-	**97.35**	97.35	-	-	**97.35**
भवन	44.81	6.72	**51.53**	51.53	-	-	**51.53**
अन्य	3.77	0.51	**4.28**	4.28	-	35.53	**39.81**
कुल	**4,184.25**	**575.97**	**4,760.22**	**4,733.40**	**26.82**	**38.22**	**4,798.44**

वर्ष के दौरान इंड एएस 115 के अंतर्गत स्वीकृत कुल राजस्व में से 4733.40 करोड रूपए को समयावधि में स्वीकार किया गया और 26.82 करोड रूपए को समय बिंदु पर स्वीकार किया गया है।

ख. कंपनी ने इंड एएस 115 ''ग्राहकों से संविदाओं से राजस्व'' के अनुप्रयोग के लिए पूर्वलक्षी आशोधित परिदृश्य का प्रयोग किया है और दिनांक 1 अप्रैल 2018 को प्रतिधारित आमदनियों पर इसका प्रभाव शून्य है।

ग. संविदा शेष

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
व्यापार प्राप्य (नोट 12.2)	551.59	666.04
संविदा परिसंपत्तियां (नोट 8.3, 12.6))	1,450.07	720.40
संविदा दायित्व (नोट 20 और 22)	2,352.87	2,859.68

(i) व्यापार प्राप्य गैर–ब्याज धारणीय है और ग्राहक प्रोफाइल में शामिल हैं – रेल मंत्रालय, भारत तथा विदेश में सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम, राज्य स्वामित्व कंपनियां। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन अग्रिम, 45 से 60 दिन की ऋण अवधि सीमा के साथ मासिक प्रगति भुगतान शामिल हैं।

(ii) संविदा परिसंपत्तियों को उस अवधि में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय विचार करने के लिए कंपनी के अधिकार को प्रकट करने के लिए सेवाएं निष्पादित की जाती हैं। इसमें निर्माण संविदाओं के अंतर्गत ग्राहकों से देय शेष राशियां शामिल हैं, जो उस समय उत्पन्न होती हैं, जब कंपनी संविदाओं की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करती है, तथापि राजस्व को इनपुट विधि के अंतर्गत उस अवधि के लिए स्वीकार किया जाता है। पूर्व में संविदा परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार की गई किसी राशि को संलग्न शर्तों के संतोष के स्तर पर व्यापार प्राप्यों के रूप में पुनःवर्गीकृत किया जाता है, जो कि बिलिंग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

वर्ष के दौरान संविदा शेषों में संचलन

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्ष के आरंभ में संविदा परिसंपत्तियां	720.40	522.87
वर्ष के अंत में संविदा परिसंपत्तियां	1,450.07	720.40
निवल वृद्धि / कमी	**729.67**	**197.53**

वर्ष 2019–20 के लिए, पिछले वर्ष की तुलना में 729.67 करोड रूपए की निवल वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से संविदा शर्तों के आधार पर कार्य के प्रमाणन पर संविदा परिसंपत्तियों की वसूली के कारण है।वर्ष 2018–9 के लिए, पिछले वर्ष की तुलना में 197.53 करोड रूपए की निवल वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से संविदा शर्तों के आधार पर कार्य के प्रमाणन पर बिलों के लिए इनपुट विधि के आधार पर राजस्व की स्वीकृति के कारण है।

(iii) निर्माण संविदाओं से संबंधित संविदा देयताएं ग्राहकों से शेष राशियों के कारण हैं, यह तब उत्पन्न होती हैं जब विशिष्ट माइलस्टोन भुगतान इनपुट विधि के अंतर्गत उक्त तिथि का स्वीकार राजस्व से अधिक हो जाता है और अग्रिम दीर्घकालीन निर्माएा संविदाओं में प्राप्त होता है। प्राप्त अग्रिम की राशि को उस समय समायोजित किया जाता है जब ग्राहकों से इनवाइस प्राप्त हो जाता है।

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्ष के आरंभ में संविदा देयताएं	2,859.68	3,194.64
वर्ष के अंत में संविदा देयताएं	2,352.87	2,859.68
निवल वृद्धि / कमी	**(506.81)**	**(334.96)**

वर्ष 2019–20 तथा 2018–19 के लिए पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः **506.81 करोड़ रूपए** तथा **334.96 करोड़ रूपए** की कमी हुई है, जो मुख्य रूप से वर्ष के दौरान निष्पादित कार्यों के प्रति ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशियों के समायोजन के करण है।

घ. निम्नलिखित से स्वीकृत राजस्वी की राशि का ब्यौरा :

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
वर्ष के आरंभ में संविदा दायित्वों में शामिल राशि	1,746.54	2,067.51
पिछले वर्षों में संतुष्ट निष्पादन दायित्व	-	-

ड. संविदा प्राप्त करने की लागत

दिनांक 31 मार्च 2020 को परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृत राशि शून्य (दिनांक 31 मार्च 2019 को शून्य) है।
वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत परिशोधन की राशि शून्य (वित्तीय वर्ष 2018–19 को शून्य) है।

च. निष्पादन दायित्व

कंपनी के निष्पादन दासित्वों संबंधीसूचना नीचे सारबद्ध हैः
दिनांक 31 मार्च को शेष निष्पादन दायित्वों को आवंटित संव्यवहार मूल्य ;असंतुष्ट या आंशिक असंतुष्ट, निम्नानुसार हैः

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
एक वर्ष के भीतर	5,246.80	7,167.34
एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष के भीतर	6540.67	6900.59
दो वर्ष से अधिक	21,213.00	19,463.52
कुल	**33,000.47**	**33,531.45**

सेवा रियायत व्यवस्थाएं

सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत व्यवस्थाओं को परिशिष्ट–ग–सेवा रियायत व्यवस्थाएं (इंड एएस–115) के अनुसार रिकार्ड किया जाता है। परिशिष्ट–ग लागू होता है यदिः

(क) प्रदाता नियंत्रित और विनियमित करता है कि प्रचालक द्वारा उक्त अवसंरचना से क्या सेवाएं प्रदान करेगा और किसे प्रदान करेगा तथा किस मूल्य पर करेगा, और

(ख) प्रदाता व्यवस्था की अवधि के समाप्ति पर अवसंरचना में किसी प्रकार के अवशिष्ट अहित या अन्यथा स्वामित्व, लाभ पात्रताओं के माध्यम से नियंत्रण करेगा।

यदि उपर्युक्त दोनों शर्तों को एक साथ पूरा किया जाता है तो, वित्तीय परिसंपत्ति को उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है, जहां तक प्रचालक का सेवा हेतु प्रदाता के विशेषाधिकार से या पर रोकड़ या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को प्राप्त करने का अशर्त संविदागत अधिकार है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

इन वित्तीय परिसंपत्तियों को आरंभि स्तर पर लागत पर स्वीकार किया जाता है, जिसे प्रचालन के प्रति प्रदान सेवाओं के उचित मूल्य जमा अन्य प्रत्यक्ष लागतों के रूप में स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात इन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में लागत पर परिशोधित किया जाता है।ß

अमूर्त परिसंपत्ति को उस स्तर तक स्वीकार किया जाता है, जहां प्रचालक जन सेवा के प्रयोक्ता प्रभार का अधिकार प्राप्त कर लेता है, बशर्ते ये प्रभार प्रयेक्त सेवा के स्तर की शर्तों के अधीन होंगे।

इन अमूर्त परिसंपत्तियों आरंभिक स्तर पर लागत पर स्वीकार किया जाता है, जिसे प्रचालन के प्रति प्रदान सेवाओं के उचित मूल्य जमा अन्य प्रत्यक्ष लागतों के रूप में स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात इन्हें रियायत की अवधि पर परिशोधित किया जाएगा।

समूह संविदा की शर्तों के अनुसार लक्ष्य के समापन पर एनएचएआई से देय प्राप्यों को ध्यान में रशते हुए 31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि तक सेवा रियायत व्यवस्था के अंतर्गत **751.17 करोड रूपए** (135.27 करोड रूपए) की वित्तीय परिसंपत्ति को स्वीकार करता है। कंपनी ने इंड एएस 115 से संबंधित ''ग्राहकों से राजस्व'' के अनुसार एससीए के अंतर्गत सढक निर्माण पर 31 मार्च 2020 तक की अवधि हेतु **1012.11 करोड रूपए** (313.71 करोड रूपए) के राजस्व को स्वीकार करता है।

समूह सेवा रियायत व्यवस्था के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण पर **25.20 करोड रूपए** (283.83 करोड रूपए) को स्वीकार करता है। समूह सेवा रियायत व्यवस्था के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण पर लाभ के रूप में शून्य (शून्य रूपए) को स्वीकार करता है। सेवा रियातय व्यवस्थाओं के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्त्यिों के निर्माण के संयबंध में स्वीकृत राजस्व , सेवा रियायत व्यवस्था के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उपलब्ध सेवाओं के उचित मूल्य को प्रदर्शित करता है। समूह ने टोल सडकों के प्रचालन से **139.37 करोड रूपए** (77.62 करोड रूपए) के राजस्व का स्वीकार किया है।

43. पट्टे

क) पट्ाधारी के रूप में कंपनी

पट्टाधारी के रूप में कंपनी ने विभिन्न पट्टा संविदाओं में प्रवेश किया है, जिसमें भूमि, कार्यालय स्थान, गेस्ट हाउस तथा वाहनों के पट्टे शामिल हैं। इंड एएस 116 को स्वीकार करने से पूर्व, कंपनी वित्तीय पट्टे या प्रचालन पट्टे को आरंभि तिथि को अपने पट्टों (पट्टाधारी के रूप में) का वर्गीकरण करती है। कंपनी के पास 12 महीनों या कमी की अवधि के पट्टों सहित कतिपय कार्यालयों और गेस्टा हाउस के पट्टे हैं। कंपनी इन पट्टों के लिए 'अल्पकालीन पट्टा' स्वीकृत छूटों के लिए आवेदन करती है।

प्रयोग अधिकार परिसंपत्ति

वर्ष के दौरान प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियों की वहन राशियों की स्वीकृति औरसंचलना को नोट 7 में प्रकट किया गया है।

पट्टा देयताएं

वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं की स्वीकृति और संचलनों के वहन मूल्य को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है।

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को
1 अप्रैल 2019 को आरंभिक शेष	0.00
संवर्धन	0.21
ब्याज को मान्यता	0.00
भुगतान	(0.04)
31 मार्च 2020 को शेष	**0.17**
चालू	**0.03**
गैर चालू	**0.14**

लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत राशि

(रूपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि हेतु
प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियों का मूल्यहास व्यय (संदर्भ नोट 29)	0.33
पट्टा दायित्वों पर ब्याज व्यय (संदर्भ नोट 28)	-
अल्पकालीन पट्टों संबंधी व्यय (संदर्भ नोट 26 (iii))	7.02
कुल	**7.35**

समूह के पास अनेक पट्टा संविदाएं हैं जिनमें विस्तार और समापन विकल्प वाले पट्टे शामिल हैं। ये विकल्प प्रबंधन द्वारा वार्तायोग्य हैं और समूह की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। प्रबंधन यह निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण विवेकाधीकार का प्रयोग करता है कि क्या ये विस्तार और समापन विकल्प प्रयोग हेतु युक्तिसंगत हैं।

विस्तार और समापन की प्रयोग तिथि के अनुसरण पर अवधि से संबंधित अरियायती संभावित भावी किराया भुगतान निम्नानुसार हैं, जिन्हें पट्टा अवधि में शामिल नहीं किया गया हैः

(रुपए करोड़ में)

विवरण	पांच वर्षो के भीतर	पांच वर्षो से अधिक	कुल
विस्तार विकल्प जिनका प्रयोग नहीं किया जाना है	-	-	-
समापन विकल्प जिनका प्रयोग किया जाता है	-	-	-
	0.00	0.00	0.00

ख. पट्टादाता के रूप में समूह

समूह ने भवन, संयंत्र और मशीनरी तथा एमएफसी को प्रचालन पट्टे पर दिया है, जिन्हें संबंधित करारों के अनुसार उपयुक्त नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है। (1) एमएफसी के उप–पट्टे के संबंध में – **16.65 करोड रूपए** (17.79 करोड रूपए) (एमएफसी पट्टा नोट में शामिल)। उप–पट्टाधारी से प्राप्त /प्राप्य एक मुश्त भुगतान राशि को प्रोरेटा आधार पर पट्टा अवधि में सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में स्वीकार किया गया है।ь

(i) कंपनी ने प्रचालन पट्टों के अंतर्गत भवनों को दिया है। पट्टा किराया (किराया और सेवा प्रभार) समग्री रूप से **7.58 करोड रूपए** हैं (8.20 करोड़ रूपए) जिन्हें पट्टा व्यवस्थाओं के अनुसार लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

(ii) कंपनी ने प्रचालन पट्टों के अंतर्गत मशीनरीं को दिया है। पट्टा आय (किराया और सेवा प्रभार) समग्री रूप से **16.66 करोड रूपए** हैं (11.41 करोड़ रूपए) जिन्हें पट्टा व्यवस्थाओं के अनुसार लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है।

4. कंपनी ने पेट्रोल पम्प जिसे हिन्दुस्तार पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा प्रचालित किया जाना है, के लिए पट्टे पर एनएचएआई के साथ सेवा रियायत व्यवस्था की शर्तों के अनुसार टोल रोड के समीप निर्धारित क्षेत्र दिया है, और शेक्ष क्षेत्र का पट्टा और प्रचालन सिनपर्जी इंजीनियरिंग ग्रुट प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। एचपीसीएल से **0.16 करोड रूपए** (0.10 करोड रूपए) की राशि और सिनर्जी से **0.12 करोड रूपए** (शून्य रूपए) की राशि पट्टा भुगतानों के रूप में प्राप्त हुई थी।

गैर–रद्दकरणीय प्रचालन पट्टों के अंतर्गत प्राप्य भावी न्यूनतम किराये निम्नानुसार हैंः

(रुपए करोड़ में)

	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
एक वर्ष के भीतर		
निर्धारित क्षेत्र	0.33	-
बहु उद्देशीय परिसर	17.93	16.16
भवन	0.41	-
एक वर्ष के पश्चात किन्तु पांच वर्ष से अधिक नहीं		
निर्धारित क्षेत्र	1.38	-
बहु उद्देशीय परिसर	76.64	94.57
भवन	2.29	-
पांच वर्ष से अधिक		
निर्धारित क्षेत्र	2.83	-
बहु उद्देशीय परिसर	615.09	636.15
भवन	-	-

नोटः सेक्टर–43, नोएडा में रिटेल मॉल के लिए चयनित रियायग्राहियों को कार्य प्रदान पत्र जारी किया गया है। तथापि, रियायत करार में प्रवेश करने सहित रियायतग्राहियों के भाग में कतिपय दायित्वों को अभी पूरा किया जाना है। इसलिए, इसे भावी न्यूनतम प्राप्य किराए में शामिल नहीं किया गया है।

44. सूक्ष, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षति ब्यौरा निम्नानुसार है

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2019 को
1	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अदेश शेष मूल राशि और उस पर ब्याजः	-	-
	सूक्ष, लघु और मध्यम उद्यमों को देश मूल राशि	8.08	18.95
	उपर्युक्त पर देय ब्याज	-	-
2	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के पश्चात आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि सहित सूक्ष, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के खंड 16 की शर्तों में कंपनी द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि।	-	-
3	प्रदत्त भुगतान में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतानयोग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है किन्तु वर्ष की निर्धारित तिथि के पश्चात) किन्तु सूक्ष, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्धारित अनुसार ब्याज को शामिल किए बिना।	-	-
4	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में संचित ब्याज की राशि जो भुगतान क लिए शेष है।	-	-
5	अगले वर्ष भी देय और भुगतान योग्य राशि पर और ब्याज की राशि, जबतक कि लघु उपक्रम को वास्तव में किए गए भुगतान की तिथि पर ब्याज देय है, जो कि सूक्ष, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के खंड 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय की गैर–अनुमति के प्रयोजन हेतु है।	-	-

45. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर)

लोक उपक्रम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ पठित समूह अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 135 के अनुसार समूह का अपनी सीएसआर नीति के अनुसार तीन तत्काल पूर्व वित्तीय वर्षों के दौरान समूह को हुए निवल औसत लाभों के कम से कम 2 प्रतिशत की दर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में खर्च करना अपेक्षित है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क. सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्ष के दौरान समूह द्वारा व्यय किए जांने हेतु अपेक्षित सकल राशि	10.08	9.05

ख. सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशि

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु			31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु		
	नकद में प्रदत्त	भुगतान में किया जाना है	कुल	नकद में प्रदत्त	भुगतान में किया जाना है	कुल
परिसंपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण पर'*	2.34	-	**2.34**	1.23	-	**1.23**
उपर्युक्त से इतर प्रयोजनों हेतु	7.84	-	**7.84**	7.72	-	**7.72**
कुल	10.18	-	**10.18**	8.95	-	**8.95**

* खरीदी और संबंधित संगठनों को सुपुर्द की गई परिसंपत्तियां समूह द्वारा धारित नहीं हैं

ग. सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली शेष राशि

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
वर्ष के दौरान समूह द्वारा व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशि (उपर्युक्त (क) के अनुसार)	10.08	9.05
वर्ष के दौरान समूह द्वारा व्यय की गई सकल राशि (उपर्युक्त (ख) के अनुसार)	10.18	8.95
समूह द्वारा व्यय की जाने वाली शेष राशि	-	**0.10**

घ. प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत सीएसआर व्ययों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(रुपए करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
भूख, गरीबी व कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखरेख और स्वच्छता का संवर्धन तथा सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना	4.50	-
विशेष रूप से बच्चों में व्यावसायिक कौशल संवर्धन सहित विशेष शिक्षा और रोजगार सहित शिक्षा का संवर्धन	1.76	3.51
पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित करना	3.08	2.44
महिलाओं और अनाथों के लिए होम और होस्टल की स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ओल्ड एज होम डे–केयर केन्द्रों और ऐसी अन्य सुविधाओं की स्थापना	0.33	2.39
खेलकूद		0.19
अन्य /अन्य प्रशासनिक लागत सहित	0.51	0.42
कुल	**10.18**	**8.95**

46. कोविड–19 प्रकटन

षविश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दिनांक 11 मार्च 2020 को नोवेल कोरोनावायरस (कोविड–19) को वैश्विक महामारी घोषित की है। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार ने दिनांक 24 मार्च 2020 को देशभर में लॉकडाउन की घोषणा की थी और गैर–अनिवार्य व्यवसायों को अस्थायी रूप से बंद करने, वस्तुओं और सेवाओं के संचलन, यात्रा आदि में प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए थे। समूह द्वारा निष्पादित किए जाने वाले व्यवसाय की प्रकृति गैर अनिवार्य श्रेणी में आती है, जिसके कारण समूह को केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जारी लॉकडाउन अनुदेशों के अनुपालन में अपने सभी चालू प्रचालन परियोजनाओ को अस्थायी रूप से निलंबित करना पड़ा। इन राष्ट्व्यापी लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण परियोजना निष्पादन, आपूर्ति श्रृंखला अवरोध 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन के दौरान कार्मिकों की अनुपलब्धता के रूप में समूह के सामान्य प्रचालनों पर प्रभाव पड़ा था।केन्द्रीय और राज्य सरकार ने लॉकडाउन को समाप्त करने के लिए कदम उठाने आरंभ किए हैं और समूह इसका अनुपालन कर रही है, चूंकि समूह ने उपलबध संसाधनों के आधार पर अपनी गतिविधियों को आरंभ कर दिया है। समूह धीरे धीरे मई के आरंभ से विभिन्न परियोजना स्स्थलों पर अपने प्रचालनों को आरंभ करने में सक्षम हुई है। समूह ने अपने सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थता को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव पूर्वोपाय किए हैं और कोविड–19 के प्रसार के निवारण के लिए एसओवी निर्धारित की है तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। समूह को आशा है कि धीरे धीरे प्रवासी श्रमिकों के कार्य पर वापसआने से लॉकडाउनके पूर्व की स्थिति जैसी सामान्यता प्राप्त होने पर निर्माण कार्य अपने इष्टतम स्तर पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही साथ समूह आगे कि निर्माण कार्यों के गति लााने के लिए प्रौद्योगिकी के उन्नत प्रयोगों का भी दोहन कर रही है।ष

वित्तीय निष्पादन

समूह विश्वास करती है कि चूंकि अभी तक कोविड–19 महामारी का राजस्व और लाभप्रदत्ता की दत्रष्टि से समूह के वित्तीय निष्पादन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि समूह ने चालू वर्ष में अपने निर्धारित राजस्व को रिकार्ड किया है।

नकदी

समूह के पास अपने प्रचालन के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध है। समूह के अल्पकालीन निवेश ऐसे माध्यमों में हैं जिन्हें आवश्यकता के आधार पर नकदीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, समूह के पास सुदृढ 30,700 करोड़ रूपए की आर्डर बुक है, जो हमें पर्याप्त रोकड़ प्रवाह व्यवहार्यता उपलब्ध कराती है।

समूह के पास सुदृढ 30,700 करोड़ रूपए की आर्डर बुक है, जो हमें पर्याप्त रोकड़ प्रवाह व्यवहार्यता उपलब्ध कराती है। समूह को आशा है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के संबंध में उपलब्ध सूचना के आधार पर व्यवसाय के सामान्य प्रक्रिया में समूह परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश परिसंपत्तियों, अमूर्त परिसंपत्तियों, प्रयोग अधिकार परिसंपत्तियों, दरसूची, अग्रिमों, व्यापार प्राप्यों, आस्थगित करों, अन्य वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों आदि सहित अपनी सभी परिसंपत्तियों के वहन मूल्य को वसूल कर लेगी।

सुगम प्रचालन हेतु किए गए उपाय

सुगम प्रचालन हेतु किए गए उपायलॉकडाउन अवधि के दौरान, समूह ने कोविड–19 लॉकडाउन के पश्चात व्यवहास हेतु नए सामान्य स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। समूह के गैर–महत्वपूर्ण स्थलों पर कार्य करने के लिए समूह सरकारी प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कर्मचारियों के लिए घर से कार्य की शर्तों और रोस्टर को सुचारू बना रही है। इसके अतिरिक्त, समूह ने निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के लिए कोविड–19 के संबंध में कड़ी मॉनीटिरिंग प्रक्रियों को स्थापित किया हैः

» सभी कर्मचारियों और आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग
» नियमित आधार पर परिसरों और वाहनों का सेनिटाइजेशन
» सभी कार्य स्थलों पर सामाजिक दूरी का अनुरक्षण
» मास्क पहनने और नियमित रूप से हाथों को धोने की प्रक्रिया को लागू करना
» सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों का नियमित स्वास्थ्य जांच
» अपने सभी कर्मचारियों के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन

कोविड–19 के भावी प्रभाव का आकलन

परियोजना का कार्य आरंभ होने के साथ, समूह नियमित रूप से अपने प्रचालनों की समीक्षा कर रही है और इस महामारी के कारण हुए समय के नुकसान की भरपाई करने के हर संभाव प्रयास कर रह है। हालांकि प्रबंधन को संभावना है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में राजस्व और लाभप्रदत्ता में कमी होगी, समय समयस पर लॉकडाउन अवरोध के प्रभाव का आंकलन किया जा रहा है और इसकी सूचना राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों और स्वास्थ्य प्राधिकारियों को दी जाएगी चूंकि हम वर्तमान स्थिति में आगे बढ रहे हैं। इसलिए इस स्तर पर विश्वसनीयता के साथ इसके भावी प्रभावों का पूर्वानुमान संभव नही हैं।वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का वास्तविक प्रभाव अनुमानों से भिन्न हो सकता है, क्योंकि कोविड–19 की स्थिति भारत और विश्व में फैली हुई है। तथापि, समूह भावी आर्थिक स्थितियों में किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की गहन निगरानी जारी रखेगी।

47. अन्य प्रकटन

क. समूह ने आयकर अधिरियम, 1961 के अनुच्छेद–115खकक के अंतर्गत अनुमत विकल्प का प्रयोग करने का चयन किया है, जैसा कि कर नियम (संशोधन) विधेयक, 2019 द्वारा आरंभ किया गया है। तदनुसार, आयकर कर परिवर्तित होकर 34.944% से 25.168% हो गई है। नए कर दर के अनुसार संचित आस्थिगित कर परिसंपत्तियों का पुनःमापन के कारण 40.46 करोड़ रूपए के एकमुश्त अतिरिक्त प्रभार उत्पन्न हुआ है। वर्ष 2019–20 तक, समूह अनुच्छेद 80– ।क के अनंतर्गत कटौती को ध्यान में रखे बिना आयकर हेतु प्रावधान कर रही थी। वर्ष 200–01 से 2019–20 से आरंभ अवधि के लिए, आर्थ विभिन्न वर्षों के लिए सीआईटी(क) द्वारा समूह को 80– ।क के अंतर्गत कटौती की अनुमति दी गई है (वर्ष 2004–05, 2005–06, 2007–08, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16 और 2016–17) और वर्ष 2000–01, 2001–02, 2002. 03, 2003–04, 2004–05 और 2005–06 और इसकी अनुमति आईटीएटी द्वारा दी गई थी। इन वर्षों में से समूह अभी भी वर्ष 2007–08, 2012–12 तथा 2013–14 के लिए 80– ।क के अंतर्गत कटौती हेतु प्रावधान कर रही है जो इन वर्षों के लिए समूह के प्रति विभाग द्वारा दायर अपीलों पर विचार करते हुए परम्परागत परिदृश्य में किया गया है। तथापि, वर्ष 2014–15 से आगे, सीआईटी(क) द्वारा 80– ।क के अंतर्गत कटौती की अनुमति के पश्चात समूह 80– ।क के अंतर्गत कटौती के प्रति बट्टा खाता प्रावधान कर रही है।

वर्ष 2019–20 तक समूह समूह डीटीएए करारों के अनुसार, जहां कर निर्धारण हेतु प्रस्तावित वैश्विक आय से विदेशों में अर्जित आय को अगल रखा जा रहा था, के पश्चात भारर में कर हेतु वैश्विक आय प्रस्तावित किया जा रहा था। समूह को वर्ष 2005–06 तक एक्सक्लूजन विधि की अनुमति थी, तत्पश्चात विदशों में प्रदत्त करों के प्रति ऋण को विभिग द्वारा वैश्विक आय पर परिकलित करों की अनुमति दी गई है। देय कर का भुगतान करने के पश्चात, आईटीएटी के समक्ष निपटान हेतु लंबित अपीलों को दायर करने इस मुद्दे का निवारण किया गया है।

ख. लागत जमा परियोजनाओं में कुछ संविदाकारों द्वारा किए गए दावों के कारण विभिन्न न्यायालयों और अपील प्राधिकरणों के समक्ष समूह के विरूद्ध कुछ अन्य मामले लंबित है। ऐसे मामलों में, समूह संविदा के शर्तों के अनुसार ग्राहकों से पूर्ण प्रतिपूर्ति पर बल देती है और किसी प्रकार से संसाधनों के आर्थिक आउटफ्लों की आशा करती है। इस संबंध में न्यायाधीन कुल दावे **2,190.76 करोड़ रूपए** (2,034.49 करोड़ रूपए) के हैं, जिनमें से **5.58 करोड़ रूपए** (23.43 करोड़ रूपए) के लिए प्रावधान किया गया है, जिसकी प्रतिपूर्ति ग्राहकों द्वारा की गई है। समूह ने **1,128.25 करोड़ रूपए** (1,475.16 करोड़ रूपए) के लिए ठेकेदारोां के प्रति दावा भी किया है। इन दावों पर ब्याज पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि यह अनिश्चित हैं।

ग. माननीय उच्च न्यायालय ने समतुल्य राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के प्रति ओरी राजमार्ग परियोजना यूपी–05 हेतु एनएचएआई के प्रति **97.96 करोड़ रूपए** की राशि के लिए मध्यस्थता निर्णय प्रदान करने की अनुमति दी है। समूह ने न्यायालय के अंतिम निर्णय तक समतुल्य राशि की देयता प्रदान की है।

घ. वर्ष के दौरान इरकॉन इंन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड ने वित्तीय बजट 2020 में घोषित विवाद से विश्वास योजना का विकल्प चुना है। इस योजना के अनुसार, आकलिती को सीआईटी (अपील), आईटीएटी, अधिकरण एच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कर विवाद के निपटान का एक अवसर प्रदान किया जाता है। दिनांक 31.03.2020 को, वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 से संबंधित **19.32 करोड रूपए** की मांग (ब्याज और दंड को छोडकर) के प्रति योजना का विकल्प चुना गया और इस योजना के तहत **4.35 करोड रूपए** की निवल राशि जमा कराई गई (आकलन के समय स्टे के प्रति **4.05 करोड रूपए** की पहले से जमा राशि के समायोजन के पश्चात और टीडीएस, एमएटी और विदेश कर ऋणों के रूप में शेष समायोजन के पश्चात)। आज की तिथि को उक्त आकलन वर्ष के लिए कोई कर विवाद लंबित नहीं है।

ड. समूह में बैंकों और अन्य पक्षों से शेषों की आवधि पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली उपस्थित है। अभी तक, व्यापार/अन्य देय राशियों तथा ऋण और अग्रिमों के संबंध में, शेष पुष्टि पत्र पक्षों के भेंजे गए थे। कुछ व्यापार प्राप्यों, अन्य परिसंपत्तियों और अन्य देयों के शेष पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजनों,यदि कोई हो, के अध्याधीन हैं। समायोजन नियमित आधार पर किए जाते हैं। तथापि, प्रबंधन ऐसे लंबित पुष्टियों/समायोजनों के किसी महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव की आशा नहीं करती है।

च. प्रबंधन के मतानुसार, परिसंपत्तियों, सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा गैर चालू निवेशों से इतर परिसंपत्तियों के मूल्य,व्यवसायों की सामान्य प्रकिया में तुलन पत्र में वर्णित अनुसार मूल्यों से कम नहीं होनी चाहिए।

48. दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी अधिनिधम, 2013 की अनुसूची– III के अनुसरण में अतिरिक्त सूचना

(रुपए करोड़ में)

निकाय का नाम	निवल परिसंपत्ति यथा कुल परिसंपत्ति घटा कुल देयता		लाभ या हानि में भाग		अन्य वृहत आय में भाग		कुल वृहत आय में भाग	
	समेकित निवल परिसिंपत्ति के प्रतिशत के रूप में	राशि/ रूपए में	समेकित लाभ और हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि/ रूपए में	समेकित अन्य वृहत आय के प्रतिशत के रूप में	राशि/ रूपए में	समेकित कुल वृहत आय के प्रतिशत के रूप में	राशि/ रूपए में
मूल कंपनी								
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	71.54%	2,984.06	101.04%	490.37	100.00%	(2.96)	101.05%	487.41
सहायक कंपनियां								
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	2.11%	88.18	(6.35%)	(30.83)	-	-	(6.39%)	(30.83)
इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड	3.59%	149.62	(3.54%)	(17.18)	-	-	(3.56%)	(17.18)
इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड	4.02%	167.60	0.16%	0.77	-	-	0.16%	0.77
इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	3.21%	133.74	2.37%	11.50	-	-	2.38%	11.50
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लि.	3.26%	136.06	0.05%	0.24	-	-	0.05%	0.24
कुल सहायक कंपनियां		**675.20**		**(35.50)**		-		**(35.50)**
सहायक कंपनियों में गैर नियंत्रण हित	-	-	-	-	-	-	-	-
सहायक कंपनियों की निवल राशि		**675.20**		**(35.50)**	-	-		**(35.50)**
संयुक्त उपक्रम								
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	1.83%	76.45	0.06%	0.31	-	-	0.06%	0.31
छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	2.79%	116.53	(1.20%)	(5.83)	-	-	(1.21%)	(5.83)
छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	3.14%	130.98	-	(0.02)	-	-	-	(0.02)
इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	1.83%	76.52	6.86%	33.29	-	-	6.90%	33.29
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	1.52%	63.45	0.06%	0.31	-	-	0.06%	0.31
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	-	-	-	-	-	-	-	-
इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.15%	48.13	0.49%	2.38	-	-	0.49%	2.38
कुल संयुक्त उपक्रम		**512.06**		**30.44**		-		**30.44**
निवल योग	**100%**	**4,171.32**	**100%**	**485.31**	**100%**	**(2.96)**	**100%**	**482.35**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते के जी सोमानी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 006591एन

ह/–
बी माहेश्वरी
साझेदार
स.सं. 088155

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 10 जुलाई 2020

निदेशक मंडल के निमित और उनकी ओर से

ह/–
एम. के सिंह
निदेशक (वित्त)
और मुख्य वित्त अधिकारी
डीआईएन– 06607392

ह/–
एस.के.चौधरी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन– 00515672

ह/–
रितु अरोडा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5270

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड–143 (6) (ख) के अंर्तगत भारत के नियंत्रक वं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन इंटनेशनल लिमिटेड** के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद– 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद–143 के अंतर्गत लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के अधार पर अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 10.07.2020 की उनकी लेखापरीक्षा रिर्पोट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन इनटरनेशनल लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अनुच्छेद–143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जो अधिनियम के अनुच्छेद–143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रश्न प्रस्तुत करे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

ह/–
(के.एस.रामूवालिया)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक,
रेलवे वाणिज्यिक, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक : 25.09.2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड–129 (4)के साथ पठित खंड 143–(6)(ख) के अंर्तगत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन इंटनेशनल लिमिटेड** के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। अधिनियम के अनुच्छेद–129(4) के साथ पठित अनुच्छेद–139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम के अनुच्छेद–129(4) के साथ पठित अनुच्छेद–143 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षण तथा आश्वासन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम के अनुच्छेद–143(10) के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनाँक 10.07.2020 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम के अनुच्छेद–129(4) के साथ पठित अनुच्छेद–143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए **इरकॉन इनटरनेशनल लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन वडोदरा–किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड और इरकॉन देवानगेरे हवेरी हाइवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है किन्तु हमने इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड, इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस लिमिटेड तथा इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य दस्तावेजों पर पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है तथा यह सांविधिक लेखापरीक्षकों व कम्पनी के कार्मिकों की जांच तथा कुछ लेखांकन रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जो अधिनियम के अनुच्छेद–143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक प्रश्न प्रस्तुत करे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के निमित्त और उनकी ओर से

ह/–
(के.एस.रामूवालिया)
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक,
रेलवे वाणिज्यिक, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनाँक : 25.09.2020

अनुबंध

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के संयुक्त उद्यमों की सूची जिनके लिए वर्ष 2019–20 हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–129 (4) के साथ पठित धारा–143(6)(क) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी

सहायक कंपनियां

1. इरकॉन–पीबी टोलवे लिमिटेड
2. इरकॉन इंफास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड
3. इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड

संयुक्त उद्यम

1. इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल)
2. भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)
3. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल)
4. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)
5. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल)
6. छत्तीसगढ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)
7. छत्तीसगढ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल)

नोट

नोट

नोट

इरकॉन चैम्पियन्स ट्राफी – सीएमडी–11 तथा निदेशक–11 के बीच खेला गया एक मैत्रीपूर्ण मैच

IRCON Champions Trophy - A friendly cricket match played between CMD-11 and Directors-11

43वां वार्षिक दिवस समारोह : पुरस्कार वितरण

43rd Annual Day Celebrations - Award Distribution

इरकॉन ने अलिमको के सहयोग से मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में विभिन्न दिव्यांगों को सहायक वस्तुओं एवं उपकरणों का वितरण

IRCON in association with ALIMCO distributed aids and appliances to various divyangs at Muzaffarnangar, UP

इरकॉन की 43वीं वार्षिक आम बैठक

43rd Annual General Meeting of IRCON

वर्ष 2019–20 के लिए इरकॉन और रेल मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

MoU Signing between IRCON and Ministry of Railways for the year 2019-20

इरकॉन के पथचिन्ह
Footprints of IRCON

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
IRCON INTERNATIONAL LIMITED

पंजीकृत कार्यालय
REGISTERED OFFICE

सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110017
C-4, District Centre, Saket, New Delhi - 110017.
टेली/Tel: +91-11-29565666
फैक्स/Fax: +91-11-26522000/26854000,
ई–मेल/Email: info@ircon.org,
वेबसाइट/Website: www.ircon.org
सीआईएन/CIN: L45203DL1976G1008171